रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-31102026-277558
CG-DL-E-31102026-277558

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 856] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 29, 2026/कार्तिक 7, 1948
No. 856] NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 29, 2026/KARTIKA 7, 1948

नागर विमानन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 अक्तूबर, 2026

सा.का.नि. 957 (अ).— भारतीय वायुयान नियम, 2025 का मसौदा, भारतीय वायुयान अधिनियम, 2024 (2024 का 16) की धारा 34 के अनुसार, भारत सरकार, नागर विमानन मंत्रालय की अधिसूचना सं. सा.का.नि 466 (अ) दिनांक 11 जुलाई, 2025 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था, जिसमें उन सभी लोगों से, जिनके इसके द्वारा प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जब सरकारी राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध कराई गई थीं जिसमें उक्त अधिसूचना अंतर्विष्ट थी, तीस दिन का समय समाप्त होने से पूर्व आपत्तियां और सुझाव मांगे गए थे;

और उक्त मसौदा नियम 14 जुलाई, 2025 को जनता को उपलब्ध कराए गए थे;

और उक्त मसौदा नियमों के संबंध में जनता से विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर प्राप्त हुई आपत्तियों और सुझावों पर विचार किया गया है;

अतः अब, भारतीय वायुयान अधिनियम, 2024 (2024 का 16) की धारा 10, 11, 17, 19, 20, धारा 25 की उपधारा (4), धारा 30, 32 और 33 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्: -

अध्याय एक

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम, लागू होना और प्रारंभ – (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय वायुयान नियम, 2026 है।

(2) ये राजपत्र में 1 जनवरी, 2027 को लागू होंगे।

(3) ये निम्नलिखित पर लागू होंगे -

(क) भारत में रजिस्ट्रीकृत वायुयान और वायुयान में मौजूद व्यक्ति, चाहे वे कहीं भी हों;

(ख) भारत के बाहर रजिस्ट्रीकृत वायुयान और वायुयान में मौजूद व्यक्ति, चाहे वे कुछ समय के लिए भारत में हैं या भारत के ऊपर से उड़ रहे हैं:

परंतु भारत के अलावा किसी अन्य देश में रजिस्ट्रीकृत वायुयान के मामले में, रजिस्ट्रीकरण, कर्मियों की अनुज्ञप्ति, उड़नयोग्यता और लॉग बुक के संबंध में उस देश के नियम लागू होंगे, बशर्ते कि उस देश के विनियम कम-से-कम 7 दिसम्बर 1944 को शिकागो में हस्ताक्षरित अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन अभिसमय के अधीन समय-समय पर स्थापित न्यूनतम मानकों के समान हों।

परंतु यह भी कि जहाँ कोई विमान किसी संविदाकारी राज्य में रजिस्ट्रीकृत हो और जिसका परिचालन पट्टे, चार्टर, इंटरचेंज या इसी प्रकार की किसी व्यवस्था के अधीन ऐसे प्रचालक द्वारा किया जा रहा हो, जिसका मुख्य कारबार का स्थान है, या यदि ऐसा कोई कारबार का स्थान नहीं है, तो उसका स्थायी निवास भारत के अलावा किसी अन्य संविदाकारी राज्य में हो, तो रजिस्ट्रीकरण, कार्मिकों

के लाइसेंस, उड़नयोग्यता और लॉग बुक से संबंधित दूसरे संविदाकारी राज्य के नियम लागू होंगे, बशर्ते कि वायुयान के रजिस्ट्रीकरण के राज्य की सरकार और दूसरे संविदाकारी राज्य की सरकार के बीच इस अभिसमय के अनुच्छेद 83 बीआईएस के अनुसरण में कार्यों और कर्तव्यों के हस्तांतरण से संबंधित एक करार हुआ हो और उसे आधिकारिक तौर पर भारत सरकार या अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन संगठन को अधिसूचित कर दिया गया हो, और ऐसे वायुयान पर इन नियमों के लागू होने की सीमा दोनों सरकारों के बीच करार के अनुसार होगी।

(ग) भारत के बाहर किसी संविदाकारी राज्य में रजिस्ट्रीकृत और पट्टे, चार्टर या वायुयान के इंटरचेंज या किसी ऐसी ही व्यवस्था के करार के अनुसरण में ऐसे प्रचालक द्वारा परिचालित वायुयान, जिसका मुख्य कारबार का स्थान भारत में है, या यदि उसका ऐसा कोई कारबार का स्थान नहीं है, तो उसका स्थाई निवास भारत में है, बशर्ते कि वायुयान के रजिस्ट्रीकरण के राज्य की सरकार और दूसरे संविदाकारी राज्य की सरकार के बीच इस अभिसमय के अनुच्छेद 83 बीआईएस के अनुसरण में कार्यों और कर्तव्यों के हस्तांतरण से संबंधित एक करार हुआ हो और उसे आधिकारिक तौर पर भारत सरकार या अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन संगठन को अधिसूचित कर दिया गया हो, और ऐसे वायुयान पर इन नियमों के लागू होने की सीमा दोनों सरकारों के बीच करार के अनुसार होगी।

(4) ये भारत में रजिस्ट्रीकृत और किसी ऐसे प्रचालक द्वारा परिचालित वायुयान पर लागू नहीं होंगे जिन्हें पट्टे, चार्टर या वायुयान के इंटरचेंज के करार के अनुसरण में या किसी ऐसी ही व्यवस्था के तहत प्रचालित किया जाता है, जिसका मुख्य कारबार का स्थान है या यदि उसका ऐसा कोई कारबार का स्थान नहीं है, तो उसका स्थाई निवास भारत के अलावा किसी संविदाकारी राज्य में है, बशर्ते कि अभिसमय के अनुच्छेद 83 बीईएस के तहत कृत्यों और कर्तव्यों के अंतरण के बारे में भारत सरकार और उस संविदाकारी राज्य की सरकार के बीच कोई करार हुआ हो, और ऐसे वायुयान पर ये नियम लागू न होने की सीमा दोनों सरकारों के बीच हुए करार के अनुसार होगी।

स्पष्टीकरण.- इन नियमों के नियम 11, 55, 59, 62, 63, 65, 72, 83, 86, 103, 114, 168, 175 और 179 के प्रयोजनों के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि नियम 1 के उप-नियम (3) के खंड (ग) के अधीन आने वाले विदेश में रजिस्ट्रीकृत वायुयानों को भारत में रजिस्ट्रीकृत विमान माना जाएगा, और नियम 1 के उप-नियम (4) के आधीन आने वाले भारत में रजिस्ट्रीकृत विमानों को भारत में रजिस्ट्रीकृत न हुए वायुयान माना जाएगा।

2. परिभाषाएँ और व्याख्या.—(1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, —

(1) "अधिनियम" से भारतीय वायुयान अधिनियम, 2024 (2024 का 16) अभिप्रेत है;

(2) "विमान कार्य" से ऐसा वायुयान प्रचालन अभिप्रेत है जिसमें वायुयान का उपयोग विशिष्ट सेवाओं जैसे कृषि, निर्माण, फोटोग्राफी, सर्वेक्षण, प्रेक्षण और गश्त, खोज और बचाव, हवाई विज्ञापन और ऐसी ही सेवाओं के लिए किया जाता है;

(3) "विमान कार्य वायुयान" से विमान कार्य के लिए उपयोग किया जाने वाला वायुयान अभिप्रेत है;

(4) "वैमानिकी सूचना प्रकाशन" से किसी राज्य द्वारा या उसके प्राधिकार से जारी किया गया प्रकाशन अभिप्रेत है, जिसमें वायु दिक्चालन के लिए अनिवार्य स्थायी प्रकृति की वैमानिक सूचना अंतर्विष्ट है;

(5) "विमानक्षेत्र प्रचालक" से किसी विमान क्षेत्र प्रचालन और प्रबंधन के लिए जिम्मेदार व्यक्ति, संगठन या उद्यम अभिप्रेत है;

(6) "एयरोडाइन" से ऐसा वायुयान अभिप्रेत है जिसे उड़ान में सहायता वायु से सापेक्ष गति में धरातलीय प्रतिक्रिया से प्रावेगकीय रूप से प्राप्त होती है, और इसके धीन सभी विमान, हेलीकॉप्टर, जायरोप्लेन्स, ग्लाइडर और काइट्स भी हैं;

(7) "वैमानिक बीकन" से वैमानिक भूमि प्रकाश अभिप्रेत है जो भूमि की सतह पर किसी विशिष्ट बिंदु को अभिहित करने के लिए सभी दिगंश पर दृश्यमान हो, चाहे वह लगातार हो या आंतरायिक;

(8) "वैमानिक भूमि प्रकाश" से किसी वायुयान पर उपदर्शित प्रकाश से भिन्न कोई प्रकाश अभिप्रेत है जिसकी विमान दिक्चालन में सहायता के लिए व्यवस्था की गई है;

(9) "वैमानिक उत्पाद" से कोई सिविल वायुयान, इंजन या प्रोपेलर अभिप्रेत है;

(10) "वायुयान" से ऐसा पावर-चालित वायु से भारी वायुयान अभिप्रेत है, जो उड़ान में अपने उठने की शक्ति धरातलीय वायु प्रवेगकीय ऐसी प्रतिक्रियाओं से प्राप्त करता है जो उड़ान की कतिपय निश्चित दशाओं में स्थिर रहती हैं;

(11) "एयरोस्टैट" से वायु में स्थैतिक रूप से समर्थित वायुयान अभिप्रेत है और इसके सभी वायुपोत और बैलून सम्मिलित हैं;

(12) "विमान दिक्चालन सेवाएं" से वायु यातायात प्रबंधन (एटीएम), संचार, दिक्चालन और निगरानी (सीएनएस), वायु दिक्चालन के लिए मौसम संबंधी सेवाएं (एमईटी), खोज और बचाव (एसएआर) और वैमानिकी सूचना सहित प्रचालन के सभी चरणों के दौरान हवाई यातायात को प्रदान की जाने वाली सेवाएँ अभिप्रेत हैं;

(13) "विमान प्रचालक प्रमाणपत्र (एओसी)" से प्रचालक को विनिर्दिष्ट वाणिज्यिक विमान परिवहन प्रचालन संचालित करने के लिए प्राधिकृत करने वाला प्रमाणपत्र अभिप्रेत है;

(14) "हवाई यातायात" से किसी विमानक्षेत्र के प्रचालन क्षेत्र में उड़ान भरने वाले या प्रचालन करने वाले सभी वायुयान अभिप्रेत हैं;

(15) "वायु यातायात नियंत्रक" से वायु यातायात सेवा इकाई में ड्यूटी पर तैनात कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसे वायुयान प्रचालन की सुरक्षा के हित में संचार के अनुमोदित साधनों द्वारा वायुयान को अनुदेश, मंजूरी या सलाह देने का कार्य सौंपा गया है;

(16) "वायु यातायात नियंत्रक अनुज्ञप्ति" से इन नियमों के अधीन प्रदान की गई अनुज्ञप्ति अभिप्रेत है, जिसमें धारक की वायु यातायात नियंत्रक के कर्तव्यों का पालन करने की सक्षमता को प्रमाणित किया गया है तथा जिसमें अनुज्ञप्ति की रेटिंग, इंडोर्समेंट और वैधता सहित उसका व्यक्तिगत ब्यौरा अंतर्विष्ट है;

(17) "वायु यातायात नियंत्रण सेवा" से ऐसी सेवा अभिप्रेत है जो वायुयानों के बीच और तैयारी क्षेत्र में वायुयान और अवरोधों के बीच टकरावों को रोकने, और विमान यातायात के व्यवस्थित प्रवाह को तेज करना और बनाए रखने के प्रयोजन के लिए प्रदान की गई है;

(18) "वायु यातायात नियंत्रण इकाई" से एक सामान्य पद अभिप्रेत है, जिसका अर्थ विविध, क्षेत्र नियंत्रण केंद्र, पहुंच नियंत्रण इकाई या विमान क्षेत्र नियंत्रण टावर है;

(19) "वायु यातायात सेवा" से उड़ान सूचना सेवा, चेतावनी सेवा और वायु यातायात सलाह संबंधी सेवा तथा वायु यातायात नियंत्रण सेवा (क्षेत्र नियंत्रण सेवा,पहुंच नियंत्रण सेवा या विमानअड्डा नियंत्रण सेवा) अभिप्रेत है;

(20) "वायु यातायात सेवा इकाई" से वायु यातायात नियंत्रण इकाई, उड़ान सूचना केंद्र या वायु यातायात सेवा रिपोर्टिंग कार्यालय अभिप्रेत है;

(21) "वायु परिवहन सेवा" से किसी भी प्रकार के पारिश्रमिक के लिए व्यक्तियों, डाक या किसी अन्य वस्तु, सजीव या निर्जीव के हवाई परिवहन करने की सेवा अभिप्रेत है, चाहे ऐसी सेवा में एक उड़ान हो या उड़ानों की श्रृंखला;

(22) "वायु परिवहन उपक्रम" से ऐसे उपक्रम अभिप्रेत हैं जिसके कारोबार में यात्रियों या माल का हवाई मार्ग से भाड़े या पारिश्रमिक पर परिवहन सम्मिलित है;

(23) "वायुयान-श्रेणी" से विमान विनिर्दिष्ट बुनियादी विशेषताओं के अनुसार विमान का वर्गीकरण अभिप्रेत है, जैसे हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर, ग्लाइडर, फ्री बैलून; वर्टिकल टेक-ऑफ और लैंडिंग (वीटीओएल) सक्षम विमान (वीसीए);

(24) "एकल पायलट प्रचालन के लिए प्रमाणित वायुयान " से ऐसा वायुयान अभिप्रेत है जिसके बारे में पंजीकरण राज्य ने प्रमाणन प्रक्रिया के दौरान यह निर्धारित किया है कि उसे न्यूनतम एक पायलट के चालक दल के साथ सुरक्षित रूप से प्रचालित किया जा सकता है;

(25) "वायुयान संघटक" से वह पुर्जा (पार्ट) अभिप्रेत है, जिसको वायुयान से जोड़े जाने पर, वायुयान मजबूत होना और ठीक कार्य करना, वायुयान की निरन्तर उड़नयोग्यता या सुरक्षा के लिए आवश्यक है और इसके अधीन उपस्कर की कोई मद भी सम्मिलित है;

(26) "वायुयान प्रबंधन सेवा" से वायुयान के स्वामी को प्रदान की जाने वाली ऐसी सभी सेवाएँ अभिप्रेत हैं जो इन नियमों और इसके धीन बनाए गए विनियमों के अनुपालन में उस वायुयान के प्रचालन और अनुरक्षण के लिए आवश्यक या आकस्मिक हैं ,जैसा कि उक्त वायुयान के प्रचालन और अनुरक्षण के लिए लागू हो;

(27) "वायुयान प्रबंधन सेवा प्रदाता" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत से है जो वायुयान मालिक को उनके बीच वाणिज्यिक अनुबंध के तहत वायुयान प्रबंधन सेवा प्रदान करता है ;

(28) "सह-पायलट के साथ प्रचालित किए जाने वाले वायुयान" से ऐसे प्रकार का वायुयान अभिप्रेत है जिसे सह-पायलट के साथ प्रचालित किए जाना आवश्यक है, जैसा कि उड़ान मैनुअल या एयर ऑपरेटर प्रमाणपत्र में विनिर्दिष्ट किया गया है;

(29) "वायुपोत" से कोई पावर-चालित, वायु से हल्का वायुयान अभिप्रेत है;

(30) "उड़नयोग्य" से अभिप्रेत है किसी वायुयान, इंजन, प्रोपेलर या पुर्जे की वह स्थिति, जब वह अपने अनुमोदित डिजाइन के अनुरूप हो और महानिदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट मानदंडों के अनुसार सुरक्षित प्रचालन की स्थिति में हो ;

(31) "उड़नयोग्यता समीक्षा प्रमाणपत्र" से इन नियमों के अधीन जारी किया गया प्रमाणपत्र अभिप्रेत है, जो उड़नयोग्यता प्रमाणपत्र की निरन्तर विधिमान्यता की पुष्टि करता है;

(32) "शौकिया निर्मित वायुयान" से ऐसा वायुयान अभिप्रेत है, जिसका बड़ा हिस्सा (न्यूनतम 51%) ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा निर्मित और संयोजित किया गया है, जिन्होंने निर्माण परियोजना को केवल अपनी शिक्षा, अनुसंधान और विकास, खेल या मनोरंजन के लिए लिया हो;

(33) "एम्फीबियन" से वह विमान अभिप्रेत है जो सामान्यतया भूमि या ठोस प्लेटफार्म या पानी से उड़ान भरने या उस पर उतरने में समर्थ है;

(34) "अनुमोदित" से महानिदेशक द्वारा किसी विशेष उद्देश्य के लिए उपयुक्त के रूप में स्वीकार किया गया अभिप्रेत है;

(35) "अनुमोदित अनुरक्षण प्रणाली" से महानिदेशक नागर विमानन द्वारा अनुमोदित अनुरक्षण प्रणाली अभिप्रेत है;

(36) “अनुमोदित प्रशिक्षण” से महानिदेशक द्वारा अनुमोदित विशेष पाठ्यक्रम और पर्यवेक्षण के तहत आयोजित प्रशिक्षण अभिप्रेत है;

(37) "अनुमोदित प्रशिक्षण संगठन" से अनुमोदित प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए महानिदेशक के पर्यवेक्षण के अधीन अनुमोदित और प्रचालित संगठन अभिप्रेत है

(38) "बैलून" से बिना ऊर्जा के चालित वायु से हल्का विमान अभिप्रेत है।

स्पष्टीकरण - इन नियमों की प्रथम अनुसूची के प्रयोजनों के लिए, इसमें फ्री बैलून सम्मिलित है;

(39) "बेसिक इंस्ट्रूमेंट फ्लाइट ट्रेनर" से ऐसी युक्ति अभिप्रेत है जो उपयुक्त युक्तियों से सुसज्जित है, और जो इंस्ट्रूमेंट फ्लाइट स्थितियों में उड़ान में किसी वायुयान के फ्लाइट डेक वातावरण का अनुकरण करता है;

(40) "केबिन कर्मीदल के सदस्य" से उड़ान कर्मीदल के सदस्य से भिन्न कर्मीदल का सदस्य अभिप्रेत है;

(41) "केप टाउन अभिसमय" है 16 नवंबर, 2001 को केप टाउन, दक्षिण अफ्रीका में हस्ताक्षरित मोबाइल उपस्करों में अंतर्राष्ट्रीय हितों पर अभिसमय, साथ ही इसके संबंध में बनाए गए कोई भी विनियम, जिसका भारत ने 31 मार्च, 2008 को अनुसमर्थन किया था, से अभिप्रेत;

(42) "केप टाउन प्रोटोकॉल" से वायुयान उपकरण से संबंधित विशिष्ट मामलों पर केप टाउन अभिसमय का प्रोटोकॉल अभिप्रेत है, जिस पर 16 नवंबर, 2001 को इस संबंध में बनाए गए किसी भी विनियम सहित केप टाउन, दक्षिण अफ्रीका में हस्ताक्षर किए गए थे, जिनका भारत ने 31 मार्च, 2008 को अनुसमर्थन किया था;

(43) "उड़नयोग्यता प्रमाणपत्र" से महानिदेशक द्वारा जारी किया गया वायुयान विशिष्ट दस्तावेज अभिप्रेत है, जो यह सूचित करता है कि यह अपने लागू प्रकार के टाइप डिजाइन के अनुरूप है और महानिदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट मानदंडों के अनुसार सुरक्षित प्रचालन के लिए उपयुक्त स्थिति में है ;

(44) "वर्ग रेटिंग" में समाविष्ट है-

(क) एकल इंजन, भूमि;

(ख) एकल इंजन, समुद्र;

(ग) बहु-इंजन, भूमि;

(घ) बहु-इंजन, समुद्र;

(45) "वाणिज्यिक वायु परिवहन प्रचालन" से ऐसा वायुयान प्रचालन अभिप्रेत है जिसमें पारिश्रमिक या किराये पर यात्रियों, कार्गो या मेल का परिवहन सम्मिलित है;

(46) "सक्षमता" से मानव प्रदर्शन का वह आयाम अभिप्रेत है जिसका उपयोग नौकरी पर सफल प्रदर्शन की विश्वसनीय भविष्यवाणी करने के लिए किया जाता है। सक्षमता उन व्यवहारों के माध्यम से प्रकट और देखी जाती है जो विनिर्दिष्ट परिस्थितियों में कार्यकलापों या कार्यों को करने के लिए प्रासंगिक ज्ञान, कौशल और दृष्टिकोण को जुटाते हैं;

(47) "जटिल मोटर चालित वायुयान" से अभिप्रेत है:

(क) कोई विमान:

(i) 5700 किलोग्राम से अधिक अधिकतम टेक ऑफ मास, या

(ii) उन्नीस से अधिक बैठे यात्रियों के लिए प्रमाणीकृत, या

(iii) कम से कम दो पायलटों के साथ प्रचालन हेतु प्रमाणित, या

(iv) टर्बोजेट इंजन या एक से अधिक टर्बोप्रॉप इंजन से सुसज्जित।

(ख) कोई हेलीकाप्टर:

(i) 3175 किलोग्राम से अधिक अधिकतम टेक ऑफ मास , या

(ii) नौ से अधिक बैठे यात्रियों के लिए प्रमाणीकृत, या

(iii) कम से कम दो पायलटों के साथ प्रचालन के लिए प्रमाणीकृत, या

(ग) कोई झुकाव रोटर वायुयान;

(48) "संविदाकारी राज्य" से कोई ऐसा राज्य अभिप्रेत है जो 7 दिसंबर, 1944 को शिकागो में संपन्न अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन अभिसमय का तथा उसके अनुच्छेद 94 के उपबंधों के अधीन उसमें किए जाने वाले किसी संशोधन का तत्समय पक्षकार है ;

(49) "अभिसमय" से 7 दिसम्बर, 1944 को शिकागो में हस्ताक्षरित अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन से संबंधित समय-समय पर यथासंशोधित अभिसमय अभिप्रेत है;

(50) "सह-पायलट" से प्रभारी पायलट से भिन्न वह अनुज्ञप्त पायलट अभिप्रेत है जो प्रचालन संबंधी कोई सेवा कर रहा हो, किन्तु इसमे वह पायलट नहीं आता है जो उड़ान संबंधी अनुदेश प्राप्त करने मात्र के प्रयोजन के लिए वायुयान में है;

(51) "मार्ग" या "उड़ान दिशा" से वह दिशा अभिप्रेत है जिस ओर वायुयान की देशांतरीय अक्ष का संकेत है और जो प्रायः उत्तर दिशा से अंशों में (यथार्थ, चुम्बकीय या दिशासूचक) अभिव्यक्त किया जाता है;

(52) "कर्मी दल के सदस्य" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसे उड़ान ड्यूटी अवधि के दौरान वायुयान पर प्रचालक द्वारा काम सौपा गया है;

(53) "रक्षा विमान-क्षेत्र" से भारतीय वायु सेना, भारतीय नौसेना या भारतीय सेना के स्वामित्व और प्रचालन वाले विमानक्षेत्र अभिप्रेत है ;

(54) "महानिदेशक" से नागर विमानन महानिदेशक अभिप्रेत है;

(55) "दोहरा उड़ान समय" से वह उड़ान समय अभिप्रेत है जिसके दौरान कोई व्यक्ति वायुयान में सवार पायलट से उड़ान अनुदेश प्राप्त कर रहा होता है;

(56) "दोहरा अनुदेश समय" से उड़ान समय अभिप्रेत है जिसके दौरान कोई व्यक्ति वायुयान पर उचित रूप से प्राधिकृत पायलट से उड़ान निर्देश प्राप्त कर रहा हो, या सुदूर पायलेटिड वायुयान उड़ान के दौरान सुदूर पायलट स्टेशन का उपयोग करके उचित रूप से प्राधिकृत सुदूर पायलट से उड़ान अनुदेश प्राप्त कर रहा हो;

(57) किसी अनुज्ञप्ति के संबंध में "पृष्ठांकन" से अनुज्ञप्ति में ऐसी प्रविष्टि अभिप्रेत है जो उन विशेषाधिकारों को इंगित करती है जिनका अनुज्ञप्तिधारक प्रयोग करने का हकदार है, जिसमें ऐसे विशेषाधिकारों के प्रयोग को प्रभावित करने वाली कोई टिप्पणी भी सम्मिलित है;

(58) "थकान" से मानसिक या शारीरिक प्रदर्शन क्षमता में कमी की ऐसी शारीरिक स्थिति अभिप्रेत है, जो नींद की कमी या लंबे समय तक जागते रहने, सर्कडियन चरण या कार्यभार (मानसिक या शारीरिक गतिविधि, या दोनों) के कारण होती है, जो किसी व्यक्ति की सतर्कता और सुरक्षित रूप से अपने कार्यों को करने की क्षमता को क्षीण कर सकती है;

(59) "उड़ान कर्मीदल के सदस्य" से ऐसा अनुज्ञप्तिधारी चालक दल सदस्य अभिप्रेत है जिसे उड़ान ड्यूटी अवधि के दौरान वायुयान के प्रचालन के लिए आवश्यक कर्तव्यों का दायित्व सौंपा गया है;

(60) "उड़ान डिस्पैचर" से उड़ान प्रचालन के नियंत्रण और पर्यवेक्षण में संलग्न होने के लिए प्रचालक द्वारा अभिनामित ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो उड़ान के सुरक्षित प्रचालन में पायलट-इन-कमांड को समर्थन, जानकारी और सहायता प्रदान करता है;

(61) "उड़ान सूचना क्षेत्र" से परिभाषित आयामों का विमानक्षेत्र अभिप्रेत है जिसके भीतर उड़ान सूचना सेवा और चेतावनी सेवा प्रदान की जाती है;

(62) "उड़ान सूचना सेवा" से उड़ानों के सुरक्षित और कुशल प्रचालन के लिए उपयोगी सलाह और सूचना देने के प्रयोजनार्थ प्रदान की गई सेवा अभिप्रेत है;

(63) "उड़ान मैनुअल" से उड़नयोग्यता प्रमाणपत्र से संबद्ध वह मैनुअल अभिप्रेत है, जिसमें वे सीमाएं निहित होती हैं जिनके भीतर वायुयान को उड़ान योग्य माना जाना होता है, तथा इसमें वायुयान के सुरक्षित प्रचालन के लिए उड़ान चालक दल के सदस्यों के लिए आवश्यक अनुदेश और जानकारी निहित होती है ;

(64) "उड़ान सिमुलेशन प्रशिक्षण उपकरण" से निम्नलिखित तीन प्रकार के उपकरणों में से कोई एक अभिप्रेत है जिसमें भूमि पर उड़ान की स्थितियों का अनुकरण किया जाता है:

(क) ऐसा उड़ान सिम्युलेटर, जो किसी विशेष प्रकार के वायुयान उड़ान डेक या सुदूर पायलेटिड वायुयान प्रणाली (आरपीएएस) का सटीक प्रतिनिधित्व प्रदान करता है, इस सीमा तक कि

यांत्रिक, विद्युत, इलेक्ट्रॉनिक वायुयान प्रणाली नियंत्रण कार्य, उड़ान चालक दल के सदस्यों का सामान्य वातावरणऔर उस प्रकार के वायुयान का प्रदर्शन और उड़ान विशेषताओं को वास्तविक रूप से सिम्युलेट किया जाता है;

(ख) ऐसी उड़ान प्रक्रिया प्रशिक्षक, जो यथार्थवादी उड़ान डेक वातावरण या यथार्थवादी सुदूर पैलेटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम वातावरण प्रदान करता है, और जो उपकरण प्रतिक्रियाओं, यांत्रिक, विद्युत, इलेक्ट्रॉनिक वायुयान प्रणालियों के सरल नियंत्रण कार्यों और एक विशेष वर्ग के वायुयान के प्रदर्शन और उड़ान विशेषताओं का अनुकरण करता है;

(ग) ऐसा बुनियादी उपकरण उड़ान प्रशिक्षक, जो उपयुक्त उपकरणों से सुसज्जित है, और जो उड़ान में एक वायुयान के उड़ान डेक वातावरण या उपकरण उड़ान स्थितियों में सुदूर वातावरण का अनुकरण करता है;

(65) "उड़ान समय" से अभिप्रेत है-

(i) किसी विमान के संबंध में, इससे अभिप्रेत उस समय से लेकर कुल समय से है जब विमान उड़ान भरने के उद्देश्य से पहली बार चलता है और उस समय तक का समय है जब वह उड़ान के अंत में अंततः रुक जाता है; और

(ii) हेलीकॉप्टर के संबंध में, इससे अभिप्रेत उस समय से लेकर कुल समय से है जब हेलीकॉप्टर के रोटर ब्लेड घूमना शुरू करते हैं और उस समय तक का समय जब उड़ान के अंत में यह अंततः आराम करता है, और रोटर ब्लेड बंद हो जाते हैं।

स्पष्टीकरण :- इस खंड के प्रयोजनार्थ यह स्पष्ट किया जाता है कि उड़ान समय सामान्य उपयोग में पद "ब्लॉक टू ब्लॉक" समय, या पद "चॉक टू चॉक" समय का पर्याय है, जिसे उस समय से मापा जाता है जब एक विमान उड़ान भरने के उद्देश्य से पहली बार चलता है, जब तक कि यह उड़ान के अंत में रुक नहीं जाता;

(66) "ग्लाइडर में उड़ान समय" से अभिप्रेत उड़ान में व्यतीत कुल समय से है, चाहे उसे खींचा जा रहा हो या नहीं, उस क्षण से जब ग्लाइडर उड़ान भरने के उद्देश्य से पहली बार उड़ता है, तथा उस समय तक जब वह उड़ान के अंत में रुक जाता है;

(67) "मुक्त उड़ान में उड़ान समय" में ग्लाइडर में उड़ान समय सम्मिलित है जब उसे खींचा नहीं जा रहा हो;

(68) "विदेशी वायुयान" से भारत के अलावा किसी अन्य देश में रजिस्ट्रीकृत वायुयान अभिप्रेत है;

(69) ग्लाइडर" से अभिप्रेत है गैर-पावर चालित, वायु से भारी वायुयान, जो उड़ान में अपनी लिफ्ट मुख्य रूप से उन सतहों पर वायुगतिकीय प्रतिक्रियाओं से प्राप्त करता है जो उड़ान की दी गई स्थितियों के तहत स्थिर रहती हैं;

(70) "सरकारी विमानक्षेत्र" से ऐसा विमानक्षेत्र अभिप्रेत है जो केन्द्रीय सरकार द्वारा या उसकी ओर से अनुरक्षित किया जाता है और इसमें ऐसा विमानपत्तन सम्मिलित है जिस पर भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1994 (1994 का 55) लागू होता है या लागू किया गया है;

(71) "जाइरोप्लेन" से ऐसा रोटरक्राफ्ट अभिप्रेत है, जिसके रोटर, आरंभिक स्टार्टिंग के अलावा, इंजन द्वारा चालित नहीं होते, बल्कि रोटरक्राफ्ट के चलते समय वायु की क्रिया द्वारा घूमते हैं; और जिसके प्रणोदन के साधन, जो सामान्यतः पारंपरिक प्रोपेलर से मिलकर बने होते हैं, रोटर प्रणाली से स्वतंत्र होते हैं;

(72) "हेलीकॉप्टर" से वायुयान से भारी ऐसा विमान अभिप्रेत है जो उड़ान में मुख्यतः ऊर्ध्वाधर अक्षों पर एक या एक से अधिक शक्ति चालित रोटरों पर वायु की प्रतिक्रियाओं द्वारा समर्थित होता है;

(73) "आईडीईआरए" से अपरिवर्तनीय विपंजीकरण और निर्यात अनुरोध प्राधिकरण अभिप्रेत है जिसका उपयोग केप टाउन प्रोटोकॉल के प्रावधानों के तहत किसी वायुयान का विपंजीकरण और निर्यात करने के लिए किया जाता है ;

(74) "आईडीईआरए धारक" से आईडीईआरए के तहत प्राधिकृत पक्ष या उसके प्रमाणित नामिती अभिप्रेत हैं;

(75) “इंडियन टेक्निकल स्टैन्डर्ड ऑर्डर” से वायुयान घटक के लिए एक न्यूनतम निष्पादन स्तर अभिप्रेत है ,

(76) "इंस्ट्रूमेंट फ़्लाइट प्रक्रिया डिज़ाइन सेवा" से वायु दिक्चालन की सुरक्षा, नियमितता और दक्षता के लिए आवश्यक उपस्कर उड़ान प्रक्रियाओं के डिज़ाइन, दस्तावेज़ीकरण, वैधीकरण,अनुरक्षण और आवधिक समीक्षा के लिए स्थापित सेवा अभिप्रेत है;

(77) "उपकरण उड़ान समय" से वह समय अभिप्रेत है जिसके दौरान पायलट बिना किसी बाहरी संदर्भ बिंदुओं के केवल उपकरणों के संदर्भ में वायुयान का प्रचालन कर रहा है;

(78) "उपकरण भूमि समय" से वह समय अभिप्रेत है जिसके दौरान पायलट महानिदेशक द्वारा अनुमोदित एक उड़ान सिमुलेशन प्रशिक्षण उपकरण में जमीन पर, सिमुलेटिड उड़ान का अभ्यास कर रहा होता है;

(79) "उपकरण समय" से उपकरण उड़ान समय या उपकरण भूमि समय अभिप्रेत है;

(80) "उपस्कर मद" से कोई स्व-निहित इकाई अभिप्रेत है, जो वायुयान से जुड़ी या उस पर स्थापित होने पर, वायुयान या उसके रहने वालों की उड़नयोग्यता या सुरक्षा की कुछ प्रचालन स्थितियों के तहत आवश्यक कार्य करती है;

(81) "लैंडिंग क्षेत्र" से विमानक्षेत्र का वह भाग अभिप्रेत है जो वायुयान के प्रस्थान या लैंडिंग के लिए आरक्षित है;

(82) "अनुज्ञप्ति" से इन नियमों के अधीन जारी की गई अनुज्ञप्ति अभिप्रेत है;

(83) "प्रकाश समर्थित एयरक्राफ्ट" से ऐसा फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट अभिप्रेत है जिसे केवल दिन के विसुअल फ्लाइट रूल्स (वीएफआर) के लिए अनुमोदित किया जाता है और जो निम्नलिखित सभी मानदंडों को पूरा करता है, अर्थात :

(क) अधिकतम टेक-ऑफ द्रव्यमान, ऐसे विमान के लिए 600 किलोग्राम से अधिक नहीं होना चाहिए जो पानी पर संचालित होने के लिए अभिप्रेत नहीं है, या ऐसे विमान के लिए 650 किलोग्राम से अधिक नहीं होना चाहिए जो पानी पर संचालित होने के लिए अभिप्रेत है;

(ख) वायुयान के अधिकतम प्रमाणित टेक-ऑफ द्रव्यमान और गुरुत्वाकर्षण के सबसे महत्वपूर्ण केंद्र पर लैंडिंग कॉन्फ़िगरेशन (वीएसओ) में अधिकतम स्टॉलिंग गति 45 नॉट कलिबरटेड एयर स्पीड से अधिक नहीं होनी चाहिए ;

(ग) पायलट सहित अधिकतम दो व्यक्तियों के बैठने की क्षमता;

(घ) प्रोपेलर से सुसज्जित एकल, गैर-टरबाइन इंजन; और

(ड.) कोई गैर-दबावयुक्त केबिन;

(84) "प्रमुख विमानपत्तन" का वही अर्थ होगा जो उसका भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 2008 (2008 का 27) की धारा 2 के खंड (i) में उसका है;

(85) "चालन क्षेत्र" से किसी विमानक्षेत्र का वह क्षेत्र अभिप्रेत है जिसका उपयोग किसी वायुयान के उड़ान भरने और उतरने तथा उड़ान भरने और उतरने से संबंधित वायुयानों के आवागमन के लिए किया जाना है;

(86) "मौसमविज्ञान प्राधिकरण" से अंतरराष्ट्रीय वायु दिक्चालन के लिए मौसम विज्ञान सेवाओं संबंधी प्रावधान उपलब्ध कराने या उसकी व्यवस्था करने वाला प्राधिकरण अभिप्रेत है

(87) "मौसम-संबंधी जानकारी" से मौसम संबंधी रिपोर्ट, विश्लेषण, पूर्वानुमान और विद्यमान या अपेक्षित मौसम संबंधी स्थितियों से संबंधित कोई अन्य विवरण अभिप्रेत है;

(88) "माइक्रोलाइट एयरक्राफ्ट" से माइक्रोलाइट एयरक्राफ्ट (एक सीट वाला) और माइक्रोलाइट एयरक्राफ्ट (दो सीट वाला) अभिप्रेत है तथा इसमें हैंग ग्लाइडर और पैरा-प्लेन सम्मिलित नहीं हैं;

(89) "माइक्रोलाइट एयरक्राफ्ट (एकल सीट वाला)" से स्थिर पंख वाला एयरक्राफ्ट अभिप्रेत है, जिसका अधिकतम कुल भार 330 किलोग्राम से अधिक न हो और पंख क्षेत्रफल 10 वर्ग मीटर से कम न हो और जिसे एक से अनधिक व्यक्ति को ले जाने के लिए डिजाइन किया गया हो;

(90) "माइक्रोलाइट एयरक्राफ्ट (दो सीटर)" से एक स्थिर पंख वाला एयरक्राफ्ट अभिप्रेत है जिसका अधिकतम कुल भार 450 किलोग्राम से अधिक न हो और पंख क्षेत्रफल 10 वर्ग मीटर से कम न हो और जो दो से अनधिक व्यक्तियों को ले जाने के लिए डिज़ाइन किया गया है;

(91) "सैन्य वायुयान" में नौसेना, सैन्य और वायु सेना के वायुयान, तथा नौसेना, सैन्य या वायु सेना सेवा में इस प्रयोजन के लिए नियुक्त किसी व्यक्ति द्वारा नियंत्रित प्रत्येक वायुयान सम्मिलित है;

(92) "संचलन क्षेत्र" से किसी विमानक्षेत्र का वह क्षेत्र अभिप्रेत है जो किसी वायुयान की सतही क्रियाकलाप के लिए है और इसमें चालन क्षेत्र और एप्रन सम्मिलित हैं;

(93) "वायुयान की राष्ट्रीयता" से उस देश की राष्ट्रीयता अभिप्रेत है जिसके रजिस्टर में वायुयान दर्ज है;

(94) "सामान्य उड़ान" से ऐसी उड़ान अभिप्रेत है जिसमें चढ़ना, क्षैतिज उड़ान, मुड़ना और उतरना सम्मिलित है, परंतु यह कि इसमें वायुयान की ऊंचाई या रुख में अचानक परिवर्तन न हो;

(95) "पानी की सतह पर"- किसी वायुयान को "पानी की सतह पर" तब तक माना जाता है जब तक इसका कोई भी हिस्सा पानी के संपर्क में हो ;

(96) "कार्य-स्थल प्रशिक्षण" से उस कार्य के लिए पहले से नियोजित योग्य और अनुभवी व्यक्ति की निगरानी में किसी वास्तविक कार्य स्थिति में पहले से अर्जित कार्य संबंधी अहर्ताओं और कौशलों को व्यवहार में एकीकृत करना अभिप्रेत है;

(97) "प्रचालक" से ऐसे व्यक्ति, संगठन या उद्यम अभिप्रेत है जो वायुयान परिचालन में लगा हुआ है है या लगाने की पेशकश कर रहा है;

(98) "यात्री वायुयान", "डाक वायुयान" और "माल वायुयान" से ऐसे वायुयान अभिप्रेत हैं जो क्रमशः यात्रियों, डाक या माल का सार्वजनिक परिवहन करते हैं;

(99) "प्रबल मात्रा में पेट्रोलियम" से अभिप्रेत 900 लीटर से अधिक क्षमता वाले पात्र में समाहित पेट्रोलियम से है;

(100) "पायलट-इन कमांड" से ऑपरेटर द्वारा या सामान्य वायुयान के मामले में मालिक द्वारा अभिहित अभिप्रेत है, जो उड़ान के सुरक्षित प्रचालन कि कमान संभालता है और उसका प्रभारी होता है;

(101) "पर्यवेक्षण के अधीन पायलट-इन-कमांड" से लाइसेंसिंग प्राधिकरण को स्वीकार्य पर्यवेक्षण पद्धति के अनुसार, पायलट-इन-कमांड के पर्यवेक्षण के अधीन, पायलट-इन-कमांड के कर्तव्यों और कार्यों का निष्पादन करने वाला सह-पायलट अभिप्रेत है;

(102) "पावरप्लांट" से विमान पर स्थापित सभी इंजन, ड्राइव सिस्टम घटकों (यदि लागू हो), और प्रोपेलर (यदि स्थापित हो), उनके सहायक उपकरण, सहायक हिस्से, और ईंधन और तेल प्रणालियों से युक्त प्रणाली अभिप्रेत है, लेकिन इसमें हेलिकॉप्टर के लिए रोटर सम्मिलित नहीं हैं;

(103) "निजी वायुयान" से हवाई कार्य वायुयान या सार्वजनिक परिवहन वायुयान के अलावा सभी विमान अभिप्रेत है;

(104) "प्रतिषिद्ध क्षेत्र" से ऐसा क्षेत्र अभिप्रेत है जिसके ऊपर नियम 8 के अधीन वायुयान का परिचालन प्रतिषिद्ध है;

(105) सार्वजनिक परिवहन" से किसी भी प्रकार के पारिश्रमिक के लिए विमान द्वारा व्यक्तियों या चीजों की सभी ढुलाई, और ऐसे पारिश्रमिक के बिना विमान द्वारा व्यक्तियों या चीजों की सभी ढुलाई अभिप्रेत है, यदि ढुलाई किसी हवाई परिवहन उपक्रम द्वारा की जाती है;

(106) "सार्वजनिक परिवहन वायुयान" से ऐसा वायुयान अभिप्रेत है जो सार्वजनिक परिवहन करता है;

(107) "रेडियो विनियम" से वर्ष 1995 में जेनेवा में आयोजित विश्व रेडियो संचार सम्मेलन द्वारा अंगीकृत विनियम अभिप्रेत हैं तथा इसमें उनका प्रत्येक संशोधन या उपांतरण सम्मिलित है जिसे भारत सरकार ने अनुसमर्थित या स्वीकार किया है;

(108) "रेटिंग" से किसी अनुज्ञप्ति पर दर्ज या उससे संबद्ध प्राधिकरण अभिप्रेत है जो उसका भाग है, तथा जिसमें ऐसे अनुज्ञप्ति से संबंधित विशेष शर्तों, विशेषाधिकारों या सीमाओं का उल्लेख होता है।

(109) "रजिस्ट्रीकृत हित" से केप टाउन अभिसमय के तहत स्थापित अंतरराष्ट्रीय रजिस्ट्री के साथ रजिस्ट्रीकृत कोई हित अभिप्रेत है;

(110) "अनुज्ञप्ति को विधिमान्य बनाना" से किसी अन्य संविदाकारी राज्य द्वारा जारी अनुज्ञप्ति को भारतीय अनुज्ञप्ति के समतुल्य के रूप में स्वीकार करने में अपना स्वयं का अनुज्ञप्ति जारी करने के विकल्प के रूप में की गई कार्रवाई अभिप्रेत है;

(111) "बचाव समन्वय केंद्र" से खोज और बचाव सेवाओं के कुशल संगठन को बढ़ावा देने और खोज और बचाव क्षेत्र के भीतर खोज और बचाव कार्यों के प्रचालन के समन्वय के लिए जिम्मेदार इकाई अभिप्रेत है ;

(112) "प्रतिबंधित प्रकार प्रमाणपत्र" से महानिदेशक द्वारा जारी, मान्य या स्वीकृत दस्तावेज अभिप्रेत है जो यह दर्शाता है कि किसी प्रकार के वायुयान या इंजन या प्रोपेलर का टाइप डिजाइन महानिदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट लागू प्रकार टाइप डिजाइन मानकों को पूरी तरह से पूरा नहीं करता है ;

(113) "सुरक्षा" से वह स्थिति अभिप्रेत है जिसमें विमानन कार्यकलापों से जुड़े जोखिम, जो वायुयान के प्रचालन से संबंधित हैं या सीधे तौर पर उसके समर्थन में हैं, को कम किया जाता है और स्वीकार्य स्तर तक नियंत्रित किया जाता है।

स्पष्टीकरण.- इस खंड के प्रयोजनों के लिए, अभिव्यक्ति "स्वीकार्य स्तर" सुरक्षा की न्यूनतम डिग्री है जिसे वास्तविक व्यवहार में एक प्रणाली द्वारा सुनिश्चित किया जाना चाहिए

(114) "सुरक्षा डेटा" से विभिन्न विमानन संबंधी स्रोतों से एकत्रित तथ्यों या सुरक्षा मूल्यों के एक परिभाषित समूह अभिप्रेत है, जिसका उपयोग सुरक्षा को बनाए रखने या सुधारने के लिए किया जाता है;

(115) "सुरक्षा सूचना" से किसी दिए गए संदर्भ में संसाधित, संगठित या विश्लेषित सुरक्षा डेटा अभिप्रेत है ताकि इसे सुरक्षा प्रबंधन उद्देश्यों के लिए उपयोगी बनाया जा सके;

(116) "अनुसूचित वायु परिवहन सेवा" से एक ही दो या अधिक स्थानों के बीच की जाने वाली वायु परिवहन सेवा अभिप्रेत है, जो प्रकाशित समय सारणी के अनुसार संचालित होती है या जिसकी उड़ानें इतनी नियमित या लगातार होती हैं कि वे एक सुस्पष्ट व्यवस्थित श्रृंखला का निर्माण करती हैं, तथा प्रत्येक उड़ान जनता के सदस्यों के उपयोग के लिए खुली होती है;

(117) "सीप्लेन" से स्थिर पंख वाले ऐसा वायुयान अभिप्रेत है जिसे जल पर उड़ान भरने और उतरने के लिए डिजाइन किया गया है और इसमें सीप्लेन के रूप में संचालित एम्फिबीयन सम्मिलित हैं ;

(118) "एकल उड़ान समय" से वह उड़ान समय अभिप्रेत है जिसके दौरान पायलट वायुयान में अकेला यात्री होता है;

(119) "विशेष उड़नयोग्यता प्रमाणपत्र" से महानिदेशक द्वारा किसी ऐसे वायुयान को जारी किए गए दस्तावेज अभिप्रेत हैं जिसके पास प्रतिबंधित प्रकार का प्रमाणपत्र है या जो पर्याप्त सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए महानिदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट उड़नयोग्यता विनिर्देशों का अनुपालन करता है;

(120) "विशेष उड़ान अनुज्ञापत्र " से महानिदेशक द्वारा किसी ऐसे वायुयान को जारी किया गया दस्तावेज अभिप्रेत है जो नियम 52 में निर्दिष्ट उड़नयोग्यता की शर्तों को पूरा नहीं करता है, किन्तु उसमें विनिर्दिष्ट सीमाओं के अधीन सुरक्षित प्रचालन की स्थिति में है ;

(121) "महानिदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट" से महानिदेशक द्वारा नियम202 के उपबंधों के अधीन महानिदेशक द्वारा जारी किए गए निर्देश अभिप्रेत हैं;

(122) "राज्य वायुयान" में सैन्य, सीमा शुल्क, पुलिस सेवाओं और चौकियों में प्रयुक्त वायुयान सम्मिलित हैं;

(123) "डिज़ाइन का राज्य" से अभिप्रेत उस राज्य से है जिसका टाइप डिजाइन के लिए जिम्मेदार संगठन पर क्षेत्राधिकार है ;

(124) "अनुवर्ती वायुयान" से ऐसा वायुयान अभिप्रेत है जो किसी प्रकार के वायुयान के डिजाइन और विनिर्देश के अनुसार निर्मित किया गया है, जिसे उड़नयोग्यता प्रमाणपत्र जारी करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित या स्वीकार किया गया है;

(125) "टेक-ऑफ" में एयरोडाइन की सभी क्रमिक स्थितियां उस क्षण से जब वह आराम से चलता है, सामान्य उड़ान शुरू करने के क्षण तक सम्मिलित हैं;

(126) "टैरिफ" से यात्रियों, सामान, कार्गो की ढुलाई के लिए विमान परिवहन उपक्रम द्वारा एकत्र किया गया कोई किराया, दर या प्रभार अभिप्रेत है, जिसमें एजेंटों को देय कमीशन और ऐसे किराए, दर या प्रभार को नियंत्रित करने वाली शर्तें सम्मिलित हैं;

स्पष्टीकरण.- इस खंड के प्रयोजनों के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि 'कार्गो' में मेल सम्मिलित नहीं है;

(127) "अस्थायी विमानअड्डा" से ऐसा विमानक्षेत्र अभिप्रेत है जिसका उपयोग छह माह से अधिक अवधि के लिए नहीं किया जाना है;

(128) "टाइप प्रमाणपत्र" से महानिदेशक द्वारा जारी, मान्य या स्वीकृत दस्तावेज अभिप्रेत है, जो यह सूचित करता है कि किसी प्रकार के वायुयान या इंजन या प्रोपेलर का टाइप डिजाइन महानिदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट लागू प्रकार टाइप डिजाइन मानक का अनुपालन करता है;

(129) "वायुयान का प्रकार" से एक ही मूल डिजाइन के सभी विमान अभिप्रेत है, जिसमें उन संशोधनों को छोड़कर वे सभी संशोधन सम्मिलित हैं जिनके परिणामस्वरूप हैंडलिंग या उड़ान विशेषताओं में परिवर्तन होता है;

(130) "टाइप रेटिंग" से प्रत्येक प्रकार के वायुयान के लिए रेटिंग अभिप्रेत है:

(131) "वर्टिकल टेक-ऑफ और लैंडिंग-सक्षम वायुयान" से विमान या रोटरक्राफ्ट के अलावा, बिजली से चलने वाला, वायु से भारी वायुयान अभिप्रेत है, जो टेक-ऑफ और लैंडिंग के दौरान लिफ्ट प्रदान करने के लिए उपयोग की जाने वाली लिफ्ट और थ्रस्ट इकाइयों के माध्यम से वर्टिकल टेक-ऑफ और लैंडिंग करने में सक्षम हो; और

(132) इसमें प्रयुक्त किन्तु परिभाषित नहीं किए गए और अधिनियम में परिभाषित किए गए शब्दों और अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा जो उन्हें उक्त अधिनियम में निर्दिष्ट किया गया है।

अध्याय-दो

सामान्य

3. वायुयान का उपयोग और प्रचालन.— इन नियमों में यदि अन्यथा उपबंधित नहीं है, तो कोई भी व्यक्ति किसी वायुयान का उपयोग या प्रचालन नहीं करेगा या उसके उपयोग या प्रचालन में सहायता नहीं करेगा।

4. रजिस्ट्रीकरण तथा राष्ट्रीयता और रजिस्ट्रीकरण चिह्न.- नियम 42 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, कोई भी व्यक्ति किसी वायुयान को तब तक नहीं उड़ाएगा या उड़ाने में सहायता नहीं करेगा जब तक कि-

(क) वह रजिस्ट्रीकृत हो चुका है, और

(ख) उस पर नियम 47 के उपबंधों अनुसार उसकी राष्ट्रीयता और रजिस्ट्रीकरण चिह्न तथा स्वामी का नाम और निवास अंकित या चित्रित किया गया हो या भारत के अलावा अन्यत्र रजिस्ट्रीकृत वायुयान के मामले में उस राज्य के विनियमों के अनुसार जिसमें वह रजिस्ट्रीकृत है:

परंतु इस नियम द्वारा लगाया गया प्रतिषेध केन्द्रीय सरकार की लिखित विशेष अनुमति के अनुसार उड़ाए गए वायुयानों पर लागू नहीं होगा और ऐसी अनुमति में विनिर्दिष्ट किन्हीं शर्तों और सीमाओं के अधीन होगा।

5. वायुयान में ले जाए जाने वाले दस्तावेज.— (1) कोई भी व्यक्ति किसी वायुयान का प्रचालन या उसे तब तक नहीं उड़ाएगा जब तक कि उस देश के विधि के अनुसार विधिमान्य दस्तावेज वायुयान में न रखे जाएं तथा उस देश द्वारा विहित प्ररूप और रीति से न रखे जाएं।

(2) भारत में रजिस्ट्रीकृत वायुयान में उड़ान के दौरान महानिदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट विधिमान्य दस्तावेज होने चाहिए:

परंतु यह कि जहां अनुज्ञप्ति या अन्य दस्तावेज इन नियमों के अधीन नवीकरण या अन्य कार्रवाई के लिए सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया गया हो, वहां उस तथ्य को वायुयान में उसे न ले जाने के लिए विधिमान्य कारण माना जाएगा।

6. हथियार, गोलाबारूद, विस्फोटक, सैन्य सामान आदि का परिवहन- (1) कोई भी व्यक्ति किसी वायुयान में भारत को, भारत से, भारत के भीतर या भारत के ऊपर कोई हथियार, गोलाबारूद, युद्ध सामग्री, युद्ध के उपकरण, विस्फोटक और सैन्य सामान, महानिदेशक की लिखित अनुमति के बिना और ऐसी अनुमति के निबंधन और शर्तों के अधीन रहते हुए, नहीं ले जाएगा, न ले जाने देगा और न ही ले जाने की अनुमति नहीं देगा:

परंतु महानिदेशक लिखित में सामान्य या विशेष आदेश द्वारा किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग को ऐसे आदेश में विनिर्दिष्ट नियमों और निबंधन तथा शर्तों के अधीन ऐसी वस्तुएं ले जाने की अनुमति दे सकता है।

(2) उप-नियम (1) के अधीन अनुमति के लिए आवेदन महानिदेशक को प्ररूप में किया जाएगा और उसमें ऐसे विवरण या दस्तावेज होंगे, जो उनके द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं।

(3) (i) उप-नियम (1) के अधीन अनुमति के लिए महानिदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट तरीके से निम्नलिखित फीस का भुगतान इलेक्ट्रॉनिक रूप से किया जाएगा, अर्थात :

(क) व्यक्ति के लिए: 500 रुपए;

(ख) संगठन के लिए: 1000 रुपए;

(ii) उप-नियम (1) के परन्तुक के अधीन अनुमति प्राप्त व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग के लिए कोई फीस देय नहीं होगी।

(4) जहां किसी माल का वहन उप-नियम (1) के अधीन अनुज्ञात है, वहां प्रचालक, कमांड पायलट, प्रेषक और ऐसे माल की बुकिंग, हैंडलिंग या वहन से संबंधित प्रत्येक व्यक्ति का यह कर्तव्य होगा कि वे वायुयान या उसमें सवार व्यक्तियों या किसी अन्य व्यक्ति या संपत्ति को होने वाले खतरे से बचाने के लिए सभी सावधानियां बरतें और विशेष रूप से यह सुनिश्चित करें कि-

(क) माल को इस प्रकार पैक, संरक्षित और सुरक्षित किया गया है कि उसके खतरे का स्रोत बनने की कोई संभावना न रहे;

(ख) माल को इस प्रकार ले जाया जाता है कि वह वायुयान में सवार यात्रियों की पहुंच से बाहर हो;

(ग) माल की प्रकृति स्पष्ट और विशेष रूप से उसके पैकेज पर अंकित हो।

(5) ऐसे माल का प्रेषक, प्रचालक को लिखित सूचना देगा जिसमें माल की प्रकृति, वजन और मात्रा तथा प्रेषिती का नाम और पूरा पता विनिर्दिष्ट होगा; तथा प्रचालक, माल को वायुयान में रखे जाने से पहले वायुयान के पायलट-इन-कमांड को ऐसे सभी विवरण सूचित करेगा।

(6) जहां केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण हो कि इस नियम के उपबंधों का उल्लंघन किया गया है या किया जाने वाला है, वहां वह ऐसे माल को माल की प्रकृति की विस्तृत जांच होने तक या मामले में की जाने वाली कार्रवाई, यदि कोई हो, के संबंध में निर्णय होने तक अपनी अभिरक्षा में रखवा सकेगा।

7. विमानक्षेत्र.— (1) कोई पायलट या प्रचालक किराये या पारिश्रमिक पर यात्रियों को ले जाने वाले किसी भी वायुयान का कोई भी पायलट या ऑपरेटर लैंडिंग और प्रस्थान की श्रृंखला के लिए किसी भी स्थान का उपयोग नहीं करेगा, और किसी भी अनुसूचित वायु परिवहन सेवा पर नियोजित किसी भी वायुयान का कोई भी पायलट या ऑपरेटर अध्याय-पांच के उपबंधों के अनुसार इस उद्देश्य के लिए अनुज्ञप्ति प्राप्त या अनुमोदित विमानक्षेत्र के अलावा किसी भी स्थान को लैंडिंग या प्रस्थान के नियमित स्थान के रूप में उपयोग नहीं करेगा।

(2) कोई भी व्यक्ति, जो उप-नियम (1) में उल्लिखित विमानक्षेत्र के अलावा किसी अन्य विमानक्षेत्र का स्वामी है, इन नियमों के उल्लंघन में उस विमानक्षेत्र के उपयोग की अनुमति नहीं देगा।

(3) इन नियमों के अनुसार उड़ान भरने वाले किसी वायुयान के यात्री के अलावा कोई भी व्यक्ति, विमानक्षेत्र के प्रचालक की सहमति के बिना किसी अनुमोदित या अनुज्ञप्ति प्राप्त विमानक्षेत्र के लैंडिंग क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकता है, सिवाय तब जब एयरक्राफ्ट में बैठे लोगों की जान या एयरक्राफ्ट की सुरक्षा को तुरंत खतरा हो।

8. निषिद्ध क्षेत्र– (1) कोई भी व्यक्ति वैमानिक सूचना प्रकाशन में विनिर्दिष्ट प्रतिबंधित या निषिद्ध क्षेत्रों में से किसी भी क्षेत्र के ऊपर वायुयान नहीं उड़ाएगा या उड़ान में सहायता नहीं करेगा, सिवाय उस प्रकाशन में विनिर्दिष्ट शर्तों के अनुसार ।

(2) प्रत्येक पायलट, जो वायुयान उड़ाते समय अपने आप को उप-नियम (1) के उल्लंघन में निषिद्ध क्षेत्र के ऊपर पाता है, जैसे ही उसे इस तथ्य का पता चले, नियम 12 में विनिर्दिष्ट वायु नियमों में विनिर्दिष्ट संकट का संकेत देगा, और वायुयान को यथाशीघ्र निषिद्ध क्षेत्र के बाहर भारत में किसी निकटतम विमानक्षेत्र पर उतारेगा:

परंतु वह, मौसम के दबाव या अन्य अपरिहार्य कारण से बाध्य न हो, निषिद्ध क्षेत्र में आगे नहीं उड़ेगा और न ही निषिद्ध क्षेत्र के ऊपर रहते हुए नीचे उतरना प्रारंभ करेगा।

(3) जब किसी विमान यातायात सेवा ऐसी सलाह देती है या जब नियम 12 में विनिर्दिष्ट वायु नियमों में अभिनिर्धारित संकेत किसी वायुयान को यह चेतावनी देते हैं कि वह प्रतिबंधित, निषिद्ध या खतरे वाले क्षेत्र के आसपास उड़ रहा है, तो वायुयान का पायलट तुरन्त अपना मार्ग बदल देगा और प्रतिबंधित क्षेत्र से दूर उड़ जाएगा।

(4) जब नियम 12 में विनिर्दिष्ट वायु नियमों के अनुसार, विमानक्षेत्र के नियंत्रण टावर से प्रकाश संकेत दिए जाने पर, पायलट तुरंत उप-नियम (2) में विनिर्दिष्ट संकेत देगा और उस उप-नियम के अनुसार वायुयान को उतारेगा।

9. विमानक्षेत्रों में फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी– (1) कोई भी व्यक्ति किसी विमानक्षेत्र पर विमानक्षेत्र के प्रचालक से लिखित अनुमति के बिना कोई फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी नहीं लेगा, न ही लेने देगा या लेने की अनुमति देगा:

परंतु यदि विदेशी नागरिक फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी की गतिविधि में लगे हों तो ऐसी अनुमति केवल तभी दी जाएगी जब ऐसे नागरिकों को संबंधित एजेंसियों से सुरक्षा मंजूरी मिल गई हो:

परंतु यह कि महानिदेशक समय-समय पर आदेश द्वारा निर्देश दे सकेंगे कि ये प्रतिबंध किसी विमानक्षेत्र पर या किसी विमानक्षेत्र की ऐसी सीमाओं के भीतर फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी पर लागू नहीं होंगे, जैसा कि आदेश में विनिर्दिष्ट किया जा सकता है।

(2) विमानक्षेत्र प्रचालक, उप-नियम (1) के अधीन ऐसी अनुमति प्रदान करते समय और ऐसी फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी के दौरान यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसी गतिविधि किसी भी प्रकार से, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ,

(क) किसी वायुयान या वायुयान परिचालन की सुरक्षा को खतरे में न डाले;

(ख) वायुयान के सुरक्षित और संरक्षित परिचालन या यात्रियों और माल की सुविधा और मुक्त आवागमन के लिए स्थापित किसी सुविधा के सामान्य कामकाज में रुकावट न डाले;

(ग) वायुयान या विमानक्षेत्र के सुरक्षित प्रचालन को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सौंपे गए किसी भी व्यक्ति के कामकाज में बाधा न डाले या ध्यान न भटकाए।

(3) विमानक्षेत्र प्रचालक उप-नियम (1) के अधीन जारी अनुमति का पूर्ण रिकार्ड तीन वर्ष की अवधि तक रखेगा तथा महानिदेशक द्वारा मांगे जाने पर ऐसा रिकार्ड निरीक्षण के लिए उसके समक्ष उपलब्ध कराएगा।

10. उड़ान में वायुयान से फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी — कोई भी व्यक्ति उड़ान में वायुयान से विमान सर्वेक्षण सहित कोई भी फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी नहीं लेगा, न ही लेने देगा या न लेने की अनुमति देगा सिवाय महानिदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट निबंधन और शर्तों के अनुसार और उनके अध्यधीन रहते हुए।

11. उड़ान के दौरान वायुयान द्वारा पालन की जाने वाली शर्तें - कोई भी वायुयान तब तक नहीं उड़ाया जाएगा जब तक कि निम्नलिखित शर्तों का अनुपालन न किया जाए, अर्थात:-

(क) वायुयान के पास महानिदेशक द्वारा जारी विधिमान्य उड़नयोग्यता प्रमाणपत्र या विशेष उड़नयोग्यता प्रमाणपत्र हो;

(ख) विमान को उड़ान योग्य के रूप में प्रमाणित किया जाएगा और उसका अनुरक्षण अध्याय-तीन के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा या भारत में रजिस्ट्रीकृत नहीं होने वाले विमान के मामले में, उस राज्य के विनियमों के अनुसार जिसमें विमान रजिस्ट्रीकृत है;

(ग) वे सभी निबंधन या शर्तें जिन पर उड़नयोग्यता प्रमाणपत्र या विशेष उड़नयोग्यता प्रमाणपत्र प्रदान किया गया था, का विधिवत अनुपालन किया जाएगा;

(घ) वायुयान अपने साथ उड़नयोग्यता प्रमाणपत्र या उड़नयोग्यता का विशेष प्रमाणपत्र, अध्याय-तीन द्वारा निर्धारित कोई अन्य प्रमाणपत्र तथा महानिदेशक द्वारा या उस राज्य के विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेज, जिसमें वायुयान रजिस्ट्रीकृत है, ले जाएगा, जिसे उसे ले जाना आवश्यक है:

परंतु यह कि कोई वायुयान, जो पूर्वोक्त शर्तों का अनुपालन नहीं करता है, महानिदेशक द्वारा नियम 57 के अधीन जारी विशेष उड़ान अनुज्ञापत्र के अधीन उक्त अनुज्ञापत्र में यथाविनिर्दिष्ट शर्तों के अध्यधीन उड़ाया जा सकेगा ।

12. वायुयान नियम — प्रत्येक व्यक्ति को महानिदेशक द्वारा अभिसमय के अनुलग्नक-2 के अनुसार जारी वायुयान नियमों का पालन करना होगा जो उस व्यक्ति पर लागू हो सकते हैं।

13. नियमों के उल्लंघन में उड़ानों की रोकथाम — (1)(क) अधिनियम की धारा 17 के तहत प्राधिकृत कोई प्राधिकारी, वायुयान को रोकने के लिए पायलट या उस समय रोके जाने वाले वायुयान के प्रभारी अन्य व्यक्तियों को लिखित निर्देश जारी करके या ऐसे अन्य कदम उठाकर या करवाकर ऐसा कर सकता है, जो ऐसे प्राधिकारी की राय में रोक को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक हो, जिसमें बल का प्रयोग, किसी व्यक्ति को वायुयान तक पहुँचने से रोकना, वायुयान के भागों और घटकों को हटाना, वायुयान से ईंधन निकालना या वायुयान में अन्यथा हस्तक्षेप करना सम्मिलित है।

(ख) यदि किसी ऐसे प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा रोके गए वायुयान को किसी सरकारी विमानक्षेत्र पर रखा हुआ है, तो सामान्य रूप से लागू आवास या धरना प्रभार उस पूरी अवधि के लिए देय होगा, जिसके दौरान उसे अभिरक्षा हिरासत में रखा गया है।

(2) किसी विमानक्षेत्र पर या उसके आसपास नियोजित केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के अधिकारी, जिनमें पुलिस, नौसेना, सेना, वायु सेना या सीमा शुल्क विभाग के अधिकारी और केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के ऐसे अन्य अधिकारी सम्मिलित हैं, जिन्हें केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में जारी किए गए सामान्य या विशेष आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट किया जा सकता है, अधिनियम की धारा 17 के अधीन प्राधिकृत प्राधिकारी को आवश्यकतानुसार किसी वायुयान को निरुद्ध करना, ऐसे प्राधिकारी को वायुयान को निरुद्ध करने में सहायता करना तथा ऐसे कदम उठाना जो उस प्राधिकारी की राय में निरुद्धि को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक हों।

(3) इस नियम के तहत दिए गए किसी भी निदेश का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति को, किसी भी अन्य दंड पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, इन नियमों का उल्लंघन करने वाला माना जाएगा।

14. कुछ नियम ग्लाइडरों और पतंगों पर लागू नहीं होंगे - नियम 5 के उपबंध ग्लाइडरों पर लागू नहीं होंगे, और नियम 4, 5, 8, 11, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 72, 112, 113, 119, 174, 175, 176, 177, 206 और नियम 212 के उपबंध पतंगों पर लागू नहीं होंगे।

15. खतरनाक उड़ान – कोई भी व्यक्ति किसी भी वायुयान को ऐसी परिस्थितियों में नहीं उड़ाएगा, जब कम ऊंचाई या व्यक्तियों या आवासों की निकटता या अन्य कारण से किसी व्यक्ति या संपत्ति को अनावश्यक खतरा हो।

16. सामान्य सुरक्षा - कोई भी व्यक्ति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी प्रकार से ऐसा कार्य नहीं करेगा, जिससे-

(क) किसी वायुयान या वायुयान परिचालन की सुरक्षा को कोई खतरा हो ;

(ख) वायुयान के सुरक्षित और संरक्षित प्रचालन के लिए स्थापित किसी सुविधा के सामान्य कामकाज में हस्तक्षेप करे; या

(ग) वायुयान के सुरक्षित और संरक्षित परिचालन को सुनिश्चित करने के लिए किसी भी जिम्मेदारी को सौंपे गए किसी भी व्यक्ति के कामकाज में रुकावट डाले या ध्यान भटकाए।

17. संकट में वायुयान.– (1) महानिदेशक, अभिसमय के अनुलग्नक-12 के उपबंधों के अनुसार संकटग्रस्त वायुयान को सहायता प्रदान करने के लिए संबंधित व्यक्तियों द्वारा अनुपालन की जाने वाली अपेक्षाएं जारी कर सकते हैं।

(2) प्रत्येक व्यक्ति को उप-नियम (1) के अधीन महानिदेशक द्वारा जारी अपेक्षाओं का अनुपालन करना होगा।

18. चालक कर्मीदल के सदस्य के विरुद्ध हमला और अन्य हस्तक्षेपकारी कृत्य.– कोई भी व्यक्ति, वायुयान में-

(क) चालक दल के किसी सदस्य पर शारीरिक या मौखिक रूप से न हमला करेगा, न डराएगा,न धमकाएगा, जिससे चालक दल के सदस्य के कर्तव्यों के निर्वहन में बाधा उत्पन्न हो सकती है या चालक दल के सदस्य की उन कर्तव्यों के निर्वहन की क्षमता कम हो सकती है;

(ख) वायुयान या वायुयान में किसी व्यक्ति या संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए या वायुयान में अच्छी व्यवस्था और अनुशासन बनाए रखने के उद्देश्य से पायलट-इन-कमांड द्वारा या पायलट-इन-कमांड की ओर से चालक दल के सदस्य द्वारा दिए गए विधिमान्य निर्देश का पालन करने से इंकार नहीं करेगा।

19. हमला और अन्य कार्य जो सुरक्षा को खतरे में डालते हैं या उचित व्यवस्था और अनुशासन को खतरे में डालते हैं.— (1) कोई भी व्यक्ति, वायुयान में, -

(क) किसी भी व्यक्ति पर शारीरिक या मौखिक रूप से हमला नहीं करेगा, न ही डराएगा और न ही धमकी देगा ,

(ख) जानबूझकर किसी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाएगा या उसे नष्ट नहीं करेगा,

(ग) मादक पेय या नशीली दवाओं का सेवन नहीं करेगा,

जिससे वायुयान या किसी व्यक्ति की सुरक्षा को खतरा हो सकता है या वायुयान में अनुशासन और व्यवस्था को खतरा हो सकता है।

(2) नियम 18 और 19 के प्रयोजनों के लिए, भारत का क्षेत्राधिकार, इन नियमों के नियम 1 में प्रदत्त प्रयोज्यता के अतिरिक्त, किसी अपराध पर भी लागू होगा, यदि अपराध कार्य भारत के बाहर उड़ान भर रहे किसी वायुयान में हुआ हो:

परंतु यह कि —

(क) वायुयान की अगली लैंडिंग भारत में होगी; और

(ख) पायलट-इन-कमांड ने संदिग्ध अपराधी को भारत के सक्षम प्राधिकारियों को सौंप दिया है, इस अनुरोध के साथ कि प्राधिकारी संदिग्ध अपराधी पर मुकदमा चलाएं और इस प्रतिज्ञान के साथ कि पायलट-इन-कमांड या ऑपरेटर द्वारा किसी अन्य राज्य से ऐसा कोई अनुरोध नहीं किया गया है या नहीं किया जाएगा।

20. मानसिक विकार या मिर्गी से पीड़ित व्यक्तियों को वायुयान में ले जाना.— कोई भी व्यक्ति जानबूझकर किसी मानसिक विकार या मिर्गी से पीड़ित व्यक्ति को किसी वायुयान में नहीं ले जाएगा, ले जाने की अनुमति नहीं देगा, या उसके परिवहन में सहयोग नहीं करेगा:

परंतु कि यह प्रतिषेध उस स्थिति में लागू नहीं होगा, जब ले जाया जाने वाला व्यक्ति किसी रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी द्वारा प्रमाणित हो कि वह अन्य यात्रियों या वायुयान के लिए जोखिम उत्पन्न किए बिना विमानयात्रा करने के लिए उपयुक्त है, और इसके अतिरिक्त:-

(क) उड़ान शुरू होने के बारह घंटे के भीतर कोई मादक पेय या तैयार पदार्थ नहीं लिया है या उसका उपयोग नहीं किया है;

(ख) यदि वह उत्तेजित अवस्था में हो तो उसे उड़ान के दौरान तथा मार्ग में रुकने पर उचित शामक दवा दी जाती है; तथा

(ग) उसके साथ एक परिचारक होगा, और यदि वह उड़ान शुरू होने की तारीख से पहले दो सप्ताह के भीतर उत्तेजना की ऐसी स्थिति में रहा हो जिसमें बेहोश करने की आवश्यकता हो, तो उसके साथ एक रजिस्ट्रीकृत चिकित्सक और पर्याप्त अनुरक्षक होगा जो व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होगा कि उनके प्रभार में व्यक्ति द्वारा कोई मादक पेय या सामग्री नहीं ली गई है और ऐसे व्यक्ति को उड़ान के दौरान और रास्ते में रुकने पर उचित रूप से बेहोश रखा जाता है।

21. वायुयान में पशुओं, पक्षियों और सरीसृपों का वहन.- किसी भी पशु, पक्षी या सरीसृप को भारत में, भारत से और भारत के भीतर किसी वायुयान में नहीं ले जाया जाएगा, सिवाय महानिदेशक द्वारा इस संबंध में जारी लिखित सामान्य या विशेष अनुज्ञापत्र के अधीन और उसके अनुसार, और ऐसी शर्तों के अधीन, यदि कोई हों, जो उसमें विनिर्दिष्ट की जाएं।

22. वायुयान में ईंधन भरना.— (1) मुख्य विस्फोटक निरीक्षक द्वारा अनुमोदित प्रकार के वाहनों या प्रतिष्ठानों से या "पेट्रोलियम नियमावली, 2002" के उपबंधों के तहत अनुज्ञप्तिप्राप्त बजरों के सिवाय कोई भी व्यक्ति किसी वायुयान के ईंधन टैंक को भारी मात्रा में पेट्रोलियमयुक्त वाहनों या जहाजों से या ईंधन हाइड्रेंट इंस्टोलेशन से नहीं भरेगा।

(2) महानिदेशक ईंधन टैंकों को भरने या खाली करने सहित ईंधन प्रचालन के संबंध में मानक और शर्तें विनिर्दिष्ट कर सकते हैं।

23. विमान का आश्रयण — (1) किसी भी टैंक में भारी मात्रा में खतरनाक पेट्रोलियम युक्त किसी भी वायुयान को हैंगर में तब तक नहीं रखा जा सकता जब तक कि ऐसा हैंगर अज्वलनशील सामग्री से निर्मित न हो और उसमें खुली वायु का प्रभावी और सुरक्षित संवातन न हो।

(2) प्रत्येक ऐसे हैंगर का प्रभार एक सक्षम व्यक्ति के पास होगा, जो आग के विरुद्ध सभी उचित सावधानियां बरतने के लिए जिम्मेदार होगा तथा अनधिकृत व्यक्तियों को भवन में प्रवेश करने से रोकेगा।

24. वस्तुओं को गिराना और पैराशूट से नीचे उतरना— (1) कोई भी व्यक्ति गतिशील वायुयान से बारीक रेत या पानी के रूप में बैलास्ट के अलावा कोई भी वस्तु नहीं गिराएगा, नहीं फेंकेगा, नहीं गिराने या फेंकने की अनुमति नहीं देगा:

परन्तु इस नियम की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह निम्नलिखित को रोकती है-

(क) आपातकालीन स्थिति में, तरल ईंधन का गिराना;

(ख) किसी आपातस्थिति में, माल को ऐसे क्षेत्रों में गिराना जहां वायुयान के बाहर व्यक्तियों या संपत्ति के लिए खतरा न हो;

(ग) किसी वायुयान में यात्रा करने या वायुयान से संदेश भेजने के उद्देश्य से संदेश थैलों, धुंआ उत्पन्न करने वाले या अन्य उपकरणों या सामग्रियों को गिराना, परंतु यह कि गिराए जाने वाले सामान की प्रकृति और गिराने के स्थान के बारे में ऐसी सावधानियाँ बरती जाएं जिससे जमीन या पानी पर व्यक्तियों को चोट लगने या संपत्ति को नुकसान पहुंचने का जोखिम टाला जा सके;

(घ) मुद्रित सामग्री युक्त कागज की अलग शीटों या फूलों की अलग पंखुड़ियों को किसी स्थान पर गिराना, यदि-

(i) प्रत्येक मामले में जिला मजिस्ट्रेट या पुलिस आयुक्त की पूर्व लिखित अनुमति प्राप्त की जाती है;

(ii) वायुयान इन वस्तुओं को गिराने के लिए उपयुक्त है;

(iii) इन नियमों में विनिर्दिष्ट न्यूनतम सुरक्षित ऊंचाइयों का पालन किया जाता है; और

(iv) किसी व्यक्ति या संपत्ति को चोट या क्षति से बचाने के लिए आवश्यक सावधानियां बरती जाती हैं।

(ड.) वायुयान को खींचने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली रस्सियों को गिराना।

(2) कोई भी व्यक्ति, आपातस्थिति को छोड़कर, वायुयान से पैराशूट के माध्यम से नीचे नहीं उतरेगा और कोई भी व्यक्ति उड़ान के दौरान वायुयान से कोई वस्तु नहीं गिराएगा, गिराने का कारण नहीं बनेगा या गिराने की अनुमति नहीं देगा, चाहे वह पैराशूट से जुड़ी हो या नहीं, जब तक कि महानिदेशक द्वारा इस संबंध में जारी किए गए सामान्य या विशेष आदेश के अनुसार और ऐसी शर्तों के अधीन, यदि कोई हों, जो उसमें विनिर्दिष्ट की जाएं, अवरोहण न किया गया हो, या वस्तु न गिराई जाए।

(3) कोई भी व्यक्ति उड़ान भरते हुए विमान से किसी भी चीज़ को बाहर नहीं फेंकेगा, न ही ऐसा करने का कारण बनेगा और न ही इसकी अनुमति देगा, सिवाय इसके कि ऐसा महानिदेशक द्वारा इस संबंध में जारी सामान्य या विशेष आदेश के अनुसार और उसमें बताई गई शर्तों (यदि कोई हों) के अध्यधीन किया जाए।

25. वायुयान की सुरक्षा को खतरे में डालने वाले कार्य — कोई भी व्यक्ति पायलट या वायुयान के प्रचालन दल के सदस्य के साथ हस्तक्षेप नहीं करेगा, या वायुयान या उसके उपकरण के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा या वायुयान में अव्यवस्थित तरीके से आचरण नहीं करेगा या ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा जिससे वायुयान या उसके यात्रियों या चालक दल की सुरक्षा को खतरे में डालने की संभावना हो।

26. ध्वनि बूम उत्पन्न करने वाले नागरिक वायुयान के प्रचालन का प्रतिषेध - कोई भी व्यक्ति भारत के राज्यक्षेत्र या उच्च समुद्र के ऊपर एक से अधिक वास्तविक उड़ान मैक संख्या पर नागरिक वायुयान का प्रचालन इस प्रकार नहीं करेगा जिससे भारत के राज्यक्षेत्र पर ध्वनि बूम उत्पन्न हो सकता है या उत्पन्न होने की संभावना है।

स्पष्टीकरण.- इस नियम के प्रयोजन के लिए, "भारत के राज्यक्षेत्र" में भारत का प्रादेशिक जलक्षेत्र सम्मिलित होगा।

अध्याय-तीन

वायुयान

क. वैमानिक उत्पाद का डिज़ाइन और निर्माण

27. वैमानिक उत्पाद के लिए टाइप प्रमाणपत्र या निर्बंधित टाइप प्रमाणपत्र जारी करना.— (1) किसी वैमानिक उत्पाद के लिए महानिदेशक द्वारा जारी टाइप प्रमाणपत्र होना आवश्यक है, जहां भारत डिजाइन का राज्य है।

(2) महानिदेशक किसी वैमानिक उत्पाद के लिए टाइप प्रमाणपत्र तब जारी कर सकेगा, जब -

(क) महानिदेशक द्वारा यथाविनिर्दिष्ट प्रारूप में आवेदन प्रस्तुत किया जाता है और उसमें ऐसे विवरण, दस्तावेज या साक्ष्य अंतर्विष्ट हैं,इसके साथ नियम 68 के अधीन शुल्क भी दिया जाता है; और

(ख) महानिदेशक द्वारा यथाविनिर्दिष्ट वैमानिक उत्पाद उड़नयोग्यता अपेक्षाओं को पूरा करता हो ।

(3) महानिदेशक किसी वैमानिक उत्पाद के लिए निर्बंधित टाइप प्रमाणपत्र जारी कर सकेगा, जिसमें उसके परिचालन पर आवश्यक सीमाएं लगाई जा सकती हैं, यदि वे इस बात से संतुष्ट हैं कि ऐसे उत्पाद का डिजाइन महानिदेशक द्वारा यथाविनिर्दिष्ट लागू टाइप डिजाइन मानक का पूर्णतया अनुपालन नहीं करता है, लेकिन सुरक्षित प्रचालन की स्थिति में है।

28. किसी वैमानिक उत्पाद के लिए टाइप प्रमाणपत्र या निर्बंधित टाइप प्रमाणपत्र या अनुपूरक टाइप प्रमाणपत्र का विधिमान्यकरण- महानिदेशक किसी अन्य देश द्वारा जारी वैमानिक उत्पाद के संबंध में किसी टाइप प्रमाणपत्र या निर्बंधित टाइप प्रमाणपत्र या अनुपूरक टाइप प्रमाणपत्र को तब विधिमान्य कर सकते हैं, जब -

(क) महानिदेशक द्वारा यथाविनिर्दिष्ट प्रारूप में आवेदन प्रस्तुत किया जाता है और उसमें ऐसे विवरण,दस्तावेज या साक्ष्य अंतर्विष्ट हैं,इसके साथ नियम 68 के अधीन शुल्क भी दिया जाता है; और

(ख) महानिदेशक द्वारा यथाविनिर्दिष्ट वैमानिकी उत्पाद उड़नयोग्यता अपेक्षाओं को पूरा करता हो।

29. संविदाकारी राज्य द्वारा जारी किए गए टाइप प्रमाणपत्र या निर्बंधित टाइप प्रमाणपत्र की स्वीकृति.- महानिदेशक संविदाकारी राज्य द्वारा जारी किए गए वैमानिक उत्पाद के टाइप प्रमाणपत्र या निर्बंधित टाइप प्रमाणपत्र को तब स्वीकार कर सकेगा, जब-

(क) यदि आवेदन महानिदेशक द्वारा यथाविनिर्दिष्ट प्रारूप में प्रस्तुत किया जाता है तथा उसमें ऐसे विवरण, दस्तावेज या साक्ष्य अंतर्विष्ट हैं, इसके साथ नियम 68 के अधीन शुल्क भी दिया जाता है; और

(ख) महानिदेशक द्वारा यथाविनिर्दिष्ट वैमानिक उत्पाद उड़नयोग्यता अपेक्षाओं को पूरा करता हो।

30. किसी वैमानिक उत्पाद के लिए अनुपूरक टाइप प्रमाणपत्र जारी करना.- महानिदेशक किसी वैमानिक उत्पाद के संबंध में अनुपूरक टाइप प्रमाणपत्र जारी कर सकता है जिसके लिए टाइप प्रमाणपत्र या निर्बंधित टाइप प्रमाणपत्र नियम 27,नियम 28 और नियम 29 के अनुसार जारी किया गया है या विधिमान्य या स्वीकार किया गया है, जब,-

(क) वैमानिक उत्पाद में उपांतरण के लिए आवेदन महानिदेशक द्वारा यथाविनिर्दिष्ट प्रारूप में प्रस्तुत किया जाता है तथा इसमें नियम 68 के अधीन शुल्क के साथ ऐसे विवरण या दस्तावेज या साक्ष्य अंतर्विष्ट हैं ; और

(ख) वैमानिक उत्पाद में ऐसा उपांतरण महानिदेशक द्वारा यथाविनिर्दिष्ट उड़नयोग्यता अपेक्षाओं को पूरा करता है।

31. टाइप प्रमाणपत्र या निर्बंधित टाइप प्रमाणपत्र या अनुपूरक टाइप प्रमाणपत्र में पुनरीक्षण - यदि महानिदेशक संतुष्ट होता है कि वैमानिक उत्पाद महानिदेशक द्वारा यथविनिर्दिष्ट उड़नयोग्यता अपेक्षाओं को पूरा करता है, तो वह यथास्थिति, टाइप प्रमाणपत्र, निर्बंधित टाइप प्रमाणपत्र या टाइप प्रमाणपत्र में पुनरीक्षण जारी कर सकता है।

32. टाइप प्रमाणपत्र या अनुपूरक टाइप प्रमाणपत्र का रद्दकरण, निलंबन या पृष्ठांकन,- यदि किसी समय महानिदेशक को यह विश्वास हो जाता है कि इस बात का उचित संदेह है कि किसी दोष के कारण वैमानिक उत्पाद की सुरक्षा खतरे में है, तो वह दोषयुक्त वैमानिक उत्पाद के लिए जारी या मान्य टाइप प्रमाणपत्र या निर्बंधित टाइप प्रमाणपत्र को रद्द, निलंबित या पृष्ठांकित कर सकेगा, या टाइप प्रमाणपत्र या निर्बंधित टाइप प्रमाणपत्र के प्रभावी बने रहने के लिए, यथास्थिति, किसी शर्त के रूप में उसमें कोई उपांतरण शामिल करने की अपेक्षा कर सकेगा।

33. किसी संविदाकारी राज्य द्वारा जारी अनुपूरक टाइप प्रमाणपत्र की स्वीकृति - महानिदेशक, उस स्थिति में जब निम्नलिखित शर्तें पूरी होती हैं, किसी संविदाकारी राज्य द्वारा जारी किसी वैमानिक उत्पाद के अनुपूरक टाइप प्रमाणपत्र को स्वीकार कर सकता है जब -

(क) यदि महानिदेशक द्वारा यथाविनिर्दिष्ट प्रारूप में कोई आवेदन प्रस्तुत किया जाता है और उसमें ऐसे विवरण,दस्तावेज या साक्ष्य अंतर्विष्ट हैं,इसके साथ नियम 68 के अधीन शुल्क भी दिया जाता है; और

(ख) महानिदेशक द्वारा यथाविनिर्दिष्ट उड़नयोग्यता अपेक्षाओं को पूरा करता है ।

34. वायुयान के लिए डिजाइन की स्वीकृति.- नियम 27 से 33 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, महानिदेशक द्वारा यथाविनिर्दिष्ट अपेक्षाओं के अनुसार मूल्यांकन करने के पश्चात और इस बात से संतुष्ट होने

पर कि वायुयान सुरक्षित प्रचालन की स्थिति में है, महानिदेशक किसी वायुयान के डिजाइन को स्वीकार कर सकते हैं।

35. उड़नयोग्यता निदेश.- (1) महानिदेशक किसी वैमानिक उत्पाद के संबंध में उड़नयोग्यता निर्देश के प्रारूप में निर्देश जारी कर सकता है जिसके लिए टाइप प्रमाणपत्र या निर्बंधित टाइप प्रमाणपत्र महानिदेशक द्वारा जारी,स्वीकार या विधिमान्य किया गया है, जब-

(क) उत्पाद असुरक्षित स्थिति में है; और

(ख) यह स्थिति समान प्रकार के डिजाइन वाले अन्य उत्पादों में भी विद्यमान होने या विकसित होने की संभावना है।

(2) उप-नियम (1) के अधीन उड़नयोग्यता निर्देश का मसौदा नागर विमानन महानिदेशालय की वेबसाइट पर तीस दिन की अवधि के लिए रखने के पश्चात जारी किया जाएगा, ताकि उससे प्रभावित होने वाले सभी व्यक्तियों से आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित किए जा सकें:

परंतु यह कि महानिदेशक लोकहित में और लिखित आदेश द्वारा, ऐसी आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित करने की अपेक्षा को समाप्त कर सकते हैं या ऐसी आपत्तियां और सुझाव प्रस्तुत करने की अवधि को कम कर सकता है।

36. विशेष शर्त.- (1) महानिदेशक विशेष शर्त के प्रारूप में निर्देश जारी कर सकता है, जब महानिदेशक को पता चले कि किसी वैमानिक उत्पाद डिजाइन के लिए उड़नयोग्यता अपेक्षाओं में, नवीन या असामान्य डिजाइन विशेषता के कारण, पर्याप्त या समुचित सुरक्षा मानक अंतर्विष्ट नहीं हैं।

(2) उप-नियम (1) के अधीन विशेष शर्त, मसौदा नागर विमानन महानिदेशालय की वेबसाइट पर तीस दिन की अवधि के लिए रखने के पश्चात जारी की जाएगी, ताकि उससे प्रभावित होने वाले सभी व्यक्तियों से आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित किए जा सकें:

परंतु यह कि महानिदेशक लोकहित में तथा लिखित आदेश द्वारा ऐसी आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित करने की अपेक्षा को समाप्त कर सकते हैं या ऐसी आपत्तियां और सुझाव प्रस्तुत करने की अवधि को कम कर सकता है।

37. भारतीय तकनीकी मानक आदेश — (1)नियम 27 से नियम 33 के अधीन न आने वाले वायुयान घटक महानिदेशक द्वारा यथाविनिर्दिष्ट भारतीय तकनीकी मानक आदेश के अनुरूप होंगे।

(2) उप-नियम (1) के अधीन भारतीय तकनीकी मानक आदेश को नागर विमानन महानिदेशालय की वेबसाइट पर मसौदे को तीस दिन की अवधि के लिए रखने के पश्चात जारी किया जाएगा, ताकि उससे प्रभावित होने वाले सभी व्यक्तियों से आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित किए जा सकें:

परंतु यह कि महानिदेशक लोक हित में और लिखित आदेश द्वारा ऐसी आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित करने की अपेक्षा को समाप्त कर सकते हैं या ऐसी आपत्तियां और सुझाव प्रस्तुत करने की अवधि कम कर सकता है।

38. वायुयान घटक के डिजाइन और विनिर्माण के लिए प्राधिकार – महानिदेशक वायुयान घटकों के डिजाइन और विनिर्माण के लिए प्राधिकार जारी कर सकता है, जब -

(क) आवेदन पत्र इस प्रकार प्रस्तुत किया जाता है कि महानिदेशक द्वारा यथाविनिर्दिष्ट ऐसे विवरण या दस्तावेज या साक्ष्य अंतर्विष्ट हैं इसके साथ ही उसमें नियम 68 के अधीन शुल्क भी है; और

(ख) महानिदेशक द्वारा यथाविनिर्दिष्ट वायुयान घटक उड़नयोग्यता अपेक्षाओं को पूरा करता है।

ख. उड़नयोग्यता

39. रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र – (1) भारत में वायुयान का रजिस्ट्रीकरण करने और रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्रदान करने के लिए सशक्त प्राधिकारी केन्द्रीय सरकार होगी और रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र में निम्नलिखित विवरण सम्मिलित होंगे, अर्थात:-

(क) राष्ट्रीयता;

(ख) इन नियमों के अधीन निर्दिष्ट रजिस्ट्रीकरण चिह्न;

(ग) वायुयान का विनिर्माता और विनिर्माता का पदनाम;

(घ) वायुयान क्रम संख्या;

(ड़) विनिर्माण का वर्ष;

(च) प्रमाणपत्र धारक का नाम और पता;

(छ) स्वामी का नाम और संपर्क जानकारी, यदि वह प्रमाणपत्र धारक से भिन्न है तो, रजिस्ट्रीकरण की तारीख और ऐसे रजिस्ट्रीकरण की विधिमान्यता की अवधि:

परंतु यह कि पट्टे पर दिए गए वायुयान की दशा में, रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र में पट्टे की विधिमान्यता तथा पट्टाकर्ता और पट्टाधारक के नाम, राष्ट्रीयता और पते भी सम्मिलित होंगे।

(2) केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर जारी किए गए सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, वायुयान के रजिस्ट्रीकरण की विधिमान्यता की अवधि विनिर्दिष्ट कर सकेगी।

(3) केन्द्रीय सरकार, नियम 68 के अधीन प्रदान किए गए शुल्क के साथ आवेदन प्राप्त होने पर, रजिस्ट्रीकरण चिह्न को एक वर्ष की अवधि के लिए आरक्षित रख सकेगी, जिसे एक बार में एक वर्ष के लिए और बढ़ाया जा सकेगा।

(4) भारत में किसी वायुयान को निम्नलिखित श्रेणियों में से किसी एक में रजिस्ट्रीकृत किया जा सकेगा, अर्थात्:-

(क) श्रेणी क - जहां वायुयान आंशिक रूप से या पूर्णत: स्वामित्व में है

(i) भारत के नागरिक द्वारा; या

(ii) किसी कंपनी या किसी इकाई द्वारा जो भारत में रजिस्ट्रीकृत है तथा जिसका मुख्य कारोबार स्थान भारत में है; या

(iii) अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (आईएफएससी) के साथ रजिस्ट्रीकृत किसी कंपनी या किसी इकाई द्वारा वायुयान पट्टे पर लेने और भारत में कारोबार करने के लिए; या

(iv) केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या उक्त सरकारों में से किसी के स्वामित्व या नियंत्रण वाली किसी कंपनी या इकाई द्वारा; या

(v) भारत के अलावा अन्यत्र रजिस्ट्रीकृत किसी कंपनी या इकाई द्वारा:

परंतु यह कि ऐसी कंपनी या इकाई ने उक्त वायुयान को उप-खंड (i) से उप-खंड (iv) में वर्णित किसी व्यक्ति को पट्टे पर दिया हो; या

(ख) श्रेणी ख - जहां वायुयान पूर्णतः या आंशिक रूप से स्वामित्व में है-

(i) भारत में निवास करने वाले या भारत में कारोबार करने वाले व्यक्तियों द्वारा, जो भारत के नागरिक नहीं हैं, या

(ii) भारत के अलावा अन्यत्र रजिस्ट्रीकृत और भारत में कारोबार करने वाली किसी कंपनी या इकाई द्वारा:

(5) ऐसा कोई वायुयान, जिसके संबंध में उप-नियम (4) में अपेक्षित शर्तें पूरी नहीं होती हैं, या जो किसी अन्य देश में पहले से ही विधिमान्य रूप से रजिस्ट्रीकृत है, भारत में रजिस्ट्रीकृत नहीं किया जाएगा।

(6) ऐसे मामले में जहां किसी वायुयान का सामान्य स्टेशन और उसका सामान्य प्रचालन क्षेत्र भारत में स्थित नहीं है, वहां केन्द्रीय सरकार, यथास्थिति, भारत में वायुयान के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन स्वीकार करने से इंकार कर सकेगी या वायुयान को भारत में रजिस्ट्रीकृत रहने की अनुज्ञा दे सकेगी, यदि उसकी राय में वायुयान को किसी अन्य देश में अधिक उपयुक्त रूप से रजिस्ट्रीकृत किया जा सकता है।

(7) किसी विशिष्ट मामले में, केन्द्रीय सरकार भारत में किसी वायुयान को रजिस्टर करने से इंकार कर सकेगी, यदि मामले की परिस्थितियों में उसे यह प्रतीत हो कि लोकहित में वायुयान का रजिस्ट्रीकरण अनुचित है।

40. रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के लिए आवेदन.— (1) रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के लिए प्रत्येक आवेदन महानिदेशक द्वारा यथाविनिर्दिष्ट प्रारूप में होगा तथा उसमें वायुयान और उसके स्वामित्व से संबंधित ऐसे विवरण अंतर्विष्ट होंगे, जो नियम 68 के अधीन प्रदान किए गए शुल्क सहित होंगे।

(2) भारत में आयातित वायुयान की दशा में,सीमाशुल्क विभाग से प्राप्त एक प्रवेश पत्र जिसमें यह कहा गया हो कि उसके संबंध में देय शुल्क का भुगतान कर दिया गया है और वायुयान का प्रकार और निर्माता की

क्रम संख्या बताई गई हो और यदि वायुयान अन्यत्र रजिस्ट्रीकृत किया गया हो तो उसके रजिस्ट्रीकरण चिह्नों का भी उल्लेख हो ।

41. अस्थायी रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र.— (1) जब किसी वायुयान को भारत में आयात करने से पहले उसके रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन किया जाता है, तो वायुयान को वैमानिक से आयात करने के प्रयोजन के लिए, नियम 39 के उप-नियम (5) की शर्तों के अधीन रहते हुए, केन्द्रीय सरकार द्वारा नियम 40 के उप नियम (1) के उपबंधों का अनुपालन करने वाले वायुयान के स्वामी को एक अस्थायी रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्रदान किया जाएगा।

(2) अस्थायी प्रमाणपत्र केवल भारत में सीमा शुल्क विमानक्षेत्र पर वायुयान के प्रथम बार उतरने तक विधिमान्य होगा, जिसके पश्चात प्रमाणपत्र पायलट या अन्य प्रभारी व्यक्ति द्वारा महानिदेशक को सौंपा जाएगा।

(3) वायुयान के स्वामी द्वारा या उसकी ओर से नियम 40 के उप-नियम (2)में निर्दिष्ट प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर केन्द्रीय सरकार द्वारा रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्रदान किया जा सकेगा।

42. स्वामी या पट्टादाता में परिवर्तन.— (1) किसी रजिस्ट्रीकृत वायुयान के मालिक या पट्टाकर्ता में किसी भी परिवर्तन की स्थिति में -

(क) वायुयान का रजिस्ट्रीकृत स्वामी या पट्टाकर्ता,यथास्थिति,ऐसे परिवर्तन की सूचना महानिदेशक को तत्काल देगा ;

(ख) कोई भी व्यक्ति, कंपनी या इकाई जो भारत में रजिस्ट्रीकृत किसी वायुयान का मालिक या पट्टाकर्ता बन जाता है, महानिदेशक को वायुयान के अपने स्वामित्व या पट्टे के तथ्य के बारे में लिखित रूप में तुरंत सूचित करेगा, यथास्थिति,और रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के लिए आवेदन कर सकता है ;

(2) ऐसा आवेदन उप नियम(1)के खंड(ख)के अधीन ऐसे प्रारूप में किया जाएगा और उसमें नियम 68 के अधीन प्रदान किए गए शुल्क सहित महानिदेशक द्वारा यथाविनिर्दिष्ट ऐसे विवरण अंतर्विष्ट होंगे।

(3) उप-नियम (2) में निर्दिष्ट जब तक ऐसा आवेदन नहीं किया जाता है और रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्रदान नहीं किया जाता है, तब तक किसी भी व्यक्ति के लिए महानिदेशक की लिखित अनुमति के अनुसरण में और उसके अधीन रहते हुए ऐसे वायुयान को उड़ाना या उड़ाने में सहायता करना विधिमान्य नहीं होगा;

(4) रजिस्ट्रीकरण और उसका प्रमाणपत्र तब तक विधिमान्य रहेगा जब तक कि महानिदेशक द्वारा रजिस्ट्रीकरण और प्रमाणपत्र रद्द नहीं कर दिया जाता।

43. रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र में परिवर्तन— नियम 42 के अधीन प्रदान की गई व्यवस्था के अलावा भारत में रजिस्ट्रीकृत किसी वायुयान के रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के विवरण में किसी प्रकार के परिवर्तन की स्थिति में ऐसे परिवर्तनों के लिए प्रमाणपत्र धारक द्वारा महानिदेशक को उसके द्वारा यथाविनिर्दिष्ट प्रारूप और रीति से नियम 68 के अधीन प्रदान किए गए शुल्क के साथ आवेदन किया जाएगा ।

44. रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र को रद्द करना या उसका उसका अरजिस्ट्रीकरण – (1) भारत में रजिस्ट्रीकृत किसी वायुयान का रजिस्ट्रीकरण केन्द्रीय सरकार द्वारा किसी भी समय रद्द किया जा सकेगा, यदि उसका यह समाधान हो जाए कि-

(i) ऐसे पंजीकरण नियम 39 के उप-नियम (4) के उपबंधों के अनुरूप नहीं है; या

(ii) पंजीकरण मिथ्या सूचना देकर प्राप्त किया गया है; या

(iii) वायुयान के संबंध में उड़नयोग्यता का विशेष प्रमाणपत्र या उड़नयोग्यता समीक्षा प्रमाणपत्र पांच वर्ष या उससे अधिक अवधि के लिए समाप्त हो गया है; या

(iv) वायुयान नष्ट कर दिया गया हो या उसे स्थायी रूप से उपयोग से हटा दिया गया हो; या

(v) सार्वजनिक हित में यह असमीचीन है कि वायुयान भारत में रजिस्ट्रीकृत रहे।

(2) भारत में रजिस्ट्रीकृत किसी वायुयान का पंजीकरण प्रमाणपत्र, जिस पर केपटाउन अभिसमय और केपटाउन प्रोटोकॉल के उपबंध लागू होते हैं, केंद्रीय सरकार द्वारा वायुयान के प्रचालक या किसी अन्य व्यक्ति से सहमति या कोई दस्तावेज मांगे बिना, पांच कार्य दिवसों की अवधि के भीतर रद्द किया जाएगा,यदि आईडीईआरए धारक से निम्नलिखित के साथ आवेदन प्राप्त होता है:–

(i) महानिदेशक के पास दर्ज आईडीईआरए की मूल या नोटरीकृत प्रतिलिपि; और

(ii)वायुयान में प्राथमिकता क्रम में आने वाले सभी रजिस्ट्रीकृत हितों के संबंध में अंतरराष्ट्रीय रजिस्ट्री से एक प्राथमिकता खोज रिपोर्ट, साथ ही आईडीईआरए धारक से एक प्रमाण पत्र कि प्राथमिकता खोज रिपोर्ट में आईडीईआरए धारक की तुलना में प्राथमिकता क्रम में आने वाले सभी रजिस्ट्रीकृत हितों को मुक्त कर दिया गया है या ऐसे हितों के धारकों ने वायुयान के पंजीकरण रद्द करने और निर्यात के लिए सहमति दे दी है:

परंतु यह कि वायुयान का ऐसा पंजीकरण रद्द करने से केन्द्रीय सरकार या उसकी किसी इकाई या किसी अंतर-सरकारी संगठन, जिसका भारत सदस्य है, या भारत में सार्वजनिक सेवाओं के अन्य निजी प्रदाता के, अपनी विधियों के अधीन किसी वायुयान वस्तु को भारत सरकार, किसी ऐसी इकाई, संगठन या प्रदाता को देय राशि के भुगतान के लिए गिरफ्तार करने, रोकने या कुर्क करने या बेचने के अधिकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जो उस वस्तु के संबंध में ऐसे वायुयान द्वारा प्रदान की गई सेवाओं से सीधे संबंधित है।

स्पष्टीकरण.– इस उप-नियम के प्रयोजन के लिए, "अंतरराष्ट्रीय रजिस्ट्री" से केपटाउन अभिसमय के अनुच्छेद 16 के अधीन स्थापित रजिस्ट्री अभिप्रेत है।

(3) भारत में रजिस्ट्रीकृत किसी वायुयान को केन्द्रीय सरकार द्वारा पंजीकरण को रद्द किया जा सकेगा यदि वह इस बात से संतुष्ट हो कि वायुयान को किसी अन्य देश में अधिक उपयुक्त रूप से रजिस्ट्रीकृत किया जा सकता है या नियम 39 के उप-नियम (4) के खंड (क) के उप-खंड (v) के अनुसरण में रजिस्ट्रीकृत वायुयान के संबंध में पट्टा समाप्त हो गया है या पट्टे की शर्तों के अनुसार समाप्त कर दिया गया है।

(4) उप-नियम (2) या उप-नियम (3) के अधीन किसी वायुयान का पंजीकरण रद्द करने के लिए प्रत्येक आवेदन महानिदेशक द्वारा यथाविनिर्दिष्ट प्ररूप और रीति में होगा तथा उसके साथ नियम 68 के अधीन प्रदान किया गया शुल्क भी देना होगा ।

(5) पंजीकरण रद्द प्रमाणपत्र महानिदेशक द्वारा यथाविनिर्दिष्ट प्ररूप में और रीति से होगा।

45. वायुयान का निर्यात – नियम 44 के उप-नियम (2) के अधीन किसी वायुयान के पंजीकरण रद्द करने के परिणामस्वरूप, यदि आईडीईआरए धारक द्वारा उसी वायुयान के निर्यात के लिए आवेदन किया जाता है, तो केंद्रीय सरकार अतिरिक्त इंजन सहित वायुयान के निर्यात और भौतिकी अंतरण को सुविधाजनक बनाने के लिए कार्रवाई करेगी, यदि कोई हो, परंतु यह निम्न के अध्यधीन होगी :-

(i) वायुयान के संबंध में बकाया राशि का भुगतान; और

(ii)विमान प्रचालन की सुरक्षा से संबंधित नियमों और विनियमों का अनुपालन।

46. वायुयान का रजिस्टर– भारत में रजिस्ट्रीकृत वायुयानों का रजिस्टर महानिदेशक द्वारा रखा जाएगा और उसमें रजिस्ट्रीकृत प्रमाणपत्र के संबंध में नियम 39 में प्रदान किए गए विवरण होंगे। ऐसा रजिस्टर जनसाधारण के निरीक्षण के लिए उन समयों पर और उन शर्तों पर खुला रहेगा जो महानिदेशक विनिर्दिष्ट करें।

47. राष्ट्रीयता और रजिस्ट्रीकरण चिह्न लगाने की नीति – भारत में रजिस्ट्रीकृत वायुयान पर लगने वाले चिह्नों की बाबत इस नियम के निम्नलिखित उपबंध प्रभावी होंगे, अर्थात -

(1) (क) वायुयान या राष्ट्रीयता चिह्न बड़े अक्षरों में रोमन लिपि में VT होगा और रजिष्ट्रीकरण चिह्न महानिदेशक द्वारा समनुदेशित किन्ही तीन बड़े अक्षरों के समूह वाला रोमन लिपि में होगा।

(ख) ये अक्षर अनलंकृत होंगे और राष्ट्रीयता चिह्न और रजिष्ट्रीकरण चिह्न के बीच एक योजक चिह्न रहेगा।

(2) राष्ट्रीयता और रजिस्ट्रीकरण चिह्न-

(क) महानिदेशक द्वारा यथाविनिर्दिष्ट प्ररूप और रीति में वायुयान पर पेन्ट किए जाएगें या उस पर किन्ही ऐसे साधनों से लगाए जाएगें जिससे वैसा ही स्थायित्व सुनिश्चित किया जा सके;

(ख) वायुयान के रजिस्ट्रीकृत स्वामी के पूर्ण नाम और पते के साथ स्वामी की नाम पट्टिका पर उस प्ररूप और रीति में खुदे होंगे जो महानिदेशक यथाविनिर्दिष्ट करें; और

(ग) सदैव साफ और दृश्यमान रखे जाएगें।

48. राज्य चिह्नों का प्रयोग– (1) इन नियमों के अधीन या महानिदेशक द्वारा अपेक्षित या अनुज्ञात के सिवाय, वायुयान के बाह्य तल के किसी भाग पर कोई विज्ञापन या चिह्न या अक्षर नहीं रहेगा।

(2) वायुयान पर उसका नाम और उसके स्वामी का नाम और संप्रतीक संप्रदर्शित किया जा सकता है, किन्तु यह तब जब कि अक्षरों और संकेतों की अवस्थिति, आकार, आकृति या रंग के कारण वायुयान की

राष्ट्रीयता और रजिष्ट्रीकरण चिह्न की सरलता से पहचान करने में न तो कोई व्यवधान हो और न उसमें भ्रम उत्पन्न हो।

(3) राज्य वायुयान से भिन्न अन्य वायुयान पर वह चिह्न या संकेत नहीं रहेगा जो राज्य वायुयान के प्रयोग के लिए विहित है।

(4) राष्ट्रीय ध्वज या पताकाएं वायुयान पर ऐसी रीति में संप्रदर्शित की जा सकेंगी जिससे वह सुभिन्न हों और सैनिक वायुयान द्वारा प्रयुक्त चिह्नों के साथ भ्रम उत्पन्न होने की संभावना न हों।

स्पष्टीकरण.- इस नियम के प्रयोजन के लिए, एतदद्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि वायुयान पर राष्ट्रीय ध्वज प्रदर्शित करते समय भारतीय ध्वज संहिता का पालन किया जाएगा।

49. उड़नयोग्यता प्रमाणपत्र या विशेष उड़नयोग्यता प्रमाणपत्र और उड़नयोग्यता समीक्षा प्रमाणपत्र जारी करना.— (1) किसी वायुयान का स्वामी या प्रचालक, वायुयान के संबंध में उड़नयोग्यता प्रमाणपत्र या विशेष उड़नयोग्यता प्रमाणपत्र जारी करने के लिए या वायुयान के संबंध में अन्यत्र जारी उड़नयोग्यता प्रमाणपत्र के सत्यापन के लिए महानिदेशक को आवेदन कर सकता है।

(2) महानिदेशक किसी वायुयान के संबंध में उड़नयोग्यता प्रमाणपत्र या विशेष उड़नयोग्यता प्रमाणपत्र तब जारी कर सकेगा, जब-

(क) आवेदक वायुयान की उड़नयोग्यता से संबंधित ऐसे दस्तावेज या अन्य साक्ष्य प्रस्तुत करता है, जैसा महानिदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट किया जा सकता है; और

(ख) महानिदेशक इस बात से संतुष्ट हो कि यह उड़ान योग्य है या सुरक्षित प्रचालन की स्थिति में है:

परंतु यह कि महानिदेशक, जारी किए गए विशेष उड़नयोग्यता प्रमाणपत्र पर ऐसी शर्तें लगा सकेगा जो वायुयान के सुरक्षित प्रचालन के लिए आवश्यक हों।

(3) महानिदेशक किसी भी आयातित वायुयान के संबंध में उड़नयोग्यता प्रमाणपत्र को मान्य कर सकेगा, यदि -

(क) जिस देश में वायुयान का निर्माण किया गया है, वहां के उड़नयोग्यता प्राधिकरण ने उड़नयोग्यता प्रमाणपत्र या ऐसा समतुल्य दस्तावेज जारी किया हो ;

(ख) महानिदेशक द्वारा यथाविनिर्दिष्ट उड़नयोग्यता अपेक्षाओं का अनुपालन किया जाता हो; और

(ग) आवेदक वायुयान से संबंधित आवश्यक दस्तावेज और तकनीकी आंकड़े प्रस्तुत करता है, जैसा कि महानिदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए और जैसा अपेक्षित हो,

(4)(क) उड़नयोग्यता प्रमाणपत्र या उड़नयोग्यता का विशेष प्रमाणपत्र महानिदेशक द्वारा यथाविनिर्दिष्ट एक या अधिक श्रेणियों के लिए जारी या विधिमान्य किया जाएगा।

(ख) वायुयान का प्रचालन उड़नयोग्यता प्रमाणपत्र या उड़नयोग्यता के विशेष प्रमाणपत्र में यथाविनिर्दिष्ट उन श्रेणियों में निर्बंधित किया जाएगा, जो उसमें बताई गई शर्तों के अधीन हैं।

(5) इस नियम के अधीन जारी किया गया उड़नयोग्यता प्रमाणपत्र तब तक अविधिमान्य होगा जब तक महानिदेशक या इन नियमों के अधीन अनुमोदित कोई संगठन लागू उड़नयोग्यता मानकों के अनुपालन की समीक्षा नहीं करता है और उसमें विनिर्दिष्ट ऐसी अवधि के लिए विधिमान्य उड़नयोग्यता समीक्षा प्रमाणपत्र जारी नहीं करता है जिसे महानिदेशक या इन नियमों के अधीन अनुमोदित कोई संगठन महानिदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट प्रक्रियाओं के अनुसार बढ़ा सकता है।

(6) उड़नयोग्यता का विशेष प्रमाणपत्र उस अवधि के लिए विधिमान्य होगा जो प्रमाणपत्र में विनिर्दिष्ट की जाएगी तथा महानिदेशक द्वारा समय-समय पर इसका नवीकरण किया जा सकता है।

(7) वायुयान का निरीक्षण और परीक्षण महानिदेशक या उनकी ओर से प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा किया जाएगा, जैसा कि विनिर्दिष्ट किया गया हो।

(8) वायुयान का स्वामी या प्रचालक उप-नियम (7) के अधीन अपेक्षित निरीक्षण और परीक्षण करने के प्रयोजन के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराएगा तथा महानिदेशक द्वारा यथाविनिर्दिष्ट सभी व्यय वहन करेगा।

50. वायुयान का ध्वनि प्रमाणपत्र जारी करना.— (1) महानिदेशक भारत में रजिस्ट्रीकृत किसी वायुयान के संबंध में ध्वनि प्रमाणपत्र जारी कर सकेगा, जब स्वामी या प्रचालक द्वारा महानिदेशक द्वारा यथाविनिर्दिष्ट प्रारूप में आवेदन प्रस्तुत किया जाता है और उसमें ऐसे विवरण या दस्तावेज या साक्ष्य दिए जाते हैं, तथा इसके साथ नियम 68 के अधीन शुल्क भी दिया जाता है।

(2) ध्वनि प्रमाण-पत्र तब तक विधिमान्य रहेगा जब तक महानिदेशक द्वारा उसे रद्द नहीं कर दिया जाता।

51. उड़नयोग्यता प्रमाणपत्र या विशेष उड़नयोग्यता प्रमाणपत्र और वायुयान के निरीक्षण,आमूलचूल परिवर्तन के लिए आवश्यक शर्तें.- (1) महानिदेशक, वायुयान की सीमाओं को ध्यान में रखते हुए, वायुयान तथा वायुयान में सवार व्यक्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, किसी विशेष प्रकार या श्रेणी के वायुयान के उड़नयोग्यता प्रमाणपत्र या विशेष उड़नयोग्यता प्रमाणपत्र के संबंध में शर्तें और मानक विनिर्दिष्ट कर सकता है।

(2) यदि किसी भी समय महानिदेशक को लगता है कि किसी वायुयान या वायुयान के प्रकार या उस वायुयान या वायुयान के प्रकार के किसी घटक या उपकरण के मद का कोई भी संशोधन, मरम्मत, प्रतिस्थापन, निरीक्षण या आमूलचूल परिवर्तन सुरक्षा के हित में आवश्यक है, तो वह उड़नयोग्यता प्रमाणपत्र या विशेष उड़नयोग्यता प्रमाणपत्र के प्रभावी बने रहने की शर्त के रूप में संशोधन, मरम्मत, प्रतिस्थापन, निरीक्षण या आमूलचूल परिवर्तन की अपेक्षा कर सकता है।

52. उपांतरण एवं मरम्मत.— (1) कोई व्यक्ति किसी ऐसे वायुयान की सुरक्षा को प्रभावित करने वाला कोई उपांतरण या मरम्मत नहीं करेगा जिसके संबंध में विधिमान्य उड़नयोग्यता प्रमाणपत्र या उड़नयोग्यता

का विशेष प्रमाणपत्र हो, जब तक कि उसे इन नियमों के अनुसरण में ऐसा करने की आवश्यकता न हो या जब तक कि उसने महानिदेशक का पूर्व अनुमोदन प्राप्त न कर लिया हो।

(2) (क) किसी वैमानिक उत्पाद के निर्माता द्वारा जारी किए गए उपांतरणों या वायुयान घटक जिसे महानिदेशक या अन्यत्र द्वारा प्रकार प्रमाणपत्र जारी किया गया है, को अनुमोदित संशोधन माना जा सकता है, जब तक कि महानिदेशक द्वारा अन्यथा विनिर्दिष्ट न किया जाए।

(ख) महानिदेशक या अन्यत्र द्वारा प्रकार प्रमाण-पत्र के साथ जारी किए गए वैमानिक उत्पाद या वायुयान घटक के निर्माता द्वारा जारी मरम्मत योजनाएं और मानक वैमानिक इंजीनियरिंग प्रचलन के अनुसार की गई अन्य मरम्मत को अनुमोदित माना जा सकता है जब तक कि महानिदेशक द्वारा अन्यथा विनिर्दिष्ट न किया जाए।

(3) महानिदेशक किसी वैमानिक उत्पाद या वायुयान घटक की उप-नियम (2) में विनिर्दिष्ट मरम्मत या परिवर्तन के अलावा अन्य मरम्मत या परिवर्तन के लिए अनुमोदन दे सकते हैं, जहां स्वामी या प्रचालक अपेक्षित परिवर्तन या मरम्मत तथा वायुयान की उड़नयोग्यता पर उसके प्रभाव से संबंधित ऐसे साक्ष्य प्रस्तुत करता है, जैसा महानिदेशक द्वारा यथाविनिर्दिष्ट किया गया हो।

(4) महानिदेशक द्वारा एक वैमानिक उत्पाद या वायुयान घटक के लिए अनुमोदित संशोधनों को उसी प्रकार के अन्य उत्पादों में शामिल किया जा सकता है, परंतु यह कि यह अनुमोदन की शर्तों के अधीन हो।

(5) (क) जब किसी वायुयान को किसी बड़ी क्षति या बड़ी खराबी के बाद संशोधित या मरम्मत किया गया हो, तो वायुयान को तब तक नहीं उड़ाया जाएगा जब तक कि उपयुक्त रूप से अनुज्ञप्ति प्राप्त इंजीनियर या प्राधिकृत व्यक्ति महानिदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट तरीके से यह प्रमाणित न कर दे कि वायुयान प्रयोग या परीक्षण, यथास्थिति, के उद्देश्य से उड़ाने के लिए सुरक्षित स्थिति में है।

(ख) जब किसी वायुयान के घटक को संशोधित या मरम्मत किया जाना हो, तो उसे तब तक रिलीज नहीं किया जाएगा जब तक कि उसे उचित रूप से अनुज्ञप्ति प्राप्त इंजीनियर या महानिदेशक द्वारा यथाविनिर्दिष्ट किसी प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा प्रमाणित न कर दिया जाए।

(6) उपर्युक्त उप-नियमों में निर्दिष्ट प्रमाण-पत्र को जारी करना तथा उनका संरक्षण महानिदेशक द्वारा यथाविनिर्दिष्ट प्ररूप और रीति के अनुसार किया जाएगा।

(7) (क) पूर्ववर्ती उप-नियमों के अनुसरण में प्रमाणपत्र तब तक जारी नहीं किया जाएगा जब तक कि सामग्री,भाग,ऐसे डिजाइन के अनुपालन की पद्धति, रेखाचित्र, विनिर्देशों या अनुदेशों के अनुरूप न हो जो निर्माताओं द्वारा जारी किए जा सकते हैं या जिन्हें महानिदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट या अनुमोदित किया जा सकता है।

(ख) कार्यपद्धति और कार्यकुशलता महानिदेशक द्वारा यथा अनुमोदित मानक वैमानिक प्रचलन के अनुसार होगी।

53. वायुयान की सामग्री, प्रक्रियाओं और पुर्जों (पार्ट) का उपयोग और आवधिक आमूलचूल परिवर्तन.- (1)(क) इन नियमों के तहत प्रत्येक वायुयान का, जिसके उड़नयोग्यता प्रमाणपत्र या विशेष

उड़नयोग्यता प्रमाणपत्र प्रदान किया जाना अपेक्षित है और ऐसे प्रत्येक वायुयान संघटको का निर्धारित उड़ान समय या कैलेंडर समय के पूरा होने पर या अनुमोदित रखरखाव कार्यक्रम या अनुमोदित रखरखाव प्रणाली के अनुसार किसी अन्य निर्धारित शर्त के आधार पर आवधिक निरीक्षण किया जाएगा, आमूलचूल परिवर्तन किया जाएगा और प्रमाणन किया जाएगा।

(ख) ऐसे निरीक्षण और प्रमाणन समुचित रूप से अनुज्ञप्त इंजीनियरों या प्राधिकृत व्यक्तियों द्वारा किया जाएगा जिन्हें महानिदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट अनुसार किया जा सकता है।

(2)(क) उप-नियम (1) के अनुसरण में जारी किया जाने वाला प्रमाणपत्र तब तक जारी नहीं किया जाएगा जब तक कि सामग्री, प्रक्रिया, पुर्जे, रीति ऐसे डिजाइन , रेखाचित्रों, विनिर्देशों या अनुदेशों के अनुरूप न हों जो विनिर्माता जारी कर सकते हैं या महानिदेशक विनिर्दिष्ट या अनुमोदित कर सकते हैं ।

(ख) कार्यपद्धति और कार्यकुशलता महानिदेशक द्वारा यथा अनुमोदित मानक वैमानिक प्रचलन के अनुसार होगी।

(3) पूर्वगामी उपबंधों के होते हुए भी, महानिदेशक, साधारण या विशेष लिखित आदेश द्वारा, किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग को पूर्वगामी उपनियमों के प्रवर्तन से पूर्णतया या आंशिक रूप से ऐसी शर्तों के अधीन, यदि कोई हों, जों उस आदेश में विनिर्दिष्ट की जा सकती है, छूट दे सकते हैं ।

54. प्रमाणित करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति.— इन नियमों के अध्याय 3 और 7 के अधीन अपेक्षित प्रमाणन पर, समुचित रूप से अनुज्ञप्ति प्राप्त इंजीनियरों या अनुज्ञप्ति या प्राधिकरण की शर्तों और निबंधनों के अधीन योग्य प्राधिकृत व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे, जैसा भी मामला हो, विनिर्माण, प्रक्रिया, संशोधन, मरम्मत, प्रतिस्थापन, आमूलचूल परिवर्तन या अनुरक्षण करने या उसका निरीक्षण करने के लिए जिससे प्रमाणपत्र संबंधित है या किसी अनुमोदित व्यक्ति द्वारा या महानिदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट मानदंड के अनुसार किसी अनुमोदित संगठन से प्रमाणन के लिए लिखित प्राधिकार रखने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा और प्रमाणपत्र पर प्राधिकार के अनुसार हस्ताक्षर किए जाएंगे ।

55. भारत के बाहर प्रचालन करने वाले भारतीय वायुयान.— जहां भारत में रजिस्ट्रीकृत कोई वायुयान भारत से बाहर किसी देश में प्रचालन कर रहा हो, वहां वायुयान या उसके किसी घटक या उपकरण की मदों को निम्नलिखित के पर्यवेक्षण में या उनके द्वारा प्रमाणित किए जाने के अलावा संशोधित, मरम्मत, प्रतिस्थापित, निरीक्षण या आमूलचूल परिवर्तन नहीं किया जाएगा-

(क) संविदाकारी राज्य के मामले में, ऐसा व्यक्ति जिसे अभिसमय के अनुसरण में अपनाई गई न्यूनतम अपेक्षाओं के अनुसार संविदाकारी राज्य के समुचित प्राधिकारी द्वारा इस प्रयोजन के लिए अनुमोदित किया गया हो तथा जिसे महानिदेशक द्वारा इस प्रयोजन के लिए पर्याप्त माना गया हो;

(ख) संविदाकारी राज्य के अलावा किसी अन्य देश के मामले में, ऐसा व्यक्ति जिसके पास ऐसी अहर्ताएं हों जिन्हें महानिदेशक द्वारा इस प्रयोजन के लिए पर्याप्त माना गया हो।

56. उड़नयोग्यता प्रमाणपत्र या विशेष उड़नयोग्यता प्रमाणपत्र का निलंबन या रद्दीकरण और निरन्तर विधिमान्यता.– (1) किसी वायुयान का उड़नयोग्यता प्रमाणपत्र या विशेष उड़नयोग्यता प्रमाणपत्र तब निलंबित हुआ समझा जाएगा जब वायुयान -

(क) वायुयान के लिए लागू प्रचालन, अनुरक्षण, परिवर्तन, मरम्मत, प्रतिस्थापन, आमूलचूल परिवर्तन, प्रक्रिया या निरीक्षण के संबंध में इन नियमों की अपेक्षाओं का अनुपालन करना समाप्त कर देता है या उनका अनुपालन करने में असफल रहता है; या

(ख) वायुयान को इन नियमों के उपबंधों के अनुसार उपांतरित किया जाता है या उसकी मरम्मत की जाती है; या

(ग) वायुयान में कोई बड़ा नुकसान हो जाता है ; या

(घ) वायुयान में कोई बड़ा दोष उत्पन्न हो जाता है जिससे वायुयान की पश्चातवर्ती उड़ानों और उसमें सवार व्यक्तियों की सुरक्षा प्रभावित हो सकती है।

(2) यदि, किसी समय, महानिदेशक को समाधान हो जाता है कि वायुयान या उस प्रकार की सुरक्षा के संबंध में जिससे वायुयान संबंधित है, यथोचित संदेह है, महानिदेशक निम्नानुसार कर सकता है -

(क) वायुयान के संबंध में उड़नयोग्यता प्रमाणपत्र या विशेष उड़नयोग्यता प्रमाणपत्र को निलंबित या रद्द कर सकेगा; या

(ख) यह शर्त रखेगा कि वायुयान या वायुयान संघटक या उस वायुयान के उपस्कर की किसी चीज के बारे में ऐसे संशोधन, मरम्मत, प्रतिस्थापन,आमूलचूल परिवर्तन, निरीक्षण जिसमें उड़ान परीक्षण एवं परीक्षाएं भी शामिल हैं, जो प्रभावी उड़नयोग्यता प्रमाणपत्र की वैधता बनाए रखने के लिए महानिदेशक द्वारा यथाविनिर्दिष्ट किसी अनुमोदित व्यक्ति के पर्यवेक्षण में की जाएंगी।

(3) उप-नियम (4) के अधीन रहते हुए, किसी वायुयान को किसी ऐसी अवधि के दौरान जिसमें उसका उड़नयोग्यता प्रमाणपत्र या विशेष उड़नयोग्यता प्रमाणपत्र निलंबित रहता है या निलंबित समझा जाता है,नहीं उड़ाया जाएगा।

(4) जहां वायुयान का उड़नयोग्यता प्रमाणपत्र या विशेष उड़नयोग्यता प्रमाणपत्र निलंबित किया जाता है या निलंबित समझा जाता है, वहां महानिदेशक, वायुयान के स्वामी या प्रचालक के आवेदन पर, नियम 57 के उपबंधों के अधीन विशेष उड़ान परमिट जारी कर सकता है ।

57. विशेष उड़ान परमिट जारी करना.– (1) महानिदेशक विशेष उड़ान परमिट जारी कर सकते हैं, जब कोई वायुयान उड़नयोग्यता अपेक्षाओं के पूर्णतया अनुरूप न हो, लेकिन विशेष उड़ान परमिट में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन सुरक्षित प्रचालन की स्थिति में हो।

(2) किसी वायुयान का स्वामी या प्रचालक महानिदेशक द्वारा यथाविनिर्दिष्ट किसी भी प्रयोजन के लिए वायुयान के संबंध में विशेष उड़ान परमिट जारी करने के लिए महानिदेशक को आवेदन कर सकता है।

(3) महानिदेशक किसी वायुयान के संबंध में विशेष उड़ान परमिट जारी कर सकते हैं,जब -

(क) आवेदक ऐसे दस्तावेज प्रस्तुत करता है, जो महानिदेशक द्वारा यथाविनिर्दिष्ट किए जाएं; और

(ख) महानिदेशक इस बात से संतुष्ट हो कि वायुयान सुरक्षित प्रचालन की स्थिति में है।

58. उपकरण और उपस्कर.— (1) प्रत्येक वायुयान ऐसे उपकरण और उपस्कर, जिसमें रेडियो साधित्र और विशेष उपस्कर लगे होंगे, से सज्जित होगा, जैसा कि महानिदेशक द्वारा उड़ान के उपयोग और परिस्थितियों के अनुसार विनिर्दिष्ट किया जा सकता है।

(2) ऐसे उपकरण और उपस्कर अनुमोदित प्रकार के होंगे और अनुमोदित रीति से स्थापित किए जाएंगे और उन्हें काम करने लायक स्थिति में रखा जाएगा।

59. वायुयान जिसके लिए रेडियो उपकरण बाध्यकारी है.— (1)(क) भारत में रजिस्ट्रीकृत सभी विमानों को, जिन्हें विसुअल फ्लाइट नियमों या इन्स्ट्रमन्ट फ्लाइट नियमों शर्तों के अनुसार प्रचालित किया जाना अपेक्षित है, संचार उपकरण प्रदान किए जाएंगे जो समुचित प्राधिकारी द्वारा यथाविहित उन वैमानिक स्टेशनों और उन आवृत्तियों पर हर समय दो-तरफ़ा संचार करने में सक्षम होंगे।

(ख) इस प्रकार प्रदान किए गए संचार उपकरण वायुयान निर्माण करने वाले देश के उड़नयोग्यता प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित और महानिदेशक को स्वीकार्य प्रकार के होंगे।

(2) वायुयान को दिक्चालन उपकरण प्रदान किया जाएगा जो उसे आगे बढ़ने में समर्थ बनाएगा:-

(क) उड़ान योजना के अनुसार; और

(ख) वायु यातायात सेवाओं की आवश्यकता के अनुसार, सिवाय इसके कि, यदि समुचित प्राधिकारी द्वारा प्रवारित न किया गया हो, दृश्य उड़ान नियमों के अधीन उड़ानों के लिए दिक्चालन कम से कम प्रत्येक 110 कि.मी. (60 समुद्री मील) पर लेंडमार्क स्थल के दृश्य संदर्भ द्वारा पूरा किया जाता है।

60. वायुयान का मोड-एस पता जारी करना.— महानिदेशक, मोड-एस ट्रांसपोंडर से सज्जित और भारत में पंजीकरण या पंजीकरण होने वाले वायुयान के संबंध में मोड-एस पता जारी कर सकते हैं, जब स्वामी द्वारा प्रारूप में आवेदन प्रस्तुत किया जाता है और उसमें महानिदेशक द्वारा यथाविनिर्दिष्ट ऐसे विवरण, दस्तावेज या साक्ष्य होते हैं, साथ ही नियम 68 के अधीन शुल्क प्रदान किया जाता है।

61. वजन और संतुलन.— (1)(क) प्रत्येक वायुयान का वजन किया जाएगा और उसे चिह्नित किया जाएगा और उसका गुरुत्वाकर्षण केंद्र अवधारित किया जाएगा।

(ख)अपेक्षित समाकृति से संबंधित गुरुत्वाकर्षण केंद्र स्थिति के प्रगणित केन्द्र दर्शित करने वाली वजन अनुसूची और लदान शीट महानिदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट ऐसी शर्तों के अधीन वायुयान पर संप्रेषित की जाएंगी और ले जाई जाएंगी।

(2)(क) वायुयान उस अधिकतम अनुज्ञेय वजन से अधिक वजन के साथ उड़ान भरने या उतरने का प्रयत्न नहीं करेगा जो वजन अनुसूची में यथाविनिर्दिष्ट हैं या जो महानिदेशक द्वारा प्राधिकृत हैं।

(ख) पूरी उड़ान में, जिसमें उड़ान भरना और उतरना सम्मिलित हैं, वायुयान का भार ऐसे वितरित किया जाएगा कि वायुयान के गुरुत्वाकर्षण केन्द्र की स्थिति महानिदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट या अनुमोदित सीमाओं के भीतर रहे:

परंतु महानिदेशक, लिखित विशेष आदेश और ऐसी शर्तों के अधीन जैसी उस आदेश मे विनिर्दिष्ट की जाए इस नियम के प्रवर्तन से किसी वायुयान को छूट दे सकेगा।

62. त्रुटियां और त्रुटिपूर्ण पुर्जे.– (1) भारत में रजिस्ट्रीकृत किसी वायुयान में कोई बड़ा दोष या उसको कोई बड़ा नुकसान हो जाने की रिपोर्ट उस रीति से की जाएगी जो महानिदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए।

(2) जब वायुयान के किसी भाग का दोषपूर्ण होने का पता लगे या दोषपूर्ण होने का संदेह है तो महानिदेशक, अपने द्वारा इस बाबत प्राधिकृत किसी व्यक्ति या संस्था को, परीक्षण किए जाने के लिए उसका परिदत्त किए जाने की अपेक्षा कर सकेगा।

63. विदेशी वायुयान में दोष– (1) जब भारत के बाहर रजिस्ट्रीकृत किसी वायुयान के भारतीय राज्य क्षेत्र में होने के दौरान कोई बड़ा नुकसान हो जाए या उसमें कोई बड़ा दोष आ जाए, तो महानिदेशक यह तथ्य अभिनिश्चित हो जाने पर वायुयान को उड़ने से प्रतिषिद्ध कर सकेगा।

(2) जहां उप-नियम (1) के अनुसरण में महानिदेशक किसी वायुयान को उड़ने से प्रतिषिद्ध करता है, वहां वह वायुयान के रजिष्ट्रीकरण के देश के समुचित प्राधिकारी को उस कार्रवाई की सूचना देगा जो उसने की है और हुए नुकसान या पाए गए दोष की सूचना भी देगा।

(3) उप-नियम (1) के अनुसरण में अधिरोपित प्रतिषेध तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक कि वायुयान के रजिष्ट्रीकरण के देश का समुचित प्राधिकारी महानिदेशक को यह सूचना नहीं दे देता कि-

(क) सहन किया गया या अभिनिश्चित किया गया नुकसान या दोष दूर कर दिया गया है;

(ख) सहन किया गया नुकसान या पाया गया या अभिनिश्चित किया गया दोष ऐसी प्रकृति का नहीं है जो अभिसमय के अनुसरण में अंगीकृत की गई सुरक्षा की न्यूनतम अपेक्षाओं को निवारित कर सकें;

(ग) किसी मामले विशेष की परिस्थितियों में, वायुयान को यात्रियों के बिना उस स्थान के लिए उड़ान भरने की अनुज्ञा दी जा सकती है जहां वह उड़नयोग्यता की स्थिति में लाया जा सकता है।

(4) उप-नियम (1) के अनुसरण में अधिरोपित प्रतिषेध को हटाने में महानिदेशक वायुयान के प्रचालन पर ऐसी शर्तें अधिरोपित कर सकेगा, जो वायुयान के रजिस्ट्रीकरण के देश के समुचित प्राधिकारी द्वारा महानिदेशक को अधिसूचित की जाएं।

64. अनुरक्षण मानक और प्रमाणीकरण – (1) (क) महानिदेशक किसी भी वायुयान, वायुयान घटक और उपकरण मद के संबंध में वायुयान की निरन्तर उड़नयोग्यता और उसके अनुरक्षण के लिए मानक और शर्तें विनिर्दिष्ट कर सकेगा।

(ख) महानिदेशक अनुरक्षण अपेक्षाओं को अधिसूचित करेगा और अनुरक्षण प्रणाली को निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए अनुमोदित करेगा-

(i) वायुयान की निरंतर उड़नयोग्यता और अपेक्षित अनुरक्षण सुविधाएं;

(ii) उड़ान समय, कैलेंडर समय या किसी अन्य आधार पर अवधि, जो निरीक्षण, परीक्षण, या आमूलचूल परिवर्तन या किसी अन्य अनुरक्षण कार्य के बीच सुरक्षा के साथ बीत सकती है;

(iii) अनुरक्षण के संबंध में रखे गए अभिलेखों की विषय-वस्तु और परिरक्षण की अवधि।

(iv) प्रचालन का प्रकार जिसमें वायुयान लगा हुआ है;

(v) धूल, नमकीन हवा की जलवायु परिस्थितियाँ या अन्य कारक तथा उड़ान मार्ग या प्रयुक्त आधार जैसी कोई भी परिस्थितियाँ जिनका उड़नयोग्यता पर प्रभाव पड़ सकता है; और

(vi) कोई अन्य संबंधित प्रतिफल।

(2) कोई भी वायुयान तब तक नहीं उड़ाया जाएगा जब तक कि-

(क) इसे महानिदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट ऐसी अपेक्षाओं के अनुसार अनुरक्षित रखा गया है;

(ख)वायुयान का अनुरक्षण नियम 85 के तहत अनुज्ञप्ति प्राप्त या अधिकृत व्यक्ति द्वारा या उसके पर्यवेक्षण में किया गया है, या महानिदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट मानदंड के अनुसार अनुमोदित अनुरक्षण संगठन द्वारा लिखित रूप से अधिकृत व्यक्ति द्वारा किया गया है; और

(ग) किए गए सभी अनुरक्षण को महानिदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट 'प्रमाणपत्र' के माध्यम से उस अवधि के भीतर उचित रूप से अनुज्ञप्ति प्राप्त इंजीनियरों या अधिकृत व्यक्तियों द्वारा प्रमाणित किया गया है।

(3) प्रमाणपत्र की विषय-वस्तु, प्रारूप, अवधि या विधिमान्यता, परिरक्षण ऐसे स्वरूप और रीति से होगा जैसा महानिदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए।

(4) कोई भी वायुयान उड़ान शुरू नहीं करेगा यदि इस नियम के अनुसरण में प्रमाणपत्र जारी करने के बाद, उसे अनुमोदित न्यूनतम उपकरण सूची में शामिल मदों के अलावा कोई क्षति हुई हो या कोई दोष प्रकट हुआ हो, जो वायुयान को उड़ान के लिए असुरक्षित बना दे और जिसे, साधारण वैमानिक प्रचलन के अनुसार, पायलट या चालक दल द्वारा ठीक नहीं किया जा सके:

(5) माइक्रोलाइट, लाइट स्पोर्ट एयरक्राफ्ट, जाइरोप्लेन, ग्लाइडर, बैलून या एयरशिप को श्रेणी ए या श्रेणी बी1 या श्रेणी बी3 में अनुज्ञप्ति धारक एयरक्राफ्ट अनुरक्षण इंजीनियर या महानिदेशक द्वारा यथाविनिर्दिष्ट अपेक्षाओं के अधीन प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा प्रमाणित किया जाएगा:

परंतु यह कि महानिदेशक, साधारण या विशेष आदेश द्वारा तथा उस आदेश में विनिर्दिष्ट ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, किसी भी वायुयान को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगा।

65. लॉग बुक और लॉग.— (1) भारत में रजिस्ट्रीकृत सभी वायुयानों के संबंध में निम्नलिखित लॉग बुक रखी और अनुरक्षण की जाएंगी, अर्थात:-

(क) यात्रा लॉगबुक;

(ख) वायुयान लॉगबुक;

(ग) वायुयान में संस्थापित प्रत्येक इंजन के लिए एक इंजन लॉगबुक;

(घ) वायुयान में संस्थापित प्रत्येक अस्थिर पिच प्रोपेलर के लिए प्रोपेलर लॉग बुक;

(ड.) उस वायुयान के लिए, जिसमें रेडियो साधित्र लगाए गए हों, एक रेडियो साधित्र लॉगबुक;

(च) कोई अन्य लॉगबुक जो महानिदेशक द्वारा अपेक्षित हो।

(2) महानिदेशक यह अपेक्षा कर सकेगा कि वायुयान की बाबत तकनीकी लॉग या उड़ान लॉग उपलब्ध कराया जाए और ऐसी रीति से अनुरक्षित की जाए जो उसके द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए;

(3) (क) लॉग बुक ऐसे प्रकार की होंगी और उनमें ऐसी जानकारी, प्रविष्टियाँ तथा प्रमाणन होंगे जैसे महानिदेशक द्वारा यथाविनिर्दिष्ट किए जाए।

(ख) लॉग बुक तथा लॉग ऐसे समय तक परिरक्षित की जाएगी जैसा महानिदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए।

स्पष्टीकरण.- इस नियम के प्रयोजन के लिए, "यात्रा लॉग बुक" पद के अधीन अपेक्षित सूचना अभिलिखित करने का कोई ऐसा अन्य रूप या रीति शामिल है और जो महानिदेशक को स्वीकार्य हो।

ग. संगठन

66. अनुमोदित संगठन.— (1) (क) इस नियम में 'संगठन' से अभिप्रेत ऐसे संगठन या व्यक्ति से है, जो निम्नलिखित में से एक या अधिक क्रियाकलापों में संलग्न है, अर्थात:-

(i) वायुयान घटकों सामग्री, फोर्जिंग, कास्टिंग, मानक पुर्जों के डिजाइन सहित वायुयान के निर्माण,संशोधन और इंजन, प्रोपेलर की मरम्मत;

(ii) विमानन ईंधन, स्नेहक, विशेष उत्पादों का विनिर्माण, संयोजन, सम्मिश्रण, परीक्षण, भंडारण, वितरण और आपूर्ति;

(iii) वायुयान घटकों सहित वैमानिक उत्पादों का अनुरक्षण, आमूलचूल परिवर्तन, मरम्मत, निरीक्षण, उपचार, प्रोसेसिंग;

(iv) नियम 199 के अधीन आने वाले विमानों को छोड़कर अन्य गैर-जटिल मोटर चालित विमानों की निरंतर उड़नयोग्यता का अनुरक्षण और प्रबंधन।

(ख) इस नियम में 'मैनुअल' से अभिप्रेत गुणवत्ता मैनुअल, अनुरक्षण संगठन प्रदर्शनी, संयुक्त उड़नयोग्यता प्रदर्शनी, अनुरक्षण संगठन मैनुअल, उत्पादन संगठन प्रदर्शनी, डिजाइन संगठन मैनुअल, सुरक्षा प्रबंधन

प्रणाली मैनुअल से है, जिसे उप-नियम (4) के अधीन किसी संगठन द्वारा उपलब्ध कराया जाना अपेक्षित है।

(2) संगठन के पास योग्य और प्रशिक्षित कर्मचारी तथा परीक्षण और निरीक्षण सहायता के लिए आवश्यक उपकरण सहित पर्याप्त सुविधाएं होंगी।

(3)(क) कोई संगठन उप-नियम (1) के खंड (क) के अधीन सूचीबद्ध एक या अधिक कार्यकलापों में संलग्न नहीं होगा, जब तक महानिदेशक द्वारा अनुमोदन प्रदान नहीं किया जाता है।

(ख) खंड (क) के अधीन अनुमोदन के लिए अनुरोध महानिदेशक को उनके द्वारा यथाविनिर्दिष्ट प्रारूप और तरीके से नियम 68 के अधीन निर्धारित शुल्क के साथ किया जाएगा।

(4) महानिदेशक इस बात से संतुष्ट होने पर अनुमोदन प्रदान कर सकते हैं कि आवेदक ने उनके द्वारा विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं का अनुपालन किया है।

(5) इस प्रकार प्रदान किया गया अनुमोदन महानिदेशक द्वारा यथाविनिर्दिष्ट ऐसे निबंधन और शर्तों के अध्यधीन होगा।

(6) प्रत्येक संगठन जो निम्नलिखित कार्यकलापों में से एक या अधिक में संलग्न है -

(i) उप-नियम (1) के खंड (क) के उप-खंड (i) के अधीन वैमानिक उत्पाद का टाइप डिजाइन;
(ii) उप-नियम (1) के खंड (क) के उप-खंड (ii) के अधीन वैमानिक उत्पाद का विनिर्माण;
(iii) उप-नियम (1) के खंड (क) के उप-खंड (iii) के अधीन विमान या हेलीकॉप्टर का अनुरक्षण;

महानिदेशक द्वारा यथाविनिर्दिष्ट सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली स्थापित करेगा और उसका अनुरक्षण करेगा।

(7) उप-नियम (4) के अधीन प्रदान किया गया अनुमोदन, जब तक कि निलंबित या रद्द न कर दिया जाए, पांच वर्ष से अनधिक की अवधि के लिए विधिमान्य रहेगा और संतुष्ट होने पर महानिदेशक अनुमोदन को आगे और पांच वर्ष की अवधि के लिए नवीकृत कर सकेगा:

परंतु उप-नियम (1) के खंड (क) के उप-खंड (iii) के अधीन उल्लिखित कार्यकलापों के लिए उप-नियम (4) के अधीन प्रदान किया गया अनुमोदन, जब तक कि निलंबित या रद्द न कर दिया जाए, महानिदेशक द्वारा यथाविनिर्दिष्ट अपेक्षाओं के अनुपालन पर दस वर्ष से अनधिक अवधि के लिए विधिमान्य रहेगा और संतुष्ट होने पर महानिदेशक अनुमोदन को आगे और दस वर्ष की अवधि के लिए नवीकृत कर सकेगा।

(8) कोई अनुमोदित संगठन या व्यक्ति किसी भी समय अपने कार्यक्षेत्र के विस्तार के लिए महानिदेशक से संपर्क कर सकता है और महानिदेशक, इस बात से संतुष्ट होने पर कि विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं का अनुपालन किया गया है, अनुरोध के अनुसार या किसी विशिष्ट स्तर तक, जैसा उचित समझे, कार्यक्षेत्र के विस्तार के लिए अनुमोदन दे सकता है। इस उप-नियम के अधीन दिए गए कार्यक्षेत्र के विस्तार की स्वीकृति, यदि कोई हो, केवल मूल अनुमोदन की विधिमान्यता की तारीख तक ही विधिमान्य होगी।

(9) (क) अनुमोदित संगठन अपने कार्मिकों के उपयोग और मार्गदर्शन के लिए मैनुअल उपलब्ध कराएगा, जिसमें उस संगठन की कार्यकलापों से संबंधित नीतियों, प्रक्रियाओं, प्रथाओं और गुणवत्ता नियंत्रण विधियों से संबंधित जानकारी का विवरण होगा जैसा कि महानिदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट किया जा सकता है।

(ख) मैनुअल की पूर्ण प्रति या मैनुअल के ऐसे भाग, जैसा महानिदेशक निर्देश दें, अनुमोदन के लिए नागर विमानन महानिदेशालय के समुचित क्षेत्रीय कार्यालय को प्रस्तुत किए जाएंगे।

(ग) अनुमोदित संगठन अपने मैनुअल को समय-समय पर संशोधित करेगा,, संगठन में परिवर्तन के फलस्वरूप , जब भी आवश्यक हो ,कार्यक्षेत्र में परिवर्तन तथा प्रथाओं एवं प्रक्रियाओं में परिवर्तन महानिदेशक के पूर्व अनुमोदन के अधीन होगा।

(10) मैनुअल और उसमें किए गए संशोधनों की प्रतियां अनुमोदित संगठन द्वारा अपने ऐसे कार्मिकों को, महानिदेशक को तथा संगठन के कार्य से संबद्ध ऐसे अन्य व्यक्ति को, जिन्हें महानिदेशक विनिर्दिष्ट करें, उपलब्ध कराई जाएंगी।

(11) संगठन के कर्मचारियों को मैनुअल में यथा अंतर्विष्ट अपने कर्तव्यों से संबंधित सभी अनुदेशों का अनुपालन करना होगा।

(12) संगठन यह सुनिश्चित करेगा कि उसके कार्मिकों को आवश्यक निर्देश देने के लिए प्रावधान किया गया है, जो अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों के उचित निर्वहन के लिए प्रमाणित करने के लिए अधिकृत हैं।

(13)(क) संगठन को अपनी कार्यकलापों का पूरा रिकॉर्ड और ऐसे अन्य रिकॉर्ड रखने होंगे, जिनकी महानिदेशक द्वारा आवश्यकता हो।

(ख) रिकॉर्ड, रिपोर्ट, लॉग, रेखाचित्र, महानिदेशक को निरीक्षण और जाँच के लिए तथा उनके निर्देशानुसार समय पर उपलब्ध कराए जाएँगे।

(ग) रिकॉर्ड महानिदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट ऐसी अवधि के लिए रखे जाएँगे।

(14) किसी भी नियम के प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, महानिदेशक संगठन या व्यक्ति को सुनवाई का अवसर देने के बाद, किसी अनुमोदन को रद्द, निलंबित या निर्बंधित कर सकता है या संगठन या व्यक्ति को चेतावनी या भर्त्सना जारी कर सकता है, जहां वह संतुष्ट है कि-

(क) महानिदेशक द्वारा इस नियम के अधीन या नागर विमानन अपेक्षाओं के अधीन निर्धारित शर्तों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है;

(ख) संगठन या व्यक्ति ने ऐसे कार्य का निष्पादन किया है या ऐसे कार्य के संबंध में प्रमाण-पत्र प्रदान किया है जो सावधानीपूर्वक या सक्षम तरीके से नहीं किया गया है या उसके या उसके अनुमोदन के दायरे से बाहर कार्य किया है या उसके संबंध में उचित प्रविष्टियां और प्रमाणन करने में विफल रहा है या किसी अन्य कारण से जिसे महानिदेशक द्वारा इस नियम के तहत दिए गए अनुमोदन को रद्द करने, निलंबित करने या निर्बंधित करने या चेतावनी या भर्त्सना जारी करने के लिए पर्याप्त माना जाता है।

67. विदेशी अनुमोदित संगठन की स्वीकृति.– (1) नियम 66 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, महानिदेशक, इस संबंध में महानिदेशक द्वारा यथाविनिर्दिष्ट अपेक्षाओं के अनुसार वायुयान, इंजन और घटकों के अनुरक्षण के प्रयोजन के लिए किसी विदेशी अनुमोदित संगठन को स्वीकार कर सकेगा।

(2) उप-नियम (1) के अधीन दी गई स्वीकृति, जब तक कि उसे निलंबित या रद्द न कर दिया जाए, दो वर्ष से अनधिक अवधि के लिए विधिमान्य रहेगी और संतुष्ट होने पर महानिदेशक उसे एक बार में आगे अधिकतम दो वर्ष की अवधि के लिए नवीकृत कर सकेगा।

(3) इन नियमों के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, महानिदेशक ऐसी जांच करने के पश्चात, जैसा महानिदेशक उपयुक्त समझे, तथा उप-नियम (1) में प्रदत्त संगठन को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात, किसी स्वीकृति को रद्द, निलंबित या निर्बंधित कर सकेगा या उक्त संगठन को चेतावनी या भर्त्सना जारी कर सकेगा, जहां उसका समाधान हो जाता है कि-

(क) महानिदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं का अनुपालन नहीं किया जा रहा है; या

(ख) संगठन ने ऐसे कार्य का पालन नहीं किया है या ऐसे कार्य के संबंध में प्रमाण-पत्र प्रदान नहीं किया है जो सावधानीपूर्वक या सक्षम रीति से नहीं किया गया है, या

(ग)अपने स्वीकृति के दायरे से बाहर कार्य किया है, या

(घ) उसके संबंध में उचित प्रविष्टियां और प्रमाणन करने में विफल रहा है, या

(ड.) किसी अन्य कारण से।

घ. फीस

68. फीस.– (1) नीचे विनिर्दिष्ट किसी भी प्रकार का कोई भी प्रमाण-पत्र तब तक जारी या विधिमान्य नहीं किया जाएगा, जब तक कि ऐसे प्रमाण-पत्र के संबंध में निम्नलिखित फीस का भुगतान नहीं किया जाता है, अर्थात: -

(क) नियम 27 के अधीन टाइप प्रमाणपत्र या निर्बंधित टाइप प्रमाणपत्र जारी करना :

(i) अधिकतम डिजाइन टेक-ऑफ वजन वाले वायुयान के लिए-	
(क) 1,000 किलोग्राम या उससे कम	40,000 रुपये
(ख) 1,000 किलोग्राम से अधिक होने पर, प्रत्येक 1000 किलोग्राम के लिए या उसका कोई भाग	20,000 रुपये
(ii) इंजनों के लिए -	
(क) टरबाइन	20,00,000 रुपये

(ख) गैर-टर्बाइन	4,00,000 रुपये
(iii) प्रोपेलर के लिए	4,00,000 रुपये

(ख) नियम 28 के अधीन टाइप प्रमाणपत्र या निर्बंधित टाइप प्रमाणपत्र या पूरक प्रमाणपत्र का विधिमान्यकरण :

(i) प्रचालन के प्रयोजनों के लिए टाइप प्रमाणपत्र या निर्बंधित टाइप प्रमाणपत्र के विधिमान्यकरण के लिए फीस, खंड (क) के अधीन देय फीस का पच्चीस प्रतिशत होगा।

(ii) अनुज्ञप्ति प्राप्त उत्पादन के प्रयोजनों के लिए टाइप प्रमाण पत्र या निर्बंधित टाइप प्रमाण पत्र के विधिमान्यकरण के लिए फीस, खंड (क) के अधीन देय फीस का पचास प्रतिशत होगा।

(iii) अनुपूरक प्रकार प्रमाण पत्र के विधिमान्यकरण के लिए फीस, खंड (घ) के अधीन देय फीस का पचास प्रतिशत होगा।

(ग) नियम 29 के अधीन वैमानिक उत्पाद के टाइप प्रमाणपत्र या निर्बंधित टाइप प्रमाणपत्र की स्वीकृति: किसी वैमानिकी उत्पाद के टाइप प्रमाण-पत्र या निर्बंधित टाइप प्रमाण-पत्र की स्वीकृति के लिए फीस, खंड (ख) उप-खंड (i) के अधीन देय फीस का पच्चीस प्रतिशत होगा।

(घ) नियम 30 के अधीन वैमानिक उत्पाद के संबंध में अनुपूरक टाइप प्रमाणपत्र जारी करना:

(i) अधिकतम डिज़ाइन टेक-ऑफ वजन वाले वायुयान के लिए-	
(क) 1,000 किलोग्राम या उससे कम	10,000 रुपये
(ख) 1,000 किलोग्राम से अधिक होने पर, प्रत्येक 1,000 किलोग्राम या उसके भाग के लिए	5,000 रुपये
(ii) इंजनों के लिए -	
(क) टरबाइन	5,00,000 रुपये
(ख) गैर-टर्बाइन	1,00,000 रुपये
(iii) प्रोपेलर के लिए	1,00,000 रुपये

(ड.) नियम 33 के अधीन संविदाकारी राज्य द्वारा जारी अनुपूरक टाइप प्रमाणपत्र की स्वीकृति: किसी वैमानिक उत्पाद के अनुपूरक टाइप प्रमाणपत्र की स्वीकृति के लिए फीस, खंड (घ) उप-खंड (i) से (iii) के अधीन देय फीस का पच्चीस प्रतिशत होगा।

टिप्पण: इस नियम के प्रयोजनों के लिए अधिकतम स्वीकार्य टेक-ऑफ वजन वायुयान के उड़ान मैनुअल में दर्शाए गए अनुसार होगा।

(च) नियम 34 के अधीन डिजाइन की स्वीकृति: डिजाइन की स्वीकृति के लिए फीस, खंड (क) के अधीन देय फीस का पचास प्रतिशत होगा।

(छ) नियम 38 के अधीन वायुयान घटक के डिजाइन और विनिर्माण के लिए प्राधिकरण ;

प्रत्येक वायुयान घटक के लिए	40,000 रुपये

(ज) नियम 52 के अधीन उपांतरण और मरम्मत का अनुमोदन: -

(i) अधिकतम डिज़ाइन टेक-ऑफ वजन वाले वायुयान के लिए-	
(क) 1,000 किलोग्राम या उससे कम	10,000 रुपये
(ख) 1,000 किलोग्राम से अधिक होने पर, प्रत्येक 1,000 किलोग्राम या उसके भाग के लिए	5,000 रुपये
(ii) इंजनों के लिए -	
(क) टरबाइन	5,00,000 रुपये
(ख) गैर-टर्बाइन	1,00,000 रुपये
(iii) प्रोपेलर के लिए	1,00,000 रुपये
टिप्पण : I. वैमानिकी उत्पाद के आंशिक उपांतरण या मरम्मत के लिए फीस, खंड (ज) के अधीन देय फीस का पचास प्रतिशत होगा। II. अनुपूरक प्रकार प्रमाणपत्र के अधीन आने वाले उत्पाद के भाग में आंशिक उपांतरण या मरम्मत के लिए फीस, खंड (घ) के अधीन देय फीस का पचास प्रतिशत होगा।	

(2) (क) अधिकतम अनुज्ञेय टेक ऑफ वजन वाले वायुयान के लिए रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के संबंध में नियम 39 के अधीन देय फीस निम्नलिखित होगा, अर्थात :-

(I) 15,000 कि. ग्रा. या इससे कम	20,000 रु.

(।।) 15,000 कि. ग्रा. से अधिक, प्रत्येक 1,000 कि.ग्रा. या उसके भाग के लिए	5,000 रु.

टिप्पण: इस खंड के प्रयोजन के लिए, अधिकतम टेक-ऑफ वजन वायुयान के उड़ान मैनुअल में दर्शाए गए अनुसार होगा।

(ख) जहां मूल रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र खो गया हो या नष्ट हो गया हो, वहां खंड (क) के अधीन देय फीस के दस प्रतिशत का भुगतान करने पर उसकी दूसरी अनुलिपि जारी की जा सकेगी ।

(ग) नियम 41 में संदर्भित अस्थायी रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र खंड (क) के अधीन देय फीस के पच्चीस प्रतिशत का भुगतान करने पर जारी किया जा सकेगा ।

(घ) खण्ड (क) के अधीन देय फीस के पचास प्रतिशत का भुगतान करने पर नियम 42 या नियम 43 के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र जारी किया जा सकेगा।

(ड.) रजिस्ट्रीकरण चिह्न आरक्षित करने के लिए दस हजार रुपए का फीस देय होगा तथा एक बार में दस हजार रुपए का भुगतान करने पर ऐसे आरक्षण को आगे बढ़ाया जा सकेगा।

(च) आवेदक को रजिस्ट्रीकरण रद्द करने का प्रमाण पत्र जारी करने के लिए नियम 44 के अधीन देय फीस पच्चीस हजार रुपये होगा।

(छ) वायुयान का मोड-एस पता जारी करने के लिए नियम 60 के अधीन देय फीस बीस हजार रुपये होगा।

(3) नियम 49 के अधीन उड़नयोग्यता प्रमाणपत्र जारी करना या मान्य करना, विशेष उड़नयोग्यता प्रमाणपत्र जारी करना, और उड़नयोग्यता समीक्षा प्रमाणपत्र उसका विस्तार करना तथा नियम 50 के अधीन ध्वनि प्रमाण पत्र जारी करना या:

(i) अधिकतम स्वीकार्य टेक-ऑफ भार वाले वायुयान के लिए उड़नयोग्यता प्रमाणपत्र/विशेष उड़नयोग्यता प्रमाणपत्र जारी करना –	
(क) 1,000 किलोग्राम या उससे कम	20,000 रुपये
(ख) 1,000 किलोग्राम से अधिक होने पर, प्रत्येक 1,000 किलोग्राम या उसके भाग के लिए	1,000 रुपये
(ii) उड़नयोग्यता प्रमाणपत्र या विशेष उड़नयोग्यता प्रमाणपत्र का विधिमान्यकरण	खंड (i) के अधीन देय फीस का पचास प्रतिशत, जैसा लागू हो।
(iii) उड़नयोग्यता समीक्षा प्रमाणपत्र जारी करना या उसका विस्तार करना या विशेष उड़नयोग्यता प्रमाणपत्र का नवीनीकरण करना या उड़नयोग्यता	खंड (i) के अधीन देय फीस का पचास प्रतिशत, जैसा लागू हो।

प्रमाणपत्र या विशेष उड़नयोग्यता प्रमाणपत्र में संशोधन करना	
(iv) उड़नयोग्यता प्रमाणपत्र या उड़नयोग्यता समीक्षा प्रमाणपत्र या उड़नयोग्यता विशेष प्रमाणपत्र की अनुलिपि जारी करना	खंड (i) के अधीन देय फीस का दस प्रतिशत, जैसा लागू हो।
(v) उड़नयोग्यता प्रमाणपत्र या उड़नयोग्यता के विशेष प्रमाणपत्र में श्रेणी /उप-श्रेणी में परिवर्तन	खंड (i) के अधीन देय फीस का पच्चीस प्रतिशत, जैसा लागू हो।
(vi) विशेष उड़ान अनुज्ञापत्र जारी करना	खंड (i) के अधीन देय फीस का दस प्रतिशत, जैसा लागू हो।
(vii) ध्वनि प्रमाण पत्र जारी करना	खंड (i) के अधीन देय फीस का पचास प्रतिशत।
(viii) ध्वनि प्रमाणपत्र में किसी भी संशोधन या पुनः जारी करने के लिए	खंड (i) के अधीन देय फीस का पच्चीस प्रतिशत।

(4) यदि उप-नियम (1) और उप-नियम (3) में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए तकनीकी मूल्यांकन, निरीक्षण, जांच या परीक्षण भारत के बाहर किसी स्थान पर किया जाना आवश्यक हो तो प्रति व्यक्ति दो लाख पचास हजार रुपए अतिरिक्त रकम या स्थानीय यान फीस, होटल फीस और महंगाई भत्ते सहित यात्रा व्यय, जो भी अधिक हो, देय होगा।

(5) किसी संगठन के संबंध में नियम 66 के अधीन अनुमोदन प्रदान करने के लिए निम्नलिखित फीस देय होगी-

(i) पचास कर्मचारी	2,00,000 रुपए
(ii) पचास से अधिक तथा दो सौ कर्मचारियों तक	4,00,000 रुपए
(iii) 200 से अधिक कर्मचारी	8,00,000 रुपए

(6) नियम 66 के अधीन अनुमोदन की व्याप्ति के नवीकरण या विस्तार अथवा नियम 67 के अधीन अनुमोदन की स्वीकृति या स्वीकृति के विस्तार के लिए फीस उप-नियम (5) के अधीन संदेय फीस का पचास प्रतिशत होगा।

(7) यदि नियम 66 के अधीन अनुमोदन प्रदान करने या उसके नवीकरण या विस्तार के लिए निरीक्षण, लेखापरीक्षा या निगरानी भारत से बाहर किसी स्थान पर की जानी अपेक्षित हो, तो प्रति व्यक्ति दो लाख पचास हजार रुपए की अतिरिक्त रकम या प्रतिदिन स्थानीय यान, होटल फीस और महंगाई भत्ते सहित यात्रा व्यय, जो भी अधिक हो, देय होगा।

(8) यदि नियम 67 के अधीन अनुमोदन की स्वीकृति या स्वीकृति के नवीकरण या स्वीकृति के विस्तार के संबंध में निरीक्षण, लेखा परीक्षा या निगरानी भारत के बाहर किसी स्थान पर किया जाना अपेक्षित है, तो प्रति व्यक्ति दो लाख पचास हजार रुपए की अतिरिक्त रकम या स्थानीय यान, होटल प्रभार और महंगाई भत्ते सहित यात्रा व्यय, जो भी अधिक हो, देय होगा।

(9) इस नियम के अधीन किसी संगठन या व्यक्ति से उसके अपने वायुयान के लिए उपयोग किए जाने वाले वायुयान ईंधन, स्नेहक और इसी प्रकार के अन्य उत्पादों के भंडारण, वितरण और आपूर्ति के लिए कोई प्रभार नहीं लिया जाएगा।

(10) जहां किसी भी कारण से, अनुज्ञप्ति या प्राधिकार या प्रमाणपत्र जारी, नवीकृत या विधिमान्य नहीं किया गया है, जैसा भी मामला हो, तो महानिदेशक आवेदक को, प्रदत्त फीस का ऐसा हिस्सा वापस कर सकता है जो किसी ऐसी परीक्षा या परीक्षण या निरीक्षण की लागत को दर्शाता है, जो नहीं किया गया है या किसी ऐसी अनुज्ञप्ति, प्राधिकार या प्रमाणपत्र की लागत को दर्शाता है जो जारी या नवीनीकृत या विधिमान्य नहीं किया गया है, जैसा भी मामला हो।

(11) फीस का भुगतान महानिदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट रीति से इलेक्ट्रॉनिक रूप से किया जाएगा।

अध्याय-4

कार्मिक

क. कार्मिक को अनुज्ञप्ति देना

69. अनुज्ञप्ति प्राधिकारी.— (1) जिस प्राधिकारी के द्वारा नीचे विनिर्दिष्ट अनुज्ञप्ति और रेटिंग प्रदान की जा सकेगी, नवीकृत, विस्तारित की जा सकेगी या उनमें परिवर्तन किया जा सकेगा, वह केन्द्रीय सरकार होगी, जो किसी अनुज्ञप्ति या रेटिंग प्रदान करने या उसके नवीकरण को रोक सकेगी, यदि किसी कारणवश वह ऐसा करना वांछनीय समझे-

(क) छात्र पायलट अनुज्ञप्ति (विमान, हेलीकॉप्टर, जायरोप्लेन, ग्लाइडर, बैलून, माइक्रोलाइट वायुयान और लाइट स्पोर्ट वायुयान के लिए);

(ख) निजी पायलट अनुज्ञप्ति (विमान और हेलीकॉप्टर के लिए);

(ग) वाणिज्यिक पायलट अनुज्ञप्ति (विमान और हेलीकॉप्टर के लिए),

(घ) एयरलाइन ट्रांसपोर्ट पायलट अनुज्ञप्ति (विमान और हेलीकॉप्टर के लिए),

(ङ) उपस्कर रेटिंग (विमान और हेलीकॉप्टर के लिए),

(च) सहायक उड़ान अनुदेशक की रेटिंग (विमान और हेलीकॉप्टर के लिए),

(छ) उड़ान अनुदेशक की रेटिंग (विमान और हेलीकॉप्टर के लिए),

(ज) पायलट अनुज्ञप्ति (ग्लाइडर, बैलून, माइक्रोलाइट वायुयान, लाइट स्पोर्ट वायुयान और जायरोप्लेन के लिए),

(झ) छात्र उड़ान दिक्चालन अनुज्ञप्ति,

(ञ) उड़ान दिक्चालक अनुज्ञप्ति,

(ट) छात्र उड़ान इंजीनियर अनुज्ञप्ति

(ठ) उड़ान इंजीनियर अनुज्ञप्ति,

(ड) उड़ान रेडियो टेलीफोन ऑपरेटर अनुज्ञप्ति,

(ढ) उड़ान रेडियो टेलीफोन ऑपरेटर अनुज्ञप्ति (प्रतिबंधित),

(ण) छात्र वायु यातायात नियंत्रक अनुज्ञप्ति

(त) वायु यातायात नियंत्रक की अनुज्ञप्ति

(थ) विमान क्षेत्र नियंत्रण रेटिंग

(द) अप्रोच नियंत्रण प्रक्रियात्मक रेटिंग

(ध) अप्रोच नियंत्रण निगरानी रेटिंग

(न) क्षेत्र नियंत्रण प्रक्रियात्मक रेटिंग

(प) क्षेत्र नियंत्रण निगरानी रेटिंग

(फ) महासागरीय नियंत्रण रेटिंग

(ब) रेडियो टेलीफोन ऑपरेटर (प्रतिबंधित) प्रमाणपत्र और अनुज्ञप्ति।

(2) अनुज्ञप्ति या रेटिंग प्रदान करने या नवीकरण से पहले, अनुज्ञप्ति प्राधिकारी स्वयं यह तसल्ली करेगा कि आवेदक इन नियमों के अधीन यथाविनिर्दिष्ट आयु, अर्हता, चिकित्सा मानक, ज्ञान, अनुभव, प्रशिक्षण और कौशल संबंधी अपेक्षाओं को पूरा करता है।

(3) अनुज्ञप्ति तब तक विधिमान्य नहीं होगी जब तक उस पर धारक के हस्ताक्षर न हों।

(4) अनुज्ञप्ति उसमें विनिर्दिष्ट अवधि के लिए विधिमान्य रहेगी जो इन नियमों के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि से अधिक नहीं होगी जब तक कि इसे पहले निलंबित या रद्द नहीं कर दिया जाता है।

(5) अनुज्ञप्ति प्राधिकारी किसी अनुज्ञप्ति या रेटिंग को रद्द, निलंबित या परिवर्तित कर सकता है, यदि वह संतुष्ट हो कि ऐसा करने के लिए उचित कारण हैं:

परन्तु ऐसी कोई अनुज्ञप्ति या रेटिंग, अनुज्ञप्ति या रेटिंग के धारक को लिखित में कारण बताओ नोटिस दिए बिना रद्द या निलंबित नहीं की जाएगी, उसमें वह आधार सूचित किया जाएगा जिस पर अनुज्ञप्ति या रेटिंग को निलंबित या रद्द करने का प्रस्ताव है और उसे नोटिस में विनिर्दिष्ट उचित समय के भीतर लिखित में अभ्यावेदन करने का उचित अवसर दिया जाएगा और यदि वह व्यक्ति ऐसा चाहे तो उसे सुनवाई का अवसर दिया जाएगा।

(6) उप-नियम (5) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि लोक सुरक्षा हित में ऐसा करना आवश्यक है, तो वह कारणों को लिखित में अभिलिखित करके, आगे की जांच करने की दृष्टि से अनुज्ञप्ति या रेटिंग को सरसरी तौर पर निलंबित कर सकेगी।

70. अनुज्ञप्ति धारण करने या प्राप्त करने में अयोग्यता.- (1) जहां उसे सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् अनुज्ञप्ति प्राधिकारी को यह संतुष्टि हो जाती है कि कोई व्यक्ति-

(क) शराब का सेवन करने में आदतन असंयत है, या मादक पदार्थों, ड्रग्स आदि लेने का आदी है, या

(ख) किसी संज्ञेय अपराध के लिए या इन नियमों का उल्लंघन करते हुए वायुयान का उपयोग कर रहा है, कर चुका है या करने वाला है, या

(ग) किसी वायुयान के चालक दल के सदस्य, वायु यातायात नियंत्रक या वायुयान अनुरक्षण इंजीनियर, जैसा भी मामला हो, के रूप में अपने पिछले आचरण से यह दर्शाया है कि वह अपने रोजगार से संबंधित कर्तव्यों के निर्वहन में गैर-उत्तरदायी है या वायुयान या उसमें ले जाए जा रहे किसी व्यक्ति या चीज की, या वायु में या जमीन पर अन्य वायुयान या व्यक्तियों या चीजों की सुरक्षा को खतरा पहुंचाने की संभावना है, या

(घ) वह एक आदतन अपराधी है या उसे भारत में किसी न्यायालय या न्यायाधिकरण द्वारा नैतिक अधमता, कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न या जघन्य अपराध की श्रेणी में आने वाले किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है, या

(ङ) महत्वपूर्ण जानकारी को दबाकर या गलत जानकारी के आधार पर अनुज्ञप्ति, रेटिंग, वायुयान प्रकार रेटिंग या वायुयान प्रकार रेटिंग का विस्तार, या इनमें से किसी के नवीकरण के लिए आवेदन किया है या प्राप्त किया है, या

(च) किसी लाइसेंस या रेटिंग या किसी अन्य संगत दस्तावेज़ में दर्ज विवरण में अनाधिकृत रूप से परिवर्तन किया है या छेड़छाड़ की है, तो

अनुज्ञप्ति प्राधिकारी, लिखित में कारण अभिलिखित करके विनिर्दिष्ट अवधि के लिए उस व्यक्ति को अनुज्ञप्ति रखने या प्राप्त करने से अयोग्य घोषित करने का आदेश दे सकेगा।

(2) केन्द्रीय सरकार किसी व्यक्ति को नियम 69 में उल्लिखित कोई अनुज्ञप्ति या रेटिंग रखने से स्थायी रूप से या अस्थायी रूप से रोक सकती है, यदि उसकी राय में लोक हित में ऐसा करना आवश्यक हो।

(3) उप-नियम (1) या उप-नियम (2) के अधीन कोई आदेश जारी होने पर -

(क) यदि प्रभावित व्यक्ति भौतिक अनुज्ञप्ति धारक है तो, उसे अपनी अनुज्ञप्ति तुरंत अनुज्ञप्ति प्राधिकारी को सौंप देनी चाहिए जबतक कि अनुज्ञप्ति पहले नहीं सौंपी गई हो।

(ख) इलेक्ट्रॉनिक रुप से जारी अनुज्ञप्ति को रद्द कर दिया जाएगा।

(ग) अनुज्ञप्ति प्राधिकारी भौतिक अनुज्ञप्ति को उस अवधि की समाप्ति तक अपने पास रखेगा जिस अवधि तक व्यक्ति को अयोग्य घोषित किया गया है या उसे वर्जित किया गया है, या यदि उसे स्थायी रूप से वर्जित किया गया है, तो 5 वर्ष की अवधि तक रखेगा।

71. अनुज्ञप्ति या रेटिंग विनिर्देश.— इन नियमों के अधीन जारी अनुज्ञप्ति या रेटिंग महानिदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट प्रारूप और विवरण में होगी।

1. पायलट और फ्लाइट इंजीनियर

72. कार्मिकों को अनुज्ञप्ति.— **(1)** प्रत्येक वायुयान में इस अध्याय में विहित कार्मिकों को ले जाया जाएगा और उनके द्वारा प्रचालित किया जाएगा तथा ऐसे कार्मिकों को इस अध्याय में तथा प्रथम अनुसूची में निर्धारित रीति से अनुज्ञप्ति दी जाएगी।

(2) भारत में रजिस्ट्रीकृत नहीं होने वाले वायुयान में उस देश की विधियों द्वारा निर्धारित कार्मिक ही होंगे जिसमें वह रजिस्ट्रीकृत है और ऐसे कार्मिकों को उस देश की विधियों के अनुसार अनुज्ञप्ति दी जाएगी।

73. रेटिंग में सम्मिलित किए जाने वाले वायुयान का प्रकार— कोई भी व्यक्ति ऐसे वायुयान के पायलट के रूप में उड़ान नहीं भरेगा जो नियम 74 और 75 में यथाउपबंधित के सिवाय अनुज्ञप्ति की वायुयान रेटिंग में सम्मिलित या प्रविष्ट नहीं है।

74. अनुज्ञप्ति विस्तार के लिए योग्यता प्राप्त करने वाली उड़ानें— पायलट अनुज्ञप्ति का धारक भारतीय क्षेत्र में ऐसे प्रकार के वायुयान के पायलट के रूप में उड़ान भर सकता है जो उसकी अनुज्ञप्ति की वायुयान रेटिंग में सम्मिलित नहीं है, ताकि ऐसे प्रकार के वायुयान को सम्मिलित करने के लिए योग्यता प्राप्त की जा सके:

परंतु जब वह इस प्रकार विमान उड़ा रहा हो तो किसी व्यक्ति को वायुयान पर तब तक नहीं ले जाया जाएगा जब तक कि वह-

(क) ऐसा व्यक्ति न हो, जिसे नियमानुसार प्रचालन दल के सदस्य के रूप में ले जाना अपेक्षित हो, या

(ख) ऐसा व्यक्ति जो, वायुयान के प्रचालक की सहमति से, प्रचालन दल के सदस्य के रूप में प्रशिक्षण प्राप्त करने के उद्देश्य से वायुयान उड़ा रहा हो, या

(ग) ऐसा व्यक्ति जिसका प्रशिक्षण देने या उसका पर्यवेक्षण करने अथवा उड़ान परीक्षण करने के प्रयोजनार्थ वायुयान पर होना अपेक्षित हो , अथवा

(घ) ऐसा व्यक्ति जिसे महानिदेशक द्वारा विशेष रूप से प्राधिकृत किया गया हो:

परंतु यह और कि ऐसी उड़ानें अनुज्ञप्ति प्राप्त विमान क्षेत्र या सरकारी विमान क्षेत्र के स्थानीय उड़ान क्षेत्र या निर्दिष्ट उड़ान क्षेत्र के भीतर की जाती हैं और उड़ान की पूर्व सूचना उस विमान क्षेत्र के प्रभारी को दी जाती है जहाँ से उड़ान भरी जाती है:

परंतु यह और भी कि, मार्ग उड़ान (दिक्चालन) के साथ-साथ सामान्य उड़ान सीखने के लिए भारतीय क्षेत्र के भीतर स्थानीय उड़ान क्षेत्र से दूर के क्षेत्रों में भी प्रशिक्षक के साथ दोहरी उड़ान भरने के लिए कोई प्रतिबंध नहीं है।

75. **परीक्षण और विशेष प्रयोजनों के लिए अन्य विशिष्ट गैर-राजस्व उड़ानें**.— महानिदेशक अनुज्ञप्ति धारक को अनुज्ञप्ति की वायुयान रेटिंग में अभिलिखित न किए गए किसी वायुयान को परीक्षण या गैर-यात्री-वाहक उड़ान के प्रयोजन से उड़ान के लिए प्राधिकृत कर सकते हैं, जो ऐसे प्राधिकरण की शर्तों के अधीन होगा, और प्राधिकरण की विधिमान्यता परीक्षण या विशिष्ट उड़ान को पूरा करने के लिए आवश्यक समय तक सीमित होगी:

परंतु अनुज्ञप्ति धारक यह दर्शाने के लिए साक्ष्य प्रस्तुत करे कि वह ऐसी उड़ान के लिए महानिदेशक द्वारा निर्धारित क्षमता संबंधी अपेक्षाओं को पूरा करता है:

परंतु यह और भी कि जब वायुयान, परीक्षण उड़ान के लिए हो तो, प्रचालक दल के सदस्यों से भिन्न किसी अन्य व्यक्ति को तब तक वायुयान पर नहीं ले जाया जाएगा, जब तक कि उसे महानिदेशक द्वारा विशेष रूप से प्राधिकृत न किया गया हो:

परंतु यह और भी कि परीक्षण उड़ान विनिर्दिष्ट क्षेत्र के भीतर और महानिदेशक द्वारा इस संबंध में निर्धारित शर्तों के अनुसार की जाए तथा उड़ान की पूर्व सूचना उस विमान क्षेत्र के प्रभारी अधिकारी को दी जाए जहां से उड़ान भरी जानी है।

स्पष्टीकरण.- इस नियम के प्रयोजनार्थ,-

(क) वायुयान में गैर-व्यवसायी तौर पर निर्मित वायुयान सम्मिलित होगा; और

(ख) "विशिष्ट विशेष प्रयोजन गैर-राजस्व, गैर-यात्री-वाहक उड़ान" में राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय संकट, प्राकृतिक आपदाओं, आपात स्थितियों अथवा अन्यथा या अनुतोष प्रयोजनों के लिए सामग्री या माल ले जाने के लिए ऐसी उड़ानों की आवश्यकता होने पर केंद्रीय सरकार द्वारा प्राधिकृत उड़ानें सम्मिलित होंगी।

76. अनुज्ञप्ति के लिए न्यूनतम आयु.— किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु, जो अन्यथा योग्य है और जिसे अनुज्ञप्ति प्रदान की जा सकती है, प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट अनुसार होगी ।

77. अनुज्ञप्ति प्राप्त करने के लिए न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता.— किसी भी व्यक्ति को तब तक अनुज्ञप्ति नहीं दी जाएगी जब तक उसके पास प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट शैक्षिक अहर्ता न हो:

परंतु 1 जुलाई, 1993 को या उससे पहले फ्लाइंग क्लब या संस्था में प्रशिक्षण के लिए पहले से नामांकित अभ्यर्थियों को इस नियम के लागू होने से छूट दी जाएगी।

78. चिकित्सा मानक.— (1) नियम 69 के उप-नियम (1) के खंड (क) से (ढ) में निर्दिष्ट कोई अनुज्ञप्ति या रेटिंग, जो वायुयान के किसी कार्मिक के लिए अपेक्षित है, तब तक जारी या नवीकृत नहीं की जाएगी जब तक आवेदक किसी अनुमोदित चिकित्सा प्राधिकारी से चिकित्सा जांच नहीं करा लेता है और महानिदेशक द्वारा अधिसूचित चिकित्सा मानकों को पूरा नहीं करता है:

परंतु यदि अनुमोदित चिकित्सा प्राधिकारी की राय में आवेदक की स्थिति ऐसी नहीं है कि वह अपने अनुज्ञप्ति या रेटिंग की विधिमान्यता की अवधि के दौरान अचानक असमर्थता या अपने कर्तव्यों को सुरक्षित रूप से नही निभाने में कोई खतरा उत्पन्न करे और अपेक्षा की पूर्ति करने में विफलता की भरपाई की जा सकती है और महानिदेशक के पास संतोषजनक प्रमाण है कि आवेदक ने पहले ही अपनी अहर्ता, कौशल और अनुभव अर्जित कर लिया है और उसका प्रदर्शन कर दिया है जो उसकी कमी की भरपाई करता है, तो अनुज्ञप्ति या रेटिंग को किसी विशेष सीमा के साथ नवीकृत या पृष्ठांकित किया जा सकता है, जब उड़ान कर्तव्यों का सुरक्षित निष्पादन ऐसी सीमाओं के अनुपालन पर निर्भर करता है:

परंतु यह और कि सार्वजनिक परिवहन या हवाई कार्य में लगे किसी वायुयान के प्रचालक दल के सदस्य के मामले में, जो किसी ऐसे दूसरे देश के क्षेत्र में ड्यूटी पर है, जहां महानिदेशक द्वारा मान्यता प्राप्त चिकित्सा केंद्र विद्यमान नहीं हैं, महानिदेशक, अभ्यर्थी द्वारा निर्धारित चिकित्सा परीक्षा सफलतापूर्वक उत्तीर्ण किए बिना, तीन-तीन महीने की दो लगातार अवधियों के लिए अनुज्ञप्ति या रेटिंग का नवीकरण कर सकता है, यदि ऐसा अभ्यर्थी आधुनिक चिकित्सा के किसी पंजीकृत व्यवसायी से विहित चिकित्सा मानकों के अनुसार अपनी फिटनेस संबंधी चिकित्सा प्रमाणपत्र प्रस्तुत करता है।

स्पष्टीकरण.- इस उप-नियम के प्रयोजनार्थ 'अनुमोदित चिकित्सा प्राधिकारी' से महानिदेशक द्वारा अनुमोदित चिकित्सा प्राधिकारी अभिप्रेत है।

(2) महानिदेशक किसी भी उड़ान चालक दल के सदस्य को किसी भी समय किसी भी चिकित्सा प्राधिकरण द्वारा चिकित्सा परीक्षा करवाने के लिए कह सकते हैं, यदि उसकी राय में प्रचालन की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ऐसी जांच आवश्यक है।

79. चिकित्सा स्वस्थता मूल्यांकन और अनुज्ञप्ति की विधिमान्यता की अवधि.— (1) विभिन्न श्रेणियों के संबंध में चिकित्सा स्वस्थता मूल्यांकन और अनुज्ञप्ति की विधिमान्यता की अवधि निम्नलिखित सारणी में विनिर्दिष्टानुसार होगी, अर्थात:-

सारणी

क्रम संख्या	**अनुज्ञप्ति की श्रेणी**	**चिकित्सा स्वस्थता मूल्यांकन की विधिमान्यता**	**अनुज्ञप्ति की विधिमान्यता**
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	एयरलाइन ट्रांसपोर्ट पायलट अनुज्ञप्ति (विमान या हेलीकॉप्टर)	बारह माह	दस वर्ष
2.	वाणिज्यिक पायलट अनुज्ञप्ति (विमान या हेलीकॉप्टर) और उड़ान दिक्चालक अनुज्ञप्ति	बारह माह	दस वर्ष
3.	फ्लाइट रेडियो टेलीफोन ऑपरेटर अनुज्ञप्ति	बारह माह	प्रतिबंधित रेडियो टेलीफोन की विधिमान्यता तक
4.	छात्र पायलट अनुज्ञप्ति (विमान या हेलीकॉप्टर या जाइरोप्लेन या माइक्रोलाइट वायुयान या लाइट स्पोर्ट वायुयान या ग्लाइडर या बैलून), छात्र उड़ान दिक्चालक अनुज्ञप्ति और छात्र फ्लाइट इंजीनियर अनुज्ञप्ति	चौबीस माह	दस वर्ष
5.	निजी पायलट अनुज्ञप्ति (विमान या हेलीकॉप्टर), पायलट अनुज्ञप्ति (माइक्रोलाइट वायुयान या जायरोप्लेन या लाइट स्पोर्ट वायुयान या ग्लाइडर या बैलून), फ्लाइट रेडियो टेलीफोन ऑपरेटर अनुज्ञप्ति (प्रतिबंधित) और फ्लाइट इंजीनियर अनुज्ञप्ति।	चौबीस माह	दस वर्ष

(2) प्रारंभिक चिकित्सा स्वस्थता मूल्यांकन की विधिमान्यता की अवधि चिकित्सा जांच की तारीख से प्रारंभ होगी।

(3) नवीकरण के मामले में, चिकित्सा स्वस्थता मूल्यांकन की विधिमान्यता की अवधि पिछले चिकित्सा स्वस्थता मूल्यांकन की समाप्ति की तारीख के पश्चात् की तारीख से आरंभ होगी, परंतु यह तब जबकि नवीकरण के लिए चिकित्सा जांच पिछली विधिमान्यता की समाप्ति की तारीख से पहले अधिकतम पैंतालीस दिनों के अंदर की गई हो।

(4) उप-नियम (3) में निर्दिष्ट मामलों के अतिरिक्त अन्य मामलों में, चिकित्सा स्वस्थता मूल्यांकन के नवीकरण की विधिमान्यता पूर्ण चिकित्सा जांच की तारीख से प्रारंभ होगी।

(5) (क) उप-नियम (1) के अधीन सारणी के क्रम संख्या 1 और 2 के समक्ष विनिर्दिष्ट अनुज्ञप्तियों के संबंध में चिकित्सा स्वस्थता मूल्यांकन की विधिमान्यता की अवधि, एकल चालक दल वाले वाणिज्यिक विमान परिवहन प्रचालनों की स्थिति में अनुज्ञप्ति धारक के चालीस वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के पश्चात् घटकर आधी हो जाएगी तथा बहु-चालक दल वाले वाणिज्यिक विमान परिवहन प्रचालनों की स्थिति में साठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के पश्चात् घटकर आधी हो जाएगी।

(ख) उपनियम (1) के अधीन सारणी के क्रम संख्या 5 के समक्ष विनिर्दिष्ट अनुज्ञप्तियों के संबंध में चिकित्सा स्वस्थता मूल्यांकन की अवधि, लाइसेंस धारक के पचास वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के पश्चात् आधी हो जाएगी।

(6) अनुज्ञप्ति की विधिमान्यता की अवधि अनुज्ञप्ति जारी होने की तारीख से प्रारंभ होगी।

(7) नवीकरण के मामले में, अनुज्ञप्ति की पिछली विधिमान्यता की समाप्ति की तारीख के बाद की तारीख से आरंभ होगी, परंतु यह तब जबकि नवीकरण के लिए आवेदन पिछली विधिमान्यता की समाप्ति की तारीख से अधिकतम पैंतालीस दिन के भीतर प्रस्तुत किया गया हो।

(8) उप-नियम (7) में निर्दिष्ट मामलों से भिन्न अन्य मामलों में, अनुज्ञप्ति के नवीकरण की विधिमान्यता अनुज्ञप्ति के नवीकरण की तारीख से प्रारंभ होगी।

80. दक्षता का प्रमाण.— अनुज्ञप्ति और रेटिंग के लिए आवेदकों को उड़ान का अनुभव प्राप्त करने और संबंधित अनुज्ञप्ति या रेटिंग के संबंध में प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट उड़ान अनुभव अर्जित करने और परीक्षण और जांच को संतोषजनक ढंग से उत्तीर्ण करने का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा;

परंतु जो व्यक्ति भारतीय वायुसेना, भारतीय नौसेना या भारतीय सेना या भारतीय तटरक्षक का योग्य पायलट अथवा उड़ान इंजीनियर है और जो यह दर्शाने के लिए संतोषजनक साक्ष्य प्रस्तुत करता है कि उसके पास इन नियमों के अधीन अपेक्षित अनुसार अनिवार्य उड़ान अनुभव, दक्षता और शारीरिक स्वस्थता मानक हैं, उसे महानिदेशक द्वारा लिखित में सामान्य या विशेष आदेश द्वारा और ऐसे आदेश में यथाविनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन, यदि कोई हों, इन नियमों के अधीन अनुज्ञप्ति जारी करने के लिए अपेक्षित सभी या किसी भी उड़ान परीक्षण और चिकित्सीय या अन्य तकनीकी जांच से छूट दी जा सकेगी:

परंतु यह और कि जिस व्यक्ति को किसी संविदाकारी राज्य में सक्षम प्राधिकारी द्वारा किसी विशेष वायुयान-श्रेणी की अनुज्ञप्ति जारी की गई है, उसे महानिदेशक द्वारा अनुज्ञप्ति जारी करने के लिए अपेक्षित सभी या किसी भी उड़ान परीक्षण या तकनीकी परीक्षा से छूट दी जा सकेगी, यदि उसका उड़ान अनुभव और दक्षता इन नियमों के अधीन तदनुरुप अनुज्ञप्ति के संबंध में प्रथम अनुसूची में उल्लिखित उड़ान अनुभव और दक्षता से कम नहीं है, परंतु यह तब जबकि वह महानिदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों को पूरा करता हो और यदि वह वर्तमान अनुज्ञप्ति का धारक है, तो उसे उस अवधि के लिए भी चिकित्सा जांच से आगे छूट दी जा सकेगी जिसके लिए उसकी अनुज्ञप्ति चालू है:

परंतु यह और भी कि किसी भी पूर्ववर्ती उपबंधों के अधीन जारी अनुज्ञप्ति के मामले में, अनुज्ञप्ति की वायुयान रेटिंग में केवल ऐसे प्रकार या प्रकारों के विमानों को दर्ज किया जाएगा, जिनके बारे में महानिदेशक की राय में आवेदक के पास उड़ान भरने के लिए पर्याप्त और संतोषजनक अनुभव और दक्षता है:

परंतु यह और भी कि महानिदेशक, पाठ्यक्रम की जांच के बाद, आवेदकों को प्रथम अनुसूची के अधीन अपेक्षित परीक्षा उत्तीर्ण करने से छूट प्रदान करने के लिए तकनीकी परीक्षाओं की सापेक्ष समतुल्यता का निर्धारण कर सकेंगे:

परंतु यह और भी कि ऐसी अनुज्ञप्ति के लिए प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट अनुसार न्यूनतम उड़ान अनुभव को केवल उसी वायुयान- श्रेणी में उच्चतर अनुज्ञप्ति जारी करने के लिए उड़ान अनुभव के रुप में माना जाएगा।

परंतु यह भी कि महानिदेशक किसी अभ्यर्थी, प्रशिक्षण प्रतिष्ठान या प्रचालक से परीक्षा के लिए समस्त सुसंगत प्रशिक्षण अभिलेख प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकेगा, जिसमें पाठ्यक्रम, प्रमाणपत्र, अंक शीट, उड़ान-परीक्षण रिपोर्ट, मूल्यांकन आदि सम्मिलित हैं, जो उस अभ्यर्थी के संबंध में हैं जिसने ऐसे प्रशिक्षण प्रतिष्ठान या प्रचालक से कोई प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, परीक्षा या उड़ान-परीक्षण आदि लिया है।

81. जाँच, परीक्षण और परीक्षाएँ – (1) महानिदेशक प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट परीक्षाएं आयोजित कर सकेंगे, भारत में परीक्षा केंद्र निर्धारित कर सकेंगे, निरीक्षक/ विषय विशेषज्ञ नियुक्त कर सकेंगे तथा परीक्षा आयोजित करने की प्रक्रिया निर्धारित कर सकेंगे।

(2) महानिदेशक प्रथम अनुसूची के अधीन अपेक्षित उड़ान परीक्षण और तकनीकी परीक्षाएं आयोजित करने के लिए परीक्षकों की नियुक्ति कर सकते हैं और आवश्यकता पड़ने पर मौखिक परीक्षा आयोजित करने के लिए बोर्ड भी नियुक्त कर सकते हैं।

(3) महानिदेशक यह तय कर सकेंगे कि कौशल परीक्षण किस प्रकार किए जाएंगे और इस प्रयोजन के लिए चेक फ़्लाइट इंजीनियर, सिंथेटिक फ़्लाइट परीक्षक, अभिनामित परीक्षक और परीक्षकों को अनुमोदित कर सकते हैं। वह किसी भी ऐसे वायुयान पर किसी उड़ान परीक्षण के संबंध में उनकी रिपोर्ट प्रस्तुत करने की मांग कर सकते हैं जिसके लिए अनुज्ञप्ति पर वायुयान रेटिंग वांछित है या जो अनुज्ञप्ति की वायुयान रेटिंग में दर्ज है तथा जिसका नवीकरण अनुज्ञप्ति की वायुयान रेटिंग में सम्मिलित किसी भी वायुयान के संबंध में किसी भी समय कौशल की जांच के लिए वांछित है ।

(4) महानिदेशक चेक पायलटों, लाइन प्रशिक्षण कैप्टनों, टाइप रेटिंग अनुदेशकों, सिंथेटिक फ्लाइट अनुदेशकों,सिंथेटिक फ्लाइट परीक्षकों ,चेक फ्लाइट इंजीनियरों, परीक्षकों और नामनिर्दिष्ट परीक्षकों के अनुमोदन के लिए अपेक्षाएं विनिर्दिष्ट कर सकेंगे।

(5) उप-नियम (3) के अधीन प्रदान किया गया अनुमोदन, जब तक कि उसे निलंबित या रद्द न कर दिया जाए, अधिकतम पांच वर्ष की अवधि के लिए विधिमान्य रहेगा और संतुष्ट होने पर महानिदेशक इसे एक बार में अधिकतम पांच वर्ष की अतिरिक्त अवधि के लिए नवीकृत कर सकेगा।

(6) महानिदेशक उप-नियम (3) के अधीन अनुमोदित चेक पायलटों, टाइप रेटिंग अनुदेशकों, चेक फ्लाइट इंजीनियरों, सिंथेटिक फ्लाइट अनुदेशकों, सिंथेटिक फ्लाइट परीक्षकों,परीक्षकों और नामनिर्दिष्ट परीक्षकों के मानकीकरण जांच के लिए परीक्षकों की नियुक्ति भी कर सकते हैं और वह रीति भी विनिर्दिष्ट कर सकते हैं जिससे ऐसी जांच की जाएगी।

(7) (क) महानिदेशक सुनवाई का उचित अवसर देने के पश्चात्, किसी आवेदक को कंप्यूटर नंबर के लिए आवेदन करने से या किसी उम्मीदवार को किसी अनुज्ञप्ति परीक्षा या किसी उड़ान परीक्षण में बैठने से स्थायी रूप से या अस्थायी रूप से वर्जित कर सकते हैं, यदि उनकी राय में, आवेदक ने ऐसी परीक्षा में बैठने के लिए पात्रता मानदंड में अर्हता संबंधी फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं या परीक्षण या परीक्षा के दौरान अनुचित साधन अपनाए हैं।

(ख) महानिदेशक किसी उम्मीदवार द्वारा उत्तीर्ण किसी भी परीक्षा को शून्य और अमान्य घोषित कर सकते हैं, यदि महानिदेशक की राय में, उम्मीदवार पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं कर रहा था या उम्मीदवार ने ऐसी परीक्षा में बैठने के लिए पात्रता मानदंडों में अर्हता संबंधी फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं।

(8) महानिदेशक, किसी परीक्षक या बोर्ड द्वारा संचालित किसी उड़ान परीक्षण या परीक्षा को शून्य और अमान्य घोषित कर सकेगा, यदि महानिदेशक की राय में परीक्षण या परीक्षा उनके संतोषजनक तरीके से नहीं हुई है, और परीक्षण या परीक्षा को किसी अन्य परीक्षक या बोर्ड द्वारा पुनः कराए जाने की अपेक्षा कर सकेगा और महानिदेशक, परीक्षक के विरुद्ध ऐसी कार्रवाई भी कर सकेगा, जैसी वह नियम 212 के उपबंधों के अधीन उचित समझे ।

(9) यदि कोई अनुज्ञप्ति धारक या अनुज्ञप्ति या रेटिंग के लिए कोई अभ्यर्थी, अनुज्ञप्ति या रेटिंग जारी करने या उसके नवीकरण के लिए उसके द्वारा सफलतापूर्वक पास किए गए किसी उड़ान परीक्षण के बाद किसी उड़ान परीक्षण में असफल हो जाता है, तो पूर्ववर्ती परीक्षण, जहां तक वह उस पश्चातवर्ती उड़ान परीक्षण से प्रभावित होता है जिसमें वह असफल हुआ है, पश्चातवर्ती परीक्षण की तारीख से अविधिमान्य माना जाएगा और ऐसे पूर्व परीक्षण के परिणामस्वरूप प्राप्त विशेषाधिकार वापस लिए गए समझे जाएंगे।

(10) उड़ान चालक दल अनुज्ञप्ति और रेटिंग जारी करने के लिए तकनीकी परीक्षाओं का विस्तृत पाठ्यक्रम महानिदेशक द्वारा निर्धारित किया जाएगा।

82. अनुज्ञप्ति और उनका नवीकरण.- (1) नियम 69 के उप-नियम (1) के खंड (क) से (ढ) में उल्लिखित अनुज्ञप्ति और रेटिंग, प्रत्येक अनुज्ञप्ति या रेटिंग के संबंध में नियम 79 और प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट अवधि तक के लिए जारी या नवीकृत किए जा सकेंगे:

परंतु यदि नवीकरण के लिए आवेदन की तारीख पर अनुज्ञप्ति या रेटिंग नीचे विनिर्दिष्ट अवधि के लिए समाप्त हो गई है, तो आवेदक को उनके सामने विनिर्दिष्ट परीक्षाओं और कौशल परीक्षणों और ऐसी अन्य परीक्षाओं और परीक्षणों को उत्तीर्ण करने की आवश्यकता हो सकती है, जिन्हें

महानिदेशक उस अनुज्ञप्ति या रेटिंग को धारण करने के लिए आवेदक की क्षमता का आकलन करने के लिए आवश्यक समझे:-

(क) दो वर्ष से अधिक किंतु तीन वर्ष तक की अवधि के लिए - कौशल और वायुयान विनियम परीक्षण।

(ख) तीन वर्ष से अधिक की अवधि के लिए - अनुज्ञप्ति या रेटिंग जारी करने के लिए अपेक्षित सभी परीक्षाएं और परीक्षण।

परंतु यह और कि महानिदेशक, अनुज्ञप्ति या रेटिंग के नवीकरण से पहले, आवेदक से उसी वर्ग के अनुज्ञप्ति या रेटिंग जारी करने के लिए सभी या किसी भी आवश्यकता को पूरा करने की अपेक्षा कर सकेगा, यदि महानिदेशक की राय में आवेदक की क्षमता अनुज्ञप्ति या रेटिंग के लिए अपेक्षित मानक से कम है:

परंतु यह भी कि भारतीय वाणिज्यिक अनुज्ञप्ति का धारक, जिसकी अनुज्ञप्ति समाप्त हो गई है, किसी संविदाकारी राज्य द्वारा जारी विधिमान्य समतुल्य वाणिज्यिक अनुज्ञप्ति पर उड़ान भर रहा है और भारतीय अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए उड़ान अनुभव की अपेक्षा को पूरा करता है और यदि उसकी भारतीय अनुज्ञप्ति दो वर्ष से अधिक समय से समाप्त हो चुकी है, तो महानिदेशक द्वारा आवश्यक समझी जाने वाली परीक्षाओं और परीक्षणों को उत्तीर्ण करने के पश्चात उसका नवीकरण किया जाएगा:

परंतु यह भी कि पायलट या उड़ान इंजीनियर के मामले में महानिदेशक अनुज्ञप्ति या रेटिंग का नवीनीकरण करते समय वायुयान रेटिंग में दर्ज किसी भी प्रकार के वायुयान को हटा सकेगा, यदि वह इस बात से संतुष्ट है कि अनुज्ञप्ति धारक के पास उचित उड़ान अनुभव नहीं है या उसके पास उस प्रकार के वायुयान के लिए अपेक्षित स्तर की क्षमता नहीं है:

परंतु यह भी कि महानिदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट अनुसार अनुज्ञप्ति या रेटिंग के विशेषाधिकारों का प्रयोग करने के लिए क्षमता और हाल ही के अनुभव संबंधी अपेक्षाओं को यथास्थिति अनुज्ञप्ति या रेटिंग के नवीकरण से पहले पूरा किया जाएगा।

(2) अनुज्ञप्ति धारक निम्नलिखित परिस्थितियों में पुनः चिकित्सा परीक्षण के पश्चात् स्वस्थ घोषित हुए बिना अपनी अनुज्ञप्ति के विशेषाधिकारों का प्रयोग नहीं करेगा-

(क) ऐसी बीमारी या चोट लगना जिससे वह उस कार्य के लिए, जिसके लिए उसे अनुज्ञप्ति दी गई है, पन्द्रह दिन या उससे अधिक की अवधि के लिए असमर्थ हो गया हो; या

(ख) किसी दुर्घटना में लगी चोट, जो उसके अनुज्ञप्ति के विशेषाधिकारों के प्रयोग के दौरान या अन्यथा घटित हुई हो और जिससे उसके कर्तव्यों के निर्वहन में उसकी अक्षमता या दक्षता में कमी आने की संभावना हो

अनुज्ञप्ति धारक या उसके नियोक्ता को बीमारी या चोट संबंधी सभी संगत विवरण तत्काल महानिदेशक को सूचित करने होंगे।

(3) उप-नियम (2) के अधीन अयोग्य घोषित किए गए व्यक्ति की अनुज्ञप्ति तब तक अविधिमान्य मानी जाएगी जब तक कि धारक नए सिरे से चिकित्सा जांच नहीं करा लेता।

(4) अनुज्ञप्ति धारक किसी भी ऐसी अवधि के दौरान अपनी अनुज्ञप्ति के विशेषाधिकारों का प्रयोग नहीं करेगा जब उसे पता हो कि उसकी शारीरिक स्थिति में उस श्रेणी की अनुज्ञप्ति के लिए अपेक्षित मानक से गिरावट आई है।

83. विदेशी अनुज्ञप्तियों का विधिमान्यकरण – जब विदेश में सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञप्ति प्रदान की गई हो और वह कुछ समय के लिए लागू हो, तो केंद्रीय सरकार ऐसी शर्तों और सीमाओं के अधीन और ऐसी अवधि के लिए, जैसा वह ठीक समझे, ऐसी अनुज्ञप्ति को भारत में रजिस्ट्रीकृत वायुयान उड़ाने के लिए प्राधिकार द्वारा विधिमान्य कर सकेगी और इस प्रकार विधिमान्य की गई अनुज्ञप्ति नियम 212 और 213 के उपबंधों के अधीन होगी और यदि अनुज्ञप्ति रद्द या निलंबित कर दी जाती है तो अनुज्ञप्ति का ऐसा विधिमान्यकरण समाप्त हो जाएगा।

84. उड़ान चालक कर्मीदल की लॉग बुक और उड़ान समय दर्ज करना – (1) इन नियमों के अधीन अनुज्ञप्ति प्राप्त उड़ान चालक दल का प्रत्येक सदस्य व्यक्तिगत लॉग बुक रखेगा तथा उसमें सभी उड़ानों का समय दर्ज किया जाएगा।

(2) लॉग बुक महानिदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट प्ररूप में और रीति से रखी जाएगी।

(3) उड़ान चालक कर्मीदल अपनी-अपनी उड़ानों का विवरण संबंधित लॉग बुक में दर्ज करेंगे।

(4) उड़ान का समय, जिसके दौरान पायलट दोहरे अनुदेश के अधीन कार्य कर रहा है, उसकी लॉग बुक में "दोहरे" के रूप में दर्ज किया जाएगा और अनुदेश देने वाला पायलट अनुदेशाधीन पायलट की लॉग बुक में दिए गए अनुदेश की प्रकृति को दर्शाते हुए प्रविष्टियां करेगा।

(5) (क) पायलट-इन-कमांड के पर्यवेक्षणाधीन पायलट-इन-कमांड के कर्तव्यों और कार्यों को निष्पादित करने में व्यतीत किया गया उड़ान समय पर्यवेक्षणाधीन पायलट-इन-कमांड के रूप में दर्ज किया जाएगा, परंतु यह तब जब वह व्यक्ति अपने पायलट अनुज्ञप्ति की रेटिंग और विशेषाधिकारों के आधार पर उस प्रकार के वायुयान को कमांड के रुप में उड़ाने के लिए पात्र और प्राधिकृत हो।

(ख) अन्य सभी मामलों में, ऐसे उड़ान समय को सह-पायलट के रूप में टिप्पणी स्तंभ में उचित संकेत के साथ दर्ज किया जाएगा।

(6) छात्र पायलट अनुज्ञप्ति का धारक उड़ान समय के केवल उस भाग को पायलट-इन-कमांड के रूप में दर्ज कर सकता है, जिसके दौरान वह किसी वायुयान का एकमात्र अधिभोगी है, परंतु यह कि ऐसे वायुयान के मामले में, जिसमें नियम 74 और नियम 114 के खंड (च) के अनुसार एक से अधिक पायलटों की आवश्यकता होती है, वह उड़ान समय के उस भाग को पायलट-इन-कमांड के रूप में दर्ज कर सकता है, जिसके दौरान वह वायुयान के पायलट-इन-कमांड के रूप में कार्य करता है।

(7) पायलट अनुज्ञप्ति धारक पायलट-इन-कमांड के रूप में केवल उस उड़ान समय को दर्ज कर सकता है जिसके दौरान वह पायलट-इन-कमांड के रूप में कार्य करता है। अन्य सभी मामलों में, ऐसे उड़ान समय को टिप्पणी स्तंभ में उचित संकेत के साथ सह-पायलट के रूप में दर्ज किया जाएगा।

(8) उड़ान अनुदेशक, पायलट-इन-कमांड के रूप में उस उड़ान समय को दर्ज कर सकता है जिसके दौरान वह अनुदेशक के रूप में कार्य करता है, लेकिन दर्ज प्रविष्टियों में टिप्पणी स्तंभ में यह दर्शाया जाएगा कि उड़ान का समय अनुदेशक के रूप में उड़ान भरने का था।

(9) उड़ान के दौरान वायुयान को नियंत्रित करने वाले पायलट द्वारा इंस्ट्रूमेंट फ़्लाइट टाइम को तभी दर्ज किया जा सकेगा। जब वायुयान को वास्तविक या सिमुलेटेड इंस्ट्रूमेंट फ़्लाइट स्थितियों के अधीन केवल इंस्ट्रूमेंट के संदर्भ में उड़ाया जाता है। ओवर-द-टॉप फ़्लाइंग को इंस्ट्रूमेंट फ़्लाइंग टाइम के रूप में दर्ज नहीं किया जाएगा।

(10) किसी भी मान्यताप्राप्त सिंथेटिक डिवाइस में उपकरणों के संदर्भ में जो उपस्कर उड़ान की स्थितियों का अनुकरण करता है, उड़ान के दौरान पायलट द्वारा उपस्कर ग्राउंड समय को पूर्ण रूप से दर्ज किया जा सकेगा।

(11) जो पायलट प्रशिक्षक या परीक्षक के रूप में कार्य करता है, वह उस उड़ान समय को पायलट-इन-कमांड के रूप में दर्ज करेगा जिसके दौरान वह ऐसा कार्य करता है, परंतु यह कि वह अपनी पायलट अनुज्ञप्ति की रेटिंग और विशेषाधिकारों के आधार पर उस प्रकार की उड़ान मशीन के कमांड में उड़ान भरने के लिए पात्र और प्राधिकृत हो।

(12) (क) उड़ान दिक्चालक, उड़ान दिक्चालक के रूप में वह उड़ान समय दर्ज करेगा जिस दौरान वह वास्तविक दिक्चालन कार्यों में लगा हो ।

(ख) जिस उड़ान समय के दौरान उड़ान दिक्चालक अनुज्ञप्ति प्राप्त उड़ान दिक्चालक की देखरेख में वास्तविक दिक्चालन कर्तव्यों का पालन करता है, उसे टिप्पणी कॉलम में "पर्यवेक्षणाधीन" संकेत के साथ उड़ान दिक्चालक के रूप में दर्ज किया जाएगा।

(13) (क) उड़ान इंजीनियर उस उड़ान समय को उड़ान इंजीनियर के रूप में दर्ज करेगा जिस दौरान वह वास्तविक उड़ान इंजीनियर का कार्य कर रहा है।

(ख) उड़ान समय जिसके दौरान उड़ान इंजीनियर अनुज्ञप्ति प्राप्त उड़ान इंजीनियर की देखरेख में वास्तविक उड़ान इंजीनियर के कर्तव्यों का पालन करता है, उसे टिप्पणी स्तंभ में "पर्यवेक्षणाधीन" संकेत के साथ उड़ान इंजीनियर के रूप में दर्ज किया जाएगा।

(14) उड़ान रेडियो टेलीफोन ऑपरेटर उस उड़ान समय को दर्ज करेगा जिस दौरान वह वास्तव में उड़ान रेडियो टेलीफोन ऑपरेटर के कर्तव्यों का पालन करता है।

2. वायुयान इंजीनियर

85. वायुयान अनुरक्षण इंजीनियरों को अनुज्ञप्ति.– (1) केन्द्रीय सरकार इस नियम में विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं को पूरा करने वाले व्यक्तियों को इस नियम में दिए गए अनुसार अनुज्ञप्ति या प्राधिकार प्रदान कर सकती है।

(2) वायुयान अनुरक्षण इंजीनियर अनुज्ञप्ति या प्राधिकार प्रदान करने अथवा उसमें किसी परिवर्तन के लिए आवेदन महानिदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट प्रारूप और रीति से किया जाएगा ।

(3) वायुयान अनुरक्षण इंजीनियर को अनुज्ञप्ति निम्नलिखित श्रेणियों और उप-श्रेणियों में प्रदान की जा सकती है, जैसा लागू हो, अर्थात: -

(क) श्रेणी ए, निम्नलिखित उप-श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाएगा अर्थात: -

(i) ए1 विमान टर्बाइन;

(ii) ए2 विमान पिस्टन;

(iii) ए3 हेलीकॉप्टर टर्बाइन;

(iv) ए4 हेलीकॉप्टर पिस्टन.

(ख) श्रेणी बी1, निम्नलिखित उप-श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाएगा अर्थात: -

(i) बी1.1 विमान टर्बाइन;

(ii) बी1.2 विमान पिस्टन;

(iii) बी1.3 हेलीकॉप्टर टर्बाइन;

(iv) बी1.4 हेलीकॉप्टर पिस्टन.

(ग) श्रेणी बी2, सभी विमानों पर लागू।

(घ) श्रेणी बी2एल सभी विमानों पर लागू, इसे महानिदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट 'सिस्टम रेटिंग' के साथ जारी किया जाएगा।

(ड.) श्रेणी बी3, 2000 किलोग्राम अधिकतम टेक-ऑफ द्रव्यमान और उससे कम के पिस्टन-इंजन गैर-दबाव वाले विमानों पर लागू।

(च) श्रेणी एल, निम्नलिखित उप-श्रेणियों में वर्गीकृत अर्थात: -

(i) एल1सी: कम्पोजिट सेलप्लेन;

(ii) एल1: सेलप्लेन;

(iii) एल2सी: कम्पोज़िट शक्ति-चालित सेलप्लेन और कम्पोजिट लाइट वायुयान 1 विमान;

(iv) एल2: शक्ति-चालित सेलप्लेन और लाइट वायुयान 1 विमान;

(v) एल3एच: गर्म वायु के बैलून;

(vi) एल3जी: गैस बैलून;

(vii) एल4एच: गर्म वायु वाले विमानपोत;

(viii) एल4जी: हल्के वायुयान 2 गैस विमानपोत; और

(ix) एल5: हल्के वायुयान 2 से भिन्न अन्य गैस विमानपोत ।

टिप्पण: हल्के वायुयान 1 और हल्के वायुयान 2 से महानिदेशक द्वारा यथा विनिर्दिष्ट मानवयुक्त वायुयान अभिप्रेत है।

(छ) श्रेणी सी, जो विमान और हेलीकॉप्टर पर लागू है।

(4) वायुयान अनुरक्षण अनुज्ञप्ति धारक को उप-नियम (11) में निर्धारित प्रमाणीकरण विशेषाधिकारों का प्रयोग करने के लिए अपनी अनुज्ञप्ति पर सुसंगत रेटिंग अंकित करानी होगी, अर्थात:-

(i) श्रेणी बी1, बी2, बी2एल, सी और एल के लिए, सुसंगत वायुयान या प्रणाली रेटिंग महानिदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट अनुसार की जाएगी।

(ii) श्रेणी बी3 के लिए, सुसंगत रेटिंग '2000 किलोग्राम अधिकतम टेक-ऑफ द्रव्यमान और उससे कम के पिस्टन इंजन गैर-दबाव वाले विमान' होगी।

(iii) श्रेणी ए के लिए, कोई रेटिंग पृष्ठांकित नहीं की जाएगी।

(5) वायुयान अनुरक्षण इंजीनियर अनुज्ञप्ति के लिए आवेदक को निम्नलिखित अपेक्षाएं पूरी करनी होंगी, अर्थात:-

(क) उसकी आयु 18 वर्ष से कम नहीं होगी;

(ख) उसने किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से भौतिकी, रसायन विज्ञान और गणित के साथ कक्षा 12 की या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की हो;

(ग) उसने महानिदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट लिखित परीक्षा उत्तीर्ण की हो :

परंतु महानिदेशक, ऐसी शर्तों के अधीन, जिन्हें वह लागू करना उचित समझे, किसी भी आवेदक को लिखित परीक्षा से छूट दे सकेगा, परंतु यह तब जब आवेदक के पास वायुयान अनुरक्षण इंजीनियर की हैसियत से कार्य करने के लिए किसी संविदाकारी राज्य द्वारा प्रदत्त अनुज्ञप्ति है; और

(घ) उसके पास संबंधित श्रेणी या उप-श्रेणी में निम्नलिखित न्यूनतम व्यावहारिक अनुभव होना चाहिए, अर्थात:-

(i) श्रेणी ए, उप-श्रेणियां बी1.2, बी1.4 और श्रेणी बी3 के लिए:

(क) वायुयान प्रचालन में वायुयान अनुरक्षण का तीन वर्ष का व्यावहारिक अनुभव; या

(ख) वायुयान प्रचालन में दो वर्ष का अनुरक्षण का व्यावहारिक अनुभव तथा किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से वायुयान अनुरक्षण में डिग्री या इंजीनियरिंग में डिग्री प्राप्त की हो; या

(ग) वायुयान प्रचालन में एक वर्ष का अनुरक्षण का व्यावहारिक अनुभव तथा नियम 117 के अधीन अनुमोदित प्रशिक्षण संगठन द्वारा आयोजित प्रारंभिक वायुयान अनुरक्षण प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूरा किया हो।

(ii) उप-श्रेणियों बी1.1 और बी1.3 तथा श्रेणी बी2 के लिए:

(क) वायुयान प्रचालन में वायुयान अनुरक्षण का पांच वर्ष का व्यावहारिक अनुभव; या

(ख) वायुयान प्रचालन में तीन वर्ष का व्यावहारिक अनुरक्षण अनुभव, और किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से वायुयान अनुरक्षण में डिग्री या इंजीनियरिंग में डिग्री प्राप्त की हो; या

(ग)) वायुयान प्रचालन में दो वर्ष का व्यावहारिक अनुरक्षण अनुभव और नियम 117 के अधीन अनुमोदित प्रशिक्षण संगठन द्वारा आयोजित प्रारंभिक वायुयान अनुरक्षण प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूरा किया हो।

(iii) श्रेणी बी2एल के लिए:

(क) वायुयान प्रचालन में अनुरक्षण का तीन वर्ष का व्यावहारिक अनुभव, जिसमें संबंधित सिस्टम रेटिंग सम्मिलित हो, यदि आवेदक के पास कोई पूर्व सुसंगत तकनीकी प्रशिक्षण नहीं है; या

(ख) वायुयान प्रचालन में अनुरक्षण का दो वर्ष का व्यावहारिक अनुभव, जिसमें संबंधित सिस्टम रेटिंग सम्मिलित हो और किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से वायुयान अनुरक्षण में डिग्री या इंजीनियरिंग में डिग्री प्राप्त की हो; या

(ग) वायुयान प्रचालन में अनुरक्षण का एक वर्ष का व्यावहारिक अनुभव, जिसमें संबंधित प्रणाली रेटिंग सम्मिलित हो, तथा नियम 117 के अधीन अनुमोदित प्रशिक्षण संगठन द्वारा आयोजित प्रारंभिक वायुयान अनुरक्षण प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूरा किया हो ।

(iv) श्रेणी एल के लिए:

(क) संबंधित उप-श्रेणी में अनुरक्षण कार्यकलापों के प्रतिनिधि क्रॉस सेक्शन को कवर करते हुए वायुयान प्रचालन में दो वर्ष का व्यावहारिक अनुभव; या

(ख) संबंधित उप-श्रेणी में अनुरक्षण कार्यकलापों के रेप्रिजेंनटेटिव क्रॉस सेक्शन को कवर करते हुए वायुयान प्रचालन में एक वर्ष का व्यावहारिक अनुरक्षण अनुभव, और किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से विमान अनुरक्षण में डिग्री या इंजीनियरिंग में डिग्री प्राप्त

की हो या नियम 117 के अधीन अनुमोदित प्रशिक्षण संगठन द्वारा आयोजित प्रारंभिक विमान अनुरक्षण प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो:

परंतु जिसके पास संबंधित श्रेणी में नागर वायुयान अनुरक्षण परिवेश से बाहर अर्जित वायुयान अनुरक्षण में बारह वर्ष का व्यावहारिक अनुभव, जिसके साथ नागर वायुयान अनुरक्षण परिवेश में हाल ही में कम-से-कम एक साल का अनुभव हो, उसे उप-खंड (i) से (iv) में निर्धारित अपेक्षाओं के समतुल्य माना जाएगा। जबकि, श्रेणी ए और एल के लिए नागर वायुयान अनुरक्षण परिवेश में हाल ही में अर्जित अनुभव छह माह का होगा।

(v) जटिल मोटरचालित विमानों के संबंध में श्रेणी सी के लिए-

(क) जटिल मोटरचालित वायुयान पर कार्यरत नियम 66 के अधीन अनुमोदित अनुरक्षण संगठन में सहायक कर्मचारी, या सहायक कर्मचारी और प्रमाणन कर्मचारी दोनों के रूप में श्रेणी बी1.1, बी1.3 या बी 2 के विशेषाधिकारों का प्रयोग करने में तीन वर्ष का अनुरक्षण अनुभव, जिसमें बुनियादी अनुरक्षण सहायक कर्मचारी के रूप में बारह माह का अनुभव सम्मिलित है;

(ख) जटिल मोटरचालित वायुयान पर कार्यरत नियम 66 के अधीन अनुमोदित अनुरक्षण संगठन में सहायक कर्मचारी, या सहायक कर्मचारी और प्रमाणन कर्मचारी दोनों के रूप में श्रेणी बी1.2, बी1.4 या एल5 के विशेषाधिकारों का प्रयोग करने में पाँच वर्ष का अनुरक्षण अनुभव, जिसमें बुनियादी अनुरक्षण सहायक कर्मचारी के रूप में बारह माह का अनुभव सम्मिलित है;

(vi) जटिल मोटरचालित विमानों से भिन्न अन्य विमानों के संबंध में श्रेणी सी के लिए, जटिल मोटरचालित वायुयान से भिन्न वायुयानों पर कार्यरत नियम 66 के अधीन अनुमोदित अनुरक्षण संगठन में श्रेणी बी1 या बी 2 या सहायक कर्मचारी के विशेषाधिकारों का प्रयोग करने में तीन वर्ष का अनुरक्षण अनुभव, जिसमें बुनियादी अनुरक्षण सहायक कर्मचारी के रूप में छह महीने का अनुभव सम्मिलित है;

परंतु किसी श्रेणी या उप-श्रेणी को जोड़ने या किसी श्रेणी या उप-श्रेणी के भीतर या किसी विद्यमान अनुज्ञप्ति में किसी पद्धति रेटिंग को जोड़ने के लिए, श्रेणी, उप-श्रेणी या नई पद्धति रेटिंग से संबंधित व्यावहारिक अनुरक्षण अनुभव महानिदेशक द्वारा यथाविनिर्दिष्ट होगा।

(ङ) वह महानिदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट रीति से, आवेदित श्रेणी या उप-श्रेणी से संबंधित अपने कौशल का प्रदर्शन करेगा।

(6) वायुयान अनुरक्षण इंजीनियर की अनुज्ञप्ति के विस्तार या अनुमोदन के लिए आवेदक के लिए निम्नलिखित अपेक्षित होगा -

(क) महानिदेशक द्वारा यथाविनिर्दिष्ट उपयुक्त विषयक मॉड्यूल में ज्ञान के स्तर को प्रदर्शित करने के लिए लिखित परीक्षा उत्तीर्ण करना ; और

(ख) महानिदेशक द्वारा यथाविनिर्दिष्ट संबंधित प्रशिक्षण प्राप्त करना, अनुरक्षण का अनुभव प्राप्त करना तथा महानिदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट रीति से आवेदित श्रेणी या उप-श्रेणी के लिए संबंधित कौशल का प्रदर्शन करना।

(7) (क) इस नियम के अधीन अनुज्ञप्ति प्रदान करने या विस्तार हेतु परीक्षाएं अनुज्ञप्ति जारी करने या इसके परिवर्तन हेतु आवेदन करने की तारीख से तुरंत पूर्व दस वर्ष की अवधि के भीतर पूरी की जाएंगी।

(ख) किसी परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने वाले आवेदक को महानिदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट अन्य अवधि के बीत जाने के बाद ही ऐसी परीक्षा में पुनः बैठने की अनुमति दी जाएगी ।

(8) महानिदेशक परीक्षाएं आयोजित कर सकते हैं, भारत में परीक्षा केंद्र निर्धारित कर सकते हैं, निरीक्षक/विषय विशेषज्ञ नियुक्त कर सकते हैं तथा परीक्षा आयोजित करने की प्रक्रिया निर्धारित कर सकते हैं।

(9) केन्द्रीय सरकार, वायुयान अनुरक्षण इंजीनियर अनुज्ञप्ति धारक को संगठन में लाए गए किसी नए वायुयान, विद्युत संयंत्र या प्रणाली का अनुरक्षण करने के लिए, जो उसके अनुज्ञप्ति की परिधि में नहीं आता है, प्राधिकार दे सकती है तथा उसे चलाने का प्रमाणपत्र जारी करने का प्राधिकार दे सकती है, यदि महानिदेशक को संतुष्टि हो कि आवेदक के पास पर्याप्त ज्ञान, अनुभव और प्रशिक्षण है तथा उसने महानिदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट परीक्षाएं उत्तीर्ण की हैं।

(10) जब तक निलंबित, वापस लेना या निरस्त न कर दिया जाए,-

(क) अनुज्ञप्ति उसमें विनिर्दिष्ट अवधि के लिए विधिमान्य रहेगी, जो प्रत्येक मामले में अधिकतम दस वर्ष की अवधि के अधीन होगी और नवीकरण के लिए आवेदन प्राप्त होने पर एक बार में अन्य दस वर्षों के लिए नवीकृत की जा सकेगी:

परंतु विधिमान्यता समाप्त हो चुकी अनुज्ञप्ति का नवीकरण महानिदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट मानदंडों के अनुसार किया जाएगा;

(ख) प्राधिकार उसमें विनिर्दिष्ट अवधि के लिए विधिमान्य रहेगा, जो प्रत्येक मामले में अधिकतम एक वर्ष की अवधि के अध्यधीन होगा और नवीकरण के लिए आवेदन प्राप्त होने पर एक बार में एक और वर्ष के लिए नवीकृत किया जा सकेगा ,परंतु यह तब होगा जब आवेदक ने पूर्ववर्ती एक वर्ष में तीन माह की अवधि के लिए कार्यों का निष्पादन किया हो ।

(11) भिन्न-भिन्न श्रेणियों के वायुयान अनुरक्षण इंजीनियर अनुज्ञप्ति धारकों को निम्नलिखित विशेषाधिकार प्राप्त होंगे, अर्थात:-

(i) श्रेणी ए अनुज्ञप्ति धारक को नियम 66 के अधीन अनुमोदित अनुरक्षण संगठन द्वारा जारी किए गए प्राधिकार पर विशेष रूप से पृष्ठांकित अनुरक्षण कार्यों की सीमाओं के भीतर लघु अनुसूचित लाइन अनुरक्षण और साधारण दोष सुधार के बाद सेवा में जारी करने के लिए प्रमाणपत्र जारी करना और प्रमाणन विशेषाधिकार अनुज्ञप्ति धारक द्वारा प्राधिकार जारी करने वाले अनुरक्षण संगठन में स्वयं किए गए कार्य तक ही सीमित होंगे।

(ii) श्रेणी बी1 अनुज्ञप्ति धारक को उपयोग के लिए जारी किए जाने का प्रमाणपत्र जारी करना तथा अनुज्ञप्ति पर पृष्ठांकित विमान प्रकार के संबंध में विमान संरचना, पावर-प्लांट, यांत्रिक और विद्युत प्रणालियों पर किए गए अनुरक्षण के बाद सहायक स्टाफ के रूप में कार्य करना, वैमानिकी प्रणाली पर कार्य करना, जिसके लिए उनकी सेवाक्षमता को साबित करने के लिए सरल परीक्षणों की आवश्यकता होगी तथा समस्या निवारण की आवश्यकता नहीं होगी,

टिप्पण:

(क) श्रेणी बी1 में श्रेणी ए की उपयुक्त उप-श्रेणी सम्मिलित होगी;

(ख) माइक्रोलाइट, लाइट स्पोर्ट वायुयान, जाइरोप्लेन, ग्लाइडर, बैलून या एयरशिप को श्रेणी ए या श्रेणी बी1 या श्रेणी बी 3 या श्रेणी एल में अनुज्ञप्ति धारक विमान अनुरक्षण इंजीनियर या महानिदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं को पूरा करने के अध्यधीन प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा प्रमाणित किया जाएगा।

(iii) श्रेणी बी 2 अनुज्ञप्ति धारक द्वारा निम्नलिखित जारी करना -

(क) लाइसेंस पर अनुमोदित विमान प्रकार के एवियोनिक्स और विद्युत प्रणालियों पर अनुरक्षण के बाद सेवा के लिए निर्गम (सीएसआर) तथा सहायक कार्मिक के रूप में कार्य करना; साथ ही पावरप्लांट और यांत्रिक प्रणालियों के अधीन आने वाले ऐसे एवियोनिक्स और विद्युत कार्यों का निष्पादन करना, जिनकी सेवाक्षमता सिद्ध करने के लिए केवल सरल परीक्षणों की आवश्यकता होती है।

(ख) अनुज्ञप्ति पर पृष्ठांकित वायुयान प्रकार के अनुमोदित अनुरक्षण संगठन द्वारा जारी प्रमाणन प्राधिकार पर विशेष रूप से पृष्ठांकित कार्यों की सीमाओं के भीतर लघु अनुसूचित लाइन अनुरक्षण और सामान्य दोष सुधार के बाद उपयोग के लिए जारी करने का प्रमाणपत्र और यह प्रमाणन विशेषाधिकार उस कार्य तक सीमित होगा जिसे अनुज्ञप्ति धारक ने प्रमाणन प्राधिकार जारी करने वाले अनुरक्षण संगठन में व्यक्तिगत रूप से किया है और अनुज्ञप्ति पर पहले से ही पृष्ठांकित रेटिंग तक सीमित होगा।

(iv) श्रेणी बी2एल अनुज्ञप्ति धारक को उपयोग के लिए प्रमाणपत्र जारी करना तथा विद्युत प्रणालियों पर किए गए अनुरक्षण के लिए बी2एल सहायक स्टाफ के रूप में कार्य करना; अनुज्ञप्ति पर विशेष रूप से पृष्ठांकित प्रणाली रेटिंग की सीमाओं के भीतर वैमानिक प्रणालियों पर किया गया अनुरक्षण कार्य तथा 'एयरफ्रेम प्रणाली' रेटिंग होने पर, पावर प्लांट और यांत्रिक

प्रणालियों के भीतर विद्युत और वैमानिकी कार्यों का निष्पादन, जिनकी सेवाक्षमता को साबित करने के लिए केवल सामान्य परीक्षणों की आवश्यकता होती है ।

(v) श्रेणी बी3 अनुज्ञप्ति धारकों को उपयोग के लिए प्रमाणपत्र जारी करना तथा विमान संरचना, पावर-प्लांट और यांत्रिक तथा विद्युत प्रणालियों पर अनुरक्षण कार्य के बाद सहायक स्टाफ के रूप में कार्य करना , वैमानिकी प्रणालियों पर कार्य करना, जिनके लिए उनकी सेवाक्षमता साबित करने के लिए केवल सामान्य परीक्षणों की आवश्यकता होती है तथा '2000 किलोग्राम अधिकतम टेक-ऑफ द्रव्यमान और उससे कम के पिस्टन-इंजन वाले गैर-दबाव वाले विमानों ' के समस्या निवारण की आवश्यकता नहीं होती है।

(vi) श्रेणी एल अनुज्ञप्ति धारक को उपयोग के लिए प्रमाणपत्र जारी करना तथा वायुयान संरचना, विद्युत संयंत्र और यांत्रिकी और विद्युत प्रणालियों पर किए जाने वाले अनुरक्षण के लिए एल सहायक स्टाफ के रूप में कार्य करना; रेडियो, आपातकालीन लोकेटर ट्रांसमीटर और ट्रांसपोंडर प्रणालियों पर कार्य करना तथा अन्य वैमानिकी प्रणालियों पर कार्य करना होगा, जिनकी सेवाक्षमता को प्रमाणित करने के लिए सामान्य परीक्षण की आवश्यकता होती है।

(vii) श्रेणी सी अनुज्ञप्ति धारक अनुज्ञप्ति पर अंकित प्रकार के वायुयान के संबंध में आधारभूत अनुरक्षण के बाद उपयोग के लिए प्रमाणपत्र जारी कर सकते हैं। विशेषाधिकार सभी प्रणालियों सहित पूरे वायुयान पर लागू होते हैं।

टिप्पण: सामान्य परीक्षण से अभिप्राय अनुमोदित अनुरक्षण डेटा में वर्णित परीक्षण से है और इसकी प्रकृति ऐसी है कि वायुयान प्रणाली की सेवाक्षमता को, वायुयान नियंत्रणों, स्विच, बिल्ट-इन परीक्षण उपस्कर, केंद्रीय अनुरक्षण कंप्यूटर या बाहरी परीक्षण उपस्कर, जिनके लिए विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती है, के माध्यम से सत्यापित किया जाता है ।

(12) प्रमाणन विशेषाधिकार का प्रयोग केवल तभी किया जाएगा जब अनुज्ञप्ति धारक महानिदेशक द्वारा यथाविनिर्दिष्ट शर्तों को पूरा करता हो।

(13) पुराने प्रारूप में विधिमान्य वायुयान अनुरक्षण इंजीनियरी अनुज्ञप्ति रखने वाले व्यक्ति को महानिदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन, बिना किसी सीमा के या बिना किसी अतिरिक्त जांच के, इस नियम के अधीन उपयुक्त श्रेणी में वायुयान अनुरक्षण इंजीनियर अनुज्ञप्ति जारी की जा सकती है।

(14) इन नियमों के नियम 212 के उप-नियम (3) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, केन्द्रीय सरकार, ऐसी जांच के पश्चात्, जिसे वह ठीक समझे और सुनवाई का उचित अवसर देने के पश्चात्, इस नियम के अधीन दिए गए किसी अनुज्ञप्ति या प्राधिकरण को वापस लेना, निरस्त, निलंबित या पृष्ठांकित कर सकेगी या चेतावनी या भर्त्सना जारी कर सकेगी या किसी व्यक्ति को अनुज्ञप्ति प्राप्त करने या परीक्षा में बैठने से अस्थायी या स्थायी रूप से रोक सकेगी, जहां वह इस बात से संतुष्ट हो कि,

(क) आवेदक ने जाली दस्तावेज प्रस्तुत किए हों या अहर्ता प्रक्रिया या परीक्षा के दौरान प्रतिरूपण सहित अनुचित या कपटपूर्ण साधनों का उपयोग किया हो ; या

(ख) धारक ने धोखाधड़ीपूर्ण तरीके अपनाकर प्रमाणन विशेषाधिकार प्राप्त किया है ; या

(ग) धारक अपने स्वयं के निरीक्षण के परिणामस्वरूप अपेक्षित अनुरक्षण करने में असफल रहा है, साथ ही उस संगठन या व्यक्ति को इस तथ्य की रिपोर्ट करने में असफल रहा है जिसके लिए अनुरक्षण किया जाना था; या

(घ) धारक ने ऐसे कार्य का निष्पादन किया है या ऐसे कार्य के संबंध में प्रमाणपत्र प्रदान किया है जो सावधानीपूर्वक और सक्षम तरीके से नहीं किया गया है या जिससे किसी भी प्रकार से वायुयान की उड़नयोग्यता के साथ समझौता हुआ हो; या

(ङ) इस नियम के उल्लंघन के किसी मामले में धारक ने प्रमाणपत्र पर हस्ताक्षर किए हैं; या

(च) धारक ने यह जानते हुए उपयोग के लिए प्रमाणपत्र जारी किया है कि उपयोग के लिए प्रमाणपत्र में विनिर्दिष्ट अनुरक्षण नहीं किया गया है या यह सत्यापित किए बिना कि ऐसा अनुरक्षण किया गया है; या

(छ) धारक ने अनुरक्षण अभिलेखों में जालसाजी की है; या

(ज) धारक ने शराब या किसी अन्य नशीले या साइकोएक्टिव पदार्थ के प्रभाव में रहते हुए अनुरक्षण किया है या उपयोग के लिए प्रमाणपत्र जारी किया है; या

(झ) किसी अन्य कारण से यह अवांछनीय है कि धारक इस नियम के अधीन दिए गए अपने विशेषाधिकारों का प्रयोग जारी रखे।

(15) केन्द्रीय सरकार किसी अनुज्ञप्ति या प्राधिकार प्रदान करने या नवीकरण को रोक सकती है, यदि वह लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों से, सार्वजनिक हित में ऐसा करना समीचीन समझती है।

(16) महानिदेशक किसी अभ्यर्थी द्वारा उत्तीर्ण किसी परीक्षा को शून्य और अमान्य घोषित कर सकते हैं, यदि महानिदेशक की राय में अभ्यर्थी पात्रता मानदण्डों को पूरा नहीं कर रहा था या अभ्यर्थी ने ऐसी परीक्षा में बैठने के लिए पात्रता मानदण्डों को पूरा करने के लिए फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं।

86. विदेशी वायुयान अनुरक्षण इंजीनियरों की अनुज्ञप्तियों का विधिमान्यकरण.— जब किसी वायुयान अनुरक्षण इंजीनियर को किसी अनुबंधित राज्य में सम्यक रूप से सक्षम प्राधिकारी द्वारा कोई अनुज्ञप्ति अनुदत्त की गई है और तत्समय प्रवर्तन में है तब केन्द्रीय सरकार ऐसी शर्तों और सीमाओं के अधीन रहते हुए और ऐसी अवधि के लिए, जिसे वह उचित समझे, ऐसी अनुज्ञप्ति पर भारत में रजिस्ट्रीकृत वायुयानों के अनुरक्षण,अनुप्रमाणन के प्रयोजन हेतु ऐसी ही विधिमान्यता प्रदान कर सकेगी मानो वह इन नियमों के अधीन अनुदत्त की गई हो और इस प्रकार विधिमान्यकृत

अनुज्ञप्ति नियम 85 के उप-नियम (13) और नियम 212, नियम 213 के उपबंधों के अध्यधीन होगी।

87. वायुयान अनुरक्षण कार्मिकों की लॉग बुक.– प्रत्येक व्यक्ति जो वायुयान अनुरक्षण इंजीनियर की अनुज्ञप्ति रखता है या इन नियमों के अधीन ऐसे अनुज्ञप्ति के लिए अर्हता प्राप्त करने की प्रक्रिया में है, महानिदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट प्रारूप और रीति से एक व्यक्तिगत लॉग बुक रखेगा और अपने द्वारा किए गए या पर्यवेक्षित वायुयान अनुरक्षण कार्य को उस लॉग बुक में रिकॉर्ड करेगा।

3. वायु यातायात नियंत्रक

88. वायु यातायात सेवा कार्मिकों के लिए अनुज्ञप्ति की अपेक्षा.- (1) कोई भी व्यक्ति भारतीय वायु क्षेत्र में या भारतीय क्षेत्र के बाहर किसी ऐसे वायु क्षेत्र में वायु यातायात नियंत्रण सेवाएं प्रदान करने में तब तक अपने आप को नहीं लगाएगा, जब तक कि उसके पास इन नियमों के अधीन जारी विधिमान्य वायु यातायात नियंत्रक अनुज्ञप्ति न हो जिसके लिए भारत ने किसी अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था के अनुसरण में वायु यातायात नियंत्रण सेवाएं प्रदान करने का दायित्व लिया है।

(2) निर्दिष्ट सैन्य प्राधिकारी इस भाग के उपबंधों के अनुसार और महानिदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन सैन्य उपयोग के लिए विनिर्दिष्ट विमानक्षेत्र में नागरिक विमानों को विमान यातायात सेवाएं प्रदान कर सकता है।

89. रेटिंग और यूनिट पृष्ठांकन की अपेक्षा.- (1) कोई भी व्यक्ति वायु यातायात नियंत्रण यूनिट में वायु यातायात नियंत्रक के रूप में तब तक कार्य नहीं करेगा जब तक कि उसके अनुज्ञप्ति में उक्त प्रयोजन के लिए रेटिंग न हो:

परंतु छात्र वायु यातायात नियंत्रक अनुज्ञप्ति या वायु यातायात नियंत्रक अनुज्ञप्ति का धारक, अपनी अनुज्ञप्ति में ऐसी रेटिंग के समर्थन के लिए अर्हता प्राप्त करने के प्रयोजनार्थ, किसी विशिष्ट वायु यातायात नियंत्रण यूनिट में संबंधित रेटिंग के बिना, उस विशिष्ट वायु यातायात नियंत्रण यूनिट के लिए रेटिंग रखने वाले तथा महानिदेशक द्वारा या महानिदेशक द्वारा विशिष्ट रूप से प्राधिकृत किसी अन्य संगठन द्वारा प्रशिक्षक के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति के प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण के अधीन कार्य कर सकेगा।

(2) अनुज्ञप्ति में एक या एक से अधिक वायु यातायात नियंत्रण इकाइयों के लिए रेटिंग हो सकती है।

(3) उप-नियम (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, महानिदेशक या महानिदेशक द्वारा इस प्रयोजन के लिए विशेष रूप से प्राधिकृत कोई अन्य संगठन निम्नलिखित को प्राधिकृत कर सकता है-

(i) वायु यातायात नियंत्रक अनुज्ञप्ति धारक को, उसकी अनुज्ञप्ति पर नई यूनिट का पृष्ठांकन किए बिना, नव स्थापित वायु यातायात नियंत्रण यूनिट में कार्य करने की अनुमति होगी, यदि उसने उक्त यूनिट के लिए सिमुलेशन प्रशिक्षण पूरा कर लिया हो और महानिदेशक द्वारा या महानिदेशक

द्वारा इस प्रयोजन के लिए विशेष रूप से प्राधिकृत किसी अन्य संगठन द्वारा विधिवत् अनुमोदित मूल्यांकन बोर्ड द्वारा उसे ऐसे कर्तव्यों के लिए उपयुक्त माना गया हो:

परंतु ऐसे नव स्थापित वायु यातायात नियंत्रण इकाई की रेटिंग, महानिदेशक द्वारा द्वितीय अनुसूची की संबंधित धारा के लिए, अनुज्ञप्ति धारक द्वारा विनिर्दिष्ट अनुभव प्राप्त करने के बाद अनुज्ञप्ति पर पृष्ठांकित की जा सकेगी, जिसमें ज्ञान, कौशल और अनुभव की आवश्यकता का अनुपालन माना जाएगा।

स्पष्टीकरण.- इस खंड के प्रयोजन के लिए, "सिमुलेशन प्रशिक्षण" में स्वचालित या कंप्यूटर जनित वायु यातायात परिवेश या सरल प्रशिक्षक-चालित इंटरैक्टिव रोल प्ले सम्मिलित है;

(ii) किसी विमानपत्तन पर अस्थायी रूप से विमान यातायात नियंत्रण कर्तव्यों का पालन करने के लिए किसी विमान यातायात नियंत्रक की तैनाती ,उसके अनुज्ञप्ति पर उस विमानक्षेत्र का पृष्ठांकन किए बिना, परंतु यह कि उसके पास उच्च विमान यातायात घनत्व वाले किसी अन्य विमानक्षेत्र के लिए समान रेटिंग हो और उसे अस्थायी ड्यूटी वाले विमानपत्तन के लिए रेटिंग रखने वाले विमान यातायात नियंत्रक द्वारा ऐसे कर्तव्यों के लिए उपयुक्त माना जाए ।

90. रेटिंग प्रशिक्षण नियम-पुस्तक– प्रत्येक हवाई यातायात सेवा स्टेशन पर एक रेटिंग प्रशिक्षण नियम-पुस्तक होगी, जिसमें महानिदेशक द्वारा विधिवत् अनुमोदित द्वितीय अनुसूची में उल्लिखित अपेक्षाओं या रेटिंग को पूरा करने के लिए कार्यस्थल पर प्रशिक्षण, परीक्षा, मूल्यांकन और प्रक्रियाओं के लिए पाठ्यक्रम सम्मिलित होगा।

91. चिकित्सा मानक.- (1) नियम 69 के उप-नियम (1) के खंड (ण) से (फ) के अधीन प्रदान की गई कोई अनुज्ञप्ति या रेटिंग तब तक जारी या नवीनीकृत नहीं की जाएगी जब तक कि आवेदक के पास अनुमोदित चिकित्सा प्राधिकारी के साथ चिकित्सा परीक्षा कराने और महानिदेशक द्वारा इस प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्ट चिकित्सा मानकों को पूरा करने के बाद महानिदेशक द्वारा जारी चिकित्सा योग्यता मूल्यांकन न हो:

परंतु यदि अनुमोदित चिकित्सा प्राधिकारी की राय में आवेदक की स्थिति ऐसी नहीं है कि उसकी अनुज्ञप्ति या रेटिंग की विधिमान्यता की अवधि के दौरान अकस्मात असमर्थता या अपने कर्तव्यों को सुरक्षित रूप से निभाने में असमर्थता का कोई खतरा उत्पन्न हो और अपेक्षा को पूरा करने में विफलता की भरपाई की जा सकती है और महानिदेशक के पास संतोषजनक साक्ष्य है कि आवेदक ने पहले ही अपनी अहर्ता, कौशल और अनुभव अर्जित कर लिया है और प्रदर्शित कर दिया है जो उसकी कमी की भरपाई करता है, तो मूल्यांकन किसी भी सीमा के साथ जारी किया जा सकेगा, जैसा कि उचित समझा जाए, और अनुज्ञप्ति या रेटिंग को ऐसी सीमा के साथ नवीकृत या पृष्ठांकित किया जा सकेगा।

स्पष्टीकरण.- इस उप-नियम के प्रयोजनार्थ अनुमोदित चिकित्सा प्राधिकारी से महानिदेशक द्वारा अनुमोदित चिकित्सा प्राधिकारी अभिप्रेत है।

(2) महानिदेशक किसी अनुज्ञप्ति धारक से किसी भी समय किसी चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा चिकित्सा परीक्षण कराने की अपेक्षा कर सकेगा, यदि उसकी राय में, ऐसी परीक्षा प्रचालनों की सुरक्षा के हित में आवश्यक है।

92. विधिमान्य चिकित्सा फिटनेस मूल्यांकन के बिना अनुज्ञप्ति विधिमान्य नहीं.- नियम 69 के उप-नियम (1) के अनुभाग (ण) से (फ) के अधीन प्रदान की गई अनुज्ञप्ति तब तक विधिमान्य नहीं होगी जब तक कि उसके साथ विधिमान्य चिकित्सा स्वस्थता मूल्यांकन न हो और धारक विधिमान्य चिकित्सा स्वस्थता मूल्यांकन के अभाव में अनुज्ञप्ति के विशेषाधिकारों का प्रयोग नहीं करेगा।

93. चिकित्सीय फिटनेस में कमी.- (1) अनुज्ञप्ति धारक किसी भी अवधि के दौरान अपनी अनुज्ञप्ति और रेटिंग के विशेषाधिकारों का प्रयोग नहीं करेगा जब वह जानता हो कि उसकी शारीरिक स्थिति खराब हो गई है और चिकित्सीय अर्हता उस श्रेणी की अनुज्ञप्ति के लिए अपेक्षित मानक से कम हो गई है।

(2) अनुज्ञप्ति धारक अपनी अनुज्ञप्ति के विशेषाधिकारों का प्रयोग तब तक नहीं करेगा जब तक कि वह ऐसी बीमारी या चोट लगने, जिससे वह लगातार बीस दिन से अधिक की अवधि के लिए अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में असमर्थ हो जाए या जिससे उसके कर्तव्यों के निर्वहन में उसकी अक्षमता या दक्षता में कमी आने की संभावना हो, की स्थिति में पुन: चिकित्सा जांच कराने के बाद स्वस्थ घोषित नहीं कर दिया जाता।

(3) अनुज्ञप्ति धारक या उसका नियोक्ता बीमारी या चोट से संबंधित समस्त विवरण महानिदेशक को तुरंत सूचित करेगा।

(4) उप-नियम (2) के अधीन अक्षम घोषित किए गए व्यक्ति की अनुज्ञप्ति तब तक अविधिमान्य मानी जाएगी जब तक कि धारक पुनः चिकित्सा परीक्षण नहीं करा लेता।

94. अनुज्ञप्ति की विधिमान्यता की अवधि और चिकित्सा स्वस्थता मूल्यांकन.- (1) छात्र वायु यातायात नियंत्रक अनुज्ञप्ति जारी होने की तारीख से अधिकतम तीन वर्ष की अवधि के लिए विधिमान्य रहेगी और महानिदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट की जाने वाली शर्तों के अधीन अगले तीन वर्ष की अधिकतम अवधि के लिए नवीकृत की जा सकेगी।

(2) नियम 69 के उप-नियम (5) और (6), नियम 70, 92 और 96 के अधीन रहते हुए, वायु यातायात नियंत्रक अनुज्ञप्ति तब तक विधिमान्य रहेगी जब तक कि धारक साठ वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता है:

परंतु यदि धारक ने पांच वर्ष से अधिक समय तक विधिमान्य रेटिंग नहीं रखी है तो अनुज्ञप्ति की विधिमान्यता समाप्त हो जाएगी और ऐसे मामले में अनुज्ञप्ति का नवीकरण नियम 98 और द्वितीय अनुसूची की अपेक्षाओं की पूर्ति के अधीन होगा।

(3) (क) अनुज्ञप्ति की विधिमान्यता अवधि, जारी होने की तारीख से प्रारंभ होगी।

(ख) नवीकरण के मामले में, नवीकरण की तारीख पर ध्यान दिए बिना, विधिमान्यता की अवधि पिछली विधिमान्यता की समाप्ति की तारीख के बाद की तारीख से आरंभ होगी, यदि नवीकरण

के लिए आवेदन समाप्ति की तारीख से पहले तीस दिनों की अवधि के भीतर प्रस्तुत किया गया हो और आवेदन की तारीख को नवीकरण के लिए सभी अपेक्षाएं पूरी हो गई हों।

(ग) किसी अन्य मामले में, अनुज्ञप्ति के नवीकरण की विधिमान्यता नवीकरण की तारीख से आरंभ होगी ।

(4) चिकित्सा स्वस्थता मूल्यांकन की विधिमान्यता की अधिकतम अवधि चिकित्सा जांच की तारीख से चार वर्ष होगी।

(5) उप-नियम (4) में विनिर्दिष्ट चिकित्सा स्वस्थता की विधिमान्यता की अवधि,अनुज्ञप्ति धारक के चालीस वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात् दो वर्ष तक कम हो जाएगी, जिसे अनुज्ञप्ति धारक के पचास वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात् एक वर्ष तक और कम कर दिया जाएगा।

(6) (क) प्रारंभिक चिकित्सा स्वस्थता मूल्यांकन की विधिमान्यता की अवधि चिकित्सा जांच की तारीख से प्रारंभ होगी।

(ख) नवीकरण के मामले में, चिकित्सा स्वस्थता मूल्यांकन की विधिमान्यता की अवधि, नवीकरण की तारीख पर ध्यान दिए बिना, पिछले चिकित्सा स्वस्थता मूल्यांकन की समाप्ति की तारीख के बाद की तारीख से आरंभ होगी, यदि नवीकरण के लिए चिकित्सा जांच पिछली विधिमान्यता की समाप्ति की तारीख से पहले अधिकतम पैंतालीस दिन के भीतर की गई हो ।

(ग) किसी अन्य मामले में, चिकित्सा स्वस्थता मूल्यांकन के नवीकरण की विधिमान्यता, नवीकरण की तारीख से आरंभ होगी।

95. अनुज्ञप्ति या रेटिंग रखने के लिए अधिकतम आयु सीमा.- कोई भी व्यक्ति नियम 69 के उप-नियम (1) के खंड (ण) से (फ) के अधीन दी गई अनुज्ञप्ति के विशेषाधिकारों का प्रयोग साठ वर्ष की आयु का होने के बाद नहीं करेगा।

96. रेटिंग और पृष्ठांकन की विधिमान्यता बनाए रखना.- (1) वायु यातायात नियंत्रक अनुज्ञप्ति धारक अनुज्ञप्ति के विशेषाधिकारों और अनुज्ञप्ति पर पृष्ठांकित रेटिंग का प्रयोग तब तक नहीं करेगा जब तक कि वह द्वितीय अनुसूची में निर्धारित योग्यता और नवीनता संबंधी अपेक्षाओं को पूरा नहीं करता है और यह रेटिंग उस विमान यातायात नियंत्रण इकाई के लिए विधिमान्य है जहां वह कार्य करता है।

(2) यहां तक कि जब कोई व्यक्ति किसी विशेष इकाई में वायु यातायात नियंत्रक के रूप में कार्य करना बंद कर देता है, तो वह द्वितीय अनुसूची में निर्धारित योग्यता और नवीनता संबंधी अपेक्षा का अनुपालन करके अपनी रेटिंग को चालू रख सकेगा।

97. अनुज्ञप्ति धारक का अधिसूचित करने का दायित्व - जब द्वितीय अनुसूची में उल्लिखित रेटिंग के विशेषाधिकारों का उपयोग करने से पूर्व शर्तें पूरी नहीं होती हैं, तो अनुज्ञप्ति धारक उस स्थान की वायु यातायात सेवा के प्रभारी व्यक्ति को तत्काल सूचित करेगा और ऐसी शर्तें पूरी होने तक उस पद पर कार्य नहीं करेगा।

98. विधिमान्यता समाप्त अनुज्ञप्ति या रेटिंग का नवीकरण.- यदि नवीकरण के लिए आवेदन की तारीख को अनुज्ञप्ति या रेटिंग समाप्त हो चुकी है, तो आवेदक से कार्यस्थल पर प्रशिक्षण प्राप्त करना अपेक्षित होगा और उस अनुज्ञप्ति या रेटिंग को धारण करने के लिए आवेदक की योग्यता का आकलन करने के लिए महानिदेशक द्वारा यथाविनिर्दिष्ट परीक्षाओं और कौशल मूल्यांकन परीक्षणों को उत्तीर्ण करना होगा।

99. सक्षमता का प्रमाण.– (1) किसी अनुज्ञप्ति और रेटिंग की प्राप्ति और नवीकरण के लिए आवेदक को क्षमता प्राप्त करने और अनुज्ञप्ति या रेटिंग के संबंध में द्वितीय अनुसूची में निर्धारित परीक्षणों और परीक्षाओं को संतोषजनक ढंग से उत्तीर्ण करने का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।

(2) महानिदेशक किसी ऐसे व्यक्ति को, जो संघ की नौसेना, सेना या वायु सेना या किसी तत्समय प्रवृत्त विधि द्वारा गठित संघ के अन्य सशस्त्र बलों से अर्हता प्राप्त वायु यातायात नियंत्रक है और जो यह दर्शाने के लिए संतोषजनक साक्ष्य प्रस्तुत करता है कि उसके पास इन नियमों के अधीन यथा अपेक्षित आवश्यक अनुभव, अर्हता और शारीरिक फिटनेस का स्तर है, सभी या किसी भी परीक्षा और चिकित्सीय या अन्य तकनीकी जांच से छूट दे सकेगा।

(3) महानिदेशक, पाठ्यक्रम की जांच करने के बाद, ऐसे आवेदकों को द्वितीय अनुसूची के अधीन अपेक्षित परीक्षा उत्तीर्ण करने से छूट प्रदान करने के लिए परीक्षाओं की सापेक्ष समतुल्यता अवधारित कर सकेगा।

(4) महानिदेशक किसी अभ्यर्थी या प्रशिक्षण संगठन से यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह ऐसे अभ्यर्थी के संबंध में, जिसने ऐसे प्रशिक्षण प्रतिष्ठान से प्रशिक्षण प्राप्त किया है, सभी सुसंगत प्रशिक्षण अभिलेख, जिनमें पाठ्यक्रम, प्रमाणपत्र, अंक-पत्र, कार्यस्थल प्रशिक्षण परीक्षण रिपोर्ट, मूल्यांकन आदि सम्मिलित हैं, जांच के लिए प्रस्तुत करे।

100. परीक्षण, मूल्यांकन और परीक्षा.- (1) महानिदेशक या महानिदेशक द्वारा विशेष रूप से प्राधिकृत कोई अन्य संगठन द्वितीय अनुसूची में उल्लिखित ज्ञान के स्तर का परीक्षण करने के लिए परीक्षाएं आयोजित कर सकेगा, भारत में परीक्षा केंद्र नियत कर सकेगा, निरीक्षकों की नियुक्ति और परीक्षाएं आयोजित करने की प्रक्रिया विनिर्दिष्ट कर सकेगा।

(2) महानिदेशक अनुज्ञप्ति और रेटिंग जारी करने के लिए परीक्षाओं का विस्तृत पाठ्यक्रम विनिर्दिष्ट करेगा।

(3) (क) महानिदेशक या महानिदेशक द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत सरकार के नियंत्रणाधीन कोई संगठन द्वितीय अनुसूची के अधीन अपेक्षित परीक्षाएं और मूल्यांकन करने के लिए परीक्षकों की नियुक्ति कर सकेगा और जहां आवश्यक हो, परीक्षाएं और मूल्यांकन करने के लिए बोर्ड भी नियुक्त कर सकेगा।

(ख) परीक्षकों का चयन महानिदेशक द्वारा इस प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्ट मानदंडों के आधार पर किया जाएगा और अनुज्ञप्ति जारी करने या नवीकरण करने या अनुज्ञप्ति पर रेटिंग पृष्ठांकित करने के लिए आयोजित किसी भी परीक्षा और मूल्यांकन के संबंध में, परीक्षा और मूल्यांकन रिपोर्ट लाइसेंसिंग प्राधिकारी को प्रस्तुत की जाएगी।

(4) महानिदेशक यह निर्धारित कर सकेगा कि मूल्यांकन और प्रवीणता जांच किस रीति से की जाएगी।

(5) महानिदेशक किसी व्यक्ति को किसी मूल्यांकन या परीक्षा से स्थायी रूप से या अस्थायी रूप से वंचित कर सकेगा, यदि उसकी राय में, उस व्यक्ति ने मूल्यांकन या परीक्षा के दौरान अनुचित साधन अपनाए हैं।

(6) (क) महानिदेशक, किसी प्राधिकृत व्यक्ति या बोर्ड द्वारा संचालित किसी परीक्षा या मूल्यांकन को अकृत और शून्य घोषित कर सकेगा, यदि उनकी राय में परीक्षा या मूल्यांकन उनकी संतुष्टि के अनुसार नहीं किया गया है, और वह परीक्षा या मूल्यांकन को किसी अन्य प्राधिकृत व्यक्ति या बोर्ड द्वारा पुनः किए जाने की अपेक्षा कर सकेगा।

(ख) महानिदेशक ऐसे प्राधिकृत व्यक्ति या बोर्ड के विरुद्ध भी ऐसी कार्रवाई कर सकेगा, जिसे वह नियम 212 के उपबंधों के अधीन उचित समझे।

101. वायु यातायात सेवा इकाइयों के रेडियो कॉल संकेतों का प्रयोग.— दो-तरफ़ा रेडियो संचार का प्रयोग करने वाला अनुज्ञप्ति धारक किसी कॉल संकेत का प्रयोग, प्रयोग का कारण या प्रयोग की अनुमति उस प्रयोजन से भिन्न किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं देगा, जिसके लिए उस कॉल संकेत को अधिसूचित किया गया है।

102. अनुभव का अभिलेख और निगरानी अवधि की लॉगिंग.— (1) प्रत्येक अनुज्ञप्ति धारक महानिदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट प्ररूप में व्यक्तिगत लॉग बुक रखेगा और वास्तविक निगरानी अवधि को दर्ज करेगा जिसके दौरान उसने अपने अनुज्ञप्ति या रेटिंग के विशेषाधिकारों का प्रयोग करने के लिए या कार्यस्थल पर प्रशिक्षण के लिए या कौशल मूल्यांकन के लिए या प्रवीणता जांच के लिए कोई कार्य किया है ।

(2) लॉग बुक में सभी प्रविष्टियाँ या तो स्याही से की जाएंगी या इलेक्ट्रॉनिक रूप से दर्ज की जाएंगी।

(3) लॉग बुक को उसमें अंतिम प्रविष्टि की तारीख से कम- से- कम पांच वर्ष तक संरक्षित रखा जाएगा।

(4) (क) प्रत्येक अनुज्ञप्ति धारक को कम-से- कम प्रत्येक कैलेंडर माह के अंत में निगरानी अवधि के संबंध में अपनी लॉग बुक में प्रविष्टियों की सटीकता प्रमाणित करनी होगी।

(ख) प्रत्येक तिमाही के अंत में, लॉग बुक को वायु यातायात सेवा इकाई के प्रभारी द्वारा या महानिदेशक द्वारा ऐसा करने के लिए प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, उसमें की गई प्रविष्टियों की सत्यता के लिए, प्रमाणित किया जाएगा।

(5) वह निगरानी समय जिसके दौरान अनुज्ञप्ति धारक कार्यस्थल पर प्रशिक्षण ले रहा है, उसकी लॉग बुक में "कार्यस्थल पर प्रशिक्षण" के रूप में दर्ज किया जाएगा और प्रशिक्षक या महानिदेशक द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य व्यक्ति भी अनुज्ञप्ति धारक की लॉग बुक में दिए गए प्रशिक्षण की प्रकृति को दर्शाते हुए प्रविष्टियों पर प्रतिहस्ताक्षर या सत्यापन करेगा।

(6) अनुदेशक या परीक्षक अपनी लॉग बुक में उस अवधि को निगरानी अवधि के रूप में दर्ज करेगा जिसके दौरान वह अनुदेशक या परीक्षक के रूप में कार्य करता है और लॉग प्रविष्टियों में टिप्पणी कॉलम में यह दर्शाया जाएगा कि निगरानी समय निर्देशात्मक या परीक्षा के उद्देश्य से दर्ज किया गया था।

4. रेडियो टेलीफोनी प्रचालक

103. रेडियो-टेलीग्राफ उपकरण– (1) कोई भी व्यक्ति भारत में रजिस्ट्रीकृत किसी वायुयान में रेडियो संचारण उपकरण तब तक नहीं चलाएगा जब तक कि उसके पास इस भाग के उपबंधों द्वारा अपेक्षित प्रकार की अनुज्ञप्ति न हो, जो इन नियमों द्वारा यथास्थिति, रेडियो-टेलीग्राफ या रेडियो-टेलीफोन उपकरण ले जाने के लिए अपेक्षित वायुयान के संबंध में अपेक्षित हो, और उन उपबंधों के अनुसरण में जारी की गई हो।

(2) वायुयान में ले जाए जाने वाले रेडियो-प्रेषण उपकरण का प्रचालन, वर्ष 1932 में मैड्रिड में आयोजित अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार अभिसमय में परिभाषित शर्तों तथा इसके साथ संलग्न सामान्य रेडियो-संचार विनियमों, जहां तक ये लागू होते हैं, के अधीन किया जाएगा, तथा उनका प्रचालन केवल उन घंटों के दौरान किया जाएगा जिनमें ऐसे प्रचालन की अनुमति केन्द्रीय सरकार द्वारा दी गई है।

(3) भारत में रजिस्ट्रीकृत जिस वायुयान में इन नियमों के अनुसार रेडियो-टेलीग्राफ उपकरण ले जाना अपेक्षित है, उनमें नियम 59 के उपबंधों के अनुसार ऐसे उपकरण लगाए जाएंगे।

(4) इस नियम की कोई भी बात किसी व्यक्ति को दूरसंचार अधिनियम, 2023 (2023 का 44) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उन उपबंधों से छूट नहीं देगी, जिनके अनुसार रेडियो-टेलीग्राफ उपकरण के लिए अनुज्ञप्ति लेना अपेक्षित है।

104. रेडियो-टेलीफोन उपकरण का प्रचालन.- कोई भी व्यक्ति किसी वायुयान स्टेशन या वायुयान भू-स्टेशन की रेडियो टेलीफोन सेवा का प्रचालन नहीं करेगा या प्रचालन की अनुमति नहीं देगा, जो वैमानिक मोबाइल सेवा या वैमानिक मोबाइल-उपग्रह सेवा के लिए विशेष रूप से आवंटित आवृत्तियों पर संचालित हो, जब तक कि उसके पास केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी या मान्यता प्राप्त विधिमान्य रेडियो टेलीफोन प्रचालक (निर्बंधित) प्रमाण पत्र और अनुज्ञप्ति न हो।

105. रेडियो टेलीफोन प्रचालक (निर्बंधित) प्रमाणपत्र और अनुज्ञप्ति परीक्षा में उपस्थित होने के लिए पात्रता.- कोई भी व्यक्ति इन नियमों के अधीन परीक्षा में उपस्थित होने के लिए तब तक पात्र नहीं होगा, जब तक कि आवेदक ने:

(क) आवेदन की तिथि को सोलह वर्ष की आयु प्राप्त न कर ली हो;

(ख) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से दसवीं कक्षा या इसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण न की हो:

परंतु जो आवेदक परीक्षा में असफल हो जाता है, उसे महानिदेशक द्वारा यथाविनिर्दिष्ट ऐसी परीक्षा की तारीख से ऐसी अवधि के भीतर पुनः परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी:

परंतु यह और कि यदि आवेदक भारतीय नागरिक नहीं है तो उसे भारत सरकार से सुरक्षा संबंधी अनुमति लेनी होगी।

106. आवेदन प्रस्तुत करना.- रेडियो टेलीफोन प्रचालक (निर्बंधित) प्रमाणपत्र और अनुज्ञप्ति प्रदान करने हेतु परीक्षा में उपस्थित होने के लिए आवेदन, महानिदेशक को, महानिदेशक द्वारा यथाविनिर्दिष्ट प्ररूप और रीति से किया जाएगा।

107. परीक्षाएं.- (1) रेडियो टेलीफोन प्रचालक (निर्बंधित) प्रमाणपत्र और अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए परीक्षा महानिदेशक द्वारा यथा विनिर्दिष्ट प्ररूप और रीति से आयोजित की जाएगी।

(2) महानिदेशक भारत में परीक्षा केंद्र नियत कर सकेंगे, निरीक्षक नियुक्त कर सकेंगे तथा परीक्षाएं आयोजित करने की प्रक्रिया निर्धारित कर सकेंगे।

(3) महानिदेशक प्रयोगात्मक परीक्षा आयोजित करने के लिए महानिदेशक द्वारा यथा विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं को पूरा करने वाले परीक्षकों को प्राधिकृत कर सकेगा।

(4) रेडियो टेलीफोन प्रचालक (निर्बंधित) प्रमाणपत्र और अनुज्ञप्ति परीक्षा में निम्नलिखित शामिल होंगे:

(क) लिखित परीक्षा; और

(ख) प्रयोगात्मक परीक्षा:

परंतु कोई आवेदक तब तक प्रयोगात्मक परीक्षा में बैठने के लिए पात्र नहीं होगा जब तक कि उसने लिखित परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर ली हो:-

परंतु यह और कि महानिदेशक निम्नलिखित आवेदकों को लिखित परीक्षा से छूट दे सकेंगे:

(i) भारतीय वायु सेना, भारतीय नौसेना या भारतीय सेना या भारतीय तटरक्षक बल का अर्हताप्राप्त पायलट, जिसके पास महानिदेशक द्वारा यथा विनिर्दिष्ट आवश्यक उड़ान अनुभव और क्षमता हो;

(ii) वह व्यक्ति जिसके पास विधिमान्य फ्लाइट रेडियो टेलीफोन प्रचालक अनुज्ञप्ति या राष्ट्रमंडल देशों या फिलीपींस द्वारा जारी समकक्ष अनुज्ञप्ति हो:

परंतु यह भी कि यदि इन नियमों के प्रारम्भ से पूर्व प्रदान किया गया रेडियो टेलीफोन प्रचालक (निर्बंधित) प्रमाणपत्र और अनुज्ञप्ति निलंबित कर दी गई हो या ऐसे रेडियो टेलीफोन प्रचालक (निर्बंधित) प्रमाणपत्र और अनुज्ञप्ति से संबंधित कोई कार्यवाही लंबित हो तो ऐसे रेडियो टेलीफोन प्रचालक (निर्बंधित) प्रमाणपत्र और अनुज्ञप्तिधारक निलंबन अवधि की समाप्ति तक परीक्षाओं में बैठने के लिए पात्र नहीं होगा।

(5) परीक्षा का पाठ्यक्रम निम्नानुसार होगा अर्थात्:

(i) महानिदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट पाठ्यक्रम के अनुसार विनियमन और प्रक्रिया, रेडियो सिद्धांत और अभ्यास, और रेडियो टेलीफोनी को सम्मिलित करने वाली लिखित परीक्षा;

(ii) प्रयोगात्मक परीक्षा जिसमें सिमुलेटेड परिवेश में रेडियो टेलीफोनी का व्यावहारिक परीक्षण शामिल होगा और आवेदक से यह अपेक्षित होगा कि वह -

(क) रेडियो-टेलीफोन कार्य करने की ध्वन्यात्मक वर्णमाला और सामान्य प्रक्रिया का प्रयोग करे;

(ख) मोबाइल या बेस स्टेशनों से जुड़े संचार का प्रयोग करे।

स्पष्टीकरण - खण्ड (ii) के प्रयोजनार्थ आवेदक से प्रेषण के लिए संदेश तैयार करना, संचार-यातायात का आदान-प्रदान, प्राथमिकताओं का प्रयोग, मौसम संबंधी सूचना प्राप्त करना, स्थिति रिपोर्ट, संकट, तात्कालिकता आदि जैसे कार्य करने की अपेक्षा की जाती है।

(6) रेडियो टेलीफोन प्रचालक (निर्बंधित) प्रमाणपत्र और अनुज्ञप्ति के लिए आवेदक को लिखित परीक्षा उत्तीर्ण करने की तारीख से तीन वर्ष के भीतर प्रयोगात्मक परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी:

परंतु आवेदक या उप-नियम (4) के अधीन लिखित परीक्षा में बैठने से छूट प्राप्त व्यक्ति को अधिकतम तीन बार प्रयोगात्मक परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाएगी और तीन प्रयासों के दौरान प्रयोगात्मक परीक्षा में उत्तीर्ण होने में असफल होने पर बाद की प्रयोगात्मक परीक्षाओं में बैठने की अनुमति देने से पहले उसे फिर से लिखित परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी।

108. रेडियो टेलीफोन प्रचालक (निर्बंधित**) प्रमाणपत्र और अनुज्ञप्ति जारी करने के लिए अपेक्षाएं.-** रेडियो टेलीफोन प्रचालक (निर्बंधित) प्रमाणपत्र और अनुज्ञप्ति के लिए आवेदक को निम्नलिखित अपेक्षाएं पूरी करनी होंगी, अर्थात्: -

(क) आवेदन की तिथि को आवेदक की आयु सोलह वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए;

(ख) आवेदक को किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से दसवीं कक्षा या इसके समकक्ष उत्तीर्ण होना चाहिए;

(ग) आवेदक को इन नियमों के नियम 107 के अधीन यथा उपबंधित परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी।

109. रेडियो टेलीफोन प्रचालक (निर्बंधित**) प्रमाणपत्र और अनुज्ञप्ति की विधिमान्यता-** (1) इन नियमों के अधीन प्रदान किया गया रेडियो टेलीफोन प्रचालक (निर्बंधित) प्रमाणपत्र और अनुज्ञप्ति, जब तक निलंबित या रद्द न कर दिया जाए, धारक के अस्सी वर्ष की आयु प्राप्त करने तक विधिमान्य रहेगा:

परंतु यह कि रेडियो टेलीफोन प्रचालक (निर्बंधित) प्रमाणपत्र और अनुज्ञप्ति को अस्सी वर्ष की आयु के बाद भी बढ़ाया जा सकेगा, परन्तु धारक महानिदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं को पूरा करता हो।

(2) इन नियमों के लागू होने की तारीख को विद्यमान रेडियो टेलीफोन प्रचालक (निर्बंधित) प्रमाणपत्र और अनुज्ञप्ति इसकी समाप्ति तक विधिमान्य रहेंगे और धारक को इन नियमों के अधीन रेडियो टेलीफोन प्रचालक (निर्बंधित) प्रमाणपत्र और अनुज्ञप्ति प्रदान की जा सकेगी परंतु यह कि धारक इन नियमों के नियम 107 के अधीन निर्धारित प्रयोगात्मक परीक्षा उत्तीर्ण कर ले।

110. प्रचालन के लिए प्राधिकरण का कार्यक्षेत्र- रेडियो टेलीफोन प्रचालक (निर्बंधित) प्रमाणपत्र और अनुज्ञप्ति रखने वाला धारक, केंद्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों को पूरा करने के अधीन, निम्नानुसार मोबाइल स्टेशनों का प्रचालन कर सकेगा: -

(क) समुद्री मोबाइल सेवा की फ्रीक्वेंसी पर कार्य करते समय किसी भी वायुयान स्टेशन की रेडियो टेलीफोन सेवा का प्रचालन करना:

परंतु यह कि:-

(i) ट्रांसमीटर की अधिकतम एनवेलोप विद्युत 200 वाट से अधिक न हो, या

(ii) ट्रांसमीटर के प्रचालन के लिए केवल सामान्य बाह्य स्विचिंग उपकरणों के उपयोग की अपेक्षा होती है, जिसमें फ्रीक्वेंसी निर्धारण तत्वों के सभी मैनुअल समायोजन को छोड़ दिया जाता है, जिसमें ट्रांसमीटर द्वारा स्वयं फ्रीक्वेंसी की स्थिरता को रेडियो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट सहनशीलता की सीमा के भीतर बनाए रखा जाता है और ट्रांसमीटर की अधिकतम एनवेलोप पावर 1.5 किलोवाट से अधिक नहीं होती है।

(ख) वैमानिक मोबाइल सेवा के लिए विशेष रूप से आवंटित फ्रीक्वेंसी पर प्रचालित किसी भी वायुयान स्टेशन की रेडियो टेलीफोन सेवा का प्रचालन करना:

परंतु ट्रांसमीटर के प्रचालन के लिए केवल सामान्य बाह्य स्विचिंग उपकरणों के उपयोग की अपेक्षा होती है, जिसमें फ्रीक्वेंसी निर्धारण तत्वों के सभी मैनुअल समायोजन को छोड़ दिया जाता है, और फ्रीक्वेंसी की स्थिरता रेडियो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट सहनशीलता की सीमाओं के भीतर ट्रांसमीटर द्वारा ही बनाए रखी जाती है ।

111. रेडियो टेलीफोन प्रचालक (निर्बंधित**) प्रमाणपत्र और अनुज्ञप्ति की अनुलिपि या भिन्न प्रमाणपत्र और अनुज्ञप्ति जारी करना -** (1) वह धारक जिसका रेडियो टेलीफोन प्रचालक (निर्बंधित) प्रमाणपत्र और अनुज्ञप्ति खो गया है, विकृत हो गया है या नष्ट हो गया है, इसकी सूचना महानिदेशक को देगा।

(2) जहाँ दूसरी प्रति अपेक्षित है तो, महानिदेशक को नियम 120 के अधीन निर्धारित फीस सहित आवेदन किया जाएगा, जिसमें रेडियो टेलीफोन प्रचालक (निर्बंधित) प्रमाणपत्र और अनुज्ञप्ति के नष्ट होने, विकृत होने और खराब होने के हालात का ब्यौरा होगा।

(3) यदि अनुज्ञप्ति या रेटिंग खो गई है तो, आवेदक को समुचित एजेंसियों से मिली रिपोर्ट के साथ इसकी युक्तियुक्त खोज का साक्ष्य देना होगा और यदि यह मिल जाती है, तो मूल प्रति रद्द करने हेतु वापस कर दी जाएगी।

ख. वायुयान के कार्मिक

112. **वायुयान के एकल प्रचालन के लिए न्यूनतम आयु.**— 16 वर्ष से कम आयु का कोई भी व्यक्ति गतिशील वायुयान का एकल प्रचालन नहीं करेगा और कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को गतिशील वायुयान का एकल प्रचालन नहीं करने देगा या ऐसा करने की अनुमति नहीं देगा, जब तक कि वह यह न जानता हो या उसके पास यह विश्वास करने का उचित कारण न हो कि ऐसा अन्य व्यक्ति 16 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका है।

113. **व्यावसायिक पायलटों के लिए अधिकतम आयु सीमा.**— (1) इन नियमों के अधीन जारी पायलट अनुज्ञप्ति रखने वाला और पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका कोई भी व्यक्ति वाणिज्यिक वायु परिवहन

परिचालन में लगे किसी वायुयान में पायलट-इन-कमांड या सह-पायलट के रूप में कार्य नहीं करेगा या पारिश्रमिक या किराए पर नियोजित नहीं किया जाएगा।

(2) इन नियमों के अधीन जारी पायलट अनुज्ञप्ति रखने वाला और साठ वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका कोई भी व्यक्ति वाणिज्यिक वायु यातायात परिचालन में लगे किसी वायुयान में पायलट-इन-कमांड या सह-पायलट के रूप में कार्य नहीं करेगा, जब तक कि वह बहु-चालक दल वाले परिवेश में संचालित न हो और दूसरा पायलट साठ वर्ष से कम आयु का न हो:

परंतु उप-नियम (2) के उपबंध एकल पायलट परिचालन के लिए प्रमाणित और भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर वाणिज्यिक वायु यातायात परिचालनों में लगे 5700 किलोग्राम से अनधिक कुल वजन वाले विमानों और बहु-चालक दल के परिवेश में परिचालन के संबंध में लागू नहीं होंगे।

114. प्रचालन कर्मीदल की आवाजाही- नियम 72, 73 और 74 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, भारत में रजिस्ट्रीकृत प्रत्येक वायुयान को अपने वहन करने वाले और अपने द्वारा प्रचालित किए जाने वाले कार्मिकों के संबंध में निम्नलिखित अपेक्षाओं का अनुपालन करना होगा, जो संबंधित वायुयान और प्रचालन के प्रकार पर लागू हैं, अर्थात:-

(क) पायलट.-

(i) निजी वायुयान- प्रत्येक निजी विमान को प्रथम अनुसूची के अनुसार जारी विधिमान्य पायलट अनुज्ञप्ति धारक द्वारा उड़ाया जाएगा:

परंतु यह कि:

I. किसी निजी वायुयान को छात्र पायलट अनुज्ञप्ति धारक द्वारा नहीं उड़ाया जाएगा;

II. निजी वायुयान को किसी भी प्रकार के पारिश्रमिक या किराए पर निजी पायलट अनुज्ञप्ति धारक द्वारा नहीं उड़ाया जाएगा;

III. किसी निजी वायुयान को विधिमान्य रात्रि रेटिंग के बिना, निजी पायलट अनुज्ञप्ति धारक द्वारा रात्रि में नहीं उड़ाया जाएगा ;

IV. किसी निजी वायुयान को निजी पायलट अनुज्ञप्ति धारक द्वारा इंस्ट्रूमेंट फ्लाइट नियमों के अधीन विधिमान्य इंस्ट्रूमेंट रेटिंग के बिना नहीं उड़ाया जाएगा।

(ii) सार्वजनिक परिवहन और हवाई कार्य वायुयान.- प्रत्येक सार्वजनिक परिवहन या हवाई कार्य वायुयान (माइक्रोलाइट या ग्लाइडर या बैलून से भिन्न) को प्रथम अनुसूची के अनुसार जारी एक उपयुक्त व्यावसायिक पायलट अनुज्ञप्ति, जैसेकि वाणिज्यिक या एयरलाइन यातायात पायलट अनुज्ञप्ति, धारक व्यक्ति द्वारा उड़ाया जाएगा:

परंतु (माइक्रोलाइट, ग्लाइडर या बैलून से भिन्न) कोई वायुयान, जो सम्यक् रूप से गठित उड़ान या ग्लाइडिंग या बैलूनिंग या एयरोस्पोर्ट क्लब की संपत्ति है या उसके द्वारा उपयोग किया जा रहा है, उसे

छात्र पायलट या निजी पायलट अनुज्ञप्ति धारक द्वारा अनुदेश प्राप्त करने या अर्हता प्राप्त करने, अनुज्ञप्ति का नवीकरण करने या उच्चतर श्रेणी की अनुज्ञप्ति जारी करने के प्रयोजन के लिए उड़ाया जा सकेगा:

परंतु यह और कि कोई वायुयान (माइक्रोलाइट या ग्लाइडर या बैलून से भिन्न), जो सम्यक् रूप से गठित उड़ान या ग्लाइडिंग या बैलूनिंग या एयरोस्पोर्ट क्लब की संपत्ति है या उसके द्वारा प्रयोग किया जा रहा है, जिसे कोई सदस्य उड़ाता है और जो किसी व्यक्ति को उड़ान में प्रशिक्षण देने के प्रयोजन के अलावा किसी अन्य प्रयोजन के लिए ले जा रहा है, इस नियम के प्रयोजन के लिए सार्वजनिक परिवहन के लिए उड़ाया हुआ नहीं माना जाएगा, तथापि, यदि ऐसे परिवहन के संबंध में, वायुयान के पायलट को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भुगतान किया जाता है या वायुयान का पायलट उड़ान या ग्लाइडिंग या बैलूनिंग या एयरोस्पोर्ट क्लब का वेतनभोगी कर्मचारी है तो, वायुयान सार्वजनिक परिवहन के लिए उड़ाया हुआ समझा जाएगा;

(ख) उड़ान प्रशिक्षक या सहायक उड़ान प्रशिक्षक.- (i) प्रत्येक विमान जिसका उपयोग पायलटिंग में दोहरे निर्देश देने के प्रयोजन से किया जा रहा है, उसमें एक व्यक्ति को ले जाया जाएगा, जिसके पास उपयुक्त व्यावसायिक पायलट अनुज्ञप्ति होगी, अर्थात, यथास्थिति, वाणिज्यिक या एयरलाइन यातायात पायलट अनुज्ञप्ति या पायलट अनुज्ञप्ति, जिसके पास प्रथम अनुसूची के अनुसार उपयुक्त उड़ान प्रशिक्षक या सहायक उड़ान प्रशिक्षक रेटिंग हो, या महानिदेशक द्वारा लिखित रूप में जारी प्राधिकार हो।

(ii) उड़ान प्रशिक्षक या सहायक उड़ान प्रशिक्षक की रेटिंग वाले व्यक्ति से भिन्न कोई अन्य व्यक्ति वायुयान चलाने के संबंध में निर्देश नहीं देगा, जब तक कि उसे महानिदेशक द्वारा ऐसे निर्देश देने के लिए लिखित रूप में विशेष रूप से प्राधिकृत न किया गया हो।

(iii) महानिदेशक उप-खंड (i) और (ii) के अधीन प्राधिकार जारी करने संबंधी अपेक्षाओं को विनिर्दिष्ट कर सकेगा।

(ग) उड़ान दिक्चालक.- प्रत्येक सार्वजनिक परिवहन वायुयान, जो छह सौ समुद्री मील से अधिक की वृहद वृत्त दूरी पर बिना उतरे उड़ान भर रहा हो और जो पर्याप्त सहायक व्यवस्थाओं के साथ वायुयान की तत्काल और निरंतर भू-स्थिति प्रदान करने में सक्षम दिक्चालन उपकरण से सुसज्जित न हो, प्रथम अनुसूची के अनुसार अनुज्ञप्ति प्राप्त उड़ान दिक्चालक को अपने साथ ले जाएगा, यदि प्रस्तावित उड़ान के मार्ग के तीस समुद्री मील के भीतर स्थित और वायुयान द्वारा उपयोग किए जाने में सक्षम किन्हीं दो लगातार रेडियो दिक्चालन फिक्सिंग एड्स के बीच की कुल दूरी छह सौ समुद्री मील से अधिक है:

परंतु महानिदेशक किसी भी उड़ान में वायुयान पर उड़ान दिक्चालक ले जाने की अपेक्षा कर सकेगा।

(घ) उड़ान इंजीनियर.- जहां किसी उड़ान इंजीनियर को खंड (च) के अधीन उड़ान चालक दल के सदस्य के रूप में वायुयान पर ले जाया जाना अपेक्षित है, वहां वह प्रथम अनुसूची के अनुसार समुचित अनुज्ञप्ति धारक व्यक्ति होगा ।

(ड.) उड़ान रेडियो टेलीफोन प्रचालक.- ऐसा वायुयान जो नियम 59 के उपबंधों के अनुसार रेडियो उपकरण से सुसज्जित है या सुसज्जित होना अपेक्षित है और जो रेडियो टेलीफोनी द्वारा संचार करता है, ऐसे वायुयान में रेडियो उपकरण संचालित करने के लिए प्रथम अनुसूची के अनुसार, यथास्थिति, जारी की गई

फ्लाइट रेडियो टेलीफोन प्रचालक अनुज्ञप्ति या फ्लाइट रेडियो टेलीफोन प्रचालक अनुज्ञप्ति (प्रतिबंधित) धारक को ले जाया जाएगा।

(च) किसी उड़ान के लिए न्यूनतम चालक कर्मीदल.- भारत में रजिस्ट्रीकृत किसी वायुयान की किसी भी उड़ान का प्रचालन करने वाले उड़ान चालक दल के सदस्यों की संख्या और विवरण निम्म प्रकार होगा-

(i) यदि वायुयान के संबंध में उड़नयोग्यता प्रमाणपत्र प्रवृत्त है, तो कम- से- कम उन व्यक्तियों की संख्या और विवरण, जो उस वायुयान के लिए उड़नयोग्यता प्रमाणपत्र में न्यूनतम प्रचालन दल के रूप में विनिर्दिष्ट हैं;

(ii) यदि वायुयान के संबंध में कोई उड़नयोग्यता प्रमाणपत्र प्रवृत्त नहीं है, किंतु उस वायुयान के संबंध में उड़नयोग्यता प्रमाणपत्र पूर्व में प्रवृत्त रहा है, तो कम- से -कम उन व्यक्तियों की संख्या और विवरण जो उस वायुयान के अंतिम प्रवृत्त उड़नयोग्यता प्रमाणपत्र में न्यूनतम प्रचालक दल के रूप में विनिर्दिष्ट हैं;

(iii) यदि वायुयान के संबंध में कोई उड़नयोग्यता प्रमाणपत्र लागू नहीं है या लागू नहीं रहा है और वह वायुयान प्रोटोटाइप (उपांतरित) वायुयान के अनुरूप श्रृंखला वायुयान है जिसके संबंध में उड़नयोग्यता प्रमाणपत्र जारी किया गया है, तो कम- से- कम उस उड़नयोग्यता प्रमाणपत्र में न्यूनतम प्रचालक दल के रूप में व्यक्तियों की संख्या और विवरण विनिर्दिष्ट किया जाए।

(iv) अन्य सभी मामलों में, वायुयान की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए महानिदेशक द्वारा यथानुमोदित कम- से- कम संख्या और उनका विवरण।

115. उड़ान कर्मीदल की आवाजाही.- (1) भारत में रजिस्ट्रीकृत किसी भी वायुयान को यात्रियों के सार्वजनिक परिवहन के लिए तब तक प्रचालित नहीं किया जाएगा, जब तक कि वायुयान में निम्नलिखित सारणी में यथा उपबंधित न्यूनतम संख्या में उड़ान कर्मीदल सवार न हों, जिसे वायुयान के प्रचालक या कमांड पायलट द्वारा यात्रियों की सुरक्षा के हित में कर्तव्यों का पालन करने का कार्य सौंपा गया हो, अर्थात:-

सारणी

क्रम सं.	बैठने की क्षमता	केबिन कर्मीदल की न्यूनतम संख्या
(1)	(2)	(3)
1.	ऐसे वायुयान के लिए जिसकी बैठने की क्षमता न्यूनतम दस से और अधिकतम पचास यात्रियों की हो।	एक उड़ान कर्मी
2.	ऐसे हेलीकॉप्टर के लिए जिसकी बैठने की क्षमता न्यूनतम बीस और अधिकतम पचास यात्रियों की हो।	एक उड़ान कर्मी
3.	पचास से अधिक यात्रियों की बैठने की क्षमता वाले वायुयान या हेलीकॉप्टर केबिन के लिए	निन्यानवे यात्रियों की बैठने की क्षमता से ऊपर पचास यात्रियों वाली प्रत्येक इकाई (या एक इकाई

		के भाग) के लिए दो उड़ान कर्मीदल के साथ-साथ एक उड़ान कर्मी।

(2) उप-नियम (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि वायुयान निर्माता द्वारा, उपयोग किए जा रहे वायुयान के प्रकार के लिए, कोई उच्चतर संख्या विनिर्दिष्ट की जाती है, तो उस न्यूनतम संख्या में चालक दल के सदस्य वायुयान पर ले जाए जाएंगे:

परंतु बहु-गलियारों (एकल या बहु-डेक) के मामले में प्रत्येक फ्लोर लेवल के निकास के लिए और प्रमाणीकरण के प्रयोजन के लिए कम- से- कम चालक दल का एक सदस्य, यदि आपातकालीन निकासी प्रदर्शन करने के लिए चालक दल के सदस्यों की अधिक संख्या की अपेक्षा होती है तो उतनी संख्या में चालक दल के सदस्यों को वायुयान पर ले जाया जाएगा।

(3) उड़ान कर्मीदल निम्नलिखित स्थानों पर स्थित होगें-

(क) उड़ान भरने और उतरने के दौरान यथासंभव फ्लोर लेवल के निकास द्वार के निकट; तथा

(ख) किसी अन्य समय पर वायुयान में किसी उपयुक्त स्थान पर, ताकि आपातकालीन निकासी की स्थिति में यात्रियों के लिए सबसे प्रभावी निकास की व्यवस्था की जा सके।

(4) प्रचालक यह सुनिश्चित करेगा कि उड़ान कर्मीदल का प्रत्येक सदस्य महानिदेशक द्वारा समय-समय पर यथा विनिर्दिष्ट आयु, अर्हता, प्रशिक्षण और चिकित्सा मूल्यांकन की अपेक्षाओं को पूरा करता है।

(5) उड़ान कर्मीदल का प्रत्येक सदस्य, वायुयान पर कर्तव्य हेतु नियुक्त होने से पहले, महानिदेशक द्वारा यथा विनिर्दिष्ट अनुमोदित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के साथ-साथ निकासी प्रक्रिया, आपातकालीन उपकरणों के स्थान और प्रयोग तथा किसी अन्य अपेक्षा के संबंध में नियतकालिक अनुमोदित पुनश्चर्या पाठ्यक्रम को सफलतापूर्वक पूरा करेगा ।

(6) जब भी किसी उड़ान में दो या अधिक उड़ान कर्मीदल सदस्यों को नियुक्त किया जाता है, तो प्रचालक एक अनुभवी उड़ान कर्मी सदस्य को वरिष्ठ उड़ान कर्मी सदस्य के रूप में नामित करेगा, जो प्रचालन नियामवली में विनिर्दिष्ट केबिन सुरक्षा और आपातकालीन प्रक्रिया के प्रचालन और समन्वय के लिए पायलट-इन-कमांड के प्रति उत्तरदायी होगा:

परंतु वरिष्ठ उड़ान कर्मी सदस्य के पास उड़ान कर्मीदल के रूप में न्यूनतम एक वर्ष का अनुभव हो तथा उसने महानिदेशक द्वारा यथाविनिर्दिष्ट प्रशिक्षण सफलतापूर्वक प्राप्त कर लिया हो।

(7) प्रचालक, उप-नियम (5) के अनुसार प्रशिक्षण पूरा होने के बाद प्रत्येक उड़ान कर्मी द्वारा सुरक्षा और आपातकालीन कर्तव्यों को पूरा करने में दक्षता की जांच करवाएगा और यह जांच महानिदेशक द्वारा अनुमोदित और विनिर्दिष्ट अर्हताओं वाले अनुदेशकों द्वारा की जाएगी।

(8) कोई भी उड़ान कर्मी अधिकतम तीन प्रकार के विमानों पर कार्य करेगा।

स्पष्टीकरण.- इस उप-नियम के प्रयोजनार्थ, वायुयानों के प्रकारों को भिन्न प्रकार का माना जाएगा यदि वे निम्नलिखित सभी पहलुओं में समान नहीं हैं, अर्थात:-

(क) आपातकालीन निकास प्रचालन;

(ख) सुरक्षा उपकरण का स्थान और प्रकार; और

(ग) आपातकालीन प्रक्रियाएं

(9) यदि महानिदेशक की यह राय है कि ऐसा करना समीचीन है तो वह आदेश द्वारा तथा लिखित में कारण दर्ज करके उप-नियम (1) की अपेक्षा को पूर्णतः या आंशिक रूप से छूट दे सकेगा।

116. फ्लाइट डिस्पैचर अनुमोदन.- (1) कोई भी प्रचालक महानिदेशक के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी व्यक्ति को फ्लाइट डिस्पैचर के रूप में कार्य नहीं सौंपेगा।

(2) कोई प्रचालक उड़ान प्रेषक का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए महानिदेशक को नियम 120 के अधीन यथाउपबंधित फीस के साथ आवेदन कर सकेगा।

(3) महानिदेशक फ्लाइट डिस्पैचर के अनुमोदन के लिए अपेक्षाओं को विनिर्दिष्ट कर सकेगा।

(4) महानिदेशक, इस बात का समाधान होने पर कि किसी व्यक्ति ने फ्लाइट डिस्पैचर के रूप में कार्य करने के लिए सभी अपेक्षाएं पूरी कर ली हैं, प्रचालक को फ्लाइट डिस्पैचर का अनुमोदन प्रदान कर सकेगा।

(5) उप-नियम (4) के अधीन प्रदान किया गया अनुमोदन, जब तक कि उसे निलंबित या रद्द न कर दिया जाए, अधिकतम पांच वर्ष की अवधि के लिए विधिमान्य रहेगा और संतुष्ट होने पर महानिदेशक इसे एक बार में पांच वर्ष से अधिक की अतिरिक्त अवधि के लिए नवीकृत कर सकेगा।

ग. संगठन

117. अनुमोदित प्रशिक्षण संगठन- (1) इस नियम में 'प्रशिक्षण संगठन' से ऐसा संगठन या व्यक्ति अभिप्रेत है जो निम्नलिखित एक या अधिक प्रशिक्षण क्रियाकलापों में संलग्न है, अर्थात:-

(क) छात्रों को उड़ान का अनुभव प्राप्त करने के लिए कुल 5700 किलोग्राम से अनधिक भार वाले वायुयान पर प्रशिक्षण तथा नियम 69 के उप-नियम (1) के खंड (क) से (ढ) के अधीन विनिर्दिष्ट अनुज्ञप्ति या रेटिंग प्राप्त करने के लिए अपेक्षित अर्हता का स्तर;

(ख) नियम 69 के उप-नियम (1) के खंड (**ण**) से (फ) के अधीन विनिर्दिष्ट अनुज्ञप्ति या रेटिंग प्राप्त करने के लिए अपेक्षित क्षमता के स्तर को प्राप्त करने में समर्थ बनाने के लिए छात्रों हेतु प्रशिक्षण पाठ्यक्रम;

(ग) नियम 85 के अधीन विनिर्दिष्ट वायुयान अनुरक्षण इंजीनियर अनुज्ञप्ति प्राप्त करने के लिए अपेक्षित क्षमता स्तर प्राप्त करने में समर्थ बनाने के लिए छात्रों हेतु प्रशिक्षण पाठ्यक्रम ;

(घ) उड़ान कर्मी दल, वायु यातायात नियंत्रकों या अन्य विमानन कार्मिकों के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, ताकि वे परिचालन स्तर की अंग्रेजी भाषा में प्रवीणता प्राप्त करने या इन नियमों के अधीन विनिर्दिष्ट विमानन अंग्रेजी भाषा में प्रवीणता के परीक्षण के लिए अपेक्षित अर्हता स्तर प्राप्त कर सकें;

(ङ) नियम 66 के अधीन डिजाइन या विनिर्माण संगठनों के लिए डिजाइन या विनिर्माण क्रियाकलापों में शामिल कार्मिकों के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम ।

(2) प्रशिक्षण संगठन के पास अपेक्षित अवसंरचना, पर्याप्त सुविधाएं, पदधारकों, प्रशिक्षकों या परीक्षकों सहित योग्य और प्रशिक्षित कार्यबल होगा, जैसा कि महानिदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए;

(3) प्रशिक्षण संगठन के पास महानिदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट प्ररूप और रीति में नियम-पुस्तक होगी और ऐसी नियम-पुस्तक को महानिदेशक के, यथास्थिति, अनुमोदन या स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया जाएगा।

(4) कोई भी प्रशिक्षण संगठन उप-नियम (1) के अधीन सूचीबद्ध कार्यकलापों में से एक या अधिक में तब तक शामिल नहीं होगा जब तक महानिदेशक द्वारा अनुमोदन प्रदान नहीं किया जाता है और ऐसे अनुमोदन के लिए महानिदेशक को उनके द्वारा विनिर्दिष्ट प्ररूप और रीति से नियम 120 के अधीन उपबंधित फीस के साथ अनुरोध किया जाएगा।

(5) महानिदेशक इस बात का समाधान होने पर, कि प्रशिक्षण संगठन की स्थापना से संबंधित सभी अपेक्षाओं का अनुपालन कर लिया गया है, प्रशिक्षण संगठन को अनुमोदन में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन अनुमोदन प्रदान कर सकेगा।

(6) प्रत्येक प्रशिक्षण संगठन जो उप-नियम (1) के खण्ड (क), (ख) या (ग) में उल्लिखित प्रशिक्षण कार्यकलापों में लगा हुआ है, महानिदेशक द्वारा यथा विनिर्दिष्ट सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली स्थापित करेगा और उसका अनुरक्षण करेगा।

(7) (क) उप-नियम (1) के खंड (क) के अधीन उल्लिखित क्रियाकलापों के अनुमोदन के लिए प्रशिक्षण संगठन प्रथमतः नियम 120 के अधीन उपबंधित फीस के साथ महानिदेशक को विहित प्ररूप में आवेदन करके अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त करेगा ;

(ख) खण्ड (क) के अधीन प्राप्त अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी होने की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए विधिमान्य होगा और उप-नियम (2) और (3) की अपेक्षाओं को पूरा करने की प्रगति के संबंध में महानिदेशक के समाधान के अध्यधीन, नियम 120 के अधीन उपबंधित फीस के भुगतान पर इसे एक बार में एक वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकेगा;

(ग) वैध अनापत्ति प्रमाणपत्र धारक नियम 120 के अधीन उपबंधित फीस के साथ विहित प्ररूप में प्रशिक्षण संगठन का अनुमोदन जारी करने के लिए महानिदेशक को आवेदन कर सकेगा।

(8) प्रशिक्षण संगठन का अनुमोदन, जब तक कि उसे निलंबित या रद्द न कर दिया जाए, पांच वर्ष से अनधिक अवधि के लिए वैध रहेगा, और समाधान हो जाने पर महानिदेशक अनुमोदन को एक बार में अगले पांच वर्ष से अनधिक अवधि के लिए नवीकृत कर सकेगा।

(9) कोई प्रशिक्षण संगठन या व्यक्ति किसी भी समय अपने कार्य के दायरे के विस्तार के लिए नियम 120 के अधीन उपबंधित फीस के साथ महानिदेशक से संपर्क कर सकेगा और महानिदेशक, इस बात का समाधान हो जाने पर कि विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं का अनुपालन किया गया है, अनुरोध के अनुसार या किसी विशिष्ट स्तर तक, जैसा वह ठीक समझे, कार्यक्षेत्र के विस्तार के लिए अनुमोदन दे सकेगा और इस उप-नियम के अधीन दिए गए कार्यक्षेत्र के विस्तार की स्वीकृति, यदि कोई हो, केवल मूल स्वीकृति की विधिमान्यता की तिथि तक ही विधिमान्य होगी।

(10) संगठन के प्रशिक्षण अभिलेख महानिदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट रीति से अनुरक्षित किए जाएंगे तथा मांगे जाने पर महानिदेशक या उनके द्वारा इस संबंध में प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी को प्रस्तुत किए जाएंगे।

(11) अनुमोदित प्रशिक्षण संगठन को संगठन में परिवर्तन, कार्यक्षेत्र में परिवर्तन तथा प्रथाओं एवं प्रक्रियाओं में परिवर्तन के परिणामस्वरूप जब भी आवश्यक हो, समय-समय पर अपने निर्देशिकाओं को संशोधित करना होगा और निर्देशिका का कोई भी संशोधन महानिदेशक के पूर्व अनुमोदन या स्वीकृति के अधीन होगा।

(12) किसी भी नियम के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, महानिदेशक, प्रशिक्षण संगठन या किसी व्यक्ति को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात किसी अनुमोदन को रद्द, निलंबित या निर्बंधित कर सकेगा या संगठन या व्यक्ति को चेतावनी या भर्त्सना जारी कर सकेगा, जहां इसका समाधान हो जाए कि-

(क) अनुमोदन की किसी भी शर्त या महानिदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं का अनुपालन नहीं किया जा रहा है;

(ख) प्रशिक्षण संगठन या व्यक्ति ने ऐसे कार्य का निष्पादन किया है या ऐसे कार्य के संबंध में प्रमाणपत्र प्रदान किया है जो सावधानीपूर्वक या सक्षम रीति से नहीं किया गया है या उसके या उसके अनुमोदन के दायरे से बाहर कार्य किया है, या उसके संबंध में उचित प्रविष्टियां और प्रमाणन करने में असफल रहा है या किसी अन्य कारण से जिसे महानिदेशक द्वारा इस नियम के अधीन दिए गए अनुमोदन को रद्द करने, निलंबित करने या निर्बंधित करने के लिए पर्याप्त माना जाता है, या चेतावनी या भर्त्सना जारी की जाती है;

(ग) अनुमोदन धारक सुरक्षित, कुशल और विश्वसनीय प्रशिक्षण संगठन बनाए रखने में असफल रहा है; या

(घ) प्रशिक्षण का अनुमोदन किसी भी महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाकर या गलत जानकारी देकर प्राप्त किया था।

(13) उप-नियम (12) में किसी बात के होते हुए भी, यदि केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि सार्वजनिक सुरक्षा के हित में ऐसा करना आवश्यक है, तो वह लिखित में कारण दर्ज करके, आगे की जांच करने की दृष्टि से प्रशिक्षण संगठन के अनुमोदन को तुरन्त निलंबित कर सकेगी।

(14) संगठन, उप-नियम (1) के अधीन उल्लिखित प्रशिक्षण कार्यकलाप तब तक नहीं करेगा जब तक कि यह इसके निर्धारित कार्यकलापों के दायरे में शामिल न हो, और महानिदेशक द्वारा सम्यक् रूप से अनुमोदित न कर दिया गया हो।

118. विदेशी अनुमोदित प्रशिक्षण संगठन की स्वीकृति.- (1) नियम 117 में किसी बात के होते हुए भी, महानिदेशक, इस संबंध में महानिदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं के अनुसार प्रशिक्षण के प्रयोजन के लिए, किसी विदेशी अनुमोदित प्रशिक्षण संगठन को स्वीकृति प्रदान कर सकेगा।

(2) उप-नियम (1) के अधीन दी गई स्वीकृति, जब तक कि उसे निलंबित या रद्द न कर दिया जाए, दो वर्ष से अनधिक अवधि के लिए वैध रहेगी और समाधान हो जाने पर महानिदेशक उसे एक बार में दो वर्ष से अनधिक अवधि के लिए नवीकृत कर सकेगा।

(3) इन नियमों के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, महानिदेशक ऐसी जांच करने के पश्चात, जैसा वह ठीक समझे, तथा उप-नियम (1) में संदर्भित संगठन को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात, किसी स्वीकृति को रद्द, निलंबित या निर्बंधित कर सकेगा या उक्त संगठन को चेतावनी या भर्त्सना जारी कर सकेगा, जहां उसका समाधान हो जाता है कि-

(क) महानिदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं का अनुपालन नहीं किया जा रहा है; या

(ख) संगठन ने ऐसे कार्य का निष्पादन नहीं किया है या ऐसे कार्य के संबंध में प्रमाणपत्र प्रदान नहीं किया है जो सावधानीपूर्वक या सक्षम तरीके से नहीं किया गया है या अपने अनुमोदित दायरे से बाहर कार्य किया है या उसके संबंध में उचित प्रविष्टियां और प्रमाणन करने में असफल रहा है या किसी अन्य कारण से जिसे महानिदेशक द्वारा इस नियम के अधीन दी गई स्वीकृति को रद्द, निलंबित या निर्बंधित करने या चेतावनी या भर्त्सना जारी करने के लिए पर्याप्त माना जाता है।

119. उड़ान सिमुलेशन प्रशिक्षण उपकरण अर्हता प्रमाणपत्र.— (1) कोई संगठन, उड़ान सिमुलेशन प्रशिक्षण उपकरण के अर्हता प्रमाणपत्र के लिए या उड़ान सिमुलेशन प्रशिक्षण उपकरण के संबंध में किसी संविदाकारी राज्य के नागर विमानन प्राधिकरण द्वारा जारी अहर्ता प्रमाणपत्र के विधिमान्यकरण के लिए महानिदेशक को नियम 120 में यथा उपबंधित फीस के साथ आवेदन कर सकेगा।

स्पष्टीकरण.- इस उप-नियम (1) के प्रयोजन के लिए, संगठन से अभिप्रेत है:

(क) कोई प्रचालक;

(ख) इन नियमों के अधीन अनुमोदित प्रशिक्षण संगठन ; या

(ग) उड़ान सिमुलेशन प्रशिक्षण उपकरण के प्रचालन और अनुरक्षण के लिए संविदाकारी राज्य के नागर विमानन प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित एक प्रशिक्षण संगठन।

(2) महानिदेशक, उड़ान सिमुलेशन प्रशिक्षण उपकरण के अर्हता प्रमाणपत्र या विधिमान्यकरण की अपेक्षाओं तथा ऐसे उपकरणों पर दिए जाने वाले प्रशिक्षण के प्रकार को विनिर्दिष्ट कर सकेगा।

(3) महानिदेशक, इस बात का समाधान हो जाने पर कि यह सभी अपेक्षाओं को पूरा करता है, यथास्थिति, अर्हता प्रमाणपत्र जारी कर सकेगा या, अन्यत्र जारी उड़ान सिमुलेशन प्रशिक्षण उपकरण के अर्हता प्रमाणपत्र को विधिमान्य कर सकेगा।

(4) कोई भी एयरलाइन प्रचालक महानिदेशक से उनके द्वारा विनिर्दिष्ट रूप और रीति से लिखित अनुमति प्राप्त किए बिना अपने कार्मिकों के प्रशिक्षण के लिए ऐसे अर्हता प्राप्त या विधिमान्य उड़ान सिमुलेशन प्रशिक्षण उपकरण का उपयोग नहीं करेगा।

(5) यदि महानिदेशक का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा करने के लिए पर्याप्त आधार है, तो उसे सुनवाई का अवसर देने तथा कारणों को लिखित रूप में अभिलिखित करने के पश्चात् वह, यथास्थिति, ऐसे प्रमाणपत्र या विधिमान्यकरण को, निलंबित या रद्द कर सकेगा।

(6) उप-नियम (3) के अधीन प्रदान किया गया अर्हता प्रमाणपत्र या विधिमान्यकरण, जब तक कि उसे निलंबित या रद्द न कर दिया जाए, दो वर्ष से अनधिक की अवधि के लिए विधिमान्य रहेगा और समाधान हो जाने पर महानिदेशक उसे आगे एक बार में दो वर्ष तक से अनधिक अवधि के लिए नवीकृत कर सकेगा।

घ. फीस

120. फीस.— (1) नियम 69 के उपनियम (1) के खण्ड (क) से (ढ) के अधीन उल्लिखित ऐसी अनुज्ञप्ति और रेटिंग के जारी करने, नवीकरण और विधिमान्यकरण के लिए या अनुलिपि अनुज्ञप्ति जारी करने तथा ऐसे अनुज्ञप्ति और रेटिंग के परीक्षणों और परीक्षाओं के लिए निम्नलिखित फीस का भुगतान किया जाएगा ,अर्थात:-

सारणी

क्रमांक	वर्णन	फीस
(1)	(2)	(3)
1.	अनुज्ञप्ति और रेटिंग हेतु परीक्षणों और परीक्षाओं के लिए	500 रुपए प्रति पत्र;
2.	विद्यार्थी पायलट अनुज्ञप्ति और ग्लाइडर पायलट अनुज्ञप्ति हेतु अनुज्ञप्ति या रेटिंग जारी करने या विधिमान्यकरण हेतु	1,000 रुपए;
3.	विद्यार्थी पायलट अनुज्ञप्ति और ग्लाइडर पायलट अनुज्ञप्ति के लिए अनुज्ञप्ति या रेटिंग के नवीकरण हेतु	500 रुपए;

4.	विद्यार्थी पायलट अनुज्ञप्ति और ग्लाइडर पायलट अनुज्ञप्ति से भिन्न अनुज्ञप्ति या रेटिंग जारी करने या विधिमान्यकरण हेतु	5,000 रुपए;
5.	विद्यार्थी पायलट अनुज्ञप्ति और ग्लाइडर पायलट अनुज्ञप्ति से भिन्न किसी अन्य अनुज्ञप्ति या रेटिंग के नवीकरण हेतु	2,500 रुपए;
6.	विद्यार्थी पायलट अनुज्ञप्ति और ग्लाइडर पायलट अनुज्ञप्ति की अनुलिपि जारी करने हेतु	250 रुपए;
7.	विद्यार्थी पायलट अनुज्ञप्ति और ग्लाइडर पायलट अनुज्ञप्ति से भिन्न अनुज्ञप्ति या रेटिंग की अनुलिपि जारी करने हेतु	500 रुपए;
8.	परीक्षा परिणाम तालिका की अनुलिपि जारी करने हेतु	500 रुपए;
9.	जहां परीक्षा ऑनलाइन आयोजित की जाती है	2500 रुपए प्रति पत्र;
10.	जहां परीक्षा अभियाचना पर ऑनलाइन आयोजित की जाती है	5000 रुपए प्रति पत्र।

(2) सभी उड़ान परीक्षणों के लिए, यथास्थिति, अभ्यर्थी या प्रचालक को वायुयान या उड़ान सिमुलेटर उपलब्ध कराना होगा तथा इस संबंध में सभी प्रभारों का वहन करना होगा, और यदि उड़ान परीक्षण या मानकीकरण जांच के दौरान वायुयान पर सरकारी परीक्षक को ले जाया जाता है तो केन्द्रीय सरकार को निम्नलिखित फीस देय होगी, अर्थात:-

सारणी

क्रमांक	**वर्णन**	**फीस**
(1)	**(2)**	**(3)**
1.	एकल इंजन वायुयान के लिए :	5000 रुपए;
2.	5,700 किलोग्राम से कम अधिकतम अनुज्ञेय उड़ान भार वाले बहु-इंजन वायुयान के लिए	10,000 रुपए;
3.	5,700 किलोग्राम और उससे अधिक 50,000 किलोग्राम तक के अधिकतम अनुज्ञेय उड़ान भार वाले बहु-इंजन वायुयान के लिए:	50,000 रुपए;
4.	50,000 किलोग्राम से अधिक, अधिकतम अनुज्ञेय उड़ान भार वाले बहु-इंजन वायुयान के लिए	1,00,000 रुपए.

(3) चेक पायलटों, टाइप रेटिंग अनुदेशक, सिंथेटिक फ़्लाइट अनुदेशक, सिंथेटिक फ़्लाइट परीक्षक, अभिनामित परीक्षकों,उड़ान इंजीनियर परीक्षकों या परीक्षकों के अनुमोदन या नवीकरण के लिए निम्नलिखित फीस का संदाय किया जाएगा, अर्थात:-

सारणी

क्रमांक	वर्णन	फीस
(1)	(2)	(3)
1.	चेक पायलटों, टाइप रेटिंग अनुदेशक, सिंथेटिक फ़्लाइट अनुदेशक, सिंथेटिक फ़्लाइट परीक्षक, अभिहित परीक्षकों, परीक्षकों, फ्लाइट इंजीनियर परीक्षक या चेक फ्लाइट इंजीनियरों का अनुमोदन :	10,000 रुपए;
2.	चेक पायलटों, टाइप रेटिंग अनुदेशक, सिंथेटिक फ़्लाइट अनुदेशक, संथेटिक फ़्लाइट परीक्षक, अभिहित परीक्षकों, परीक्षकों, चेक फ्लाइट इंजीनियर परीक्षक या चेक फ्लाइट इंजीनियरों का नवीकरण :	5,000 रुपए.

(4) जब किसी मामले में अनुज्ञप्ति या रेटिंग जारी नहीं की जाती, विधिमान्यकरण नहीं की जाती, नवीकृत या पुनः विधिमान्य नहीं की जाती या अनुज्ञप्ति की अनुलिपि या रेटिंग जारी नहीं की जाती, तो केन्द्रीय सरकार फीस के रूप में भुगतान की गई राशि का आनुपातिक भाग आवेदक को वापस करने का आदेश दे सकेगी।

(5) (क) नियम 85 के अधीन वायुयान अनुरक्षण इंजीनियरों या प्राधिकृत व्यक्तियों या अनुमोदित व्यक्तियों या योग्यता प्रमाणपत्र धारकों के संबंध में अनुज्ञप्ति, प्राधिकरण, अनुमोदन या योग्यता प्रमाणपत्र के दायरे में जारी करना, नवीकरण या पृष्ठांकित करना:

सारणी

क्रमांक	वर्णन	फीस
(1)	(2)	(3)
1.	(क) सामान्य परीक्षा के लिए	500 रुपए प्रति पत्र;
	(ख) ऑनलाइन परीक्षा के लिए	1500 रुपए प्रति पत्र;
	(ग) ऑन डिमांड परीक्षा के ऑनलाइन परीक्षा हेतु	3,000 रुपए प्रति पत्र;
2.	अनुज्ञप्ति या रेटिंग, प्राधिकार, अनुमोदन या योग्यता प्रमाणपत्र जारी करने या विधिमान्यकरण करने के लिए	5,000 रुपए;
3.	अनुज्ञप्ति, रेटिंग, प्राधिकार, अनुमोदन या योग्यता प्रमाणपत्र के नवीकरण के लिए	2,500 रुपए;
4.	अनुज्ञप्ति की अनुलिपि, रेटिंग, प्राधिकार, अनुमोदन या योग्यता प्रमाणपत्र जारी करने के लिए	500 रुपए;

5.	अनुज्ञप्ति में किसी संशोधन के लिए	500 रुपए.

(ख) यदि उप-नियम (1) में विनिर्दिष्ट निरीक्षण, परीक्षण या जांच भारत के बाहर किसी स्थान पर किया जाना अपेक्षित हो तो दो लाख पचास हजार रुपए की अतिरिक्त धनराशि या प्रति व्यक्ति स्थानीय यात्रा भत्ता, होटल प्रभार तथा प्रतिदिन भत्ता सहित यात्रा खर्च, जो भी अधिक होगा, देय होगी।

(ग) जहां किसी भी कारण से अनुज्ञप्ति या प्राधिकार या प्रमाण पत्र, यथास्थिति, जारी, नवीकृत या वैधीकृत नहीं किया गया है, महानिदेशक, आवेदक को भुगतान की गई फीस का ऐसा हिस्सा वापस कर सकेगा जो किसी भी परीक्षा या जांच या निरीक्षण की लागत का दर्शाता है जो नहीं किया गया है या किसी भी अनुज्ञप्ति, प्राधिकार या प्रमाण पत्र को, यथास्थिति, जारी या नवीनीकृत या वैधीकृत नहीं किया गया है।

(6) (क) कोई अभ्यर्थी नियम 69 के उपनियम (1) के खंड (ण) और (त) के अधीन उल्लिखित अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन करता है, तो नियम 69 के उपनियम (1) के (थ) से (फ) के अधीन उल्लिखित रेटिंग का नवीकरण या पृष्ठांकन करने हेतु निम्नलिखित फीस का भुगतान करेगा, अर्थात:-

सारणी

क्रमांक	वर्णन	फीस
(1)	(2)	(3)
1.	विद्यार्थी वायु यातायात नियंत्रक अनुज्ञप्ति जारी करने के लिए:	1,000 रुपए;
2.	विद्यार्थी वायु यातायात नियंत्रक अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए:	500 रुपए;
3.	वायु यातायात नियंत्रक अनुज्ञप्ति जारी करने के लिए:	20000 रुपए;
4.	वायु यातायात नियंत्रक अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए:	10000 रुपए;
5.	वायु यातायात नियंत्रक अनुज्ञप्ति पर समवर्ती रेटिंग सहित रेटिंग के पृष्ठांकन के लिए:	1000 रुपए.

स्पष्टीकरण.- सारणी के क्रमांक 3 और 4 में विनिर्दिष्ट फीस में अनुज्ञप्ति के जारी करने या नवीकरण के समय अनुज्ञप्ति पर किसी भी रेटिंग के पृष्ठांकन हेतु फीस शामिल है ।

(ख) आवेदक को मूल्यांकन से संबंधित सभी प्रभार, यदि कोई हो, वहन करना होगा और यदि मूल्यांकन के दौरान कोई सरकारी परीक्षक संबद्ध है तो प्रत्येक मूल्यांकन के लिए दस हजार रुपए की फीस देय होगी।

(7) (क) रेडियो टेलीफोन प्रचालक (निर्बंधित) प्रमाणपत्र और अनुज्ञप्ति परीक्षा के लिए निम्नलिखित फीस देय होगी,अर्थात :-

सारणी

क्रमांक	वर्णन	फीस
(1)	(2)	(3)
1.	लिखित परीक्षा	2000 रुपए प्रति परीक्षा;
2.	प्रयोगात्मक परीक्षा	500 रुपए प्रति परीक्षा.

(ख) रेडियो टेलीफोन प्रचालक (निर्बंधित) प्रमाण पत्र और अनुज्ञप्ति जारी करने की फीस पांच हजार रुपए होगी ।

(ग) प्रमाण पत्र और अनुज्ञप्ति की अनुलिपि जारी करने के लिए फीस पांच सौ रुपए होगी ।

(8) उड़ान प्रेषक के रूप में अनुमोदन के लिए फीस केवल पांच हजार रुपए होगी और उड़ान प्रेषक अनुमोदन के नवीकरण के लिए फीस केवल दो हजार पांच सौ रुपए होगी ।

(9) निम्नलिखित फीस देय होगी-

(क) नियम 117 के उपनियम (7) के खण्ड (क) के अधीन अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना : पचास हजार रुपए।

(ख) नियम 117 के उपनियम (7) के खण्ड (ख) के अधीन अनापत्ति प्रमाण-पत्र की अवधि का विस्तार : पच्चीस हजार रूपये।

(ग) नियम 117 के उप-नियम (1) के खण्ड (क) के अधीन उल्लिखित कार्यकलापों में लगे प्रशिक्षण संगठन के संबंध में नियम 117 के अधीन अनुमोदन : दो लाख रुपए।

(घ) नियम 117 के उप-नियम (1) के खण्ड (क) के अंतर्गत उल्लिखित कार्यकलापों में लगे प्रशिक्षण संगठन के संबंध में नियम 117 के अधीन अनुमोदन का नवीकरण : एक लाख रुपए।

(10) नियम 117 के उपनियम (1) के खण्ड (ख) के अंतर्गत उल्लिखित कार्यकलापों में लगे प्रशिक्षण संगठन के संबंध में नियम 117 के अधीन अनुमोदन, नवीकरण या कार्यक्षेत्र के विस्तार के लिए निम्नलिखित फीस देय होगी:-

(क) अनुमोदन : चार लाख रुपए

(ख) नवीकरण या प्रत्येक अवसर पर अनुमोदन के दायरे का विस्तार : दो लाख रुपए

(11) (क) नियम 117 के उपनियम (1) के खण्ड (ग), (घ) और (ड.) में उल्लिखित कार्यकलापों में लगे प्रशिक्षण संगठन के संबंध में नियम 117 के अधीन अनुमोदन के लिए निम्नलिखित फीस देय होगी, जिसमें

-

सारणी

क्रमांक	वर्णन	फीस
(1)	(2)	(3)
1.	पचास कर्मचारी	2,00,000 रुपए;
2.	पचास से अधिक तथा दो सौ तक	4,00,000 रुपए;
3.	200 से अधिक कर्मचारी	8,00,000 रुपए.

(ख) नियम 117 के उपनियम (1) के खंड (ग), (घ) और (ड.) में उल्लिखित कार्यकलापों में लगे प्रशिक्षण संगठनों के संबंध में नियम 117 के अधीन अनुमोदन, नवीकरण या कार्यक्षेत्र के विस्तार के लिए या नियम 118 के अधीन अनुमोदन की स्वीकृति या स्वीकृति के विस्तार के लिए फीस, उपनियम (11) के खंड (क) के अधीन देय फीस का पचास प्रतिशत होगा।

(ग) यदि अनुमोदन के अनुदान या नवीकरण या विस्तार के लिए निरीक्षण, लेखा परीक्षा या निगरानी भारत के बाहर किसी स्थान पर किया जाना अपेक्षित हो तो दो लाख पचास हजार रुपए की अतिरिक्त रकम या प्रति व्यक्ति स्थानीय यात्रा भत्ता, होटल प्रभार तथा प्रतिदिन भत्ता सहित यात्रा खर्च, जो भी अधिक हो, देय होगा।

(घ) यदि नियम 118 के अधीन अनुमोदन की स्वीकृति या स्वीकृति के नवीकरण या स्वीकृति के विस्तार के संबंध में निरीक्षण, लेखा परीक्षा या निगरानी भारत के बाहर किसी स्थान पर किया जाना अपेक्षित है तो दो लाख पचास हजार रुपए की अतिरिक्त रकम या प्रति व्यक्ति स्थानीय यात्रा भत्ता, होटल प्रभार तथा प्रतिदिन भत्ता सहित, यात्रा खर्च जो भी अधिक हो, देय होगा।

(ङ) इस उप-नियम के अधीन किसी संगठन या व्यक्ति से उसके अपने वायुयान के लिए उपयोग के लिए आशयित वायुयान ईंधन, लुब्रिकेट और इसी प्रकार के अन्य उत्पादों के भंडारण, वितरण और आपूर्ति के लिए कोई फीस नहीं ली जाएगी ।

(12) (क) निम्नलिखित फीस देय होगी:

सारणी

क्रमांक	वर्णन	फीस
(1)	(2)	(3)
1.	(i) 5,700 किलोग्राम से अधिक अधिकतम अनुज्ञेय उड़ान भार वाले वायुयान प्रकार के लिए उड़ान सिमुलेशन प्रशिक्षण उपकरण का योग्यता प्रमाणपत्र या विधिमान्यकरण	दो लाख रुपए;
2.	(ii) ऐसे प्रमाणपत्र का नवीकरण या विधिमान्यकरण	एक लाख रुपए.

(ख) निम्नलिखित फीस देय होगी:-

सारणी

क्रमांक	वर्णन	फीस
(1)	(2)	(3)
1.	(i) 5700 किलोग्राम तक अधिकतम स्वीकार्य अनुज्ञेय उड़ान भार वाले वायुयान प्रकार के लिए फ्लाइट सिम्युलेटर प्रशिक्षण उपकरण का योग्यता प्रमाणपत्र या विधिमान्यकरण :	एक लाख रुपए;
2.	(ii) ऐसे प्रमाणपत्र का नवीकरण या विधिमान्यकरण:	पचास हजार रुपए।

(ग) यदि फ्लाइट सिम्युलेटर प्रशिक्षण उपकरण के योग्यता प्रमाण पत्र के जारी करने या उसके विधिमान्यकरण के नवीकरण के संबंध में निरीक्षण, लेखा परीक्षा या निगरानी भारत के बाहर किसी स्थान पर किया जाना अपेक्षित है, तो दो लाख पचास हजार रुपए की अतिरिक्त रकम या प्रतिदिन भत्ते सहित यात्रा लागत, जो भी अधिक हो, देय होगी।

(13) फीस का भुगतान महानिदेशक, द्वारा विनिर्दिष्ट रीति से इलेक्ट्रॉनिक रूप से किया जाएगा।

अध्याय-पाँच

विमानक्षेत्र

121. वैमानिक बीकन और वैमानिक भू-प्रकाश.— (1) भारत में कोई भी वैमानिक बीकन या वैमानिक भू-प्रकाश स्थापित या अनुरक्षित नहीं की जाएगी और न ही उससे प्रदर्शित प्रकाश के स्वरूप में परिवर्तन किया जाएगा, सिवाय केन्द्रीय सरकार की लिखित मंजूरी के और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो विनिर्हित की जाएं।

(2) कोई भी व्यक्ति जानबूझकर या उपेक्षापूर्वक केन्द्रीय सरकार द्वारा या उसके अनुमोदन से स्थापित या अनुरक्षित किसी वैमानिक बीकन या वैमानिक भू-प्रकाश या उससे प्रदर्शित किसी लाइट को खतरे में नहीं डालेगा या उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा।

122. भ्रामक प्रकाश.- (1) जब कभी पाँच नॉटिकल मील के अर्धव्यास भीतर किसी विमानक्षेत्र के सामीप्य में लेजर प्रकाश के अतिरिक्त कोई प्रकाश प्रदर्शित किया जाता है, जिसे गलती से वैमानिक भू-प्रकाश या वैमानिक बीकन समझ लेने की भूल हो जाए; और जिससे -

(क) विमान की सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हो सकता है; या

(ख) जो बाधाओं या प्रतिबंधित उपयोग क्षेत्रों को दर्शाने वाले विमान चालन के लिए दृश्य सहायता की स्पष्ट निर्वचन में इसकी तीव्रता, विन्यास या रंग के कारण भ्रम पैदा कर सकता है; या

(ग) जिससे वायुयान का सुरक्षित परिचालन बाधित हो सकता है या परिचालन दल के लिए जोखिम पैदा हो सकता है।

(2) ऐसे विमान क्षेत्र के विमान क्षेत्र प्रचालक द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति, उस स्थान के स्वामी या कब्जे वाले व्यक्ति को, जहां प्रकाश प्रदर्शित किया जाता है या प्रकाश का प्रभार रखने वाले व्यक्ति को, तत्काल प्रभाव से प्रकाश को बुझाने या प्रभावी तौर पर प्रतिच्छादित या अन्यथा संशोधित करने के लिए प्रभावी उपाय करने और भविष्य में किसी भी समान प्रकाश के प्रदर्शन को रोकने के लिए लिखित रूप में निर्देश जारी कर सकता है।

(3) यदि कोई स्वामी या व्यक्ति, जिसे इस नियम के अधीन लिखित निदेश जारी किया गया है, निर्देशों में उल्लिखित प्रकाश को बुझाने या प्रभावी रूप से ढकने में चौबीस घंटे की अवधि के लिए उपेक्षा करता है, तो उप-नियम (2) के अधीन ऐसे निर्देश जारी करने वाला व्यक्ति, भारतीय न्याय संहिता, 2023 (2023 का 45) और डीजीसीए की धारा 283 या 285 या दोनों के अधीन अपराध करने की कार्रवाई शुरू करने के लिए अधिकार क्षेत्र रखने वाले नागरिक/पुलिस प्राधिकरण को मामले की रिपोर्ट करेगा, साथ ही वायुयान सुरक्षा के लिए खतरे को कम करने के लिए अपनाए गए।

(4) यदि किसी विमान के परिचालन दल द्वारा देखे गए प्रकाश के स्रोत का पता नहीं है या ऐसे प्रकाश का उपयोग किसी निर्धारित स्थान से नहीं है या प्रकाश के उत्सर्जन का स्रोत एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित हो रहा है, तो संबंधित हवाई अड्डे का प्रचालक भारतीय न्याय संहिता, 2023 (2023 का 45) की धारा 283 या 285 या दोनों के अधीन अपराध के लिए कार्रवाई शुरू करने के लिए अधिकार क्षेत्र वाले नागरिक/पुलिस प्राधिकरण को तुरंत मामले की रिपोर्ट करेगा।

123. लेजर लाइटें.— (1) कोई भी व्यक्ति ऐसे हवाई अड्डे के आपरेटर से विनिर्दिष्ट लिखित अनुमति के बिना किसी भी उद्देश्य के लिए जिसमें विज्ञापन, मनोरंजन और दृश्य प्रदर्शन शामिल है, किन्तु इन्हीं तक सीमित नहीं, विमान क्षेत्र संदर्भ बिंदु से 10 समुद्री मील के भीतर लेजर बीम या लेजर लाइट का उपयोग नहीं करेगा।

(2) ऐसे विमान क्षेत्र का प्रचालक यह सुनिश्चित करेगा कि लेजर प्रकाश का उपयोग ऐसी मंजूरी देने से पहले किसी भी तरह से उड़ान प्रचालन की सुरक्षा को प्रभावित नहीं करता है।

124. विमान क्षेत्र का अनुज्ञापन.- (1) रक्षा विमान क्षेत्र या 19 यात्रियों से ज़्यादा बैठने की क्षमता वाले वायुयान के प्रचालन हेतु बने विमान क्षेत्र के अलावा किसी भी विमान क्षेत्र का उपयोग किसी अनुसूचित वायु परिवहन सेवा द्वारा लैंडिंग और प्रस्थान हेतु नियमित स्थान के रुप में या किसी यात्रीवाहक या मालवाहक विमान द्वारा भाड़े या पुरस्कार हेतु शृंखलाबद्ध लैंडिंग और प्रस्थान हेतु प्रयोग में तब तक नहीं लाया जा सकता जब तक कि -

(क) इसे इस प्रयोजन के लिए अनुज्ञप्त किया गया हो तथा ऐसी अनुज्ञप्ति में विहित शर्तों के अनुसार हो; या,

(ख) इसे महानिदेशक द्वारा राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय संकट, प्राकृतिक आपदाएं, आपात स्थितियों में उड़ानों के प्रचालन के प्रयोजन के लिए या राहत उद्देश्यों के लिए सामग्री सामान ले जाने के लिए ऐसी उड़ानों की आवश्यकता होने पर, या किराया या इनाम के लिए आमोदार्थ सैर करने के लिए या आवश्यकतानुसार किसी अन्य उद्देश्य के लिए ऐसी शर्तों के अधीन, जिन्हें वे कार्यान्वित करना उचित समझे, अनुमोदित किया गया हो।

(ग) 19 यात्रियों से अनाधिक बैठने की क्षमता वाले वायुयान के प्रचालन हेतु बने विमान क्षेत्र के मामले में इसे महानिदेशक द्वारा प्राधिकृत किया गया हो:

परंतु कि कोई भी व्यक्ति जिसे 02 नवंबर, 2004 से पहले किसी विमान क्षेत्र के लिए अनुसूचित विमान यातायात सेवाओं की अनुमति मिल चुकी है और वह प्रचालन कर रहा है, वह ऐसी सेवाएं तब तक प्रचालित कर सकता है जब तक विमान क्षेत्र प्रचालक केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित की जाने वाली तारीख तक महानिदेशक से अनुज्ञप्ति प्राप्त नहीं कर ले।

(2) रक्षा विमानक्षेत्र का उपयोग अनुसूचित हवाई परिवहन सेवा द्वारा लेंडिंग और प्रस्थान के नियमित स्थान के रूप में नहीं किया जाएगा, जब तक कि इसे महानिदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार प्रमाणित न किया गया हो :

परंतु कि इस उप-नियम में निहित कोई भी बात रक्षा विमान क्षेत्र पर ऐसी अवधि के लिए लागू नहीं होगी, जिसे केंद्र सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचित किया जा सकता है।

(3) रक्षा विमानक्षेत्र को केन्द्रीय सरकार द्वारा निम्नलिखित प्रवर्गों में से एक में अनुज्ञापित किया जाएगा, अर्थात;

(क) सार्वजनिक प्रयोग हेतु;

(ख) निजी उपयोग हेतु अर्थात अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रयोग हेतु और अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विशेष रुप से प्राधिकृत व्यक्तियों द्वारा प्रयोग के लिए।

(4) विमान क्षेत्र को सभी प्रकार के विमानों के लिए या कुछ विनिर्दिष्ट प्रकार या वर्ग के विमान के लिए अनुज्ञापित किया जा सकता है तथा अनुज्ञप्ति में उन शर्तों को विनिर्दिष्ट किया जाएगा जिनके आधार पर विमान क्षेत्र का प्रयोग किया जा सकता है।

(5) कोई भी व्यक्ति किसी अस्थायी विमान क्षेत्र या ऐसे विमान क्षेत्र से जो इन नियमों के अधीन यथास्थिति अनुज्ञापित या अनुमोदित नहीं है किसी उड़ान के प्रचालन में सहयोग नहीं देगा जब तक वह विमान क्षेत्र महानिदेशक द्वारा अधिकथित न्यूनतम सुरक्षा अपेक्षाओं को पूरा नहीं करता।

125. अनुज्ञप्तिधारी की अर्हताएं.- विमान क्षेत्र के लिए अनुज्ञप्ति निम्नलिखित से भिन्न किसी व्यक्ति को नहीं दिया जाएगा, जो-

(क) भारत का नागरिक हो; या

(ख) कंपनी या निगमित निकाय हो -

जो भारत में रजिस्ट्रीकृत हो तथा इसके कारबार का मुख्य स्थान भारत में हो; या

जो केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट इक्विटी मानकों को पूरा करता हो; या

(ग) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा नियंत्रित कोई कंपनी या कोई निगम हो; या

(घ) सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई सोसायटी हो; या

(ड.) भारतीय ट्रस्ट अधिनियम, 1882(1882 का 2) या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत न्यास हो।

126. अनुज्ञप्ति प्रदान करने की प्रक्रिया.— (1) विमान क्षेत्र के लिए अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए आवेदन, विमान क्षेत्र संचालिका के साथ महानिदेशक को किया जाएगा।

(2) उप-नियम (1) के अधीन आवेदन ऐसे प्ररूप में होगा और उसमें नियम 133 के अधीन निर्धारित किए गए फीस के साथ ऐसी विशिष्टियां होंगी जो महानिदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएंगी।

(3) महानिदेशक, आवेदन पत्र के निपटान के लिए, आवेदक से कोई आवश्यक समझी जाने वाली कोई अतिरिक्त सूचना प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकेंगे।

(4) महानिदेशक आवेदन पत्र में प्रस्तुत की गई किसी भी सूचना के समर्थन में आवेदक से साक्ष्य प्रस्तुत करने की अपेक्षा भी कर सकेंगे।

127. विमानक्षेत्र नियमावली.— (1) इन नियमों के अधीन अनुज्ञप्त विमान क्षेत्रों के संबंध में अनुज्ञप्तिधारी महानिदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट प्रारूप में विमानक्षेत्र नियमावली का रख-रखाव करेगा।

(2) विमानक्षेत्र नियमावली की एक प्रति या निर्देशिका का ऐसा भाग, जो महानिदेशक द्वारा अवधारित किया जाए, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विमान क्षेत्र की सभी इकाइयों को उपलब्ध कराया जाएगा।

128. निरीक्षण— (1) इस संबंध में महानिदेशक द्वारा सामान्य या लिखित में विशेष आदेश द्वारा प्राधिकृत कोई भी व्यक्ति, हर उपयुक्त समय पर किसी भी स्थान पर जहाँ पहुंच आवश्यक हो प्रवेश कर सकता है,

विमान क्षेत्र की सुविधाओं, सेवाओं और उपकरणों का निरीक्षण और परीक्षण, विमान क्षेत्र प्रचालक के दस्तावेजों और रिकार्डों का निरीक्षण और विमान क्षेत्र अनुज्ञप्ति देने या नवीकरण से पूर्व विमान क्षेत्र आपरेटर की सुरक्षा प्रबंध प्रणाली का सत्यापन और तत्पश्चात किसी भी समय पर विमान क्षेत्र पर सुरक्षा और व्यवस्था सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए निरीक्षण और परीक्षण कर सकता है।

(2) विमान क्षेत्र प्रचालक, इस प्रकार से प्राधिकृत व्यक्ति को उपकरण, अभिलेख, दस्तावेज और प्रचालक के कार्मिक सहित किसी विमान क्षेत्र सुविधा या विमान क्षेत्र के किसी भाग में जाने की अनुमति देगा और उपनियम (1) में निर्दिष्ट निरीक्षण के दौरान उसको सहयोग करेगा।

129. अनुज्ञप्ति प्रदान करने की शर्तें .– (1) विमान क्षेत्र अनुज्ञप्ति प्रदान करना या नवीकृत करना ऐसी शर्तों के अधीन होगा जिन्हें विमान परिचालन और अभिसमय का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए महानिदेशक द्वारा आवश्यक समझा जाएगा।

(2) जब तक विमान क्षेत्र अनुज्ञप्ति प्रवृत हो, तो उतरने का स्थान या इमारतें या विमानक्षेत्र पर अन्य संरचना में महानिदेशक के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसा कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा जिससे विमान की सुरक्षा प्रभावित हो, और ऐसे अनुमोदनों के लिए आवेदन पत्र महानिदेशक को संबोधित किया जाएंगे और उनके साथ विमान की सुरक्षा को प्रभावित करने वाली आसपास की बाधाओं में परिवर्तन सहित ऐसे किसी परिवर्तन की योजना सहित पूरी विशिष्टिय संलग्न की जाएंगी।

(3) आवश्यक अनुमोदन प्रदान किया जा सकता है या रोका जा सकता है और यदि प्रदान किया जाता है, तो यह ऐसी शर्तों विमानक्षेत्र अनुज्ञप्ति की मूल शर्तों में संशोधन संबंधी शर्तों सहित जिन्हें महानिदेशक ठीक समझें, के अधीन होगा।

(4) यदि उपनियम (2) में संदर्भित प्रकृति का कोई परिवर्तन उक्त उपनियम के अंतर्गत पूर्व अनुमोदन के बिना किया जाता है, तो महानिदेशक विमानक्षेत्र अनुज्ञप्ति पर निर्बंधन को निलंबित या अधिरोपित कर सकते हैं।

(5) अनुज्ञप्तिधारी, अनुज्ञप्ति की संपूर्ण विधिमान्य अवधि के दौरान विमान क्षेत्र को विमान के प्रयोग के लिए उपयुक्त तथा पर्याप्त रूप से चिन्हांकित स्थिति जो महानिदेशक के समाधान के अनुसार हो, में रखेगा और यदि विमान क्षेत्र अनुपयोगी हो जाता है तो इसे तत्काल महानिदेशक को सूचित करेगा।

(6) महानिदेशक उपनियम (1) के अधीन लगाई गई किसी शर्त का अनुपालन न किए जाने की स्थिति में या विमान क्षेत्र के निरीक्षण के दौरान कोई सुरक्षा संबंधी चिंता उत्पन्न होने और महानिदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट अवधि से अधिक समय तक उसका समाधान न किए जाने की स्थिति में अनुज्ञप्ति पर परिचालन प्रतिबंध लगा सकते हैं।

130. अनुज्ञप्ति की विधिमान्यता की अवधि.– कोई विमानक्षेत्र अनुज्ञप्ति पांच वर्ष से अनाधिक की अवधि के लिए प्रदान की जा सकती है, तथा प्रत्येक नवीकरण के अवसर पर इसे पांच वर्ष से अनाधिक की अवधि के लिए नवीकृत किया जा सकता है।

131. सार्वजनिक विमान क्षेत्र.– (1) प्रत्येक विमानक्षेत्र जो भारत में रजिस्ट्रीकृत वायुयानों द्वारा प्रभारों को संदाय करने पर सार्वजनिक उपयोग के लिए अनुज्ञप्त है या सार्वजनिक उपयोग के लिए खुला है, किसी

अन्य संविदाकारी राज्य की राष्ट्रीयता प्राप्त विमानों द्वारा उपयोग के लिए भी, उसी विस्तार तक और उन्हीं शर्तों पर खुला रहेगा।

(2) प्रत्येक ऐसा विमानक्षेत्र केन्द्रीय सरकार की सेवा में रत किसी वायुयान द्वारा उपयोग के लिए खुला रहेगा।

132. टैरिफ प्रभार.- (1) नियम 131 में संदर्भित प्रत्येक विमान क्षेत्र पर, किसी प्रमुख स्थान पर लागू टैरिफ शुल्क प्रदर्शित किया जाएगा, जिसमें उतरने और ठहरने की अवधि के लिए प्रभार भी शामिल होंगे, और ऐसा टैरिफ सभी विमानों पर समान रूप से लागू होगा, चाहे वे भारत में रजिस्ट्रीकृत हों या किसी अन्य संविदाकारी राज्य में।

(2) प्राधिकरण से संबंधित विमान क्षेत्रों के मामले में, उप-नियम (1) में उल्लिखित प्रभार प्राधिकरण द्वारा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1994 (1994 का 55) के प्रावधानों के अनुसार लगाए जाएंगे।

(3) प्राधिकरण से संबंधित विमान क्षेत्रों के अलावा अनुज्ञप्ति प्राप्त सार्वजनिक विमान क्षेत्रों के मामले में, उप-नियम (1) में उल्लिखित प्रभार अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन द्वारा विनिर्दिष्ट लागत वसूली के सिद्धांत के अनुसार निर्धारित किए जाएंगे और ऐसे प्रभार अनुज्ञप्तिधारी द्वारा केंद्रीय सरकार या ऐसी सरकार द्वारा इस संबंध में गठित किसी प्राधिकरण के अनुमोदन से अधिसूचित किए जाएंगे।

(4) उपनियम (2) और (3) में किसी बात के होते हुए भी, किसी प्रमुख हवाईअड्डे के मामले में, उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट प्रभारों का टैरिफ ऐसा होगा जैसा कि भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 13 की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन निर्धारित किया जाए।

स्पष्टीकरण.- इस नियम के प्रयोजन के लिए, "प्राधिकरण" से अभिप्रेत भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1994 (1994 का 55) की धारा 3 के अधीन गठित भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण से है।

133. फीस.— (1) किसी विमान क्षेत्र के लिए अनुज्ञप्ति या प्राधिकरण प्रदान करने के लिए देय फीस निम्नानुसार होगी -

सारणी

क्रमांक	वर्णन	फीस
(1)	(2)	(3)
1.	जब अनुज्ञप्ति निजी उपयोग के लिए दिया गया हो	1,00,000 रुपए;
2.	जब अनुज्ञप्ति सार्वजनिक उपयोग के लिए दिया गया हो	5,000 फीट की रनवे लंबाई तक 5,00,000/- रुपए तथा प्रत्येक 1,000 फीट या उसके भाग के लिए 2,00,000 रुपए;
3.	जब प्राधिकरण सार्वजनिक या निजी उपयोग के लिए दिया गया हो	1,00,000 रुपए.

(2) विमानक्षेत्र के अनुज्ञप्ति या प्राधिकरण के नवीकरण के लिए प्रभार्य फीस, अनुज्ञप्ति या प्राधिकरण प्रदान करने के लिए प्रभार्य फीस का पचास प्रतिशत होगा।

(3) फीस का भुगतान महानिदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट तरीके से इलेक्ट्रॉनिक रूप से किया जाएगा।

134. यात्री सेवा फीस.—(1) विमानपत्तन अनुज्ञप्तिधारी, विमान पर चढ़ने वाले यात्रियों से केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट दर पर यात्री सेवा फीस कहलाने वाला फीस वसूल कर सकेगा।

(2) हवाईअड्डा अनुज्ञप्तिधारी इस प्रकार वसूले गए फीस का उपयोग अवसंरचना और यात्रियों की सुविधा के लिए करेगा:

परंतु कि प्रमुख हवाईअड्डों के संबंध में फीस की दर भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 2008 (2008 का 27) की धारा 13 की उपधारा (1) के खंड (ग) के अधीन निर्धारित की जाएगी।

135. उपयोक्ता विकास शुल्क .- अनुज्ञप्तिधारी-

(i) किसी प्रमुख हवाई अड्डे पर प्रयोक्ता विकास फीस ऐसी दर पर लगा सकेगा और वसूल सकेगा, जैसा कि भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 13 की उपधारा (1) के खंड (ग) के अधीन निर्धारित किया जा सकेगा;

(ii) किसी अन्य हवाईअड्डे पर प्रयोक्ता विकास फीस ऐसी दर पर लगा सकेगा और वसूल सकेगा, जैसा कि केंद्रीय सरकार विनिर्दिष्ट कर सके।

136. सार्वजनिक विमान क्षेत्रों में प्रवेश.— (1) कोई भी व्यक्ति किसी सरकारी विमान क्षेत्र या सार्वजनिक विमान क्षेत्र के टर्मिनल भवन में या उस भवन के किसी भाग में जिसे इस निमित्त केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया हो, प्रवेश नहीं करेगा जब तक कि उसके पास विमान क्षेत्र प्रचालक द्वारा जारी प्रवेश टिकट न हो या महानिदेशक, नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो या इस निमित केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा जारी प्रवेश अनुज्ञापत्र न हो।

(2) कोई भी व्यक्ति, केन्द्रीय सरकार या इस निमित्त उस सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी की सामान्य या विशेष आदेश द्वारा दी गई लिखित अनुमति के बिना -

(क) संचलन क्षेत्र में न तो प्रवेश करेगा, न रहेगा और न ही किसी अन्य व्यक्ति को प्रवेश करने देग, या न ही रहने देगा;

(ख) संचलन क्षेत्र में किसी भी पशु, पक्षी अथवा किसी भी प्रकार की संपत्ति अथवा वस्तु को नहीं छोड़ेगा नहीं फेंकेगा अथवा न ही फेंके जाने का कारण बनेगा;

(ग) अपने कब्जे या नियंत्रण के अधीन या अन्यथा किसी भी पशु को संचलन क्षेत्र में भटकने नहीं देगा; और

(घ) संचलन क्षेत्र में कोई वाहन नहीं चलाएगा।

(3) उप-नियम (1) और (2) निम्नलिखित पर लागू नहीं होंगे-

(क) चढ़ते हुए या उतरते हुए या मार्गस्थ कोई भी यात्री जिसके पास हवाई टिकट हो;

या

(ख) विमान क्षेत्र में नियमित ड्यूटी पर लगा ऐसा व्यक्ति जिसके पास महानिदेशक, नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र हो या केंद्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई व्यक्ति

(4) इस नियम में किसी बात के होते हुए भी, विमान क्षेत्र का प्रभारी अधिकारी या इस निमित्त केंद्रीय सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य व्यक्ति, यथास्थिति ,यदि इस बात से संतुष्ट है कि उचित व्यवस्था या शालीनता बनाए रखने के लिए ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, तो वह-

(i) संचलन क्षेत्र या टर्मिनल भवन में किसी भी व्यक्ति को प्रवेश के लिए मना कर सकता है; या

(ii) किसी व्यक्ति से ऐसे भवन या क्षेत्र को छोड़ने की अपेक्षा कर सकता है।

137. पशुओं का वध और खाल उतारने, कूड़ा करकट आदि जमा पर प्रतिषेध.-(1) कोई भी व्यक्ति किसी पशु का वध या खाल नहीं उतारेगा या कोई कूड़ा करकट, गंदगी, कचरा या कोई अन्य प्रदूषित या घृणाजनक पदार्थ, जिसमें होटल, मांस की दुकानों, मछली की दुकानों और अस्थि-प्रसंस्करण मिलों की सामग्री शामिल है, वहां जमा नहीं करेगा या नहीं गिराएगा या कोई ऐसी सुविधा विकसित नहीं करेगा जो विमान क्षेत्र संदर्भ बिंदु से दस किलोमीटर की परिधि के भीतर वन्यजीव गतिविधियों को आकर्षित करती हो या आकर्षित करने की संभावना हो:

परंतु यह कि ऐसे विमान क्षेत्र के आसपास अधिकारिता रखने वाला स्थानीय प्राधिकारी, यदि संतुष्ट हो कि होटल, मांस की दुकानों, मछली की दुकानों और हड्डी प्रसंस्करण मिलों या किसी अन्य सुविधा के मालिकों द्वारा वन्यजीव, गिद्धों या अन्य पक्षियों और पशुओं को आकर्षित होने से रोकने के लिए उचित और पर्याप्त प्रबंध की गई है, विमान क्षेत्र से वध के स्थान की निकटता, शव, कचरा और अन्य प्रदूषित और घृणाजनक के निपटान या जमा करने की व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए विमान क्षेत्र प्रचालक से सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद ऐसे उद्देश्य के लिए लिखित रूप में अनुमति दे सकता है।

(2) उप-नियम (1) के उल्लंघन के मामले में, ऐसे विमान क्षेत्र के आसपास क्षेत्राधिकार रखने वाला स्थानीय प्राधिकारी उस स्थान के मालिक या कब्जे वाले व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करेगा जहां ऐसी

गतिविधि हो रही है, उसी तरह जैसा कि उनके अधिकार क्षेत्र में अनधिकृत गतिविधियों के मामले में किया जाता है।

138. ग्राउंड हैंडलिंग सेवाएं.- (1) एक विमान क्षेत्र आपरेटर, स्वयं ग्राउंड हैंडलिंग सेवाएं प्रदान करते समय, हवाईअड्डे पर विमानन कंपनी आपरेटर को, बिना किसी प्रतिबंध के, किसी भी ग्राउंड हैंडलिंग सेवा प्रदाता को नियुक्त करने की अनुमति देकर एक स्पर्धात्मक माहौल सुनिश्चित करेगा, जिसे केंद्र सरकार द्वारा ऐसी सेवाएं प्रदान करने की अनुमति दी गई है:

परंतु यह तब जबकि ऐसा ग्राउंड हैंडलिंग सेवा प्रदाता केंद्र सरकार की सुरक्षा मंजूरी के अधीन होगा।

(2) कोई भी ग्राउंड हैंडलिंग सेवा प्रदाता किसी अनुसूचित हवाई परिवहन उपक्रम द्वारा उतरने और प्रस्थान के नियमित स्थान के रूप में उपयोग किए जाने वाले विमान क्षेत्र पर ग्राउंड हैंडलिंग सेवाएं प्रदान नहीं करेगा, जब तक कि वह महानिदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता है और उसके द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया है।

139. विमान क्षेत्र पर वायु यातायात सेवाओं का प्रावधान— महानिदेशक किसी विमान क्षेत्र प्रचालक को हवाई यातायात सेवाओं, विमान क्षेत्र उड़ान सूचना सेवा या दोतरफा रेडियो संचार के साधन या किसी अन्य सेवा के लिए प्रावधान करने का निर्देश दे सकता है, जैसा कि विमान क्षेत्र प्रचालन की सुरक्षा के हित में उचित समझा जाए।

भाग-छह

विमान चालन सेवाएं

क. विमान यातायात प्रबंधन

140. हवाई यातायात नियंत्रकों के लिए थकावट प्रबंधन.— (1) विमान यातायात नियंत्रकों के लिए निगरानी ड्यूटी समय सीमाएं और न्यूनतम विश्राम अपेक्षाएं महानिदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट की जा सकती है।

(2) कोई भी विमान यातायात नियंत्रक उप-नियम (1) के अधीन महानिदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट निगरानी ड्यूटी समय सीमाओं और विश्राम अपेक्षाओं का उल्लंघन नहीं करेगा ।

(3) विमान दिक्चालन सेवा प्रदाता उप-नियम (1) के अधीन महानिदेशक द्वारा यथा विनिर्दिष्ट अपने विमान यातायात नियंत्रकों के लिए निगरानी ड्यूटी समय सीमाओं और न्यूनतम विश्राम अपेक्षाओं की योजना स्थापित करेगा।

141. विमान यातायात सेवाओं का प्रावधान.- विमान यातायात सेवा प्रदाता यह सुनिश्चित करेगा कि वह किसी दिए गए आकाशी क्षेत्र के लिए समग्र मांग के किसी भी पूर्वानुमानित स्तर के अनुरूप सुरक्षित, दक्ष, निरंतर और सतत तरीके से अपनी सेवाएं प्रदान करने में सक्षम है।

142. हवाई क्षेत्र का वर्गीकरण.- विमान यातायात सेवा प्रदाता आकाशी क्षेत्र को वर्गीकृत करेगा और ऐसे वर्गीकरण को प्रकाशित करेगा और ऐसे संशोधन करने के लिए विमान दिक्चालन सेवा प्रदाता द्वारा विकसित और प्रकाशित प्रक्रियाओं के अनुसरण में किसी भी वर्गीकरण में संशोधन करेगा।

143. समन्वय प्रक्रियाएं.— हवाई यातायात सेवा प्रदाता उन कार्यकलापों के लिए जिम्मेदार सैन्य प्राधिकारियों के साथ समन्वय प्रक्रियाएं स्थापित करेगा और बनाए रखेगा जो सिविल वायुयानों की उड़ानों को प्रभावित कर सकती हैं।

144. आकाशी क्षेत्र प्रबंधन.— हवाई यातायात सेवा प्रदाता सैन्य या अन्य विशेष गतिविधियों के लिए आरक्षित हवाई क्षेत्र के लचीले उपयोग के लिए प्रक्रियाएं स्थापित करेगा

145. विमान यातायात प्रवाह प्रबंधन - विमान दिक्चालन सेवा प्रदाता हवाई क्षेत्र के लिए विमान यातायात प्रवाह प्रबंधन लागू करेगा जहां विमान यातायात की मांग कभी-कभी संबंधित विमान यातायात नियंत्रण सेवाओं की घोषित क्षमता से अधिक हो जाती है या उससे अधिक होने की संभावना होती है।

146. विमान यातायात सेवाओं में समय.— (1) विमान यातायात सेवा इकाइयों में घड़ियाँ लगी होंगी जो घंटों, मिनटों और सेकंडों में समय दर्शाएंगी।

(2) घड़ियों और अन्य समय रिकॉर्डिंग उपकरणों की समय-समय पर जांच की जाएगी ताकि समन्वित सार्वभौमिक समय के तीस सेकंड से अधिक या कम के भीतर समय की सटीकता सुनिश्चित की जा सके।

(3) जहां कहीं भी विमान यातायात सेवा इकाई द्वारा डाटा लिंक संचार का प्रयोग किया जाता है, वहां घड़ियों और अन्य समय-रिकॉर्डिंग उपकरणों की समय-समय पर जांच की जाएगी ताकि समन्वित सार्वभौमिक समय के एक सेकंड के भीतर समय की सटीकता सुनिश्चित की जा सके।

(4) सटीक समय किसी मानक समय केंद्र से प्राप्त किया जाएगा, या यदि संभव न हो तो किसी अन्य इकाई से, जिसने ऐसे स्टेशन से समय प्राप्त किया हो।

147. आकस्मिक योजनाएँ.— हवाई यातायात सेवा प्रदाता के पास उन सभी घटनाओं के लिए आकस्मिक योजनाएं होनी चाहिए जिनके परिणाम स्वरूप उसकी सेवाओं में महत्वपूर्ण ह्रास या रुकावट आ सकती है।

ख. संचार, विमान चालन और निगरानी

148. वैमानिक केंद्र आपरेटर .- उड़ान सूचना सेवा का भाग बनने वाला प्रत्येक वैमानिक केंद्र प्रचालक, महानिदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं के अनुसार कार्य करेगा ।

149. संचार, विमान चालन और निगरानी उपकरण या विमान यातायात प्रबंधन सुविधाओं का प्रमाणन.— (1) कोई भी व्यक्ति किसी अंतरराष्ट्रीय विमान क्षेत्र में किसी संचार, दिक्चालन और निगरानी विमान यातायात प्रबंधन उपकरण सुविधा स्थापित या उपयोग किए जाने की अनुमति नहीं देगा या अनुमति नहीं दिलवाएगा, जब तक कि इसे महानिदेशक द्वारा प्रमाणित न कर दिया गया हो:

परंतु महानिदेशक, राष्ट्रीय संकट, प्राकृतिक आपदाओं, आपात स्थितियों या अन्यथा ऐसी सुविधाओं के प्रचालन की आवश्यकता होने की स्थिति में विमान यातायात सेवाओं या वायुयान प्रचालन या दिक्चालन के प्रचालन के प्रयोजन के लिए ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जिन्हें वह लागू करना उचित समझे, अस्थायी उपयोग के लिए किसी सुविधा को अनुमोदित कर सकेगा:

परंतु यह और कि कोई व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारंभ होने से पूर्व किसी वैमानिक दूरसंचार स्टेशन पर संचार, दिक्चालन, निगरानी या विमान यातायात प्रबंधन सुविधा का प्रचालन कर रहा है और उसकी अनुमति पहले से ही है, ऐसी सेवाओं का प्रचालन तब तक जारी रख सकता है, जब तक कि वह केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित की जाने वाली तारीख तक महानिदेशक, से प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं कर लेता।

(2) यह नियम किसी संचार, विमान चालन, निगरानी या हवाई यातायात प्रबंधन सुविधा के संबंध में लागू नहीं होगा, जिसकी स्थापना और प्रचालन -

(क) सैन्य प्राधिकारियों के नियंत्रण में है और मुख्यतः सैन्य उपयोग के लिए है;

(ख) यह परीक्षण प्रयोजनों के लिए है तथा इसका उपयोग हवाई यातायात सेवाओं को सहायता देने के लिए नहीं किया जाता है या इसका उपयोग विमान प्रचालन या विमान चालन के लिए नहीं किया जाता है।

(3) इस नियम की कोई भी बात किसी व्यक्ति को किसी वैमानिक दूरसंचार केंद्र पर विमान यातायात सेवाओं और विमान प्रचालन के लिए संचार, दिक्चालन, निगरानी या विमान यातायात प्रबंधन सुविधा की स्थापना और प्रचालन के लिए दूर संचार अधिनियम, 2023 (2023 का 44) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों से छूट नहीं देगी।

150. प्रमाण-पत्र प्रदान करने की पात्रता.— विमान यातायात सेवाओं या विमान प्रचालन के समर्थन में वैमानिक दूरसंचार केंद्र पर स्थापित या उपयोग की जाने वाली संचार, विमान चालन, निगरानी या विमान यातायात प्रबंधन सुविधाओं के लिए प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाएगा -

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा संचार, विमान चालन, निगरानी या विमान यातायात प्रबंधन सुविधा उपलब्ध कराने के प्रयोजनार्थ स्थापित किसी कंपनी या निगमित निकाय को या महानिदेशक, द्वारा इस प्रयोजनार्थ अनुमोदित किसी विमान दिक्चालन सेवा प्रदाता को;

(ख) किसी विमान क्षेत्र अनुज्ञप्ति धारक को विमान चालन सुविधा स्थापित करने के लिए, जिसका उपयोग मुख्य रूप से निर्धारित प्रक्रिया के अधीन उपकरण को समर्थन देने के लिए लैंडिंग सहायता के रूप में किया जाएगा।

151. प्रमाणपत्र प्रदान करने की प्रक्रिया.- (1) विमान यातायात सेवा या वायुयान प्रचालन या विमान चालन के समर्थन में किसी वैमानिक दूरसंचार केंद्र पर स्थापित या उपयोग की जाने वाली संचार, दिक्चालन, निगरानी या विमान यातायात प्रबंधन सुविधा के लिए प्रमाणन हेतु आवेदन, संचार, दिक्चालन और निगरानी मैनुअल के साथ, महानिदेशक को किया जाएगा।

(2) उपनियम (1) के अधीन आवेदन ऐसे प्ररूप में होगा तथा उसमें ऐसे विवरण होंगे, जैसा महानिदेशक, द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाएगा।

(3) महानिदेशक, आवेदन के निपटान के लिए आवेदक से कोई अतिरिक्त जानकारी प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकेगा, जिसे वह आवश्यक समझे।

(4) महानिदेशक, किसी संचार, विमान चालन, निगरानी या विमान यातायात प्रबंधन सुविधा को, आवश्यक समझी जाने वाली किसी भी शर्त के अधीन, प्रमाणित करेगा।

152. संचार, विमान चालन, निगरानी या विमान यातायात प्रबंधन सुविधा मैनुअल.— (1) प्रत्येक प्रमाण-पत्र धारक के पास महानिदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट प्ररूप में संचार, विमान चालन और निगरानी मैनुअल होगा जिसमें तृतीय अनुसूची के पैरा 2 में दी गई जानकारी अंतर्विष्ट होगी और निर्देशिका की अनुमोदित प्रति प्रमाण-पत्र धारक द्वारा इन नियमों के अधीन प्रमाणित सभी संचार, विमान चालन, निगरानी या विमान यातायात प्रबंधन सुविधाओं के संबंध में रखी जाएगी।

(2) निर्देशिका की एक प्रति या निर्देशिका का ऐसा भाग, जो महानिदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, प्रमाण-पत्र धारक द्वारा सभी इकाइयों को उपलब्ध कराया जाएगा।

153. प्रमाणपत्र की वैधता की अवधि.— महानिदेशक किसी अंतर्राष्ट्रीय **विमान क्षेत्र** में वैमानिक दूरसंचार स्टेशन पर संचार, विमान चालन, निगरानी या हवाई यातायात प्रबंधन सुविधा का प्रमाणन पाँच वर्ष से अनधिक अवधि के लिए प्रदान कर सकते हैं, तथा प्रत्येक अवसर पर इसे दो वर्ष से अनधिक अवधि के लिए नवीनीकृत किया जा सकता है।

154. फीस.- (1) किसी वैमानिक दूरसंचार केंद्र पर संचार, दिक्चालन, निगरानी या विमान यातायात प्रबंधन सुविधा का कोई प्रमाण-पत्र तब तक प्रदान नहीं किया जाएगा जब तक कि निम्नलिखित सारणी में विनिर्दिष्ट फीस का भुगतान न किया जाए, अर्थात: **-**

सारणी

क्रमांक		संचार सुविधा	फीस (रुपए में)
(1)	(2)	(3)	(4)
(क)	(i)	स्टैंडअलोन अति उच्च आवृत्ति ट्रांसमीटर या रिसीवर, डिजिटल स्वचालित टर्मिनल सूचना प्रणाली, उच्च आवृत्ति ट्रांसमीटर या रिसीवर, प्रचालन में डेटा लिंक (स्टैंडबाय आवृत्ति सहित)।	50,000 रुपए; (50,000 रुपए पांच आवृत्तियों तक और 20,000 रुपए प्रत्येक आवृत्ति के लिए;
	(ii)	स्वचालित संदेश स्विचिंग प्रणाली हवाई यातायात सेवा संदेश हैंडलिंग प्रणाली	50,000 रुपए;
	(iii)	मास्टर क्लॉक सिस्टम	15,000 रुपए;
	(iv)	अधिक उच्च आवृत्ति ट्रांसमीटर या रिसीवर, उच्च आवृत्ति ट्रांसमीटर या रिसीवर, अंतर इकाई संचार और क्षमता के लिए अन्य सहायक उपकरण के साथ आवाज नियंत्रित संचार प्रणाली से सुसज्जित स्टेशन: (क) 50 नियंत्रक कार्य स्टेशन तक (ख) 50 से अधिक प्रत्येक अतिरिक्त कार्य केन्द्र के लिए	 50,000 रुपए; 5,000 रुपए;
(ख)		दिक्चालन सिस्टम	
	(i)	गैर-दिशात्मक बीकन या लोकेटर, मार्कर	50,000 रुपए;
	(ii)	दूरी मापने के उपकरण	50,000 रुपए;
	(iii)	अधिक उच्च आवृत्ति ओमनी-रेंज या अधिक बहुत उच्च आवृत्ति ओमनी-रेंज	100,000 रुपए;
	(iv)	इंस्ट्रमेंट लैंडिंग सिस्टम या दूरी मापने वाला उपकरण	2,00,000 रुपए;
	(v)	सह-स्थित (वीओआर/डीवीओआर/डीएमई) अधिक उच्च आवृत्ति ओमनी रेंज,	1,25,000 रुपए;
(ग)		निगरानी सुविधा	
	(i)	हवाई अड्डा निगरानी रडार	2,00,000 रुपए;
	(ii)	हवाई मार्ग निगरानी रडार	2,00,000 रुपए;
	(iii)	मोनोपल्स निगरानी द्वितीयक रडार	2,00,000 रुपए;
	(iv)	मल्टी-लैटरेशन के बिना सतही गति रडार	2,00,000 रुपए;
	(v)	स्वचालित आश्रित निगरानी-प्रसारण या संपर्क	2,00,000 रुपए;

(घ)		हवाई यातायात प्रबंधन सुविधा	
	(i)	रडार डाटा प्रोसेसिंग प्रणाली, फ्लाइट डाटा प्रोसेसिंग सिस्टम, स्वचालित सेल्फ ब्रीफिंग सिस्टम जैसी सुविधाओं के साथ विमान यातायात प्रबंधन स्वचालन प्रणाली	1,000,000 रुपए;
	(ii)	उन्नत सतह गतिविधि मार्गदर्शन नियंत्रण प्रणाली (निगरानी और बहु-परत घटक)	3,00,000 रुपए;
	(iii)	भू-आधारित संवर्धन प्रणाली	3,00,000 रुपए;
	(iv)	उपग्रह आधारित संवर्धन प्रणाली	5,00,000 रुपए.

(2) किसी वैमानिक दूरसंचार केंद्र पर संचार, दिक्चालन, निगरानी या हवाई यातायात प्रबंधन सुविधा के प्रमाणन के नवीकरण के लिए फीस उप-नियम (1) के अधीन देय फीस का पचास प्रतिशत होगा।

(3) फीस का भुगतान महानिदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट तरीके से इलेक्ट्रॉनिक रूप से किया जाएगा।

155. प्रमाणपत्र प्रदान करने हेतु नियंत्रित करने वाली शर्तें.— (1) किसी वैमानिक दूरसंचार केंद्र पर संचार, विमान चालन, निगरानी या हवाई यातायात प्रबंधन सुविधा का प्रमाणन ऐसी शर्तों के अधीन प्रदान किया जाएगा या नवीनीकृत किया जाएगा, जिन्हें महानिदेशक, शिकागो में हस्ताक्षरित अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन से संबंधित अभिसमय के अनुपालन और हवाई यातायात सेवाओं या विमान प्रचालन या विमान चालन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपेक्षित समझे।

(2) रखरखाव के प्रयोजन के लिए अपेक्षित को छोड़कर, जब प्रमाणन लागू हो, उपकरण प्रणाली या विन्यास में कोई परिवर्तन महानिदेशक, के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और ऐसे अनुमोदन के लिए आवेदन महानिदेशक, को संबोधित किया जाएगा जिसके साथ ऐसे परिवर्तन का पूरा विवरण दिया जाएगा।

(3) अपेक्षित अनुमोदन प्रदान किया जा सकता है या रोका जा सकता है, और यदि प्रदान किया जाता है, तो वह ऐसी शर्तों के अधीन होगा, जिन्हें महानिदेशक आवश्यक समझें।

(4) प्रमाण-पत्र धारक, हवाई यातायात सेवाओं या विमान प्रचालन या दिक्चालन द्वारा उपयोग के लिए प्रमाण-पत्र के प्रावधान के अनुसार सेवा योग्य स्थिति में वैमानिक दूरसंचार केंद्र पर संचार, विमान चालक, निगरानी या विमान यातायात प्रबंधन सुविधा बनाए रखेगा।

156. सुविधा की उपलब्धता पर अधिसूचना.- किसी वैमानिक दूरसंचार केंद्र पर संचार, विमान चालन, निगरानी या हवाई यातायात प्रबंधन सुविधाओं का प्रभारी व्यक्ति, सुविधा या किसी सेवा के प्रकार और

उपलब्धता को अधिसूचित करेगा जो महानिदेशक, द्वारा विनिर्दिष्ट तरीके से हवाई यातायात सेवाओं या विमान प्रचालन और विमान चाल.न द्वारा उपयोग के लिए उपलब्ध है।

157. विमान चालन सहायता के परिचालन स्थिति की जानकारी.- जब रेडियो विमान चालन सहायता चालू हो, तो प्रमाण-पत्र धारक द्वारा उसकी परिचालन स्थिति की जानकारी संबंधित हवाई यातायात सेवा इकाई को निम्नलिखित ब्यौरा देते हुए उपलब्ध कराई जाएगी, अर्थात:-

(i) उस विमान क्षेत्र के लिए सेवाएं जहां रेडियो विमान चालन सहायता स्थित है; तथा
(ii) उस रेडियो विमान चालन सहायता का उपयोग करते हुए मार्ग में सेवाएं।

158. ध्वनि संचार, संकेत और डेटा की स्वचालित रिकॉर्डिंग.— (1) किसी वैमानिक दूरसंचार केंद्र पर किसी संचार, विमान चालन, निगरानी या हवाई यातायात प्रबंधन सुविधा और उससे अपेक्षित किसी संबंधित सुविधा के प्रमाणपत्र धारक को, उपकरणों के माध्यम से प्रेषित या प्राप्त संदेशों, ध्वनि संचार, संकेतों और डेटा को रिकॉर्ड करने और पुनः चलाने का प्रावधान करना होगा और ऐसे अभिलेखों को ऐसी अवधि के लिए और ऐसी रीति से प्रतिधारित करना होगा, जैसा महानिदेशक, द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाएगा।

(2) यदि उप-नियम (1) के अनुपालन में प्रदान की गई कोई रिकॉर्डिंग सुविधा उस उप-नियम द्वारा अपेक्षित विषयों को रिकॉर्ड करने में प्रविरत हो जाती है, तो यह सुनिश्चित किया जाएगा कि, जहां तक संभव हो, निम्नलिखित का रिकॉर्ड लिखित रूप में रखा जाए-

(क) हवाई यातायात नियंत्रण इकाई द्वारा वैमानिकी दूरसंचार स्टेशन और वायुयान के बीच आदान-प्रदान किए गए ध्वनि संचार का सारांश; तथा

(ख) अन्य वैमानिकी दूरसंचार स्टेशनों के साथ ध्वनि संचार, संदेश का आदान-प्रदान।

(3) यदि उप-नियम (1) के अनुसार प्रदान की गई कोई रिकॉर्डिंग सुविधा अनुपयोगी हो जाती है,

तो वैमानिकी दूरसंचार स्टेशन पर संचार, विमान चालन, निगरानी या हवाई यातायात प्रबंधन सुविधा का प्रभारी व्यक्ति, यह सुनिश्चित करेगा कि उपकरण को यथासंभव शीघ्र, युक्तियुक्त रूप से साध्य समय के भीतर पुन: अनुपयोगी बना दिया जाए।

(4) किसी वैमानिकी वैमानिक दूरसंचार स्टेशन पर हवाई यातायात प्रबंधन सुविधा के संचार, विमान चालन और निगरानी का प्रभारी व्यक्ति, अन्वेषण के प्रयोजन के लिए प्रत्येक अभिलेख को उस तारीख से तीस दिन की अवधि के लिए, जिसको संदेश, डाटा या संकेत की शर्तें या विषय-वस्तु रिकॉर्ड की गई थी, या महानिदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट की गई अधिक लंबी अवधि के लिए सुरक्षित रखेगा।

(5) किसी वैमानिक दूरसंचार केंद्र पर संचार, दिक्चालन, निगरानी या हवाई यातायात प्रबंधन सुविधा का प्रभारी व्यक्ति ऐसे अभिलेख को जांच अधिकारी या महानिदेशक, द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति के समक्ष प्रस्तुत करेगा।

159. वैमानिकी दूरसंचार उपकरण अंशांकन और जांच.— (1) महानिदेशक द्वारा निर्धारित विनिर्देशों के अनुसार प्रमाणपत्र धारक, उपकरण के अंशांकन के लिए प्रक्रिया स्थापित करेगा।

(2) प्रमाण-पत्र धारक किसी दुर्घटना या गंभीर घटना में शामिल किसी वायुयान द्वारा उपयोग किए गए किसी वैमानिक दूरसंचार उपकरण की प्रचालन स्थिति की जांच करेगा तथा उसका सही-सही अभिलेख तैयार करेगा तथा ऐसे अभिलेख को अन्वेषण के प्रयोजन के लिए उपलब्ध कराएगा।

(3) महानिदेशक, द्वारा अनुमोदित इकाई द्वारा विमान चालन सुविधाओं का हवाई अंशांकन किया जाएगा।

160. महत्वपूर्ण और संवेदनशील क्षेत्रों का संरक्षण.- किसी वैमानिक सुविधा के आसपास कोई भी महत्वपूर्ण और संवेदनशील क्षेत्र, जिसे उपकरण की परिचालन दक्षता के लिए संरक्षित किया जाना आवश्यक है, को-

(क) वैमानिक सुविधा के लिए स्थल रेखाचित्रों पर स्पष्ट रूप से पहचाना जाएगा;

(ख) साइट पर उपयुक्त साइनपोस्टों द्वारा भौतिक रूप से संरक्षित किया जाएगा; और

(ग) विमान क्षेत्र परिकर्मी या प्रमाण पत्र धारक द्वारा, जहां उपयुक्त हो, नाकों के माध्यम से या अन्यथा संरक्षित किया जाएगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि साइट प्रतिबंधों का किसी भी रूप में उल्लंघन नहीं किया जाता है।

161. प्रमाणपत्र का निलंबन, रद्दकरण या वापस लेना .- (1) महानिदेशक, प्रमाणपत्र धारक को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात, प्रमाणपत्र को निर्बंधित, निलंबित या रद्द कर सकता है, यदि यह मानने के लिए उचित आधार हैं कि-

(क) प्रमाणपत्र के अधीन किसी शर्त का उल्लंघन हुआ है; या

(ख) सुविधाएं, प्रचालन या रखरखाव वायु यातायात सेवाओं या हवाई विमान चालन की सुरक्षा के हित में आवश्यक मानक के नहीं हैं

(2) यदि प्रमाणपत्र धारक प्रमाणपत्र को समर्पित करना चाहता है, तो धारक को उस तारीख की लिखित में कम से कम साठ दिन की सूचना देनी होगी, जिस तारीख को वह प्रमाणपत्र को समर्पित करना चाहता है।

ग. मौसम विज्ञान सेवाएं

162. मौसम संबंधी आंकड़े और सूचना .— मौसम संबंधी प्राधिकरण ऑपरेटरों, उड़ान कर्मी दल के सदस्यों, हवाई यातायात सेवा इकाइयों, तलाशी और बचाव सेवा इकाइयों, विमान क्षेत्र प्रचालकों, दुर्घटना और घटना जांच निकायों, और अन्य सेवा प्रदाताओं और विमानन निकायों को उनके संबंधित कार्यों के लिए अपेक्षित मौसम संबंधी जानकारी प्रदान करेगा।

163. मौसम संबंधी सूचना का प्रतिधारण.- (1) मौसम संबंधी प्राधिकरण जारी **की** गई मौसम संबंधी सूचना को जारी होने की तारीख से कम से कम 30 दिन की अवधि तक बनाए रखेगा।

(2) पूछताछ या अन्वेषण के लिए अनुरोध किए जाने पर इस मौसम संबंधी जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी और इन प्रयोजनों के लिए, पूछताछ या अन्वेषण पूरी होने तक इसे बनाए रखा जाएगा।

घ. उपकरण उड़ान प्रक्रिया डिजाइन

164. उपकरण उड़ान प्रक्रिया डिजाइन सेवा.- (1) विमान चालन सेवा प्रदाता, महानिदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट उपकरण उड़ान प्रक्रिया डिजाइन सेवा स्थापित करेगा।

(2) नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा अनुमोदित डिजाइन मानदंडों के अनुसरण में विमान चालन सेवा प्रदाता द्वारा डिजाइन किया जाएगा ।

165. उपकरण उड़ान प्रक्रियाओं का प्रख्यापन-. महानिदेशक के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी भी उपकरण उड़ान प्रक्रिया को प्रख्यापित, संशोधित या वापस नहीं लिया जाएगा।

ङ. खोज और बचाव

166. खोज और बचाव समझौते.— विमान दिक्चालन सेवा प्रदाता पड़ोसी राज्यों के साथ खोज और बचाव सहयोग और समन्वय को मजबूत करने के लिए समझौते करेगा, जिसमें एक दूसरे की खोज और बचाव इकाइयों के संबंधित क्षेत्रों में प्रवेश के लिए शर्तें निर्धारित की जाएंगी। इन समझौतों में ऐसी इकाइयों के प्रवेश को यथासंभव कम औपचारिकताओं के साथ शीघ्रता से करने का प्रावधान भी होना चाहिए।

167. बचाव एवं समन्वय केन्द्रों को प्राधिकरण.— अनुरोध किए जाने पर बचाव एवं समन्वय केन्द्र खोज एवं बचाव कार्यों के दौरान अन्य बचाव एवं समन्वय केन्द्रों को हर संभव सहायता प्रदान करेंगे**।**

अध्याय-सात
वायुयान प्रचालन
क. साधारण

168. प्रतिषिद्ध उड़ान.— महानिदेशक द्वारा जारी अनुज्ञा की शर्तों और नियमों के अनुसरण में, सिवाय इसके कि-

(क) भारत में रजिस्ट्रीकृत किसी भी वायुयान भारत से बाहर किसी स्थान के लिए उड़ान के प्रयोजनार्थ भारत से बाहर नहीं जाएगा ;

(ख) कोई भी वायुयान किसी ऐसे क्षेत्र में उड़ान नहीं भरेगा जिसे केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, प्रतिषिद्ध क्षेत्र घोषित कर दिए हो।

169. बिना पासपोर्ट के व्यक्तियों को ले जाने पर प्रतिबन्ध .— (1) किसी भी वायुयान का प्रभारी व्यक्ति, ऐसे वायुयान को भारत के बाहर किसी स्थान से भारत में प्रवेश की अनुमति नहीं देगा, जब तक कि वायुयान में यात्रा कर रहे सभी व्यक्तियों के पास आप्रवास और विदेशियों विषयक अधिनियम, 2025 (2025 का 13) के अधीन वर्तमान में लागू नियमों के अनुसार अपेक्षित विधिमान्य पासपोर्ट न हों।

(2) जहां कोई वायुयान उपनियम (1) के उल्लंघन में भारत में लाया जाता है, वहां केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त साधारणतया या विशेषतया सशक्त कोई प्राधिकारी, वायुयान के स्वामी या प्रभारी व्यक्ति को उस व्यक्ति या व्यक्तियों को भारत में लाने और वहां से ले जाने का निदेश दे सकता है या अन्यथा विधिमान्य पासपोर्ट के बिना उन्हें भारत से तुरंत ले जाने का प्रबंध कर सकता है और, यथास्थिति, वायुयान का स्वामी या प्रभारी व्यक्ति ऐसे निदेशों का पालन करेगा।

170. उड़ान कर्मीदल और केबिन कर्मी दल के सदस्यों का थकावट प्रबंधन.— (1) महानिदेशक, द्वारा उड़ान कर्मी दल के सदस्यों और केबिन कर्मी दल के सदस्यों की सतर्कता के स्तर पर थकान के संभावित प्रभाव को ध्यान में रखते हुए, उड़ान कर्मी दल के सदस्यों के साथ-साथ केबिन कर्मी दल के सदस्यों की उड़ान समय, उड़ान ड्यूटी अवधि और ड्यूटी अवधि की अधिकतम सीमाएं, और ऐसे कर्मी दल के सदस्यों द्वारा पालन किए जाने वाले न्यूनतम विश्राम अवधि भी विनिर्दिष्ट किया जाएगा।

(2) उप-नियम (1) के अधीन महानिदेशक द्वारा, भारत में पंजीकृत या किसी भारतीय प्रचालक द्वारा पट्टे पर ली गई उड़ान मशीन का कोई भी उड़ान कर्मी दल का सदस्य या केबिन कर्मीदल का सदस्य निर्धारित सीमाओं का उल्लंघन नहीं करेगा।

(3) उप-नियम (1) के अधीन महानिदेशक द्वारा, प्रत्येक भारतीय प्रचालक किए गए निर्धारणों के अनुसार अपने उड़ान कर्मी दल के सदस्यों के साथ-साथ केबिन कर्मी दल के सदस्यों के लिए उड़ान और ड्यूटी समय सीमाओं तथा न्यूनतम विश्राम अवधि की योजना स्थापित करेगा तथा इसे अनुमोदन के लिए महानिदेशक, के समक्ष प्रस्तुत करेगा और महानिदेशक द्वारा अनुमोदन के पश्चात ऐसी योजना संबंधित प्रचालक की प्रचालन नियमावली का भाग बन जाएगी।

(4) उप-नियम (1) के अधीन महानिदेशक द्वारा किए गए निर्धारणों के अनुसार भारतीय प्रचालक थकान जोखिम प्रबंधन प्रणाली स्थापित करेगा तथा उसका अनुरक्षण करेगा तथा इसे अनुमोदन के लिए महानिदेशक, के समक्ष प्रस्तुत करेगा और महानिदेशक द्वारा अनुमोदन के पश्चात ऐसी प्रणाली प्रचालक की उड़ान ड्यूटी समय सीमा योजना तथा परिचालन नियमावली का भाग बन जाएगी।

स्पष्टीकरण.- इस नियम के प्रयोजनों के लिए, 'भारतीय आपरेटर' से ऐसा आपरेटर से अभिप्रेत है जिसका मुख्य कारोबार स्थान या स्थायी निवास भारत में है।

171. कर्मीदल सदस्य प्रमाणपत्र.— (1) महानिदेशक, अभिसमय के उपाबंध 9 के उपबंधों के अनुसार कर्मी दल सदस्य प्रमाणपत्र जारी कर सकते हैं।

(2) उपनियम (1) के अधीन कर्मीदल सदस्य प्रमाणपत्र जारी करने के लिए आवेदन नियम 200 के अधीन निर्धारित फीस के साथ महानिदेशक, को किया जाएगा ।

(3) उपनियम (2) के अंतर्गत आवेदन यह ऐसे प्रारूप में होगा तथा इसमें ऐसे विवरण होंगे जैसा महानिदेशक, द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाएगा।

172. कार्यचालन संबंधी दस्तावेजों का परिवहन.— भारत में पंजीकृत प्रत्येक विमान में चेक लिस्ट, अद्यतन उड़ान निर्देशिका, विमान चालक ऑपरेटिंग हैंडबुक (पीओएच) और उस विशेष प्रकार के वायुयान के लिए महानिदेशक, द्वारा विनिर्दिष्ट अन्य दस्तावेज होने चाहिए तथा अन्य दस्तावेज विमान में ऐसे रखे जाएंगे जो उड़ान के दौरान कर्मी दल के लिए आसानी से उपलब्ध हों।

173. **डाक परिवहन.—** (1) महानिदेशक डाक सेवाएं की लिखित सहमति के बिना कोई भी व्यक्ति न तो डाक ले जाएगा और न ही किसी वायुयान में डाक ले जाने देगा ।

(2) अनुसूचित वायु परिवहन सेवाओं में लगा प्रत्येक प्रचालक ऐसी सेवाओं द्वारा ऐसे डाक ले जाएगा, जिन्हें महानिदेशक डाक सेवाएं या उनके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा समय-समय पर एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने की अपेक्षा की जाए।

174. मादक और मनःप्रभावी पदार्थों के सेवन पर प्रतिबन्ध.— (1) पायलट, कमांडर, दिक्चालक, इंजीनियर, केबिन क्रू या कर्मी दल के अन्य परिचालन सदस्य के रूप में कार्य करने या विमान में ले जाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति ने उड़ान शुरू होने के बारह घंटे के भीतर कोई मद्यसारिक पेय, शामक, मादक या उत्तेजक औषधि या तैयारी नहीं ली होगी या उसका उपयोग नहीं किया होगा या उड़ान के दौरान ऐसी कोई तैयारी नहीं ली होगी या उसका उपयोग नहीं किया होगा और ऐसा कोई भी व्यक्ति ऐसा करते या ले जाए जाने के दौरान नशे की हालत में नहीं होगा या उसकी श्वास, मूत्र या रक्त मद्य विश्लेषण में किसी भी प्रकार का रक्त शराब नहीं होगा या ऐसी स्थिति में नहीं होगा जिसमें किसी भी मादक, शामक, मादक या उत्तेजक दवा या तैयारी को लेने के कारण उसकी कार्य करने की क्षमता क्षीण हो गई हो और नशे की हालत में कोई ऐसे व्यक्ति विमान में प्रवेश नहीं करेगा या नहीं रहेगा या ड्यूटी पर रिपोर्ट नहीं करेगा।

(2) प्रचालक, महानिदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन शराब, शामक, मादक या उत्तेजक दवा का पता लगाने के लिए उचित जांच और प्रक्रियाओं के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करेगा।

(3) भारत में घरेलू वायु परिवहन सेवा का संचालन करने वाला कोई भी प्रचालक ऐसी विमान परिवहन सेवा पर कोई मादक पेय नहीं परोसेगा और ऐसी सेवा पर यात्रा करने वाला कोई भी यात्री विमान में कोई मादक पेय नहीं पीएगा।

(4) अनुज्ञप्तियों या अनुमोदनों या प्राधिकरण के धारक, यथास्थिति, अपने अनुज्ञप्ति या अनुमोदन या प्राधिकरण के विशेषाधिकारों और संबंधित रेटिंग का प्रयोग किसी ऐसे मनो-सक्रिय पदार्थ के प्रभाव में रहते हुए नहीं करेंगे, जो उन्हें अनुज्ञप्ति और रेटिंग के विशेषाधिकारों का सुरक्षित और उचित रूप से प्रयोग करने में असमर्थ बना दे।

(5) अनुज्ञप्ति धारक पदार्थों के समस्याग्रस्त उपयोग में शामिल नहीं होंगे।

175. विमान में धूम्रपान करना.— (1) भारत में पंजीकृत प्रत्येक वायुयान के स्वामी या प्रचालक तथा पायलट-इन-कमांड को वायुयान सूचना में प्रमुख स्थान पर यह प्रदर्शित करना होगा या प्रदर्शित करवाना होगा कि कहां और किस सीमा तक उसमें धूम्रपान निषिद्ध है या अनुमत है।

(2) ऐसे वायुयान में धूम्रपान की अनुमति देने वाली सूचना केवल तभी प्रदर्शित की जा सकेगी जब वायुयान में धूम्रपान की अनुमति वायुयान के उड़नयोग्यता प्रमाणपत्र या केन्द्रीय सरकार के निदेश द्वारा दी गई हो और केवल ऐसे प्रमाणपत्र या निदेश में धूम्रपान से संबंधित शर्तों के अनुसरण में ही दी गई हो।

(3) कोई भी व्यक्ति धूम्रपान नहीं करेगा-

(क) विमान के किसी भाग में या उसके आसपास, जहां यह सूचना प्रदर्शित हो कि धूम्रपान निषिद्ध है।

(ख) विमान में उड़ान भरने, उतरने या ईंधन भरने के दौरान या ऐसी अवधि के दौरान जिसमें अस्थायी रूप से यह सूचना प्रदर्शित की जाती है कि धूम्रपान निषिद्ध है।

176. विमान के अनधिकृत भागों में व्यक्तियों का परिवहन.— किसी भी व्यक्ति को किसी भी समय वायुयान के पंखों या निचले हिस्से पर, या उसके किसी अन्य भाग पर या उसमें, जो कार्मिकों या यात्रियों के आवास के लिए डिजाइन नहीं किया गया है, या वायुयान से बाह्य रूप से जुड़ी किसी चीज पर या उसमें नहीं ले जाया जाएगा:

परंतु -

(क) अस्थायी पहुंच वाले व्यक्ति को इस नियम की कोई बात नहीं रोकेगी-

(i) या उसकी मशीनरी या उपस्कर का समायोजन करने के प्रयोजन के लिए या ऐसा कुछ करने के प्रयोजन के लिए जो वायुयान या उसमें ले जाए जा रहे व्यक्तियों या माल की सुरक्षा के लिए आवश्यक हो; या

(ii) विमान के किसी भाग पर, जिसमें माल या भंडार ले जाया जा रहा हो तथा जहां पहुंचने के लिए उचित साधन उपलब्ध हों; तथा

(ख) किसी व्यक्ति को वायुयान के किसी भाग में या उसमें, या उससे संलग्न किसी वस्तु में, केन्द्रीय सरकार की लिखित अनुमति से तथा ऐसी अनुमति में विनिर्दिष्ट किन्हीं शर्तों के अधीन ले जाया जा सकेगा।

177. वहनीय इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के उपयोग पर निर्बंधन .— (1) कोई भी व्यक्ति न तो वायुयान का प्रचालन करेगा और न ही उसका प्रचालक या पायलट-इन-कमांड उड़ान के दौरान वायुयान में किसी भी पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के प्रचालन की अनुमति देगा:

परंतु कि कमांड पायलट उड़ान के दौरान या वायुयान के उतारने और सक्रिय उड़ान पट्टी से हटने के बाद यात्रियों को सेल्युलर टेलीफोन या स्मार्टवॉच के उपयोग कि अनुमति दे सकता है, सिवाय उन स्थितियों के जब लैंडिंग कम दृश्यता की स्थिति में हो, जैसा कि महानिदेशक द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जा सकता है।

(2) उप-नियम (1) के उपवंध वहनीय वॉयस रिकॉर्डर, श्रवण यंत्र, हृदय पेसमेकर, इलेक्ट्रिक शेवर या अन्य पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर लागू नहीं होंगे, जो प्रचालक की राय में उस विमान के विमान चालन या संचार प्रणाली में हस्तक्षेप नहीं करते हैं जिस पर उन्हें संचालित किया जाना है और जिसके लिए ऐसे प्रचालक ने महानिदेशक का अनुमोदन प्राप्त कर लिया है।

(3) उपनियम (1) में किसी बात के होते हुए भी, महानिदेशक, द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन विमान में उड़ान पायलट-इन-कमांड यात्रियों को वाई-फाई या मोबाइल संचार सेवाओं या दोनों के माध्यम से इंटरनेट सेवाओं तक पहुंच की अनुमति दे सकता है :

परंतु कि महानिदेशक, इस संबंध में विनिर्दिष्ट प्रक्रियाओं के अधीन उड़ान के दौरान वायुयान पर ऐसी सेवाओं के लिए उपयोग के लिए वायुयान को प्रमाणित करेंगे ।

स्पष्टीकरण.- इस नियम के प्रयोजनों के लिए, किसी वायुयान को तब उड़ान में माना जाएगा जब उसके सभी बाहरी दरवाजे विमान में चढ़ने के बाद उस समय तक बंद कर दिए जाएं जब तक कि वायुयान से उतरने के लिए ऐसा कोई दरवाजा नहीं खोला जाता।

178. उड़ान डाटा विश्लेषण कार्यक्रम.— किसी विमान का प्रचालक, महानिदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट उड़ान डेटा विश्लेषण कार्यक्रम स्थापित करेगा और उसका रखरखाव करेगा।

179. किसी विदेशी राज्य में पंजीकृत या उससे संबंधित वायुयान.— नियम 183, नियम 191 और नियम 211 में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, किसी विदेशी राज्य में पंजीकृत या उससे संबंधित कोई भी वायुयान महानिदेशक, की पूर्व अनुज्ञा के बिना भारत में, भारत के ऊपर, भारत के आर-पार या भारत के भीतर नहीं उड़ान भरी जाएगी, और न ही ऐसे नियमों और शर्तों के अनुसार उड़ाया जाएगा, जिन्हें महानिदेशक, ऐसी अनुमति देते समय लागू करना उचित समझे:

परंतु कि महानिदेशक, सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, किसी वायुयान या वायुयान वर्ग को या तो सामान्यतः या किसी विनिर्दिष्ट उड़ान के संबंध में इस नियम के उपबंधों से छूट दे सकेगा।

180. वायुयान सुरक्षा फीस.— (1) केन्द्रीय सरकार, या उसकी ओर से नाम निर्दिष्ट कोई अन्य प्राधिकारी, विमानन सुरक्षा फीस लगा सकता है और वसूल सकता है:

(क) चढ़ने वाले यात्री;

(ख) हवाई अड्डे से बाहर ले जाया गया माल;

(ग) सामान्य विमानन के निजी विमानों का प्रस्थान;

(घ) चार्टर्ड वायुयान प्रचालन; और

(ङ) कोई अन्य अभ्यर्पित नागर विमानन प्रचालन,

विमानन सुरक्षा पर व्यय को पूरा करने के लिए ऐसी दर या दरों पर, जैसा कि केन्द्रीय सरकार समय-समय पर विनिर्दिष्ट करे, तथा इसमें विनिर्दिष्ट विभिन्न श्रेणियों के लिए भिन्न-भिन्न दरें विनिर्दिष्ट की जा सकेंगी।

(2) विमानन सुरक्षा फीस को केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट तरीके से विनियमित और उपयोग किया जाएगा।

स्पष्टीकरण:- इस नियम के प्रयोजनों के लिए -

(क) "नागर विमानन सुरक्षा" अभिव्यक्ति से विधिविरूद्ध हस्तक्षेप के कृत्यों के विरुद्ध नागर विमानन परिचालनों की सुरक्षा अभिप्रेत है;

(ख) नागर विमानन पर व्यय से तात्पर्य निम्नलिखित पर किए गए व्यय से है-

(i) नागर विमानन सुरक्षा प्रदान करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा नामित किसी सुरक्षा अभिकरण की अभिनियोजन; और

(ii) ऐसे अन्य व्यय जो केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर विनिश्चित किये जाएं।

181. क्षेत्रीय हवाई संपर्क निधि.— केन्द्रीय सरकार, क्षेत्रीय हवाई संपर्क को अभिवृद्धि देने के लिए, या उससे संबंधित किसी अन्य उद्देश्य के लिए, वायुयान प्रचालकों को व्यवहार्यता अन्तराल वित्तपोषण उपलब्ध कराने के प्रयोजनार्थ, क्षेत्रीय हवाई सम्पर्क निधि की स्थापना कर सकती है, और उक्त निधि का प्रशासन और उपयोग, केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट तरीके से किया जाएगा।

182. क्षेत्रीय हवाई संपर्क उद्ग्रहण .— (1) क्षेत्रीय हवाई संपर्क निधि को वित्तपोषित करने के लिए, केन्द्र सरकार भारत के भीतर संचालित की जाने वाली अनुसूचित उड़ानों पर ऐसी दरों पर लेवी लगा सकती है, जिसे केन्द्र सरकार समय-समय पर अनुसूचित उड़ानों के लिए प्रयुक्त विमानों की बैठने की क्षमता और जिन मार्गों पर ऐसी उड़ानें संचालित की जाती हैं, तथा क्षेत्रीय वायुयान संपर्क निधि की समग्र आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए अधिसूचित कर सकती है।

(2) क्षेत्रीय हवाई सम्पर्क निधि में हिताधिकारी राज्य सरकारों द्वारा भी केंद्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट तरीके और अनुपात में अंशदान किया जा सकेगा।

(3) क्षेत्रीय हवाई सम्पर्क निधि में अभिदाय किसी अन्य स्रोत से प्राप्त आय को जमा करके भी किया जा सकता है, जैसा कि केन्द्र सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाएगा।

स्पष्टीकरण.— नियम 181 और 182 के प्रयोजनों के लिए, "क्षेत्रीय हवाई सम्पर्क" से अभिप्रेत भारत में किन्हीं दो हवाईअड्डों के बीच विमान परिवहन सेवा के प्रचालन से है, जिनमें से कम से कम एक को केन्द्रीय सरकार द्वारा असेवित या अल्पसेवित घोषित किया गया है।

ख. वायु परिवहन सेवाएँ और वायव कार्य

183. अनुसूचित विमान परिवहन सेवाएं.- (1) कोई भी व्यक्ति चतुर्थ अनुसूची में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुरूप और उनके अध्यधीन प्रदान की गई केंद्रीय सरकार की अनुमति के बिना भारत से, भारत के लिए, भारत में या भारत के पार कोई अनुसूचित विमान परिवहन सेवा संचालित नहीं करेगा।

(2) केन्द्रीय सरकार, विमान परिवहन सेवाओं का बेहतर विनियमन करने की दृष्टि से और देश में विभिन्न क्षेत्रों की वायुयान परिवहन सेवाओं की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, सामान्य या विशेष आदेश द्वारा निदेश दे सकेगी कि किसी अनुसूचित वायुयान परिवहन सेवा का प्रचालन करने वाला प्रत्येक प्रचालक ऐसे आदेश में विनिर्दिष्ट शर्तों के अनुसार सेवा प्रदान करेगा, जिसके अंतर्गत उनके सम्यक् अनुपालन से संबंधित कोई शर्त भी है।

184. गैर-अनुसूचित वायु परिवहन सेवाएं.- (1) अनुसूचित वायु परिवहन सेवा से भिन्न कोई भी वायु परिवहन सेवा किसी ऐसे वायु परिवहन उपक्रम द्वारा प्रचालित नहीं की जाएगी जिसका मुख्य व्यवसाय स्थान भारत के बाहर किसी देश में है, सिवाय केन्द्रीय सरकार की विशेष अनुमति के और ऐसे नियमों और शर्तों के अधीन, जिन्हें वह प्रत्येक मामले में लागू करना उचित समझे।

(2) उप-नियम (1) में निहित किसी बात के होते हुए भी, महानिदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं के अनुसरण में निजी चार्टर उड़ान, जहां व्यक्तिगत सीटें यात्रियों को सीधे या किसी पैकेज के हिस्से के रूप में नहीं बेची जा रही हैं, के लिए किसी ऐसे विमान परिवहन उपक्रम द्वारा संचालित की जा सकती हैं जिसका मुख्य व्यवसाय स्थान भारत के बाहर के किसी देश में हो।

(3) अनुसूचित विमान परिवहन सेवा के अलावा कोई भी विमान परिवहन सेवा किसी भारतीय विमान परिवहन उपक्रम द्वारा तब तक प्रचालित नहीं की जाएगी जब तक कि उसके पास महानिदेशक, द्वारा दिया गया विमान प्रचालक अनुज्ञा न हो।

(4) वायुयान प्रकर्मी अनुज्ञा प्रदान करने के लिए आवेदन महानिदेशक को ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति से किया जाएगा तथा उसमें ऐसे विवरण या दस्तावेज अंतर्विष्ट होंगे, जो महानिदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं तथा साथ ही नियम 200 के अधीन निश्चित फीस भी दी जाएगी।

(5) विमान प्रचालक अनुज्ञापत्र के लिए आवेदक और उसके धारक को विमान प्रचालक अनुज्ञापत्र प्रदान करने और उसे जारी रखने के प्रयोजन के लिए केन्द्रीय सरकार से सुरक्षा अनापत्ति प्राप्त करना अपेक्षित होगा तथा सुरक्षा अनापत्ति प्राप्त करने की प्रक्रिया ऐसी होगी, जो महानिदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए।

(6) उपनियम (3) के अधीन प्रदान की गई विमान प्रचालक अनुज्ञापत्र , जब तक निलंबित या रद्द न कर दिया जाए, पांच वर्ष से अनधिक अवधि के लिए विधिमान्य रहेगी, जिसे एक बार में पांच वर्ष से अनधिक अवधि के लिए नवीकृत किया जा सकेगा।

(7) महानिदेशक, यदि उसका समाधान हो जाता है कि,-

(क) विमान प्रचालक अनुज्ञापत्र की किसी शर्त का अनुपालन नहीं किया गया है और यह असफलता ऐसे विमान प्रचालक अनुज्ञापत्र के धारक या उसके किसी सेवक या अभिकर्ता की ओर से किसी जानबूझकर किए गए कार्य या चूक के कारण हुई है, भले ही सेवक या एजेंट का ऐसा जानबूझकर किया गया कार्य या चूक विमान प्रचालक अनुज्ञापत्र के धारक के ज्ञान या अनुमोदन से हुआ हो या नहीं, या

(ख) विमान प्रचालक अनुज्ञापत्र धारक सुरक्षित, कुशल और विश्वसनीय सेवा स्थापित करने में असफल रहा है, या

(ग) विमान प्रचालक अनुज्ञापत्र किसी सूचना को छिपाकर या गलत सूचना देकर प्राप्त किया गया हो, या

(घ) विमान प्रचालक अनुज्ञापत्र धारक की सुरक्षा अनापत्ति केन्द्रीय सरकार द्वारा वापस ले ली गई है या अस्वीकार कर दी गई है,

ऐसी अवधि के लिए विमान प्रचालक अनुज्ञापत्र को रद्द या निलंबित कर सकेगा, जैसा वह उचित समझे:

परन्तु ऐसा कोई भी विमान प्रचालक अनुज्ञापत्र बिना लिखित में कारण बताओ नोटिस दिए रद्द या निलंबित नहीं किया जाएगा, जिसमें विमान प्रचालक अनुज्ञापत्र धारक को वह आधार सूचित किया जाएगा जिस पर विमान प्रचालक अनुज्ञापत्र को निलंबित या रद्द करने का प्रस्ताव है और उसे उचित समय के भीतर जो नोटिस में विनिर्दिष्ट की जाए लिखित में अभ्यावेदन करने का युक्तियुक्त अवसर दिया जाएगा और यदि वह व्यक्ति ऐसा चाहे तो उसे सुनवाई का अवसर दिया जाएगा।

(8) उपनियम (7) में किसी बात के होते हुए भी , यदि महानिदेशक, की यह राय है कि लोक सुरक्षा के हित में ऐसा करना आवश्यक है, तो वह लिखित में कारण लेखबद्ध करके, आगे की जांच करने की दृष्टि से विमान प्रचालक अनुज्ञापत्र को संक्षिप्त रूप से निलंबित कर सकेगा।

185. विमान कार्य.- (1) कोई भी व्यक्ति तब तक कोई विमान कार्य नहीं करेगा जब तक कि उसके पास महानिदेशक, द्वारा प्रदत्त प्राधिकार न हो:

परंतु कि नियम 184 के उपनियम (3) के अधीन प्रदत्त विधिमान्य विमान प्रचालक अनुज्ञापत्र रखने वाला कोई भी व्यक्ति महानिदेशक द्वारा यथा विनिर्दिष्ट ऐसी अपेक्षाओं के अनुपालन के अधीन, ऐसे प्राधिकार के बिना विमान कार्य कर सकता है:

परंतु कि नियम 24 के अधीन अनुज्ञात कार्यकलापों के लिए इस उपनियम के अधीन प्राधिकार की अपेक्षा नहीं होगी।

(2) विमान कार्य करने के लिए प्राधिकार प्रदान करने हेतु आवेदन, महानिदेशक को ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में किया जाएगा और उसमें ऐसी विशिष्टियां या दस्तावेज होंगे, जैसा महानिदेशक, द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, जिसके साथ नियम 200 के अधीन विहित फीस भी होगी।

(3) विमान कार्य प्राधिकरण के लिए आवेदक और उसके धारक को विमान कार्य प्राधिकार प्रदान करने और उसे जारी रखने के प्रयोजन के लिए केन्द्रीय सरकार से सुरक्षा अनापत्ति प्राप्त करना अपेक्षित होगा। सुरक्षा अनापत्ति प्राप्त करने की प्रक्रिया ऐसी होगी जो महानिदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए।

(4) उपनियम (2) के अधीन प्रदान किया गया प्राधिकार, जब तक कि उसे निलंबित या रद्द न कर दिया जाए, दो वर्ष से अनधिक की अवधि के लिए विधिमान्य रहेगा, जिसे एक बार में दो वर्ष अवधि के लिए नवीकृत किया जा सकेगा।

(5) महानिदेशक, यदि उसका समाधान हो जाता है कि-

(i) प्राधिकार धारक द्वारा प्राधिकार की किसी भी शर्त का अनुपालन नहीं किया गया है; या

(ii) प्राधिकार किसी सूचना को छिपाकर या गलत सूचना देकर प्राप्त किया गया हो, या

(iii) प्राधिकरण धारक की सुरक्षा अनापत्ति केन्द्रीय सरकार द्वारा वापस ले ली गई है या अस्वीकार कर दी गई है,

इस नियम के अधीन जारी किए गए प्राधिकार को, ऐसी अवधि के लिए, जैसा वह उचित समझे, रद्द या निलंबित कर सकेगा:

परन्तु ऐसा कोई प्राधिकार लिखित में कारण बताओ सूचना दिए बिना रद्द या निलंबित नहीं किया जाएगा, जिसमें प्राधिकार धारक को वह आधार सूचित किया जाएगा जिस पर प्राधिकार को निलंबित या रद्द करने का प्रस्ताव है और उसे नोटिस में विनिर्दिष्ट उचित समय के भीतर लिखित में अभ्यावेदन करने का युक्तियुक्त अवसर दिया जाएगा और यदि वह व्यक्ति ऐसा चाहे तो उसे सुनवाई का अवसर दिया जाएगा।

(6) उपनियम (5) में किसी बात के होते हुए भी, यदि महानिदेशक, की यह राय है कि लोक सुरक्षा या राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में ऐसा करना आवश्यक है, तो वह कारणों को लिखित में लेखबद्ध करके, प्राधिकार

को तब तक के लिए निलंबित कर सकेगा जब तक महानिदेशक, के समाधानप्रद रूप में कमियों का समाधान नहीं हो जाता।

186. विमान कार्य और लोक परिवहन कुछ वायुयानों के लिए आरक्षित हैं.— प्रवर्ग ख में अध्याय-3 के अनुसार किसी पंजीकृत वायुयान का उपयोग विमान कार्य वायुयान या लोक परिवहन वायुयान के रूप में नहीं किया जाएगा:

परंतु कि केन्द्रीय सरकार समय-समय पर प्रवर्ग क में भाग 3 के अनुसार पंजीकृत वायुयान के भिन्न वायुयान द्वारा विमान कार्य या लोक परिवहन के संपादन को लगाने की अनुमति दे सकेगी और निर्बंधन आरोपित कर सकेगी, और ऐसे निर्बंधनों को प्रभावी रूप से अधिरोपित किया गया समझा जाएगा यदि उन्हें ऐसे वायुयान के स्वामी या प्रचालक को लिखित रूप में अधिसूचित किया गया है।

187. मानव रहित विमान वाहन (ड्रोन) से भिन्न वायुयान का आयात या स्थानीय अर्जन.— (1) कोई भी व्यक्ति महानिदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं के अनुसार उनकी अनुज्ञा के बिना किसी वायुयान का आयात या स्थानीय स्तर पर अर्जन नहीं करेगा।

(2) इस प्रकार आयातित या स्थानीय रूप से अर्जित वायुयान का उपयोग अनुज्ञात प्रयोजनों से भिन्न के लिए नहीं किया जाएगा।

188. वायुयान प्रबंधन सेवा प्रदाता.— (1) कोई भी व्यक्ति वायुयान प्रबंधन सेवा प्रदाता के रूप में तब तक कार्य नहीं करेगा जब तक कि उसके पास महानिदेशक, द्वारा विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं के अनुसार प्रदत्त प्राधिकार न हो:

परंतु यह कि नियम 184 के उपनियम (3) के अधीन प्रदत्त विधिमान्य विमान प्रचालक अनुज्ञापत्र रखने वाला कोई भी व्यक्ति, महानिदेशक, द्वारा यथा विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं के अनुपालन के अधीन, ऐसे प्राधिकार के बिना वायुयान प्रबंधन सेवा प्रदाता के रूप में कार्य कर सकेगा।

(2) इस नियम के उपबंध नियम 183 के उपबंध के अधीन अनुज्ञात अनुसूचित वायु परिवहन सेवा पर लागू नहीं होंगे।

(3) किसी ऐसे वायुयान का प्रचालन, जिसका विधिक स्वामित्व कई व्यक्तियों या इकाईयों के बीच विभाजित है, इस नियम के उपबंध के अधीन विमान प्रबंधन सेवा प्रदाता के माध्यम से या इन नियमों के उपबंधों के अधीन वायुयान के प्रचालन और अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी एकल इकाई के साथ ड्राई लीज़ व्यवस्था के माध्यम से अनुज्ञेय होगा।

(4) वायुयान का स्वामी और वायुयान प्रबंधन सेवा प्रदाता उपयुक्त वायुयान प्रबंधन करार करेंगे जो तत्समय प्रवृत्त विधियों से असंगत नहीं होगा, जिसमें वायुयान प्रबंधन सेवा प्रदाता को वायुयान का कब्जा और नियंत्रण अंतरित करने का उपबंध सम्मिलित होगा।

(5) वायुयान का स्वामी और वायुयान प्रबंधन सेवा प्रदाता, महानिदेशक, को वायुयान के कब्जे और नियंत्रण के अंतरण के लिए लिखित प्रस्तुत करेगा, जो महानिदेशक, द्वारा विनिर्दिष्ट रूप विधान में होगा, ताकि नियम 39 के उपबंधों के अधीन जारी वायुयान के पंजीकरण प्रमाणपत्र में प्रचालक के रूप में वायुयान प्रबंधन सेवा प्रदाता का नाम सम्मिलित किया जा सके ।

(6) वायुयान प्रबंधन सेवा प्रदाता अपने प्रबंधन के अधीन वायुयान के लिए वायुयान प्रचालक होगा और वह वायुयान के प्रचालन नियंत्रण के साथ-साथ इस अधिनियम, इन नियमों और उनके अधीन बनाए गए विनियमों के उपबंधों के अनुपालन के लिए उत्तरदायी होगा।

(7) इस नियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, वायुयान का स्वामी तत्समय प्रवृत्त किसी भी अन्य लागू विधि कानून के अधीन किसी भी दायित्व से मुक्त नहीं होगा।

189. निजी उपयोग के लिए वायुयान का प्रचालन.- (1) कोई भी व्यक्ति महानिदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं के अनुसार ही निजी उपयोग के लिए वायुयान का प्रचालन करेगा।

(2) निजी उपयोग प्रवर्ग के अधीन रजिस्ट्रीकृत वायुयान का उपयोग किसी भी रीति में किराया, पारिश्रमिक या पारितोषिक प्राप्त करने वाले कार्य हेतु नहीं किया जाएगा।

(3) निजी उपयोग प्रवर्ग के अधीन वायुयान के स्वामी/प्रचालक यह सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होंगे कि वायुयान का प्रचालन और अनुरक्षण इन नियमों और इन नियमों के अधीन तैयार की गई सभी सुसंगत वियामक अपेक्षाओं के अनुपालन में किया जाता है।

(4) इस नियम में किसी बात के होते हुए भी, इस नियम के उपबंधों के अधीन आने वाले वायुयान का स्वामी नियम 188 में यथा उपबंधित वायुयान प्रबंधन सेवा प्रदाता की सेवाओं का उपयोग कर सकेगा।

190. राज्य सरकारों, केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के पब्लिक सेक्टर उपक्रमों और किसी अन्य सरकारी अभिकरण द्वारा निजी उपयोग के लिए वायुयान का प्रचालन.— (1) राज्य सरकारें, केंद्रीय सरकार/राज्य सरकार के पब्लिक सेक्टर उपक्रम और किसी अन्य सरकारी अभिकरण द्वारा अपने निजी उपयोग के लिए वायुयान का प्रचालन तब तक नहीं किया जाएगा, जब तक कि उनके पास महानिदेशक द्वारा उनके द्वारा विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं के अनुसार दिया गया प्रचालन अनुज्ञा न हो।

(2) इस नियम के अधीन आने वाले वायुयान का उपयोग किसी रीति में किराए **और** पारितोषिक **या** परिश्रमिक से किसी संबंधित प्रयोजन के लिए नहीं किया जाएगा**।**

(3) उपनियम (1) के अधीन प्रदान किया गया प्रचालन अनुज्ञापत्र, जब तक कि उसे निलंबित या रद्द न कर दिया जाए, दो वर्ष से अनधिक की अवधि के लिए विधिमान्य रहेगा, जिसे एक बार में दो वर्ष से अनधिक की अवधि के लिए नवीकृत किया जा सकेगा।

(4) महानिदेशक, यदि यह बात का समाधान हो जाता है कि -

(i) प्रचालन अनुज्ञापत्र की किसी भी शर्त का प्रचालन अनुज्ञापत्र धारक द्वारा अनुपालन नहीं किया गया है, या

(ii) प्रचालन अनुज्ञापत्र किसी जानकारी को छिपाकर या गलत जानकारी देकर प्राप्त किया गया हो,

इस नियम के अधीन जारी किए गए प्रचालन अनुज्ञापत्र को ऐसी अवधि के लिए जो वह उपयुक्त समझे, रद्द या निलंबित कर सकेगा:

परन्तु ऐसा कोई भी प्रचालन अनुज्ञा लिखित में कारण बताओ सूचना दिए बिना रद्द या निलम्बित नहीं किया जाएगा, जिसमें प्रचालन अनुज्ञापत्र धारक को वह आधार सूचित किया जाएगा जिस पर प्रचालन अनुज्ञापत्र को निलम्बित या रद्द करने का प्रस्ताव है और उसे सूचना में यथा विनिर्दिष्ट युक्तियुक्त समय के भीतर लिखित रूप में अभ्यावेदन करने का युक्तियुक्त अवसर दिया जाएगा और यदि वह व्यक्ति चाहे तो उसे सुनवाई का अवसर दिया जाएगा।

(5) उप-नियम (4) में किसी बात के होते हुए भी, यदि महानिदेशक की यह राय है कि लोक सुरक्षा या राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में ऐसा करना अपेक्षित है, तो वह कारणों को लिखित रूप में अभिलिखित करके, महानिदेशक के समाधानप्रद रूप में कमियों का समाधान होने तक प्रचालन अनुज्ञा को संक्षेपतः निलंबित कर सकेगा।

(6) इस नियम में किसी बात के होते हुए भी, इस नियम के उपबंधों के अधीन आने वाले वायुयान का स्वामी नियम 188 में यथा उपबंधित वायुयान प्रबंधन सेवा प्रदाता की सेवाओं का उपयोग कर सकेगा, ऐसी दशा में वायुयान प्रबंधन सेवा प्रदाता को महानिदेशक द्वारा यथा विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं का अनुपालन करना अपेक्षित होगा।

191. विदेशी एयरलाइन द्वारा भारत में, से पूरे भारत में अनुसूचित प्रचालन .- (1) केन्द्रीय सरकार किसी वायुयान परिवहन उपक्रम को, जिसके कारबार का मूल स्थान भारत के बाहर किसी देश में है, भारत सरकार और उस देश की सरकार के बीच तत्समय प्रवृत्त किसी करार के निबंधनों के अनुसार, या जहां ऐसा कोई करार नहीं है वहां भारत सरकार द्वारा अस्थायी प्राधिकार के अनुसार भारत में, से, या भारत के पार अनुसूचित वायुयान परिवहन सेवा प्रचालित करने की अनुज्ञा दे सकेगी।

(2) महानिदेशक, किसी वायुयान परिवहन उपक्रम को, जिसके कारबार का मूल स्थान भारत के बाहर किसी देश में है, भारत सरकार और उस देश की सरकार के बीच तत्समय प्रवृत्त किसी करार के निबंधनों के अनुसार भारत से या भारत सरकार के लिए अनुसूचित वायुयान परिवहन सेवा प्रचालित करने के लिए प्रचालन प्राधिकार प्रदान कर सकेगा, या जहां ऐसा कोई करार नहीं है वहां भारत सरकार द्वारा अस्थायी प्रचालन प्राधिकार प्रदान कर सकेगा।

(3) उप-नियम (2) के अधीन प्रचालन प्राधिकार प्रदान करने के लिए आवेदन नियम 200 के अधीन उपबंधित फीस के साथ महानिदेशक को किया जाएगा ।

(4) उपनियम (3) के अनुसार आवेदन ऐसे प्ररूप में होगा तथा उसमें ऐसी विशिष्टियां होंगी जो महानिदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाएगा। महानिदेशक, आवेदन पर कार्रवाई के लिए आवेदक से कोई अतिरिक्त सूचना प्रस्तुत करने के लिए कह सकता है, जिसे वह आवश्यक समझे।

(5) उपनियम (2) के अनुसार प्रदान किया गया प्रचालन प्राधिकार,जब तक निलंबित या रद्द न कर दिया जाए, पांच वर्ष से अनधिक अवधि के लिए विधिमान्य रहेगा, जिसे एक बार में पांच वर्ष से अवधि के लिए नवीकृत किया जा सकेगा।

(6) महानिदेशक, उपनियम (2) के अधीन प्रदत्त प्रचालन प्राधिकार में किसी संशोधन को, वायुयान परिवहन उपक्रम द्वारा ऐसे प्ररूप में नियम 200 के अधीन उपबंधित फीस के साथ आवेदन प्रस्तुत करने पर, जिसमें ऐसी विशिष्टियां या दस्तावेज होंगे, जैसा कि उनके द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, अनुमोदित कर सकेगा ।

(7) ऐसा वायुयान परिवहन उपक्रम, जिसे इस नियम के अधीन प्रचालन प्राधिकार प्रदान किया गया है, ऐसे प्राधिकार में विनिर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन करेगा।

(8) कोई वायुयान परिवहन उपक्रम, जिसके कारबार का मूलस्थान भारत के बाहर किसी देश में है, महानिदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट यथा अपेक्षाओं और शर्तों के अनुपालन में भारत को,भारत से या पूरे भारत में अनुसूचित वायुयान परिवहन सेवाएं संचालित करेगा।

192. टैरिफ.- (1) नियम 183 के उप-नियम (1) और नियम 191 के उप-नियम (1) के अनुरूप परिचालन करने वाला प्रत्येक वायुयान परिवहन उपक्रम फैक्टरों पर आधारित टैरिफ स्थापित करेगा जिसमें प्रचालन की लागत भी शामिल होगी।

(2) नियम 183 के उप-नियम (1) के अनुरूप परिचालन करने वाला प्रत्येक वायुयान परिवहन उपक्रम उसके द्वारा उप-नियम (1) द्वारा स्थापित टैरिफ महानिदेशक को ऐसी रीति और अवधि में प्रस्तुत करेगा, जो निर्दिष्ट की जाए।

(3) प्रत्येक वायुयान परिवहन उपक्रम उसके द्वारा उप-नियम (1) के अंतर्गत स्थापित टैरिफ व्यापक जन-जागरूकता और पारदर्शिता के लिए अपनी वेबसाइट पर अथवा किसी अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ऐसे रूप और रीति से प्रकाशित करेगा, जो महानिदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए।

(4) प्रभारित या प्रस्तावित किया जाने वाला टैरिफ बुकिंग वेबसाइट पर और बुक किए गए टिकट पर निम्नलिखित विशिष्टियाँ दर्शाएगा, अर्थात्:-

(क) यात्री द्वारा देय कुल रकम; और

(ख) कुल राशि का पूर्ण विवरण, जिसमें किराया, कर, फीस, रद्दकरण प्रभार, धन-वापसी की शर्तें या कोई अन्य प्रभार, यदि कोई हो, अलग-अलग दर्शाया गया हो।

स्पष्टीकरण.- इस नियम के प्रयोजनों के लिए, -

(क) "फीस" से अभिप्रेत है यात्रियों को प्रदान की गई कोई सेवा या सुविधा के प्रावधान के लिए सेवा प्रदाताओं को संदेय रकम; और

(ख) "कर" से अभिप्रेत है सरकार को संदेय रकम।

(5) नियम 183 के उप-नियम (1) के अनुरूप परिचालन करने वाले प्रत्येक वायुयान परिवहन उपक्रम द्वारा स्थापित टैरिफ की मॉनीटरी नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा की जाएगी;

(6) जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि कोई असाधारण परिस्थिति उत्पन्न हो गई है, तो वह, लिखित में आदेश द्वारा ऐसे निदेश जारी कर सकेगी जो वह लोक हित में ऐसा करना आवश्यक और समीचीन समझे:

परंतु ऐसा निदेश परिस्थितियों के आनुपातिक होगा और केवल विविनिर्दिष्ट अवधि के लिए प्रवृत्त रहेगा।

193. प्रचालकों द्वारा अनुपालन की जाने वाली न्यूनतम अपेक्षाएं.— सभी वायुयान स्वामियों और प्रचालकों को इस अध्याय के भाग (ग) में अंतर्गत इंजीनियरी, निरीक्षण और निर्देशिका अपेक्षाओं और वायु मार्गों, विमानों और हवाई कर्मी दल के संबंध में सुरक्षा अपेक्षाओं का अनुपालन करना होगा, जैसा कि महानिदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए।

194. किसी नए मार्ग को शुरू करने या विद्यमान मार्गों में परिवर्तन.— किसी नए मार्ग पर अनुसूचित वायुयान परिवहन सेवा का प्रचालन करने या ऐसी सेवाओं के किसी विद्यमान मार्ग में कोई बड़ा परिवर्तन करने या ऐसी सेवा के लिए कोई नई समय-सारणी शुरू करने से पहले, प्रचालक महानिदेशक, की सहमति प्राप्त करेगा, जहां तक ऐसा प्रचालन या, यथास्थिति ,वायुयान मार्ग या वायुयान क्षेत्र सुविधाओं पर प्रभाव पड़ने की संभावना है, और नए मार्ग के प्रचालन के लिए या किसी विद्यमान मार्ग में सारभूत परिवर्तन के लिए या नई समय-सारणी शुरू करने के लिए या, यथास्थिति, प्रस्तावित तारीख से पहले महानिदेशक को पूर्व सूचना देगा।

195. प्रचालन निर्देशिका.— (1) प्रचालन निर्देशिका ऐसे प्ररूप, रीति में होगा महानिदेशक द्वारा यथाविनिर्दिष्ट ऐसी विशिष्टयां होंगी तथा इसका अनुरक्षण वायुयान परिवहन सेवाओं में लगे प्रत्येक प्रचालक और जटिल मोटर चालित वायुयान प्रचालित करने वाले प्राइवेट वायुयान के स्वामी द्वारा किया जाएगा।

(2) प्रचालन निर्देशिका महानिदेशक, द्वारा यथाविनिर्दिष्ट अपेक्षाओं का अनुपालन करेगी।

(3) प्रचालन निर्देशिका के लिए तकनीकी मूल्यांकन और महानिदेशक के अनुमोदन की अपेक्षा होगी ।

(4) प्रचालन निर्देशिका की एक प्रति, या निर्देशिका का ऐसा भाग, जो महानिदेशक, द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, वायुयान परिवहन सेवाओं में लगे सभी वायुयानों में रखा जाएगा।

196. पायलट-इन-कमांड के कर्तव्य.— (1) नियम 195 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, प्रचालक प्रत्येक उड़ान के लिए एक पायलट को पायलट इन-कमांड के रूप में अभिहित करेगा, जो उड़ान प्रचालनों में अपने कर्तव्यों के उचित निर्वहन में कर्मी दल के अन्य सदस्यों का पर्यवेक्षण करेगा और निदेश देगा।

(2) उड़ान के दौरान वायुयान के प्रचालन और सुरक्षा के लिए उत्तरदायी होने के अतिरिक्त, पायलट-इन-कमांड यात्रियों और ले जाए जा रहे स्थोरा की सुरक्षा तथा उड़ान अनुशासन बनाए रखने और कर्मी दल के सदस्यों की सुरक्षा के लिए उत्तरदायी होगा।

(3) जब तक पायलट-इन-कमांड कमान में है, उसे वायुयान की स्थिति के संबंध में अंतिम प्राधिकार होगा।

ग. इंजीनियरी, निरीक्षण और निर्देशिका अपेक्षाएं - स्वामी या प्रचालक

197. परिभाषाएँ.— इस भाग में-

(क) "इंजीनियरी और निरीक्षण" वायुयान की उड़नयोग्यता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक सभी कार्यों का निष्पादन को निर्दिष्ट करता है, जिसके अंतर्गत वायुयान की पूरी मरम्मत, अनुरक्षण, संशोधन, मरम्मत, प्रतिस्थापन, विनिर्माण, संयोजन, परीक्षण, निरूपण, निरीक्षण, प्रमाणन और निरंतर उड़नयोग्यता प्रबंधन भी है।

(ख) “निर्देशिका” से प्रचालकों की यथास्थिति निरंतर उड़नयोग्यता प्रबंधन प्रदर्शन' या 'गुणवत्ता निर्देशिका' या ऐसी अपेक्षाओं को सम्मिलित करने वाले किसी अन्य निर्देशिका से है,

(ग) “प्राइवेट वायुयान” ऐसे वायुयान को निर्दिष्ट करता है जो नियम 183 या नियम 184 या नियम 185 के अधीन आने वाले वायुयानों से भिन्न अन्य प्रचालित वायुयानों से है।

198. प्राइवेट वायुयान स्वामी.- (1) प्राइवेट वायुयान, वायुयान के घटक और उपस्कर की वस्तुओं का जो महानिदेशक, द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएँ,अनुरक्षित करेगा।

(2) स्वामी के पास एक समुचित संगठन की व्यवस्था होगी चाहिए, जिसके अंतर्गत अर्हित और प्रशिक्षित कर्मचारी, कर्मशाला और अन्य उपस्कर, सुविधाएं और निरीक्षण सहायक उपकरण भी हैं।

(3) (क) सभी प्राइवेट वायुयान स्वामी, अपने वायुयान की सुरक्षा के लिए उड़नयोग्यता नियंत्रण की प्रत्यायोजित प्रणाली के अधीन प्रचालन का आधार प्रदान करने वाली अनुमोदित अनुरक्षण प्रणाली के अधीन कार्य करेंगे;

(ख) अनुमोदित अनुरक्षण प्रणाली के अधीन प्रचालन के लिए अनुमोदन प्रदान करने या जारी करने और इसकी निरंतर विधिमान्यता के लिए, प्रचालक महानिदेशक, द्वारा यथाविनिर्दिष्ट अपेक्षाओं का अनुपालन करेंगे।

(4) स्वामी, जो महानिदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, इंजीनियरी, निरीक्षण और निर्देशिका अपेक्षाओं का अनुपालन करेगा।

(5) उपनियम (3) के खंड (ख) अधीन प्रदान किया गया अनुमोदन, जब तक कि उसे निलंबित या रद्द न कर दिया जाए, पांच वर्ष की अनधिक अवधि के लिए विधिमान्य रहेगा और समाधान होने पर महानिदेशक अनुमोदन को आगे पांच वर्ष की अवधि के लिए नवीकृत कर सकेगा।

(6) (क) स्वामी को वायुयान, वायुयान के घटकों और उपस्करों की वस्तुओं का पूरा अभिलेख रखना होगा, जैसा कि अनुमोदित निर्देशिका में सम्मिलित है, जिसमें उड़ान का कुल समय, अंतिम पूरी मरम्मत के बाद से उड़ान का समय और अंतिम निरीक्षण के बाद से उड़ान का समय और कोई अन्य डेटा जो महानिदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए,भी है;

(ख) अभिलेख निरीक्षण और जांच के लिए उपलब्ध कराए जाएंगे और ऐसी अवधि के लिए जो महानिदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, अनुरक्षित रखा जाए।

(7) किसी नियम के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, महानिदेशक, किसी स्वामी या व्यक्ति को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात्, जहां उसका समाधान हो जाता है कि:-

(क) इस नियम के अधीन महानिदेशक, द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों और नागर विमानन अपेक्षाओं का अनुपालन नहीं किया जा रहा है, और

(ख) प्रचालक या व्यक्ति ने ऐसे कार्य का निष्पादन किया है, या ऐसे कार्य के संबंध में प्रमाणपत्र प्रदान किया है जो सावधानीपूर्वक या सक्षम रीति में नहीं किया गया है या अपने कार्यक्षेत्र या अपने अनुमोदन से बाहर कार्य किया गया है या उसके संबंध में उचित प्रविष्टियां और प्रमाणन करने में असफल रहा है या महानिदेशक द्वारा विचार किए गए किसी अन्य कारण से किसी अनुमोदन को रद्द, निलंबित या अनुमोदन कर सकेगा या स्वामी या व्यक्ति को चेतावनी देगा या भर्त्सना कर सकेगा,

199. प्रचालक.— (1) प्रचालक के पास एक समुचित संगठन की व्यवस्था होनी चाहिए, जिसके अंतर्गत अहिर्त योग्य और प्रशिक्षित कर्मचारी, कर्मशाला और अन्य उपस्कर, सुविधाएं और निरीक्षण सहायक उपकरण,जो आवश्यक है, भी हों।

(2) (क) प्राइवेट वायुयान स्वामियों से भिन्न सभी प्रचालक, अपने वायुयान और वायुयान में सवार व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए उड़नयोग्यता नियंत्रण की प्रत्यायोजित प्रणाली के अधीन प्रचालन का आधार प्रदान करने वाली अनुमोदित अनुरक्षण प्रणाली के अधीन प्रचालन करेंगे।

(ख) अनुमोदित अनुरक्षण प्रणाली के अधीन प्रचालन के लिए अनुमोदन प्रदान करने या जारी करने और इसकी निरंतर विधिमान्यता के लिए, प्रचालक महानिदेशक, द्वारा यथाविनिर्दिष्ट अपेक्षाओं का अनुपालन करेंगे।

(3) उपनियम (2) के खंड (ख) के अधीन प्रदान किया गया अनुमोदन, जब तक कि निलंबित या रद्द न कर दिया जाए, निम्नानुसार विनिर्दिष्ट अवधि के लिए विधिमान्य रहेगा-

(क) नियम 183 के अधीन जारी वायुयान प्रचालक प्रमाणपत्र रखने वाले और अनुसूचित वायुयान परिवहन सेवा में लगे व्यक्ति के मामले में दस वर्ष;

(ख) नियम 183 के अधीन जारी वायुयान प्रचालक प्रमाणपत्र रखने वाले और अनुसूचित यात्री वायुयान परिवहन सेवा में लगे हुए या नियम 184 के अधीन जारी वायुयान प्रचालक अनुज्ञा-पत्र रखने वाले व्यक्ति के मामले में पांच वर्ष;

(ग) नियम 185 के अधीन जारी प्राधिकार रखने वाले व्यक्ति के लिए दो वर्ष।

(4) उपनियम (2) के अधीन प्रदान किया गया अनुमोदन, महानिदेशक द्वारा समाधान होने पर उप नियम (3) के अधीन प्रदत्त उसी अवधि के लिए नवीकृत कर सकेगा।

(5) (क) प्रचालक अपने कार्मिकों के उपयोग और मार्गदर्शन के लिए निर्देशिका उपलब्ध कराएगा, जिसमें उस प्रचालक के कार्यकलापों से संबंधित नीतियों, प्रक्रियाओं, कार्यप्रणाली और प्रबंधन प्रणाली से संबंधित जानकारी का ब्यौरा होगा और ऐसी अतिरिक्त जानकारी जो महानिदेशक,द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, अंतर्विष्ट होगी।

(ख) निर्देशिका की पूर्ण प्रतिलिपि या निर्देशिका के ऐसे भाग, जैसा महानिदेशक निदेश दें, अनुमोदन के लिए नागर विमानन महानिदेशालय के समुचित क्षेत्रीय कार्यालय को प्रस्तुत किए जाएंगे।

(ग) अनुमोदित प्रचालक समय-समय पर अपने निर्देशिका को पुनरीक्षित करेगा और जब भी उसके प्रचालन, वायुयान उपस्कर या पद्धतियों या विद्यमान वायुयान, उपस्कर या कार्यप्रणाली के साथ अनुभव में परिवर्तन के परिणामस्वरूप आवश्यक हो और कार्यप्रणाली और प्रक्रियाओं का कोई पुनरीक्षण जो वायुयान या उपस्कर की उड़नयोग्यता या सुरक्षा को प्रभावित करता है, महानिदेशक, के पूर्व अनुमोदन के अधीन होगा।

(6) निर्देशिका और उसके पुनरीक्षण संशोधनों की प्रतिलिपियां अनुमोदित प्रचालक द्वारा अपने ऐसे कार्मिकों और उस प्रचालक के कार्य से संबद्ध ऐसे अन्य व्यक्तियों को उपलब्ध कराई जाएंगी, जिन्हें महानिदेशक, आवश्यक समझे।

(7) अनुमोदित प्रचालक के कर्मचारी निर्देशिका में यथा अंतर्विष्ट अपने कर्तव्यों से संबंधित सभी अनुदेशों का अनुपालन करेंगे।

(8) अनुमोदित प्रचालक यह सुनिश्चित करेगा कि प्रमाणित करने के लिए प्राधिकृत उसके कार्मिकों को अनुदेश प्रदान करने के लिए प्रावधान किया गया है, जैसा कि उनके कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों के समुचित निर्वहन के लिए आवश्यक समझा जाए।

(9) (क) प्रत्येक प्रचालक, जिसके अंतर्गत एक अनुमोदित प्रचालक भी है, अनुमोदित निर्देशिका में सम्मिलित पूरी मरम्मत अंतिम ओवरहाल के बाद से उड़ान के कुल समय तथा सभी वायुयान के ढांचे, इंजन,

उपकरण, रेडियो उपकरण, उपस्करों और सहायक उपकरण के अंतिम निरीक्षण के बाद से उड़ान के समय का पूरा अभिलेख रखा जाएगा।

(ख) प्रचालक ऐसे अन्य अभिलेख भी रखेंगे, जिन्हें महानिदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, जिन्हें ये अभिलेख निरीक्षण और जाँच के लिए उपलब्ध कराए जाएंगे, जब भी उनके द्वारा इसकी मांग की जाएगी और अभिलेख को ऐसी अवधि के लिए रखा जाए, जिसे महानिदेशक, द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए।

(10) अनुमोदित प्रचालक सहित प्रत्येक प्रचालक इंजीनियरिंग, निरीक्षण और निर्देशिका अपेक्षाओं का जो महानिदेशक, द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, अनुपालन करेगा।

(11) किसी नियम के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, महानिदेशक,प्रचालक या व्यक्ति को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात, जहां उसका यह समाधान हो जाता है कि:-

(क) इस नियम के अधीन महानिदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों और नागर विमानन अपेक्षाओं का अनुपालन नहीं किया जा रहा है, और

(ख) प्रचालक या व्यक्ति ने ऐसे कार्य का निष्पादन किया है, या ऐसे कार्य के संबंध में प्रमाणपत्र प्रदान किया है जो सावधानीपूर्वक या सक्षम रीति में नहीं किया गया है या अपने कार्यक्षेत्र या अपने अनुमोदन से बाहर कार्य किया गया है या उसके संबंध में उचित प्रविष्टियां और प्रमाणन करने में असफल रहा है या महानिदेशक द्वारा विचार किए ए किसी अन्य कारण से किसी अनुमोदन को रद्द, निलंबित या निर्बंचित कर सकेगा या प्रचालक या व्यक्ति को चेतावनी देगा या भर्त्सना कर सकेगा,

घ. शुल्क

200. फीस.— (1) निम्नलिखित फीस देय होगी,-

(क) नियम 171 के अधीन कर्मी दल सदस्य प्रमाणपत्र जारी करना और नवीकरण : 1000 रु.

(ख) नियम 184 के अधीन वायुयान प्रचालक अनुज्ञा-पत्र के लिए आवेदन करने, प्रदान करने और नवीकरण के लिए:

(i) आवेदन के लिए : 1,75,000 रु.

(ii) वायुयान प्रचालक अनुज्ञा-पत्र प्रदान करने के लिए : 5,00,000 रु.

(iii) वायुयान प्रचालक अनुज्ञा-पत्र के नवीकरण के लिए : 2,50,000 रु.

(ग) नियम 185 के अधीन विमान कार्य प्राधिकार प्रदान करने और नवीनीकरण:

(i) प्राधिकार प्रदान करने के लिए : 50,000 रु.

(ii) प्राधिकार के नवीकरण के लिए 25,000 रुपये

(घ) नियम 187 के अधीन अनुज्ञापन प्रदान करना:

(i) अनुसूचित या गैर-अनुसूचित वायुयान परिवहन सेवा या निजी उपयोग या विमान कार्य के लिए प्रयुक्त वायुयान,-

(क) कुल भार 10,000 किलोग्राम से कम या उसके बराबर वजन वाले वायुयान के लिए - 1,00,000 रु.प्रति वायुयान;

(ख) कुल भार 10,000 किलोग्राम से अधिक वजन वाले वायुयान के लिए - 2,00,000 रु. प्रति वायुयान;

(ii) उड़ान प्रशिक्षण संगठन या माइक्रोलाइट वायुयान या पावर्ड हैंग ग्लाइडर या हॉट एयर बैलून के लिए प्रयुक्त वायुयान - 20,000 रु. प्रति वायुयान।

(ङ) नियम 190 के अधीन प्रचालन अनुज्ञा-पत्र प्रदान करना और उसका नवीकरण करना :

(i) परिचालन अनुज्ञा-पत्र प्रदान करने के लिए: 100,000 रु.;

(ii) परिचालन अनुज्ञा-पत्र के नवीकरण के लिए : 50,000 रु.;

(च) नियम 191 के अधीन प्रचालन प्राधिकार प्रदान करना, नवीकरण और संशोधन :

(i) प्रचालन प्राधिकार प्रदान करने के लिए : 5,00,000 रु.;

(ii) प्रचालन प्राधिकार के नवीकरण के लिए : 2,50,000 रु.;

(iii) प्रचालन प्राधिकार में एक नया केन्द्र जोड़ने के लिए: 25,000 रुपये ;

(iv) प्रचालन प्राधिकार के रेकॉर्ड फ्लीट में एक नया वायुयान सम्मिलित करना : 10,000 रुपये ;

(v) किसी अन्य संशोधन के लिए : 5000 रुपये ।

(छ) नियम 198 या नियम 199 के अधीन अनुमोदन प्रदान करना:

(i) नियम 183 के अधीन जारी अनुसूचित वायु परिवहन सेवा प्रचालित करने के लिए वायुयान प्रचालक प्रमाणपत्र रखने वाला व्यक्ति या नियम 183 के अधीन जारी अनुसूचित वायु परिवहन सेवा प्रचालित करने के लिए वायुयान प्रचालक प्रमाणपत्र रखने वाले व्यक्ति के वायुयान के निरंतर उड़नयोग्यता प्रबंधन में शामिल व्यक्ति : 8,00,000 रुपये;

(ii) नियम 183 के अधीन जारी अनुसूचित यात्री वायुयान परिवहन सेवा प्रचालित करने के लिए वायुयान प्रचालक प्रमाणपत्र रखने वाला व्यक्ति या नियम 183 के अधीन जारी अनुसूचित यात्री वायुयान परिवहन सेवा प्रचालित करने के लिए वायुयान प्रचालक प्रमाणपत्र रखने वाले व्यक्ति के वायुयान के निरंतर उड़नयोग्यता प्रबंधन में शामिल व्यक्ति : 4,00,000 रुपये;

(iii) नियम 184 के अधीन जारी वायुयान प्रचालक अनुज्ञा-पत्र रखने वाला व्यक्ति या नियम 184 के अधीन जारी वायुयान प्रचालक अनुज्ञा-पत्र रखने वाले व्यक्ति के वायुयान के निरंतर उड़नयोग्यता प्रबंधन में सम्मिलित व्यक्ति : 2, 00,000 रुपये;

(iv) नियम 185 के अधीन जारी प्राधिकार रखने वाला व्यक्ति या नियम 185 के अधीन जारी प्राधिकार रखने वाले व्यक्ति के वायुयान के निरंतर उड़नयोग्यता प्रबंधन में सम्मिलित व्यक्ति : 2,00,000 रुपये;

(v) नियम 198 के अधीन जारी अनुमोदन रखने वाला व्यक्ति या नियम 198 के अधीन प्रचालित करने वाले व्यक्ति के वायुयान के निरंतर उड़नयोग्यता प्रबंधन में सम्मिलित व्यक्ति: 2,00,000 रुपये;

(ज) नियम 198 या नियम 199 के अधीन अनुमोदन के कार्यक्षेत्र का नवीकरण या विस्तार : उपनियम (1) के खंड (छ) के अधीन देय फीस का पचास प्रतिशत ।

(झ) चतुर्थ अनुसूची के पैरा 3 के अधीन अनापत्ति प्रमाणपत्र के लिए आवेदन करना : 2,00,000 रुपए।

(ञ) चतुर्थ अनुसूची के पैरा 6 और 7 के अंतर्गत वायुयान प्रचालक प्रमाणपत्र प्रदान करना और उसका नवीकरण करना:

(i) वायुयान प्रचालक प्रमाणपत्र प्रदान करने के लिए: 20,00,000 रुपए;

(ii) वायुयान प्रचालक प्रमाणपत्र के नवीकरण के लिए: 10,00,000 रुपये:

परंतु यह कि अनुसूचित यात्री वायुयान परिवहन सेवा के प्रचालन के लिए वायुयान प्रचालक प्रमाणपत्र जारी करने की स्थिति में देय फीस दस लाख रुपए होगा तथा उसके नवीकरण के लिए पांच लाख रुपए होगा।

(2) फीस महानिदेशक, द्वारा विनिर्दिष्ट रीति में इलेक्ट्रॉनिक रूप से संदत्त की जाएगी।

अध्याय-आठ

विनियामक, निगरानी और प्रवर्तन

201. अभिसमय और उपाबंधों को अपनाना.— (1) महानिदेशक, अभिसमय और उसके किसी उपबंध को कार्यान्वित करने के लिए अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों से असंगत न होने वाले मानक और प्रक्रियाएं अधिकथित कर सकेगा।

(2) महानिदेशक,राज्य सुरक्षा कार्यक्रम तैयार करेगा तथा उसके कार्यान्वयन की देखरेख करेगा।

स्पष्टीकरण.- इस उप- नियम के प्रयोजनों के लिए, राज्य सुरक्षा कार्यक्रम से सुरक्षा में सुधार लाने के उद्देश्य से अपेक्षाओं और कार्यकलापों के एकीकृत समूह अभिप्रेत है।

202. महानिदेशक द्वारा निदेश.— (1) महानिदेशक, नोटिसेस टू एयरमैन (एनओटीएएमएस), वैमानिकी सूचना प्रकाशन, वैमानिकी सूचना परिपत्र (एआईसी) और नागर विमानन अपेक्षाओं (सीएआर) नामक प्रकाशन के माध्यम से, भारत में या भारत के ऊपर उड़ने वाले विमानों या भारत में रजिस्ट्रीकृत विमानों के प्रचालन, डिजाइन, विनिर्माण, उपयोग, कब्जे, अनुरक्षण या दिक्चालन के संबंध में विशेष निदेश जारी कर सकेंगे,जो अधिनियम या इन नियमों के साथ असंगत नहीं हैं।

(2) उप-नियम (1) के अधीन नागर विमानन अपेक्षाओं को नागर विमानन महानिदेशालय की वेबसाइट पर तीस दिन की अवधि के लिए प्रारुप डालने के पश्चात जारी किया जाएगा ताकि इससे प्रभावित होने वाले सभी व्यक्तियों से आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए जा सकें:

परंतु यह कि, महानिदेशक, लोकहित में और लिखित आदेश द्वारा, ऐसे आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करने की अपेक्षाओं को समाप्त कर सकते हैं या ऐसे आक्षेप और सुझाव प्रस्तुत करने की अवधि को कम कर सकते हैं।

(3) उप-नियम (1) के अधीन जारी प्रत्येक निदेश का अनुपालन उस व्यक्ति द्वारा किया जाएगा, जिन्हें ऐसा निदेश जारी किया गया है।

(4) महानिदेशक लिखित में साधारण या विशेष आदेश द्वारा किसी वायुयान या वायुयान के वर्ग या किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग को इस नियम के अधीन 'नागर विमानन अपेक्षाएं' नामक प्रकाशन में दिए गए निदेशों के अनुपालन से, ऐसी शर्तों के अधीन और यदि कोई हों, जो ऐसे आदेश में विनिर्दिष्ट की जाएं, पूर्णतः या भागत: छूट दे सकेगा।

203. सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली.— (1) प्रत्येक संगठन जो-

(क) इन नियमों के अधीन अनुसूचित या गैर-अनुसूचित प्रचालक अनुज्ञा-पत्र धारण करता हो और यथास्थिति, वायुयानों या हेलीकॉप्टरों के प्रचालन में लगा हो; या

(ख) सामान्य विमानन के लिए बड़े या टर्बोजेट हवाई जहाजों का प्रचालन करना; या

(ग) अनुज्ञप्ति प्राप्त हवाईअड्डे के प्रचालन में लगा हुआ है ; या

(घ) इन नियमों के अधीन अनुमोदित है और वैमानिक उत्पाद के टाइप डिजाइन में लगा हुआ है; या

(ङ) इन नियमों के अधीन अनुमोदित है और वैमानिक उत्पाद के विनिर्माण में लगा हुआ है; या

(च) इन नियमों के अधीन अनुमोदित अनुरक्षण संगठन है और हवाई जहाज या हेलीकॉप्टर के अनुरक्षण में लगा हुआ है; या

(छ) इन नियमों के तहत अनुमोदित उड़ान प्रशिक्षण संगठन और वायुयान परिवहन सेवा प्रशिक्षण संगठन है; या

(ज) वायुयान परिवहन सेवा प्रदाता,

सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली स्थापित करेगा और उसका अनुरक्षण करेगा तथा ऐसे प्ररूप और रीति में, जो महानिदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली निर्देशिका तैयार करेगा और उसे स्वीकृति के लिए महानिदेशक को प्रस्तुत करेगा।

(2) महानिदेशक या उनके द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी किसी भी युक्तियुक्त समय पर सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली की अन्वेक्षा कर सकता है और संबंधित संगठन महानिदेशक या अन्वेक्षा करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति के साथ सहयोग करेगा।

स्पष्टीकरण.- इस नियम के प्रयोजनों के लिए,-

(क) "सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली" से अभिप्रेत है सुरक्षा के प्रबंधन के लिए एक व्यवस्थित दृष्टिकोण, जिसके अधीन आवश्यक संगठनात्मक संरचनाएं, जवाबदेही, जिम्मेदारियां, नीतियां और प्रक्रियाएं भी हैं;

(ख) "सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली निर्देशिका " से उप-नियम (1) के अधीन महानिदेशक द्वारा स्वीकृत दस्तावेज अभिप्रेत है;

(ग) "बड़े हवाई जहाज" से ऐसा हवाई जहाज अभिप्रेत है जिसका कुल भार 5700 किलोग्राम से अधिक है।

204. अनिवार्य सुरक्षा रिपोर्टिंग प्रणाली.— नागर विमानन महानिदेशालय वास्तविक या संभावित सुरक्षा कमियों पर सुरक्षा डाटा और सुरक्षा सूचना के संग्रह को सुगम बनाने के लिए एक अनिवार्य सुरक्षा रिपोर्टिंग प्रणाली स्थापित करेगा तथा इसके लिए प्रक्रिया विनिर्दिष्ट करेगा।

205. स्वैच्छिक सुरक्षा रिपोर्टिंग प्रणाली.— (1) नागर विमानन महानिदेशालय एक स्वैच्छिक सुरक्षा रिपोर्टिंग प्रणाली स्थापित करेगा, ताकि वास्तविक या संभावित सुरक्षा कमियों पर सुरक्षा डाटा और सुरक्षा सूचना का संग्रह सुगम बनाया जा सके, जिन्हें नियम 204 के अधीन स्थापित अनिवार्य सुरक्षा रिपोर्टिंग प्रणाली द्वारा एकत्रित नहीं किया जा सका है।

(2) उप-नियम (1) के अधीन स्थापित स्वैच्छिक सुरक्षा रिपोर्टिंग प्रणाली गैर-दांडिक होगी तथा स्वैच्छिक सुरक्षा रिपोर्टिंग प्रणाली और संबंधित स्रोतों द्वारा एकत्रित सुरक्षा डाटा और उनसे प्राप्त सुरक्षा सूचना को संरक्षण प्रदान करेगी और यदि केन्द्रीय सरकार द्वारा उचित समझा जाए तो सुरक्षा डाटा और सुरक्षा सूचना को किन्हीं अन्य अभिकरण के माध्यम से एकत्रित किया जा सकता है।

(3) उप-नियम (1) के अधीन एकत्रित सुरक्षा डाटा और सुरक्षा जानकारी को इस प्रकार से संभाला जाएगा ताकि सुरक्षा से भिन्न अन्य प्रयोजनों के लिए उसका उपयोग न हो सके, तथा उसे समुचित रूप से सुरक्षित रखा जाएगा और रिपोर्ट करने वाले व्यक्ति की पहचान की गोपनीयता बनाए रखी जाएगी।

206. अनुज्ञप्ति आदि को प्रस्तुत करना.— इन नियमों के अधीन प्रदान किया गया या बनाए रखने के लिए अपेक्षित अध्याय-7 के भाग (ख) के अधीन जारी अनुज्ञप्ति से भिन्न कोई अन्य अनुज्ञप्ति, प्रमाणपत्र, प्राधिकार और अनुमोदन, लॉग बुक या दस्तावेज, किसी मजिस्ट्रेट, उप-निरीक्षक के पद से ऊपर के किसी

पुलिस अधिकारी, किसी सीमा शुल्क अधिकारी, संघ के नौसेना, सेना या वायुसेना के किसी कमीशन प्राप्त अधिकारी, भारत सरकार के नागर विमानन विभाग के किसी राजपत्रित अधिकारी या केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में लिखित में विशेष या साधारण आदेश द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति द्वारा निरीक्षण के प्रयोजन के लिए मांगे जाने वाले अनुज्ञप्ति धारक द्वारा या किसी वायुयान या अनुज्ञप्ति प्राप्त हवाईअड्डे के मामले में उसके स्वामी, किराएदार या प्रभारी व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा:

परंतु यह कि किसी वायुयान या उसके कार्मिक से संबंधित ऐसा कोई अनुज्ञप्ति, प्रमाणपत्र, प्राधिकार और अनुमोदन, लॉग बुक या दस्तावेज, जिसे इन नियमों द्वारा वायुयान में ले जाने के लिए अपेक्षित नहीं है, मांग किए जाने के सात दिन की अवधि के भीतर प्रस्तुत किया जाएगा।

207. लॉग बुक में किसी प्रविष्टि को हटाना और विकृत करना.- कोई व्यक्ति नियम 65, नियम 84 और नियम 87 में निर्दिष्ट किसी लॉग बुक में की गई किसी प्रविष्टि को नहीं हटाएगा, विकृत नहीं करेगा, परिवर्तित नहीं करेगा या उसे अपठनीय नहीं बनाएगा, या जानबूझकर कोई मिथ्या या कपटपूर्ण प्रविष्टि या नष्ट नहीं करेगा, प्राप्त नहीं करेगा या बनाने में सहायता नहीं करेगा।

208. कपटपूर्ण दस्तावेज.- कोई भी व्यक्ति इन नियमों के अधीन जारी किए गए किसी भी अनुज्ञप्ति, प्रमाणपत्र, प्राधिकार या अनुमोदन को कपटपूर्वक उधार नहीं देगा या किसी अन्य व्यक्ति को इसका उपयोग करने की अनुमति नहीं देगा।

209. निरीक्षण.- (1) महानिदेशक या उनके द्वारा लिखित साधारण या विशेष आदेश द्वारा प्राधिकृत नागर विमानन महानिदेशालय का कोई अधिकारी इन नियमों के अधीन अनुमोदन या प्रमाणपत्र प्रदान करने के प्रयोजनों के लिए किसी वायुयान या विमानन सुविधा का निरीक्षण कर सकता है और तत्पश्चात इन नियमों का निरन्तर अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए बिना सूचना के निरीक्षणों सहित निगरानी भी कर सकेगा।

(2) महानिदेशक किसी व्यक्ति को, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए,जो महानिदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं, इन नियमों या अधिनियम के उपबंधों के अधीन अनुज्ञप्ति या प्रमाणपत्र या अनुमोदन प्रदान करने के प्रयोजन के लिए किसी व्यक्ति या वायुयान की जांच और परीक्षण करने या किसी दस्तावेज या विमानन सुविधा का निरीक्षण करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा और ऐसा प्राधिकार महानिदेशक की ओर से निष्पादित करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति के कार्यों को विनिर्दिष्ट करेगा और उक्त प्राधिकार उसमें विनिर्दिष्ट अवधि के लिए होगा;

(3) उप-नियम (1) और (2) के अधीन इस प्रकार प्राधिकृत व्यक्तियों को प्रमाणपत्र जारी किए जाएंगे और ऐसे प्राधिकार में उन्हें सौंपे गए कार्य निष्पादित करेंगे।

(4) महानिदेशक या उप-नियम (1) और (2) में निर्दिष्ट व्यक्ति -

(क) नियमों के अधीन अपने कार्यों और कर्तव्यों के निष्पादन के लिए, जहां लागू हो, वायुयान और विमानन सुविधाओं पर बिना निर्बंधन के और बिना समय सीमा के पहुंच होगी ;

(ख) इन नियमों और अधिनियम के उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए वायु दिक्चालन सेवाओं सहित किसी वायुयान या किसी विमानन सुविधा में प्रवेश कर सकेगा, उसका निरीक्षण और तलाशी ले सकेगा तथा दस्तावेजों और अभिलेखों का निरीक्षण भी कर सकेगा है तथा किसी कार्मिक से बातचीत भी कर सकेगा।

(5) वायुयान, संगठन या वायुयान दिक्चालन सुविधा का स्वामी या प्रचालक, महानिदेशक, या उप-नियम (1) और उप-नियम (2) में निर्दिष्ट व्यक्ति को उपस्कर, अभिलेख, दस्तावेज और कार्मिकों सहित वायुयान, संगठन या वायुयान दिक्चालन सुविधा के किसी भाग तक पहुंच की अनुज्ञा देगा और उप-नियम (1) और उप-नियम (2) में विनिर्दिष्ट कार्यकलापों के प्रचालन में सहयोग करेगा।

210. प्राधिकृत व्यक्ति के कार्य में बाधा डालना.- कोई भी व्यक्ति इन नियमों के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग करने या अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने वाले किसी व्यक्ति के कार्य में स्वेच्छा से बाधा नहीं डालेगा।

211. विदेशी सैन्य वायुयान.- कोई भी व्यक्ति भारत के ऊपर या भारत में किसी विदेशी सैन्य वायुयान को नहीं उड़ाएगा, न उतारेगा, न उड़ाने या उतारने में सहायता करेगा, सिवाय केन्द्रीय सरकार के लिखित आमंत्रण या अनुमति के और ऐसी शर्तों पर जो आमंत्रण या अनुमति में विनिर्दिष्ट की जाएं।

212. अनुज्ञप्तियों, प्रमाणपत्रों, प्राधिकार और अनुमोदन का रद्दीकरण, निलंबन या पृष्ठांकन.— (1) जहां कोई व्यक्ति इन नियमों के उल्लंघन या किसी वायुयान के संबंध में नियम 202 के अधीन जारी किसी निर्दश का पालन करने में असफल रहने का दोषसिद्ध ठहराया जाता है, केन्द्रीय सरकार उस वायुयान से संबंधित इन नियमों के अधीन दिए गए किसी रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र को रद्द या निलंबित कर सकती है।

(2) केन्द्रीय सरकार किसी वायुयान की उड़नयोग्यता से संबंधित इन नियमों के अधीन दिए गए किसी प्रमाणपत्र या वायुयान के किसी घटक या उपस्कर के प्रकार प्रमाणपत्र को रद्द या निलंबित कर सकेगी, यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाता है कि निम्नलिखित के संबंध में उचित संदेह विद्यमान है-

(क) वायुयान या वायुयान के प्रकार की सुरक्षा; या

(ख) जिस वायुयान घटक का उड़नयोग्यता या उपस्कर के लिए टाइप प्रमाणपत्र विद्यमान है और यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाता है कि क्या ऐसी शर्तें पर्याप्त सुरक्षा सीमा प्रदान करती हैं, तो ऐसे किसी प्रमाणपत्र से संलग्न किसी भी शर्त में फेर-फार कर सकेगी।

(3) जहां अनुज्ञापन प्राधिकारी का सुनवाई का अवसर देने के बाद समाधान हो जाता है कि किसी व्यक्ति ने इन नियमों या नियम 202 के उपबंधों के अधीन जारी किए गए किसी निदेश का उल्लंघन किया है या उसका पालन करने में असफल रहा है,वह लिखित रूप में अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से,उसके द्वारा दिए गए किसी अनुज्ञप्ति, प्रमाणपत्र, प्राधिकार या अनुमोदन में प्रविष्ट किन्हीं विशिष्टियों को निलंबित या रद्द कर सकेगा या फेर-फार कर सकेगा, और अनुज्ञप्ति, प्रमाणपत्र, प्राधिकार या अनुमोदन के धारक को रद्दकरण, निलंबन, पृष्ठांकन या फेर-फार के लिए उनके अभ्यर्पण की अपेक्षा हो सकेगी।

(4) यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाता है कि ऐसा करने के लिए पर्याप्त आधार है,या अन्वेषण के दौरान निलंबन की दशा में लोकहित में निलंबन आवश्यक है, तो वह लिखित में कारणों को अभिलिखित करके-

(क) किसी प्रमाणपत्र, रेटिंग या अनुज्ञप्ति, प्राधिकार और अनुमोदन या किसी प्रमाणपत्र, रेटिंग या अनुज्ञप्ति, प्राधिकार और अनुमोदन के किसी या सभी विशेषाधिकारों को किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए निलंबित कर सकेगा;

(ख) किसी मामले के अन्वेषण के दौरान किसी भी प्रमाणपत्र, रेटिंग या अनुज्ञप्ति, प्राधिकार और अनुमोदन को निलंबित कर सकेगा ;

(ग) किसी भी प्रमाणपत्र, रेटिंग या अनुज्ञप्ति, प्राधिकार और अनुमोदन को रद्द कर सकेगा; या

(घ) किसी प्रमाणपत्र, रेटिंग या अनुज्ञप्ति, प्राधिकार और अनुमोदन पर प्रतिकूल टिप्पणी को पृष्ठांकित करेगा।

(5) केन्द्रीय सरकार अपने द्वारा या अपने प्राधिकार के अधीन किसी अनुज्ञप्ति या प्रमाणपत्र, प्राधिकार और अनुमोदन में या इन नियमों के अधीन जारी किसी यात्रा लॉग बुक में प्रविष्ट किन्हीं विशिष्टियों को रद्द या फेर-फार कर सकेगा।

(6) केन्द्रीय सरकार इन नियमों के अधीन प्रदान किए गए या जारी किए गए किसी अनुज्ञप्ति, प्रमाणपत्र, प्राधिकार और अनुमोदन या अन्य दस्तावेज के धारक से, या ऐसी अनुज्ञप्ति, प्रमाणपत्र, प्राधिकार और अनुमोदन या दस्तावेज के कब्जे या अभिरक्षा वाले किसी व्यक्ति से, उसे रद्द करने, निलंबित करने, अनुमोदन करने या उसमें फेर-फार करने के लिए उसे उसके समक्ष प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकेगी और कोई व्यक्ति,जो युक्तियुक्त समय के भीतर ऐसी किसी अपेक्षा का अनुपालन करने में असफल रहता है, उसके बारे में यह समझा जाएगा कि उसने इन नियमों का उल्लंघन किया है।

(7) पूर्ववर्ती उप-नियम के अधीन लोकहित में किसी प्रमाणपत्र, रेटिंग, अनुज्ञप्ति, प्राधिकार या अनुमोदन को निलंबित करने के लिए कोई आधार पर्याप्त है या नहीं, इस संबंध में केन्द्रीय सरकार का विनिश्चय अंतिम और बाध्यकारी होगा।

213. अनुज्ञप्ति, प्रमाणपत्र, प्राधिकार या अनुमोदन पर निर्बंधन.— (1) महानिदेशक, किसी भी अनुज्ञप्ति, प्रमाणपत्र, प्राधिकार या अनुमोदन पर, जैसा ठीक समझे, निर्बंधन अधिरोपित कर सकेंगे,-

(क) उक्त अनुज्ञप्ति, प्रमाणपत्र, प्राधिकार या अनुमोदन पर अधिरोपित की गई किसी शर्त का अनुपालन न किए जाने की स्थिति में;

(ख) यदि निरीक्षण के दौरान पाई गई कोई सुरक्षा चिंता जिसका महानिदेशक, द्वारा विनिर्दिष्ट अवधि में भी समाधान ना हो सके।

(2) महानिदेशक,निरीक्षण के दौरान किसी व्यक्ति को उसके अनुज्ञप्ति या प्रमाणपत्र के विशेषाधिकारों का प्रयोग न करने का निदेश दे सकेंगे, यदि उनका समाधान हो जाता है कि ऐसा करने के लिए पर्याप्त आधार है और ऐसा निदेश अगले कार्यदिवस को कारणों सहित लिखित रूप में दिया जाएगा और तत्पश्चात् संबंधित व्यक्ति को उसके विशेषाधिकारों का प्रयोग करने की अनुज्ञा देने के लिए महानिदेशक द्वारा इस संबंध में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।

214. अपराध और शमन.- (1) अधिनियम की धारा 25 की उप-धारा(4)के प्रयोजनों के लिए, केन्द्रीय सरकार निदेश देती है कि कोई भी व्यक्ति, जिसने पाँचवीं अनुसूची की सारणी 1 और सारणी 2 में विनिर्दिष्ट किसी नियम का उल्लंघन किया है,तो उस अनुसूची के क्रमशः पैराग्राफ 1 और पैराग्राफ 2 में यथाविनिर्दिष्ट शास्ति से दंडनीय होगा ।

(2) इन नियमों के उल्लंघन या अनुपालन में असफलता के लिए किसी कार्यवाही में यह बचाव होगा कि ऐसा उल्लंघन या असफलता उप-नियम (1)में निर्दिष्ट व्यक्ति के नियंत्रण से परे कारकों या परिस्थितियों के कारण या ऐसे व्यक्ति की जानकारी या गलती के बिना हुई है।

स्पष्टीकरण .- शंकाओं को दूर करने के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि इस उप-नियम के प्रयोजनों के लिए, 'कारक या परिस्थितियां' पद में खराब मौसम का प्रभाव, सद्भाविक त्रुटि या ऐसे अन्य अपरिहार्य कारक या परिस्थितियां सम्मिलित हो सकेंगी।

(3) अधिनियम की धारा 30 के उपबंधों के अधीन, इन नियमों की पाँचवी अनुसूची की सारणी 2 में यथाविनिर्दिष्ट नियमों के अधीन दंडनीय अपराध, उक्त अनुसूची में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार महानिदेशक या उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (4) के अधीन विशेष रूप से सशक्त किसी अन्य अधिकारी द्वारा शमन किया जा सकता है।

215. शास्ति.- (1) कोई व्यक्ति, जिसने इन नियमों की छठी अनुसूची में यथाविनिर्दिष्ट किसी नियम का उल्लंघन किया है**,** वह ऐसी अनुसूची में अधिकथित सीमा तक तथा अधिनियम की धारा 32 के उपबंधों के अनुसार शास्ति अधिरोपित किए जाने का दायी होगा।

(2) शास्ति, यथास्थिति, अभिहित अधिकारियों या अपील अधिकारी द्वारा उक्त अनुसूची में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार न्यायनिर्णीत की जाएगी।

216. अपील.- (1) कोई व्यक्ति ,जो इन नियमों द्वारा किसी अधिकारी के प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पारित आदेश से व्यथित है, अधिनियम की धारा 33 के उपबंधों के अनुसार अपील कर सकेगा।

(2) कोई अपील, यथास्थिति, प्रथम अपील अधिकारी या द्वितीय अपील अधिकारी को, सहायक दस्तावेजों और महानिदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट रीति में एक हजार रुपए की फीस के साथ छठी अनुसूची में यथाउपबंधित प्ररूप 'ख' में होगी।

(3) ऐसा अपील अधिकारी आवेदक से कोई भी सूचना, रिकार्ड या अन्य दस्तावेज मांग सकेगा,यदि उसे अपील के लिए आवश्यक समझा जाए।

(4) अपील अधिकारी अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात अपील किए गए आदेश की पुष्टि, संशोधन या उसे निरस्त करने के कारणों सहित आदेश, जैसा वह उचित समझे,पारित कर सकेगा।

(5) अपील अधिकारी द्वारा पारित अपील आदेश की प्रति अपीलार्थी को उपलब्ध कराई जाएगी।

217. शक्तियों का प्रत्यायोजन.- (1) इन नियमों के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रयोक्तव्य शक्तियां अधिनियम की धारा 21 के उपबंधों के अनुसार महानिदेशक या केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट रूप से सशक्त किसी अन्य अधिकारी द्वारा भी प्रयोक्तव्य हो सकेंगी।

(2) इन नियमों के अधीन महानिदेशक, द्वारा प्रयोग की जा सकने वाली शक्तियां अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (4) के उपबंधों के अनुसार केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट रूप से सशक्त किसी अन्य अधिकारी द्वारा भी प्रयोग की जा सकेंगी।

(3) इन नियमों के नियम 212 या अध्याय 3 या अध्याय 4 द्वारा केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रदत्त या अधिरोपित किसी शक्ति का प्रयोग या निर्वहन, केन्द्रीय सरकार द्वारा उस निमित्त विनिर्दिष्ट भारत से बाहर के किसी प्राधिकारी द्वारा भारत में इस प्रकार प्रभावी होगा मानो इन शक्तियों का प्रयोग या कर्तव्यों का निर्वहन उप-नियम (1) के अधीन इस निमित्त प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा किया गया हो।

218. छूट देने की साधारण शक्ति.- केन्द्रीय सरकार अधिनियम की धारा 20 के उपबंधों के अनुसार इन नियमों के सभी या किसी उपबंधों से छूट दे सकेगी।

219. प्रमाणपत्र और अनुज्ञप्ति में संक्रमण, निरंतरता और नवीकरण.- (1) इन नियमों में अंतर्विष्ट किसी बात किए होते हुए भी, कोई भी रेडियो टेलीफोन प्रचालक प्रमाणपत्र और अनुज्ञप्ति, जिसमें रेडियो टेलीफोनी निर्बंधित (वैमानिकी), रेडियो टेलीफोनी निर्बंधित (अनुज्ञा पत्र) या रेडियो टेलीफोनी निर्बंधित (संपरिवर्तन) अनुज्ञप्ति या दक्षता और प्राधिकार का प्रमाणपत्र सम्मिलित है, जो भारतीय बेतार टेलीग्राफी (वाणिज्यिक रेडियो प्रचालक की दक्षता का प्रमाणपत्र और बेतार टेलीग्राफी प्रचालित करने की अनुज्ञप्ति) नियम, 1954 के अधीन दूरसंचार विभाग के बेतार प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन विंग द्वारा जारी किया गया है या रेडियो टेलीफोन प्रचालक (निर्बंधित) प्रमाणपत्र और अनुज्ञप्ति नियम, 2025 के अधीन नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा जारी किया गया है, जब तक कि निलंबित या रद्द नहीं किया जाता है, इसकी विद्यमान विधिमान्यता अवधि तक विधिमान्य रहेगा।

(2) ऐसे प्रमाणपत्र और अनुज्ञप्ति का धारक, महानिदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट प्ररूप और रीति में, उक्त प्रमाणपत्र और अनुज्ञप्ति की समाप्ति की तारीख से पहले, किन्तु उस तारीख से एक वर्ष पहले नहीं, नवीनीकरण के लिए आवेदन कर सकेगा।

(3) आवेदक की विशिष्टियाँ और बेतार प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन विंग (डब्लूपीसी) द्वारा जारी विद्यमान अनुज्ञप्ति की विधिमान्यता के सत्यापन के पश्चात, महानिदेशक इन नियमों के अधीन एक तत्स्थानी प्रमाणपत्र और अनुज्ञप्ति जारी करेगा, जो धारक के 80 साल की वर्ष की आयु तक विधिमान्य रहेगा, जब तक कि उसे निलंबित या रद्द न कर दिया जाए।

(4) ऐसे प्रमाणपत्र और अनुज्ञप्तिधारक को ऐसे नवीनीकरण के प्रयोजन के लिए नियम 107 के अधीन पुनःपरीक्षण करवाना अपेक्षित नहीं होगा।

220. निरसन और व्यावृत्ति.- वायुयान नियम, 1920 का भाग 9, वायुयान नियम, 1937 और रेडियो टेलीफोन प्रचालक (निर्बंधित) प्रमाणपत्र और अनुज्ञप्ति नियम, 2025, की उन बातों के सिवाय, जिन्हें ऐसे निरसन, जिसके अंतर्गत कोई अधिसूचना,निरीक्षण या जारी किया गया आदेश; या दी गई कोई अनुज्ञप्ति, प्रमाणपत्र, अनुमोदन, अनुज्ञा या छूट; या निष्पादित कोई दस्तावेज या लिखत; या जारी किया गया कोई निदेश या इन नियमों के अधीन की गई कोई कार्यवाही या अधिरोपित की गई कोई शास्ति, दंड,जब्ती या जुर्माना भी है, जहां तक वह अधिनियम के उपबंधों से असंगत नहीं है, से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, निरसित हो जाएंगे।

प्रथम अनुसूची
वायुयान कार्मिक
(अध्याय-4 देखें)

भाग क

साधारण

1. शैक्षिक अर्हता.— (क) निम्नलिखित अनुज्ञप्तियों के लिए न्यूनतम शैक्षिक अर्हता किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से दसवीं कक्षा या इसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण किया जाना होगी: -

(i) छात्र पायलट अनुज्ञप्ति(हवाईजहाज/हेलीकॉप्टर/जाइरोप्लेन/ग्लाइडर/बल्लून/माइक्रोलाइट वायुयान और लाइट स्पोर्ट वायुयान);

(ii) निजी पायलट अनुज्ञप्ति (हवाई जहाज);

(iii) निजी पायलट अनुज्ञप्ति (हेलीकॉप्टर);

(iv) पायलट अनुज्ञप्ति (ग्लाइडर/बल्लून/जाइरोप्लेन/माइक्रोलाइट वायुयान और लाइट स्पोर्ट वायुयान);

(v) फ्लाइट रेडियो टेलीफोन प्रचालक अनुज्ञप्ति (प्रतिबंधित)।

(ख) निम्नलिखित अनुज्ञप्तियों के लिए न्यूनतम शैक्षिक अर्हता किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय से भौतिकी और गणित के साथ बारहवीं कक्षा उत्तीर्ण या इसके समकक्ष परीक्षा होगी:-

(i) वाणिज्यिक पायलट अनुज्ञप्ति (हवाई जहाज);

(ii) वाणिज्यिक पायलट अनुज्ञप्ति (हेलीकॉप्टर);

(iii) एयरलाइन परिवहन पायलट अनुज्ञप्ति (हवाई जहाज);

(iv) एयरलाइन परिवहन पायलट अनुज्ञप्ति (हेलीकॉप्टर);

(v) फ्लाइट रेडियो टेलीफोन प्रचालक अनुज्ञप्ति;

(vi) छात्र नौचालक अनुज्ञप्ति;

(vii) फ्लाइट नौचालक अनुज्ञप्ति;

(viii) छात्र उड़ान इंजीनियर अनुज्ञप्ति; और

(ix) फ्लाइट इंजीनियर अनुज्ञप्ति।

2. उड़ान अनुभव.- (क) उड़ान अनुभव के प्रमाण के रूप में सामान्यतः अपेक्षित साक्ष्य में नियम 84 के उप-नियम (3) में विनिर्दिष्ट उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित व्यक्तिगत लॉग बुक या महानिदेशक द्वारा विहित प्ररूप में उसका प्रमाणित अंश प्रस्तुत करना शामिल होगा और ऐसा उड़ान अनुभव, महानिदेशक की संतुष्टि के अनुसार होगा।

(ख) निजी पायलट अनुज्ञप्ति और वाणिज्यिक पायलट अनुज्ञप्ति जारी करने के लिए अपेक्षित उड़ान अनुभव एक उड़ान प्रशिक्षक की देखरेख में प्राप्त किया जाएगा और यह इन नियमों के अनुसार अनुरक्षित और प्रचालित वायुयान पर होगा तथा वर्तमान में पायलट के पास विद्यमान अनुज्ञप्ति की वायुयान रेटिंग में दर्ज किया जाएगा:

परंतु यह कि, महानिदेशक द्वारा जारी वैध विशेष उड़नयोग्यता प्रमाणपत्र वाले वायुयान पर उड़ान अनुभव को भी गिना जा सकता है, यदि इस अनुसूची के सुसंगत धारा में ऐसा उपबंध है और उसमें विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन है।

(ग) नियम 80 के उपबंधों के अधीन छूट के लिए अर्हता प्राप्त आवेदकों को छोड़कर निजी पायलट और वाणिज्यिक पायलट अनुज्ञप्ति जारी करने के लिए आवश्यक उड़ान अनुभव, महानिदेशक द्वारा अनुमोदित या मान्यताप्राप्त उड़ान प्रशिक्षण संगठनों से प्राप्त किया जाएगा।

(घ) विभिन्न श्रेणियों के उड़ान कर्मी दल अनुज्ञप्ति जारी करने के लिए अर्जित उड़ान अनुभव की गणना नियम 84 के उपबंधों में विहित रीति से की जाएगी।

(ङ) उड़ान प्रशिक्षण महानिदेशक द्वारा विहित पाठ्यक्रम के अनुसार पूरा किया जाएगा।

(च) निजी पायलट अनुज्ञप्ति (हवाई जहाज) का धारक जिसने इस अनुसूची की धारा ग के उपबंधों के अनुसार माइक्रोलाइट या ग्लाइडर या लाइट स्पोर्ट वायुयान पर उड़ान भरने के लिए कोई क्रेडिट प्राप्त किया है, वह आगामी उच्च पायलट अनुज्ञप्ति जारी होने के लिए इसके लिए संपूर्ण क्रेडिट प्राप्त करने का हकदार होगा।

3. वायुयान दिक्चालन अनुभव.- इस अनुसूची के अनुभाग ध के पैरा (1) के खंड (ङ) में अर्जित वायुयान दिक्चालन अनुभव का साक्ष्य विनिर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित व्यक्तिगत लॉग बुक के रूप में या विहित प्ररूप में उसके प्रमाणित अंश तथा दिक्चालन लॉग और चार्ट के रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए और ऐसा वायुयान दिक्चालन अनुभव महानिदेशक, की संतुष्टि पर होगा।

4. रात्रि में उड़ान.- इस अनुसूची के प्रयोजन के लिए रात्रि में उड़ान से, जहां अन्यथा उल्लेख न किया गया हो, सूर्यास्त के बाद आधे घंटे से लेकर सूर्योदय से पहले आधे घंटे के बीच की गई उड़ान से अभिप्रेत है।

5. क्रॉस कंट्री उड़ान.- इस अनुसूची के प्रयोजन के लिए क्रॉस कंट्री उड़ान से प्रस्थान के हवाईअड्डे से पचास समुद्री मील की त्रिज्या से परे किसी स्थान तक की उड़ान अभिप्रेत होगी,जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो।

6. उड़ान परीक्षण.- (क) इस अनुसूची में विहित उड़ान परीक्षण महानिदेशक द्वारा अनुमोदित परीक्षक द्वारा किसी भी क्रम में किए जा सकेंगे।

(ख) उड़ान परीक्षण तब ही किया जाएगा जब परीक्षणाधीन पायलट ने अनुज्ञप्ति की श्रेणी के लिए उपयुक्त प्रकार के वायुयान और इंजन की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो।

(ग) स्तंभी और कलाबाजी कौशल (स्टॉलिंग और स्पिनिंग मनोएउव्रेस) केवल अनुमोदित प्रकार के वायुयान पर ही किए जाएंगे और ऐसे कौशल से रिकवरी वायुयान की उड़ान मैनुअल में विहित या महानिदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट जमीन या अवरोध से न्यूनतम ऊंचाई पर पूरी की जाएगी और किसी भी स्थिति में जमीन या अवरोध से दो हजार फीट से कम ऊंचाई पर नहीं होगी।

(घ) महानिदेशक द्वारा जारी वर्तमान वाणिज्यिक पायलट अनुज्ञप्ति (वायुयान या हेलीकॉप्टर) के धारक को एयरलाइन परिवहन पायलट अनुज्ञप्ति (वायुयान या हेलीकॉप्टर) जारी करने के लिए सामान्य उड़ान परीक्षण से गुजरना आवश्यक नहीं होगा, परंतु कि वायुयान या हेलीकॉप्टर उसके अनुज्ञप्ति की वायुयान रेटिंग में दर्ज हो और आवेदक वर्तमान में उस प्रकार की उड़ान का अभ्यास कर रहा हो।

7. भाषा कुशलता.- (क) निम्नलिखित अनुज्ञप्तियों के लिए आवेदक के पास महानिदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट कुशलता के स्तर तक रेडियोटेलीफोनी संचार के लिए प्रयुक्त अंग्रेजी भाषा को बोलने और समझने की क्षमता होनी चाहिए, अर्थात्:-

(i) निजी पायलट अनुज्ञप्ति (हवाई जहाज);

(ii) निजी पायलट अनुज्ञप्ति (हेलीकॉप्टर);

(iii) वाणिज्यिक पायलट अनुज्ञप्ति (हवाई जहाज);

(iv) वाणिज्यिक पायलट अनुज्ञप्ति (हेलीकॉप्टर);

(v) एयरलाइन परिवहन पायलट अनुज्ञप्ति (हवाई जहाज);

(vi) एयरलाइन परिवहन पायलट अनुज्ञप्ति (हेलीकॉप्टर);

(vii) फ्लाइट इंजीनियर की अनुज्ञप्ति;

(viii) फ्लाइट नौचालक अनुज्ञप्ति; और

(ix) पायलट अनुज्ञप्ति (माइक्रोलाइट एयरक्राफ्ट या लाइट स्पोर्ट एयरक्राफ्ट या जाइरोप्लेन)।

(ख) कुशलता के स्तर का मूल्यांकन महानिदेशक द्वारा विहित प्रक्रियाओं के अनुसार किया जाएगा।

(ग) अनुज्ञप्ति प्राधिकारी अनुज्ञप्ति में कुशलता का स्तर दर्शाएगा।

8. परीक्षा.- (क) इस अनुसूची के अधीन अनुज्ञप्ति, रेटिंग या टाइप रेटिंग जारी करने के लिए तकनीकी और अन्य परीक्षाएं, वाणिज्यिक पायलट अनुज्ञप्ति और एयरलाइन परिवहन पायलट अनुज्ञप्ति जारी करने

के मामलों को छोड़कर, अनुज्ञप्ति या रेटिंग जारी करने के लिए आवेदन की तारीख से तुरंत पहले ढाई वर्ष की अवधि के भीतर पूरी की जाएंगी और वाणिज्यिक पायलट अनुज्ञप्ति और एयरलाइन परिवहन पायलट अनुज्ञप्ति जारी करने के लिए ऐसी अवधि पांच वर्ष होगी।

(ख) यदि तकनीकी एवं अन्य परीक्षाएं या परीक्षण अवकाश के दिन समाप्त हो जाते हैं, तो उन्हें अगले कार्य दिवस तक वैध माना जाएगा।

(ग) इस अनुसूची के अधीन सभी मौखिक परीक्षाएं महानिदेशक द्वारा गठित एवं अनुमोदित बोर्ड द्वारा आयोजित की जाएंगी।

(घ) कोई आवेदक जो इस अनुसूची में विनिर्दिष्ट तकनीकी परीक्षाओं के किसी विषय में अनुत्तीर्ण हो जाता है, उसे महानिदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट परीक्षा की तारीख से ऐसी अवधि के भीतर पुन: परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(ङ) परीक्षक या पर्यवेक्षक द्वारा मांगे जाने पर अभ्यर्थियों को प्रत्येक परीक्षा से पहले पहचान का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।

9. अनुज्ञप्ति या रेटिंग के लिए आवेदन.- (क) अनुज्ञप्ति जारी करने या सत्यापन या रेटिंग के लिए आवेदन महानिदेशक, नागर विमानन, नई दिल्ली को किया जाएगा तथा अनुज्ञप्ति या रेटिंग के नवीकरण या पुनर्वैधीकरण के लिए आवेदन महानिदेशक, नागर विमानन, नई दिल्ली को या उनके द्वारा इस संबंध में नामित किसी अन्य प्राधिकारी को विहित प्रपत्र पर किया जाएगा।

(ख) इस अनुसूची में विनिर्दिष्ट अनुज्ञप्ति और रेटिंग किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या उसके समकक्ष के दसवीं कक्षा प्रमाणपत्र में दर्ज नाम से जारी की जाएगी, जब तक कि नाम को उचित विहित प्रक्रिया के अधीन परिवर्तित नहीं कर लिया गया हो।

(ग) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या उसके समकक्ष से जारी दसवीं कक्षा का प्रमाणपत्र या नगर निगम या समिति द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र आयु के प्रमाण के रूप में स्वीकार्य दस्तावेज होंगे।

(घ) अनुज्ञप्ति या रेटिंग जारी करने के लिए आवेदन के साथ निम्नलिखित संलग्न होंगे -

(i) महानिदेशक द्वारा जारी चिकित्सा अर्हता का मूल्यांकन;

(ii) आवेदक के सिर (खुले) और कंधों के सामने से 3 सेमी x 4 सेमी आकार के फोटोग्राफ और जैसा महानिदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट किया गया हो;

(iii) पैरा (ग) में विहित आयु का प्रमाण;

(iv) शुल्क का भुगतान महानिदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से किया जाएगा;

(v) महानिदेशक द्वारा अपेक्षित कोई अन्य जानकारी।

(ङ) आवेदन की तारीख महानिदेशक के कार्यालय में आवेदन प्राप्त होने की तारीख होगी।

(च) पायलट अनुज्ञप्ति की वायुयान रेटिंग में शामिल किया जाने वाला वायुयान प्रकार भारतीय नागर वायुयान रजिस्टर में दर्ज वायुयान प्रकार होगा:

परंतु यह कि जहां भारत में एक नए प्रकार के वायुयान को शामिल किया जाता है, ऐसे प्रकार को महानिदेशक द्वारा वैध टाइप स्वीकृति प्रमाणपत्र जारी किए जाने के अधीन, पायलट अनुज्ञप्ति की वायुयान रेटिंग में शामिल किया जा सकता है:

परंतु यह भी कि महानिदेशक द्वारा जारी वैध प्रकार स्वीकृति प्रमाणपत्र धारण करने वाले या धारण करने वाले वायुयान प्रकार को ऐसे व्यक्ति के पायलट अनुज्ञप्ति की वायुयान रेटिंग में दर्ज किया जाएगा जो भारतीय वायुयान सेना, भारतीय नौसेना, भारतीय सेना, भारतीय तटरक्षक या किसी केन्द्रीय पुलिस बल का अर्हता प्राप्त पायलट है।

(छ) अपूर्ण आवेदन पत्रों को लिखित कारणों से अस्वीकार किया जा सकता है।

10. प्रशिक्षण के लिए नामांकन.— किसी व्यक्ति को प्रारंभिक पायलट प्रशिक्षण के लिए नामांकित करने के लिए, प्रशिक्षण संगठन को संबंधित सरकारी अभिकरण से प्रशिक्षु के चरित्र और पूर्ववृत्त के सत्यापन की रिपोर्ट प्राप्त करनी होगी और ऐसी सत्यापन रिपोर्ट, अनुज्ञप्ति जारी करने के लिए आवेदन प्रस्तुत करते समय महानिदेशक,को प्रस्तुत की जाएगी।

11. विशेषाधिकार.— वैध अनुज्ञप्ति धारक अपने अनुज्ञप्ति और रेटिंग के विशेषाधिकारों का प्रयोग तब तक नहीं करेगा जब तक कि वह महानिदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट अर्हता और नवीन अनुभव की अपेक्षाओं को पूरा नहीं कर लेता।

12. नवीकरण.- आवेदक द्वारा नियम 82 और इस अनुसूची की संबंधित धारा के उपबंधों के अधीन विहित अपेक्षाओं का अनुपालन करने का संतोषजनक साक्ष्य प्राप्त होने पर अनुज्ञप्ति और रेटिंग का नवीनीकरण किया जा सकता है।

13. अनुज्ञप्ति विनिर्देश .— इस अनुसूची के अधीन जारी अनुज्ञप्ति और रेटिंग तथा उनका विवरण महानिदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट प्रारूप और रीति से होगा।

14. अनुज्ञप्ति धारण करना.— कोई भी व्यक्ति किसी भी समय इस अनुसूची के अधीन जारी प्रत्येक वायुयान श्रेणी के लिए एक से अधिक अनुज्ञप्ति नहीं रखेगा।

15. अनुलिपि (डुप्लीकेट) अनुज्ञप्ति और रेटिंग जारी करना.— (क) जिस व्यक्ति का अनुज्ञप्ति या रेटिंग खो गया है, क्षतिग्रस्त हो गया है या नष्ट हो गया है, उसे तुरंत महानिदेशक को इसकी सूचना देनी होगी।

(ख) आवश्यक शुल्क के साथ महानिदेशक को एक आवेदन प्रस्तुत करना होगा जिसमें अनुज्ञप्ति या रेटिंग के नुकसान, विकृत होने और नष्ट होने में शामिल परिस्थितियों का विवरण शामिल होगा, जहाँ अनुलिपि (डुप्लीकेट) की अपेक्षित है।

(ग) यदि अनुज्ञप्ति या रेटिंग खो गई है, तो आवेदक को उचित अभिकरणों से रिपोर्ट के साथ इसके लिए उचित खोज किए जाने का सबूत देना होगा और इसके अलावा, यदि यह पाया जाता है, तो मूल रद्द करने के लिए वापस कर दिया जाएगा।

भाग ख

छात्र पायलट अनुज्ञप्ति

1. अनुज्ञप्ति जारी करने के लिए अपेक्षाएं .- छात्र पायलट अनुज्ञप्ति के लिए आवेदक को निम्नलिखित अपेक्षाओं को पूरा करना होगा, अर्थात्:-

(क) आयु : आवेदक की आयु आवेदन की तारीख को सोलह वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।

(ख) शैक्षिक योग्यता : उसने किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से कक्षा दस या इसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की हो।

(ग) चिकित्सा योग्यता: चिकित्सा जांच करवाने के पश्चात वह विहित प्रपत्र पर अनुमोदित चिकित्सा अधिकारी से प्राप्त शारीरिक योग्यता का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगा, जिसके दौरान वह महानिदेशक द्वारा नियम 78 के अधीन अधिसूचित अपेक्षाओं के अनुपालन के आधार पर अपनी चिकित्सा योग्यता प्रमाणित कर लेगा।

(घ) ज्ञान : उसे महानिदेशक द्वारा विहित पाठ्यक्रम के अनुसार वायुयान विनियम, वायुयान दिक्चालन, विमानन मौसम विज्ञान और वायुयान तथा इंजन या उपकरणों में मौखिक परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी, जब तक कि उसके पास पहले से उच्च श्रेणी का पायलट अनुज्ञप्ति न हो, या वह महानिदेशक द्वारा विहित रीति से यह साक्ष्य प्रस्तुत करने में सक्षम हो कि वह पूर्वोक्त विषयों में अच्छी तरह से पारंगत है।

2. वैधता .–अनुज्ञप्ति नियम 79 में विनिर्दिष्ट अवधि के लिए वैध होगा।

3. नवीकरण .– आवेदक द्वारा उपर्युक्त पैरा 1(ग) के उप धारा (ग) के अनुसार चिकित्सा परीक्षण करा लेने का संतोषजनक प्रमाण प्राप्त होने पर अनुज्ञप्ति का नवीकरण किया जा सकता है।

4. वायुयान रेटिंग .–अनुज्ञप्ति में वायुयान की वह श्रेणी, वर्ग और/या प्रकार दर्शाया जाएगा जिसे धारक उड़ाने का हकदार है और अनुज्ञप्ति में केवल उन्हीं प्रकार के विमानों को दर्ज किया जा सकता है जिनके संबंध में अभ्यर्थी ने पैरा 1 के खंड (घ) में उल्लिखित वायुयान और इंजन में परीक्षा उत्तीर्ण की है ।

5. विशेषाधिकार .– अनुज्ञप्ति में वायुयान रेटिंग की वैधता और नियम 78, नियम 79 और नियम 82 के संबंधित उपबंधों के अनुपालन के अधीन, छात्र पायलट अनुज्ञप्ति धारक के विशेषाधिकार केवल भारतीय क्षेत्र के भीतर उड़ान भरने के होंगे, किसी भी हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर, ग्लाइडर या लाइट स्पोर्ट एयरक्राफ़्ट या जाइरोप्लेन के पायलट-इन-कमांड के रूप में, जो उसके अनुज्ञप्ति की वायुयान रेटिंग में दर्ज है:

परंतु यह कि: -

(क) वह हर समय उड़ान प्रशिक्षक या अनुमोदित परीक्षक के प्राधिकार और पर्यवेक्षण में उड़ान भरेगा;

(ख) वह केवल दृश्य उड़ान नियमों के अधीन ही उड़ान भरेगा;

(ग) वह यात्रियों, पशुओं और माल को नहीं ले जाएगा या किसी भी प्रकार के किराये, इनाम या पारिश्रमिक के लिए उड़ान नहीं भरेगा; और

(घ) वह तब तक क्रॉस-कंट्री उड़ानें नहीं भरेगा जब तक कि उसके पास कम से कम दस घंटे का एकल उड़ान का अनुभव न हो और उसने वायुयान दिक्चालन और विमानन मौसम विज्ञान में परीक्षा उत्तीर्ण न कर ली हो।

टिप्पण : छात्र पायलट अनुज्ञप्ति इस संबंध में विशेष रूप से प्राधिकृत उड़ान प्रशिक्षण संगठन द्वारा जारी किया जाएगा तथा महानिदेशक द्वारा विहित शर्तों के अधीन होगा।

भाग ग

निजी पायलट अनुज्ञप्ति (वायुयान)

1. अनुज्ञप्ति जारी करने के लिए अपेक्षाएं .– निजी पायलट अनुज्ञप्ति के लिए आवेदक को निम्नलिखित अपेक्षाओं को पूरा करना होगा, अर्थात्: -

(क) आयु : आवेदन की तारीख को उसकी आयु सत्रह वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।

(ख) शैक्षिक अर्हता : उसने किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से कक्षा दस या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की होगी।

(ग) चिकित्सा योग्यता : चिकित्सा जांच करवाने के पश्चात वह विहित प्रपत्र पर अनुमोदित चिकित्सा अधिकारी से प्राप्त शारीरिक योग्यता का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगा, जिसके दौरान वह महानिदेशक द्वारा नियम 78 के अधीन अधिसूचित अपेक्षाओं के अनुपालन के आधार पर अपनी चिकित्सा परीक्षा प्रमाणित कर लेगा। .

(घ) ज्ञान : उसको महानिदेशक द्वारा विहित पाठ्यक्रम के अनुसार वायुयान विनियम,वायुयान दिक्चालन, विमानन मौसम विज्ञान तथा वायुयान एवं इंजन में लिखित परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी:

परंतु यह कि, वैध निजी पायलट अनुज्ञप्ति (हेलीकॉप्टर) या वाणिज्यिक या एयरलाइन परिवहन पायलट अनुज्ञप्ति (हेलीकॉप्टर) रखने वाले आवेदक को केवल वायुयान और इंजन में परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी।

(ङ) अनुभव : उसे एक हवाई जहाज के पायलट के रूप में कम से कम चालीस घंटे की उड़ान का अनुभव संतोषजनक ढंग से पूरा करने का साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा, जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे -

(i) एकल उड़ान का समय दस घंटे से कम नहीं;

(ii) धारा क के पैरा 5 के अनुसार हवाई जहाज के एकमात्र यात्री के रूप में कम से कम पांच घंटे की क्रॉस कंट्री उड़ान जिसमें कम से कम एक सौ पचास समुद्री मील की उड़ान शामिल है जिसके दौरान दो अलग-अलग हवाईअड्डों पर पूर्ण विराम लैंडिंग की गई होगी;

(iii) अनुज्ञप्ति जारी करने के लिए आवेदन की तारीख से ठीक पहले बारह मास की अवधि के भीतर कम से कम पांच घंटे की एकल उड़ान पूरी की हो;

(iv) आवेदन की तारीख से पिछले चौबीस महीनों के दौरान माइक्रोलाइट वायुयान या गलाइडर पर अर्जित कुल उड़ान अनुभव का पचास प्रतिशत, अधिकतम दस घंटों के लिए, अनुज्ञप्ति जारी करने के लिए आवश्यक कुल अनुभव में गिना जाएगा;

(v) आवेदन की तारीख से पिछले चौबीस महीनों के भीतर लाइट स्पोर्ट वायुयान पर पूरी की गई एकल उड़ान का समय, अधिकतम बीस घंटों के लिए, अनुज्ञप्ति जारी करने के लिए आवश्यक कुल अनुभव में गिना जाएगा:

परंतु यह कि, उप-खण्ड (iv) और (v) के अधीन किसी आवेदक को कुल मिलाकर बीस घंटे से अधिक क्रेडिट नहीं दिया जाएगा।

(च) उड़ान प्रशिक्षण : उसने महानिदेशक द्वारा विहित पाठ्यक्रम के अनुसार उड़ान प्रशिक्षण पूरा कर लिया हो।

(छ) कौशल : उसे एक वायुयान के पायलट-इन- कमांड के रूप में, उस वायुयान के प्रकार पर, जिससे अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन संबंधित है, परीक्षक की संतुष्टि के लिए पाठ्यक्रम में विहित प्रक्रियाओं और कौशल को करने के लिए अपनी अर्हता का प्रदर्शन आवेदन की तारीख से तुरंत पहले छह मास की अवधि के भीतर करना होगा।

2. वैधता.- अनुज्ञप्ति नियम 79 में विनिर्दिष्ट अवधि के लिए वैध होगा ।

3. नवीकरण.– आवेदक का संतोषजनक साक्ष्य प्राप्त होने पर अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण किया जा सकेगा-

(क) पैरा 1 के खंड (ग) के अनुसार चिकित्सा परीक्षण कराया हो ; तथा

(ख) नवीनीकरण के लिए आवेदन की तारीख से ठीक पहले बारह महीनों की अवधि के भीतर या इसके स्थान पर एक हवाई जहाज के पायलट-इन-कमांड के रूप में कम से कम पांच घंटे की उड़ान का समय संतोषजनक ढंग से पूरा किया हो, आवेदन की तारीख से ठीक पहले छह मास

की अवधि के भीतर पैरा 1 के खंड (छ) में विहित उड़ान परीक्षण को संतोषजनक ढंग से पूरा किया हो।

4. रेटिंग.- (क) वायुयान रेटिंग : अनुज्ञप्ति में वायुयान की वह श्रेणी या प्रकार दर्शाया जाएगा जिसे उड़ाने का अधिकार धारक को है और वायुयान की श्रेणी या प्रकार की रेटिंग जारी करने की अपेक्षाएं, जो महानिदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएँ।

(ख) रात्रि रेटिंग - रात्रि रेटिंग अनुज्ञप्ति धारक को रात्रि में अनुज्ञप्ति के विशेषाधिकारों का प्रयोग करने का अधिकार देती है और इस रेटिंग को जारी करने की शर्तें निम्नानुसार हैं, अर्थात:-

(i) उसने पायलट-इन-कमांड के रूप में तथा नियंत्रण के एकमात्र प्रचालक के रूप में कम से कम पचास घंटे की उड़ान पूरी की हो, जिसमें रात में कम से कम पांच घंटे शामिल हों, जिसमें आवेदन की तारीख से पिछले छह महीनों के भीतर कम से कम पांच टेक-ऑफ और पांच लैंडिंग शामिल हों;

(ii) उसे रात्रि में एकल क्रॉस-कंट्री उड़ान भरने की अनुमति दिए जाने से पहले कम से कम एक सौ समुद्री मील की दोहरी क्रॉस-कंट्री उड़ान पूरी करनी होगी, तथा

(iii) रात्रि उड़ान शुरू करने से पहले उसने निम्नलिखित कार्य पूरा कर लिया होगा, उपकरण उड़ान में कम से कम पांच घंटे का दोहरा प्रशिक्षण जिसमें अनुमोदित उड़ान सिमुलेशन प्रशिक्षण उपकरण पर अधिकतम ढाई घंटे का प्रशिक्षण शामिल हो सकता है ; तथा

(iv) उसे रात्रि में कम से कम एक सौ समुद्री मील की दोहरी क्रॉस-कंट्री उड़ान पूरी करनी होगी, उसके बाद ही उसे रात्रि में एकमात्र क्रॉस-कंट्री उड़ान भरने की अनुमति दी जा सकेगी।

(ग) इंस्ट्रूमेंट रेटिंग : इंस्ट्रूमेंट रेटिंग अनुज्ञप्ति धारक को इंस्ट्रूमेंट फ्लाइट रूल्स के अधीन उड़ान भरने का अधिकार देती है और मेडिकल फिटनेस के मानक और रेटिंग जारी करने की शर्तें धारा ढ में विहित की गई हैं।

5. वायुयान रेटिंग का विस्तार.– अतिरिक्त प्रकार के हवाई जहाज को शामिल करने के लिए वायुयान रेटिंग के विस्तार के लिए, आवेदक को निम्नलिखित का साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा -

(क) पैरा 1 के खंड (घ) में उल्लिखित अनुसार वायुयान और इंजन में लिखित परीक्षा उत्तीर्ण की हो;

(ख) इस टाइप की उड़ान में दक्षता प्राप्त करने के लिए पर्याप्त दोहरे प्रशिक्षण और एकल उड़ान भरना;

(ग) वायुयान रेटिंग के विस्तार के लिए आवेदन की तारीख से ठीक पहले छह मास की अवधि के भीतर पैरा 1 के उप पैरा (छ) में विहित उड़ान परीक्षण को संतोषजनक ढंग से पूरा कर लिया हो।

6. विशेषाधिकार.- अनुज्ञप्ति में पृष्ठांकनों और रेटिंग की वैधता और नियम 78, 79 और नियम 82 के संगत उपबंधों के अनुपालन के अधीन, एक निजी पायलट अनुज्ञप्ति के धारक के विशेषाधिकार, उसके अनुज्ञप्ति की वायुयान रेटिंग में दर्ज किसी भी हवाई जहाज के पायलट-इन-कमांड या सह-पायलट के रूप में कार्य करने और उसमें यात्रियों को ले जाने के होंगे, लेकिन पारिश्रमिक के लिए नहीं:

परंतु यह कि -

(i) किसी भी प्रकार के किराये या पारिश्रमिक के लिए या सार्वजनिक परिवहन या हवाई कार्य के प्रयोजनों के लिए पंजीकृत किसी भी वायुयान में कोई उड़ान नहीं भरी जाएगी;

(ii) यात्रियों को रात्रि में तभी ले जाया जाएगा जब अनुज्ञप्ति धारक के पास वैध रात्रि रेटिंग हो और उसने इच्छित उड़ान की तारीख से ठीक पहले छह मास की अवधि के भीतर पायलट-इन-कमांड के रूप में रात्रि में कम से कम पांच टेक-ऑफ और पांच लैंडिंग की हो; तथा

(iii) वैध इंस्ट्रूमेंट रेटिंग के बिना इंस्ट्रूमेंट फ़्लाइट नियमों के अधीन कोई भी उड़ान नहीं भरी जाएगी।

भाग घ

निजी पायलट अनुज्ञप्ति (हेलीकॉप्टर)

1. अनुज्ञप्ति जारी करने के लिए अपेक्षाएं.– निजी पायलट अनुज्ञप्ति (हेलीकॉप्टर) के लिए आवेदक को निम्नलिखित अपेक्षाओं को पूरा करना होगा, अर्थात्:

(क) आयु : आवेदन की तारीख को उसकी आयु सत्रह वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।

(ख) शैक्षिक अर्हता : उसने किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से दसवीं कक्षा या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की होगी।

(ग) चिकित्सा अर्हता : चिकित्सा जांच करवाने के पश्चात वह विहित प्रपत्र पर अनुमोदित चिकित्सा अधिकारी से प्राप्त शारीरिक अर्हता का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगा, जिसके दौरान वह महानिदेशक द्वारा नियम 78 के अधीन अधिसूचित अपेक्षाओं के अनुपालन के आधार पर अपनी चिकित्सा अर्हता प्रमाणित कर लेगा।

(घ) ज्ञान : उसे महानिदेशक द्वारा विहित पाठ्यक्रम के अनुसार वायुयान विनियम, वायुयान दिक्चालन, विमानन मौसम विज्ञान तथा वायुयान एवं इंजन में लिखित परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी:

परंतु यह कि वैध निजी पायलट अनुज्ञप्ति (हवाई जहाज) या वाणिज्यिक या वरिष्ठ वाणिज्यिक या एयरलाइन परिवहन पायलट अनुज्ञप्ति (हवाई जहाज) रखने वाले आवेदक को केवल वायुयान और इंजन में परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी ।

(ङ) अनुभव : उसे हेलीकॉप्टर के पायलट के रूप में कम से कम चालीस घंटे की उड़ान का अनुभव संतोषजनक ढंग से पूरा करने का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा, जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे-

(i) एकल उड़ान का समय दस घंटे से कम नहीं होना चाहिए;

(ii) हेलीकॉप्टर या हेलीकॉप्टरों के एकमात्र यात्री के रूप में कम से कम पांच घंटे की देश के बाहर उड़ान, जिसमें कम से कम एक सौ समुद्री मील की उड़ान शामिल है, जिसके दौरान दो विभिन्न बिंदुओं पर फुल स्टॉप लैंडिंग की गई होगी;

(iii) अनुज्ञप्ति जारी करने के लिए आवेदन की तारीख से ठीक पहले बारह मास की अवधि के भीतर कम से कम पांच घंटे की एकल उड़ान पूरी की हो;

(iv) आवेदन की तारीख से पिछले चौबीस महीनों के दौरान बैलून्स को छोड़कर किसी अन्य श्रेणी के वायुयान पर अर्जित कुल उड़ान अनुभव का पचास प्रतिशत, अधिकतम पांच घंटे के अधीन, अनुज्ञप्ति जारी करने के लिए आवश्यक कुल अनुभव में गिना जाएगा;

(v) आवेदन की तारीख से पिछले चौबीस महीनों के भीतर बैलून्स को छोड़कर किसी अन्य श्रेणी के वायुयान पर पूरी की गई एकल उड़ान का समय, अधिकतम पांच घंटों के अधीन, अनुज्ञप्ति जारी करने के लिए आवश्यक कुल अनुभव में गिना जाएगा:

परंतु यह कि उप-खण्ड (iv) और (v) के अधीन आवेदक को बीस घंटे से अधिक क्रेडिट नहीं दिया जाएगा:

परंतु यह और कि, किसी व्यक्ति, जिसने किसी वायुयान के पायलट-इन-कमांड के रूप में कम से कम तीन सौ घंटे की उड़ान का समय संतोषप्रद रूप से पूरा कर लिया हो, से यह अपेक्षित होगा कि वह हेलीकॉप्टर पर कुल उड़ान समय, दोहरी और एकल, कम से कम बीस घंटे पूरा करे, जिसमें अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन की तारीख से ठीक पहले बारह मास की अवधि के भीतर पूरी की गई कम से कम दस घंटे की एकल उड़ान का समय शामिल होगा।

(च) उड़ान प्रशिक्षण : उसने महानिदेशक द्वारा विहित पाठ्यक्रम के अनुसार उड़ान प्रशिक्षण पूरा कर लिया होगा।

(छ) कौशल : उसने अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन की तारीख से ठीक पहले छह मास की अवधि के भीतर परीक्षक की संतुष्टि के अनुसार उस हेलीकॉप्टर, जिससे अनुज्ञप्ति का आवेदन संबंधित

है, के प्रकार पर पाठ्यक्रम में विहित प्रक्रियाओं और कौशल के संबंध में अपनी अर्हता का प्रदर्शन किया हो।

2. वैधता.- अनुज्ञप्ति नियम 79 में विनिर्दिष्ट अवधि के लिए वैध होगा ।

3. नवीकरण.- आवेदक का संतोषजनक साक्ष्य प्राप्त होने पर अनुज्ञप्ति का नवीकरण किया जा सकेगा-

(क) पैरा 1 के खंड (ग) के अनुसार चिकित्सा परीक्षण कराया हो; और

(ख) नवीनीकरण या उसके बदले में आवेदन की तारीख से ठीक पहले छह महीनों की अवधि के भीतर हेलीकॉप्टर के पायलट-इन-कमांड के रूप में कम से कम पांच घंटे की उड़ान का समय संतोषप्रद ढंग से पूरा किया हो; आवेदन की तारीख से ठीक पहले छह महीनों की अवधि के भीतर पैरा 1 के खंड (छ) में विहित उड़ान परीक्षण को संतोषप्रद ढंग से पूरा किया हो।

4. रेटिंग.– (क) वायुयान रेटिंग: (i) अनुज्ञप्ति में हेलीकॉप्टर की प्रकार दर्शाया जाएगा जिसे उड़ाने का अधिकार धारक को है।

(ii) हेलीकॉप्टर प्रकार रेटिंग जारी करने की अपेक्षाएं महानिदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट की जा सकती हैं।

(ख) रात्रि रेटिंग : रात्रि रेटिंग धारक को रात्रि में अनुज्ञप्ति के विशेषाधिकारों का प्रयोग करने का अधिकार देती है और इस रेटिंग को जारी करने की शर्तें इस प्रकार हैं, अर्थात :–

(i) उसने आवेदन की तारीख से ठीक पहले छह मास की अवधि के भीतर हेलीकॉप्टर के पायलट-इन-कमांड और नियंत्रण के एकमात्र प्रचालक के रूप में कम से कम पचास घंटे की उड़ान पूरी की हो, जिसमें रात में कम से कम दस टेक-ऑफ और दस लैंडिंग पैटर्न शामिल हों; और

(ii) उसने रात्रि उड़ान में कम से कम पांच घंटे का दोहरा प्रशिक्षण पूरा किया हो।

(ग) इंस्ट्रूमेंट रेटिंग : इंस्ट्रूमेंट रेटिंग धारक को इंस्ट्रूमेंट फ्लाइट नियम के अधीन उड़ान भरने का अधिकार देती है। इस रेटिंग को जारी करने के लिए मेडिकल फिटनेस के मानक और शर्तें धारा ण में अधिकथित की गई हैं ।

5. वायुयान रेटिंग का विस्तार.- वायुयान रेटिंग के विस्तार के लिए, एक अतिरिक्त प्रकार के हेलीकॉप्टर को शामिल करने के लिए, आवेदक को निम्नलिखित का साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा -

(क) पैरा 1 के उप पैरा (घ) में अधिकथित के अनुसार वायुयान और इंजन में लिखित परीक्षा उत्तीर्ण की हो;

(ख) पर्याप्त दोहरे प्रशिक्षण प्राप्त कर लिए हों तथा उस प्रकार की उड़ान में दक्षता प्राप्त करने के लिए पर्याप्त एकल उड़ान अनुभव प्राप्त कर लिया हो; तथा

(ग) वायुयान रेटिंग के विस्तार के लिए आवेदन की तारीख से ठीक पहले छह मास की अवधि के भीतर पैराग्राफ 1 के उप पैरा (छ) में अधिकथित उड़ान परीक्षण को संतोषजनक ढंग से पूरा कर लिया हो ;

6. विशेषाधिकार.- अनुज्ञप्ति में पृष्ठांकन और रेटिंग की वैधता और नियम 78, 79 और नियम 82 के संबंधित उपबंधों के अनुपालन के अधीन, एक निजी पायलट अनुज्ञप्ति (हेलीकॉप्टर) धारक के विशेषाधिकार पायलट-इन-कमांड के रूप में कार्य करने के होंगे, लेकिन पारिश्रमिक के लिए नहीं, किसी भी हेलीकॉप्टर के सह-पायलट के रूप में जो उसके अनुज्ञप्ति की वायुयान रेटिंग में दर्ज है और उसमें यात्रियों को ले जाना:

परंतु यह कि :-

(क) किसी भी प्रकार के किराये या पारिश्रमिक पर या सार्वजनिक परिवहन या हवाई कार्य के प्रयोजन के लिए पंजीकृत किसी भी वायुयान में कोई उड़ान नहीं भरी जाएगी;

(ख) यात्रियों को रात्रि में तभी ले जाया जाएगा जब अनुज्ञप्ति धारक के पास वैध रात्रि रेटिंग हो और उसने इच्छित उड़ान की तारीख से ठीक पहले छह मास की अवधि के भीतर पायलट-इन-कमांड के रूप में रात्रि में कम से कम पांच टेक-ऑफ और पांच लैंडिंग पैटर्न पूरे किए हों; तथा

(ग) वैध इंस्ट्रूमेंट रेटिंग के बिना इंस्ट्रूमेंट फ़्लाइट नियमों के अधीन कोई भी उड़ान नहीं भरी जाएगी।

भाग ङ

पायलट अनुज्ञप्ति (माइक्रोलाइट)

1. अनुज्ञप्ति जारी करने के लिए अपेक्षाएं.– पायलट अनुज्ञप्ति माइक्रोलाइट वायुयान के लिए आवेदक को निम्नलिखित अपेक्षाओं को पूरा करना होगा, अर्थात :–

(क) आयु : आवेदन की तारीख को उसकी आयु सत्रह वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।

(ख) शैक्षिक अर्हता : किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से कक्षा दसवीं या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की होगी।

(ग) चिकित्सा योग्यता : चिकित्सा जांच करवाने के पश्चात वह विहित प्रपत्र पर अनुमोदित चिकित्सा अधिकारी से प्राप्त शारीरिक योग्यता का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगा, जिसके दौरान वह महानिदेशक द्वारा नियम 78 के अधीन अधिसूचित अपेक्षाओं के अनुपालन के आधार पर अपनी चिकित्सा योग्यता प्रमाणित कर लेगा।

(घ) ज्ञान : महानिदेशक द्वारा विहित पाठ्यक्रम के अनुसार वायुयान विनियम, वायुयान दिक्चालन, विमानन मौसम विज्ञान तथा वायुयान एवं इंजन में लिखित परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी:

परंतु यह कि वैध निजी पायलट अनुज्ञप्ति (वायुयान/हेलीकॉप्टर) या पायलट अनुज्ञप्ति की उच्चतर श्रेणी रखने वाले आवेदक को, पायलट की लॉग बुक में उड़ान प्रशिक्षक/परीक्षक द्वारा शामिल प्रमाणपत्र के रूप में साक्ष्य प्रस्तुत करने पर छूट दी जाएगी कि पायलट को उड़ान नियंत्रण, गति प्रोफाइल, प्रणालियों, इंजनों और माइक्रोलाइट वायुयान की सीमाओं से पूरी तरह परिचित कराया गया है:

परंतु यह और कि वैध पायलट अनुज्ञप्ति ग्लाइडर रखने वाले आवेदक को केवल वायुयान विनियमन और विमानन मौसम विज्ञान की परीक्षा से छूट दी जाएगी।

(ङ) सुरक्षा अनुमति : यदि पहले से प्राप्त नहीं है, तो पायलट के लिए सुरक्षा अनुमति उड़ान शुरू करने से पहले फ्लाइंग क्लब या सरकारी उड़ान प्रशिक्षण स्कूल द्वारा संबंधित राज्य पुलिस प्राधिकारियों से प्राप्त की जाएगी और महानिदेशक, को भेजी जाएगी।

(च) अनुभव : माइक्रोलाइट वायुयान पर कम से कम चालीस घंटे की उड़ान का संतोषजनक ढंग से पूरा करने का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा, जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे -

(i) एकल उड़ान का कम से कम पंद्रह घंटे का समय, जिसमें से कम से कम दस घंटे अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन की तारीख से ठीक पहले बारह मास की अवधि के भीतर पूरे किए गए हों; और

(ii) माइक्रोलाइट वायुयान के एकल यात्री के रूप में कम से कम पांच घंटे की देश से बाहर उड़ान, जिसमें प्रस्थान हवाईअड्डे से कम से कम पचास समुद्री मील की दूरी तक की उड़ान और प्रस्थान हवाई अड्डे के अलावा किसी उपयुक्त हवाई अड्डे या लैंडिंग ग्राउंड पर कम से कम एक बार फुल स्टॉप लैंडिंग शामिल है; तथा

(iii) I. वर्तमान निजी पायलट अनुज्ञप्ति (हवाई जहाज) या उच्च श्रेणी के अनुज्ञप्ति (हवाई जहाज) के धारक को अनुभव अपेक्षाओं से छूट दी जाएगी।

II. ऐसे पायलटों को परिचित उड़ानें प्रचालित करने की अपेक्षा होगी, जिसके बाद कम से कम तीन एकल टेक-ऑफ और लैंडिंग होगी।

III. परिचित उड़ानें महानिदेशक, द्वारा अनुमोदित परीक्षक या उड़ान प्रशिक्षक की देखरेख में प्रचालित की जाएंगी।

(छ) उड़ान प्रशिक्षण : महानिदेशक द्वारा विहित पाठ्यक्रम के अनुसार उड़ान प्रशिक्षण पूरा कर लिया होगा।

(ज) कौशल : उसने अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन की तारीख से ठीक पहले छह मास की अवधि के भीतर परीक्षक की संतुष्टि के अनुसार उस हेलीकॉप्टर, जिससे अनुज्ञप्ति का आवेदन संबंधित है, के प्रकार पर पाठ्यक्रम में विहित प्रक्रियाओं और कौशल के संबंध में अपनी अर्हता का प्रदर्शन किया हो।

2. वैधता.- अनुज्ञप्ति नियम 79 में विनिर्दिष्ट अवधि के लिए वैध होगा। .

3. नवीकरण. – आवेदक का संतोषजनक साक्ष्य प्राप्त होने पर अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण किया जा सकेगा-

(क) पैरा 1 के खंड (ग) के अनुसार चिकित्सा परीक्षण कराया हो ।

(ख) नवीनीकरण या उसके एवज में आवेदन की तारीख से ठीक पहले बारह महीनों की अवधि के भीतर माइक्रोलाइट वायुयान के पायलट-इन-कमांड के रूप में कम से कम पांच घंटे की उड़ान का समय संतोषप्रद ढंग से पूरा किया हो; आवेदन की तारीख से ठीक पहले छह महीनों की अवधि के भीतर पैरा 1 के खंड (ज) में विहित उड़ान परीक्षण को संतोषजनक ढंग से पूरा किया हो ।

4. वायुयान रेटिंग. - (क) अनुज्ञप्ति में माइक्रोलाइट वायुयान की श्रेणी और प्रकार का उल्लेख होगा,जिसे उड़ाने का हकदार धारक है।

(ख) सभी प्रकार के माइक्रोलाइट विमानों के लिए एक खुली रेटिंग भी दी जा सकती है,यदि उसने किसी हवाई जहाज या माइक्रोलाइट वायुयान के पायलट-इन-कमांड के रूप में कम से कम एक सौ घंटे की उड़ान का समय संतोषजनक ढंग से पूरा कर लिया हो, परंतु यह कि, किसी भी माइक्रोलाइट वायुयान पर एकल उड़ान भरने से पहले, उसे एक योग्य माइक्रोलाइट पायलट के साथ वायुयान के उड़ान नियंत्रण, गति प्रोफाइल, सिस्टम, इंजन और सीमाओं से परिचित होना चाहिए,जिसके पास पायलट-इन-कमांड का एक सौ पचास घंटे का अनुभव हो और पायलट की लॉग बुक में उस आशय का प्रमाणपत्र शामिल हो।

5. विशेषाधिकार. – अनुज्ञप्ति में वायुयान रेटिंग की वैधता और नियम 78, 79 और नियम 82 के संबंधित उपबंधों के अनुपालन के अधीन, पायलट अनुज्ञप्ति (माइक्रोलाइट) धारक को विशेषाधिकार माइक्रोलाइट वायुयान के पायलट-इन-कमांड के रूप में कार्य करना होगा, जिसे दृश्य उड़ान नियमों के अधीन उसके अनुज्ञप्ति की वायुयान रेटिंग में शामिल किया गया है।

भाग च

पायलट अनुज्ञप्ति (बैलून)

1. अनुज्ञप्ति जारी करने के लिए अपेक्षाएं .- पायलट अनुज्ञप्ति के लिए आवेदक को निम्नलिखित अपेक्षाओं को पूरा करना होगा, अर्थात :–

(क) आयु : आवेदन की तारीख को उसकी आयु सोलह वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।

(ख) शैक्षिक अर्हता : किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से कक्षा दसवीं या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की होगी।

(ग) चिकित्सा अर्हता : चिकित्सा जांच करवाने के पश्चात वह विहित प्रपत्र पर अनुमोदित चिकित्सा अधिकारी से प्राप्त शारीरिक अर्हता का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगा, जिसके दौरान वह महानिदेशक द्वारा नियम 78 के उपबंधों के अधीन अधिसूचित अपेक्षाओं के अनुपालन के आधार पर अपनी चिकित्सा अर्हता प्रमाणित कर लेगा।

(घ) ज्ञान : महानिदेशक द्वारा विहित पाठ्यक्रम के अनुसार वायुयान विनियम, वायुयान दिक्चालन, विमानन मौसम विज्ञान, एयरमैनशिप और बैलून प्रणाली या एयरोस्टेटिक्स में लिखित परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी:

परंतु यह कि, आवेदक के पास वर्तमान पायलट अनुज्ञप्ति ग्लाइडर, निजी पायलट अनुज्ञप्ति (हवाई जहाज या हेलीकॉप्टर), पायलट अनुज्ञप्ति माइक्रोलाइट वायुयान या पायलट अनुज्ञप्ति की उच्चतर श्रेणी हो, तो उसे केवल एयरमैनशिप और बैलून प्रणाली या एयरोस्टेटिक्स में परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी।

(ङ) सुरक्षा निकासी : यदि पहले से प्राप्त नहीं है, तो पायलट के लिए सुरक्षा निकासी उड़ान प्रशिक्षण शुरू करने से पहले फ्लाइंग क्लब / सरकारी उड़ान प्रशिक्षण स्कूल द्वारा संबंधित राज्य पुलिस प्राधिकारियों से प्राप्त की जाएगी और महानिदेशक को भेजी जाएगी।

(च) अनुभव : उसे बैलून के पायलट के रूप में कम से कम सोलह घंटे की उड़ान का समय संतोषजनक ढंग से पूरा करने का साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा, जिसमें मुक्त स्थैतिक बैलून के पायलट के रूप में कम से कम आठ प्रक्षेपण और उड़ान शामिल हैं, जिनमें से-

(i) छः उड़ान, अनुदेश के अधीन होंगे;

(ii) उचित रूप से रेटेड गुब्बारा पायलट की देखरेख में समुद्र तल से कम से कम एक हजार पांच सौ मीटर की ऊंचाई तक नियंत्रण में एक उड़ान;

(iii) बैलून पर अकेले सवार होकर पर्यवेक्षण के अधीन एक बार उड़ान ।

(छ) उड़ान प्रशिक्षण : उसने महानिदेशक द्वारा विहित पाठ्यक्रम के अनुसार उड़ान प्रशिक्षण पूरा कर लिया होगा।

(ज) कौशल : उसने अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन की तारीख से ठीक पहले छह मास की अवधि के भीतर परीक्षक की संतुष्टि के अनुसार उस हेलीकॉप्टर, जिससे अनुज्ञप्ति का आवेदन संबंधित है, के प्रकार पर पाठ्यक्रम में विहित प्रक्रियाओं और कौशल के संबंध में अपनी अर्हता का प्रदर्शन किया हो।

2. वैधता.- अनुज्ञप्ति नियम 79 में विनिर्दिष्ट अवधि के लिए वैध होगा ।

3. नवीकरण.- आवेदक का संतोषजनक साक्ष्य प्राप्त होने पर अनुज्ञप्ति का नवीकरण किया जाएगा-

(क) पैरा 1 के खंड (ग) के अनुसार चिकित्सा परीक्षण कराया हो ।

(ख) आवेदन की तारीख से ठीक पहले या उसके स्थान पर छह मास की अवधि के भीतर पायलट-इन-कमांड के रूप में कम से कम पांच उड़ान संतोषजनक ढंग से पूरी की हो, जिनमें से कम से कम एक उड़ान एक हजार पांच सौ मीटर या उससे अधिक की ऊंचाई की होनी चाहिए; आवेदन की तारीख से ठीक पहले छह मास की अवधि के भीतर पैरा 1 के खंड (ज) के अनुसार उड़ान परीक्षण संतोषजनक ढंग से पूरा किया हो।

4. रात्रि रेटिंग.- (क) रात्रि में अनुज्ञप्ति के विशेषाधिकारों का प्रयोग करने के लिए,आवेदक को अनुज्ञप्ति प्राप्त बैलून पायलट, जिसका अनुज्ञप्ति केवल दिन में उड़ान तक सीमित नहीं है, की देखरेख में रात्रि में कम से कम दो उड़ान पूरे करनी होंगी, जिनमें से प्रत्येक की अवधि दो घंटे से कम नहीं होगी।

(ख) रात्रि रेटिंग इस शर्त पर वैध होगी कि अनुज्ञप्ति धारक ने इच्छित उड़ान की तारीख से ठीक पहले छह मास की अवधि के दौरान रात में कम से कम दो बार औसतन एक घंटे की उड़ान पूरी कर ली हो।

5. विशेषाधिकार.- पायलट अनुज्ञप्तिधारक (बैलून) के विशेषाधिकार केवल दृश्य उड़ान नियमों के अधीन किसी भी बैलून के पायलट-इन-कमांड के रूप में कार्य करना और यात्रियों को ले जाना, बैनर (स्थिर या अन्यथा) खींचना होगा, जो गुब्बारे की सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालते हैं।

भाग छ

पायलट अनुज्ञप्ति (ग्लाइडर)

1. अनुज्ञप्ति जारी करने के लिए अपेक्षाएं.- पायलट अनुज्ञप्ति (ग्लाइडर्स) जारी करने के लिए आवेदन में निम्नलिखित अपेक्षाएं पूरी होनी चाहिए, अर्थात :–

(क) आयु : आवेदन की तारीख को उसकी आयु सोलह वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।

(ख) शैक्षिक योग्यता: किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से कक्षा दसवीं या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की होगी।

(ग) चिकित्सा योग्यता : चिकित्सा जांच करवाने के पश्चात वह विहित प्रपत्र पर अनुमोदित चिकित्सा अधिकारी से प्राप्त शारीरिक योग्यता का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगा, जिसके दौरान उसने महानिदेशक द्वारा नियम 78 के उपबंधों के अधीन अधिसूचित अपेक्षाओं के अनुपालन के आधार पर अपनी चिकित्सा योग्यता प्रमाणित कर ली होगी।

(घ) ज्ञान : महानिदेशक द्वारा विहित पाठ्यक्रम के अनुसार वायुयान विनियम, वायुयान दिक्चालन, विमानन मौसम विज्ञान और वायुयान एवं उपकरण तथा मोटर ग्लाइडरों के मामले में इंजन में मौखिक परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी :

परंतु कि, वैध पायलट अनुज्ञप्ति गुब्बारा या माइक्रोलाइट वायुयान, निजी पायलट अनुज्ञप्ति (एयरोप्लेन या हेलीकॉप्टर) या उच्च श्रेणी का पायलट अनुज्ञप्ति रखने वाले आवेदक को एयरक्राफ्ट और उपकरणों में मौखिक परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी।

(ङ) अनुभव : उसे ग्लाइडर के पायलट के रूप में संतोषजनक रूप से कार्य पूरा करने का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा -

(i) उड़ान का समय दस घंटे से कम नहीं होगा, जिसमें से पांच घंटे से कम समय एकल उड़ान का होगा; और

(ii) कम से कम पचहत्तर टेक-ऑफ और लैंडिंग, जिनमें से कम से कम पच्चीस एकल टेक-ऑफ और लैंडिंग अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन की तारीख से ठीक पहले छह मास की अवधि के भीतर पूरी हो गई होंगी।

(च) उड़ान प्रशिक्षण : महानिदेशक द्वारा विहित पाठ्यक्रम के अनुसार उसने ग्लाइडिंग प्रशिक्षण पूरा कर लिया होगा।

(छ) कौशल : उसने अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन की तारीख से ठीक पहले छह मास की अवधि के भीतर परीक्षक की संतुष्टि के अनुसार उस हेलीकॉप्टर, जिससे अनुज्ञप्ति का आवेदन संबंधित है, के प्रकार पर पाठ्यक्रम में विहित प्रक्रियाओं और कौशल के संबंध में अपनी अर्हता का प्रदर्शन किया हो।

2. वैधता.- अनुज्ञप्ति नियम 79 में विनिर्दिष्ट अवधि के लिए वैध होगी।

3. नवीकरण.- आवेदक का संतोषजनक साक्ष्य प्राप्त होने पर अनुज्ञप्ति का नवीकरण किया जाएगा-

(क) पैरा 1 के उप पैरा (ग) के अनुसार चिकित्सा परीक्षण कराया हो ;

(ख) नवीनीकरण के लिए आवेदन की तारीख से पहले छह मास की अवधि के भीतर या इसके स्थान पर ग्लाइडर के पायलट-इन-कमांड के रूप में कम से कम तीन घंटे की उड़ान का समय या बीस टेक-ऑफ और लैंडिंग को संतोषजनक ढंग से पूरा किया हो; आवेदन की तारीख से तुरंत पहले छह मास की अवधि के भीतर पैरा 1 के खंड (छ) के अनुसार उड़ान परीक्षणों को संतोषजनक ढंग से पूरा किया हो।

4. रेटिंग. - (क) वायुयान रेटिंग :अनुज्ञप्ति में यह दर्शाया जाएगा कि धारक किस प्रकार के ग्लाइडर उड़ाने का हकदार होगा ।

(i) सभी ग्लाइडरों को उड़ाने के लिए खुली रेटिंग भी दी जा सकती है, जिनका कुल भार छह सौ किलोग्राम से अधिक न हो, यदि पायलट ने स्वतंत्र उड़ान में पायलट-इन-कमांड के रूप में कम से कम पचास घंटे की उड़ान संतोषजनक ढंग से पूरी कर ली हो, जिसमें नियंत्रण के एकल प्रचालक के रूप में कम से कम दो सौ टेक-ऑफ और लैंडिंग शामिल हों:

परंतु यह कि, खुली रेटिंग के विशेषाधिकार का प्रयोग केवल उड़ान प्रशिक्षक (ग्लाइडर) या अनुमोदित परीक्षक के साथ परिचित उड़ान के बाद या एकल सीटर ग्लाइडर के मामले में अनुमोदित परीक्षक या प्रशिक्षक द्वारा पूरी तरह से जानकारी दिए जाने और पायलट को उड़ान के लिए जारी करने से पहले परीक्षक/प्रशिक्षक द्वारा पायलट की लॉग बुक में दर्ज किए गए उस आशय के प्रमाण पत्र के बाद ही किया जाएगा।

(ख) एयरो-टो रेटिंग : एयरो-टो रेटिंग धारक को एयरो-टो उड़ानों में ग्लाइडर में यात्रियों को ले जाने का अधिकार देती है। एयरो-टो रेटिंग तब दी जा सकती है जब ग्लाइडर पायलट ने ग्लाइडर के पायलट के रूप में कम से कम दो घंटे की कुल अवधि की कम से कम दस एयरो-टो उड़ानें संतोषजनक ढंग से पूरी की हों:

परंतु यह कि कोई भी एकल एयरो-टो उड़ान तब तक नहीं भरी जाएगी, जब तक कि वायुयान में एक अर्हता प्राप्त प्रशिक्षक के साथ कम से कम पांच दोहरी एयरो-टो उड़ानें न भरी गई हों और एयरो-टो उड़ानें शुरू करने से पहले प्रशिक्षक द्वारा पायलट की लॉग बुक में उस आशय की संतोषजनक रिपोर्ट दर्ज न कर दी गई हो।

(ग) ग्लाइडर टोइंग अपेक्षाएं : कोई भी व्यक्ति ग्लाइडर टोइंग करने वाले वायुयान के पायलट-इन-कमांड के रूप में तब तक कार्य नहीं करेगा जब तक कि वह निम्नलिखित अपेक्षाओं को पूरा नहीं करता है, अर्थात :-

(i) उसके पास वैध पायलट अनुज्ञप्ति है (छात्र पायलट अनुज्ञप्ति के सिवाए);

(ii) उसके पायलट लॉग बुक में ग्लाइडर टोइंग में अनुदेश देने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति से अनुमोदन प्राप्त है और वह ग्लाइडरों को सुरक्षित तरीके से खींचने के लिए आवश्यक तकनीकों और प्रक्रियाओं से परिचित है, जिसमें वायुयान गति सीमाएं, आपातकालीन प्रक्रियाएं, प्रयुक्त संकेत और किनारे के अधिकतम कोण शामिल हैं;

(iii) उसने एक ऐसे पायलट के पर्यवेक्षण में, जो इस खंड की अपेक्षाओं को पूरा करता है, ग्लाइडर खींचने वाले वायुयान के नियंत्रण के एकमात्र प्रचालक के रूप में कम से कम तीन उड़ानें भरी हों और अपने पायलट लॉग बुक में शामिल की हों तथा एक ग्लाइडर खींचने वाले वायुयान के 'पायलट-इन-कमांड' के रूप में कम से कम दस उड़ानें भरी हों;

(iv) यदि उसके पास केवल निजी पायलट अनुज्ञप्ति (हवाई जहाज) है, तो उसके पास पायलट-इन-कमांड के रूप में कम से कम सौ घंटे की उड़ान का अनुभव होना चाहिए।

(घ) मोटर ग्लाइडर रेटिंग : मोटर ग्लाइडर रेटिंग धारक को स्व-प्रक्षेपित मोटर ग्लाइडर में यात्रियों को ले जाने का अधिकार देती है। मोटर ग्लाइडर रेटिंग तब दी जा सकती है जब वैध पायलट अनुज्ञप्ति (ग्लाइडर) का धारक निम्नलिखित का साक्ष्य प्रस्तुत करता है:

(i) इंजनों से संबंधित मौखिक परीक्षा उत्तीर्ण की हो;

(ii) स्व-प्रक्षेपण मोटर ग्लाइडर के पायलट के रूप में कम से कम चालीस टेक-ऑफ और लैंडिंग संतोषजनक ढंग से पूरी की हो, जिनमें से कम से कम दस टेक-ऑफ और लैंडिंग पायलट-इन-कमांड के रूप में पूरी की गई हों;

(iii) किसी अनुमोदित परीक्षक या ग्लाइडर प्रशिक्षक से वायुयान के उड़ान नियंत्रण, गति प्रोफाइल, प्रणालियों, इंजनों और सीमाओं से पूरी तरह परिचित हो जाना चाहिए तथा प्रशिक्षक या परीक्षक द्वारा पायलट की लॉग बुक में इस आशय का प्रमाणपत्र शामिल कर लेना चाहिए।

5. वायुयान रेटिंग का विस्तार.- ग्लाइडर के एक अतिरिक्त प्रकार को शामिल करने के लिए वायुयान रेटिंग के विस्तार के लिए, आवेदक को निम्नलिखित का साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा :–

(i) पैरा 1 के खंड (घ) में उल्लिखित अनुसार वायुयान तथा मोटर ग्लाइडरों के मामले में उपकरणों और इंजनों में मौखिक परीक्षा उत्तीर्ण की हो;

(ii) वायुयान रेटिंग के विस्तार के लिए आवेदन की तारीख से ठीक पहले छह मास की अवधि के भीतर आवेदन से संबंधित ग्लाइडर के प्रकार पर पैरा 1 के खंड (छ) के अनुसार उड़ान परीक्षण संतोषजनक ढंग से पूरा कर लिया हो; तथा

(iii) नियंत्रण के एकमात्र प्रचालक के रूप में पायलट-इन-कमांड के रूप में कम से कम तीन टेक-ऑफ और लैंडिंग को संतोषजनक ढंग से परिणाम दिया हो।

6. विशेषाधिकार. अनुज्ञप्ति में वायुयान रेटिंग की वैधता और नियम 78, 79 और नियम 82 के संबंधित उपबंधों के अनुपालन के अधीन, पायलट अनुज्ञप्ति (ग्लाइडर) धारक के विशेषाधिकार अनुज्ञप्ति की वायुयान रेटिंग में शामिल किसी भी ग्लाइडर पर पायलट-इन-कमांड के रूप में कार्य करना और दृश्य उड़ान नियमों के अधीन उसमें यात्रियों को ले जाना होगा।

टिप्पण: 1. इस धारा के अधीन दिए गए विशेषाधिकारों का प्रयोग केवल तभी किया जाएगा जब आरंभ करने की विधि निम्नलिखित में से कोई एक हो, अर्थात :–

(क)विंच-लॉन्चिंग, या

(ख) ऑटो लॉन्चिंग, या

(ग) एयरो-टो द्वारा लॉन्चिंग।

2. यदि प्रक्षेपण की कोई अपरंपरागत विधि जैसे रॉकेट,अवक्षेपक आदि को अपनाया जाता है, तो कमान में उड़ान भरने और यात्रियों को ले जाने के विशेषाधिकारों का प्रयोग केवल तभी किया जाएगा जब उसने महानिदेशक,के समाधान के लिए प्रशिक्षण का अनुमोदित पाठ्यक्रम और उड़ान परीक्षण पूरा कर लिया हो।

भाग ज

पायलट अनुज्ञप्ति (लाइट स्पोर्ट एयरक्राफ्ट)

1. अनुज्ञप्ति जारी करने के लिए अपेक्षाएं.- पायलट अनुज्ञप्ति (लाइट स्पोर्ट एयरक्राफ्ट) के लिए आवेदक को निम्नलिखित अपेक्षाओं को पूरा करना होगा:–

(क) आयु : आवेदन की तारीख को उसकी आयु सत्रह वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।

(ख) शैक्षिक योग्यता : उसने किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से कक्षा दसवीं या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की होगी।

(ग) चिकित्सा योग्यता: चिकित्सा जांच करवाने के पश्चात वह विहित प्रपत्र पर अनुमोदित चिकित्सा अधिकारी से प्राप्त शारीरिक योग्यता का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगा,जिसके दौरान वह महानिदेशक द्वारा नियम 78 के उपबंधों के अधीन अधिसूचित अपेक्षाओं के अनुपालन के आधार पर अपनी चिकित्सा योग्यता प्रमाणित कर लेगा।

(घ) ज्ञान : उसे महानिदेशक, द्वारा विहित पाठ्यक्रम के अनुसार वायुयान विनियम, वायुयान दिक्चालन, विमानन मौसम विज्ञान तथा वायुयान एवं इंजन में लिखित परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी:

परंतु यह कि, वैध निजी पायलट अनुज्ञप्ति (हवाई जहाज या हेलीकॉप्टर) या उच्च श्रेणी के पायलट अनुज्ञप्ति वाले आवेदक को पायलट लॉग बुक में उड़ान प्रशिक्षक या परीक्षक द्वारा यह प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने के बाद खंड (घ) के अधीन सभी पूर्वोक्त परीक्षाओं को उत्तीर्ण करने से छूट दी जाएगी कि पायलट को लाइट स्पोर्ट वायुयान के उड़ान नियंत्रण, गति प्रोफाइल, सिस्टम, इंजन और सीमाओं से पूरी तरह परिचित करा दिया गया है:

परंतु यह भी कि, वैध पायलट अनुज्ञप्ति (ग्लाइडर्स) रखने वाले आवेदक को खंड (घ) में निर्दिष्ट वायुयान विनियमन और विमानन मौसम विज्ञान की परीक्षा से छूट दी जाएगी ।

(ङ) अनुभव : उसे लाइट स्पोर्ट एयरक्राफ्ट पर कम से कम चालीस घंटे की उड़ान का संतोषजनक ढंग से पूरा करने का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा, जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे -

(i) कम से कम बीस घंटे का उड़ान प्रशिक्षण, के साथ -

(क) दो घंटे का दोहरा क्रॉस कंट्री उड़ान प्रशिक्षण;

(ख) कम से कम पचास समुद्री मील की कुल दूरी की एक एकल क्रॉस कंट्री उड़ान, जिसमें कम से कम दो विभिन्न हवाई अड्डों पर फुल स्टॉप लैंडिंग हो और एक उड़ान में कम से कम पच्चीस समुद्री मील की सीधी रेखा दूरी हो;

(ii) अनुज्ञप्ति जारी करने के लिए आवेदन प्रस्तुत करने की तारीख से पूर्व छह मास के भीतर दस बार उड़ान भरने और उतरने के साथ कम से कम दस घंटे की एकल उड़ान।

परंतु यह कि-

I. वर्तमान निजी पायलट अनुज्ञप्ति (हवाई जहाज) या उच्च श्रेणी के अनुज्ञप्ति (हवाई जहाज) के धारक को अनुभव अपेक्षाओं से छूट दी जाएगी।

II. पायलट को आवेदन की तारीख से पहले छह महीनों के भीतर कम से कम एक घंटे की परिचित उड़ानें और उसके बाद कम से कम तीन एकल टेक-ऑफ और लैंडिंग करने की आवश्यकता होगी ।

III. उड़ान, महानिदेशक, द्वारा अनुमोदित एक अनुमोदित परीक्षक या उड़ान प्रशिक्षक की देखरेख में की जाएगी और अनुमोदित परीक्षक या प्रशिक्षक द्वारा अनुज्ञप्ति धारक की लॉगबुक में इसका उल्लेख किया जाएगा।

(च) उड़ान प्रशिक्षण : उसने महानिदेशक द्वारा विहित पाठ्यक्रम के अनुसार उड़ान प्रशिक्षण पूरा कर लिया होगा।

(छ) कौशल : उसने अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन की तारीख से ठीक पहले छह मास की अवधि के भीतर परीक्षक की संतुष्टि के अनुसार उस हेलीकॉप्टर, जिससे अनुज्ञप्ति का आवेदन संबंधित है, के प्रकार पर पाठ्यक्रम में विहित प्रक्रियाओं और कौशल के संबंध में अपनी अर्हता का प्रदर्शन किया हो।

2. वैधता- अनुज्ञप्ति नियम 79 में विनिर्दिष्ट अवधि के लिए वैध होगा। .

3. नवीकरण.- आवेदक का संतोषजनक साक्ष्य प्राप्त होने पर अनुज्ञप्ति का नवीकरण किया जा सकेगा-

(क) पैरा 1 के खंड (ग) के अनुसार चिकित्सा परीक्षण कराया हो; और

(ख) नवीनीकरण के लिए आवेदन की तारीख से ठीक पहले बारह महीनों की अवधि के भीतर लाइट स्पोर्ट एयरक्राफ्ट के पायलट-इन-कमांड के रूप में कम से कम पांच घंटे की उड़ान का समय संतोषजनक ढंग से पूरा किया हो,या आवेदन की तारीख से ठीक पहले छह महीनों की अवधि के भीतर पैराग्राफ1 के खंड (छ) में विहित उड़ान परीक्षण को संतोषजनक ढंग से पूरा किया हो ।

4. वायुयान रेटिंग. - (क) अनुज्ञप्ति में लाइट स्पोर्ट वायुयान की वह श्रेणी और प्रकार दर्शाया जाएगा जिसे धारक उड़ाने का हकदार है।

(ख) सभी प्रकार के लाइट स्पोर्ट वायुयान के लिए खुली रेटिंग भी दी जा सकती है, यदि उसने किसी वायुयान या लाइट स्पोर्ट वायुयान के पायलट-इन-कमांड के रूप में कम से कम सौ घंटे की उड़ान संतोषजनक ढंग से पूरी कर ली हो:

परंतु खुली रेटिंग का विशेषाधिकार केवल तभी प्रयोग किया जाएगा जब वह वायुयान के उड़ान नियंत्रण, गति प्रोफाइल, प्रणालियों, इंजनों और सीमाओं से एक योग्य लाइट स्पोर्ट पायलट द्वारा परिचित हो जाए,जिसके पास पायलट-इन-कमांड का कम से कम एक सौ पचास घंटे का अनुभव हो और इस आशय का प्रमाणपत्र उस वायुयान के योग्य लाइट स्पोर्ट पायलट द्वारा पायलट की लॉग बुक में शामिल किया जाएगा।

5. विशेषाधिकार.- (क) नियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए, 78, 79 और नियम 82 के अनुसार, पायलट अनुज्ञप्ति (लाइट स्पोर्ट एयरक्राफ्ट) धारक के विशेषाधिकार लाइट स्पोर्ट एयरक्राफ्ट के पायलट-इन-कमांड के रूप में कार्य करने के होंगे, जो दृश्य उड़ान नियमों के अधीन उसके अनुज्ञप्ति की एयरक्राफ्ट रेटिंग में शामिल है।

(ख) लाइट स्पोर्ट एयरक्राफ्ट पायलट निम्नलिखित नहीं करेगा, -

(i) किसी यात्री या संपत्ति का परितोषिक या किराये पर वहन करना;

(ii) रात्रि में उडान भर्ना;

(iii) वर्ग घ और ड. उड़ान क्षेत्र (नियंत्रित उड़ान क्षेत्र) में उड़ान भरना, जब तक कि उसके पास वैध फ्लाइट रेडियो टेलीफोनी प्रचालक अनुज्ञप्ति (प्रतिबंधित) न हो और उसे प्रचालन नियंत्रण टावर वाले किसी भी हवाई अड्डे पर प्रचालन के लिए लॉग बुक समर्थन के साथ अनुमोदित प्रशिक्षक द्वारा प्रशिक्षित न किया गया हो;

(iv) समुद्र तल से 10,000 फीट या जमीन स्तर से 2000 फीट की ऊंचाई पर, जो भी अधिक हो, उड़ान भरना;

(v) उड़ान या सतह की दृश्यता 5000 मीटर से कम होने पर उड़ान भरना;

(vi) सतह के दृश्य निर्देश के बिना उड़ान भरना;

(vii) उड़ाए जा रहे वायुयान की उड़नयोग्यता के विशेष प्रमाणपत्र पर लगाई गई किसी प्रचालन परिसीमा के विपरीत उड़ान भरना; और

(viii) पायलट अनुज्ञप्ति या चिकित्सा या किसी अन्य परिसीमा के विपरीत उड़ान भरना।

(ग) पायलट अनुज्ञप्ति (हल्का खेल वायुयान) का धारक,जिसके पास हल्के खेल वायुयान पर कमांड पायलट के रूप में कुल एक सौ घंटों का उड़ान अनुभव है, हल्का खेल वायुयान पर उड़ान प्रशिक्षण दे सकता है, जब कि महानिदेशक द्वारा अनुमोदित परीक्षक द्वारा उसे प्रशिक्षण देने के लिए उपयुक्त माना गया हो।

(घ) उड़ान अनुदेशक रेटिंग (हवाई जहाज) धारक, जिसके पास हल्का खेल वायुयान पर कमांडे पायलट के रूप में कुल पंद्रह घंटे की उड़ान का अनुभव हो, हल्का खेल वायुयान पर अनुदेशात्मक प्रशिक्षण दे सकता है।

भाग झ

पायलट अनुज्ञप्ति (जाइरोप्लेन)

1. अनुज्ञप्ति जारी करने के लिए अपेक्षाएं .- पायलट अनुज्ञप्ति (जाइरोप्लेन) के लिए आवेदक को निम्नलिखित अपेक्षाओं को पूरा करना होगा, अर्थात:

(क) आयु : आवेदन की तारीख को उसकी आयु सत्रह वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए ।

(ख) शैक्षिक अर्हता : किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से दसवीं कक्षा या समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।

(ग) चिकित्सक दृष्टया योग्यता: चिकित्सा जांच करवाने के पश्चात वह विहित प्रोफार्मा पर अनुमोदित चिकित्सा व्यवसायी से प्राप्त शारीरिक अर्हता का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगा,जिसके दौरान उसने महानिदेशक द्वारा नियम 78 के उपबंधों के अधीन यथा अधिसूचित अपेक्षाओं के अनुपालन के आधार पर अपनी चिकित्सक योग्यता प्रमाणित कर ली होगी।

(घ) ज्ञान : वह महानिदेशक द्वारा विहित पाठ्यक्रम के अनुसार वायु विनियम, वायु दिक्चालन, विमानन मौसम विज्ञान तथा वायुयान और इंजन में लिखित परीक्षा उत्तीर्ण करेगा:

परंतु कि, विधिमान्य निजी पायलट अनुज्ञप्ति (हवाई जहाज या हेलीकॉप्टर) या उच्च प्रवर्ग के पायलट अनुज्ञप्ति वाले आवेदक को केवल वायुयान और इंजन में परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी।

(ङ) अनुभव : उसे जाइरोप्लेन के पायलट के रूप में चालीस घंटे से अन्यून की उड़ान का संतोषजनक ढंग से पूरा करने का प्रमाण प्रस्तुत करेगा, जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे -

(i) पंद्रह घंटे से अन्यून का एकल उड़ान समय, जिसमें से दस घंटे से अन्यून का समय आवेदन की तारीख से ठीक पहले बारह मास की अवधि के भीतर पूरा किया गया हों।

(ii) जाइरोप्लेन के अकेले अधिभोगी के रूप में पांच घंटे से अन्यून की क्रॉस कंट्री उड़ान जिसमें एक सौ समुद्री मील से अन्यून की उड़ान शामिल है जिसके क्रम में दो अलग-अलग बिंदुओं पर फुल स्टॉप लैंडिंग की गई होगी। यह उड़ान समय उप-खंड (i) के अधीन आवश्यक उड़ान समय में शामिल किया जा सकता है:

परंतु यह कि,

I. वर्तमान निजी पायलट अनुज्ञप्ति (हेलीकॉप्टर) या उच्च प्रवर्ग के अनुज्ञप्ति (हेलीकॉप्टर) के धारक को अनुभव अपेक्षाओं से छूट दी जाएगी ।

II. पायलट से संतोषजनक ढंग से अभ्यस्त उड़ानें भरना अपेक्षित होगा, जिसके पश्चात कम से कम तीन एकल टेक-ऑफ और लैंडिंग होनी चाहिए।

III. परिचायक उड़ानें महानिदेशक द्वारा प्राधिकृत किसी अनुमोदित परीक्षक या उड़ान अनुदेशक के पर्यवेक्षण के अधीन संचालित की जाएगी।

(च) उड़ान प्रशिक्षण - उसने महानिदेशक द्वारा विहित पाठ्यक्रम के अनुसार उड़ान प्रशिक्षण पूरा कर लिया होगा।

(छ) कौशल- अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन से संबंधित जाइरोप्लेन के प्रकार पर,परीक्षक के समाधान होने पर पाठ्यक्रम में विहित प्रक्रियाओं और दांव-पेंच को निष्पादन में अपनी सक्षमता का प्रदर्शन उसने आवेदन की तारीख से ठीक पहले छह मास की अवधि के भीतर किया होगा।

2. विधिमान्यता.- अनुज्ञप्ति नियम 79 में यथाविनिर्दिष्ट अवधि के लिए विधिमान्य होगा।

3. नवीकरण.- आवेदक का समाधानप्रद साक्ष्य प्राप्त होने पर अनुज्ञप्ति का नवीकरण किया जा सकेगा-

(क) पैरा 1 के खंड (ग) के अनुसार चिकित्सा परीक्षण कराया हो; और

(ख) नवीनीकरण या उसके बदले में आवेदन की तारीख से ठीक पहले छह मास की अवधि के भीतर जाइरोप्लेन के पायलट-इन-कमांड के रूप में पांच घंटे से अन्यून की उड़ान का समय संतोषजनक ढंग से पूरा किया हो; आवेदन की तारीख से ठीक पहले छह मास की अवधि के भीतर पैराग्राफ 1 खंड (छ) में अधिकथित अनुसार उड़ान परीक्षण को समाधानप्रद ढंग से पूरा किया हो ।

4. वायुयान रेटिंग - (क) अनुज्ञप्ति में यह दर्शाया जाएगा कि धारक किस प्रकार का जाइरोप्लेन उड़ाने का हकदार है।

(ख) सभी प्रकार के जाइरोप्लेन के लिए ओपन रेटिंग भी अनुदत्त की जा सकती है, यदि उसने हेलीकॉप्टर या जाइरोप्लेन के पायलट-इन-कमांड के रूप में सौ घंटे से अन्यून की उड़ान संतोषजनक ढंग से पूरी कर ली हो:

परंतु यह कि खुली रेटिंग का विशेषाधिकार केवल तभी प्रयोग किया जाएगा जब किसी ऐसे अर्हित जाइरोप्लेन पायलट के साथ कम से कम 45 मिनट की अवधि की परिचय उड़ान पूरी कर ली हो, जिसके पास पायलट-इन-कमांड का एक सौ पचास घंटे से अन्यून का अनुभव हो और इस आशय का प्रमाणपत्र अर्हित जाइरोप्लेन पायलट द्वारा पायलट की लॉग बुक में अभिलिखित किया जाएगा।

5. विशेषाधिकार- (क) नियम 78, 79 और नियम 82 के उपबंधों के अधीन,पायलट अनुज्ञप्ति (जाइरोप्लेन) धारक के विशेषाधिकार, दृश्य उड़ान नियमों के अधीन उसके अनुज्ञप्ति की वायुयान रेटिंग में प्रविष्ट जाइरोप्लेन के पायलट-इन-कमांड के रूप में कार्य करेंगे।

(ख) जाइरोप्लेन पायलट निम्नलिखित कार्य नहीं करेगा:

(i) किसी यात्री या संपत्ति का पारितोषिक या किराए के लिए उड़ान भरना;

(ii) रात्रि में उड़ना;

(iii) वर्ग घ और ङ उड़ान क्षेत्र (नियंत्रित उड़ान क्षेत्र) में उड़ान नहीं भरेगा, जब तक कि उसके पास विधिमान्य फ्लाइट रेडियो टेलीफोनी प्रचालक अनुज्ञप्ति (निर्बंधित) न हो और उसे किसी

प्रचालन नियंत्रण टावर वाले किसी भी हवाई अड्डे पर प्रचालन के लिए लॉग बुक पृष्ठांकन के साथ अनुमोदित अनुदेशक द्वारा प्रशिक्षित न किया गया हो;

(iv) समुद्र तल से 10,000 फीट या जमीनी स्तर से 2000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर,जो भी अधिक हो,उड़ान भरना;

(v) उड़ान या सतह की दृश्यता 5000 मीटर से कम होने पर उड़ान भरना;

(vi) सतह के दृश्य संदर्भ के बिना उड़ान भरना;

(vii) उड़ाए जा रहे वायुयान के विशेष उड़नयोग्यता प्रमाणपत्र पर लगाई गई किसी प्रचालन सीमा के विपरीत उड़ान भरना; तथा

(viii) पायलट अनुज्ञप्ति की सीमा या चिकित्सा या किसी अन्य सीमा के विपरीत उड़ान भरना।

(ग) दो घंटे की अभ्यस्त उड़ान के पश्चात किसी अन्य प्रकार के जाइरोप्लेन को उस प्रकार के जायरोप्लेन के अर्हित पायलट के पर्यवेक्षण के अधीन उड़ाना तथा इस आशय का प्रमाणपत्र उस वायुयान के अर्हित जाइरोप्लेन पायलट द्वारा पायलट लॉग बुक में अभिलिखित किया जाएगा।

(घ) पायलट अनुज्ञप्ति (जाइरोप्लेन) धारक, जिसके पास जाइरोप्लेन पर पायलट-इन-कमांड के रूप में कुल एक सौ घंटों का उड़ान-समय अनुभव है, जाइरोप्लेन पर उड़ान अनुदेशन दे सकता है, परंतु कि महानिदेशक द्वारा अनुमोदित परीक्षक द्वारा उसे प्रशिक्षण देने के लिए उपयुक्त निर्धारित किया गया हो।

(ङ) उड़ान अनुदेशक रेटिंग (हेलीकॉप्टर) धारक, जिसके पास जाइरोप्लेन पर पायलट-इन-कमांड के रूप में कुल 15 घंटे का उड़ान-समय अनुभव हो,जाइरोप्लेन पर अनुदेशात्मक प्रशिक्षण दे सकता है।

भाग ञ

वाणिज्यिक पायलट अनुज्ञप्ति (हवाई जहाज)

1. अनुज्ञप्ति जारी करने के लिए अपेक्षाएं.- वाणिज्यिक पायलट अनुज्ञप्ति (हवाई जहाज) के लिए आवेदक को निम्नलिखित अपेक्षाओं को पूरा करना होगा:–

(क) आयु : आवेदन की तारीख को उसकी आयु अठारह वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।

(ख) शैक्षिक अर्हता : उसने किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से भौतिक विज्ञान और गणित के साथ बारहवीं या समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण की हो।

(ग) चिकित्सा दृष्टया योग्यता : चिकित्सा जांच करवाने के पश्चात वह विहित प्रोफार्मा पर अनुमोदित चिकित्सा बोर्ड से प्राप्त शारीरिक स्वस्थता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगा,जिससे वह नियम 78 के उपबंधों के अनुसार महानिदेशक द्वारा यथा अधिसूचित अपेक्षाओं के अनुपालन के आधार पर अपनी चिकित्सा दृष्यता योग्यता प्रमाणित कर लेगा।

(घ) ज्ञान : महानिदेशक द्वारा विहित पाठ्यक्रम के अनुसार उसे वायुयान विनियमन, वायुयान दिक्चालन, विमानन मौसम विज्ञान, वायुयान और इंजन तथा सिगनल्स (व्यावहारिक) में लिखित परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी, जिसमें श्रवण और दृश्य संकेतों का निर्वचन की जा सके:

परंतु यह कि वर्तमान वाणिज्यिक पायलट अनुज्ञप्ति (हेलीकॉप्टर) धारक को केवल वायुयान और इंजन में परीक्षा उत्तीर्ण करना अपेक्षित होगा ।

(ङ) अनुभव : अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन की तारीख को वायुयान के पायलट के रूप में दो सौ घंटे से अन्यून का उड़ान-समय अनुभव समाधानप्रद ढंग से पूरा करने का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा,जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे-

(i) पायलट-इन-कमांड के रूप में एक सौ घंटे से अन्यून का उड़ान-समय, जिसमें से पंद्रह घंटे से अन्यून अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन की तारीख से ठीक पहले छह मास की अवधि के भीतर पूरे किए गए हों;

(ii) पायलट-इन-कमांड के रूप में बीस घंटे से अन्यून की क्रॉस-कंट्री उड़ान-समय, जिसमें तीन सौ समुद्री मील से अन्यून की क्रॉस-कंट्री उड़ान शामिल है, जिसके दौरान दो अलग-अलग हवाई अड्डों पर फुल स्टॉप लैंडिंग की गई होगी;

(iii) प्रशिक्षण समय का दस घंटे से अन्यून का समय, जिसमें से अधिकतम पांच घंटे से अनधिक का अनुमोदित पर हो सकते हैं; तथा

(iv) रात्रि में उड़ान का कम से कम पांच घंटे से अन्यून का समय,जिसमें अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन की तारीख से ठीक पहले छह मास के भीतर पायलट-इन-कमांड (नियंत्रण के एकमात्र प्रचालक के रूप में) के रूप में न्यूनतम दस टेक-ऑफ और दस लैंडिंग शामिल हैं:

परंतु यह कि ऐसे आवेदक के मामले में जिसके पास वाणिज्यिक पायलट अनुज्ञप्ति (हेलीकॉप्टर) या एयरलाइन परिवहन पायलट अनुज्ञप्ति (हेलीकॉप्टर) है और जिसने हेलीकॉप्टर के पायलट-इन-कमांड के रूप में 1000 घंटे से अन्यून की उड़ान का समय समाधानप्रद ढंग से पूरा कर लिया है, वायुयान के पायलट के रूप में दो सौ घंटे की उपर्युक्त अनुभव आवश्यकता को घटाकर एक सौ घंटे कर दिया जाएगा,जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे -

(i) पायलट-इन-कमांड के रूप में पचहत्तर घंटे से अन्यून का उड़ान समय,जिसमें पच्चीस घंटे से अन्यून का क्रॉस कंट्री उड़ान-समय और दस घंटे का उपकरण समय शामिल है,जिसमें से पांच घंटे से अन्यून का अनुमोदित सिम्युलेटर पर हों ;

(ii)अनुज्ञप्ति जारी करने के लिए आवेदन की तारीख से ठीक पहले छह मास की अवधि के भीतर पायलट-इन-कमांड के रूप में रात में उड़ान का पांच घंटे से अन्यून का अनुभव, जिसमें दस टेकऑफ़ और लैंडिंग पैटर्न शामिल हैं; और

(iii)अनुज्ञप्ति जारी करने के लिए आवेदन की तारीख से ठीक पहले छह मास की अवधि के भीतर वायुयान पर पायलट-इन-कमांड के रूप में दस घंटे से अन्यून का उड़ान-समय ।

(च) उड़ान प्रशिक्षण : उसने महानिदेशक द्वारा विहित पाठ्यक्रम के अनुसार उड़ान प्रशिक्षण पूरा कर लिया हो।

(छ) अन्य अपेक्षाएं : उसके पास महानिदेशक द्वारा जारी, वायुयान पर रेडियो टेलीफोन उपस्कर के प्रचालन के लिए वर्तमान उड़ान रेडियो टेलीफोन प्रचालक, अनुज्ञप्ति होनी चाहिए।

(ज) कौशल : **I.** उसे आवेदन की तारीख से ठीक पहले छह मास की अवधि के भीतर पाठ्यक्रम में विहित प्रक्रियाओं और दांव पेचों को परीक्षक की संतुष्टि के अनुसार करने की अपनी सक्षमता का प्रदर्शन करना होगा,जिस प्रकार के वायुयान की अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन किया गया है।

II. महानिदेशक, हवाई जहाज के प्रकार के लिए कौशल परीक्षण के संचालन के लिए अनुमोदित वायुयान या अनुमोदित शून्य उड़ान समय प्रशिक्षण अनुकलक स्तर 'घ' या समतुल्य या उच्चतर स्तर पर कौशल परीक्षण या उसके हिस्से को संचालित करने का अनुमति दे सकते हैं तथा सक्षमता का प्रदर्शन इस प्रकार किया जाएगा-

(i) दिन में साधारण उड़ान परीक्षण;

(ii) रात्रि में साधारण उड़ान परीक्षण;

(iii) दिन में क्रॉस-कंट्री उड़ान परीक्षण जिसमें दो सौ पचास से अन्यून की समुद्री मील की उड़ान शामिल होगी, जिसके दौरान प्रस्थान के हवाई अड्डे से भिन्न किसी अन्य हवाई अड्डे पर कम से कम एक बार फुल स्टॉप लैंडिंग की जाएगी; तथा

(iv) रात्रि में क्रॉस-कंट्री उड़ान परीक्षण जिसमें एक सौ बीस से अन्यून की समुद्री मील की उड़ान शामिल होगी तथा अन्य स्थान पर लैंडिंग के बिना प्रस्थान स्थान पर वापस लौटना होगा।

2. वैधता.- अनुज्ञप्ति नियम 79 में यथा विनिर्दिष्ट अवधि के लिए विधिमान्य होगी ।

3. नवीकरण.- आवेदक का समाधानप्रद साक्ष्य प्राप्त होने पर अनुज्ञप्ति का नवीकरण किया जा सकेगा-

(क) पैरा 1 के खंड (ग) के अनुसार चिकित्सा परीक्षण कराया हो;

(ख) नवीकरण के लिए आवेदन की तारीख से ठीक पहले छह मास की अवधि के भीतर पायलट-इन-कमांड के रूप में दस घंटे से अन्यून का उड़ान समय समाधानप्रद ढंग से पूरा किया हो (सह-पायलट के रूप में उड़ान समय का पचास प्रतिशत पायलट-इन-कमांड के रूप में उड़ान समय की आवश्यकता के लिए गिना जा सकता है); या इसके बदले में, उसी अवधि के भीतर पैरा 1 के खंड (ज) के अनुसार दिन और रात में साधारण उड़ान परीक्षण समाधानप्रद ढंग से पूरा किया हो;

(ग) महानिदेशक, द्वारा जारी, वायुयान पर रेडियो टेलीफोन उपस्कर के प्रचालन के लिए वर्तमान उड़ान रेडियो टेलीफोन प्रचालक, अनुज्ञप्ति हो।

4. वायुयान रेटिंग. - (क) अनुज्ञप्ति में यह दर्शाया जाएगा कि धारक किस वर्ग या प्रकार के हवाईजहाज को उड़ाने का हकदार है।

(ख) हवाईजहाज के वर्ग या टाइप रेटिंग्स को जारी करने के लिए अपेक्षाएं महानिदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएंगी।

(ग) प्रशिक्षक रेटिंग :- अनुदेशक की रेटिंग धारक को उड़ान अनुदेश देने का हकदार बनाती है। इन रेटिंग को जारी करने के लिए विशेषाधिकार और शर्तें धारा त और थ में अधिकथित हैं।

(घ) उपकरण रेटिंग : उपकरण रेटिंग धारक को उपकरण उड़ान अनुदेशों के अधीन उड़ान भरने का अधिकार देती है। इस रेटिंग को जारी करने की शर्तें धारा ढ में अधिकथित की गई हैं ।

5. वायुयान रेटिंग का विस्तार. - अतिरिक्त वर्ग या प्रकार के हवाई जहाज को शामिल करने के लिए वायुयान रेटिंग के विस्तार के लिए, आवेदक को पैरा 1 के खंड (घ) में उल्लिखित वायुयान और इंजन में लिखित परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी और उचित पर्यवेक्षण के अधीन, पाठ्यक्रम के अनुसार इस प्रकार के वायुयान या अनुमोदित उड़ान अनुकूलक पर उड़ान भरने का प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा, उसके पश्चात महानिदेशक द्वारा यथा विहित कौशल परीक्षण होगा।

6. विशेषाधिकार.- अनुज्ञप्ति में पृष्ठांकनों और रेटिंग की विधिमान्यता और नियम 78, 79 और 82 के संबंधित उपबंधों के अनुपालन के अध्यधीन वाणिज्यिक पायलट अनुज्ञप्ति (हवाई जहाज) धारक के विशेषाधिकार निम्नलिखित होंगे:–

(क) हवाई जहाज में निजी पायलट अनुज्ञप्ति (हवाई जहाज) के सभी विशेषाधिकारों का प्रयोग करना जो उनकी अनुज्ञप्ति के वायुयान रेटिंग में प्रविष्ट हैं;

(ख) वाणिज्यिक वायु यातायात से भिन्न अन्य कार्यों में लगे किसी भी हवाई जहाज के पायलट-इन-कमांड के रूप में कार्य करना ;

(ग) उनकी अनुज्ञप्ति के वायुयान रेटिंग में प्रविष्ट और एकल-पायलट प्रचालन के लिए प्रमाणित किसी हवाई जहाज पर वाणिज्यिक वायु यातायात वायुयान के पायलट-इन-कमांड के रूप में कार्य करना:

परंतु यह भी कि एकल-पायलट प्रचालन प्रमाणित हवाई जहाज जो जटिल हवाई जहाज के रूप में अर्हित है, पर महानिदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट कमांड उन्नयन प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूरा करना होगा:

परंतु यह और कि जब यात्रियों को रात में ले जाना हो,तब आशयित उड़ान की तारीख के ठीक छह मास पहले पायलट-इन-कमांड के रूप में रात्रि में दस टेक ऑफ और दस लैंडिंग की हो।

(घ) किसी ऐसे वायुयान के सह-पायलट के रूप में कार्य करना, जहां सह-पायलट को ले जाना अपेक्षित हो तथा जो उसके अनुज्ञप्ति की वायुयान रेटिंग में शामिल हो:

परंतु यह कि इंस्ट्रूमेंट उड़ान नियम के अधीन सभी उड़ानों के लिए,चाहे पायलट-इन-कमांड के रूप में या सह-पायलट के रूप में,उसके पास वर्तमान इंस्ट्रूमेंट रेटिंग होगी:

परंतु यह और कि पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त करने पर ऐसे विशेषाधिकार निजी पायलट अनुज्ञप्ति (वायुयान) तक ही सीमित रहेंगे।

भाग ट

वाणिज्यिक पायलट अनुज्ञप्ति (हेलीकॉप्टर)

1. अनुज्ञप्ति जारी करने के लिए अपेक्षाएं.- वाणिज्यिक पायलट अनुज्ञप्ति (हेलीकॉप्टर) के लिए आवेदक को निम्नलिखित अपेक्षाएं पूरी करनी होंगी,अर्थात:–

(क) आयु - आवेदन की तारीख को उसकी आयु अठारह वर्ष से कम नहीं होगी।

(ख) शैक्षिक अर्हताएं - किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से भौतिक विज्ञान और गणित के साथ बारहवीं कक्षा या इसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की होगी।

(ग) चिकित्सा दृष्टया योग्यता - उसे चिकित्सा जांच करवाने के पश्चात विहित प्रोफार्मा पर अनुमोदित चिकित्सा बोर्ड से शारीरिक स्वस्थता का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा, जिसके दौरान उसने महानिदेशक द्वारा नियम 78 के उपबंधों के अधीन अधिसूचित अपेक्षाओं के अनुपालन के आधार पर अपनी चिकित्सा दृष्टया योग्यता प्रमाणित कर ली होगी।

(घ) ज्ञान - महानिदेशक द्वारा विहित पाठ्यक्रम के अनुसार वायुयान विनियमन,वायुयान दिक्चालन,विमानन मौसम विज्ञान,वायुयान तथा इंजन और सिग्नल (व्यावहारिक) परीक्षा में लिखित परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी,जिसमें श्रवण और दृश्य संकेतों का निर्वचन की जा सके:

परंतु चालू वाणिज्यिक पायलट अनुज्ञप्ति (वायुयान) या उच्चतर श्रेणी की पायलट अनुज्ञप्ति रखने वाले आवेदक को केवल वायुयान और इंजन में परीक्षा उत्तीर्ण करना अपेक्षित होगा।

(ङ) अनुभव - उसे एक हेलिकॉप्टर या हेलिकॉप्टरों के पायलट के रूप में एक सौ पचास घंटे से अन्यून की उड़ान का अनुभव समाधानप्रद ढंग से पूरा करने का साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा, जिसमें कम से कम निम्नलिखित शामिल होंगे-

(i) हेलिकॉप्टर के पायलट-इन-कमांड के रूप में कम से कम पचास घंटे की उड़ान का अनुभव;

(ii) हेलिकॉप्टर के पायलट-इन-कमांड के रूप में कम से कम दस घंटे की देश के बाहर उड़ान का अनुभव;

(iii) अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन की तारीख से ठीक पहले छह मास की अवधि के भीतर हेलीकॉप्टर के पायलट-इन-कमांड के रूप में कम से कम दस घंटे की उड़ान का समय; जिसमें रात में कम से कम पांच घंटे की उड़ान का समय है, जिसमें रात में कम से कम दस बार उड़ान भरना और दस बार उतरना शामिल होगा:

(iv) इन्स्ट्रुमेंट अनुदेश समय के कम से कम दस घंटे, जिसमें अधिकतम पांच घंटे से इन्स्ट्रुमेंट ग्राउंड समय होगा:

परंतु कि कोई व्यक्ति जो वाणिज्यिक पायलट अनुज्ञप्ति (वायुयान) या एयरलाइन परिवहन पायलट अनुज्ञप्ति (वायुयान) का धारक है, उसे हेलीकॉप्टर पर अस्सी घंटे से अन्यून का उड़ान पूरी करनी होगी, जिसमें पायलट-इन-कमांड के रूप में बीस घंटे से अन्यून का उड़ान शामिल है,जिसमें पांच घंटे से अन्यून का क्रॉस कंट्री समय,और पांच घंटे से अन्यून की रात की उड़ान शामिल है,जिसमें अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन की तारीख से ठीक पहले छह मास की अवधि के भीतर दस बार से अन्यून का उड़ान भरना और दस बार उतरना शामिल है।

(च) उड़ान प्रशिक्षण - महानिदेशक द्वारा विहित पाठ्यक्रम के अनुसार उड़ान प्रशिक्षण पूरा कर लिया होगा।

(छ) अन्य अपेक्षाएं - महानिदेशक द्वारा जारी की गई, वायुयान पर रेडियो टेलीफोन इंस्ट्रमेंट के प्रचालन के लिए चालू उड़ान रेडियो टेलीफोन प्रचालक की अनुज्ञप्ति होनी चाहिए।

(ज) कौशल - उसे,अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन से संबंधित हेलीकॉप्टर के प्रकार पर,अनुमोदित परीक्षक का समाधान से जाने के लिए पाठ्यक्रम में विहित प्रक्रियाओं और दांव पेंचो को दिन और रात में करने की अपनी अर्हता का प्रदर्शन आवेदन की तारीख से तुरंत पहले छह मास की अवधि के भीतर करना होगा:

परंतु महानिदेशक, कौशल परीक्षण या उसके किसी भाग को अनुमोदित स्तर घ या समतल्य या उच्चतर स्तर पर संचालित उड़ान अनुकूलक जो हेलीकॉप्टर के प्रकार के लिए कौशल परीक्षण के करने हेतु अनुमोदित किया गया, करने की अनुमति दे सकते हैं। ।

2. विधिमान्यता.- अनुज्ञप्ति नियम 79 में विनिर्दिष्ट अवधि के लिए विधिमान्य होगी ।

3. नवीकरण.- आवेदक के समाधानप्रद साक्ष्य प्राप्त होने पर अनुज्ञप्ति का नवीकरण किया जा सकता है -

(क) पैरा 1 के खंड (ग) के अनुसार चिकित्सा जांच करा चुका हो ।

(ख) नवीकरण के लिए आवेदन की तारीख से तुरंत पहले छह मास की अवधि के भीतर हेलीकॉप्टर के पायलट-इन-कमांड के रूप में पांच घंटे से अन्यून की उड़ान का समय समाधानप्रद पूरा कर लिया हो (सह-पायलट के रूप में उड़ान समय का पचास प्रतिशत पायलट-इन-कमांड के रूप में उड़ान समय की अपेक्षाओं के लिए गिना जा सकता है), या इसके स्थान पर उसी अवधि के भीतर पैरा1 खंड (ज) में अधिलिखित उड़ान परीक्षणों को समाधानप्रद पूरा कर लिया हो ।

(ग) महानिदेशक द्वारा जारी वायुयान पर रेडियो टेलीफोन उपकरणों के प्रचालन के लिए चालू फ्लाइट रेडियो टेलीफोन प्रचालक का अनुज्ञप्ति धारक हो ।

4. रेटिंग.- (क) वायुयान रेटिंग: (i) अनुज्ञप्ति में हेलीकॉप्टर का वह प्रकार दर्शाया जाएगा जिसे धारक उड़ाने का हकदार है।

(ii) हेलीकाप्टर प्रकार रेटिंग्स को जारी करने संबंधी अपेक्षाएं महानिदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएंगी। (ख) अनुदेशक की रेटिंग - अनुदेशक की रेटिंग धारक को उसके अनुज्ञप्ति की वायुयान रेटिंग में दर्ज हेलीकॉप्टरों के प्रकारों पर उड़ान अनुदेश देने का अधिकार देती है और इन रेटिंग्स के जारी करने के लिए विशेषाधिकार और शर्तें इस अनुसूची की धारा त और थ में अधिकथित की गई हैं।

(ग) इंस्ट्रूमेंट रेटिंग: इंस्ट्रूमेंट रेटिंग धारक को इंस्ट्रूमेंट उड़ान नियम के अधीन उड़ान भरने का अधिकार देती है। रेटिंग जारी करने की शर्तें इस अनुसूची की धारा ण में अधीन की गई हैं।

5. वायुयान रेटिंग का विस्तार.- अतिरिक्त प्रकार के हेलीकॉप्टर को शामिल करने के लिए वायुयान रेटिंग के विस्तार के लिए, आवेदक को पैरा 1 के खंड (घ) के उल्लिखित वायुयान और इंजन में लिखित परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी और उचित पर्यवेक्षण के अधीन पाठ्यक्रम के अनुसार इस प्रकार के वायुयान या अनुमोदित उड़ान अनुकूलक पर उड़ान भरने का प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा,उसके बाद महानिदेशक, द्वारा यथा विनिर्दिष्ट कौशल परीक्षण होगा।

6. विशेषाधिकार.- अनुज्ञप्ति में पृष्ठांकनों और रेटिंग की वैधता के अधीन और नियम 78, 79 और 82 के सुसंगत उपबंधों के अनुपालन, वाणिज्यिक पायलट अनुज्ञप्ति (हेलीकॉप्टर) धारक के निम्नलिखित विशेषाधिकार होंगे-

(i) अपनी अनुज्ञप्ति के वायुयान रेटिंग्स में शामिल हेलीकॉप्टर के निजी पायलट अनुज्ञप्ति (हेलीकॉप्टर) के सभी विशेषाधिकारों का प्रयोग करना;

(ii) वाणिज्यिक वायुयान परिवहन से भिन्न अन्य कार्यों में लगे किसी भी हेलीकॉप्टर में पायलट-इन-कमांड के रूप में कार्य करना ;

(iii) अपने अनुज्ञप्ति के वायुयान रेटिंग्स और एकल-पायलट प्रचालन के लिए प्रमाणित किसी भी हेलीकॉप्टर में वाणिज्यिक हवाई परिवहन में पायलट-इन-कमांड के रूप में कार्य करना:

परंतु एकल-पायलट प्रचालन, प्रमाणित हेलीकॉप्टर जो जटिल हेलीकॉप्टर के रूप में अर्हित0 है, पर महानिदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट कमांड उन्नयन प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूरा करना होगा; और

(iv) वाणिज्यिक हवाई परिवहन में सह-पायलट के रूप में कार्य करना, जिसमें हेलीकॉप्टरों को सह-पायलट के साथ प्रचालित किया जाना अपेक्षित हो:

परन्तु जब यात्रियों को रात्रि में ले जाया जाना हो तो उसे आशयित उड़ान की तारीख से ठीक पहले छह माह की अवधि के भीतर हेलीकॉप्टर के पायलट-इन-कमांड के रूप में रात्रि में दस बार से अन्यून की उड़ान भरनी और दस बार लैंडिंग करनी होगी:

परंतु यह भी कि पायलट-इन-कमांड या सह-पायलट के रूप में इंस्ट्रूमेंट फ्लाइट नियमों के अधीन सभी उड़ानों के लिए उसे चालू इंस्ट्रूमेंट रेटिंग की अपेक्षा होगी:

परंतु यह और कि पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त करने पर ऐसे विशेषाधिकार निजी पायलट अनुज्ञप्ति (हेलीकॉप्टर) तक ही निर्बंधित रहेंगे।

भाग ठ

एयरलाइन परिवहन पायलट अनुज्ञप्ति (हवाईजहाज)

1. अनुज्ञप्ति जारी करने संबंधी अपेक्षाएं.– एयरलाइन परिवहन पायलट अनुज्ञप्ति के लिए आवेदक को निम्नलिखित अपेक्षाओं का समाधान करना होगा:–

(क) आयु- आवेदन की तारीख को उसकी आयु इक्कीस वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए;

(ख) शैक्षिक अर्हता - किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से भौतिक विज्ञान और गणित के साथ बारहवीं कक्षा या इसके समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण की हो ।

(ग) चिकित्सा दृष्टया योग्यता- उसे चिकित्सा जांच करवाने के पश्चात विहित प्रोफार्मा पर अनुमोदित चिकित्सा बोर्ड से शारीरिक स्वस्थता का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा, जिसके दौरान उसे महानिदेशक द्वारा नियम 78 के उपबंधों के अधीन यथा अधिसूचित अपेक्षाओं के अनुपालन के आधार पर अपनी चिकित्सा स्वस्थता स्थापित करनी होगी ;

(घ) ज्ञान - उसने महानिदेशक द्वारा विहित पाठ्यक्रम के अनुसार वायुयान विनियम,वायुयान दिक्चालन, वैमानिकी (रेडियो उपस्कर और इंस्ट्रमेंट),विमानन मौसम विज्ञान और वायुयान और इंजन, और सिग्नल (व्यावहारिक) परीक्षा में लिखित परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी,जिसमें श्रवण और दृश्य संकेतों का निर्वचन किया जा सके :

परंतु चालू वाणिज्यिक पायलट अनुज्ञप्ति धारक को वायुयान विनियम में परीक्षा उत्तीर्ण करना अपेक्षित नहीं होगा।

(ङ) अनुभव - उसे हवाई जहाज के पायलट के रूप में कम से कम एक हजार पांच सौ घंटे की उड़ान का समाधानप्रद अनुभव पूरा करने का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा और उसके कुल उड़ान अनुभव में निम्नलिखित शामिल होंगे -

(i) पर्यवेक्षणाधीन पायलट-इन-कमांड के रूप में पांच सौ घंटों से अन्यून का अनुभव, जो चेक पायलट की उड़ान अनुभव अपेक्षाओं को पूरा करता हो, या दो सौ पचास घंटे, या तो पायलट-इन-कमांड के रूप में या पायलट-इन-कमांड के रूप में सत्तर घंटे से अन्यून का और पायलट-इन-कमांड के रूप में आवश्यक अतिरिक्त उड़ान समय, जो ऐसे पायलट के पर्यवेक्षण में हो जो चेक पायलट की उड़ान अनुभव अपेक्षाओं को पूरा करता हो;

टिप्पण: जहां किसी वायुयान को वायुयान की उड़ान नियमावली के उपबंधों के अनुसार सह-पायलट के साथ प्रचालित किया जाना अपेक्षित है, वहां सह-पायलट के उड़ान समय के पचास प्रतिशत से अनधिक का समय अनुज्ञप्ति जारी करने के लिए अपेक्षित कुल उड़ान समय में जमा किया जाएगा, किन्तु पर्यवेक्षण के अधीन सह-पायलट के उड़ान समय का पचास प्रतिशत से अनधिक का समय अनुज्ञप्ति जारी करने के लिए अपेक्षित पायलट-इन-कमांड उड़ान अनुभव में जमा किया जाएगा, और अनुज्ञप्ति जारी करने के लिए अपेक्षित ऐसे कुल उड़ान समय में इस प्रकार की उड़ान के लिए पूर्णतया जमा में किया जाएगा।

(ii) दो सौ घंटे का क्रॉस कंट्री उड़ान समय,जिसमें से सौ घंटे से अन्यून का पायलट-इन-कमांड के रूप में या पर्यवेक्षण के अधीन पायलट-इन-कमांड के रूप में हों;

(iii) रात्रि में कम से कम सौ घंटे की उड़ान;

(iv) वास्तविक या सिमुलेटिड इंस्ट्रूमेंट स्थितियों के अधीन इंस्ट्रमेंट समय के पचहत्तर घंटे से अन्यून का, जिसमें वास्तविक उड़ान के पचास घंटे से अन्यून का होंगे;

(v) अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन की तारीख से ठीक पहले छह मास की अवधि के भीतर बीस घंटे से अन्यून की उड़ान पूरी की हो ।

(च) अन्य अपेक्षाएं: (i) वह वाणिज्यिक पायलट अनुज्ञप्ति धारक हो परंतु यह सशस्त्र बलों के पायलट को एयरलाइन परिवहन पायलट अनुज्ञप्ति जारी करने के लिए लागू नहीं होगा जो अन्यथा अपेक्षाओं को पूरा करता हों;

(ii) उसके पास बहु-इंजन वाले वायुयान पर चाल इंस्ट्रूमेंट रेटिंग होगी;

(iii) उसके पास महानिदेशक द्वारा जारी की गई वायुयान पर रेडियो टेलीफोन इंस्ट्रमेंट के प्रचालन के लिए चाल उड़ान रेडियो टेलीफोन प्रचालक अनुज्ञप्ति होनी चाहिए।

(छ) कौशल: उसके बहु-इंजन प्रकार के वायुयान पर परीक्षक की संतुष्टि के लिए पाठ्यक्रम में विहित प्रक्रियाओं और दांव-पेचों को दिन और रात में करने की अपनी सक्षमता का प्रदर्शन अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन की तारीख से ठीक पहले छह मास की अवधि के भीतर होगा:

परंतु महानिदेशक वायुयान के प्रकार के लिए कौशल परीक्षण करने के लिए वायुयान या अनुमोदित शून्य उड़ान समय प्रशिक्षण अनुकूलक स्तर 'घ' या समतुल्य या उच्चतर स्तर पर कौशल परीक्षण या उसके किसी भाग को संचालित करने की अनुमति दे सकते हैं।

टिप्पण- महानिदेशक द्वारा जारी की गई चालू वाणिज्यिक पायलट अनुज्ञप्ति (हवाई जहाज) धारक को एयरलाइन परिवहन पायलट अनुज्ञप्ति (हवाई जहाज) जारी करने के लिए साधारण उड़ान परीक्षण से गुजरने की अपेक्षा नहीं होगी:

परंतु अनुज्ञप्ति, वाणिज्यिक पायलट अनुज्ञप्ति (हवाई जहाज) की वायुयान रेटिंग में शामिल बहु-इंजन हवाई जहाज या हवाई जहाजों के प्रकार पर जारी की गई हो और पायलट के पास पिछले छह मास के भीतर कम से कम एक ऐसे बहु-इंजन के वायुयान प्रकार पर पायलट-इन-कमांड के रूप में दस घंटे या सह-पायलट के रूप में बीस घंटे उड़ान का अनुभव हो ।

2. विधिमान्यता.- अनुज्ञप्ति नियम 79 में विनिर्दिष्ट अवधि के लिए विधिमान्य होगी।

3. नवीकरण.- आवेदक के समाधानप्रद साक्ष्य प्राप्त होने पर अनुज्ञप्ति का नवीकरण किया जा सकेगा-

(क) पैरा 1 के खंड (ग) के अनुसार चिकित्सा परीक्षण कराया हो।

(ख) नवीकरण के लिए आवेदन की तारीख से ठीक पहले छह मास की अवधि के भीतर या उसके स्थान पर पायलट- इन-कमांड के रूप में दस घंटे से अन्यून का उड़ान समय समाधानप्रद ढंग से पूरा किया हो (सह-पायलट के रूप में उड़ान समय का पचास प्रतिशत पायलट-इन-कमांड के रूप में उड़ान समय की अपेक्षाओं के लिए गिना जा सकता है); उसी अवधि के भीतर पैरा 1 के खंड (छ) में अधिकथित अनुसार दिन और रात में उड़ान परीक्षण संतोषजनक ढंग से पूरा किया हो।

(ग) महानिदेशक द्वारा जारी वायुयान पर रेडियो टेलीफोन उपकरणों के प्रचालन के लिए चालू फ्लाइट रेडियो टेलीफोन प्रचालक का अनुज्ञप्ति धारक।

(घ) बहु-इंजन वाले वायुयान पर चालू इंस्ट्रूमेंट रेटिंग होना।

4. रेटिंग.- (क) वायुयान रेटिंग : (i) अनुज्ञप्ति में यह दर्शाया जाएगा कि धारक किस वर्ग या किस प्रकार के वायुयान उड़ाने का हकदार है।

(ii) वायुयान के वर्ग या प्रकार रेटिंग्स को जारी करने संबंधी अपेक्षाएं महानिदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएंगी।

(ख) अनुदेशक की रेटिंग: अनुदेशक की रेटिंग धारक को उड़ान प्रशिक्षण देने का अधिकार देती है और इन रेटिंगों के जारी करने के लिए विशेषाधिकार और शर्तें धारा त और थ में अधिकथित की गई हैं;

(ग) इंस्ट्रूमेंट रेटिंग: इंस्ट्रूमेंट रेटिंग एयरलाइन परिवहन पायलट अनुज्ञप्ति का हिस्सा होगी और इसलिए कोई अलग इंस्ट्रूमेंट रेटिंग जारी नहीं की जाएगी, तथापि, इंस्ट्रूमेंट रेटिंग को इस अनुसूची की धारा ढ के उपबंधों के अनुसार नवीनीकृत किया जाएगा ।

5. वायुयान रेटिंग का विस्तार.- अतिरिक्त वर्ग या प्रकार के हवाई जहाज को शामिल करने के लिए वायुयान रेटिंग के विस्तार के लिए, आवेदक को पैरा 1 के खंड (घ) में उल्लिखित वायुयान और इंजन में लिखित परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी और उचित पर्यवेक्षण के अधीन, पाठ्यक्रम के अनुसार इस प्रकार के वायुयान या अनुमोदित उड़ान अनुकूलक पर उड़ान भरने का अनुमोदित प्रशिक्षण संगठन में प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा, उसके पश्चात महानिदेशक द्वारा यथा विनिर्दिष्ट कौशल परीक्षण होगा।

6. विशेषाधिकार .— अनुज्ञप्ति में पृष्ठांकनों और रेटिंग्स की विधिमान्यता और नियम 78, 79 और 82 के संगत उपबंधों के अनुपालन के अधीन एयरलाइन परिवहन पायलट अनुज्ञप्ति (वायुयान) धारक के निम्नलिखित विशेषाधिकार होंगे-

(क) अपनी अनुज्ञप्ति के वायुयान रेटिंग्स में शामिल वाणिज्यिक पायलट अनुज्ञप्ति (हवाईजहाज) और निजी पायलट अनुज्ञप्ति (हवाईजहाज) के विशेषाधिकारों का प्रयोग करना;

(ख) एक से अधिक पायलट के साथ प्रचालन के लिए प्रमाणित किसी हवाई जहाज के वाणिज्यिक हवाई परिवहन में पायलट-इन-कमांड के रूप में कार्य करना,जो उसके अनुज्ञप्ति की वायुयान रेटिंग में शामिल है,परंतु यह कि वह निम्नलिखित शर्तों का पूर्व अनुपालन करता हो,अर्थात:-

(i) उसने महानिदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट कमांड अद्यतन प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया हो; और

(ii) किसी भी आईएफआर उड़ान को संचालित करने से पहले उसके पास चालू इंस्ट्रूमेंट रेटिंग होनी चाहिए:

परंतु पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त करने पर, ऐसे विशेषाधिकार धारा ग के उपबंधों के अनुसार निजी पायलट अनुज्ञप्ति (हवाई जहाज) के विशेषाधिकारों तक निर्बंधित हो जाएंगे।

भाग ड

एयरलाइन परिवहन पायलट अनुज्ञप्ति (हेलीकॉप्टर)

1. अनुज्ञप्ति जारी करने संबंधी अपेक्षाएं.- एयरलाइन परिवहन पायलट अनुज्ञप्ति (हेलीकॉप्टर) के लिए आवेदक को निम्नलिखित अपेक्षाओं को पूरा करना होगा,अर्थात :-

(क) आयुः आवेदन की तारीख को उसकी आयु इक्कीस वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए ।

(ख) शैक्षणिक अर्हताः किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय से भौतिक विज्ञान और गणित के साथ बारहवीं कक्षा या इसके समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण की हो ;

(ग) चिकित्सा दृष्टया योग्यता- उसे चिकित्सा जांच करवाने के पश्चात विहित प्रोफार्मा में अनुमोदित चिकित्सा बोर्ड से शारीरिक स्वस्थता का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा,जिसके दौरान वह महानिदेशक द्वारा नियम 78 के उपबंधों के अधीन यथा अधिसूचित अपेक्षाओं के अनुपालन के आधार पर अपनी चिकित्सा दृष्टया योग्यता स्थापित करेगा;

(घ) ज्ञान - उसने महानिदेशक द्वारा विहित पाठ्यक्रम वायुयान विनियम,वायुयान दिक्चालन, वैमानिकी (रेडियो उपस्कर और इंस्ट्रूमेंट),विमानन मौसम विज्ञान और वायुयान और इंजन, और सिग्नल (व्यावहारिक) परीक्षा में लिखित परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी,जिसमें श्रवण और दृश्य संकेतों का निर्वचन किया जा सके:

परंतु कि-

(i) चालू वाणिज्यिक पायलट अनुज्ञप्ति (हवाई जहाज या हेलीकॉप्टर) धारक को वायुयान विनियम में परीक्षा उत्तीर्ण अपेक्षित नहीं होगा,

(ii) वाणिज्यिक पायलट अनुज्ञप्ति (हवाई जहाज) धारकों को हेलीकॉप्टरों पर वायुयान और इंजन में परीक्षा उत्तीर्ण अपेक्षित नहीं होगा।

(ङ) अनुभव: हेलीकॉप्टर के पायलट के रूप में एक हजार घंटे से अन्यून की उड़ान समाधानप्रद से पूरा करने का साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा और उसके कुल उड़ान अनुभव में निम्नलिखित शामिल होंगे-

(i) पायलट-इन-कमांड के रूप में दो सौ पचास घंटे से अन्यून का उड़ान समय या पायलट-इन-कमांड के रूप में सत्तर घंटे से अन्यून का उड़ान समय और पायलट के पर्यवेक्षण में पायलट-इन-कमांड के रूप में आवश्यक अतिरिक्त उड़ान समय,जो चेक पायलट की उड़ान अनुभव अपेक्षाओं को पूरा करता हो;

(ii) दो सौ घंटे से अन्यून का का क्रॉस कंट्री उड़ान समय,जिसमें से एक सौ पचास घंटे से अन्यून का पायलट-इन-कमांड के रूप में होंगे या पायलट-इन-कमांड के रूप में ऐसे पायलट के पर्यवेक्षण में होगा जो चेक पायलट की उड़ान अनुभव अपेक्षाओं को पूरा करता हो;

(iii) रात्रि में पचास घंटे से अन्यून की उड़ान;

(iv) वास्तविक या सिमुलेटिड स्थितियों के अधीन चालीस घंटे से अन्यून का इंस्ट्रमेंट समय, जिसमें से अधिकतम दस घंटे से अनधिक इंस्ट्रूमेंट ग्राउंड समय नहीं हो सकता; और

(v) अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन की तारीख से ठीक पहले छह मास की अवधि के भीतर पूरी की गई पंद्रह घंटे से अन्यून की उड़ान ।

टिप्पण: जहां किसी हेलीकॉप्टर को टेलीकॉप्टर की उड़ान नियमावली के उपबंधों के अनुसार सह-पायलट के साथ प्रचालित किया जाना अपेक्षित है, वहां सह-पायलट के उड़ान समय का जमा पचास प्रतिशत से अनधिक अनुज्ञप्ति जारी करने के लिए अपेक्षित कुल उड़ान समय में जमा किया जाएगा, किन्तु पर्यवेक्षण के अधीन सह-पायलट के उड़ान समय का पचास प्रतिशत से अनधिक अनुज्ञप्ति जारी करने के लिए अपेक्षित पायलट-इन-कमांड उड़ान अनुभव में जमा किया जाएगा, और अनुज्ञप्ति जारी करने के लिए अपेक्षित ऐसे कुल उड़ान समय में इस प्रकार की उड़ान के लिए पूर्णतया जमा किया जाएगा।

(च) अन्य अपेक्षाएं -

(i) वह वाणिज्यिक पायलट अनुज्ञप्ति (हेलीकॉप्टर) धारक हो परंतु यह सशस्त्र बलों के पायलट को एयरलाइन परिवहन पायलट अनुज्ञप्ति (हेलीकॉप्टर) जारी करने के लिए लागू नहीं होगा जो अन्यथा अपेक्षाओं को पूरा करता हो;

(ii) उसके पास चालू इंस्ट्रूमेंट रेटिंग हो;और

(iii) उसके पास महानिदेशक द्वारा जारी की गई वायुयान पर रेडियो टेलीफोन इंस्ट्रमेंट के प्रचालन के लिए चालू उड़ान रेडियो टेलीफोन प्रचालक अनुज्ञप्ति होनी चाहिए।

(छ) कौशल - उसे,आवेदन की तारीख से ठीक पहले छह मास की अवधि के भीतर,अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन से संबंधित बहु-इंजन हेलीकॉप्टर के प्रकार पर परीक्षक का समाधान करने के लिए पाठ्यक्रम में विहित प्रक्रियाओं और दांव पेचों को दिन और रात में करने की अपनी सक्षमता का प्रदर्शन करना होगा:

परंतु यह कि महानिदेशक, हेलीकॉप्टर के प्रकार के लिए कौशल परीक्षण करने के लिए वायुयान या अनुमोदित स्तर घ या समतुल्य या उच्चतर स्तर के फ्लाइट अनुकूलक पर कौशल परीक्षण या उसके किसी भाग को संचालित करने की अनुमति दे सकते हैं।

टिप्पण: महानिदेशक द्वारा जारी विधिमान्य वाणिज्यिक पायलट अनुज्ञप्ति (हेलीकॉप्टर) धारक को एयरलाइन परिवहन पायलट अनुज्ञप्ति (हेलीकॉप्टर) अनुदत्त करने के लिए साधारण उड़ान परीक्षण से गुजरना आवश्यक नहीं होगा:

परंतु अनुज्ञप्ति, वाणिज्यिक पायलट अनुज्ञप्ति (हेलीकॉप्टर) की वायुयान रेटिंग में शामिल,बहु-इंजन हेलीकॉप्टर या हेलीकॉप्टरों के प्रकार या प्रकारों पर जारी की गई हो और पायलट के पास ऐसे एक बहु-इंजन प्रकार के हेलीकॉप्टर पर पायलट-इन-कमांड के रूप में न्यूनतम पांच घंटे या सह-पायलट के रूप में दस घंटे का हाल ही में उड़ान का अनुभव हो।

2. वैधता.- अनुज्ञप्ति नियम 79 में विनिर्दिष्ट अवधि के लिए विधिमान्य होगी ।

3. नवीकरण.- आवेदक का समाधानप्रद साक्ष्य प्राप्त होने पर अनुज्ञप्ति का नवीकरण किया जा सकेगा-

(क) पैरा 1 के खंड (ग) के अनुसार चिकित्सा परीक्षण कराया हो।

(ख) नवीकरण के लिए आवेदन की तारीख से ठीक पहले छह मास की अवधि के भीतर पायलट-इन-कमांड के रूप में दस घंटे से अन्यून का उड़ान समय समाधानप्रद ढंग से पूरा किया हो (सह-पायलट के रूप में उड़ान समय का पचास प्रतिशत पायलट-इन-कमांड के रूप में उड़ान समय की आवश्यकता के लिए गिना जा सकता है),या इसके स्थान पर उसी अवधि के भीतर पैरा 1 के खंड (छ) में अधिकथित अनुसार दिन और रात में कौशल परीक्षणों को संतोषजनक ढंग से पूरा किया हो ।

(ग) महानिदेशक द्वारा जारी, वायुयान पर रेडियो टेलीफोन उपकरणों के प्रचालन के लिए वर्तमान फ्लाइट रेडियो टेलीफोन प्रचालक का, अनुज्ञप्ति धारक:और

(घ) अनुज्ञप्ति में शामिल बहु-इंजन हेलीकॉप्टर पर या महानिदेशक द्वारा स्वीकृत उड़ान अनुकूलक पर आशयित उड़ान की तारीख से पिछले बारह मास के भीतर इंस्ट्रूमेंट रेटिंग उड़ान परीक्षण को संतोषजनक ढंग से पूरा कर लिया हो।

4. रेटिंग्स.- (क) वायुयान रेटिंग: (i) अनुज्ञप्ति में हेलीकॉप्टरों का वह प्रकार दर्शाया जाएगा जिसे धारक उड़ाने का हकदार है।

(ii) हेलीकॉप्टर के प्रकार रेटिंग्स को जारी करने संबंधी अपेक्षाएं महानिदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएंगी।

(ख) अनुदेशक की रेटिंग - अनुदेशक की रेटिंग धारक को उड़ान प्रशिक्षण देने का अधिकार देती है। इन रेटिंगों के जारी करने के लिए विशेषाधिकार और शर्तें धारा त और थ में अधिकथित की गई हैं;

(ग) इंस्ट्रूमेंट रेटिंग- इंस्ट्रूमेंट रेटिंग धारक को इंस्ट्रूमेंट फ्लाइट रूल्स के अधीन उड़ान भरने का अधिकार देती है। रेटिंग जारी करने की शर्तें धारा ण में अधिकथित की गई हैं।

5. वायुयान रेटिंग का विस्तार.— अतिरिक्त प्रकार के हेलीकॉप्टर को शामिल करने के लिए वायुयान रेटिंग के विस्तार के लिए, आवेदक को पैरा 1 के खंड (घ) में उल्लिखित वायुयान और इंजन में लिखित परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी और उचित पर्यवेक्षण के अधीन प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा। किसी अनुमोदित प्रशिक्षण संगठन में इस प्रकार के वायुयान उड़ाने का प्रशिक्षण या अनुमोदित उड़ान अनुकूलक पर पाठ्यक्रम के अनुसार प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा, उसके पश्चात महानिदेशक द्वारा यथा विनिर्दिष्ट कौशल परीक्षण होगा।

6. विशेषाधिकार.- अनुज्ञप्ति में पृष्ठांकनों और रेटिंग्स की विधिमान्यता और नियम 78, 79 और 82 के सुसंगत उपबंधों के अनुपालन के अधीन एयरलाइन परिवहन पायलट अनुज्ञप्ति धारक (हेलीकॉप्टर) के निम्नलिखित विशेषाधिकार होंगे-

(क) अपनी अनुज्ञप्ति के वायुयान रेटिंग्स में शामिल निजी पायलट अनुज्ञप्ति (हेलीकॉप्टर) और वाणिज्यिक पायलट अनुज्ञप्ति (हेलीकॉप्टर) के विशेषाधिकारों का प्रयोग करना;

(ख) एक से अधिक पायलटों के साथ प्रचालन के लिए प्रमाणित तथा उसके अनुज्ञप्ति की वायुयान रेटिंग में दर्ज हेलीकॉप्टर के वाणिज्यिक हवाई परिवहन में पायलट-इन-कमांड के रूप में कार्य करना,परंतु यह कि वह निम्नलिखित शर्तों का पूर्व अनुपालन करें,अर्थात:-

(i) उन्होंने महानिदेशक द्वारा यथा विनिर्दिष्ट कमांड अपग्रेड प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया हो; तथा

(ii) किसी भी उड़ान को प्रचालित करने से पहले उसके पास इंस्ट्रूमेंट उड़ान नियमों के अधीन वर्तमान इंस्ट्रूमेंट रेटिंग होनी चाहिए:

परंतु यह कि पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त करने पर ऐसे विशेषाधिकार निजी पायलट अनुज्ञप्ति (हेलीकॉप्टर) तक ही निर्बंधित रहेंगे।

भाग ढ

इंस्ट्रूमेंट रेटिंग (हवाईजहाज)

1. रेटिंग जारी करने संबंधी अपेक्षाएं – इंस्ट्रूमेंट रेटिंग के लिए आवेदक को निम्नलिखित अपेक्षाओं को पूरा करना होगा,अर्थात: -

(क) ज्ञान - वाणिज्यिक पायलट अनुज्ञप्ति जारी करने के लिए महानिदेशक द्वारा विहित पाठ्यक्रम के अनुसार वायुयान विनियम, वायुयान दिक्चालन, विमानन मौसम विज्ञान और इंस्ट्रूमेंट रेटिंग में लिखित और मौखिक परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी तथा उसे महानिदेशक,द्वारा विहित पाठ्यक्रम के अनुसार श्रवण और दृश्य संकेतों के निर्वचन पर एक व्यावहारिक परीक्षा भी उत्तीर्ण करनी होगी ।

(ख) अनुभव - हवाई जहाज के पायलट के रूप में समाधानप्रद ढंग से कार्य पूरा करने का साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा जिसमें -

(i) पायलट-इन-कमांड के रूप में सौ घंटे से अन्यून का उड़ान समय, जिसमें पचास घंटे से अन्यून का क्रॉस-कंट्री उड़ान समय शामिल है;

(ii) चालीस घंटे से अन्यून का इंस्ट्रूमेंट समय जिसमें से अधिकतम बीस घंटे का समय इंस्ट्रूमेंट ग्राउंड पर होना चाहिए और इंस्ट्रूमेंट रेटिंग के लिए आवेदन की तारीख से ठीक

पहले छह मास की अवधि के भीतर से अन्यून का पांच घंटे का इंस्ट्रमेंट समय पूरा किया जाना चाहिए:

परंतु ऐसे पायलट की दशा में, जो चालू इंस्ट्रूमेंट रेटिंग (हेलीकॉप्टर) रखता है, उसके पास किसी हवाई जहाज के पायलट-इन-कमांड के रूप में सौ घंटे से अन्यून का उड़ान समय का अनुभव होगा, जिसमें पच्चीस घंटे से अन्यून का क्रॉस-कंट्री उड़ान समय और बीस घंटे से अन्यून का इंस्ट्रूमेंट समय शामिल होगा,जिसमें से दस घंटे से अनधिक किसी अनुमोदित अनुकूलक पर हो।

(ग) अन्य अपेक्षाएं: वह-

(i) चालू पायलट अनुज्ञप्ति (हवाईजहाज) धारक हो;

(ii) महानिदेशक द्वारा जारी वायुयान पर रेडियो टेलीफोन उपस्कर के प्रचालन के लिए चालू उड़ान रेडियो टेलीफोन प्रचालक अनुज्ञप्ति धारक हो;

(घ) उड़ान प्रशिक्षण: महानिदेशक द्वारा विहित पाठ्यक्रम के अनुसार उसने उड़ान प्रशिक्षण पूरा कर लिया हो।

(ङ) कौशल: (i) उसे परीक्षक का समाधान करते हुए उस हवाईजहाज को उड़ाने की अपनी सक्षमता का प्रदर्शन करना होगा जिसके लिए इंस्ट्रूमेंट रेटिंग वांछित है,केवल इंस्ट्रूमेंट की सहायता से रेटिंग के लिए ,आवेदन की तारीख से ठीक पहले छह मास की अवधि के भीतर, इंस्ट्रूमेंट उड़ान परीक्षण से गुजरना होगा।

(ii) उड़ान परीक्षण, महानिदेशक द्वारा विहित पाठ्यक्रम के अनुसार किया जाएगा;और

(iii) महानिदेशक ऐसे परीक्षणों या उनके हिस्से को फ्लाइट अनुकूलक स्तर घ या समतुल्य या उच्चतर स्तर पर किए जाने की अनुमति दे सकते हैं जो लागू प्रकार के वायुयान प्रकार के लिए इंस्ट्रूमेंट रेटिंग परीक्षणों के संचालन के लिए अनुमोदित हैं।

2. विधिमान्यता- (क) रेटिंग, इंस्ट्रमेंट रेटिंग उड़ान परीक्षण की तारीख से बारह मास की अवधि के लिए विधिमान्यता होगी।

(ख) इसे समाप्ति की तारीख से एक बार में बारह मास की आगामी अवधि के लिए नवीकृत किया जाएगा, परंतु इंस्ट्रमेंट रेटिंग, उड़ान परीक्षण समाप्ति की तारीख से दो मास के भीतर किया गया हो और नवीकरण के लिए अन्य सभी अपेक्षाएं पूरी की गई हों।

(ग) अन्य मामलों में,रेटिंग के नवीकरण की विधिमान्यता परीक्षण की तारीख से शुरू होगी।

3. नवीकरण – आवेदक के समाधानप्रद साक्ष्य प्राप्त होने पर इंस्ट्रूमेंट रेटिंग का नवीनीकरण किया जाएगा :

(क) पैरा 1 के खंड (ङ) में अधिकथित अनुसार इंस्ट्रूमेंट रेटिंग उड़ान परीक्षण को समाधानप्रद ढंग से पूरा कर लिया हो।

(ख) वायुयान में रेडियो टेलीफोन उपस्कर के प्रचालन के लिए महानिदेशक द्वारा जारी विधिमान्य उड़ान रेडियो टेलीफोन प्रचालक अनुज्ञप्ति हो।

4. इंस्ट्रूमेंट रेटिंग का विस्तार - अतिरिक्त प्रकार के हवाई जहाज को शामिल करने के लिए इंस्ट्रूमेंट रेटिंग के विस्तार के लिए,आवेदक को उस प्रकार के हवाई जहाज के संबंध में पैरा 1 के खंड (ङ) के अनुसार उड़ान परीक्षण को समाधानप्रद ढंग से पूरा करने का साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा जिसके लिए इंस्ट्रूमेंट रेटिंग का विस्तार वांछित है तथा इंस्ट्रूमेंट रेटिंग के विस्तार के लिए आवेदन की तारीख से ठीक पहले छह मास की अवधि के भीतर उड़ान परीक्षण पूरा हो जाना चाहिए।

5. विशेषाधिकार.- इंस्ट्रूमेंट रेटिंग की विधिमान्यता के अधीन, इसके धारक के विशेषाधिकार इंस्ट्रूमेंट उड़ान नियमों के अधीन ऐसे प्रकार के हवाई जहाजों को उड़ाने के होंगे जिन पर उसने पैरा 1 के खंड (ङ) के अनुसार अपनी सक्षमता प्रदर्शित की है:

परंतु जिस पायलट ने पांच हजार सात सौ किलोग्राम से अनधिक कुल भार वाले एकल इंजन वाले हवाई जहाज पर इंस्ट्रूमेंट रेटिंग उड़ान परीक्षण करके अपनी सक्षमता प्रदर्शित की है, वह पूर्वोक्त भार प्रवर्ग के अधीन सभी एकल इंजन वाले हवाई जहाजों पर अपने इंस्ट्रूमेंट रेटिंग के विशेषाधिकारों का प्रयोग करेगा:

परंतु यह और कि ऐसा पायलट, जिसने पांच हजार सात सौ किलोग्राम से अनधिक कुल भार वाले किसी बहु-इंजन वाले हवाई जहाज पर इंस्ट्रूमेंट रेटिंग उड़ान परीक्षण करके अपनी सक्षमता प्रदर्शित की है, वह पूर्वोक्त भार प्रवर्ग के अधीन आने वाले सभी बहु-इंजन वाले हवाई जहाजों पर अपने इंस्ट्रूमेंट रेटिंग के विशेषाधिकारों का प्रयोग करेगा।

परंतु यह भी कि किसी परिवहन हवाईजहाज पर इंस्ट्रूमेंट रेटिंग का धारक, अपने विशेषाधिकारों का प्रयोग केवल उस प्रकार के हवाईजहाज पर करेगा जिस पर इंस्ट्रूमेंट रेटिंग उड़ान परीक्षण समाधानप्रद रूप से किया गया हो:

परंतु यह भी कि, पांच हजार सात सौ किलोग्राम से अधिक कुल भार वाले हवाईजहाजों पर इंस्ट्रूमेंट रेटिंग धारक अपने इंस्ट्रूमेंट रेटिंग के विशेषाधिकारों का प्रयोग केवल उस प्रकार के हवाईजहाज पर करेगा जिस पर इंस्ट्रूमेंट रेटिंग उड़ान परीक्षण समाधानप्रद रूप से किया गया हो:

परंतु यह भी कि किसी बहु-इंजन वाले हवाईजहाज पर इंस्ट्रूमेंट रेटिंग का धारक, अपनी अनुज्ञप्ति की वायुयान रेटिंग में प्रविष्ट किसी एकल इंजन वाले हवाईजहाज पर इंस्ट्रूमेंट रेटिंग के विशेषाधिकारों का प्रयोग कर सकता है।

भाग ण
इंस्ट्रूमेंट रेटिंग (हेलीकॉप्टर)

1. रेटिंग जारी करने संबंधी अपेक्षाएं.- इंस्ट्रूमेंट रेटिंग (हेलीकॉप्टर) के लिए आवेदक को निम्नलिखित अपेक्षाओं को पूरा करना होगा:–

(क) ज्ञान - वाणिज्यिक पायलट अनुज्ञप्ति (हेलीकॉप्टर) जारी करने के लिए विहित पाठ्यक्रम के अनुसार वायुयान विनियमन, वायुयान दिक्चालन और वायुयान मौसम विज्ञान में लिखित और मौखिक परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। उसे विहित पाठ्यक्रम के अनुसार इस रेटिंग के जारी करने के लिए श्रव्य और दृश्य सिगनलों के निर्वचन के लिए सिगनल (व्यावहारिक) परीक्षा भी उत्तीर्ण करनी होगी।

(ख) अनुभव - वह किसी हेलीकॉप्टर के पायलट के रूप में एक सौ पचास घंटे से अन्यून का उड़ान समय समाधानप्रद रूप में पूरा करने का साक्ष्य प्रस्तुत करेगा, जिसमें से अन्यून निम्नलिखित शामिल होंगे-

(i) पायलट-इन-कमांड के रूप में सौ घंटे से अन्यून का उड़ान-समय या पायलट-इन-कमांड के रूप में पचास घंटे से अन्यून का उड़ान काल तथा किसी ऐसे पायलट, जो जांच पायलट की उड़ान अनुभव अपेक्षाओं का समाधान करता है, के पर्यवेक्षण में पायलट-इन-कमांड के कर्तव्यों और कृत्यों का पालन करते हुए सह-पायलट के रूप में सौ घंटे का उड़ान काल;

(ii) हेलीकॉप्टर के पायलट-इन-कमांड के रूप में पचास घंटे से अन्यून का क्रॉस-कंट्री उड़ान-समय या पायलट-इन-कमांड के रूप में पंद्रह घंटे से अन्यून का ऐसे पायलट, जो जांच पायलट की उड़ान अनुभव अपेक्षाओं को पूरा करता है, के पर्यवेक्षण में पायलट-इन-कमांड के कर्तव्यों और कृत्यों का पालन करते हुए सह-पायलट के रूप में सत्तर घंटे का उड़ान काल;

(iii) हेलिकॉप्टरों में चालीस घंटे से अन्यून का इंस्ट्रूमेंट समय जिसमें से अधिकतम बीस घंटे से अन्यून का इंस्ट्रूमेंट ग्राउंड टाइम होगा। आवेदन की तारीख से ठीक पहले छह मास की अवधि के भीतर हेलिकॉप्टरों पर न्यूनतम पांच घंटे का इंस्ट्रूमेंट समय पूरा किया जाना चाहिए :

परंतु जो पायलट, वर्तमान इंस्ट्रूमेंट रेटिंग (हवाई जहाज) रखता है और उसके पास हेलीकॉप्टर के पायलट-इन-कमांड के रूप में पचास घंटे से अन्यून का उड़ान का अनुभव होगा, जिसमें बीस घंटे से अन्यून का क्रॉस कंट्री उड़ान समय और बीस घंटे से अन्यून का इंस्ट्रूमेंट उड़ान समय शामिल होगा, जिसमें से अधिकतम दस घंटे इंस्ट्रूमेंट ग्राउंड समय हो सकता है।

(ग) अन्य अपेक्षाएं: वह-

(i) चालू पायलट अनुज्ञप्ति (हेलीकॉप्टर) धारक होगा।

(ii) महानिदेशक द्वारा जारी, वायुयान पर रेडियो टेलीफोन उपस्कर के प्रचालन के लिए चालू उड़ान रेडियो टेलीफोन प्रचालक, अनुज्ञप्ति का धारक होगा।

(घ) उड़ान प्रशिक्षण - महानिदेशक द्वारा विहित पाठ्यक्रम के अनुसार उसने उड़ान प्रशिक्षण पूरा कर लिया हो।

(ङ) कौशल: (i) उसे परीक्षक का समाधान हो जाने उस हेलीकॉप्टर को उड़ाने की अपनी सक्षमता का प्रदर्शन करना होगा जिसके लिए इंस्ट्रूमेंट रेटिंग वांछित है, केवल इंस्ट्रूमेंट की सहायता से रेटिंग के लिए ,आवेदन की तारीख से ठीक पहले छह मास की अवधि के भीतर, इंस्ट्रूमेंट उड़ान परीक्षण से गुजरना होगा।

(ii) उड़ान परीक्षण महानिदेशक द्वारा विहित पाठ्यक्रम के अनुसार किया जाएगा; और

(iii) महानिदेशक ऐसे परीक्षणों या उनके किसी भाग को उड़ान सिम्युलेटर स्तर घ या समतुल्य या उच्चतर स्तर पर किए जाने की अनुमति दे सकते हैं, जो लागू वायुयान प्रकार के लिए इंस्ट्रूमेंट रेटिंग परीक्षणों के संचालन के लिए अनुमोदित है।

2. विधिमान्यता. - (क) इंस्ट्रूमेंट रेटिंग उड़ान परीक्षण की तारीख से बारह मास की अवधि के लिए इंस्ट्रूमेंट रेटिंग विधिमान्यता होगी।

(ख) इसे समाप्ति की तारीख से एक बार में बारह मास की आगामी अवधि के लिए नवीकृत किया जाएगा, परंतु इंस्ट्रूमेंट रेटिंग, नवीकरण परीक्षण समाप्ति की तारीख से दो मास के भीतर कर ली गई हो और नवीकरण के लिए अन्य सभी अपेक्षाएं पूरी कर ली गई हों।

(ग) अन्य मामलों में, रेटिंग के नवीकरण की विधिमान्यता परीक्षण की तारीख से शुरू होगी।

3. नवीकरण – आवेदक के समाधानप्रद साक्ष्य प्राप्त होने पर इंस्ट्रूमेंट रेटिंग का नवीनीकरण किया जाएगा :

(क) हेलीकॉप्टर पर परीक्षक या अनुदेशक के साथ या महानिदेशक द्वारा अनुमत अनुमोदित उड़ान अनुकूलक पर इंस्ट्रूमेंट रेटिंग नवीकरण जांच को समाधानप्रद पूरा किया हो ।

(ख) वायुयान में रेडियो टेलीफोन उपस्कर के प्रचालन के लिए महानिदेशक द्वारा जारी की गई चालू उड़ान रेडियो टेलीफोन प्रचालक अनुज्ञप्ति हो।

4. इंस्ट्रूमेंट रेटिंग का विस्तार.- अतिरिक्त प्रकार के हेलीकॉप्टर को शामिल करने के लिए इंस्ट्रूमेंट रेटिंग के विस्तार के लिए, आवेदक को उस प्रकार के हेलीकॉप्टर के संबंध में पैरा 1 के खंड (ङ) के अनुसार उड़ान परीक्षण को समाधानप्रद ढंग से पूरा करने का साक्ष्य प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा जिसके लिए इंस्ट्रूमेंट रेटिंग का विस्तार वांछित है तथा इंस्ट्रूमेंट रेटिंग के विस्तार के लिए आवेदन की तारीख से ठीक पहले छह मास की अवधि के भीतर उड़ान परीक्षण पूरा हो जाना चाहिए।

5. विशेषाधिकार.- इंस्ट्रूमेंट रेटिंग की विधिमान्यता के अधीन, इसके धारक के विशेषाधिकार इंस्ट्रूमेंट उड़ान नियमों के अधीन ऐसे प्रकार के हवाई जहाजों को उड़ाने के होंगे जिन पर उसने पैरा 1 के खंड (ङ) के अनुसार अपनी सक्षमता प्रदर्शित की है:

भाग त
सहायक उड़ान अनुदेशक रेटिंग (वायुयान या हेलीकॉप्टर)

1. रेटिंग जारी करने के लिए अपेक्षाएं .- आवेदक सहायक उड़ान अनुदेशक की रेटिंग के लिए निम्नलिखित अपेक्षाओं करेगा, अर्थात:–

(क) आयु: आवेदन की तारीख को उसकी आयु अठारह वर्ष से कम नहीं होगी।

(ख) ज्ञान: उसने विहित पाठ्यक्रम के अनुसार निम्नलिखित विषयों में मौखिक या लिखित परीक्षा उत्तीर्ण की हो: -

(i) अनुप्रयुक्त अनुदेशन की तकनीकें;

(ii) उन विषयों में छात्र के प्रदर्शन का निर्धारण जिनमें ग्राउंड अनुदेश दिया जाता है;

(iii) सीखने की प्रक्रिया;

(iv) प्रभावी अध्यापन के तत्व;

(v) छात्र मूल्यांकन और परीक्षण, प्रशिक्षण संबंधी दर्शन;

(vi) प्रशिक्षण कार्यक्रम विकास;

(vii) पाठ योजना;

(viii) कक्षा में अनुदेशात्मक तकनीकें;

(ix) उड़ान सिमुलेशन प्रशिक्षण उपकरणों सहित प्रशिक्षण सहायक उपकरणों का उपयोग, जैसा उपयुक्त हो;

(x) छात्रों की त्रुटियों का विश्लेषण और सुधार;

(xi) फ़्लाइट अनुदेशों के सुंसंगत मानव प्रदर्शन, जिसमें ख़तरे और त्रुटि प्रबंधन के सिद्धांत भी सम्मिलित हैं; और

(xii) वायुयान में सिमुलेटिंग सिस्टम की विफलता और खराबी का परिसंकट।

(ग) अनुभव: वह इस रेटिंग के लिए आवेदन की तारीख को किसी विमान के पायलट के रूप में कम से कम निम्नलिखित उड़ान समय संतोषजनक रूप में पूरा करने का साक्ष्य प्रस्तुत करेगा -

(i) वायुयान के पायलट-इन-कमांड के रूप में कम से कम सौ घंटे का उड़ान समय, जिसमें से कम से कम बीस घंटे आवेदन की तारीख से ठीक पहले अठारह माह की अवधि के भीतर पूरे किए गए हों ; और हेलीकॉप्टरों की दशा में, किसी हेलीकॉप्टर के पायलट-इन-कमांड के रूप में कम से कम पचास घंटे का उड़ान समय, जिसमें से कम से कम बीस घंटे आवेदन की तारीख से ठीक पहले अठारह माह की अवधि के भीतर पूरे किए गए हों ; तथा

(ii) महानिदेशक द्वारा विहित पाठ्यक्रम के अनुसार अनुमोदित उड़ान अनुदेशक या परीक्षक के अधीन अनुदेशक के रूप में कम से कम बीस घंटे का उड़ान प्रशिक्षण।

(घ) अन्य अपेक्षाएं : उसके पास समुचित वैध व्यावसायिक पायलट अनुज्ञप्ति होनी चाहिए।

(ङ) कौशल: उसने आवेदन की तारीख से ठीक पूर्व छह माह की अवधि के भीतर महानिदेशक द्वारा विहित पाठ्यक्रम के अनुसार प्रक्रिया और कौशल करते हुए किसी सहायक उड़ान अनुदेशक के रूप में परीक्षक की संतुष्टि के लिए अपनी सक्षमता प्रदर्शित की होगी। सक्षमता का ऐसा प्रदर्शन उड़ान अनुदेशक पाठ्यक्रम शुरू होने की तारीख से महानिदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर होगा।

2. विधिमान्यता.- (क) रेटिंग जारी होने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए रेटिंग विधिमान्य होगी।

(ख) नवीकरण की दशा में, रेटिंग की विधिमान्यता अवधि तीन वर्ष की होगी जो पिछली विधिमान्यता की समाप्ति की तारीख पश्चातवर्ती तारीख से शुरू होगी, परंतु कि नवीकरण के लिए आवेदन समाप्ति की तारीख से एक माह पहले प्रस्तुत किया गया हो और आवेदन की तारीख को नवीकरण के लिए अन्य सभी अपेक्षाएं पूरी हो गई हों।

(ग) उप-पैरा (ख) में निर्दिष्ट मामलों के अलावा अन्य मामलों में, रेटिंग के नवीकरण की विधिमान्यता, रेटिंग के नवीकरण की तारीख से शुरू होगी।

3. नवीकरण.- सहायक उड़ान अनुदेशक की रेटिंग आवेदक के निम्नलिखित संतोषजनक साक्ष्य के प्राप्त होने पर नवीकृत किया जा सकेगा-

(क) नवीकरण के लिए आवेदन की तारीख से ठीक पहले बारह माह की अवधि के भीतर सहायक उड़ान अनुदेशक के रूप में कम से कम बीस घंटे का उड़ान समय संतोषजनक रूप में पूरा कर लिया हो; या

(ख) नवीकरण के लिए आवेदन की तारीख से ठीक पहले छह माह की अवधि के भीतर महानिदेशक द्वारा अनुमोदित उड़ान अनुदेशक पुनश्चर्या पाठ्यक्रम तथा पैरा 1 खंड (ङ) में अधिकथित उड़ान परीक्षण संतोषजनक रूप में पूरा कर लिया हो।

4. विशेषाधिकार.- पृष्ठांकन की विधिमान्यता अपनी पायलट की अनुज्ञप्ति में उसकी रेटिंग के अधीन जिसका यह सहायक अनुदेशक रेटिंग भाग रूप है सहायक उड़ान अनुदेशक रेटिंग के धारक को केवल दिवस में और प्राधिकार के अधीन किसी उड़ान अनुदेशक के पर्यवेक्षणाधीन उड़ान के समय एक हजार पांच सौ किलोग्राम से अनधिक भार वाले सभी किस्म के विमानों/हेलीकाप्टरों पर और जो उसकी अनुज्ञप्ति की वायुयान रेटिंग में दर्ज है अनुदेश देने का विशेषाधिकार होगा।

भाग थ
उड़ान अनुदेशक रेटिंग (विमान या हेलीकॉप्टर)

1. रेटिंग जारी करने संबंधी अपेक्षाएं .- उड़ान प्रशिक्षक की रेटिंग के लिए आवेदक द्वारा निम्नलिखित अपेक्षाओं को पूरा किया जाएगा,अर्थात-

(क) आयु: आवेदन की तारीख को उसकी आयु बीस वर्ष से कम नहीं होगी ।

(ख) ज्ञान: उसे विहित पाठ्यक्रम के अनुसार निम्नलिखित विषयों में मौखिक या लिखित परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी : -

(i) अनुप्रयुक्त अनुदेशन की तकनीकें;

(ii) उन विषयों में छात्र के प्रदर्शन का निर्धारण जिनमें ग्राउंड अनुदेश दिया जाता है;

(iii) सीखने की प्रक्रिया;

(iv) प्रभावी अध्यापन के तत्व;

(v) छात्र मूल्यांकन और परीक्षण, प्रशिक्षण संबंधी दर्शन;

(vi) प्रशिक्षण कार्यक्रम विकास;

(vii) पाठ योजना;

(viii) कक्षा शिक्षा तकनीकें;

(ix) उड़ान सिमुलेशन प्रशिक्षण उपकरणों सहित प्रशिक्षण सहायक उपकरणों का उपयोग, जैसा उपयुक्त हो;

(x) छात्रों की त्रुटियों का विश्लेषण और सुधार;

(ix) फ़्लाइट इंस्ट्रक्शन के सुसंगत मानव प्रदर्शन, जिसमें ख़तरे और त्रुटिप्रबंधन के-सिद्धांत भी शामिल हैं;और

(xii) वायुयान में सिमुलेशन सिस्टम की और खराबी का परिसंकट।

(ग) अनुभव: उसे रेटिंग के लिए आवेदन की तारीख को, यथास्थिति, किसी हवाई जहाज या हेलीकॉप्टर के पायलट के रूप में निम्नलिखित उड़ान काल संतोषजनक रूप में पूरा करने का साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा -

(i) (क) रात्रि में पायलट-इन-कमांड के रूप में बीस घंटे की उड़ान, जिसके दौरान कम से कम बीस टेक-ऑफ और बीस लैंडिंग की गई हो; तथा

(ख) रक्षा बलों की सेवा में सहायक उड़ान अनुदेशक या अर्हता प्राप्त उड़ान अनुदेशक की हैसियत में, यथास्थिति, वायुयानों पर दो सौ घंटे या हेलिकॉप्टरों पर एक सौ घंटे की उड़ान का अनुभव; या

(ii) किसी विमान के पायलट-इन-कमांड के रूप में यथास्थिति पांच सौ घंटे का उड़ान काल या किसी हेलिकॉप्टर के पायलट-इन-कमांड के रूप में दो सौ पचास घंटे का उड़ान काल हो:

परंतु रक्षा बलों का कोई पायलट, जिसने अर्हता प्राप्त उड़ान अनुदेशक पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा कर लिया हो तथा जो इस खंड तथा खंड (घ) में उल्लिखित अपेक्षाओं को भी पूरा करता हो, उसे उड़ान अनुदेशक रेटिंग जारी करने के लिए विचार किया जा सकेगा है।

(घ) अन्य अपेक्षाएं: वह-

(i) विधिमान्यता वाणिज्यिक पायलट अनुज्ञप्ति (विमान/हेलीकॉप्टर) एयरलाइन परिवहन पायलट अनुज्ञप्ति (विमान/हेलीकॉप्टर) का धारक होगा;

(ii) विधिमान्यता इंस्ट्रूमेंट रेटिंग का धारक होगा।

टिप्पण : विधिमान्यता इंस्ट्रूमेंट रेटिंग के अभाव में, आवेदक को इंस्ट्रमेंट उड़ान में अनुदेश देने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(ङ) कौशल - उसने रेटिंग के आवेदन की तारीख से ठीक पूर्व छह माह की अवधि के भीतर अनुमोदित परीक्षक की संतुष्टि के लिए पाठ्यक्रम में विहित दिन और रात की प्रक्रिया और कौशल करके उड़ान अनुदेशक के रूप में अपनी सक्षमता प्रदर्शित की हो और सक्षमता का ऐसा प्रदर्शन उड़ान अनुदेशक पाठ्यक्रम के प्रारंभ होने की तारीख से महानिदेशक द्वारा यथा विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर होगा।

(च) उड़ान अनुदेश : खंड (ग) में अधिकथित अनुभव संबंधी अपेक्षाओं को पूरा करने के पश्चात, आवेदक को खंड (ङ) में उल्लिखित कौशल परीक्षण से गुजरने से पहले महानिदेशक, द्वारा अनुमोदित उड़ान अनुदेशक पाठ्यक्रम की पूरा करना और निम्नलिखित साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा -

(i) उड़ान अनुदेशात्मक तकनीकों में अनुदेश प्राप्त किया हो, जिसमें प्रदर्शन, छात्र अभ्यास, सामान्य छात्र त्रुटियों की पहचान और सुधार सम्मिलित हैं; तथा

(ii) ऐसे उड़ान कौशलों और प्रक्रियाओं में अनुदेशात्मक तकनीकों का अभ्यास किया हो जिनमें उड़ान अनुदेश प्रदान करना आशयित है।

2. विधिमान्यता.— (क) रेटिंग जारी होने की तारीख से 3 वर्ष की अवधि के लिए रेटिंग विधिमान्य होगी।

(ख) नवीकरण के मामले में, रेटिंग की विधिमान्यता की अवधि 3 वर्ष की होगी जो पिछली विधिमान्यता की समाप्ति की तारीख के पश्चातवर्ती तारीख से शुरू होगी, परन्तु कि नवीकरण के लिए आवेदन वैधता समाप्ति की तारीख से एक माह पहले प्रस्तुत किया गया है और आवेदन की तारीख को नवीकरण के लिए अन्य सभी अपेक्षाएं पूरी कर ली गई हैं।

(ग) उप-पैरा (ख) में निर्दिष्ट मामलों के अलावा अन्य मामलों में , रेटिंग के नवीकरण की विधिमान्यता, रेटिंग के नवीकरण की तारीख से शुरू होगी।

3. नवीकरण.— उड़ान अनुदेशक रेटिंग को आवेदक के निम्नलिखित साक्ष्य के संतोषजनक रूप में प्राप्ति पर नवीकृत किया जा सकेगा-

(क) नवीकरण के लिए आवेदन की तारीख से ठीक पहले बारह माह की अवधि के भीतर उड़ान अनुदेशक के रूप में कम से कम बीस घंटे का उड़ान काल संतोषजनक रूप में पूरा कर लिया हो; या

(ख) महानिदेशक द्वारा अनुमोदित उड़ान अनुदेशक पुनश्चर्या पाठ्यक्रम तथा उड़ान परीक्षण को, जैसा कि पैरा 1 के खंड (ङ) में उल्लिखित है, नवीकरण के लिए आवेदन की तारीख से ठीक पहले छह माह की अवधि के भीतर संतोषजनक रूप में पूरा कर लिया हो ।

4. वायुयान रेटिंग.- रेटिंग में, यथास्थिति, विमान या हेलीकॉप्टर के उस वर्ग और प्रकार का उल्लेख किया जाएगा, जिन पर धारक अनुदेश करने का हकदार होगा।

5. वायुयान रेटिंग का विस्तार.- वायुयान रेटिंग के विस्तार के लिए, जिसमें यथास्थिति अतिरिक्त प्रकार के विमान या हेलीकॉप्टर, सम्मिलित हों, जिनका कुल भार पांच हजार सात सौ किलोग्राम से अधिक हो, आवेदक को निम्नलिखित साक्ष्य प्रस्तुत करने होंगे-

(क) उसने व्यावसायिक पायलट अनुज्ञप्ति पर उस प्रकार के वायुयान के लिए समुचित वायुयान रेटिंग प्राप्त की हो ;

(ख) विमान पर पायलट-इन-कमांड के रूप में कम से कम पांच सौ घंटे की उड़ान काल या हेलीकॉप्टर पर पायलट-इन-कमांड के रूप में तीन सौ घंटे की उड़ान काल संतोषजनक रूप में पूरा किया हो; और

(ग) इस रेटिंग में सम्मिलित किए जाने हेतु वांछित प्रकार पर पैरा 1 के खंड (ङ) में उल्लिखित उड़ान परीक्षणों को संतोषजनक रूप में पूरा किया हो।

टिप्पण: खंड (ख) और (ग) में उल्लिखित अपेक्षाओं में महानिदेशक द्वारा विशेष परिस्थितियों में किसी अनुभवी उड़ान अनुदेशक के मामले में परिवर्तन किया जा सकेगा है, जिसने महानिदेशक द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा कर लिया हो ।

6. विशेषाधिकार.- पायलट अनुज्ञप्ति में पृष्ठांकन और रेटिंग की विधिमान्यता के अध्याधीन रहते हुए जिनका यह उड़ान अनुदेशक रेटिंग एक भाग है और साथ ही इस रेटिंग पर कोई पृष्ठांकन भी है, उड़ान अनुदेशक रेटिंग के धारक के निम्नलिखित विशेषाधिकार होंगे:-

(क) यथास्थिति ऐसे विमान या हेलीकॉप्टर पर उड़ान अनुदेश देना, जिनका कुल भार पांच हजार सात सौ किलोग्राम से अधिक न हो और जो उसके अनुज्ञप्ति की विमान रेटिंग में दर्ज हो, तथा ऐसे विमान या हेलीकॉप्टर पर भी उड़ान अनुदेश देना, जिसका कुल भार पांच हजार सात सौ किलोग्राम से अधिक हो और जो उसके अनुदेशक की रेटिंग में दर्ज हो।

(ख) छात्र पायलटों की उड़ानों का पर्यवेक्षण और प्राधिकृत करना तथा सहायक उड़ान अनुदेशकों द्वारा दिए जाने वाले उड़ान अनुदेशों का पर्यवेक्षण करना:

परंतु यह विशेषाधिकार महानिदेशक, द्वारा उड़ान प्रशिक्षण संगठनों को इस संबंध में जारी किए जाने वाले किसी भी निदेश के अधीन होगा ।

भाग - द
छात्र दिक्चालक अनुज्ञप्ति

1. **अनुज्ञप्ति जारी करने संबंधी अपेक्षाएं**.- उम्मीदवार दिक्चालक अनुज्ञप्ति के लिए आवेदक निम्नलिखित अपेक्षाओं को पूरा करेगा, अर्थात:-

(क) आयु: आवेदन की तारीख को उसकी आयु बीस वर्ष से कम नहीं होगी;

(ख) शैक्षणिक अर्हता: उसने किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से भौतिकी और गणित के साथ 12 वीं या उसके समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण की होगी।

(ग) चिकित्सीय स्वस्थता: वह अनुमोदित चिकित्सा बोर्ड से चिकित्सीय जांच कराने के पश्चात विहित प्ररूप में शारीरिक स्वस्थता का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगा। जांच के दौरान उसे महानिदेशक द्वारा नियम 78 के उपबंधों के अधीन यथा अधिसूचित अपेक्षाओं के अनुसार अपनी चिकित्सीय स्वस्थता सिद्ध करनी होगी।

(घ) ज्ञान: उसे विमान विनियम, विमान दिक्चालन, उड़ान दिक्चालन इंस्ट्रूमेंट, रेडियो या रडार सहायक यंत्र, खगोलीय दिक्चालन और विमानन मौसम विज्ञान में महानिदेशक द्वारा यथाविहित पाठ्यक्रम के अनुसार मौखिक और व्यावहारिक परीक्षा के साथ लिखित परीक्षा और श्रव्य और दृश्य संकेतों के निर्वचन के लिए संकेत (व्यावहारिक) परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी।

2. विधिमान्यता- अनुज्ञप्ति नियम 79 में यथा विनिर्दिष्ट अवधि के लिए विधिमान्य होगी।

3. **नवीकरण** - आवेदक से इस बात के संतोषजनक साक्ष्य की प्राप्ति पर, कि उसकी चिकित्सीय परीक्षा पैरा 1 के खंड (ग) के अनुसार की जा चुकी है, और विशेषाधिकारों के संतोषजनक प्रयोग के अधीन रहते हुए अनुज्ञप्ति का नवीकरण किया जा सकेगा।

4. **विशेषाधिकार** - जहां नियम 114 के उपबंधों के अनुसार उड़ान दिक्चालक का वहन करने की अपेक्षा की जाती है वहां **छात्र दिक्चालक अनुज्ञप्ति के धारक के विशेषाधिकारों के** नियम 78, 79 और 82 के सुसंगत उपबंधों के अनुपालन के अध्यधीन, किसी उड़ान में दिक्चालक के रूप में कार्य करने होंगे, परन्तु वह तब जब कि वह सभी समय किसी अनुज्ञप्ति प्राप्त उड़ान दिक्चालक के प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण के अधीन और उड़ान दिक्चालक अनुज्ञप्ति के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए दिक्चालन में व्यावहारिक अनुभव प्राप्त करने के लिए कार्य करेगा।

भाग ध
उड़ान दिक्चालक अनुज्ञप्ति

1. अनुज्ञप्ति जारी की जाने के लिए अपेक्षाएं- उड़ान दिक्चालक अनुज्ञप्ति के लिए आवेदक निम्नलिखित अपेक्षाओं को पूरा करेगा,अर्थात:-

(क) आयु : आवेदन की तारीख को उसकी आयु इक्कीस वर्ष से कम नहीं होगी।

(ख) शैक्षिक अर्हता : वह किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से भौतिक विज्ञान और गणित के साथ 12 वीं या समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण होगा।

(ग) चिकित्सीय स्वस्थता: वह अनुमोदित चिकित्सा बोर्ड से चिकित्सीय जांच कराने के पश्चात् विहित प्ररूप में शारीरिक स्वस्थता का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगा। जांच के दौरान उसे महानिदेशक द्वारा नियम 78 के उपबंधों के अधीन यथा अधिसूचित अपेक्षाओं के अनुसार अपनी चिकित्सिकय स्वस्थता सिद्ध करनी होगी।

(घ) ज्ञान: उसे विमान विनियम, विमान दिक्चालन, उड़ान दिक्चालन इंस्ट्रमेंट , रेडियो रडार सहायक यंत्र, खगोलीय दिक्चालन और विमानन मौसम विज्ञान में महानिदेशक द्वारा यथाविहित पाठ्यक्रम के अनुसार मौखिक और व्यवहारिक परीक्षा के साथ लिखित परीक्षा तथा श्रव्य और दृश्य संकेतों के निर्वचन के लिए संकेत (व्यावहारिक) परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी।

(ङ) अनुभव: (i) आवेदक ने, महानिदेशक को स्वीकार्य न्यूनतम दो सौ घंटें का उड़ान काल, जिसमें न्यूनतम का तीस घंटों रात्रि उड़ान काल भी सम्मिलित है, उड़ान दिक्चालक के कर्तव्यों का निष्पादन करते हुए ऐसे वायुयानों पर पूर्ण कर लिया हो, जो क्रास-कंट्री उड़ानों में लगे हैं;

(ii) जब आवेदक ने महानिदेशक को स्वीकार्य उड़ान काल के कम से कम दो सौ घंटे पायलट के रूप में पूरे कर लिए हों, तो एक सौ घंटे के क्रॉस-कंट्री उड़ान काल तक के ऐसे अनुभव को उप-खंड (i) के प्रयोजन के लिए अनुभव माना जाएगा;और

(iii) आवेदक उड़ान में वायुयान की स्थिति का संतोषजनक रूप से अवधरित करने का और उस सूचना का वायुयान के दिक्चालन में उपयोग करने का निम्नलिखित रूप से साक्ष्य प्रस्तुत करेगाः-

(क) रात्रि में: खगोलीय संप्रेक्षण द्वारा कम से कम पच्चीस घंटे ;और

(ख) दिन में- आत्मनिर्भर या बाह्यनिर्देशित विमानचालन पद्धतियों के संयोजन में खगोलीय संप्रेक्षण द्वारा कम से कम पच्चीस घंटे ।

(च) कौशल: आवेदक ने, आवेदन की तारीख के ठीक पूर्ववर्ती छह माह की अवधि के भीतर रात और दिन की उड़ान में वायुयान के उड़ान दिक्चालक के रूप में कार्य करने की अर्हता उड़ान दिक्चालक के विशेषाधिकारों के लिए उचित क्षमता के स्तर सहित प्रदर्शित की हो, जिसके दौरान उसने निम्न बातों का प्रदर्शन किया हो:-

(i) अच्छे निर्णय और विमान चालन कौशल का प्रयोग;

(ii) वैमानिक ज्ञान का अनुप्रयोग;

(iii) संपूर्ण कर्मीदल के भाग के रूप में सभी कर्तव्यों का पालन;

(iv) अन्य उड़ान कर्मीदल सदस्यों के साथ प्रभावी रूप से संचार।

2. विधिमान्यता- यह अनुज्ञप्ति नियम 79 में यथा विनिर्दिष्ट अवधि के लिए वैध होगी।

3. नवीकरण - आवदेक से इस आशय के संतोषजनक साक्ष्य की प्राप्ति पर अनुज्ञप्ति का नवीकरण किया जा सकेगा कि-

(क) वह पैरा 1 के खंड (ग) के अनुसार चिकित्सीय जांच करा चुका है;

(ख) उसने नवीकरण के लिए आवदेन की तारीख से ठीक पूर्ववर्ती बारह माह की अवधि में उड़ान दिक्चालक के रूप में न्यूनतम बीस घंटों का उड़ान काल पूरा कर लिया है, जिसके दौरान उसने वायुयान का दिक्चालन डेड रेकनिंग, रेडियो धारण और ऐसे अन्य सहायक यंत्रों का उपयोग करके, जो उसे किसी विमान का दिक्चालन करने में उपलब्ध हों, किया था, या उसके बदले पैरा 1 के खंड (च) में यथा उल्लिखित परीक्षणों को उसी अवधि में संतोषजनक रूप से पूरा कर लिया है।

4. विशेषाधिकार - जहां नियम 114 के उपबंधों के अनुसार उड़ान दिक्चालक को वहन करने की अपेक्षा की जाती है वहां उड़ान दिक्चालक अनुज्ञप्ति धारक के विशेषाधिकारो के नियम 78, 79 और 82 के सुसंगत उपबंधों के अनुपालन के अधीन रहते हुए, उसे उड़ान पर दिक्चालक के रूप में कार्य करना होगा।

भाग न
छात्र उड़ान इंजीनियर अनुज्ञप्ति

1. अनुज्ञप्ति जारी करने संबंधी अपेक्षाएं. - आवेदक छात्र उड़ान इंजीनियर अनुज्ञप्ति के लिए निम्नलिखित अपेक्षाओं को पूरा करेगा होगा, अर्थात्:-

(क) आयु: आवेदन की तारीख को उसकी आयु इक्कीस वर्ष से कम नहीं होगी।

(ख) शैक्षिक अर्हता: वह किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या विश्विद्यालय से भौतिकी और गणित के साथ 12वीं या समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण हो।

(ग) चिकित्सा स्वस्थता: वह अनुमोदित चिकित्सक बोर्ड से चिकित्सीय जांच कराने के पश्चात विहित प्रारूप में शारीरिक स्वस्थता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगा। जांच के दौरान उसे अपनी चिकित्सीय स्वस्थता महानिदेशक, नागर विमानन द्वारा नियम 78 के उपबंधों के अधीन यथा अधिसूचित अपेक्षाओं के अनुपालन के आधार पर सिद्ध करेगा होंगी।

(घ) तकनीकी अर्हता- उसने महानिदेशक द्वारा अनुमोदित उड़ान इंजीनियर के लिए अपेक्षित बुनियादी तकनीकी और वैमानिकी ज्ञान में उड़ान इंजीनियर ग्राउंड अनुदेश प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पूरा कर लिया हो।

(ङ) ज्ञान: उपर्युक्त खंड (घ) में उल्लिखित पाठ्यक्रम को सफलतापूर्वक पूरा करने के अधीन रहते हुए उसे निम्नलिखित विषयों में लिखित परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी-

(i) जहां तक उनका संबंध उड़ान इंजीनियर के कर्त्तव्यों से है विनियम और प्रक्रियाएं, जिसके अधीन नियम सम्मिलित होंगे हैं;

(ii) वायुभौतिकी के मूल सिद्धांत तथा उड़ान और दिक्चालन का सिद्धांत;

(iii) विमान ढांचों, शक्ति संयंत्रों जिनके अधीन उनके उपसाधन हैं, इंस्ट्रमेंट , प्रतिस्थापित उपस्कर और संबंधित पद्धतियों के संनिर्माण, अनुरक्षण और प्रचालन के सामान्य सिद्धांत;

(iv) उड़ान आयोजना के विशेष सिद्धांत जिसके अधीन गुरूत्व अभिकलन केन्द्र, ईंधन की खपत और सहनशक्ति, शक्ति संयंत्र का उत्पादन और शक्ति उत्पादन पर नियंत्रण, इंजन शक्ति चक्र और अधीन गणितीय संगणनाएं हैं;

(v) वायुयान निष्पादन, विशेषताएं और परिसीमाएं;

(vi) उड़ान इंजीनियर के कर्त्तव्यों से संबंधित उड़ान प्रलेखन;

(vii) शक्ति संयंत्र या सिस्टम का खराब होना या आपातकाल में, विशेष रूप से आग लगने की दशा में, प्रक्रियाएं;

(viii) भिन्न-भिन्न मौसम विषयक दशाओं और उनका वायुयान, शक्ति संयंत्र प्रचालन पर प्रभाव की जानकारी;

(ix) उड़ान या प्रचालन नियम-पुस्तकों की विस्तृत जानकारी जिसके अधीन वायुयान पद्धतियों और ऐसी पद्धतियों में प्रतिष्ठापित अन्य संघटकों की कार्यप्रणाली की जानकारी सम्मिलित है;और

(x) उड़नयोग्यता की जांच करने, खराबी के बारे में रिपोर्ट करने, उड़ान पूर्व निरीक्षण करने, पुनः ईंधन भरने के दौरान ईंधन संबंधी सावधानियों के प्रकार और वाह्य शक्ति का प्रयोग करने की प्रक्रियाएं।

2. विधिमान्यता - अनुज्ञप्ति नियम 79 में यथा विनिर्दिष्ट की गई अवधि के लिए विधिमान्य होगी।

3. नवीकरण - अनुज्ञप्ति का नवीकरण सफल चिकित्सीय जांच की तारीख से अधिकतम बारह माह की अवधि के लिए होगा।

4. वायुयान रेटिंग - अनुज्ञप्ति में वायुयान के वे प्रकार उपदर्शित होंगे जिन पर धारक छात्र उड़ान इंजीनियर की हैसियत से उड़ान करने का हकदार है।

5. वायुयान रेटिंग का विस्तार - किसी अतिरिक्त प्रकार के वायुयान को सम्मिलित करने के लिए वायुयान रेटिंग के विस्तार के लिए आवेदक को नागर विमानन महानिदेशक द्वारा अनुमोदित पैरा 7 के खंड (ii) के अनुसार उड़ान इंजीनियर ग्राउंड प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पूरा करेगा होगा और वह, उस प्रकार के वायुयान की बाबत, जिसके लिये वायुयान रेटिंग का विस्तार वांछित है. वायुयान में इंजन और पद्धतियों के अनुमोदित पाठ्यक्रम को सफलतापूर्वक पूरा करने के पश्चात् लिखित परीक्षा उत्तीर्ण करेगा।

6. विशेषाधिकार - अनुज्ञप्ति में पृष्ठांकनों और रेटिंग की विधिमान्यता के अध्यधीन छात्र उड़ान इंजीनियर अनुज्ञप्ति के धारक का विशेषाधिकार यह होगा कि वह अपनी अनुज्ञप्ति की वायुयान रेटिंग में दर्ज किए गए

किसी प्रकार के वायुयान पर, जिसमें पृथक उड़ान इंजीनियर स्टेशन हो, छात्र उड़ान इंजीनियर के रूप में कार्य करे परन्तु यह तब जब किः

(क) वह सभी समयों पर उड़ान इंजीनियर के निजी पर्यवेक्षण के अधीन ऐसा कार्य करेगा और केवल उड़ान इंजीनियर की अनुज्ञप्ति प्राप्त करने के लिए अपेक्षित उड़ान अनुभव प्राप्त करने के लिए ही ऐसा करेगा।

(ख) (i) वह यात्रियों को वहन करने वाले परिवहन वायुयान के छात्र उड़ान इंजीनियर के रूप में तब तक इस प्रकार कार्य नहीं करेगा जब तक कि उसने स्थानीय प्रशिक्षण उड़ानों या यात्री रहित उड़ानों पर कम से कम दस घंटे का प्रशिक्षिण पाठ्यक्रम संतोषजनक रूप से पूरा नहीं कर लिया है। इसमें उसने कम से कम दस बार उड़ान भरना और दस बार उतरना पूरे किए होंगे और उसे यात्रियों को वहन करने वाले प्रकार के परिवहन वायुयान पर छात्र उड़ान इंजीनियर के रूप में उड़ान के लिए परीक्षक ने योग्य प्रमाणित कर दिया हो।

(ii) प्रशिक्षण अनुभव के रूप में अनुबंधित दस घंटों में से अधिकतम आठ घंटें अनुमोदित संश्लिष्ट युक्ति पर होगा। संश्लिष्ट युक्ति पर किए गए अवतरणों की गणना उक्त निर्दिष्ट दस अवतरणों में नहीं की जाएगी।

7. उड़ान इंजीनियर ग्राउंड प्रशिक्षण पाठ्यक्रम - पैरा 1 के खंड (घ) में यथानिर्दिष्ट बुनियादी पाठ्यक्रम और टाइप पाठ्यक्रम निम्नलिखित ब्यौरों के अनुसार होंगे,अर्थात:-

(i) बुनियादी पाठ्यक्रम: पाठ्यक्रम की अवधि का निर्णय नागर विमानन महानिदेशक द्वारा प्रशिक्षणार्थियों के शैक्षिक और अनुभव की पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा और पाठ्यक्रम में निम्नलिखित विषय सम्मिलित होंगे, अर्थात:-

(क) जहां तक कि उड़ान इंजीनियर के कार्यों का संबंध में है वायुयान नियम और नागर उड़नयोग्यता की अपेक्षाएं;

(ख) उड़ान के सिद्धांत;

(ग) वायु की प्रकृति;

(घ) आधारभूत विमान ढांचा और संबंधित पद्धतियां;

(ङ) आधारभूत इंजन गैस टरबाइन इंजन या पिस्टन इंजन गैस टरबाइन जिसमें यथा लागू प्रोपेलर सिस्टम सम्मिलित है;

(च) आधारभूत विद्युत;

(छ) ग्राउंड इंस्ट्रमेंट;

(ज) ग्राउंड हैंडिलिंग और मरम्मत करने की प्रक्रियाएं;

(झ) भार और संतुलन;

(ञ) आपात उपस्कर;

(ट) ईंधन प्रणाली; और

(ठ) हिम और वर्षा संरक्षण।

(ii) टाइप पाठ्यक्रम - पाठ्यक्रम की अवधि नागर विमानन महानिदेशक द्वारा वायुयान की जटिलता को ध्यान में रखते हुए, अनुमोदित की जाएगी और उसके अधीन निम्नलिखित विषय होंगेः

(क) वायुयान पद्धतियां और उपसाधन जिनके अधीन खराबी का विश्लेषण सम्मिलित हैं;

(ख) वायुयान इंजिन- गैस टरबनाइन इंजन या पिस्टन इंजन जिसमें यथा लागू प्रोपेलर सिस्टम शामिल है और साथ ही जिनके अधीन खराबी का विश्लेषण सम्मिलित है;

(ग) ईंधन प्रबंध;

(घ) ग्राउंड हैंडिलिंग और मरम्मत करने की प्रक्रियाएं;

(ङ) भार और संतुलन;

(च) काकपिट सूची या न्यूनतम उपस्कर सूची का प्रयोग;

(छ) वाह्य और आंतरिक उड़ान पूर्व जांचें;

(ज) सामान्य प्रचालन संबंधी प्रक्रियाएं;

(झ) प्रचालन संबंधी अनुकल्पी या आपातकालीन प्रक्रियाएं;

(ञ) वायुयान कार्य निष्पादन;

(ट) वायुयान की उड़नयोग्यता संबंधी दस्तावेज;

(ठ) आपात उपस्कर;

(ड) अग्नि सुरक्षा प्रणालियाँ;

(ढ) वायुयान पद्धति, शक्ति संयंत्र पद्धति, उपस्कर पद्धति, विद्युत पद्धति प्रचालन परिसीमा;

(ण) हिम और वर्षा संरक्षण;

(त) अवतरण गियर और ब्रेक पद्धति; और

(थ) रेडियो, संचार, दिक्चालन और रडार पद्धतियों के सामान्य असामान्य और आपात प्रयोग का सामान्य ज्ञान।

8. छूट.- जहां कोई आवेदक यह स्वीकार करने योग्य साक्ष्य प्रस्तुत करता है कि उसने ग्राउंड अनुदेश पाठ्यक्रम में भाग लिया है या उसने इस धारा में पहले विनिर्दिष्ट किसी विषय में कम से कम समान मानकों की वायुयान अनुरक्षण इंजीनियर अनुज्ञप्ति परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है वहां उसे पैरा 7 में लागू अपेक्षाओं से नागर विमानन महानिदेशक द्वारा छूट दी जा सकेगी।

भाग प
उड़ान इंजीनियर अनुज्ञप्ति

1. **अनुज्ञप्ति जारी करने या उसके विस्तार के लिए अपेक्षाएं** - आवेदक उड़ान इंजीनियर अनुज्ञप्ति जारी करने या उसके विस्तार के लिए आवेदक को निम्नलिखित अपेक्षाओं को पूरा करेगा होगा,अर्थात:-

(क) उसके पास उस प्रकार के वायुयान पर वर्तमान छात्र उड़ान इंजीनियर अनुज्ञप्ति जो जिसे उसकी उड़ान इंजीनियर अनुज्ञप्ति की वायुयान रेटिंग में सम्मिलित किए जाने के लिए वांछनीय है।

(ख) चिकित्सीय स्वस्थता: अनुमोदित चिकित्सक बोर्ड से चिकित्सीय जांच कराने के पश्चात् विहित प्ररूप में शारीरिक स्वस्थता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगा। जांच के दौरान उसे अपनी चिकित्सीय स्वस्थता नागर विमानन महानिदेशक द्वारा नियम 78 के उपबंधों के अधीन यथा अधिसूचित अपेक्षाओं के अनुपालन के आधार पर सिद्ध करेगा।

(ग) अनुभव: आवेदक, अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन करने की तारीख से ठीक पहले बारह माह की अवधि के भीतर, उस प्रकार के वायुयान पर जिसे अनुज्ञप्ति में सम्मिलित करना बांछित है, एक सौ घंटों की उड़ान का अनुभव पूरा कर लेने का साक्ष्य प्रस्तुत करेगा और इस उड़ान अनुभव में से अधिकतम पचास घंटे का अनुभव किसी अनुमोदित संश्लिष्ट उड़ान प्रशिक्षण विमान पर होगा।

(घ) कौशल: उसे ऐसे आवेदन की तारीख से ठीक पूर्ववर्ती अधिकतम छह मास की अवधि के भीतर, उस प्रकार के वायुयान पर, जिससे आवेदन का संबंध है, निम्नलिखित परीक्षणों को पूरा करके नागर विमानन महानिदेशक द्वारा अनुमोदित परीक्षक के संतोषजनक रूप में उड़ान इंजीनियर के रूप में अपनी सक्षमता सिद्ध करनी होगी,अर्थात:-

(i) सामान्य प्रचालन: प्रतिनिधि वायुमार्ग की जांच के अधीन निम्नलिखित होंगे

(क) उड़ान पूर्व निरीक्षणः

(ख) पुनः ईंधन भरने की प्रक्रियाः

(ग) समुचित अनुरक्षण दस्तावेजों का निरीक्षण;

(घ) प्रचालन निर्देशिका के सुसंगत भागों में विनिर्दिष्ट उसके कर्त्तव्यों पर लागू होने वाली सभी सामान्य प्रक्रिया, कर्मीदल समन्वयः और

(ङ) खराबी के बारे में रिपोर्ट करना।

(ii) असामान्य और वैकल्पिक (स्टैंड बाइ) प्रचालन - सिस्टम की असामान्य कार्यप्रणाली को पहचानने की उसकी अर्हता की जांच करना और वैकल्पिक (स्टैंड बाइ) प्रक्रियाओं का उपयोग।

(iii) आपातकालीन प्रक्रियाएं - आपातकालीन प्रक्रियाओं के व्यावहारिक ज्ञान को सिद्ध करना और इंजन बंद हो जाने की दशा में, विशिष्टतया उड़ान भरने और अवतरणों के समय, समुचित कार्यवाई करने की अर्हता ।

2. विधिमान्यता- अनुज्ञप्ति नियम 79 में यथा विनिर्दिष्ट अवधि के लिए विधिमान्य होगी।

3. नवीकरण - आवेदक से निम्नलिखित के संबंध में संतोषजनक रूप में साक्ष्य की प्राप्ति पर अनुज्ञप्ति का नवीकरण किया जा सकेगा-

(क) उसने पैरा 1 खंड (ख) के अनुसार सफलतापूर्वक चिकित्सीय जांच करा ली हो;

(ख) उसने नवीकरण के लिए आवेदन की तारीख से ठीक पूर्ववर्ती छह मास की अवधि के भीतर उड़ान इंजीनियर के रूप में अधिकतम बीस घंटों का उड़ान काल संतोषजनक रूप में पूरा कर लिया है, या उसके बदले में उसने पैरा 1 खंड (घ) में उल्लिखित उड़ान परीक्षणों को उसी अवधि में पूरा कर लिया है।

4. वायुयान रेटिंग - अनुज्ञप्ति में वायुयान के वे प्रकार प्रदर्शित होंगे जिन पर धारक उड़ान इंजीनियर की हैसियत से उड़ान भरने का हकदार है।

5. वायुयान रेटिंग का विस्तार - किसी अतिरिक्त प्रकार के वायुयान को सम्मिलित करने के लिए वायुयान रेटिंग के विस्तार के लिए आवेदक से यह साक्ष्य प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाएगी कि-

(क) उसके पास उस प्रकार के वायुयान की, जिसे अनुज्ञप्ति की वायुयान रेटिंग में सम्मिलित करना वांछित है, विधिमान्यता छात्र उड़ान इंजीनियर अनुज्ञप्ति हो;

(ख) उसने वायुयान रेटिंग के विस्तार के लिए आवेदन की तारीख से ठीक पूर्ववर्ती 12 माह की अवधि के भीतर उस प्रकार के वायुयान पर, जिसे उसकी अनुज्ञप्ति में सम्मिलित करना वांछित है, पचास घंटों का उड़ान अनुभव पूरा कर लिया हो और इस उड़ान अनुभव में से अधिकतम पच्चीस घंटे का अनुभव किसी अनुमोदित संश्लिष्ट उड़ान प्रशिक्षण विमान पर हो;

(ग) उसने उस प्रकार के वायुयान, जिसके लिए वायुयान रेटिंग की अपेक्षा की जाती है, पैरा 1 खंड (घ) में उल्लिखित उड़ान परीक्षण, वायुयान रेटिंग के विस्तार के लिए आवेदन की तारीख से ठीक पूर्ववर्ती छह माह की अवधि में सफलतापूर्वक पूरे कर लिए हैं।

6. विशेषाधिकार - अनुज्ञप्ति में पृष्ठांकनों और रेटिंगों के अध्यधीन उड़ान इंजीनियर अनुज्ञप्ति धारक का विशेषाधिकार यह होगा कि वह अपनी अनुज्ञप्ति को वायुयान रेटिंग में विनिर्दिष्ट प्रकार के किसी वायुयान पर उड़ान इंजीनियर के रूप में कार्य करे। परन्तु यह तब जब कि पूर्ववर्ती बारह माह के दौरान उसने पैरा 1 खंड (घ) के उप-खंड (ii) और (iii) के अनुसार उस प्रकार के विमान में या किसी अनुमोदित उड़ान सिमुलेटर में उड़ान इंजीनियर के कर्त्तव्य संभालने के लिए परीक्षक को अपनी सक्षमता सिद्ध कर दी है।

भाग फ
उड़ान रेडियो टेलीफोन प्रचालक (प्रतिबंधित) अनुज्ञप्ति

1. अनुज्ञप्ति जारी किए जाने के लिए अपेक्षाएं.- आवेदक उड़ान रेडियो टेलीफोन प्रचालक (प्रतिबंधित) अनुज्ञप्ति के लिए निम्नलिखित अपेक्षाओं को पूरा करेगा।

(क) आयु: आवेदन की तारीख को उसकी आयु सोलह वर्ष से कम नहीं होगी।

(ख) शैक्षिक अर्हता: उसने मान्यताप्राप्त बोर्ड से 10 वीं या इसके समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण की हो।

(ग) चिकित्सीय स्वस्थता: वह नियम 78 के उपबंधों के अनुसार अनुमोदित चिकित्सा व्यवसायी से विहित प्ररूप में चिकित्सीय स्वस्थता का मूल्यांकन प्रस्तुत करेगा। चिकित्सीय निर्धारण की विधिमान्यता की अवधि वह होगी जो नियम 79 में विहित है।

(घ) ज्ञान: वह महानिदेशक द्वारा यथाविहित पाठ्यक्रम के अनुसार लिखित परीक्षा और व्यावहारिक परीक्षण उत्तीर्ण करेगा।

(ङ) अनुभव: वह छात्र पायलट अनुज्ञप्ति (विमान, हेलीकाप्टर, ग्लाइडर्स, माइक्रोलाइट, लाइट स्पोर्ट वायुयान या बैलूनों) या प्राइवेट पायलट अनुज्ञप्ति (विमान या हेलीकाप्टर) या पायलट अनुज्ञप्ति (माइक्रोलाइट,लाइट स्पोर्ट वायुयान,ग्लाइडर्स या बैलूनों) का धारक होगा।

(च) कौशल: यदि आवश्यक हो, तो उसको वायुयान पर उड़ान रेडियो टेलीफोन साधित्र के प्रचालक के रूप में सक्षमता सुनिश्चित करने के लिए उड़ान जांच से गुजराना होगा।

2. विधिमान्यता - अनुज्ञप्ति नियम 79 में यथा विनिर्दिष्ट अवधि के लिए विधिमान्य होगी।

3. नवीकरण - यह संतोषजनक साक्ष्य प्रस्तुत किए जाने पर अनुज्ञप्ति का नवीकरण किया जाएगा कि-

(क) आवेदक पैरा 1 के खंड (ग) के अनुसार चिकित्सीय जांच करा चुका है;

(ख) ऐसे वायुयान में, जिसमें दोनों तरफ के संचार के लिए रेडियो टेलीफोन यंत्र प्रतिस्थापित किए गए हैं, कम से कम पांच घंटे का उड़ान काल संतोषजनक रूप में उस अवधि में पूरा किया हो जिस अवधि में उसने रेडियो टेलीफोन साधित्र का प्रचालन किया हो या इसके एवज में प्रारंभ में इस अनुज्ञप्ति के जारी करने के लिए सभी अपेक्षाओं को पूरा किया हो।

4. **विशेषाधिकार** - अनुज्ञप्ति में पृष्ठांकन के अध्यधीन उड़ान रेडियो टेलीफोन प्रचालक (प्रतिबंधित) अनुज्ञप्ति धारक का विशेषाधिकार यह होगा कि वह वायुयान पर अत्यधिक उच्च फ्रीक्वेंसी पर दोनों तरफ के संचार के लिए रेडियो टेलीफोन साधित्र का प्रचालन करे।

भाग ब
उड़ान रेडियो टेलीफोन प्रचालक अनुज्ञप्ति

1. **अनुज्ञप्ति जारी किये जाने के लिए अपेक्षाएं** - उड़ान रेडियो टेलीफोन प्रचालन अनुज्ञप्ति के लिए आवेदक को निम्नलिखित अपेक्षाओं को पूरा करेगा,अर्थात:-

(क) आयु: आवेदन की तारीख को उसकी आयु अठारह वर्ष से कम नहीं होगी;

(ख) शैक्षिक अर्हता: उसने किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से भौतिकी और गणित के साथ 12 वीं या समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण हो;

(ग) चिकित्सीय स्वस्थता: वह अनुमोदित चिकित्सा व्यवसायी या अनुमोदित चिकित्सा बोर्ड से चिकित्सीय जांच कराने के पश्चात् विहित प्ररूप में शारीरिक स्वस्थता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगा। जांच

के दौरान वह महानिदेशक द्वारा नियम 78 के उपबंधों के अधीन यथा अधिसूचित अपेक्षाओं के अनुपालन के आधार पर अपनी चिकित्सीय स्वस्थता सिद्ध करेगा;

(घ) ज्ञान या तकनीकी अर्हता: उसे इन नियमों के अधीन जारी विधिमान्य रेडियो टेलीफोन प्रचालक (प्रतिबंधित) प्रमाणपत्र और अनुज्ञप्ति प्रस्तुत करेगा;

(ङ) अनुभव: वह उड़ान रेडियो टेलीफोन प्रचालक के रूप में कम से कम दो माह का संतोषजनक अनुभव पूरा करने और नियम 59 के उपबंधों के अनुसार रेडियो इंस्ट्रमेंट से सुसज्जित विमान में पूर्ववर्ती बारह माह के दौरान कम से कम दस घंटे का अनुभव प्राप्त करने का संतोषजनक साक्ष्य प्रस्तुत करेगा:

परन्तु उस आवेदक को, जिसे उपरोक्त अनुभव नहीं है, अनंतिम अनुज्ञप्ति अधिकतम एक वर्ष के लिए इसलिए दी जा सकेगी कि वह अपेक्षित अनुभव प्राप्त करके स्वयं को योग्य बना लें:

परन्तु यह भी कि जो आवेदक अनुज्ञप्ति धारक उड़ान कर्मी है, उससे अनुभव का साक्ष्य प्रस्तुत करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी।

2. विधिमान्यता - अनुज्ञप्ति नियम 79 में यथा विनिर्दिष्ट अवधि के लिए विधिमान्य होगी।

3. **विशेषाधिकार** - अनुज्ञप्ति में पृष्ठांकनों के अध्यधीन उड़ान रेडियो टेलीफोन प्रचालक अनुज्ञप्ति धारक का विशेषाधिकार यह होगा कि वह नियम 59 के उपबंधों के अनुसार रेडियो साधित्र से सज्जित किसी वायुयान पर उड़ान रेडियो टेलीफोन प्रचालक के रूप में कार्य करे, जिसमें रेडियो ऐसा इंस्ट्रमेंट सम्मिलित संचार करता है जो संचार रेडियो टेलिफोन द्वारा करे, किन्तु अनंतिम अनुज्ञप्ति धारक हर समय, उड़ान रेडियो टेलिफोन प्रचालक अनुज्ञप्ति धारक के पर्यवेक्षण के अधीन प्रचालन करेगा।

दूसरी अनुसूची
वायु यातायात सेवा कार्मिक

(अध्याय-चार देखें)

भाग क
सामान्य

1. **अनुज्ञप्ति या रेटिंग प्रदान के लिए आवेदन** - (क) अनुज्ञप्ति या रेटिंग जारी करने या नवीकरण के लिए आवेदन महानिदेशक को विनिर्दिष्ट प्ररूप पर किया जाएगा, और इसके साथ निम्नलिखित संलग्न होंगे:

(i) अनुमोदित चिकित्सा प्राधिकारी या महानिदेशक द्वारा जारी चिकित्सा स्वस्थता मूल्यांकन;

(ii) महानिदेशक द्वारा यथा विनिर्दिष्ट प्रारूप और विनिर्देशों के अनुसार आवेदक के सिर (बिना कवर के) और कंधो की सामने से नवीनतम तस्वीर;

(iii) आयु के प्रमाण के रूप में किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या उसके समतुल्य का कक्षा 10 का प्रमाणपत्र या अंकपत्र या नगर निगम या समिति द्वारा जारी जन्म प्रमाणपत्र;

(iv) विनिर्दिष्ट फीस का भुगतान;

(v) शैक्षणिक अर्हता, ज्ञान और अनुभव अपेक्षाओं को पूरा करने का प्रमाण; और

(vi) महानिदेशक द्वारा अपेक्षित कोई अन्य जानकारी।

(ख) आवेदन की तारीख वह होगी जिस पर आवेदन नागर विमानन महानिदेशालय में प्राप्त होगा।

(ग) इस अनुसूची में विनिर्दिष्ट अनुज्ञप्ति और रेटिंग मान्यताप्राप्त बोर्ड उसके समतुल्य में कक्षा 10 का प्रमाणपत्र या अंकपत्र दर्ज नाम के अनुसार जारी किए जाएंगे।

2. **अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए आवेदन.** - (क) अनुज्ञप्ति या रेटिंग के नवीकरण के लिए आवेदन महानिदेशक को या इस संबंध में उनके द्वारा नामित किसी अन्य प्राधिकारी को एक विनिर्दिष्ट प्ररूप में किया जाएगा, और इसके साथ निम्नलिखित संलग्न होंगे:

(i) नियम 91 में निर्दिष्ट महानिदेशक द्वारा जारी चिकित्सा फिटनेस का निर्धारण;

(ii) संबंधित वायु यातायात सेवा यूनिट के प्रभारी व्यक्ति द्वारा सम्यक रूप से प्रमाणित नवीनतम अनुभव का विवरण;

(iii) विनिर्दिष्ट फीस का भुगतान; और

(iv) महानिदेशक द्वारा अपेक्षित कोई अन्य जानकारी।

(ख) आवेदन की तारीख वह होगी जिस पर आवेदन नागर विमानन महानिदेशालय में प्राप्त होता है।

3. **परीक्षा.** - (क) छात्र वायु यातायात नियंत्रक अनुज्ञप्ति या वायु यातायात नियंत्रक अनुज्ञप्ति या रेटिंग जारी करने के लिए आवेदक से महानिदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट तरीके से आयोजित परीक्षाओं को उत्तीर्ण करना अपेक्षित होगा:

परंतु जब दो वायु यातायात नियंत्रक रेटिंग एक साथ मांगी जाती हैं, तो अनुज्ञप्ति धारक दोनों रेटिंग्स की परीक्षा अपेक्षाओं को पूरा करेगा।

(ख) उम्मीदवार परीक्षा से पहले अपनी पहचान का प्रमाण परीक्षक द्वारा मांगे जाने पर प्रस्तुत करेगा।

(ग) कोई भी आवेदक जो किसी भी परीक्षा में अनुत्तीर्ण होता है, उसे परीक्षा की तारीख से कम से कम दो सप्ताह की अवधि के अंदर पुनः परीक्षा के लिए उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

4. **परीक्षक या बोर्ड द्वारा निर्धारण.** - पृष्ठांकन प्राप्त करने के लिए, छात्र वायु यातायात नियंत्रक अनुज्ञप्ति या वायु यातायात नियंत्रक अनुज्ञप्ति के धारक का निर्धारण महानिदेशक द्वारा नियुक्त एक परीक्षक या एक बोर्ड, या महानिदेशक द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत सरकार के नियंत्रण में एक संगठन द्वारा किया जाएगा:

परंतु जब दो वायु यातायात नियंत्रक रेटिंग एक साथ मांगी जाती हैं, तो अनुज्ञप्ति धारक को दोनों रेटिंग्स की कौशल अपेक्षाओं को पूरा करेगा।

5. **परीक्षा और अनुभव की विधिमान्यता.**- (क) अनुज्ञप्ति या रेटिंग के लिए आवेदक ने आवेदन की तिथि से ठीक पहले पांच वर्ष से अनधिक की अवधि के भीतर अनुज्ञप्ति या रेटिंग जारी करने के लिए परीक्षा उत्तीर्ण की हो।

(ख) रेटिंग के लिए आवेदन अनुभाग घ, ड़, च, छ और झ में विनिर्दिष्ट अनुभव के प्राप्त होने के छह माह के भीतर किया जाएगा:

परंतु आवेदक ने आवेदन की तिथि से पिछले छह माह में कम से कम 10 घंटे का अनुभव पूरा कर लिया हो।

(ग) यदि किसी परीक्षा की विधिमान्यता छुट्टी के दिन समाप्त होती है, तो उसे स्वत: अगले कार्य दिवस तक बढ़ा दिया जाएगा।

6. **अनुभव अपेक्षाएँ.**- (क) आवेदक ने एक अनुमोदित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम समाधानप्रद रूप में पूरा किया हो; और

(ख) छात्र वायु यातायात नियंत्रक अनुज्ञप्ति या वायु यातायात नियंत्रक अनुज्ञप्ति के धारक को इस अनुसूची के संबंधित खंड में किसी विशेष रेटिंग को प्रदान करने के लिए विनिर्दिष्ट अवधि और घंटों की अवधि के लिए एक प्रशिक्षक के पर्यवेक्षण में वायु यातायात के वास्तविक नियंत्रण में ऑन-द-जॉब प्रशिक्षण से गुजरना अपेक्षित होगा:

परंतु जब आवेदक पहले से ही उसी वायु यातायात सेवा स्टेशन पर किसी अन्य इकाई की रेटिंग धारित करता हो या थी, अथवा किसी अन्य वायु यातायात सेवा स्टेशन की वही रेटिंग हो, तो महानिदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन और संतुष्ट होने पर, उस वायु यातायात इकाई के यातायात परिमाण के आधार पर जिसके लिए रेटिंग मांगी जा रही है और लाइसेंस धारक के अनुभव के आधार पर, अनुज्ञापन प्राधिकारी

इस अनुसूची की प्रासंगिक धारा में विनिर्दिष्ट अवधि और घंटों की तुलना में कम अवधि और घंटों का ऑन-द-जॉब प्रशिक्षण अनुमोदित करेगा:

परंतु यह और कि जब दो वायु यातायात नियंत्रक रेटिंग एक साथ मांगी जाती हैं, तो अनुज्ञप्ति धारक को उस रेटिंग की अनुभव अपेक्षाओं को पूरा करेगा जिसके लिए ऐसी रेटिंग के लिए उच्च अनुभव की अपेक्षा है।

स्पष्टीकरण.- इस पैरा के प्रयोजन के लिए, "अनुदेशक" से एक वायु यातायात नियंत्रण ऑन-द-जॉब प्रशिक्षण अनुदेशक अभिप्रेत है।

7. **विशेषाधिकारों के प्रयोग के लिए विगत की शर्तें.** - (क) कोई भी व्यक्ति जिसके पास चालू वायु यातायात नियंत्रक अनुज्ञप्ति है, वह अपने अनुज्ञप्ति या रेटिंग के विशेषाधिकारों का तब तक प्रयोग नहीं करेगा जब तक कि वह इन नियमों के अनुसार उस पर लागू सक्षमता, अभिनवता और भाषा प्रवीणता की अपेक्षा और चिकित्सा मानकों को पूरा नहीं करता है:

परंतु यदि अपर्याप्त गतिविधियों या निगरानी घंटों के कारण अभिनवता या सक्षमता की अपेक्षाएँ पूरी नहीं की जा सकती हैं, तो अनुज्ञप्ति धारक कम-से-कम दस घंटे का सिमुलेटेड अभ्यास, जिसमें आपात स्थिति भी शामिल है, पूरा करेगा और सिमुलेटेड अभ्यास शुरू होने के लगातार दस दिनों के भीतर संबंधित रेटिंग के लिए कौशल निर्धारण से भी गुजरेगा।

(ख) अनुज्ञप्ति धारक शराब या किसी भी मनो-सक्रिय पदार्थ के प्रभाव में रहते हुए अपने अनुज्ञप्ति और संबंधित रेटिंग के विशेषाधिकारों का प्रयोग नहीं करेगा, जो उसे अनुज्ञप्ति और रेटिंग के विशेषाधिकारों का सुरक्षित और उचित रूप से प्रयोग करने में असमर्थ बना सकता है।

8. **अभिनवता अपेक्षाएँ.**- एक अनुज्ञप्ति धारक को उसकी अनुज्ञप्ति पर रेटिंग और पृष्ठांकन के संबंध में नवीनतम माना जाता है यदि उसने पिछले छह महीनों के दौरान किसी विशेष रेटिंग के संबंध में न्यूनतम दस घंटे काम किया है।

9. **भाषा प्रवीणता.** - (क) छात्र वायु यातायात नियंत्रक अनुज्ञप्ति या वायु यातायात नियंत्रक अनुज्ञप्ति प्रदान के लिए आवेदक के पास रेडियोटेलीफोनी संचार के लिए प्रयोग की जाने वाली अंग्रेजी भाषा को महानिदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट प्रवीणता स्तर तक बोलने और समझने की क्षमता होनी चाहिए।

(ख) प्रवीणता स्तर का मूल्यांकन महानिदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट प्रक्रियाओं के अनुसार किया जाएगा।

(ग) अनुज्ञापन प्राधिकारी अनुज्ञप्ति में प्रवीणता स्तर इंगित करेगा।

भाग ख

छात्र वायु यातायात नियंत्रक अनुज्ञप्ति

1. **अनुज्ञप्ति जारी करने के लिए अपेक्षाएँ.**- छात्र वायु यातायात नियंत्रक अनुज्ञप्ति के लिए आवेदक निम्नलिखित अपेक्षाओं को पूरा करेगा, अर्थात्:-

(क) आयु: आवेदन की तारीख को उसकी आयु बीस वर्ष से कम नहीं होगी।

(ख) शैक्षणिक अर्हता:- उसने निम्नलिखित में से कोई एक डिग्री उत्तीर्ण की हो अथवा नीचे विनिर्दिष्ट विधिमान्य लाइसेंस का धारक हो, अर्थातः

(i) भौतिकी और गणित के साथ विज्ञान में स्नातक; अथवा

(ii) विज्ञान में स्नातक (भौतिकी में ऑनर्स); अथवा

(iii) विज्ञान में स्नातक (गणित में ऑनर्स); अथवा

(iv) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से उपखंड (i) या उपखंड (ii) या उपखंड (iii) के समतुल्य परीक्षा; अथवा

(v) किसी भी विषय में इंजीनियरिंग में स्नातक अथवा प्रौद्योगिकी में स्नातक जिसमें किसी भी सेमेस्टर में भौतिकी और गणित विषय के रूप में हों; अथवा

(vi) किसी एक सेमेस्टर में भौतिकी और गणित विषय के साथ एकीकृत या दोहरी डिग्री; अथवा

(vii) एक विधिमान्य भारतीय वाणिज्यिक पायलट अनुज्ञप्ति रखता हो।

(ग) चिकित्सीय योग्यता: उसके पास नियम 91 में संदर्भित महानिदेशक द्वारा जारी एक विधिमान्य चिकित्सा योग्यता मूल्यांकन होना चाहिए।

(घ) ज्ञानः उसने निम्नलिखित विषयों में एक लिखित परीक्षा उत्तीर्ण करके अपेक्षित स्तर का ज्ञान प्रदर्शित किया हो, अर्थात्:

(i) वायु विधिः इन नियमों के उपबंध, नागर विमानन अपेक्षाएँ और वायु यातायात नियंत्रण से संबंधित कोई अन्य परिपत्र या अनुदेश;

(ii) वायु यातायात नियंत्रण उपकरण : वायु यातायात नियंत्रण में उपयोग किए जाने वाले उपकरणों के सिद्धांत, उपयोग और सीमाएं;

(iii) सामान्य ज्ञान: उड़ान के सिद्धांत; वायुयान और दूरस्थ रूप से प्रचालित वायुयान प्रणाली (आरपीएएस), इंजन और प्रणालियों के प्रचालन और कार्यप्रणाली के सिद्धांत; वायु यातायात नियंत्रण प्रचालन से संबंधित वायुयान प्रदर्शन;

(iv) मानव व्यवहार: वायु यातायात नियंत्रण से संबंधित मानव व्यवहार जिसमें खतरे और त्रुटि प्रबंधन के सिद्धांत शामिल हैं;

(v) मौसम विज्ञान: वैमानिकी मौसम विज्ञान, मौसम संबंधी दस्तावेज़ीकरण और जानकारी का उपयोग और मूल्यांकन, उड़ान प्रचालन और सुरक्षा को प्रभावित करने वाली मौसम संबंधी घटनाओं की उत्पत्ति और लक्षण, अल्टीमेट्री;

(vi) दिक्चालन: वायु दिक्चालन के सिद्धांत, दिक्चालन प्रणालियों और दृश्य सहाय्य तंत्रों के सिद्धांत, सीमा और सटीकता; और

(vii) परिचालन प्रक्रियाएं: वायु यातायात नियंत्रण, संचार, रेडियो-टेलीफोनी और शब्दावली प्रक्रिया (नियमित, गैर-नियमित और आपातकालीन), संबंधित वैमानिकी दस्तावेज़ीकरण का उपयोग, उड़ान से संबंधित सुरक्षा अभ्यास।

(ङ) अनुभव: उसने एक अनुमोदित प्रशिक्षण संगठन से एक अनुमोदित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा किया हो और संबंधित परीक्षा उत्तीर्ण की हो, और एक अनुमोदित संगठन से किसी भी रेटिंग से संबंधित रेटिंग या अनुशासन में प्रारंभिक प्रशिक्षण का एक अनुमोदित पाठ्यक्रम भी पूरा किया हो।

2. **विधिमान्यता.** - अनुज्ञप्ति नियम 94 में विनिर्दिष्ट अवधि के लिए विधिमान्य होगा और धारक द्वारा वायु यातायात नियंत्रक अनुज्ञप्ति प्राप्त करने पर समाप्त हो जाएगा।

3. **नवीकरण** .- अनुज्ञप्ति को पैरा 1 के खंड (ग) में विनिर्दिष्ट नए चिकित्सा परीक्षा की तारीख से तीन वर्ष से अधिक की अवधि के लिए नवीनीकृत नहीं किया जाएगा।

4. **विशेषाधिकार.** - अनुज्ञप्ति की विधिमान्यता के अधीन, छात्र वायु यातायात नियंत्रक अनुज्ञप्ति का धारक किसी विशेष वायु यातायात नियंत्रण यूनिट में वायु यातायात नियंत्रक के रूप में कर्तव्यों का निर्वहन कर सकेगा ताकि उसके अनुज्ञप्ति पर ऐसी रेटिंग के पृष्ठांकन के लिए अर्हता प्राप्त करने के उद्देश्य से ऑन-द-जॉब-प्रशिक्षण की अपेक्षाएँ पूरी की जा सके:

परंतु कि वह निम्नलिखित कर्तव्य निभाएगा -

(i) सभी समय उस वायु यातायात नियंत्रण यूनिट पर रेटेड एक प्राधिकृत अनुदेशक के प्रत्यक्ष निगरानी में; और

(ii) एक वायु यातायात नियंत्रण यूनिट में जिसके लिए उसने एक अनुमोदित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा किया हो।

भाग - ग

वायु यातायात नियंत्रक अनुज्ञप्ति

1. **अनुज्ञप्ति जारी करने के लिए अपेक्षाएँ.**- वायु यातायात नियंत्रक अनुज्ञप्ति के लिए आवेदक निम्नलिखित अपेक्षाओं को पूरा करेगा, अर्थात्:-

(क) आयु : आवेदन की तारीख को उसकी आयु इक्कीस वर्ष से कम नहीं होगी।

(ख) शैक्षणिक अर्हता : उसने निम्नलिखित में से कोई एक डिग्री उत्तीर्ण की हो अथवा नीचे विनिर्दिष्ट डिग्री या विधिमान्य अनुज्ञप्ति का धारक हो:

(i) भौतिकी और गणित के साथ विज्ञान में स्नातक; अथवा

(ii) विज्ञान में स्नातक (भौतिकी में ऑनर्स); अथवा

(iii) बैचलर ऑफ साइंस (गणित में ऑनर्स); अथवा

(iv) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से उपरोक्त उप-खंड (i) या उप-खंड (ii) या उप- खंड (iii) के समतुल्य परीक्षा; अथवा

(v) किसी भी विषय में इंजीनियरिंग में स्नातक अथवा प्रौद्योगिकी में स्नातक जिसमें किसी भी सेमेस्टर में भौतिकी और गणित विषय के रूप में हों; या

(vi) किसी एक सेमेस्टर में भौतिकी और गणित विषय के साथ एकीकृत या दोहरी डिग्री; या

(vii) एक विधिमान्य भारतीय वाणिज्यिक पायलट अनुज्ञप्ति रखता हो।

(ग) चिकित्सा स्वस्थता: उसके पास नियम 91 में संदर्भित महानिदेशक द्वारा जारी एक विधिमान्य चिकित्सा योग्यता निर्धारण हो।

(घ) ज्ञान: (i) वह एक विधिमान्य छात्र वायु यातायात नियंत्रक अनुज्ञप्ति धारित करता हो।

(ii) उसने इस अनुसूची के भाग घ, ड़, च, छ, ज और झ में यथाविनिर्दिष्ट किसी विशेष वायु यातायात नियंत्रण यूनिट के लिए कम से कम एक रेटिंग प्राप्त करने के लिए परीक्षा उत्तीर्ण की हो।

(ङ) अनुभव : वह-

(i) लागू रेटिंग के लिए एक अनुमोदित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम समाधानप्रद ढंग से पूरा करने का; और

(ii) एक उपयुक्त रेटेड अनुदेशक के पर्यवेक्षण में वायु यातायात के वास्तविक नियंत्रण में संलग्न कम से कम तीन माह की संतोषजनक सेवा पूरी करने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा।

स्पष्टीकरण - इस खंड के प्रयोजन के लिए भाग घ, ड़, च, छ, ज और झ में विनिर्दिष्ट अनुभव की इस खंड के अधीन अपेक्षित अनुभव के हिस्से के रूप में गणना की जाएगी।

2. **विधिमान्यता**.- अनुज्ञप्ति नियम 94 में यथाविनिर्दिष्ट अवधि के लिए विधिमान्य होगा।

3. **नवीकरण**.- आवेदक के पास एक विधिमान्य चिकित्सा योग्यता निर्धारण और कम से कम एक विधिमान्य रेटिंग होने के अधीन अनुज्ञप्ति को नियम 94 में विनिर्दिष्ट अवधि के लिए नवीनीकृत किया जाएगा।

4. **विशेषाधिकार.**- अनुज्ञप्ति की विधिमान्यता के अधीन, वायु यातायात नियंत्रक अनुज्ञप्ति का धारक किसी भी वायु यातायात नियंत्रण यूनिट में वायु यातायात नियंत्रक के रूप में कर्तव्यों का निर्वहन कर सकेगा, जो उसके अनुज्ञप्ति में रेटिंग के रूप में सम्मिलित है।

भाग घ

विमानक्षेत्र नियंत्रण रेटिंग

1. **रेटिंग जारी करने के लिए अपेक्षाएं.**- विमानक्षेत्र नियंत्रण रेटिंग के लिए आवेदक निम्नलिखित अपेक्षाओं को पूरा करेगा, अर्थात्:-

(क) ज्ञान: वह या तो एक छात्र वायु यातायात नियंत्रक अनुज्ञप्ति या एक वायु यातायात नियंत्रक अनुज्ञप्ति धारित करता है। और उसने संबंधित विमानक्षेत्र नियंत्रण टावर के संबंध में निम्नलिखित विषयों में परीक्षा उत्तीर्ण करके ज्ञान का स्तर प्रदर्शित किया हो, अर्थात्:

(i) विमानक्षेत्र का विन्यास, भौतिक विशेषताएँ और दृश्य सहाय्य तंत्र,

(ii) वायु क्षेत्र की संरचना,

(iii) लागू नियम, प्रक्रियाएँ और जानकारी का स्रोत,

(iv) वायु दिक्चालन प्रसुविधाएँ,

(v) वायु यातायात नियंत्रण उपस्कर और उसका उपयोग,

(vi) भू-भाग और प्रमुख स्थलचिह्न,

(vii) वायु यातायात की विशेषताएँ,

(viii) मौसम संबंधी घटनाएँ,

(ix) आपातकालीन, खोजबीन और बचाव योजनाएँ, और

(x) किसी विशेष वायु यातायात सेवा यूनिट के लिए उपयुक्त माना जाने वाला कोई अन्य विषय।

(ख) अनुभव: वह -

(i) लागू रेटिंग के लिए एक अनुमोदित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम संतोषजनक रूप से पूरा करने का; और

(ii) उस यूनिट में कम-से-कम डेढ़ माह की अवधि के लिए ऑन-द-जॉब प्रशिक्षण से गुजरने का, जिसके लिए रेटिंग मांगी जा रही है, जिसके दौरान कम से कम नब्बे घंटे का प्रशिक्षण पूरा किया गया हो, प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगा-

(ग) कौशल: एक बोर्ड या परीक्षक द्वारा उसे सुरक्षित, सुव्यवस्थित और शीघ्र विमानक्षेत्र नियंत्रण सेवा प्रदान करने के लिए उसके कौशल, निर्णय और कार्य-निष्पादन के संबंध में सफल मूल्यांकन किया गया हो, जिसमें खतरों और त्रुटियों की पहचान और प्रबंधन सम्मिलित है, और यह निर्धारण ऑन-द-जॉब प्रशिक्षण अपेक्षाएं पूरी होने के ठीक पश्चात किया जाएगा।

2. **विधिमान्यता**.- यदि किसी वायु यातायात नियंत्रक ने छह माह से अधिक की अवधि के लिए रेटिंग के विशेषाधिकारों का प्रयोग नहीं किया है तो रेटिंग अविधिमान्य हो जाएगी।

3. **पुनर्विधिमान्यकरण.**- रेटिंग नियम 98 में यथाउपबंधित पुनः विधिमान्य किया जाएगा।

4. **विशेषाधिकार**.- (क) रेटिंग धारक के विशेषाधिकार उस विमानक्षेत्र पर विमानक्षेत्र नियंत्रण सेवा प्रदान करने या उसके उपबंधों का पर्यवेक्षण करने का होगा जिसके लिए उसे रेटिंग दी गई है।

(ख) विशेषाधिकारों का प्रयोग करने से पहले, रेटिंग धारक सभी प्रासंगिक और वर्तमान जानकारी से परिचित होगा।

भाग ड.

अप्रोच नियंत्रण प्रक्रियात्मक रेटिंग

1. **रेटिंग जारी करने के लिए अपेक्षाएं**.- अप्रोच नियंत्रण प्रक्रियात्मक रेटिंग के लिए आवेदक को निम्नलिखित अपेक्षाओं को पूरा करेगा, अर्थात्:-

(क) ज्ञान: वह वायु यातायात नियंत्रक अनुज्ञप्ति या एक छात्र वायु यातायात नियंत्रक अनुज्ञप्ति धारित करता हो और उसने किसी विशेष स्थान पर अप्रोच नियंत्रण यूनिट के लिए कम-से-कम निम्नलिखित विषयों में परीक्षा उत्तीर्ण करके अपेक्षित ज्ञान का स्तर प्रदर्शित किया हो, अर्थात्:

(i) वायु क्षेत्र की संरचना;

(ii) लागू नियम, प्रक्रियाएँ और जानकारी का स्रोत;

(iii) वायु दिक्चालन प्रसुविधाएँ;

(iv) वायु यातायात नियंत्रण उपस्कर और उसका उपयोग;

(v) भू-भाग और प्रमुख स्थलचिह्न;

(vi) वायु यातायात और यातायात प्रवाह की विशेषताएँ;

(vii) मौसम संबंधी घटनाएँ;

(viii) आपातकालीन, खोजबीन और बचाव योजनाएँ; और

(ix) किसी विशेष वायु यातायात सेवा यूनिट के लिए उपयुक्त माना जाने वाला कोई अन्य विषय।

(ख) अनुभव: वह-

(i) लागू रेटिंग के लिए एक अनुमोदित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम संतोषजनक रूप से पूरा करने का; और

(ii) उस यूनिट में कम-से-कम तीन माह की अवधि के लिए ऑन-द-जॉब प्रशिक्षण से गुजरने का, जिसके दौरान कम से कम एक-सौ-अस्सी घंटे का प्रशिक्षण पूरा किया गया हो, जिसके लिए रेटिंग मांगी जा रही है, प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगा।

(ग) कौशल: एक बोर्ड या परीक्षक द्वारा उसे सुरक्षित, सुव्यवस्थित और शीघ्र अप्रोच नियंत्रण सेवा प्रदान करने के लिए उसके कौशल, निर्णय और कार्य-निष्पादन के संबंध में सफल निर्धारण किया गया हो, जिसमें खतरों और त्रुटियों की पहचान और प्रबंधन सम्मिलित है, और यह निर्धारण ऑन-द-जॉब प्रशिक्षण अपेक्षाएं पूरी होने के ठीक पश्चात किया जाएगा।

2. **विधिमान्यता:** यदि किसी वायु यातायात नियंत्रक ने छह माह से अधिक की अवधि के लिए रेटिंग के विशेषाधिकारों का प्रयोग नहीं किया है तो रेटिंग अविधिमान्य हो जाएगी।

3. **पुनर्विधिमान्यकरण:** कोई रेटिंग नियम 98 में यतहुपबंधित पुन: विधिमान्य किया जाएगा।

4. विशेषाधिकार: (क) धारक के विशेषाधिकार उस यूनिट के वायु क्षेत्र के क्षेत्राधिकार या उसके भाग को अप्रोच नियंत्रण सेवा प्रदान करने या उसके उपबंधों का पर्यवेक्षण करने का होगा जिसके लिए उसे रेटिंग दी गई है।

(ख) विशेषाधिकारों का प्रयोग करने से पहले, रेटिंग धारक सभी प्रासंगिक और वर्तमान जानकारी से परिचित होगा।

भाग च

अप्रोच नियंत्रण निगरानी रेटिंग

1. **रेटिंग जारी करने के लिए अपेक्षाएं**.- अप्रोच नियंत्रण निगरानी रेटिंग के लिए आवेदक निम्नलिखित अपेक्षाओं को पूरा करेगा, अर्थात्:-

(क) *ज्ञान*: वहएक वायु यातायात नियंत्रक अनुज्ञप्ति या एक छात्र वायु यातायात नियंत्रक अनुज्ञप्ति धारित करता हो और उसने किसी विशेष स्थान पर जिम्मेदारी के क्षेत्र के संबंध में कम से कम निम्नलिखित विषयों में परीक्षा उत्तीर्ण करके अपेक्षित ज्ञान का स्तर प्रदर्शित किया हो, अर्थात्:

(i) वायु क्षेत्र की संरचना;

(ii) लागू नियम, प्रक्रियाएँ और जानकारी का स्रोत;

(iii) वायु दिक्चालन प्रसुविधाएँ;

(iv) वायु यातायात नियंत्रण उपस्कर और उसका उपयोग;

(v) भू-भाग और प्रमुख स्थलचिह्न;

(vi) वायु यातायात और यातायात प्रवाह की विशेषताएँ;

(vii) मौसम संबंधी घटनाएँ;

(viii) आपातकालीन, खोजबीन और बचाव योजनाएँ;

(ix) लागू वायु यातायात सेवा निगरानी प्रणालियों और संबंधित उपकरणों के सिद्धांत, उपयोग और सीमाएं;

(x) वायु यातायात सेवा निगरानी सेवा के उपबंध के लिए प्रक्रियाएँ, जैसा उपयुक्त हो, जिसमें उचित भू-भाग निकासी सुनिश्चित करने की प्रक्रियाएं शामिल हैं;

(xi) किसी विशेष वायु यातायात सेवा इकाई के लिए उपयुक्त माना जाने वाला कोई अन्य विषय।

(ख) अनुभव: वह-

(i) निगरानी प्रणाली पर एक अनुमोदित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम समाधानप्रद ढंग से पूरा करने का; और

(ii) उस यूनिट में कम-से-कम तीन माह की अवधि के लिए ऑन-द-जॉब प्रशिक्षण से गुजरने का, जिसके दौरान कम-से-कम एक सौ अस्सी घंटे का प्रशिक्षण पूरा किया गया हो, जिसके लिए रेटिंग मांगी जा रही है, का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा:

परंतु कि उप-खंड (i) में विनिर्दिष्ट अपेक्षाएँ किसी अन्य विमानक्षेत्र के लिए अप्रोच या क्षेत्र निगरानी रेटिंग धारण करने वाले अथवा पहले से धारित वायु यातायात नियंत्रक के लिए अपेक्षित नहीं होगी।

(ग) कौशलः एक बोर्ड या परीक्षक द्वारा उसे सुरक्षित, सुव्यवस्थित और शीघ्र अप्रोच नियंत्रण सेवा प्रदान करने के लिए उसके कौशल, निर्णय और कार्य-निष्पादन के संबंध में सफल निर्धारण किया गया हो, जिसमें खतरों और त्रुटियों की पहचान और प्रबंधन सम्मिलित है, और यह निर्धारण ऑन-द-जॉब प्रशिक्षण अपेक्षाएँ पूरी होने के ठीक पश्चात किया जाएगा।

2. **विधिमान्यता.-** यदि किसी वायु यातायात नियंत्रक ने छह माह से अधिक की अवधि के लिए रेटिंग के विशेषाधिकारों का प्रयोग नहीं किया है तो रेटिंग अविधिमान्य हो जाएगी।

3. **पुनर्विधिमान्यकरण.-** रेटिंग नियम 98 में यथा उपबंधित पुनः विधिमान्य की जाएगी।

4. **विशेषाधिकार.**- (क) धारक के विशेषाधिकार उस विमानक्षेत्र या विमानक्षेत्रों के अप्रोच कंट्रोल सेवा प्रदान करने वाली यूनिट के क्षेत्राधिकार में आने वाले वायु क्षेत्र या उसके भाग के लिए लागू वायु यातायात सेवा निगरानी प्रणालियों के उपयोग के साथ अप्रोच नियंत्रण सेवा प्रदान करने या उसके उपबंधों का पर्यवेक्षण करने के होंगे जिसके लिए उसे रेटिंग दी गई है।

(ख) विशेषाधिकारों का प्रयोग करने से पहले, रेटिंग धारक सभी प्रासंगिक और वर्तमान जानकारी से परिचित होगा।

भाग छ

क्षेत्र नियंत्रण प्रक्रियात्मक रेटिंग

1. **रेटिंग जारी करने के लिए अपेक्षाएँ**.- क्षेत्र नियंत्रण प्रक्रियात्मक रेटिंग के लिए आवेदक को निम्नलिखित अपेक्षाओं को पूरा करना होगा, अर्थात्:-

(क) ज्ञानः वह एक वायु यातायात नियंत्रक अनुज्ञप्ति या एक छात्र वायु यातायात नियंत्रक अनुज्ञप्ति धारित करता हो और उसने संबंधित क्षेत्र नियंत्रण यूनिट के संबंध में निम्नलिखित विषयों में परीक्षा उत्तीर्ण करके अपेक्षित ज्ञान का स्तर प्रदर्शित किया हो, अर्थात्:

(i) वायु क्षेत्र की संरचना;

(ii) लागू नियम, प्रक्रियाएँ और जानकारी का स्रोत;

(iii) वायु दिक्चालन प्रसुविधाएँ;

(iv) वायु यातायात नियंत्रण उपस्कर और उसका उपयोग;

(v) भू-भाग और प्रमुख स्थलचिह्न;

(vi) वायु यातायात और यातायात प्रवाह की विशेषताएँ;

(vii) मौसम संबंधी घटनाएँ;

(viii) आपातकालीन, खोज और बचाव योजनाएँ; और

(ix) किसी विशेष वायु यातायात सेवा इकाई के लिए उपयुक्त माना जाने वाला कोई अन्य विषय।

(ख) अनुभव : वह -

(i) लागू रेटिंग के लिए एक अनुमोदित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम समाधानप्रद ढंग से पूरा करने का; और

(ii) उस यूनिट में कम-से-कम तीन माह की अवधि के लिए ऑन-द-जॉब प्रशिक्षण से गुजरने का, जिसके दौरान कम-से-कम एक-सौ-अस्सी घंटे का प्रशिक्षण पूरा किया गया हो, जिसके लिए रेटिंग मांगी जा रही है, का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगा।

(ग) कौशल: एक बोर्ड या परीक्षक द्वारा उसे सुरक्षित, सुव्यवस्थित और शीघ्र क्षेत्र नियंत्रण सेवा प्रदान करने के लिए उसके कौशल, निर्णय और कार्यनिष्पादन के संबंध में सफल निर्धारण किया गया हो, जिसमें खतरों और त्रुटियों की पहचान और प्रबंधन सम्मिलित है, और यह निर्धारण ऑन-द-जॉब प्रशिक्षण अपेक्षाएँ पूरी होने के ठीक पश्चात किया जाएगा।

2. विधिमान्यता.- यदि किसी वायु यातायात नियंत्रक ने छह माह से अधिक की अवधि के लिए रेटिंग के विशेषाधिकारों का प्रयोग नहीं किया है तो रेटिंग अविधिमान्य हो जाएगी।

3. **पुनर्विधिमान्यकरण.**- नियम 98 में यथा उपबंधित रेटिंग के अनुसार पुनः विधिमान्य की जाएगी।

4. **विशेषाधिकार.**- (क) अनुज्ञप्ति धारक के विशेषाधिकार उस नियंत्रण क्षेत्र के वायु क्षेत्र के क्षेत्राधिकार या उसके भाग में क्षेत्र नियंत्रण सेवा प्रदान करने या उसके उपबंधों की निगरानी करने का होगा, जिसके लिए उसे रेटिंग दी गई है।

(ख) विशेषाधिकारों का प्रयोग करने से पहले, अनुज्ञप्ति धारक सभी प्रासंगिक और वर्तमान जानकारी से परिचित होगा।

भाग ज

क्षेत्र नियंत्रण निगरानी रेटिंग

1. **रेटिंग जारी करने के लिए अपेक्षाएँ.**- क्षेत्र नियंत्रण निगरानी रेटिंग के लिए आवेदक को निम्नलिखित अपेक्षाओं को पूरा करना होगा, अर्थात्:-

(क) ज्ञान: वह एक वायु यातायात नियंत्रक अनुज्ञप्ति या एक छात्र वायु यातायात नियंत्रक अनुज्ञप्ति धारित करता हो और उसने किसी विशेष यूनिट की जिम्मेदारी के क्षेत्र के संबंध में कम-से-कम निम्नलिखित विषयों में परीक्षा उत्तीर्ण करके अपेक्षित ज्ञान का स्तर प्रदर्शित किया हो, अर्थात्:

(i) वायु क्षेत्र की संरचना;

(ii) लागू नियम, प्रक्रियाएँ और जानकारी का स्रोत;

(iii) वायु दिक्चालन प्रसुविधाएँ;

(iv) वायु यातायात नियंत्रण उपस्कर और उसका उपयोग;

(v) भू-भाग और प्रमुख स्थलचिह्न;

(vi) वायु यातायात और यातायात प्रवाह की विशेषताएँ;

(vii) मौसम संबंधी घटनाएँ;

(viii) आपातकालीन, खोजबीन और बचाव योजनाएँ;

(ix) लागू वायु यातायात सेवा निगरानी प्रणालियों और संबंधित उपकरणों के सिद्धांत, उपयोग और सीमाएं;

(x) वायु यातायात सेवा निगरानी सेवा के उपबंध के लिए प्रक्रियाएँ, जैसा उपयुक्त हो, जिसमें उचित भू-भाग निकासी सुनिश्चित करने की प्रक्रियाएं सम्मिलित हैं; और

(xi) किसी विशेष वायु यातायात सेवा यूनिट के लिए उपयुक्त माना जाने वाला कोई अन्य विषय।

(ख) अनुभव : वह -

(i) निगरानी प्रणाली पर एक अनुमोदित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम समाधानप्रद ढंग से पूरा करने का;

(ii) उस यूनिट में कम-से-कम तीन माह की अवधि के लिए ऑन-द-जॉब प्रशिक्षण से गुजारने का,जिसके दौरान कम-से-कम एक सौ अस्सी घंटे का प्रशिक्षण पूरा किया है,जिसके लिए रेटिंग मांगी जा रही है, का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा:

परंतु कि उप-खंड (i) में यथाविनिर्दिष्ट अपेक्षाएँ किसी अन्य हवाई अड्डे के लिए अप्रोच या क्षेत्र निगरानी रेटिंग धरण करने वाले या पहले से धारित वायु यातायात नियंत्रक के लिए अपेक्षित नहीं होगी।

(ग) कौशलः एक बोर्ड या परीक्षक द्वारा उसे सुरक्षित, सुव्यवस्थित और शीघ्र क्षेत्र नियंत्रण सेवा प्रदान करने के लिए उसके कौशल, निर्णय और प्रदर्शन के संबंध में सफल निर्धारण किया गया हो, जिसमें खतरों और त्रुटियों की पहचान और प्रबंधन सम्मिलित है, और यह निर्धारण ऑन-द-जॉब प्रशिक्षण अपेक्षाएँ पूरी होने के ठीक पश्चात किया जाएगा।

2. **विधिमान्यता.**- यदि किसी वायु यातायात नियंत्रक ने छह माह से अधिक की अवधि के लिए रेटिंग के विशेषाधिकारों का प्रयोग नहीं किया है तो रेटिंग अविधिमान्य हो जाएगी।

3. **पुनर्विधिमान्यकरण.**- रेटिंग नियम 98 में यथा उपबंधित पुनः विधिमान्य की जाएगी।

4. **विशेषाधिकार.**- (क) धारक के विशेषाधिकार उस नियंत्रण क्षेत्र या उसके भाग में लागू वायु यातायात सेवा निगरानी प्रणालियों के उपयोग के साथ क्षेत्र नियंत्रण सेवा प्रदान करने या उसके उपबंधों का पर्यवेक्षण करने के होगा जिसके लिए अनुज्ञप्ति धारक को रेटिंग दी गई है।

(ख) विशेषाधिकारों का प्रयोग करने से पहले, अनुज्ञप्ति धारक सभी प्रासंगिक और वर्तमान जानकारी से परिचित होगा।

भाग झ

समुद्री नियंत्रण रेटिंग

1. **रेटिंग जारी करने के लिए अपेक्षाएँ**- समुद्री नियंत्रण रेटिंग के लिए आवेदक को निम्नलिखित अपेक्षाओं को पूरा करेगा, अर्थात्: -

(क) ज्ञानः वह एक वायु यातायात नियंत्रक अनुज्ञप्ति या एक छात्र वायु यातायात नियंत्रक अनुज्ञप्ति धारित करता हो, और उसने किसी विशेष स्थान पर अपनी जिम्मेदारी के क्षेत्र में एक समुद्री नियंत्रण यूनिट के लिए कम-से-कम निम्नलिखित विषयों में परीक्षा उत्तीर्ण करके ज्ञान का स्तर प्रदर्शित किया हो, अर्थात्:-

(i) वायु क्षेत्र की संरचना;

(ii) लागू नियम, प्रक्रियाएँ और जानकारी का स्रोत;

(iii) वायु दिक्चालन प्रसुविधाएँ;

(iv) वायु यातायात नियंत्रण उपस्कर और उसका उपयोग;

(v) निगरानी प्रणालियों के सिद्धांत, उपयोग और सीमाएं यदि कोई हो और संबंधित उपस्कर;

(vi) भू-भाग और प्रमुख स्थलचिह्न;

(vii) वायु यातायात और यातायात प्रवाह की विशेषताएँ;

(viii) मौसम संबंधी घटनाएँ;

(ix) आपातकालीन, खोजबीन और बचाव योजनाएँ; और

(x) किसी विशिष्ट वायु यातायात सेवा यूनिट के लिए उपयुक्त माना जाने वाला कोई अन्य विषय।

(ख) अनुभवः वह -

(i) क्षेत्र नियंत्रण प्रशिक्षण पाठ्यक्रम समाधानप्रद ढंग से पूरा किए जाने का;

(ii) उस यूनिट में कम-से-कम तीन माह की अवधि के लिए ऑन-द-जॉब प्रशिक्षण से गुजारने का हो, जिसके दौरान कम-से-कम एक सौ अस्सी घंटे का प्रशिक्षण पूरा किया गया है, जिसके लिए रेटिंग मांगी जा रही है, का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा।

(ग) कौशलः एक बोर्ड या परीक्षक द्वारा उसे सुरक्षित, सुव्यवस्थित और शीघ्र वायु यातायात नियंत्रण सेवा प्रदान करने के लिए उसके कौशल, निर्णय और कार्यनिष्पादन के संबंध में सफल निर्धारण किया गया हो, जिसमें समुद्री कंट्रोल केंद्र में खतरों और त्रुटियों की पहचान और प्रबंधन सम्मिलित है, और यह निर्धारण ऑन-द-जॉब प्रशिक्षण अपेक्षाएँ पूरी होने के ठीक पश्चात किया जाएगा।

2. **विधिमान्यता.**- यदि किसी वायु यातायात नियंत्रक ने छह माह से अधिक की अवधि के लिए रेटिंग के विशेषाधिकारों का प्रयोग नहीं किया है तो रेटिंग अविधिमान्य हो जाएगी।

3. पुनर्विधिमान्यकरण.- रेटिंग नियम 98 में यथा उपबंधित पुनः विधिमान्य की जाएगी।

4. विशेषाधिकार.- (क) अनुज्ञप्ति धारक के विशेषाधिकार समुद्री नियंत्रण सेवा प्रदान करने या उस हवाई क्षेत्र के अधिकार उसके क्षेत्र में समुद्री नियंत्रण सेवा प्रदान करने या उसकी निगरानी करने के होंगे,जिसके लिए अनुज्ञप्ति धारक की रेटिंग दी गई है।

(ख) विशेषाधिकारों का प्रयोग करने से पहले, अनुज्ञप्ति धारक सभी प्रासंगिक और वर्तमान जानकारी से परिचित होगा।

तीसरी अनुसूची

(अध्याय-छह देखें)

वैमानिक दूरसंचार

1. **वैमानिक प्रसुविधा के लिए अपेक्षाएं.**- किसी वैमानिक दूरसंचार केंद्र पर स्थापित किए जाने वाली या प्रयुक्त होने वाली संचार, दिक्चालन, निगरानी या वायु यातायात प्रबंधन प्रसुविधा के प्रमाणीकरण के लिए आवेदक यह सुनिश्चित करने के लिए प्रक्रिया स्थापित करेगा कि -

(i) आवेदक के प्रमाणपत्र में सम्मिलित किए जाने के लिए आशयित प्रत्येक प्रसुविधा उसे आरंभ किए जाने से पूर्व -

(क) उस प्रसुविधा के लिए विनिर्दिष्ट प्रयोज्य परिचालन/विनिर्देशन के अनुरूप परिकल्पित हो और प्रतिष्ठापित की गई हो;

(ख) महानिदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट प्रयोज्यप्रणाली विशिष्टताओं और विनिर्देशन मानकों के अनुरूप हो;

(ग) दूर संचार अधिनियम, 2023 (2023 का 44) तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुपालन में रेडियो आवृति प्रचालन अनुज्ञप्ति आबंटित की गई हो; और

(घ) उसे कोई पहचान कोड या कॉल साइन आबंटित किया गया हो।

(ii) आवेदक के प्रमाणपत्र में सूचीबद्ध प्रत्येक प्रसुविधा उपयुक्त विद्युत आपूर्ति और साधनों से प्रतिष्ठापित हो और जो समर्थित की जा रही वायु यातायात सेवा या रेडियो दिक्चालन सेवा की आवश्यकताओं के लिए समुचित प्रचालन की निरंतरता सुनिश्चित करते हों; और

(iii) किसी वैमानिक दूरसंचार केंद्र पर संस्थापित की जाने वाली या प्रयुक्त की जाने वाली वायु यातायात प्रबंधन प्रसुविधा की संचार, दिक्चालन और निगरानी के प्रमाणीकरण के लिए कोई आवेदक, जो स्थल परीक्षण करने के लिए अस्थायी वैमानिक प्रसुविधा प्रचालित करने का आशय रखता है,ऐसे परीक्षणों के संचालन हेतु एक प्रक्रिया स्थापित करेगा।

2. **संचार, दिक्चालन और निगरानी निर्देशिका**.- संचार, दिक्चालन और निगरानी निर्देशिका में किसी अन्य सुसंगत सूचना के अतिरिक्त निम्नलिखित सूचना और विवरण अंतर्विष्ट होंगे, अर्थातः-

(क) साधारण: साधारण सूचना के अन्तर्गत निर्देशिका का प्रयोजन और विस्तार, प्रमाणपत्र धारक का प्रबंधन और संगठन ढांचा, संचार, दिक्चालन, निगरानी या वायु यातायात प्रबंधन प्रसुविधा के प्रमाणीकरण की विधिक अपेक्षा, प्रमाणपत्र के उपयोग के लिए शर्तें, प्रसुविधा की स्थिति के संबंध में सूचना के प्रचार-प्रसार के लिए वैमानिक सूचना प्रणाली की उपलब्धता सम्मिलित है।

(ख) **कार्मिकों की अपेक्षाः** (i) आवेदक के प्रमाण पत्र में सूचीबद्ध प्रत्येक सेवा को सुरक्षित, दक्षतापूर्ण, निरंतर और संधार्य रूप में सुनिश्चित करने के लिए प्रवीण कर्मियों का समुचित विवरण और प्रसुविधाओं को

बनाए रखने के लिए अपेक्षित कर्मियों की संख्या नीति के अनुसार निर्देशिका में समुचित रूप से विनिर्दिष्ट की जाएगी;

(ii) प्रसुविधा के अनुरक्षण और प्रचालन के लिए या प्रमाणपत्र में सूचीबद्ध किसी प्रसुविधा को प्रचालन सेवा में रखने के लिए प्रवीण कार्मिकों को नियोजित करने या प्राधिकृत करने की प्रक्रिया जिसमें निम्नलिखित प्रणाली को स्पष्ट रूप से विनिर्दिष्ट किया जाएगा-

(क) प्रवीण कार्मिकों की सक्षमता का निर्धारण;

(ख) प्रवीण कार्मिकों की निरंतर सक्षमता को बनाए रखना; और

(ग) प्रवीण कार्मिकों के लिए प्राधिकार का विस्तार।

(ग) **संचार, दिक्चालन, निगरानी या वायु यातायात प्रबंधन प्रसुविधाओं के मानकः** (i) डिजाइन, प्रतिष्ठापन, आरंभ और परीक्षण, प्रचालन एवं अनुरक्षण संबंधी तकनीकी मानकों के विवरण जो प्रसुविधा के लिए लागू है;

(ii) इसके अंतर्गत विनिर्माता द्वारा ऐसी प्रसुविधा के लिए विनिर्दिष्ट कोई मानक भी होगा;

(iii) जहां सुसंगत मानक का अनुपालन नहीं किया गया है, वहां इस बात को स्पष्ट रूप से उपदर्शित किया जाएगा और अननुपालन के कारणों का कथन और प्रसुविधा के निष्पादन के संदर्भ में प्रदान की गई सेवा पर इसका प्रभाव और वायु यातायात सेवाओं और वायुयान प्रचालन पर इसके प्रभाव का विवरण भी दिया जाएगा।

(घ) प्रसुविधा का तकनीकी विवरण: संचार, दिक्चालन, निगरानी या वायु यातायात प्रबंधन प्रसुविधा प्रत्येक के लिए मूल निष्पादन विवरणकर्ता (कार्यात्मक विनिर्देशन)।

(ड.) प्रचालन और अनुरक्षण योजना: प्रत्येक संचार, दिक्चालन, निगरानी या वायु यातायात प्रबंधन प्रसुविधा के लिए प्रचालन और अनुरक्षण योजना, जिसके साथ उस प्रसुविधा के विनिर्माता द्वारा अपेक्षित प्रलेखीकरण, अन्तरराष्ट्रीय नागर विमानन संगठन द्वारा जारी सुसंगत प्रलेखीकरण या प्रमाणपत्र धारक द्वारा प्रत्येक प्रसुविधा के निष्पादन और अनुरक्षण संबंधी आवश्यकताओं के अपने ज्ञान के आधार पर विकसित या परिवर्तित दस्तावेज होंगे।

(च) सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली: व्यवस्थित और समुचित सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली संबंधी सूचना यह सुनिश्चित करने के लिए कि संचार, दिक्चालन, निगरानी या वायु यातायात प्रबंधन प्रसुविधा के उपबंध सुरक्षा अनुरक्षित रहे।

(छ) परीक्षण उपस्कर: (i) परीक्षण तथा मापन उपस्कर के विवरण, इनके अंशशोधन स्थिति सहित जो इनकी सभी प्रसुविधाओं के प्रचालन, निष्पादन, निरीक्षण और अनुरक्षण के लिए आवश्यक है;

(ii) प्रसुविधा प्रचालन और अनुरक्षण योजना या प्रत्येक प्रसुविधा का प्रचालन और अनुरक्षण संबंधी अनुदेशों में प्रचालन और अनुरक्षण के प्रत्येक स्तर के लिए अपेक्षित परीक्षण उपस्कर का विनिर्देशन करेगा।

(ज) सेवा में व्यवधान: यदि संचार दिक्चालन, निगरानी या वायु यातायात प्रबंधन प्रसुविधा बाधित होती है, तो प्रक्रिया के ब्यौरे का उपयोग किया जाए।

(झ) प्रक्रियाएं: प्रतिष्ठापन, प्रचालन, अनुरक्षण और संचार, दिक्चालन, निगरानी प्रसुविधाओं के अन्य मामलों से संबंधित सभी गतिविधियों के संचालन की प्रक्रिया, जिसमें प्रत्येक संबंधित के कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों को स्पष्ट रूप से विनिर्दिष्ट किया गया हो।

(ञ) परिवर्तन के लिए प्रक्रिया: (i) प्रसुविधा, इसके प्रचालन और अनुरक्षण योजना के लिए प्रक्रिया:-

(ii) प्रक्रिया में परिवर्तन हेतु प्रमाणपत्र धारक संगठन के भीतर एक समुचित प्राधिकारी की स्थापना की जाएगी, जो प्रचालन और अनुरक्षण प्रक्रिया में किए जाने वाले किसी परिवर्तन और प्रसुविधाओं को परिचालन सेवा से हटाने और पुन: परिचालन सेवा में वापस लाने संबंधी प्रक्रियाओं का मूल्यांकन करने और उन्हें अनुमोदित करने के लिए प्राधिकृत होगा; और

(iii) सेवाओं के रसद, समर्थन और प्रचालन निर्देशिका सहित सुसंगत दस्तावेजों का संशोधन।

(ट) दस्तावेज नियंत्रण: निर्देशिका में सेवा प्रमाण-पत्र के धारक के दस्तावेज नियंत्रण प्रक्रिया का वर्णन होगा, जो इस संबंध में संबंधित अपेक्षाएं हैं।

(ठ) गुणवता नियंत्रण: कार्मिकों के उपयोग और मार्गदर्शन के लिए उस संगठन की संचार, दिक्चालन, निगरानी या वायु यातायात प्रबंधन प्रसुविधा और गतिविधियों के उपबंधों से संबन्धित नीतियों, प्रक्रिया,प्रथा और गुणवता नियंत्रण पद्धति संबंधी सूचना का ब्यौरा।

(ड) **सुरक्षा:** (i) प्रमाण-पत्र धारक यह सुनिश्चित करेगा कि वैमानिक दूरसंचार केन्द्रों पर उपस्कर और प्रतिष्ठापन की सुरक्षा हेतु युक्तियुक्त उपाय किए जाएं।

(ii) विमानक्षेत्र के बाहर स्थित वैमानिक दूरसंचार केन्द्रों के लिए उपयुक्त सुरक्षा घेरे के भी उपबंध होंगे।

चौथी अनुसूची

अनुसूचित हवाई परिवहन सेवाओं के प्रचालन के लिए हवाई प्रचालक प्रमाणपत्र अनुदत्त करना

[नियम 183 और अध्याय-सात देखें]

1. नियम 183 के अनुसरण में अनुसूचित हवाई परिवहन सेवाएं परिचालित करने के लिए "हवाई प्रचालक प्रमाणपत्र" (जिसे इसके पश्चात हवाई प्रचालक प्रमाणपत्र कहा जाएगा) निम्नलिखित में से किसी को अनुदत्त किया जा सकेगा,-

(i) भारत के नागरिक को, या

(ii) किसी कंपनी या निगमित निकाय को, परंतु कि-

(क) यह भारत में पंजीकृत हो और इसका मुख्य व्यावसायिक स्थान भारत में हो;

(ख) उसका अध्यक्ष और उसके निदेशकों में से कम-से-कम दो-तिहाई भारत के नागरिक हों; और

(ग) उसका सारवान् स्वामित्व और प्रभावी नियंत्रण भारतीय नागरिकों में निहित हो।

स्पष्टीकरण.- खंड (ग) के प्रयोजन के लिए, 'भारतीय नागरिक' अभिव्यक्ति में भारत का वह नागरिक भी शामिल होगा जो भारत के बाहर निवास कर रहा हो, लेकिन नागरिकता अधिनियम, 1955 (1955 का 57) की धारा 7क के अर्थ में 'भारत का प्रवासी नागरिक कार्डधारक' या भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 1, खंड 1, तारीख 9 जनवरी, 2015 को प्रकाशित अधिसूचना संख्या 26011/01/2014-आईसी.आई. तारीख 09 जनवरी, 2015 के अधीन 'भारत का प्रवासी नागरिक कार्डधारक' माने जाने वाले 'भारतीय मूल के व्यक्ति कार्डधारक' सम्मिलित नहीं होंगे।

2. महानिदेशक हवाई प्रचालक प्रमाणपत्रों के लिए आवेदनों की जांच करने और ऐसे हवाई प्रचालक प्रमाणपत्रों को जारी करने, रद्द करने या निलंबित करने के लिए प्राधिकृत होंगे।

3. (1) हवाई प्रचालक प्रमाणपत्र के लिए प्राप्त आवेदन महानिदेशक को, हवाई परिवहन सेवाओं को प्रारंभ करने के प्रस्तावित तारीख से कम-से-कम छह माह पूर्व, ऐसे प्ररूप और रीति से किया जाएगा जैसा महानिदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, जो आवेदक या आवेदक और आवेदन द्वारा इस निमित्त विधिवत् प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित होगा।

(2) आवेदक, महानिदेशक को आवेदन करने से पूर्व, केंद्रीय सरकार को ऐसे प्ररूप और रीति से आवेदन करके अपनी प्रस्तावित हवाई परिवहन सेवाओं के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करेगा जैसा कि महानिदेशक द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है।

(3) केंद्रीय सरकार उप-पैरा (2) के अधीन प्राप्त अनापत्ति प्रमाणपत्र के आवेदन पर विचार करेगी, जिसमें आवेदक की वित्तीय सुदृढ़ता, उसकी परिचालन योजना, उसके निदेशकों सहित आवेदक संगठन की सुरक्षा दृष्टिकोण से प्राप्त अनापत्ति, और ऐसे किसी अन्य कारक को, जिसका प्रस्तावित हवाई परिवहन सेवाओं पर नीतिगत दृष्टि से प्रभाव पड़ सकता है, ध्यान में रखा जाएगा।

(4) केंद्रीय सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी होने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए वैध होगा।

4. इस अनुसूची के अधीन परिवहन सेवाओं के लिए हवाई प्रचालक प्रमाणपत्र निम्नलिखित श्रेणियों में अनुदत्त किया जा सकेगा, अर्थात्: -

(क) अनुसूचित हवाई परिवहन सेवाएँ (यात्री);

(ख) अनुसूचित कम्यूटर हवाई परिवहन सेवाएँ (यात्री); और

(ग) अनुसूचित हवाई परिवहन सेवाएँ (कार्गो) ।

स्पष्टीकरण.- अनुसूचित कम्यूटर हवाई परिवहन सेवाएँ महानिदेशक द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट विमानपत्तनों या हेलीपैडों के बीच संचालित की जाएंगी।

5. इस अनुसूची के अधीन हवाई प्रचालक प्रमाणपत्र के धारक द्वारा परिचालन के लिए केवल मल्टी-इंजन विमानों का उपयोग किया जाएगा जिनका अधिकतम प्रमाणित टेक-ऑफ द्रव्यमान विमानों के मामले में 5700 किलोग्राम से कम नहीं और हेलीकॉप्टरों के मामले में 3175 किलोग्राम से कम नहीं होगा और वायुयान महानिदेशक द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने वाला होगा:

परंतु अनुसूचित कम्यूटर हवाई परिवहन सेवाओं (यात्री) का प्रचालक 5700 किलोग्राम से कम लेकिन 40000 किलोग्राम से अधिक न होने वाले प्रमाणित टेक-ऑफ द्रव्यमान वाले वायुयानों का उपयोग कर सकेगा:

परंतु यह और कि टरबाइन-संचालित सिंगल इंजन हवाई जहाज जिनकी अधिकतम प्रमाणित टेक-ऑफ द्रव्यमान 5700 किलोग्राम से कम है और टरबाइन-संचालित सिंगल इंजन हेलीकॉप्टर जिनकी अधिकतम प्रमाणित टेक-ऑफ द्रव्यमान 3175 किलोग्राम से कम है, का उपयोग अनुसूचित कम्यूटर हवाई परिवहन सेवाओं के अधीन परिचालन के लिए निम्नलिखित शर्तों के अधीन किया जा सकेगा, अर्थात्: -

(i) प्रमाणित यात्री सीटों की संख्या नौ से अधिक नहीं होगी;

(ii) विमान रात्रि प्रचालन और यंत्र मौसमीय परिस्थितियों में परिचालन के लिए न्यूनतम उपस्करों से सुसज्जित होगा; और

(iii) हेलीकॉप्टर केवल दिन के दृश्य उड़ान नियमों (वीएफआर) के अधीन उड़ाया जाएगा।

6. (1) महानिदेशक हवाई प्रचालक प्रमाणपत्र के लिए प्राप्त आवेदन पर यथासंभव शीघ्रता से विचार करेगा और इस बात का समाधान हो जाने पर कि आवेदक निर्धारित अपेक्षाओं को पूरा करता है, उसमें विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन वायु प्रचालक प्रमाणपत्र प्रदान कर सकेगा।

(2) महानिदेशक किसी भी समय आवेदक से ऐसी कोई भी सूचना प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकेगा जिसे वह आवेदन पर निर्णय करने के लिए आवश्यक समझे और महानिदेशक आवेदक द्वारा प्रस्तुतु किसी भी सूचना के समर्थन में साक्ष्य प्रस्तुत करने की भी अपेक्षा कर सकेगा।

7. हवाई प्रचालक प्रमाणपत्र, जैसाकि उसमें विनिर्दिष्ट हो, पांच वर्ष से अनधिक अवधि के लिए विधिमान्य होगा और महानिदेशक द्वारा इसे एक बार में पांच वर्ष से अनधिक अवधि के लिए नवीकृत किया जा सकेगा, जब उसका समाधान हो जाता है कि आवेदक प्रमाणपत्र के अधीन सेवाओं का संतोषजनक ढंग से निष्पादन कर रहा है और उसमें सेवाएं जारी रखने का सामर्थ्य है।

8. हवाई प्रचालक प्रमाणपत्र में ऐसी सूचना अंतर्विष्ट होगी, जैसा कि महानिदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए।

9. हवाई प्रचालक प्रमाणपत्र का प्रदान किया जाना किसी भी व्यक्ति को अधिनियम, विमान वहन अधिनियम, 1972 (1972 का 69) के प्रावधानों या उनके अधीन बनाए गए नियमों या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधिक उपबंधों का अनुपालन करने की बाध्यता से किसी भी प्रकार से मुक्त हुआ नहीं माना जाएगा।

10. इस अनुसूची के उपबंधों के अनुसरण में परिचालित कोई भी अनुसूचित हवाई परिवहन सेवा हवाई मार्गों, वायुयानों और विमान कर्मीदल के संबंध में महानिदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट सुरक्षा अपेक्षाओं का अनुपालन करेगी।

11. (1) यदि महानिदेशक का समाधान हो जाता है कि ऐसा करने का पर्याप्त आधार है, तो वह ऐसे कारणों को लेखबद्ध करके हवाई प्रचालक प्रमाणपत्र को रद्द कर सकेगा या किसी विशिष्ट अवधि के लिए निलंबित कर सकेगा और वह किसी मामले के अन्वेषण के दौरान भी हवाई प्रचालक प्रमाणपत्र को निलंबित कर सकेगा।

(2) उप-पैरा (1) में निहित शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, महानिदेशक हवाई प्रचालक प्रमाणपत्र को ऐसी अवधि के लिए रद्द या निलंबित कर सकेगा जैसा वह उचित समझे, यदि उसका समाधान हो जाता है कि -

(क) हवाई प्रचालक प्रमाणपत्र की किसी शर्त का अनुपालन नहीं किया गया है और यह विफलता हवाई प्रचालक प्रमाणपत्र धारक या उसके किसी सेवक या अभिकर्ता के किसी जानबूझकर किए गए कृत्य या व्यतिक्रम के कारण हुई है, चाहे सेवक या अभिकर्ता का ऐसा जानबूझकर किया गया कृत्य या व्यतिक्रम हवाई प्रचालक प्रमाणपत्रधारक के ज्ञान या अनुमोदन से किया गया हो या नहीं; या

(ख) हवाई प्रचालक प्रमाणपत्र धारक एक सुरक्षित, दक्ष और विश्वसनीय सेवा संस्थापित करने में विफल रहा हो; या

(ग) हवाई प्रचालक प्रमाणपत्र धारक के वित्तीय संसाधनों या उसके द्वारा हुए वहन की गई हानियों को दृष्टिगत रखते हुए, उस पर यह विश्वास नहीं किया जा सकता है वह सेवा के परिचालन को सुरक्षित, दक्ष और विश्वसनीय रीति से जारी रखेगा; या

(घ) हवाई प्रचालक प्रमाणपत्र कपट द्वारा प्राप्त किया गया था; या

(ङ) हवाई प्रचालक प्रमाणपत्र के धारक की सुरक्षा अनापत्ति केंद्रीय सरकार द्वारा वापस ले ली गई है या उसे प्रदान करने से इंकार कर दिया गया है।

(3) उप-पैरा (1) या उप-पैरा (2) के अधीन कोई कार्रवाई किए जाने से पहले, महानिदेशक हवाई प्रचालक प्रमाणपत्र धारक को कम-से-कम पंद्रह दिन की लिखित सूचना देगा, जिसमें उन आधारों को विनिर्दिष्ट किया जाएगा जिन पर हवाई प्रचालक प्रमाणपत्र को, यथास्थिति, रद्द करना या, निलंबित करना प्रस्तावित है और उसे ऐसी प्रस्तावित कार्रवाई के विरुद्ध लिखित रूप में या महानिदेशक के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर कारण बताने का अवसर देगा।

(4) उप-पैरा (3) में निहित किसी भी बात के होते हुए भी, महानिदेशक, यदि उसके पास विश्वसनीय सूचना के आधार पर यह विश्वास करने का कारण है कि लोक सुरक्षा के हित में ऐसा करना समीचीन है, तो वह आगे की जांच करने और कार्रवाई करने के उद्देश्य से हवाई प्रचालक प्रमाणपत्र को तात्कालिक रूप से निलंबित कर सकेगा।

(5) ऐसे रद्दकरण या निलंबन की तारीख से हवाई प्रचालक प्रमाणपत्र प्रवर्तन में नहीं रहेगा, जब तक कि अन्यथा निर्देशित न किया जाए।

12. महानिदेशक, किसी भी समय, चाहे स्वप्रेरणा से या किसी भी पक्षकार द्वारा किए गए आवेदन पर, अपने किसी आदेश में आकस्मिक त्रुटि या लोप के कारण उत्पन्न होने वाली लिपिकीय या टंकण संबंधी त्रुटि को ठीक कर सकेगा।

13. इस अनुसूची के उपबंधों के अधीन प्रदत्त कोई भी हवाई प्रचालक प्रमाणपत्र, महानिदेशक की विशिष्ट अनुमति के बिना हस्तांतरित या समनुदेश्य नहीं होगा:

परंतु यदि अनुज्ञापत्र के धारक की मृत्यु, या दिवालियेपन या धारक के व्यवसाय के संबंध में किसी प्रापक, प्रबंधक या न्यासी की नियुक्ति की स्थिति में, उस व्यवसाय को ऐसे समय संचालित करने वाला व्यक्ति, यदि वह उक्त घटना के 14 दिवस की अवधि के भीतर एक नए अनुज्ञापत्र के लिए महानिदेशक के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करता है, तो आवेदन का निपटारा होने तक, या जब तक महानिदेशक ने लोक सुविधा के हित में अन्यथा निर्देश न दिया हो, अनुसूचित हवाई परिवहन सेवा के परिचालन को जारी रखने का हकदार होगा।

14. (1) हवाई प्रचालक प्रमाणपत्र उसके धारक के प्रधान कार्यालय में रखा जाएगा और किसी मजिस्ट्रेट, कोई पुलिस अधिकारी जो पुलिस उपाधीक्षक पद से निम्न का नहीं हो, किसी सीमा शुल्क अधिकारी, नागर विमानन महानिदेशालय के किसी राजपत्रित अधिकारी, या केंद्रीय सरकार या महानिदेशक द्वारा लिखित में विशेष या साधारण आदेश द्वारा इस संबंध में प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति द्वारा मांग पर निरीक्षण के लिए प्रस्तुत किया जाएगा।

(2) हवाई प्रचालक प्रमाणपत्र की एक प्रति हवाई प्रचालक प्रमाणपत्र के धारक के मुख्य यातायात कार्यालय में सहजदृश्य स्थान पर प्रदर्शित की जाएगी।

(3) हवाई प्रचालक प्रमाणपत्र की समाप्ति पर, चाहे समय व्यतीत होने या इस अनुसूची के अधीन महानिदेशक के निर्णय के परिणामस्वरूप या जब महानिदेशक द्वारा हवाई प्रचालक प्रमाणपत्र निलंबित कर दिया जाए, उसका धारक हवाई प्रचालक प्रमाणपत्र को, यथास्थिति, निरस्तीकरण या पृष्ठांकन के लिए महानिदेशक को समर्पित करेगा।

15. हवाई प्रचालक प्रमाणपत्र का धारक, डाक या महानिदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट किन्हीं अन्य वस्तुओं के परिवहन के लिए ऐसी सेवाएं प्रदान करेगा।

16. प्रत्येक व्यक्ति जिसे इस अनुसूची के उपबंधों के अधीन हवाई प्रचालक प्रमाणपत्र प्रदान किया गया है, वह महानिदेशक को उसके द्वारा निर्दिष्ट ऐसे प्ररूप में निम्नलिखित प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा:-

(क) अनुज्ञाप्राप्त हवाई परिवहन सेवा और अन्य हवाई परिवहन परिचालन के संबंध में मासिक विवरणी, जो उस माह, जिससे वह विवरणी संबंधित है, की समाप्ति के पश्चात पैंतालीस दिवस के भीतर, परंतु उससे विलंब से नहीं, महानिदेशक को प्राप्त हो जाए;

(ख) प्रत्येक कैलेंडर वर्ष के दौरान सेवाओं या परिचालनों के वित्तीय परिणामों को प्रदर्शित करने वाली वार्षिक विवरणी, जो उस वर्ष, जिससे वह विवरणी संबंधित है, की समाप्ति के पश्चात तीन माह के भीतर, परंतु उससे विलंब से नहीं, महानिदेशक को प्राप्त हो जाए; और

(ग) महानिदेशक द्वारा अपेक्षित ऐसे अन्य विवरण-पत्र या विवरणी।

पाँचवीं अनुसूची

(नियम 214 देखें)

अपराधों का दंड और उनका प्रशमन

1. भारतीय वायुयान नियम, 2026 के अधीन दंडनीय अपराध, जिसमें दो वर्ष तक का कारावास या एक करोड़ रुपए तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं-

सारणी 1

क्रम सं.	अपराध की प्रकृति	सुसंगत नियम
(1)	(2)	(3)
1.	रजिस्ट्रीकरण के बिना वायुयान उड़ाना	नियम 4 का खंड (क)
2.	नियम 6 के उप-नियम (1) का उल्लंघन	नियम 6 का उप-नियम (1)
3.	नियम 8 के उप-नियम (1) का उल्लंघन	नियम 8 का उप-नियम (1)
4.	अनुज्ञा के बिना उड़ते हुए वायुयान से हवाई सर्वेक्षण करना	नियम 10
5.	नियम 15 का उल्लंघन	नियम 15
6.	नियम 18 के खंड (क) का उल्लंघन	नियम 18 का खंड (क)
7.	नियम 19 के उप-नियम (1) का उल्लंघन	नियम 19 का उप-नियम (1)
8.	नियम 25 के उपबंधों का उल्लंघन	नियम 25
9.	नियम 117 के उप-नियम (14) का उल्लंघन	नियम 117 का उप नियम (14)
10.	नियम 168 का उल्लंघन	नियम 168
11.	नियम 169 के किसी भी उपबंधों का अननुपालन	नियम 169
12.	उड़ान के दौरान मादक और मन:प्रभावी पदार्थों का सेवन	नियम 174 का उप-नियम (1)
13.	अनुज्ञा के बिना वायुयान के अनधिकृत भाग में व्यक्तियों का वहन	नियम 176
14.	नियम 179 का उल्लंघन	नियम 179

15.	अनुज्ञा के बिना अनुसूचित हवाई परिवहन सेवा का प्रचालन करना	नियम 183 का उप-नियम (1)
16.	विशेष अनुज्ञा या गैर-अनुसूचित प्रचालक के अनुज्ञापत्र के बिना किसी गैर-अनुसूचित हवाई परिवहन सेवा का प्रचालन करना	नियम 184 का उप-नियम (1) या उप-नियम (3)
17.	नियम 187 के उप नियम(1) का उल्लंघन	नियम 187 का उप-नियम (1)
18.	नियम 188 के उप नियम(1) का उल्लंघन	नियम 188 का उप-नियम (1)
19.	नियम 208 के उपबंधों का उल्लंघन	नियम 208
20.	इन नियमों के उपबन्धों के अधीन किसी भी व्यक्ति को उसके शक्तियों या कर्तव्य-निर्वहन में बाधा उत्पन्न करना	नियम 210
21.	नियम 211 का उल्लंघन	नियम 211

2. भारतीय वायुयान नियम, 2026 के अधीन दंडनीय अपराध, जिसमें एक करोड़ रुपए तक का जुर्माना हो सकता है और जिनके प्रशमन की राशि इस प्रकार है.-

सारणी 2

क्रम सं.	अपराध की प्रकृति	सुसंगत नियम	व्यक्ति द्वारा किए गए अपराध के प्रशमन की राशि (रू. में)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	अनुज्ञा के बिना विमानक्षेत्र पर फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी करना	नियम 9 का उप- नियम (1)	एक लाख
2.	अनुज्ञा के बिना उड़ते हुए वायुयान से फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी करना	नियम 10	दो लाख
3.	नियम 16 का उल्लंघन	नियम 16	पाँच लाख
4.	नियम 18 के खंड (ख) का उल्लंघन	नियम 18 का खंड (ख)	पच्चीस हजार

5.	नियम 66 के उप-नियम (3), (4) या (8) के अधीन पूर्व अनुमोदन प्राप्त किए बिना नियम 66 के उप-नियम (1) के खंड (क) में उल्लिखित गतिविधियों का संचालन करना।	नियम 66 के उप- नियम (3), (4) या (8)	पाँच लाख
6.	नियम 70 के उप-नियम (3) के अधीन अनुज्ञप्ति अभ्यर्पण न करना	नियम 70 का उप-नियम (3)	पचास हजार
7.	(उड़ान प्रशिक्षण संगठन के छात्र पायलट को छोड़कर) इन नियमों के अधीन अनुज्ञप्ति नहीं दिए गए किसी व्यक्ति द्वारा नियम 72 के उप-नियम (1) का अननुपालन	नियम 72 का उप-नियम (1)	बीस लाख
8.	नियम 104 का उल्लंघन	नियम 104	दो लाख
9.	नियम 112 के उल्लंघन में वायुयान को उड़ाना	नियम 112	पाँच लाख
10.	नियम 121 के उप-नियम (1) का उल्लंघन	नियम 121 का उप-नियम (1)	पाँच लाख
11.	नियम 121 के उप-नियम (2) का उल्लंघन	नियम 121 का उप-नियम (2)	एक लाख
12.	नियम 123 के उप-नियम (1) का उल्लंघन	नियम 123 का उप-नियम (1)	पाँच लाख
13.	नियम 123 के उप-नियम (2) का उल्लंघन	नियम 123 का उप-नियम (2)	दस लाख
14.	नियम 136 के उप -नियम (1) का उल्लंघन	नियम 136 का उप-नियम(1)	पचास हजार
15.	नियम 136 के उप-नियम (2) का उल्लंघन	नियम 136 का उप-नियम(2)	दो लाख
16.	यात्री द्वारा नियम 174 के उप-नियम (2) का उल्लंघन	नियम 174 का उप-नियम (2)	पच्चीस हजार
17.	नियम 175 के उप-नियम (3) का उल्लंघन	नियम 175 का उप-नियम (3)	दस हजार

18.	इन नियमों के अधीन जारी अनुज्ञप्ति या प्रमाणपत्र या अनुमोदन रखने वाले व्यक्ति के अलावा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा नियम 185 के उपनियम (1) का उल्लंघन	नियम 185 का उप-नियम (1)	पाँच लाख

3. जहां सारणी 2 के अधीन उल्लिखित अपराध संगठन द्वारा किया गया है, वहां अपराधों के प्रशमन की राशि निम्नानुसार होगी. -

सारणी 3

उल्लंघन करने वाला संगठन	कर्मचारियों की संख्या	अपराध के प्रशमन की राशि (रु. में)
संगठन (छोटा)	पचास कर्मचारियों तक	पैरा 1 और 2 में किसी व्यक्ति द्वारा ऐसे अपराधों के लिए उपबंधित की गई राशि का 200%, जैसा भी लागू हो
संगठन (मध्यम)	पचास से अधिक और एक सौ तक कर्मचारी	पैरा 1 और 2 में किसी व्यक्ति द्वारा ऐसे अपराधों के लिए उपबंधित की गई राशि का 300%, जैसा भी लागू हो
संगठन (बृहद)	सौ से ज्यादा कर्मचारी	पैरा 1 और 2 में किसी व्यक्ति द्वारा ऐसे अपराधों के लिए उपबंधित की गई राशि का 400%, जैसा भी लागू हो

टिप्पण:- (1) "व्यक्ति" से प्राकृतिक व्यक्ति अभिप्रेत है।

(2) "संगठन" से एक निगमित निकाय या व्यक्तियों का संगम अभिप्रेत है, चाहे वह रजिस्ट्रीकृत हो या नहीं।

(3) "कर्मचारी" से निगमित कोई भी व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसे संगठन द्वारा संविदात्मक के अधीन, अस्थायी या स्थायी रूप से नियुक्त, कार्यरत या काम में लगाया गया हो।

4. **अपराधों के प्रशमन की प्रक्रिया-**

(क) आवेदक द्वारा अपराध के प्रशमन के लिए आवेदन, प्ररूप 'क' में, एक हजार रुपए के शुल्क सहित, महानिदेशक या इस निमित्त केन्द्रीय सरकार द्वारा विशिष्ट रूप से सशक्त किसी अन्य अधिकारी को, ऐसी रीति से किया जाएगा, जो महानिदेशक द्वारा विहित की जाए।

(ख) प्रशमन के लिए आवेदन प्राप्त होने पर, उक्त अधिकारी आवेदन के साथ प्रस्तुत दस्तावेज़ों और उसमें किए गए अभ्यावेदन के आधार पर आवेदन का परीक्षण करेगा।

(ग) ऐसा अधिकारी आवेदक से प्रशमन की प्रक्रिया के लिए सुसंगत समझी गई किसी सूचना, अभिलेख या किसी अन्य दस्तावेज की मांग कर सकता है और यदि उल्लंघनकर्ता विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर अतिरिक्त जानकारी या दस्तावेजों को प्रस्तुत करने में असफल रहता है, तो प्रशमन हेतु किया गया आवेदन निरस्त किए जाने के लिए पात्र होगा।

(घ) उक्त अधिकारी मामले के सभी संबंद्ध पक्षकारों को इस कार्यवाही में भाग लेने के लिए नोटिस जारी कर सकेगा।

(ड.) प्रशमन की कार्यवाही के दौरान, उक्त अधिकारी आवेदक को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करने के पश्चात, पैरा 2 और पैरा 3 की सारणी के अनुसार अपराध के प्रशमन हेतु देय राशि का अवधारण करेगा और जहां आवेदक को इस राशि के संबंध में उक्त अधिकारी का विनिश्चय स्वीकार्य नहीं है, तो आवेदक तीन दिनों के भीतर या ऐसे अधिकारी द्वारा अवधारित युक्तियुक्त अवधि के भीतर ऐसे अधिकारी को लिखित रूप में प्रस्तुत करेगा।

(च) आवेदक द्वारा अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने या युक्तिसंगत समय के भीतर प्रस्तुत न करने के पश्चात, प्रशमन की कार्यवाही समाप्त हो जाएगी और इस मामले पर अधिनियम और इन नियमों के उपबंधों के अधीन आगे की कार्रवाई की जाएगी और उक्त अधिकारी ऐसी कार्यवाही के संबंध में एक प्रतिवेदन तैयार करेगा।

(छ) जिस राशि पर उल्लंघन का प्रशमन किया गया है, उसका संदाय, महानिदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट रीति से प्रशमन के विनिश्चय की तारीख से तीस दिवस की अवधि के भीतर किया जाएगा।

(ज) यदि कोई व्यक्ति आदेश के तीस दिन के भीतर प्रशमन की राशि का संदाय करने में असफल रहता है, तो यह समझा जाएगा कि उसने अधिनियम और इन नियमों के उपबंधों के अधीन अपराध के प्रशमन के लिए कभी कोई आवेदन किया ही नहीं है।

(झ) अपराधों की प्रशमन की प्रक्रिया यथाशीघ्र पूरी की जाएगी और किसी भी दशा में इसे आवेदन की तारीख से साठ दिन की अवधि के भीतर पूर्ण कर लिया जाएगा। आपवादिक परिस्थितियों में, उन कारणों से, जिन्हें लेखबद्ध किया जाए, महानिदेशक द्वारा साठ दिन की इस अवधि को नब्बे दिन तक बढ़ाया जा सकेगा।

प्ररूप-क

(नियम 214 देखें)

अपराधों के प्रशमन के लिए आवेदन

1.	आवेदक का नाम	
2.	पता	

3.	ई-मेल	
4.	दूरभाष	
5.	प्राधिकारी जिसके समक्ष मामला लंबित है	
6.	धाराओं या नियमों का उल्लंघन	
7.	मामले का संक्षिप्त विवरण	
8.	मामले के सुसंगत कोई अन्य सूचना	
9.	आवेदक की याचना	
10.	शुल्क और संव्यवहार ब्यौरे	
11.	संलग्नक, यदि कोई हो	

सत्यापन

मैं _____, आवेदक, घोषणा करता हूँ कि उपर्युक्त जानकारी मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य है।

आवेदक का नाम और हस्ताक्षर

तारीख:

स्थान:

छठी अनुसूची

(नियम 215 देखें)

शास्तियां

1. उल्लंघन की गंभीरता के स्तर का वर्गीकरण और उसके लिए शास्ति -

क्रम सं.	गंभीरता स्तर (रुपए में)	व्यक्तिक	संगठन (छोटा)	संगठन (मध्यम)	संगठन (बृहद)
			पचास कर्मचारियों तक	पचास से अधिक और एक सौ कर्मचारियों तक	एक सौ से अधिक कर्मचारी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

1.	स्तर 1	दस हजार	पचास हजार	पचहत्तर हजार	एक लाख
2.	स्तर 2	बीस हजार	एक लाख	एक लाख पचास हजार	दो लाख पचास हजार
3.	स्तर 3	पचास हजार	दो लाख	तीन लाख	पाँच लाख
4.	स्तर 4	पचहत्तर हजार	तीन लाख	पाँच लाख	दस लाख
5.	स्तर 5	एक लाख पचास हजार	पाँच लाख	दस लाख	बीस लाख
6.	स्तर 6	तीन लाख	सात लाख पचास हजार	पंद्रह लाख	तीस लाख
7.	स्तर 7	पाँच लाख	दस लाख	पच्चीस लाख	पचास लाख
8.	स्तर 8	दस लाख	बीस लाख	पैंतीस लाख	सत्तर लाख
9.	स्तर 9	बीस लाख	पैंतीस लाख	पचास लाख	पचासी लाख
10.	स्तर 10	पच्चीस लाख	पचास लाख	पचहत्तर लाख	एक करोड़

टिप्पण:- (1) "व्यक्ति" से प्रकृतिक व्यक्ति अभिप्रेत है।

(2) "संगठन" से, एक निगमित निकाय या व्यक्तियों का संगम अभिप्रेत है, चाहे वह रजिस्ट्रीकृत हो या नहीं।

(3) "कर्मचारी" से निगमित कोई भी व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसे संगठन द्वारा संविदात्मक के अधीन, अस्थायी या स्थायी रूप से नियुक्त, कार्यरत या काम में लगाया गया हो।

2. **यथास्थिति, अभिहित अधिकारियों या अपील अधिकारी द्वारा शास्ति के रकम के अवधारण के लिए नियमों का उल्लंघन और उसके अनुसार उनके गंभीरता का स्तर. -**

सारणी 2

क्रम सं.	उल्लंघन की प्रकृति	सुसंगत नियम	उल्लंघन/ अतिक्रमण/ अननुपालन की गंभीरता का स्तर
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	नियम 4 का उल्लंघन	नियम 4	स्तर 10
2.	नियम 5 द्वारा यथा अपेक्षित दस्तावेजों का वहन न करना	नियम 5	स्तर 4
3.	नियम 6 के उप-नियम (1) का उल्लंघन	नियम 6 का उप-नियम (1)	स्तर 10
4.	नियम 6 के उप-नियम (4) या उप-नियम (5) का अननुपालन	नियम 6 के उप- नियम (4) या उप-नियम (5)	स्तर 6
5.	नियम 7 के उप-नियम (1), (2) या उप-नियम (3) का उल्लंघन	नियम 7 के उप-नियम (1), (2) या उप-नियम (3)	स्तर 10
6.	नियम 8 के उप-नियम (2), (3) या उप-नियम (4) का उल्लंघन	नियम 8 के उप-नियम (2), (3) या उप-नियम (4)	स्तर 5
7.	नियम 8 के उप-नियम (1) का उल्लंघन	नियम 8 का उप-नियम (1)	स्तर 7
8.	बिना अनुमति के विमानक्षेत्र पर फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी	नियम 9 का उप-नियम (1)	स्तर 3
9.	नियम 9 के उप- नियम (2) का अननुपालन	नियम 9 का उप-नियम (2)	स्तर 6
10.	नियम 9 के उप- नियम (3) का अननुपालन	नियम 9 का उप-नियम (3)	स्तर 4
11.	नियम 10 का उल्लंघन	नियम 10	स्तर 5
12.	नियम 11 के परंतुक या खंड (क) का अननुपालन	नियम 11 का परंतुक या खंड (क)	स्तर 10

13.	नियम 11 के खंड (ख) या (ग) का अननुपालन	नियम 11 का खंड (ख) या खंड (ग)	स्तर 6
14.	नियम 11 के खंड (घ) का अननुपालन	नियम 11 के खंड (घ)	स्तर 4
15.	हवाई नियमों का अननुपालन	नियम 12	स्तर 3
16.	नियम 13 के उप- नियम (1) के अधीन निदेशों का उल्लंघन	नियम 13 का उप-नियम (1)	स्तर 8
17.	नियम 15 का उल्लंघन	नियम 15	स्तर 8
18.	नियम 16 का उल्लंघन	नियम 16	स्तर 4
19.	नियम 20 या 21 का उल्लंघन	नियम 20 या 21	स्तर 2
20.	नियम 22 के उप-नियम (1) का उल्लंघन	नियम 22 का उप-नियम (1)	स्तर 4
21.	नियम 23 के उप-नियम (1) का उल्लंघन	नियम 23 का उप-नियम (1)	स्तर 5
22.	नियम 23 के उप-नियम (2) का उल्लंघन	नियम 23 का उप-नियम (2)	स्तर 4
23.	नियम 24 के किसी भी उपबन्धों का उल्लंघन	नियम 24	स्तर 7
24.	नियम 26 का उल्लंघन	नियम 26	स्तर 7
25.	नियम 35 के अन्तर्गत जारी उड़नयोग्यता निदेशों का अननुपालन	नियम 35	स्तर 8
26.	नियम 36 के अधीन जारी विशेष शर्तों का अननुपालन	नियम 36	स्तर 8
27.	नियम 42 के उप-नियम(3) के अधीन अनुज्ञा प्राप्त किए बिना वायुयान उड़ानें या उड़ान भरने में सहायता करना	नियम 42 के उप-नियम (3)	स्तर 6

28.	नियम 47 के खंड (2) के उप-खंड (ख) के अन्यथा नियम 47 के किसी भी उपबंध का अननुपालन	नियम 47 के खंड (2) के उप-खंड (ख) के अलावा	स्तर 2
29.	नियम 47 के खंड (2) के उप-खंड(ख) का अननुपालन	नियम 47 के खंड (2) का उप-खंड (ख)	स्तर 7
30.	नियम 48 के किसी भी उपबंध का उल्लंघन	नियम 48	स्तर 6
31.	नियम 52 के उप-नियम (1) या उप-नियम (5) का उल्लंघन	नियम 52 का उप-नियम (1) या उप-नियम (5)	स्तर 7
32.	वायुयान, वायुयान घटक, और उपस्करों के मद के संबंध में अनुमोदित अनुरक्षण कार्यक्रम या अनुमोदित अनुरक्षण प्रणाली का अननुपालन	नियम 53 का उप नियम (1)	स्तर 3
33.	अप्राधिकृत व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण और प्रमाणन	नियम 53 का उप नियम (1)	स्तर 6
34.	नियम 53 के उप-नियम (2) का उल्लंघन	नियम 53 का उप नियम (2)	स्तर 4
35.	नियम 54 का अननुपालन	नियम 54	स्तर 6
36.	नियम 58 के किसी भी उपबंध का अननुपालन	नियम 58	स्तर 5
37.	नियम 59 के किसी भी उपबंध का अननुपालन	नियम 59	स्तर 5
38.	नियम 61 के उप-नियम (1) का अननुपालन	नियम 61 का उप-नियम (1)	स्तर 3
39.	नियम 61 के उप-नियम (2) का उल्लंघन	नियम 61 का उप-नियम (2)	स्तर 7
40.	नियम 62 के उप-नियम (1) का अननुपालन	नियम 62 का उप-नियम	स्तर 5

41.	नियम 64 के उप-नियम(2) या उप-नियम (4) का उल्लंघन	नियम 64 का उप-नियम (2) या (4)	स्तर 6
42.	नियम 64 के उप-नियम (3) का अननुपालन	नियम 64 का उप-नियम (3)	स्तर 3
43.	लॉग पुस्तिका जारी करने और उसके अनुरक्षण से संबंधित उपबंधों का अननुपालन।	नियम 65	स्तर 4
44.	परीक्षण और निरीक्षण सहायताओं के लिए आवश्यक उपकरण सहित सुविधाओं के संबंध में नियम 66 के उप-नियम (2) का अननुपालन	नियम 66 का उप-नियम (2)	स्तर 5
45.	अर्हित और प्रशिक्षित कर्मचारिवृन्द के संबंध में नियम 66 के उप-नियम (2) का अननुपालन	नियम 66 का उप-नियम (2)	स्तर 7
46.	नियम 66 के उप-नियम (3), उप-नियम (4) या उप-नियम (8) के अधीन पूर्व अनुमोदन प्राप्त किए बिना नियम 66 के उप-नियम (1) के खंड (क) में उल्लिखित गतिविधियों का संचालन	नियम 66 के उप-नियम (3), (4) या (8)	स्तर 8
47.	नियम 66 के उप-नियम (9) या उप-नियम (10) का अननुपालन	नियम 66 के उप-नियम (9) या (10)	स्तर 3
48.	नियम 66 के उप-नियम (11) या (12) का अननुपालन	नियम 66 का उप-नियम (11) या (12)	स्तर 4
49.	नियम 66 के उप-नियम (13) का अननुपालन	नियम 66 का उप-नियम (13)	स्तर 5

50.	किसी व्यक्ति द्वारा नियम 72 के उप-नियम (1) का अननुपालन (छात्र अनुज्ञप्ति धारक को छोड़कर) जिसके पास इन नियमों के अधीन जारी अनुज्ञप्ति, रेटिंग और चिकित्सक दृष्टया योग्यता मूल्यांकन है, लेकिन उसकी विधिमान्यता की समय सीमा समाप्त हो गई है या उसी के विशेषाधिकारों को इन नियमों के उपबंधों के अधीन प्रतिबंधित कर दिया गया है।	नियम 72 का उप-नियम (1)	स्तर 5
51.	नियम 73 का अननुपालन (छात्र पायलट अनुज्ञप्ति को छोड़कर)	नियम 73	स्तर 5
52.	नियम 82 के उप-नियम (2) या उप-नियम (4) का अननुपालन	नियम 82 का उप-नियम (2) या (4)	स्तर 4
53.	नियम 84 के किसी भी उपबंध का उल्लंघन	नियम 84	स्तर 4
54.	नियम 87 का उल्लंघन	नियम 87	स्तर 2
55.	नियम 88 के उप नियम (1) का उल्लंघन	नियम 88 का उप नियम (1)	स्तर 10
56.	नियम 89 के उप-नियम (1) का उल्लंघन	नियम 89 का उप-नियम (1)	स्तर 8
57.	नियम 90 का अननुपालन	नियम 90	स्तर 6
58.	विधिमान्य चिकित्सक दृष्ट्या योग्यता मूल्यांकन के अभाव में अनुज्ञप्ति के विशेषाधिकारों का प्रयोग	नियम 92	स्तर 5
59.	नियम 93 के किसी भी उपबन्धों का उल्लंघन	नियम 93	स्तर 4
60.	नियम 95 का उल्लंघन	नियम 95	स्तर 3

61.	नियम 96 के उप-नियम (1) का अननुपालन	नियम 96 का उप-नियम (1)	स्तर 6
62.	नियम 97 का उल्लंघन	नियम 97	स्तर 4
63.	नियम 101 का उल्लंघन	नियम 101	स्तर 3
64.	नियम 102 के किसी भी उपबंध का अननुपालन	नियम 102	स्तर 5
65.	नियम 103 के उप-नियम (1) का उल्लंघन	नियम 103 का उप-नियम (1)	स्तर 4
66.	नियम 104 का उल्लंघन	नियम 104	स्तर 5
67.	नियम 113 के किसी भी उपबंध का उल्लंघन करते हुए वायुयान को उड़ाना	नियम 113	स्तर 7
68.	नियम 114 के किसी भी उपबंध का अननुपालन	नियम 114	स्तर 5
69.	नियम 115 के उप-नियम (1), उप-नियम (2), उप-नियम (4) या उप-नियम (7) का अननुपालन	नियम 115 का उप-नियम (1), (2), (4) या (7)	स्तर 7
70.	नियम 115 के उप-नियम (3), उप-नियम (5), उप-नियम (6) या उप-नियम (8) का अननुपालन	नियम 115 का उप-नियम (3), (5), (6) या (8)	स्तर 2
71.	नियम 116 के उप-नियम (1) का उल्लंघन	नियम 116 का उप-नियम (1)	स्तर 3
72.	अवसंरचना और प्रसुविधाओं के संबंध में नियम 117 के उप-नियम (2) का अननुपालन	नियम 117 का उप-नियम (2)	स्तर 5
73.	पदधारकों, अनुदेशकों या परीक्षकों सहित अर्हित और प्रशिक्षित जनशक्ति के संबंध में नियम 117 के उप-नियम (2) का अननुपालन	नियम 117 का उप-नियम (2)	स्तर 7

74.	नियम 117 के उप-नियम (3) का अननुपालन	नियम 117 का उप-नियम (3)	स्तर 5
75.	नियम 117 के उप-नियम (10) का अननुपालन	नियम 117 का उप-नियम (10)	स्तर 5
76.	नियम 117 के उप-नियम (11) का अननुपालन	नियम 117 का उप-नियम (11)	स्तर 3
77.	नियम 117 के उप-नियम (14) का अननुपालन	नियम 117 का उप-नियम (14)	स्तर 8
78.	नियम 119 के उप-नियम (4) का उल्लंघन	नियम 119 का उप-नियम (4)	स्तर 5
79.	नियम 124 के उप-नियम (1), उप-नियम (2) या उप-नियम (5) का उल्लंघन	नियम 124 के उप-नियम (1), (2) या (5)	स्तर 10
80.	नियम 127 के किसी भी उपबंध का अननुपालन	नियम 127	स्तर 3
81.	निरीक्षण के लिए किसी प्राधिकृत व्यक्ति को प्रवेश न देना	नियम 128 का उप-नियम (2)	स्तर 5
82.	नियम 129 के उप-नियम (2) का उल्लंघन	नियम 129 का उप-नियम (2)	स्तर 6
83.	किसी विमानक्षेत्र को उपयुक्त स्थिति में न बनाए रखना और किसी भी प्रकार की अनुपयोगिता के लिए महानिदेशक को सूचित नहीं करना	नियम 129 का उप-नियम (5)	स्तर 6
84.	नियम 138 के उप-नियम (2) का उल्लंघन	नियम 138 का उप-नियम (2)	स्तर 6
85.	नियम 140 के उप-नियम (2) का उल्लंघन	नियम 140 का उप-नियम (2)	स्तर 2
86.	नियम 140 के उप-नियम (3) का अननुपालन	नियम 140 का उप-नियम (3)	स्तर 6
87.	नियम 141 का अननुपालन	नियम 141	स्तर 2
88.	नियम 142 का अननुपालन	नियम 142	स्तर 2

89.	नियम 143 का अननुपालन	नियम 143	स्तर 2
90.	नियम 145 का अननुपालन	नियम 145	स्तर 2
91.	नियम 146 के किसी भी उपबंध का अननुपालन	नियम 146	स्तर 2
92.	नियम 147 का अननुपालन	नियम 147	स्तर 6
93.	नियम 148 का उल्लंघन	नियम 148	स्तर 5
94.	महानिदेशक द्वारा प्रमाणित किए बिना किसी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे में संचार, दिक्चालन और वायु यातायात प्रबंधन उपकरण सुविधा की निगरानी की स्थापना या उपयोग की अनुज्ञा प्रदान करना या अनुमति का कारण बनना।	नियम 149 का उप-नियम (1)	स्तर 6
95.	नियम 152 के किसी भी उपबंध का अननुपालन	नियम 152	स्तर 3
96.	नियम 155 के उप-नियम (2) या उप-नियम (4) का अननुपालन	नियम 155 का उप नियम (2) या (4)	स्तर 5
97.	नियम 156 का अननुपालन	नियम 156	स्तर 2
98.	नियम 157 का अननुपालन	नियम 157	स्तर 2
99.	नियम 158 के किसी भी उपबंध का अननुपालन	नियम 158	स्तर 5
100.	नियम 159 के किसी भी उपबंध का अननुपालन	नियम 159	स्तर 3
101.	नियम 160 का अननुपालन	नियम 160	स्तर 3
102.	नियम 164 के उप-नियम (1) या उप-नियम (2) का अननुपालन	नियम 164 का उप-नियम (1) या उप-नियम (2)	स्तर 5
103.	नियम 165 का उल्लंघन	नियम 165	स्तर 4
104.	नियम 168 का उल्लंघन	नियम 168	स्तर 6

105.	नियम 170 के उप -नियम (2) का अननुपालन	नियम 170 का उप-नियम (2)	स्तर 3
106.	नियम 170 के उप -नियम (3) का अननुपालन	नियम 170 का उप-नियम (3)	स्तर 9
107.	परिचालन दस्तावेजों का वहन न करना	नियम 172	स्तर 4
108.	नियम 173 के उप-नियम (1) का उल्लंघन	नियम 173 का उप-नियम (1)	स्तर 5
109.	प्रचालक द्वारा नियम 174 के उप-नियम (2) का उल्लंघन	नियम 174 का उप-नियम (2)	स्तर 6
110.	प्रचालक द्वारा नियम 174 के उप-नियम (3) का उल्लंघन	नियम 174 का उप-नियम (3)	स्तर 10
111.	नियम 175 के उप नियम (1) या उप-नियम (2) का उल्लंघन	नियम 175 का उप-नियम (1) या (2)	स्तर 2
112.	नियम 176 के परंतुक (ख) के अधीन निर्दिष्ट शर्तों का उल्लंघन	नियम 176 का परंतुक (ख)	स्तर 6
113.	नियम 177 के उप नियम (1) का उल्लंघन	नियम 177 का उप-नियम (1)	स्तर 7
114.	नियम 177 के उप नियम (3) का अननुपालन	नियम 177 के उप-नियम (3) का परंतुक	स्तर 7
115.	नियम 178 का अननुपालन	नियम 178	स्तर 4
116.	नियम 179 का उल्लंघन	नियम 179	स्तर 10
117.	बिना अनुमति के अनुसूचित हवाई परिवहन सेवा के परिचालन के उप-नियम (1) का उल्लंघन	नियम 183 का उप-नियम (1)	स्तर 10
118.	नियम 183 के उप-नियम (2) के अधीन आदेशों में विनिर्दिष्ट किसी भी शर्तों का उल्लंघन या अननुपालन	नियम 183 का उप-नियम (2)	स्तर 8

119.	नियम 184 के अधीन लगाए गए किसी निबंधन और शर्तों का अननुपालन	नियम 184 का उप-नियम (1)	स्तर 6
120.	विशेष अनुमति या गैर-अनुसूचित प्रचालक अनुज्ञापत्र के बिना गैर-अनुसूचित हवाई परिवहन सेवा का परिचालन	नियम 184 का उप-नियम (1) या (3)	स्तर 6
121.	नागर विमानन महानिदेशालय अनुज्ञप्ति या प्रमाणपत्र या अनुमोदनप्राप्त व्यक्ति द्वारा नियम 185 के उप-नियम (1) का उल्लंघन।	नियम 185 का उप-नियम (1)	स्तर 8
122.	हवाई कार्य के लिए वायुयान का अनधिकृत उपयोग	नियम 186	स्तर 8
123.	नियम 187 के उप-नियम (1) का उल्लंघन	नियम 187 का उप-नियम (1)	स्तर 6
124.	नियम 187 के उप-नियम (2) का अननुपालन	नियम 187 का उप-नियम (2)	स्तर 5
125.	नियम 188 के उप-नियम (1) का उल्लंघन	नियम 188 का उप-नियम (1)	स्तर 7
126.	नियम 188 के उप-नियम (5) का अननुपालन	नियम 188 का उप-नियम (5)	स्तर 4
127.	नियम 189 के उप-नियम (1) का उल्लंघन	नियम 189 का उप-नियम (1)	स्तर 4
128.	नियम 189 के उप-नियम (2) का अननुपालन	नियम 189 का उप-नियम (2)	स्तर 6
129.	नियम 190 के उप-नियम (1) का उल्लंघन	नियम 190 का उप-नियम (1)	स्तर 6
130.	नियम 190 के उप-नियम (2) का अननुपालन	नियम 190 का उप-नियम (2)	स्तर 6

131.	द्विपक्षीय करार के तहत अनुज्ञा या अस्थायी प्राधिकार से जुड़ी शर्तों का उल्लंघन या अननुपालन	नियम 191 का उप-नियम (1)	स्तर 3
132.	नियम 191 के उप-नियम (7) या उप-नियम (8) के अधीन विनिर्दिष्ट शर्तों का अननुपालन	नियम 191 का उप-नियम (7) या उप-नियम (8)	स्तर 8
133.	नियम 192 के उप-नियम (1) का अननुपालन	नियम 192 का उप-नियम (1)	स्तर 8
134.	नियम 192 के उप-नियम (2) का अननुपालन	नियम 192 का उप-नियम (2)	स्तर 7
135.	नियम 192 के उप-नियम (3) या (4) का अननुपालन	नियम 192 का उप-नियम (3) या उप-नियम (4)	स्तर 7
136.	नियम 192 के उप-नियम (6) के अधीन जारी आदेश का अननुपालन	नियम 192 का उप-नियम (6)	स्तर 10
137.	नियम 194 का अननुपालन	नियम 194	स्तर 3
138.	नियम 195 के किसी भी उपबंध का अननुपालन	नियम 195	स्तर 3
139.	नियम 196 के उप-नियम (1) का अननुपालन	नियम 196 का उप-नियम (1)	स्तर 3
140.	नियम 196 के उप-नियम (2) का अननुपालन	नियम 196 का उप-नियम (2)	स्तर 1
141.	नियम 198 के किसी भी उपबंध का अननुपालन	नियम 198 का उप-नियम (1), (2), (3), (4) या (5)	स्तर 5
142.	नियम 199 के उप-नियम (1) या (2) का अननुपालन	नियम 199 का उप-नियम (1) या (2)	स्तर 5
143.	नियम 199 के उप नियम (5) या (6) का अननुपालन	नियम 199 का उप नियम (5) या (6)	स्तर 3
144.	नियम 199 के उप नियम (7), (8) या (9) का अननुपालन	नियम 199 का उप-नियम (7), (8) या (9)	स्तर 5

145.	नियम 202 के तहत जारी निदेशों का अननुपालन	नियम 202 के उप-नियम (3)	स्तर 6 तक। यदि समान उल्लंघन के लिए किसी नियम में शास्ति पहले ही प्रदान की गई है, तब उस नियम के लिए यथाविनिर्दिष्ट शास्ति अभिभावी होगी।
146.	नियम 203 के उप-नियम (1) का अननुपालन	नियम 203 का उप नियम (1)	स्तर 6
147.	विहित समय के भीतर नियम 206 द्वारा अपेक्षित दस्तावेजों को प्रस्तुत न करना	नियम 206	स्तर 2
148.	लॉग पुस्तिकाओं में किसी भी प्रविष्टि को नष्ट करना, विकृत करना, आदि	नियम 207	स्तर 4
149.	लॉग पुस्तिकाओं में कोई भी मिथ्या और कपटपूर्ण प्रविष्टि करना	नियम 207	स्तर 6
150.	किसी प्राधिकृत व्यक्ति को प्रवेश से इनकार करना	नियम 209 का उप नियम (5)	स्तर 6

3. अभिहित या अपीली अधिकारियों द्वारा शास्ति के न्यायनिर्णयन के लिए प्रक्रिया.- (क) अपनी इस समाधान पर कि व्यक्ति ने उपर्युक्त पैरा 2 के सारणी 2 में विनिर्दिष्ट नियम के किसी भी उपबंधों का उल्लंघन किया है, अभिहित अधिकारी, ऐसे व्यक्ति पर, उसे सुने जाने का उचित अवसर प्रदान करने के उपरांत, मांग नोटिस के साथ, किए गए उल्लंघन की प्रकृति का ब्यौरा देते हुए, नियमों के उन उपबंधों का विवरण देते हुए जिनका उल्लंघन किया गया है तथा इस प्रकार के दण्ड को अधिरोपित करने का कारण बताते हुए, लिखित में आदेश द्वारा, क्रमशः पैरा 1 और 2 के अधीन सारणी 1 और 2 के अनुसार शास्ति अधिरोपित कर सकेगा।

(ख) अभिहित अधिकारी किसी व्यक्ति पर दण्ड अधिरोपण की कार्यवाही के लिए तब आगे नहीं बढ़ेगा, यदि उसके उसके संज्ञान में आता है कि अधिनियम और इन नियमों के तहत एक ही उपबंधों के उल्लंघन के लिए एक ही कारण से कार्रवाई शुरू की गई है।

(ग) मांग नोटिस के साथ अभिहित अधिकारी द्वारा पारित शास्ति के आदेश की एक प्रति, ऐसे व्यक्ति को, प्रदान किए जाने के किसी स्वीकृत ढंग द्वारा प्रदान की जाएगी।

(घ) खंड (क) के अधीन जारी आदेश से व्यथित व्यक्ति, इन नियमों के नियम 216 के उपबंधों के अनुसार अपील कर सकेगा।

(ङ) अपील अधिकारी द्वारा पारित अपील आदेश की प्रति अपीलकर्ता तथा संबंधित अभिहित अधिकारी को उपलब्ध कराई जाएगी।

(च) अपील अधिकारी द्वारा पारित किए गए ऐसे आदेश की प्राप्ति की तारीख से तीस दिनों के भीतर, अभिहित अधिकारी, उस व्यक्ति को जिसके विरुद्ध आदेश में शास्ति की रकम के लिए आदेश पारित किया गया है, संशोधित मांग नोटिस जारी करके आदेश को प्रभाव प्रदान करेगा।

(छ) इस प्रकार अधिरोपित जुर्माने का भुगतान, ऐसे व्यक्ति द्वारा, उसे प्रदान किए गए मांग नोटिस के तीस दिनों की अवधि के भीतर, महानिदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के यथाअधिकथित रीति से किया जाएगा।

(ज) यदि, जिस व्यक्ति पर शास्ति लगाया गया है वह मांग नोटिस में निर्धारित समय में उसका भुगतान करने में विफल रहता है, तो, किसी अनुज्ञप्ति, प्रमाण पत्र, प्राधिकार, अनुज्ञापत्र या अनुमोदन जैसी भी यथा स्थिति हो, के रद्दकरण या निलंबन की कार्यवाही इन नियमों के उपबंधों के अधीन प्रवर्तित किया जाएगा

प्ररूप-ख

(नियम 215 और 216 देखें)

अपील अधिकारी के समक्ष अपील के लिए प्ररूप

1.	अपीलार्थी(यों) का नाम	
2.	पता	
3.	ई-मेल	
4.	फोन न.	
5.	तारीख के साथ आदेश की सं. जिसके विरुद्ध अपील की गई है (आदेश की प्रति लगाई जानी है)	

6.	आदेश जारी करने वाले अभिहित अधिकारी का नाम और पद	
7.	नियम जिनके उल्लंघन के लिए आदेश पारित किया गया था।	
8.	आदेश का प्रभावी भाग	
9.	अपीलार्थी द्वारा आदेश की प्रति प्राप्त करने की तारीख	
10.	30 दिनों के परिसीमा समयावधि के पूरा होने की तारीख	
11.	मामले के संक्षिप्त तथ्य	
12.	अपील के आधार	
13.	अपीलार्थी की प्रार्थना	
14.	फीस और संव्यवहार का विवरण	
15.	संलग्नक, यदि कोई हो	

[फा. सं. एवी-11012/3/2025-डीजी]

प्रियंका दास, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CIVIL AVIATION

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th October, 2026

G.S.R. 957(E).— Whereas, the draft Bharatiya Vayuyan Niyam, 2025 was published, as required by section 34 of the Bharatiya Vayuyan Adhiniyam, 2024 (16 of 2024), in the notification of the Government of India in the Ministry of Civil Aviation, *vide* G.S.R. number 466 (E), dated 11th July, 2025, in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (i), inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby, before the expiry of the period of thirty days from the date on which the copies of the Official Gazette containing the said notification were made available to the public;

And whereas, the said draft rules were made available to the public on the 14th July, 2025;

And whereas, the objections and suggestions received from the public in respect of the said draft rules within the period specified have been taken into consideration.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sections 10, 11, 17,19, 20, sub-section (4) of section 25, sections 30, 32 and 33 of the Bharatiya Vayuyan Adhiniyam, 2024 (16 of 2024), the Central Government hereby makes the following rules, namely: —

CHAPTER I

PRELIMINARY

1. Short title, application and commencement. — *(1)* These rules may be called the Bharatiya Vayuyan Niyam, 2026.

(2) These rules shall come into force on the 1st day of January, 2027.

(3) They shall apply to —

(a) the aircraft, and the persons on the aircraft, registered in India, wherever it may be;

(b) the aircraft, and the persons on the aircraft, registered outside India, but for the time being in or over India:

Provided that in the case of aircraft registered in a country other than India, the regulations of that country relating to registration, licence of personnel, airworthiness and log books shall apply, subject to that the regulations of such country meet the standards at least equal to the minimum standards established from time to time under the Convention on International Civil Aviation signed at Chicago on the 7th December, 1944:

Provided further that where the aircraft is registered in a contracting State and operated pursuant to an agreement for the lease, charter or interchange of the aircraft or any similar arrangement by an operator who has his principal place of business, or, if has no such place of business, his permanent residence in another contracting State other than India, the regulations of the other contracting State relating to registration, licensing of personnel, airworthiness and log books shall apply, subject to that an agreement has been reached between the Government of State of registry of the aircraft and the Government of the other contracting State relating to transfer of functions and duties pursuant to Article 83 bis of the Convention and the same has been officially notified to the Government of India or the International Civil Aviation Organisation, and the extent of application of these rules to such aircraft shall be as per the agreement between the two Governments.

(c) the aircraft registered outside India, in a contracting State and operated pursuant to an agreement for the lease, charter or interchange of the aircraft or any similar arrangement by an operator who has his principal place of business, or, if has no such place of business, his permanent residence in India, subject to that an agreement has been reached between the Government of the State of registry of the Aircraft and the Government of India and regard to transfer of functions and duties pursuant to article 83 bis of the convention, and the extent

of the application of these rules to such aircraft shall be as per the agreement between the two governments.

(*4)* They shall not apply to aircraft registered in India and operated pursuant to an agreement for the lease, charter or interchange of aircraft or any similar arrangement by an operator who has his principal place of business, or, if he has no such place of business, his permanent residence in a contracting State other than India, subject to that an agreement has been reached between the Government of India and the Government of that contracting state in regard to transfer of functions and duties pursuant to Article 83 bis of the Convention, and the extent of non-application of these rules to such aircraft shall be as per the agreement between the two Governments.

Explanation. **—** For the purposes of rules 11, 55, 59, 62, 63, 65, 72, 83, 86, 103, 114, 168, 175 and 179 of these rules, it is hereby clarified that foreign registered aircraft falling under clause *(c)* of sub-rule *(3)* of rule 1 shall be deemed as aircraft registered in India and Indian registered aircraft falling under sub-rule *(4)* of rule 1 shall be deemed as aircraft not registered in India.

2. **Definitions and Interpretation.** ─ In these rules, unless the context otherwise requires, ─

(1) "Act" means the Bharatiya Vayuyan Adhiniyam, 2024 (16 of 2024);

(2) "aerial work" means an aircraft operation in which an artaircraft is used for specialised services such as agriculture, construction, photography, surveying, observation and patrol, search and rescue, aerial advertisement, and like;

(3) "aerial work aircraft" means an aircraft used for the aerial work;

(4) **"**Aeronautical Information Publication**"** means a publication issued by or with the authority of a State and containing aeronautical information of a lasting character essential to air navigation;

(5) "aerodrome operator" means a person, organisation or enterprise responsible for operation and management of an aerodrome;

(6) "aerodyne" means an aircraft whose support in flight is derived dynamically from the reaction on surfaces in motion relative to the air, and includes all aeroplanes, helicopters, gyroplanes, gliders and kites;

(7) "aeronautical beacon" means an aeronautical ground light visible at all azimuth either continuously or intermittently to designate a particular point on the surface of the earth;

(8) "aeronautical ground light" means any light provided as an aid to air navigation other than a light displayed on an aircraft;

(9) "aeronautical product" means any civil aircraft, aircraft engine or propeller;

(10) "aeroplane" means a power-driven heavier-than-air aircraft, deriving its lift in flight chiefly from aerodynamic reactions on surfaces which remain fixed under given conditions of flight;

(11) "aerostat" means an aircraft supported in the air statically and includes all airships and balloons;

(12) **"**air navigation services" means the services provided to air traffic during all phases of operation including air traffic management, communication, navigation and surveillance, meteorological services for air navigation, search and rescue and aeronautical information;

(13) **"**air operator certificate" means a certificate authorising an operator to carry out specified commercial air transport operations;

(14) "air traffic" means all aircraft in flight or operating on the manoeuvring area of an aerodrome;

(15) "air traffic controller" means a person on duty in an air traffic services unit and entrusted with the task of giving instructions, clearance or advice to aircraft by approved means of communication in the interest of safety of aircraft operations;

(16) "Air Traffic Controller's Licence" means a licence granted under these rules certifying the competence of the holder to perform the duties of an air traffic controller and containing his personal details including ratings, endorsements and validity of the licence;

(17)"air traffic control service" means a service provided for the purposes of preventing collisions between aircraft and, on the manoeuvring area, between aircraft and obstructions, and of expediting and maintaining an orderly flow of air traffic;

(18) "air traffic control unit" means a generic term meaning variously, area control centre, approach control unit or aerodrome control tower;

(19) “air traffic service” means the flight information service, alerting service and air traffic advisory service and air traffic control service (area control service, approach control service or aerodrome control service);

(20) “air traffic services unit” means the air traffic control unit, flight information centre or air traffic services reporting office;

(21) "air transport service" means a service for the transport by air of persons, mails or any other thing, animate or inanimate, for any kind of remuneration whatsoever, whether such service consists of a single flight or a series of flights;

(22) "air transport undertaking" means an undertaking whose business includes the carriage by air of passengers or cargo for hire or reward;

(23) “aircraft-category” means classification of aircraft according to specified basic characteristics, such as aeroplane, helicopter, glider, free balloon; Vertical take-off and landing-capable aircraft;

(24) **“**aircraft certificated for single-pilot operation**”** means a type of aircraft which the State of Registry has determined, during the certification process, can be operated safely with a minimum crew of one pilot;

(25) "aircraft component" means any part, the soundness and correct functioning of which, when fitted to an aircraft, is essential to the continued airworthiness or safety of the aircraft and includes any item of equipment;

(26) “aircraft management service” means all such services provided to the owner of an aircraft that are essential or incidental, for operation and maintenance of that aircraft in compliance to these rules and the regulations framed thereunder, as may be applicable for operation and maintenance of the said aircraft;

(27) “aircraft management service provider” means a person who provides aircraft management service to the aircraft owner under a commercial contract between them;

(28) **“**aircraft required to be operated with a co-pilot” means a type of aircraft that is required to be operated with a co-pilot, as specified in the flight manual or by the air operator certificate;

(29) "airship" means a power-driven lighter-than-air aircraft;

(30) "airworthy" means the status of an aircraft, engine, propeller or part when it conforms to its approved design and is in a condition of safe operation in accordance with norms specified by the Director General;

(31) "airworthiness review certificate" means a certificate issued under these rules to confirm the continued validity of a certificate of airworthiness;

(32) “amateur-built aircraft” means an aircraft, the major portion (minimum 51%) of which has been fabricated and assembled by person or persons who undertook the construction project solely for their own education, research and development, sports or recreation;

(33) "amphibian" means an aeroplane capable normally of taking off from and alighting on either land or a solid platform or water;

(34) "approved" means accepted by the Director General as suitable for a particular purpose;

(35) "approved maintenance system" means the maintenance system approved by the Director General;

(36) “approved training” means a training conducted under special curricula and supervision approved by the Director General;

(37) “approved training organisation” means an organisation approved and operating under the supervision of the Director General to perform approved training;

(38) “balloon” means a non-power-driven lighter-than-air aircraft.

Explanation. — For the purposes of the First Schedule of these rule, it includes free balloons;

(39) “basic instrument flight trainer” means a device which is equipped with appropriate instruments, and which simulates the flight deck environment of an aircraft in flight in instrument flight conditions;

(40) “cabin crew member” means a crew member other than a flight crew member;

(41) “Cape Town Convention” means the Convention on international interests in mobile equipment signed at Cape Town, South Africa on the 16th of November, 2001, together with any regulations made in connection therewith as ratified by India on March 31, 2008;

(42) “Cape Town Protocol” means the Protocol to the Cape Town Convention on matters specific to Aircraft Equipment, signed in Cape Town, South Africa on

the 16th of November, 2001, together with any regulations made in connection therewith as ratified by India on the 31st March, 2008;

(43) "certificate of airworthiness" means an aircraft specific document issued by the Director General to signify that it conforms to its applicable type design and is in a condition for safe operation in accordance with the norms as specified by the Director General;

(44) "class rating" shall comprise —

(a) Single-engine, land;

(b) Single-engine, sea;

(c) Multi-engine, land;

(d) Multi-engine, sea;

(45) "commercial air transport operation" means an aircraft operation involving the transport of passengers, cargo or mail for remuneration or hire;

(46) "competency" means a dimension of human performance that is used to reliably predict successful performance on the job. A competency is manifested and observed through behaviours that mobilise the relevant knowledge, skills and attitudes to carry out activities or tasks under specified conditions;

(47) "complex motor-powered aircraft" means –

(a) an aeroplane:

(i) above 5700 kg. maximum take-off mass, or

(ii) certificated for more than nineteen seated passengers, or

(iii) certificated for operation with at least two pilots, or

(iv) equipped with turbojet engine or more than one turboprop engine.

(b) a helicopter:

(i) above 3175 kg. maximum take-off mass, or

(ii) certificated for more than nine seated passengers, or

(iii) certificated for operation with at least two pilots, or

(c) a tilt rotor aircraft;

(48) "contracting State" means any State which is for the time being a party to the Convention on International Civil Aviation concluded at Chicago on 7th December, 1944, and any amendment which may be made thereto under the provisions of Article 94 thereof;

(49) "Convention" means the Convention relating to International Civil Aviation signed at Chicago on the 7th day of December, 1944, as amended from time to time;

(50) "co-pilot" means a licensed pilot serving in any piloting capacity other than as pilot-in-command but excluding a pilot who is on board the aircraft for the sole purpose of receiving flight instruction;

(51) "course" or "heading" means the direction in which the longitudinal axis of an aircraft is pointed, usually expressed in degrees from North (True, Magnetic or Compass);

(52) "crew member" means a person assigned by an operator for duty on an aircraft during a flight duty period;

(53) "defence aerodrome" means an aerodrome owned and operated by Indian Air Force, Indian Navy or Indian Army;

(54) "Director General" means Director General of Civil Aviation;

(55) "dual flight time" means flight time during which a person is receiving flight instructions from a pilot on board the aircraft;

(56) "dual instruction time" means flight time during which a person is receiving flight instruction from a properly authorised pilot on board the aircraft, or from a properly authorised remote pilot using the remote pilot station during a remotely piloted aircraft flight;

(57) "endorsement" with respect to a licence means an entry in the licence indicating the privileges which the licence holder is entitled to exercise, including any observation impacting the exercise of such privileges;

(58) **"**fatigue**"** means a physiological state of reduced mental or physical performance capability resulting from sleep loss or extended wakefulness, circadian phase or workload (mental or physical activity, or both) that can impair an individual's alertness and ability to safely perform the tasks;

(59) "flight crew member" means a licensed crew member charged with duties essential to the operation of an aircraft during a flight duty period;

(60) "flight dispatcher" means a person designated by the operator to engage in the control and supervision of flight operations, who supports, briefs and assists the pilot-in-command in the safe conduct of the flight;

(61) "flight information region" means an airspace of defined dimensions within which flight information service and alerting service are provided;

(62) “flight information service” means a service provided for the purpose of giving advice and information useful for the safe and efficient conduct of flights;

(63) "flight manual" means a manual associated with the certificate of airworthiness, containing limitations within which the aircraft is to be considered airworthy, and contains instructions and information necessary to the flight crew members for the safe operations of the aircraft;

(64) “flight simulation training device” means any one of the following three types of apparatus in which flight conditions are simulated on the ground:

(a) a flight simulator, which provides an accurate representation of the flight deck of a particular aircraft type or an accurate representation of the remotely piloted aircraft system to the extent that the mechanical, electrical, electronic aircraft systems control functions, the normal environment of flight crew members, and the performance and flight characteristics of that type of aircraft are realistically simulated;

(b) a flight procedures trainer, which provides a realistic flight deck environment or realistic remotely piloted aircraft system environment, and which simulates instrument responses, simple control functions of mechanical, electrical, electronic, aircraft systems, and the performance and flight characteristics of aircraft of a particular class;

(c) a basic instrument flight trainer, which is equipped with appropriate instruments, and which simulates the flight deck environment of an aircraft in flight or the remotely piloted aircraft system environment in instrument flight conditions;

(65) "flight time" means –

(i) in respect of an aeroplane, the total time from the moment the aeroplane first moves for the purpose of taking off until the moment it finally comes to rest at the end of the flight; and

(ii) in respect of a helicopter, the total time from the moment the helicopter’s rotor blades start turning until the moment it finally comes to rest at the end of the flight, and the rotor blades are stopped.

Explanation. — for the purpose of this clause, it is hereby clarified that flight time is synonymous with the term "block to block" time, or "chock to chock" time

in general usage which is measured from the time an aeroplane first moves for the purpose of taking off until it finally stops at the end of the flight;

(66) "flight time in a glider" means the total time occupied in flight, whether being towed or not, from the moment the glider first moves for the purpose of taking off until the movement it comes to rest at the end of the flight;

(67) "flight time in free flight" includes flight time in glider when it is not being towed;

(68) "foreign aircraft" means an aircraft registered in a country other than India;

(69) "glider" means a non-power-driven heavier-than-air aircraft, deriving its lift in flight chiefly from aerodynamic reactions on surfaces which remain fixed under given conditions of flight;

(70) "Government aerodrome" means an aerodrome which is maintained by or on behalf of the Central Government and includes an airport to which the Airports Authority of India Act, 1994 (55 of 1994) applies or is made applicable;

(71) “gyroplane” means a rotorcraft whose rotors are not engine-driven, except for initial starting, but are made to rotate by action of the air when the rotorcraft is moving; and whose means of propulsion, consisting usually of conventional propellers, is independent of the rotor system;

(72) "helicopter" means a heavier-than-air aircraft supported in flight chiefly by the reactions of the air on one or more power-driven rotors on substantially vertical axes;

(73) “IDERA” means the irrevocable deregistration and export request authorisation to be used for getting an aircraft deregistered and exported under the provisions of the Cape Town Protocol;

(74) “IDERA Holder” means the authorised party under an IDERA or its certified designee;

(75) “Indian Technical Standard Order” means a minimum performance standard for aircraft component;

(76) **“**instrument flight procedure design service**”** means a service established for the design, documentation, validation, maintenance and periodic review of instrument flight procedures necessary for the safety, regularity and efficiency of air navigation;

(77) "instrument flight time" means the time during which a pilot is piloting an aircraft solely by reference to instruments and without external reference points;

(78) instrument ground time" means the time during which a pilot is practicing, on the ground, simulated instrument flight in a flight simulation training device approved by the Director General;

(79) "instrument time" means the instrument flight time or the instrument ground time;

(80) "item of equipment" means any self-contained unit, which, when attached to, or installed on aircraft, performs a function essential under certain operating conditions of airworthiness or safety of the aircraft or its occupants;

(81) "landing area" means that part of an aerodrome reserved for the departure or landing of aircraft;

(82) "licence" means a licence issued under these rules;

(83) "light sport aircraft" means a fixed wing aircraft to be approved for day visual flight rules only that meet all of the following criteria, namely: —

(a) a maximum take-off mass not exceeding 600 kg. for aeroplane not intended to be operated on water or 650 kg. for aeroplane intended to be operated on water;

(b) a maximum stalling speed in landing configuration of not more than 45 knots calibrated airspeed at the aircraft's maximum certificated take-off mass and most critical centre of gravity;

(c) a maximum seating capacity of not more than two persons, including the pilot;

(d) a single, non-turbine engine fitted with a propeller; and

(e) a non-pressurised cabin;

(84) "major airport" shall have the same meaning as assigned to it in clause *(i)* of section 2 of the Airports Economic Regulatory Authority of India Act, 2008 (27 of 2008);

(85) "manoeuvring area" means that area of an aerodrome which is to be used for the take-off and landing of an aircraft and for the movement of aircraft associated with the take-off and landing;

(86) **"**meteorological authority" means the authority providing or arranging for the provision of meteorological service for international air navigation;

(87) **"**meteorological information" means Meteorological report, analysis, forecast, and any other statement relating to existing or expected meteorological conditions;

(88) "microlight aircraft" means Microlight aircraft (single seater) and Microlight aircraft (two seater) and excludes hang gliders and para-planes;

(89) "microlight aircraft (single seater)" means a fixed wing aircraft with a maximum all up weight not exceeding 330 kg. and a wing area not less than 10 sq meters and which is designed to carry not more than one person;

(90) "microlight aircraft (twoseater)" means a fixed wing aircraft with a maximum all up weight not exceeding 450 kg. and a wing area not less than 10 sq meters and which is designed to carry not more than two persons;

(91) "military aircraft" includes Naval, Military and Air Force aircraft, and every aircraft commanded by a person in Naval, Military or Air Force service detailed for the purpose;

(92) "movement area" means the area of an aerodrome which is intended for the surface movement of an aircraft and includes the manoeuvring area and aprons;

(93) "nationality of aircraft" means the nationality of the State on the register of which the aircraft is entered;

(94) "normal flight" means flight comprising climbing, horizontal flight, turning and descending:

Provided that it does not entail abrupt variations in height or in the attitude of the aircraft;

(95) "on the surface of water"- An aircraft is deemed to be "on the surface of the water" so long as any portion of it is in contact with the water;

(96) "on-the-job training" means integration in practice of previously acquired job related qualifications and skills in a live job situation under the supervision of a qualified and experienced person already employed for that job;

(97) "operator" means a person, organisation or enterprise engaged in or offering to engage in aircraft operation;

(98) "passenger aircraft", "mail aircraft" and "goods aircraft" means aircraft which effect public transport of passengers, mails or goods, respectively;

(99) "petroleum in bulk" means petroleum contained in receptacle exceeding 900 liters in capacity;

(100) "pilot-in-command" means the pilot designated by the operator, or in the case of general aviation, the owner, as being in command and charged with the safe conduct of a flight;

(101) **"**pilot-in-command under supervision" means co-pilot performing, under the supervision of the pilot-in-command, the duties and functions of a pilot-in-command, in accordance with a method of supervision acceptable to the licensing authority;

(102) "powerplant" means the system consisting of all the engines, drive system components, if applicable, and propellers, if installed, their accessories, ancillary parts, fuel and oil systems installed on an aircraft but excluding the rotors for a helicopter;

(103) "private aircraft" means all aircraft other than aerial work aircraft or public transport aircraft;

(104) "prohibited area" means an area over which the navigation of aircraft is prohibited under rule 8;

(105) "public transport" means all carriage of persons or things effected by aircraft for a remuneration of any nature whatsoever, and all carriage of persons or things effected by aircraft without such remuneration, if the carriage is effected by an air transport undertaking;

(106) "public transport aircraft" means an aircraft which effects public transport;

(107) "Radio Regulations" means the regulations adopted by the World Radiocommunication Conference held at Geneva in the year 1995 and includes every revision or modification thereof which the Government of India has ratified or accepted;

(108) "rating" means an authorisation entered on or associated with a licence and forming part thereof, stating special conditions, privileges or limitations pertaining to such licence;

(109) "registered interest" means any interest registered with the International Registry established under the Cape Town Convention;

(110) "rendering a licence valid" means the action taken as an alternative to issuing its own licence in accepting a licence issued by any other Contracting State as the equivalent of an Indian licence;

(111) **"**Rescue Coordination Centre" means a unit responsible for promoting efficient organisation of search and rescue services and for coordinating the conduct of search and rescue operations within a search and rescue region;

(112) "restricted type certificate" means a document issued, validated or accepted by the Director General signifying that the design of a type of aircraft or engine

or propeller does not fully meet the applicable type design standards as specified by the Director General;

(113) "safety" means the state in which the risks associated with aviation activities, related to, or in direct support of the operation of aircraft, are reduced and controlled to an acceptable level.

Explanation. – For the purposes of this clause, the expression "acceptable level" is the minimum degree of safety that must be assured by a system in actual practice;

(114) "safety data" means a defined set of facts or set of safety values collected from various aviation related sources, which is used to maintain or improve safety;

(115) "Safety Information" means safety data processed, organised or analysed in a given context so as to make it useful for safety management purposes;

(116) "scheduled air transport service" means an air transport service undertaken between the same two or more places and operated according to a published time table or with flights so regular or frequent that they constitute a recognisably systematic series, each flight being open to use by members of the public;

(117) "Seaplane" means a fixed wing aeroplane designed for taking off and landing on water and it includes amphibians operating as seaplanes;

(118) "solo flight time" means flight time during which a pilot is the sole occupant of an aircraft;

(119) "special certificate of airworthiness" means a document issued by the Director General to an aircraft which has a restricted type certificate or complies with airworthiness specifications as specified by the Director General for ensuring adequate safety;

(120) "special flight permit" means a document issued by the Director General to an aircraft which does not meet the conditions of airworthiness as referred to in rule 51 but is in a condition for safe operation subject to limitations as may be specified therein;

(121) "specified by the Director General" means the directions issued by the Director General under the provisions of rule 202;

(122) "State aircraft" includes aircraft used in Military, Customs, Police services, and posts;

(123) “State of design” means the state having jurisdiction over the organisation responsible for the type design;

(124) "subsequent aircraft" means an aircraft which is constructed in accordance with the design and specification of a type of aircraft, which has been approved or accepted by the Central Government for the issuance of a certificate of airworthiness;

(125) "take-off" includes all the successive positions of an aerodyne from the moment it moves from rest until the moment of starting normal flight;

(126) “tariff” means any fare, rate or charge collected by an air transport undertaking for the carriage of passengers, baggage, cargo, including the commission payable to the agents, and the conditions governing such fare, rate or charge.

Explanation. — For the purposes of this clause, it is hereby clarified that the ‘cargo’ does not include mail;

(127) “temporary aerodrome” means an aerodrome intended to be used for a period not exceeding six months;

(128) "type certificate" means a document issued, validated or accepted by the Director General to signify that the design of a type of aircraft or engine or propeller, complies with the applicable type design standard as specified by the Director General;

(129) "type of aircraft" means all aircraft of the same basic design including all modifications thereto except those modifications which result in a change in handling or flight characteristics;

(130) "type rating" means a rating for each type of aircraft;

(131) “vertical take-off and landing-capable aircraft” means a power driven, heavier than-air aircraft, other than aeroplane or rotorcraft, capable of performing vertical take-off and landing by means of lift and thrust units used to provide lift during take-off and landing;

(132) the words and expressions used herein but not defined, and defined in the Act shall have the same meaning as assigned to them in the said Act.

CHAPTER II
GENERAL

3. Use and operation of aircraft. — Save as otherwise provided in these rules, no person shall use or operate or assist in using or operating an aircraft.

4. Registration, nationality and registration marks. — Subject to the provisions of rule 42, no person shall fly or assist in flying, any aircraft unless —

(a) it has been registered, and

(b) it bears its nationality and registration marks and the name and residence of the owner affixed or painted thereon in accordance with the provisions of rule 47 or, in the case of aircraft registered elsewhere than in India, in accordance with the regulations of the State in which it is registered:

Provided that the prohibition imposed by this rule shall not apply to aircraft flown in accordance with the special permission in writing of the Central Government and subject to any conditions and limitations which may be specified in such permission.

5. Documents to be carried on aircraft. — *(1)* No person shall operate or fly an aircraft unless valid documents, as required by the law of the country in which the aircraft is registered, are carried on board and are kept in such form and manner as laid down by that country.

(2) An aircraft registered in India shall carry on board valid documents as specified by the Director General:

Provided that where a licence or other document has been submitted to the competent authority under these rules for renewal or other action, that fact shall be deemed a valid excuse for its not being carried on board the aircraft.

6. Carriage of arms, ammunition, explosives, military stores, etc. – *(1)* No person shall carry or cause or permit to be carried in any aircraft to, from, within or over India, any arms, ammunitions, munitions of war, implements of war, explosives and military stores, except with the written permission of the Director General and subject to the terms and conditions of such permission:

Provided that the Director General may, by general or special order in writing, permit any person or class of persons to carry such articles subject to the terms and conditions as specified in such order.

(2) An application for permission under sub-rule *(1)* shall be made to the Director General in the form and contains such particulars or documents as specified by him.

(3) (i) The following fee shall be paid electronically in the manner specified by the Director General, for permission under sub-rule *(1)*, namely: —

(a) for individual: 500 rupees;

(b) for organisation: 1000 rupees;

(ii) no fee shall be payable by the person or the class of persons permitted under proviso of sub-rule *(1).*

(4) Where the carriage of any goods is permitted under sub-rule *(1),* it shall be the duty of the operator, the pilot-in-command, the consignor and every person concerned with the booking, handling or carriage of such goods, to take all precautions to avoid danger to the aircraft or to the persons on board or to any other person or property and in particular, to ensure that —

(a) the goods are so packed, protected and secured as to avoid any possibility of them being a source of danger;

(b) the goods are so carried as not be accessible to the passengers on board the aircraft; and

(c) the nature of the goods is clearly and conspicuously marked on the package containing them.

(5) The consignor of such goods shall give the operator a written notice specifying the nature, weight and quantity of the goods and the name and full address of the consignee; and the operator shall inform the pilot-in-command of the aircraft of all such particulars before the goods are placed on board the aircraft.

(6) Where any officer, authorised in this behalf by the Central Government, has reasons to believe that the provisions of this rule are, or are about to be, contravened, he may cause such goods to be placed under his custody pending detailed examination of the nature of the goods or pending a decision regarding the action, if any, to be taken in the matter.

7. Aerodromes. — *(1)* No pilot or operator of any aircraft carrying passengers for hire or reward shall use any place for a series of landings and departures, and no pilot or operator of any aircraft employed on a scheduled air transport service shall use any place as a regular place of landing or departure other than an aerodrome licensed or approved for the purpose in accordance with the provisions of Chapter V.

(2) No person being the proprietor of an aerodrome other than an aerodrome mentioned in sub-rule *(1)* shall permit the aerodrome to be used in contravention of these rules.

(3) No person other than the occupant of an aircraft manoeuvring in accordance with these rules may enter upon the landing area of an approved or licensed aerodrome without the consent of the operator of the aerodrome except in the case of imminent threat to life of the occupants of the aircraft or of the safety of the aircraft**.**

8. Prohibited areas. — *(1)* No person shall fly or assist in flying an aircraft over any of the areas specified in Aeronautical Information Publication as restricted or prohibited areas save in accordance with the conditions specified in that Publication.

(2) Every pilot, who, when flying an aircraft, finds himself above a prohibited area in contravention of sub-rule *(1),* shall, as soon as he is aware of the fact, give the signal of distress specified in the Rules of the Air referred to in rule 12, and shall land the aircraft as soon as possible outside the prohibited area at one of the nearest aerodromes in India:

Provided that he shall not, unless compelled by stress of weather or other unavoidable cause, fly further into the prohibited area nor commence to descend while still above the prohibited area.

(3) When advised so by an air traffic service or when the signals prescribed in the Rules of the Air referred to in rule 12 to warn an aircraft that it is flying in the vicinity of restricted, prohibited or danger area are given, the pilot of the aircraft shall immediately change his course and fly away from the prohibited area.

(4) When the light signals from aerodrome control tower, as prescribed in the Rules of the Air referred in rule 12 are given, the pilot shall immediately give the signal referred to in sub-rule *(2)* and land the aircraft in accordance with that sub-rule.

9. Photography or videography at aerodromes.— *(1)* No person shall take, or cause or permit to be taken, at an aerodrome any photography or videography except with the permission in writing from the aerodrome operator of such aerodrome:

Provided that in case foreign nationals are engaged in the activity of photography or videography then such permission shall be granted only when such nationals are security cleared from concerned agencies:

Provided further that the Director General from time to time, may, by an order, direct that these restrictions shall not apply to photography or videography at any aerodrome or within such limits of any aerodrome as may be specified in the order.

(2) The aerodrome operator, while granting such permission under sub-rule *(1)* and during such photography or videography, shall ensure that such activity in any manner, either directly or indirectly does not —

(a) endanger safety or security of an aircraft or aircraft operations;
(b) cause interference with the normal functioning of any facility established for the safe and secure operations of aircraft or convenience and free movement of passenger and cargo;
(c) obstruct or distract the functioning of any person entrusted with any responsibility towards ensuring safe and secure operation of aircraft or airport.

(3) The Aerodrome operator shall maintain the complete record of permission issued under sub-rule *(1)* for a period of three years and on demand by the Director General shall made available such record before him for inspection.

10. Photography or videography from aircraft in flight. — No person shall take, or cause or permit to be taken from an aircraft in flight any photography or videography including aerial survey except in accordance with, and subject to the terms and conditions as specified by the Director General.

11. Conditions to be complied with by an aircraft in flight. – No aircraft shall be flown unless the following conditions are complied with, namely:–

(a) the aircraft possesses a valid certificate of airworthiness or special certificate of airworthiness issued by the Director General;

(b) the aircraft shall be certified as airworthy and shall be maintained in accordance with the provisions of Chapter III or in the case of an aircraft not registered in India, in accordance with the regulations of the State in which the aircraft is registered;

(c) all the terms or conditions on which the certificate of airworthiness or special certificate of airworthiness was granted shall be duly complied with;

(d) the aircraft shall carry on board its certificate of airworthiness or special certificate of airworthiness, any other certificate prescribed by Chapter III and any other document as specified by the Director General, or by the regulations of the State in which the aircraft is registered, which it is required to carry on board:

Provided that an aircraft not in compliance with the aforesaid conditions may be flown under a special flight permit issued by the Director General under rule 57 subject to such conditions as may be specified in such permit.

12. Rules of the Air. — Every person shall comply with the Rules of the Air issued by the Director General in accordance with Annex 2 to the Convention as may be applicable to that person.

13. Prevention of flights in contravention of rules. — *(1)* (a) An authority authorised under section 17 of the Act to detain aircraft, may do so, by the issue of a written direction to the pilot or other persons for the time being in-charge of the aircraft to be detained, or by taking or causing to be taken such other steps as may, in the opinion of such authority, be necessary to make the detention effective, including the use of force, denial of access by any person to the aircraft, removal of parts and components of the aircraft, defuelling of the aircraft or otherwise interfering with the aircraft.

(b) If an aircraft detained by a person so authorised is housed or kept at a Government aerodrome, the housing or picketing charges normally applicable shall be payable in respect of the whole period during which it is detained.

(2) Officers of the Central Government or a State Government, employed at or in the neighborhood of any airport, including the officers of Police, Naval, Army, Air Force or Customs Department and such other officers of the Central Government or the State Government, as may be specified by the Central Government by general or special order issued in this behalf shall, on being required to do so by the authority authorised

under section 17 of the Act to detain an aircraft, assist such authority in detaining the aircraft and taking such steps as may, in the opinion of that authority, be necessary to make the detention effective.

(3) Any person acting in contravention of any direction given under this rule shall, without prejudice to any other penalty he may incur, be deemed to have acted in contravention of these rules.

14. Certain rules not applicable to Gliders and Kites.— The provisions of rule 5 shall not apply to gliders, and provisions of rules 4, 5, 8, 11, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 72, 112, 113, 119, 174, 175, 176, 177, 206 and rule 212 shall not apply to kites.

15. Dangerous flying. ─ No person shall fly any aircraft in such circumstances as, by reason of low altitude or proximity to persons or dwellings or for other reasons, to cause unnecessary danger to any person or property.

16. General safety. ─ No person shall act in any manner, either directly or indirectly, so as to **—**

(a) endanger safety and security of an aircraft or aircraft operation;

(b) cause interference with the normal functioning of any facility established for the safe and secure operation of aircraft; or

(c) obstruct or distract the functioning of any person entrusted with any responsibility towards ensuring safe and secure operation of aircraft.

17. Aircraft in distress. ─ *(1)* The Director General may issue requirements to be followed by concerned persons for providing assistance to aircraft in distress in accordance with the provisions of Annex 12 to the Convention.

(2) Every person shall comply with the requirements issued by the Director General under sub-rule *(1).*

18. Assault and other acts of interference against a crew member. ─ No person shall, on board an aircraft ─

(a) assault, intimidate or threaten, whether physically or verbally, a crew member which may interfere with the performance of the duties of the crew member or lessens the ability of the crew member to perform those duties;

(b) refuse to follow a lawful instruction given by the Pilot-in-Command, or on behalf of the Pilot-in-Command by a crew member, for the purpose of ensuring the safety of the aircraft or of any person or property on board or for the purpose of maintaining good order and discipline on board.

19. Assault and other acts endangering safety or jeopardizing good order and discipline. ─ (1) No person shall, on board an aircraft ─

(a) assault, intimidate or threaten, whether physically or verbally, any person;
(b) intentionally cause damage to or destroy any of property;
(c) consume alcoholic beverages or drugs,

which is likely to endanger the safety of the aircraft or of any person or jeopardizes the good order and discipline on board the aircraft.

(2) For the purposes of rules 18 and 19, the jurisdiction of India shall, in addition to the applicability provided in rule 1 of these rules, also extend to any offence if the act constituting the offence took place on board any aircraft in flight outside India:

Provided that ─

(a) the next landing of the aircraft is in India; and
(b) the Pilot-in-Command has delivered the suspected offender to the competent authorities of India, with the request that the authorities prosecute the suspected offender and with the affirmation that no similar request has been or shall be made by the Pilot-in-Command or the operator to any other State.

20. Carriage of persons suffering from mental disorders or epilepsy in aircraft. ─ No person shall knowingly carry or permit to be carried, or connive at the carriage of, a person suffering from any mental disorder or epilepsy in any aircraft:

Provided that this prohibition shall not apply if the person to be carried is certified by a registered medical practitioner to be fit to travel by air without being a risk to other passengers or to the aircraft, and in addition, ─

(a) has not taken or used any alcoholic drink or preparation within twelve hours of the commencement of the flight;

(b) is kept under proper sedative, if in a state of excitement, during the flight and stops en- route; and

(c) is accompanied by an attendant, and in case he has been in a state of excitement requiring sedation within the two weeks preceding the date of commencement of the flight, he shall be accompanied by a registered medical practitioner and adequate escort who shall individually and collectively be responsible for ensuring that no alcoholic drink or preparation is taken by the person in their charge and that such person is kept suitably sedated during the flight and stops en- route.

21. Carriage of animals, birds and reptiles in aircraft. — No animal, bird or reptile shall be taken aboard or carried on any aircraft to, from and within India, except under and in accordance with a general or special permit in writing issued by the Director General in this behalf, and subject to such conditions, if any, as may be specified therein.

22. Fuelling of aircraft. — (1) No person shall fill or replenish the fuel tanks of an aircraft from vehicles or vessels containing petroleum in bulk or from fuel hydrant installations except from vehicles or installations of a type approved by the Chief Inspector of Explosives or from barges licensed under the provisions of the Petroleum Rules, 2002.

(2) The Director General may specify standards and conditions in respect of fuelling operations, including filling or draining of fuel tanks.

23. Housing of aircraft. — *(1)* No aircraft containing dangerous petroleum in bulk in any of its tanks may be housed in a hangar unless such hangar is constructed of uninflammable material and is effectively and safely ventilated to the open air.

(2) Every such hangar shall be in charge of a competent person who shall be responsible for taking all proper precautions against fire and shall prevent unauthorised persons from having access to the building.

24. Dropping of articles and descent by parachutes. — *(1)* No person shall drop or project or cause or permit to be dropped or projected from an aircraft in motion anything except ballast in the form of fine sand or water:

Provided that nothing in this rule shall be construed as preventing-

(a) in an emergency, the dropping of liquid fuel;

(b) in an emergency, the dropping of cargo over areas where hazard to persons or property outside the aircraft is not thereby created;

(c) the dropping of message bags, smoke producing or other apparatus or materials dropped for the purpose of navigating an aircraft or communicating messages from an aircraft subject to the observance of such precautions as to the nature of the articles dropped and the place of dropping as will avoid risk of injuring persons or damaging property on the ground or water;

(d) the dropping of separate sheets of paper containing printed matter or separate petals of flowers in any place if-

(i) the prior written permission of the District Magistrate or the Commissioner of Police is obtained in each case;

(ii) the aircraft is suitable for dropping these articles;

(iii) the minimum safe heights specified in these rules are observed; and

(iv) necessary precautions are taken to avoid injury or damage to persons or property.

(e) the dropping of ropes used for towing aircraft.

(2) No person shall, except in an emergency, descend by means of a parachute from an aircraft and no person shall drop or cause or permit to be dropped from an aircraft in flight any article, whether attached to a parachute or not, unless the descent is made or the article is dropped in accordance with general or special order issued by the Director General in this behalf and subject to such conditions, if any, as may be specified therein.

(3) No person shall project or cause or permit to be projected from an aircraft in flight any article except in accordance with general or special order issued by the Director General in this behalf and subject to such conditions, if any, as may be specified therein.

25. Acts likely to imperil the safety of aircraft. ─ No person shall interfere with the pilot or with a member of the operating crew of an aircraft, or tamper with the aircraft or its equipment or conduct himself in a disorderly manner in an aircraft or commit any act likely to imperil the safety of an aircraft or its passengers or crew.

26. Prohibition of operating civil aircraft causing sonic boom. ─ No person shall operate a civil aircraft at a true flight mach number greater than one over the territory of India or over the high seas in a manner which may cause or is likely to cause sonic boom over the territory of India.

Explanation. ─ For the purpose of this rule, "the territory of India" shall include the territorial waters of India.

CHAPTER III

AIRCRAFT

A. Design and Manufacture of Aeronautical Product

27. Issue of type certificate or restricted type certificate for an aeronautical product.─ *(1)* An aeronautical product shall have a type certificate issued by the Director General where India is a State of design.

(2) The Director General may issue a type certificate for an aeronautical product when ─

(a) an application is submitted in the form and contains such particulars or documents or evidences as specified by the Director General along with the fee provided under rule 68; and

(b) the aeronautical product meets the airworthiness requirements as specified by the Director General.

(3) The Director General may issue a restricted type certificate for an aeronautical product imposing necessary limitations on its operations if he is satisfied that the design of such product does not fully comply with the applicable design standard as specified by the Director General but is in a condition for safe operation.

28. Validation of type certificate or restricted type certificate or supplemental type certificate for an aeronautical product.— The Director General may validate a type certificate or a restricted type certificate or supplemental type certificate in respect of an aeronautical product issued by a foreign country when ─

(a) an application is submitted in the form and contains such particulars or documents or evidences as specified by the Director General along with the fee provided under rule 68; and

(b) the aeronautical product meets the airworthiness requirements as specified by the Director General.

29. Acceptance of type certificate or restricted type certificate issued by a contracting State.— The Director General may accept the type certificate or restricted type certificate of an aeronautical product issued by a contracting State when ─

(a) an application is submitted in the form and contains such particulars or documents or evidences as specified by the Director General along with the fee provided under rule 68; and

(b) the aeronautical product meets the airworthiness requirements as specified by the Director General.

30. Issue of supplemental type certificate for an aeronautical product.─ The Director General may issue a supplemental type certificate in respect of any aeronautical product for which a type certificate or a restricted type certificate has been issued or validated or accepted as provided in rules 27, 28 and 29, when ─

(a) an application for modification in the aeronautical product is submitted in the form and contains such particulars or documents or evidences as specified by the Director General along with the fee provided under rule 68; and

(b) such modification to the aeronautical product meets the airworthiness requirements as specified by the Director General.

31. Revision in type certificate or restricted type certificate or supplemental type certificate.─ The Director General may issue revision to the type certificate or the

restricted type certificate or the supplemental type certificate, as the case may be, on being satisfied that the aeronautical product meets the airworthiness requirements as specified by the Director General.

32. Cancellation, suspension of or endorsement on type certificate or restricted type certificate.— If at any time the Director General is satisfied that there is a reasonable doubt to indicate that the safety of the aeronautical product is imperilled because of a defect, he may cancel, suspend or endorse the type certificate or restricted type certificate issued or validated for the aeronautical product having defect, or may require the incorporation of any modification as a condition for the type certificate or restricted type certificate remaining in force, as the case may be.

33. Acceptance of supplemental type certificate issued by a contracting State.— The Director General may accept a supplemental type certificate of an aeronautical product issued by a contracting State when —

(a) an application is submitted in the form and contains such particulars or documents or evidences as specified by the Director General along with the fee provided under rule 68; and

(b) the aeronautical product meets the airworthiness requirements as specified by the Director General.

34. Acceptance of design for an aircraft. — Notwithstanding anything contained in rules 27 to 33, the Director General may accept the design of an aircraft after evaluation against the requirements as specified by the Director General and on being satisfied that it is in a condition for safe operation.

35. Airworthiness directives. — *(1)* The Director General may issue directions in the form of airworthiness directives in respect of an aeronautical product for which a type certificate or a restricted type certificate has been issued, accepted or validated by the Director General when —

(a) an unsafe condition exists in the product; and

(b) the condition is likely to exist or develop in other products of the same type design.

(2) The airworthiness directive under sub-rule *(1)* shall be issued after placing the draft on the website of the Directorate General of Civil Aviation for a period of thirty days for inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby:

Provided that the Director General may, in the public interest and by order in writing, dispense with the requirement of inviting such objections and suggestions or reduce the period for submitting such objections and suggestions.

36. Special condition. ─ *(1)* The Director General may issue directions in the form of special condition when the Director General finds that the airworthiness requirements for an aeronautical product design do not contain adequate or appropriate safety standards because of a novel or unusual design feature.

(2) The special condition under sub-rule *(1)* shall be issued after placing the draft on the website of the Directorate General of Civil Aviation for a period of thirty days for inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby:

Provided that the Director General may, in the public interest and by order in writing, dispense with the requirement of inviting such objections and suggestions or reduce the period for submitting such objections and suggestions.

37. Indian Technical Standard Order.─ *(1)* The aircraft components not covered under rules 27 to 33 shall be in accordance with Indian Technical Standard Order as specified by the Director General.

(2) The Indian Technical Standard Order under sub-rule *(1)* shall be issued after placing the draft on the website of the Directorate General of Civil Aviation for a period of thirty days for inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby:

Provided that the Director General may, in the public interest and by order in writing, dispense with the requirement of inviting such objections and suggestions or reduce the period for submitting such objections and suggestions.

38. Authorisation for design and manufacture of aircraft component.─ The Director General may issue authorisation for design and manufacture of aircraft components when ─

(a) an application is submitted in the form and contains such particulars or documents or evidences as specified by the Director General along with the fee provided under rule 68; and

(b) the aircraft component meets the airworthiness requirements as specified by the Director-General.

B. Airworthiness

39. Certificate of registration.— *(1)* The authority empowered to register aircraft and to grant certificate of registration in India shall be the Central Government and the certificate of registration shall include the following particulars, namely: —

(a) nationality;

(b) registration marks referred to under these rules;

(c) manufacturer and manufacturer's designation of aircraft;

(d) aircraft serial number;

(e) year of manufacture;

(f) name and address of the certificate holder;

(*g)* name and contact information of owner, if different from certificate holder, the date of registration and the period of validity of such registration:

Provided that in the case of a leased aircraft, the certificate of registration shall also include the validity of the lease and the names, nationalities and addresses of the lessor and the lessee.

(2) The Central Government may, by general or special order, specify the period of validity of registration of the aircraft.

(3) The Central Government may, on receipt of application along with the fee as provided under rule 68, reserve a registration mark for a period of one year, which may be further extended for one year at a time.

(4) An aircraft may be registered in India in either of the following categories, namely: —

(a) Category A ─ where the aircraft is partly or wholly owned by ─

(i) citizen of India; or

(ii) a company or an entity registered and having its principal place of business within India; or

(*iii)* a company or an entity registered with International Financial Services Centre for undertaking leasing of aircraft and carrying on business in India; or

(iv) the Central Government or any State Government or any company or entity owned or controlled by either of the said Governments; or

(v) a company or an entity registered elsewhere than in India:

Provided that such company or entity has given the said aircraft on lease to any person mentioned in sub-clause *(i)* to *(iv); or*

(b) Category B ─ where the aircraft is partly or wholly owned by ─

(i) person resident in or carrying on business in India, who is not citizen of India, or

(ii) a company or entity registered elsewhere than in India and carrying on business in India.

(5) No aircraft in respect of which the conditions required in sub-rule *(4)* are not satisfied, or which is already validly registered in another country, shall be registered in India.

(6) In a case where the usual station of an aircraft and its ordinary area of operation is not situated in India, the Central Government may decline to accept an application for registration of the aircraft in India, or, as the case may be, to permit the aircraft to remain registered in India, if, in its opinion, the aircraft could more suitably be registered in some other country.

(7) In any particular case, the Central Government may decline to register an aircraft in India, if in the circumstances of the case, it appears that the registration of the aircraft is inexpedient to the public interest.

40. Application for certificate of registration.─ *(1)* Every application for a certificate of registration shall be in the form and shall contain such particulars relating to the

aircraft and its ownership as specified by the Director General along with fee provided under rule 68.

(2) In the case of an aircraft imported into India, a Bill of Entry from Customs stating that the duty leviable in respect of it has been paid and stating the type and manufacturer's serial number of the aircraft, and if the aircraft has been registered elsewhere, its registration marks.

41. Temporary Certificate of Registration.— *(1)* When an application is made for the registration of an aircraft before its import into India, for the purpose of the import of the aircraft by air, a temporary certificate of registration may, subject to the conditions of sub-rule *(5)* of rule 39, be granted by the Central Government to the owner of the aircraft complying with the provisions of sub-rule *(1)* of rule 40.

(2) The temporary certificate shall be valid only until the first landing of the aircraft at a Customs aerodrome in India, when the certificate shall be delivered by the pilot or other person-in-charge to the Director General.

(3) On production by or on behalf of the owner of the aircraft of the certificate referred to in sub-rule *(2)* of rule 40, the certificate of registration may be granted by the Central Government.

42. Change in owner or lessor.— *(1)* In the event of any change in the owner or lessor of a registered aircraft —

(a) the registered owner or lessor of the aircraft, as the case may be, shall forthwith notify to the Director General of such change;

(b) any person, company or entity who becomes the owner or lessor of an aircraft registered in India, shall forthwith inform the Director General in writing of the fact of his ownership or lease of the aircraft, as the case may be, and may make an application for a certificate of registration;

(2) An application under clause *(b)* of sub-rule *(1),* shall be made in such form and shall contain such particulars as specified by the Director General along with the fee provided under rule 68.

(3) Until an application referred to in sub-rule *(2),* is made and the certificate of registration is granted, it shall not be lawful for any person to fly or assist in flying such

aircraft except in accordance with and subject to a permission in writing of the Director General.

(4) The registration and the certificate thereof shall remain valid until such registration and certificate have been cancelled by the Director General.

43. Change in the certificate of registration.— In the event of any change in the particulars of certificate of registration of an aircraft registered in India other than provided under rule 42, an application for such changes shall be made by the certificate holder to the Director General in the form and manner as specified by him along with fee provided under rule 68.

44. Cancellation or deregistration of the certificate of registration.— *(1)* The registration of an aircraft registered in India may be cancelled at any time by the Central Government, if it is satisfied that—

(i) such registration is not in conformity with the provisions of sub-rule *(4)* of rule 39; or

(ii) the registration has been obtained by furnishing false information; or

(iii) the special certificate of airworthiness or the airworthiness review certificate in respect of the aircraft has expired for a period of five years or more; or

(iv) the aircraft has been destroyed or permanently withdrawn from use; or

(v) it is inexpedient in the public interest that the aircraft should remain registered in India.

(2) The certificate of registration of an aircraft registered in India, to which the provisions of the Cape Town Convention and Cape Town Protocol apply, shall be cancelled by the Central Government, within a period of five working days, without seeking consent or any document from the operator of the aircraft or any other person, if an application is received from the IDERA Holder along with —

(i) the original or notarised copy of the IDERA recorded with the Director General; and

(ii) a priority search report from the International Registry regarding all registered interests in the aircraft ranking in priority along with a certificate from the IDERA Holder that all registered interests ranking in priority to that of the IDERA Holder in the priority search report have been discharged or that the

holders of such interests have consented to the deregistration and export of the aircraft:

Provided that such deregistration of the aircraft shall not affect the right of the Central Government or of any entity thereof, or any inter-governmental organisation in which India is a member, or other private provider of public services in India, to arrest or detain or attach or sell an aircraft object under its laws for payment of amounts owed to the Government of India, any such entity, organisation or provider directly relating to the services provided by such aircraft in respect of that object.

Explanation.— For the purpose of this sub-rule, "International Registry" means the Registry established under Article 16 of the Cape Town Convention.

(3) An aircraft registered in India may be deregistered by the Central Government if it is satisfied that the aircraft could more suitably be registered in some other country or the lease in respect of the aircraft, registered in pursuance of sub-clause *(v)* of clause *(a)* of sub-rule *(4)* of rule 39 has expired or has been terminated in accordance with terms of lease.

(4) Every application for de-registration of an aircraft under sub-rule *(2)* or *(3)* shall be in the form and manner as specified by the Director General along with fee provided under rule 68.

(5) The certificate of de-registration shall be in the form and manner as specified by the Director General.

45. Export of aircraft.— The Central Government shall, consequent upon de-registration of an aircraft under sub-rule *(2)* of rule 44, if an application is made by the IDERA Holder for export of the same aircraft, take action to facilitate the export and physical transfer of the aircraft, along with spare engine, if any, subject to —

(i) the payment of outstanding dues in respect of the aircraft; and

(ii) the compliance of the rules and regulations relating to safety of the aircraft operation.

46. Register of aircraft.— A register of aircraft registered in India shall be maintained by the Director General and shall include the particulars as provided for in respect of certificate of registration in rule 39. Such a register shall be open to inspection by

members of the public at such times and subject to such conditions as may be specified by the Director General.

47. Nationality and registration marks to be affixed.— The following provisions of this rule shall have effect with respect to the marks to be borne by aircraft registered in India, namely : —

(1) (a) the nationality mark of the aircraft shall be in the capital letters VT in Roman character and the registration mark shall be a group of three capital letters in Roman character assigned by the Director General.

(b) the letters shall be without ornamentation and a hyphen shall be placed between the nationality mark and the registration mark.

(2) The nationality and registration marks —

(a) shall be painted on the aircraft or shall be fixed thereto by any other means ensuring a similar degree of permanency in the form and manner as specified by the Director General;

(b) shall be inscribed together with full name and address of the registered owner of the aircraft on the name plate of the owner in the form and manner specified by the Director General; and

(c) shall always be kept clean and visible.

48. Use of State marks.— *(1)* An aircraft shall not bear on any part of its exterior surface any advertisement or any sign or lettering except those under these rules and as required or permitted by the Director General.

(2) The name of an aircraft and the name and emblems of the owner of the aircraft may be displayed on the aircraft, if the location, size, shape and colour of the lettering and signs do not interfere with easy recognition of, and are not capable of confusion with the nationality and registration marks of the aircraft.

(3) An aircraft other than a State aircraft shall not bear any mark or sign prescribed for use by a State aircraft.

(4) National flags or colours may be displayed on the aircraft in such a manner that they are distinct and are not likely to create confusion with the markings used by military aircraft.

Explanation. ─ For the purpose of this rule it is hereby clarified that, national flag when displayed on the aircraft shall adhere to the Flag Code of India.

49. Issue of certificate of airworthiness or special certificate of airworthiness and airworthiness review certificate.─ *(1)* The owner or operator of an aircraft may apply to the Director General for the issue of a certificate of airworthiness or a special certificate of airworthiness in respect of the aircraft or for the validation of a certificate of airworthiness issued elsewhere in respect of the aircraft.

(2) The Director General may issue a certificate of airworthiness or special certificate of airworthiness in respect of an aircraft when ─

(a) the applicant furnishes such documents or other evidence relating to the airworthiness of the aircraft as may be specified by the Director General; and

(b) the Director General is satisfied that it is airworthy or in a condition for safe operation:

Provided that the Director General may impose such conditions on the special certificate of airworthiness issued as may be necessary for safe operation of the aircraft.

(3) The Director General may validate a certificate of airworthiness in respect of any aircraft that may be imported, if —

(a) the airworthiness authority of the country in which the aircraft is manufactured, has issued a certificate of airworthiness or such equivalent document;

(b) the airworthiness requirements as specified by the Director General are complied with; and

(c) the applicant furnishes necessary documents and technical data relating to the aircraft as may be specified and as the Director General may require.

(4) (a) The certificate of airworthiness or special certificate of airworthiness shall be issued or rendered valid for one or more of the categories as specified by the Director General;

(b) The operation of the aircraft shall be restricted in those categories as specified in the certificate of airworthiness or special certificate of airworthiness subject to the conditions stated therein.

(5) A certificate of airworthiness issued under this rule shall be invalid unless the Director General or an organisation approved under these rules, carries out a review of compliance with applicable airworthiness standards and issues an airworthiness review certificate valid for such periods as may be specified therein which may be extended by the Director General or an organisation approved under these rules, in accordance with such procedures as may be specified by the Director General.

(6) A special certificate of airworthiness shall be valid for such periods as may be specified in the certificate and maybe renewed from time to time by the Director General.

(7) The aircraft shall be inspected and tested by the Director General or by a person authorised in his behalf, as may be specified.

(8) The owner or operator of the aircraft shall provide all necessary facilities for the purpose of carrying out the inspection and tests as required under sub-rule *(7)* and bear all expenses as specified by the Director General.

50. Issue of noise certificate of aircraft.— *(1)* The Director General may issue a noise certificate in respect of an aircraft registered in India when an application is submitted by the owner or operator in the form and contains such particulars or documents or evidences as specified by the Director General along with the fee provided under rule 68.

(2) The noise certificate shall remain valid until such certificate has been cancelled by the Director General.

51. Conditions necessary for the certificate of airworthiness or special certificate of airworthiness and inspection, overhaul of aircraft.— *(1)* The Director General may specify conditions and standards in respect of certificate of airworthiness or special certificate of airworthiness of a particular type or class of aircraft to ensure safety of the aircraft and of persons on board the aircraft, having regard to the limitation of the aircraft.

(2) If, at any time, the Director General considers that any modification, repair, replacement, inspection or overhaul of any aircraft or type of aircraft or of any aircraft component or item of equipment of that aircraft or type of aircraft is necessary in the interest of safety, he may require the modification, repair, replacement, inspection or overhaul to be carried out as a condition of the certificate of airworthiness or special certificate of airworthiness remaining in force.

52. Modification and repairs.— *(1)* A person shall not carry out any modification or repair affecting safety of any aircraft in respect of which there is a valid certificate of airworthiness or a special certificate of airworthiness unless he has been required to do so in pursuance of these rules or unless he has obtained the prior approval of the Director General.

(2) (a) The modifications issued by the manufacturer of an aeronautical product or aircraft component which has been issued a type certificate by the Director General or elsewhere, may be deemed as approved modifications, unless otherwise specified by the Director General;

(b) The repair schemes issued by the manufacturer of an aeronautical product or aircraft component issued with a type certificate by the Director General or elsewhere, and other repairs carried out in accordance with standard aeronautical engineering practice may be deemed as approved unless otherwise specified by the Director General.

(3) The Director General may give approval for repair or modification other than those referred to in sub-rule *(2),* of an aeronautical product or aircraft component, where the owner or operator furnishes such evidence relating to the intended modification or repair and its effect on the airworthiness of aircraft as specified by the Director General.

(4) The modifications which have been approved by the Director General for one aeronautical product or aircraft component may be incorporated in others of the same type provided it is within the terms of approval.

(5) (a) While an aircraft has been modified or repaired after a major damage or major defect, the aircraft shall not be flown until a licensed engineer or an authorised person has certified in the manner specified by the Director General that the aircraft is in a safe condition to be flown for purpose of experiment or test, as the case may be;

(b) While an aircraft component has to be modified or repaired, it shall not be released until it is certified by a licensed engineer or an authorised person, as may be specified by the Director General.

(6) The form and manner of issuance of the certificate referred to in the sub-rules and preservation thereof shall be such as may be specified by the Director General.

(7) (a) A certificate in pursuance of the preceding sub-rules shall not be issued unless the materials, parts, method comply with such designs, drawings, specifications or

instructions as may be issued by the manufacturers or as may be specified or approved by the Director General;

(b) The method and the workmanship shall be in accordance with standard aeronautical practice as approved by the Director General.

53. Use of materials, processes, parts and periodical overhaul of aircraft.— *(1) (a)* Every aircraft required under these rules to be provided with a certificate of airworthiness or a special certificate of airworthiness and aircraft components on such aircraft shall be periodically inspected, overhauled and certified on completion of the prescribed flight time or calendar time or on the basis of any other stipulated condition in accordance with the approved maintenance schedules or approved maintenance system;

(b) The inspection and certification shall be effected by licensed engineers or authorised persons as may be specified by the Director General.

(2) (a) A certificate to be issued in pursuance of sub-rule *(1)* shall not be issued unless the materials, processes, parts, method comply with such designs, drawings, specifications or instructions as may be issued by the manufacturers or as may be specified or approved by the Director General;

(b) The method and workmanship shall be in accordance with standard aeronautical practice or as may be approved by the Director General.

(3) Notwithstanding the foregoing provisions, the Director General may grant exemption by general or special order in writing to any person or class of persons from the operation of the foregoing sub-rules either wholly or partly, subject to such conditions, if any, as may be specified in such order.

54. Persons authorised to certify.— The certification required under Chapter III and Chapter VII of these rules shall be signed by licensed engineers or authorised persons qualified under the terms and conditions of the licence or authorisation, as the case may be, to carry out or inspect the manufacture, process, modification, repair, replacement, overhaul or maintenance, to which the certificate relates or by an approved person or by a person or persons holding written authorisation for certification from an approved organisation in accordance with the criterion specified by the Director General and the certificate is signed as per the authorisation.

55. Indian aircraft operating outside India.— Where an aircraft registered in India is operating in a country outside India, the aircraft, or any of its components or items of equipment shall not be modified, repaired, replaced, inspected or overhauled except by or under the supervision of, and certified by —

(a) in the case of a contracting State, a person who is approved for the purpose by the appropriate authority of contracting State in accordance with the minimum requirements adopted in pursuance of the Convention and recognised by the Director General as sufficient for the purpose;

(b) in the case of a country other than a contracting State, a person who possesses qualifications which are recognised by the Director General as sufficient for the purpose.

56. Suspension or cancellation of certificate of airworthiness or special certificate of airworthiness and its continued validity.— *(1)* The certificate of airworthiness or special certificate of airworthiness of an aircraft shall be deemed to be suspended when an aircraft, —

(a) ceases or fails to conform with the requirement of these rules, in respect of operation, maintenance, modification, repair, replacement, overhaul, process or inspection applicable to that aircraft; or

(b) is modified or repaired otherwise than in accordance with the provisions of these rules; or

(c) suffers major damage; or

(d) develops a major defect which would affect the safety of the aircraft or its occupants in subsequent flights.

(2) If, at any time, the Director General is satisfied that reasonable doubt exists as to the safety of an aircraft or as to the safety of the type to which that aircraft belongs, the Director General may,-

(a) suspend or cancel the certificate of airworthiness or special certificate of airworthiness in respect of that aircraft; or

(b) impose a condition that the aircraft or an aircraft component or an item of equipment of that aircraft undergo such modification, repair, replacement, overhaul, inspection including flight tests and examination of the aircraft under the supervision of an approved person as the Director General may specify, for maintaining the validity of the certificate of airworthiness remaining in force.

(3) Subject to sub-rule *(4),* an aircraft shall not be flown during any period for which its certificate of airworthiness or special certificate of airworthiness is suspended or deemed to be suspended.

(4) Where the certificate of airworthiness or the special certificate of airworthiness of an aircraft is suspended or deemed to be suspended, the Director General may, upon an application by the owner or operator, issue a special flight permit under the provisions of rule 57.

57. Issue of special flight permit.— *(1)* The Director General may issue a special flight permit when an aircraft is not fully in compliance with the airworthiness requirements but is in a condition for safe operation subject to such conditions as are specified in the special flight permit.

(2) The owner or operator of an aircraft may apply to the Director General for the issue of a special flight permit in respect of the aircraft for any of the purposes as specified by the Director General.

(3) The Director General may issue a special flight permit in respect of an aircraft when —

(a) an applicant furnishes such documents as may be specified by the Director General; and

(b) the Director General is satisfied that the aircraft is in a condition for safe operation.

58. Instruments and equipment.— *(1)* Every aircraft shall be fitted and equipped with the instrument and equipment including radio apparatus and special equipment as may be specified by the Director General according to the use and circumstances under which the flight is to be conducted.

(2) Such instruments and equipment shall be of an approved type and installed in an approved manner and shall be maintained in a serviceable condition.

59. **Aircraft for which radio apparatus is obligatory.**— *(1) (a)* All aircraft registered in India and required to be operated in accordance with visual flight rules or instrument flight rules condition shall be provided with communication equipment which is capable of conducting two-way communication at all times with those aeronautical stations and on those frequencies as may be prescribed by the appropriate authority;

(b) The communication equipment so provided shall be of a type approved by the airworthiness authority of the country of manufacture of aircraft and acceptable to the Director General.

(2) An aircraft shall be provided with navigation equipment which will enable it to proceed —

(a) in accordance with the flight plan; and

(b) in accordance with the requirement of air traffic services, except when, if not so precluded by the appropriate authority, navigation for flights under the visual flight rules is accomplished by visual reference to landmarks at least every 110 kms (60 nautical miles).

60. Issue of Mode-S Address of aircraft.— The Director General may issue a Mode-S Address in respect of an aircraft equipped with Mode-S transponder and registered or to be registered in India when an application is submitted by the owner in the form and contains such particulars or documents or evidences as specified by the Director General along with the fee provided under rule 68.

61. Weight and balance.— (1) *(a)* Every aircraft shall be weighed and marked, and the centre of gravity shall be determined;

(b) The weight schedule and the load sheet indicating the calculated centre of gravity position relating to the required configuration shall be displayed or carried on board an aircraft subject to such conditions as may be specified by the Director General.

(2) (a) An aircraft shall not attempt to take off, fly or land at a weight in excess of the maximum permissible weight as specified in the weight schedule or as authorised by the Director General;

(b) The load of an aircraft throughout a flight including take-off and landing shall be so distributed that the centre of gravity position of the aircraft falls within the limitations specified or approved by the Director General:

Provided that the Director General may, by special order in writing and subject to such conditions as may be specified in that order, exempt any aircraft from the operation of this rule.

62. Defects and defective parts.— *(1)* A major defect in or a major damage to an aircraft registered in India shall be reported in the manner as specified by the Director General.

(2) When any part of an aircraft is revealed or suspected to be defective, the Director General may require it to be delivered to a person or organisation authorised by him in this behalf for examination.

63. Defects in a foreign aircraft.— *(1)* When an aircraft registered outside India, while in Indian territory sustains major damage or a major defect is found, the Director General, on ascertaining that fact, may prohibit the aircraft from flying.

(2) Where, in pursuance of sub-rule *(1),* the Director General prohibits an aircraft from flying, the Director General shall furnish to the appropriate authority of the country of registration of the aircraft information of the action which the Director General has taken and a report of the damage suffered or defect found.

(3) The prohibition imposed in pursuance of sub-rule (1) shall not be removed until the appropriate authority of the country of registration of the aircraft notifies to the Director General —

(a) that the damage or defect suffered or ascertained has been removed ;

(b) that the damage suffered or defect found or ascertained is not of such a nature as to prevent minimum requirements of safety adopted in pursuance of the Convention ;

(c) that in the circumstances of a particular case, the aircraft may be permitted to fly without passengers to a place at which it can be restored to an airworthy condition.

(4) In removing the prohibition imposed in pursuance of sub-rule *(1),* the Director General may impose such conditions on the operation of the aircraft as are notified to the Director General by the appropriate authority of the country of registration of the aircraft.

64. Maintenance standards and certification.— *(1) (a)* The Director General may, in respect of any aircraft, aircraft component and item of equipment, specify standards and conditions for continuing airworthiness of the aircraft and its maintenance;

(b) The Director General shall notify the maintenance requirements and approve the maintenance system keeping in view, —

(i) the continued airworthiness of the aircraft and the maintenance facilities required;

(ii) the period in terms of flight time, calendar time or any other basis, which may elapse with safety between inspections, tests or overhauls or any other maintenance work;

(iii) the content and period of preservation of the records kept in respect of maintenance;

(iv) type of operation in which the aircraft is engaged;

(v) any conditions like dust, salt-air climatic conditions or other factors and the routes flown or basis used which may have an effect upon airworthiness; and

(vi) any other relevant considerations.

(2) Any aircraft shall not be flown unless, ─

(a) it has been maintained in accordance with such requirements as may be specified by the Director General;

(b) maintenance of aircraft has been carried out by or under the supervision of a person licensed or authorised under rule 85, or authorised in writing by an approved maintenance organisation in accordance with the criterion as specified by the Director General; and

(c) all maintenance carried out has been certified by licensed engineers or authorised persons within the period by means of such a 'certificate' as may be specified by the Director General.

(3) The contents, form, period of validity, preservation of the certificate shall be in such form and manner as may be specified by the Director General.

(4) No aircraft shall commence any flight, if, subsequent to the issue of a certificate in pursuance of this rule, it has suffered any damage or revealed any defect, other than items covered in the approved minimum equipment list, which would render the aircraft unsafe for flight and which would not, in accordance with the ordinary aeronautical practice, be remedied by the pilot or crew.

(5) Microlight, light sport aircraft, gyroplane, glider, balloon or an airship shall be certified by an aircraft maintenance engineer holding a licence in Category A or Category B1 or Category B3 or an authorised person subject to the requirements as specified by the Director General:

Provided that the Director General may, by general or special order and subject to such conditions as may be specified in that order, exempt any aircraft from the operation of this rule.

65. Log books and logs.— *(1)* The following log books shall be kept and maintained in respect of all aircraft registered in India, namely: —

(a) a journey log book;

(b) an aircraft log book;

(c) an engine log book for each engine installed in the aircraft;

(d) a propeller log book for every variable pitch propeller installed in the aircraft;

(e) a radio apparatus log book for aircraft fitted with radio apparatus;

(f) any other log book that may be required by the Director General.

(2) The Director General may require that a technical log or flight log be provided in respect of an aircraft and be maintained in such manner as may be specified by him.

(3) (a) log books shall be of such type and shall contain such information, entries and certification as may be specified by the Director General;

(b) Log books and logs shall be preserved until such time as may be specified by the Director General.

Explanation. — For the purpose of this rule, the expression "journey log book" includes any other form or manner of recording the requisite information and acceptable to the Director General.

C. Organisation

66. Approved organisations.— *(1) (a)* In this rule 'organisation' refers to an organisation or a person engaged in one or more of the following activities, namely:-

(i) design, manufacture, modification and repair of aircraft, engine, propeller and aircraft components including materials, forging, castings, standard parts;

(ii) manufacture, compounding, blending, testing, storage, distribution and supply of aviation fuel, lubricants, special products;

(iii) maintenance, overhaul, repair, inspection, treatment, processing of aeronautical products including aircraft components;

(iv) maintenance and management of continuing airworthiness of other-than-complex motor-powered aircraft except those covered under rule 199;

(b) In this rule 'manual' means Quality Manual, Maintenance Organisation Exposition, Combined Airworthiness Exposition, Maintenance Organisation Manual, Production Organisation Exposition, Design Organisation Manual, Safety

Management System Manual, required to be provided by an organisation under sub-rule *(4).*

(2) An organisation shall have adequate facilities including qualified and trained staff and necessary equipment for tests and inspection aids.

(3) (a) No organisation shall engage in one or more of the activities listed under clause *(a)* of sub-rule *(1)* unless an approval is granted by the Director General;

(b) The request for approval under clause *(a)* shall be made to the Director General in such form and manner as specified by him along with the fee provided under rule 68.

(4) The Director General may grant approval on being satisfied that the applicant has complied with requirements as specified by him.

(5) The approval so granted shall be subject to such terms and conditions as may be specified by the Director-General.

(6) Every organisation which is engaged in one or more of the following activities, namely:–

(i) type design of an aeronautical product under sub-clause *(i)* of clause *(a)* of sub-rule *(1);*

(ii) manufacturing of an aeronautical product under sub-clause *(ii)* of clause *(a)* of sub-rule *(1);*

(iii) maintenance of aeroplanes or helicopters under sub-clause *(iii)* of clause *(a)* of sub-rule *(1).*

shall establish and maintain a safety management system as specified by the Director General.

(7) The approval granted under sub-rule *(4),* unless suspended or cancelled, shall remain valid for a period not exceeding five years and on being satisfied, the Director General may renew the approval for a further period of five years:

Provided that an approval granted under sub-rule *(4)* for the activities mentioned under sub-clause *(iii)* of clause *(a)* of sub-rule *(1),* unless suspended or cancelled, shall remain valid for a period not exceeding ten years on complying the requirements as specified by the Director General and on being satisfied, the Director General may renew the approval for a further period of ten years.

(8) An approved organisation or a person may approach to the Director General at any time for extension of the scope of his work and the Director General, on being

satisfied that the specified requirements have been complied with, may grant approval for extension of scope as requested, or to a specific level, as deemed fit. The approval of the extension of scope, if any, granted under this sub-rule, shall be valid only up to the date of validity of the original approval.

(9) (a) An approved organisation shall provide, for the use and guidance of its personnel, manuals which shall contain details of information concerning policies, procedures, practices and quality control methods relating to activities of that organisation as may be specified by the Director General;

(b) A complete copy of the manual or such portions of the manual as the Director General may direct shall be submitted to the appropriate regional office of the Directorate General of Civil Aviation for approval;

(c) An approved organisation shall revise its manuals, from time to time, whenever necessary as a result of changes in organisation, changes in scope and changes in practices and procedures shall be subject to the prior approval of the Director General.

(10) Copies of the manual and amendments thereto shall be furnished by the approved organisation to its personnel, to the Director General and to such other person associated with the work of the organisation, as the Director General may specify.

(11) Employees of the organisation shall comply with all the instructions relating to their duties as contained in the manual.

(12) An organisation shall ensure that provision is made for imparting necessary instructions to its personnel who are authorised to certify for proper discharge of their duties and responsibilities.

(13) (a) An organisation shall maintain complete records of its activities and such other records as may be required by the Director General;

(b) The records, reports, logs, drawings, shall be made available to the Director General for inspection and check at such times as he directs;

(c) The records shall be kept for such period as may be specified by the Director General.

(14) Without prejudice to the provisions of any rules, the Director General may, after giving an opportunity of being heard to the organisation or a person, cancel, suspend or restrict any approval, or issue a warning or an admonition to the organisation or the person, where he is satisfied that ─

(a) the conditions stipulated by the Director General under this rule or under the Civil Aviation Requirements are not being complied with;

(b) the organisation or the person has performed work or granted a certificate in respect of work which has not been performed in a careful or competent manner or has performed work beyond the scope of it or his approval or failed to make proper entries and certification thereof or for any other reason considered by the Director General as sufficient to cancel, suspend or restrict an approval granted under this rule, or to issue a warning or an admonition.

67. Acceptance of foreign approved organisation.— *(1)* Notwithstanding anything contained in rule 66, the Director General may accept a foreign approved organisation for the purpose of maintenance of aircraft, engine and components in accordance with the requirements as specified by the Director General in this behalf.

(2) The acceptance granted under sub-rule *(1),* unless suspended or cancelled, shall remain valid for a period not exceeding two years, and on being satisfied, the Director General may renew it for a further period not exceeding two years at a time.

(3) Without prejudice to the provisions of these rules, the Director General may, after making such enquiry as the Director General may deem fit, and after giving an opportunity of being heard to the organisation referred to in sub-rule *(1),* cancel, suspend or restrict any acceptance or issue a warning or an admonition to the said organisation, where he is satisfied that-

(a) the requirements specified by the Director General are not being complied with; or

(b) the organisation has not performed work or granted a certificate in respect of work which has not been performed in a careful or competent manner; or

(c) has performed work beyond the scope of its acceptance; or

(d) failed to make proper entries and certification thereof; or

(e) for any other reason.

D. Fees

68. Fees.— *(1)* No certificate of any of the kinds specified herein below, shall be issued or validated unless the following fee shall be paid in respect of such certificate, namely: —

(A) issue of type certificate or restricted type certificate under rule 27:

(i) for an aircraft having maximum design take-off weight–	
(a) of 1,000 kg. or less	Rs.40,000
(b) exceeding 1,000 kg., for every 1000 kg.or part thereof	Rs.20,000
(ii) for engines–	
(a) turbine	Rs. 20,00,000
(b) non–turbine	Rs. 4,00,000
(iii) for propeller	Rs.4,00,000

(B) validation of type certificate or restricted type certificate or supplemental type certificate under rule 28:

(i) the fee for validation of type certificate or restricted type certificate for the purposes of operation shall be twenty-five per cent. of the fee payable under clause *(A).*

(ii) the fee for validation of type certificate or restricted type certificate for the purposes of licensed production shall be fifty per cent. of the fee payable under clause *(A).*

(iii) the fee for validation of supplemental type certificate shall be fifty per cent. of the fee payable under clause *(D).*

(C) acceptance of type certificate or restricted type certificate of an aeronautical product under rule 29: The fee for acceptance of type certificate or restricted type certificate of an aeronautical product shall be twenty five per cent. of the fee payable under sub-clause *(i)* clause *(B).*

(D) issue of supplemental type certificate in respect of an aeronautical product under rule 30:

(i) for an aircraft having maximum design take-off weight-	
(a) of 1,000 kg. or less	Rs.10,000

(b) exceeding 1,000 kg., for every 1,000 kg. or part thereof	Rs. 5,000
(ii) for engines -	
(a) turbine	Rs.5,00,000
(b) non–turbine	Rs. 1,00,000
(iii) for propeller	Rs.1,00,000

(E) acceptance of supplemental type certificate issued by a contracting State under rule 33: The fee for acceptance of supplemental type certificate of an aeronautical product shall be twenty-five per cent. of the fee payable under sub-cluases *(i)* to *(iii)* of clause *(D).*

Note: The maximum permissible take-off weight for the purposes of this rule shall be as indicated in the flight manual of the aircraft.

(F) acceptance of design under rule 34: The fee for acceptance of design shall be fifty per cent. of the fee payable under clause *(A).*

(G) authorisation for design and manufacture of an aircraft component under rule 38:

for each aircraft component	Rs. 40,000.

(H) approval of modifications and repairs under rule 52:

(i) for an aircraft having maximum design take-off weight–	
(a) of 1,000 kg. or less-	Rs.10,000
(b) exceeding 1,000 kg., for every 1000 kg. or part thereof	Rs.5,000
(ii) for engine–	
(a) turbine	Rs.5,00,000
(b) non-turbine	Rs. 1,00,000
(iii) for propeller	Rs.1,00,000

Note:
I. the fee for minor modification or repair of an aeronautical product shall be fifty per cent. of the fee payable under clause *(H).*

II. the fee for minor modification or repair to that part of a product covered by a supplemental type certificate shall be fifty per cent. of the fee payable under clause *(D).*

(2) (A) the following fee shall be payable under rule 39 in respect of a certificate of registration for an aircraft having maximum permissible take-off weight, namely: —

(i) of 15,000 kg. or less	Rs. 20,000
(ii) exceeding 15,000 kg., for every 1,000 kg. or part thereof	Rs. 5,000

Note: For the purpose of this clause, the maximum take-off weight shall be as indicated in the flight manual of the aircraft.

(B) where the original certificate of registration is lost or destroyed, a duplicate thereof may be issued on payment of ten per cent. of the fee payable under clause *(A).*

(C) a temporary certificate of registration referred to in rule 41, may be issued on payment of twenty-five per cent. of the fee payable under clause *(A).*

(D) the certificate of registration may be issued under rule 42 or rule 43 on payment of fifty per cent. of the fee payable under clause *(A).*

(E) a fee of rupees ten thousand shall be payable for reserving a registration mark and such reservation may further be extended on payment of ten thousand rupees at a time.

(F) a fee of rupees twenty-five thousand shall be payable under rule 44 for issuing a certificate of de-registration to an applicant.

(G) a fee of rupees twenty thousand shall be payable under rule 60 for issuance of Mode-S Address of aircraft.

(3) Issuance or validation of certificate of airworthiness, special certificate of airworthiness, and issue or extension of airworthiness review certificate under rule 49 and issuance of noise certificate under rule 50:

(i) issue of certificate of airworthiness or special certificate of airworthiness for an aircraft having maximum permissible take-off weight—	
(a) of 1,000 kg. or less	Rs.20,000
(b) exceeding 1,000 kg., for every 1,000 kg. or part thereof	Rs.1,000
(ii) validation of certificate of airworthiness or special certificate of airworthiness	fifty per cent. of the fee payable under clause *(i), as applicable*
(iii) issue or extension of airworthiness review certificate or renewal of special certificate of airworthiness or amendment in certificate of airworthiness or special certificate of airworthiness	fifty per cent. of the fee payable under clause *(i), as applicable*
(iv) issue of duplicate certificate of airworthiness or airworthiness review certificate or special certificate of airworthiness	ten per cent. of the fee payable under clause *(i),* as applicable
(v) change in category or sub-category in certificate of airworthiness or special certificate of airworthiness	twenty-five per cent. of the fee payable under clause *(i),* as applicable
(vi) issue of special flight permit	ten per cent. of the fee payable under clause *(i),* as applicable
(vii) issue of noise certificate	fifty per cent. of the fee payable under clause *(i)*
(viii) for any amendment or re-issue of noise certificate	twenty-five per cent. of the fee payable under clause *(i)*

(4) An additional amount of two lakh fifty thousand rupees or travel expenses including local conveyance, hotel charges and dearness allowance per person, whichever is higher, shall be payable if the technical evaluation, inspection, examination or test is required to be carried out at any place outside India, for the purposes specified in sub-rule *(1)* and sub-rule *(3)*.

(5) The following fee shall be payable for grant of approval under rule 66, in respect of an organisation having-

(i) fifty employees	Rs.2,00,000
(ii) more than fifty and upto two hundred employees	Rs.4,00,000
(iii) more than 200 employees	Rs.8,00,000

(6) The fee for renewal or extension of scope of approval under rule 66 or acceptance of approval or extension of acceptance under rule 67 shall be fifty per cent. of the fee payable under sub-rule *(5).*

(7) An additional amount of two lakh fifty thousand rupees or travel expenses including local conveyance, hotel charges and dearness allowance per person, whichever is higher, shall be payable if the inspection, audit or surveillance for the grant or renewal or extension of approval under rule 66 is required to be carried out at any place outside India.

(8) An additional amount of two lakh fifty thousand rupees or travel expenses local conveyance, hotel charges and dearness allowance per person, whichever is higher, shall be payable if the inspection, audit or surveillance in respect of acceptance of approval or renewal of acceptance or extension of acceptance under rule 67 is required to be carried out at any place outside India.

(9) No fee shall be charged from an organisation or person under this rule for storage, distribution and supply of aircraft fuel, lubricants and similar other products intended to be used for its own aircraft.

(10) Where for any reason, the licence or authorisation or certificate, is not issued, renewed or validated, as the case may be, the Director General may refund to the

applicant such portion of the fees paid as represents the cost of any examination or test or inspection not carried out or any licence, authorisation or a certificate not issued or renewed or validated, as the case may be.

(11) The fee shall be paid electronically in the manner specified by the Director General.

CHAPTER IV

PERSONNEL

A. Licensing of Personnel

69. **Licensing authority.**— *(1)* The authority by which the licences and ratings specified below may be granted, renewed, extended or varied shall be the Central Government, which may withhold the grant or renewal of a licence or a rating, if for any reason, it considers it desirable to do so —

(a) Student Pilot's Licence (for aeroplanes, helicopters, gyroplanes, gliders, balloons, microlight aircraft and light sport aircraft);

(b) Private Pilot’s Licence (for aeroplanes and helicopters);

(c) Commercial Pilot’s Licence (for aeroplanes and helicopters);

(d) Airline Transport Pilot’s Licence (for aeroplanes and helicopters);

(e) Instrument Rating (for aeroplanes and helicopters);

(f) Assistant Flight Instructor’s Rating (for aeroplanes and helicopters);

(g) Flight Instructor’s Rating (for aeroplanes and helicopters);

(h) Pilot's Licence (for gliders, balloons, microlight aircraft, light sport aircraft and gyroplane);

(i) Student Flight Navigator's Licence;

(j) Flight Navigator's Licence;

(k) Student Flight Engineer's Licence;

(l) Flight Engineer's Licence;

(m) Flight Radio Telephone Operator's Licence;

(n) Flight Radio Telephone Operator's Licence (Restricted);

(o) Student Air Traffic Controller's Licence;

(p) Air Traffic Controller's Licence;

(q) Aerodrome Control Rating;

(r) Approach Control Procedural Rating;

(s) Approach Control Surveillance Rating;

(t) Area Control Procedural Rating;

(u) Area Control Surveillance Rating;

(v) Oceanic Control Rating; and

(w) Radio Telephone Operator (Restricted) certificate and licence.

(2) Before grant or renewal of a licence or rating, the licensing authority shall satisfy itself that the applicant meets the requirements of age, qualification, medical standard, knowledge, experience, training and skill, as specified under these rules.

(3) The licence shall not be valid unless it bears the signature of the holder.

(4) The licence shall remain valid for the period indicated therein which shall not exceed the period specified under these rules unless suspended or cancelled earlier.

(5) The licensing authority may cancel, suspend or vary any licence or rating if it is satisfied that there is a reasonable ground to do so:

Provided that no such licence or rating shall be cancelled or suspended without giving a show cause notice, in writing, informing the holder of the licence or rating, the ground on which it is proposed to suspend or cancel the licence or rating and giving him a reasonable opportunity of making a representation in writing within such reasonable time as may be specified in the notice and, if that person so desires, of being heard.

(6) Notwithstanding anything contained in sub-rule *(5),* if the Central Government is of the opinion that in the interest of public safety it is necessary so to do, it may, for the reasons to be recorded in writing, summarily suspend the licence or rating with a view to making further enquiry.

70. **Disqualification from holding or obtaining a licence.**— *(1)* Where the licensing authority is satisfied, after giving him an opportunity of being heard, that any person-

(a) is habitually intemperate in the use of alcohol, or is an addict of narcotics drugs and the like; or

(b) is using, has used or is about to use an aircraft in the commission of a cognizable offence or in contravention of these rules; or

(c) has, by his previous conduct as member of the crew of an aircraft, air traffic controller or aircraft maintenance engineer, as the case may be, shown that he is irresponsible in the discharge of his duties connected with his employment or is likely to endanger the safety of the aircraft or any person or thing carried therein, or of other aircraft or persons or things in the air or on the ground; or

(d) is a habitual criminal or has been convicted by a Court or Tribunal in India for an offence involving moral turpitude, sexual harassment of women at workplace or an offence which amounts to heinous crime; or

(e) has applied for or obtained the licence, rating, aircraft type rating or extension of aircraft type rating or renewal of any of them, by suppression of material information or on the basis of wrong information; or

(f) has unauthorisedly varied or tampered with the particulars entered in a licence or rating or any other relevant document,

the licensing authority may, for reasons to be recorded in writing, make an order disqualifying that person for a specified period from holding or obtaining a licence.

(2) The Central Government may debar a person permanently or temporarily from holding any licence or rating mentioned in rule 69, if in its opinion it is necessary to do so in the public interest.

(3) Upon issuance of any order under sub-rule *(1)* or sub-rule *(2),* —

(a) the person affected is the holder of a physical licence, shall forthwith surrender his licence to the licensing authority unless it has not already been surrendered;

(b) the electronically issued licence shall be deactivated;

(c) the licensing authority shall keep the physical licence or deactivate the electronic personnel licence until the expiry of the period for which the person has been disqualified or debarred, or if he has been debarred permanently, for a period of five years.

71. **Licence or rating specifications**.— The licence or rating issued under these rules shall be in the form and contain such details as specified by the Director General.

1. Pilot and Flight Engineer

72. **Licensing of personnel**.— *(1)* Every aircraft shall carry and be operated by the personnel prescribed in this Chapter and such personnel shall be licensed in the manner prescribed in this Chapter and in the First Schedule.

(2) An aircraft not registered in India shall carry the personnel prescribed by the laws of the State in which it is registered and such personnel shall be licensed in accordance with the laws of that State.

73. **Type of aircraft to be included in rating.**— No person shall fly as pilot of an aircraft which is not included or entered in the aircraft rating of the licence except as provided in rules 74 and 75.

74. **Flights to qualify for extension of a licence.**— The holder of a pilot's licence may fly within the territory of India, as pilot of an aircraft of type which is not included in the aircraft rating of his licence for the purpose of qualifying for the inclusion of such type:

Provided that when he is so flying no person shall be carried on board the aircraft unless he is —

(a) a person required by the rules to be carried as member of the operating crew; or

(b) a person who is flying, with the consent of the operator of the aircraft, for the purpose of being trained as a member of the operating crew; or

(c) a person whose presence may be required on board the aircraft for the purpose of imparting or supervision of training or conducting a flight test; or

(d) a person who may be specially authorised by the Director General:

Provided further that such flights are carried out within the local flying area or designated flying area of a licensed aerodrome or a Government aerodrome and prior notice of the flight is given to the person-in-charge of the aerodrome from which the flight is made:

Provided also that no restrictions for carrying out dual flying with instructor on board even in areas away from the local flying area within the territory of India, for learning general as well as route flying (navigation).

75. Flights for testing and other non-revenue specific special purposes.— The Director General may authorise the holder of a licence to fly an aircraft not entered in the aircraft rating of the licence, for the purpose of testing or non-passenger-carrying flight subject to the terms and conditions of such authorisation, and the authorisation shall be limited in validity to the time needed to complete the testing or the specific flight:

Provided that the holder of the licence produces evidence to show that he meets the requirements of competency as laid down by the Director General for undertaking such flight:

Provided further that when the aircraft is test flown, no person other than members of the operating crew, shall be carried on board the aircraft unless he is specifically authorised by the Director General:

Provided also that the test flight is carried out within the specified area and in accordance with the conditions stipulated by the Director General in this behalf and prior notice of the flight is given to the officer-in-charge of the aerodrome from which the flight is to be made.

Explanation. — For the purposes of this rule, —

(a) an aircraft shall include an amateur-built aircraft; and

(b) the expression “specific special purpose non-revenue, non-passenger-carrying flight” shall include flights authorised by the Central Government in the event of national or international crisis, natural calamities, emergencies or otherwise requiring such flights to carry material or goods for relief purposes.

76. Minimum age for holding a licence.— The minimum age of a person who is otherwise qualified and to whom a licence may be granted shall be such as specified in the First Schedule.

77. Minimum educational qualification for holding a licence.— No person shall be granted a licence unless he possesses the educational qualification as specified in the First Schedule:

Provided that candidates already enrolled for training on or before 01st July, 1993 with flying club or institution shall be exempted from application of this rule.

78. Medical standards.— *(1)* No licence or rating referred to in clause *(a)* to *(n)* of sub-rule *(1)* of rule 69, required for any of the personnel of the aircraft, shall be issued or renewed unless the applicant undergoes a medical examination with an approved medical authority and satisfies the medical standards as notified by the Director General:

Provided that if in the opinion of the approved medical authority the condition of the applicant is not such as to introduce any hazard either of sudden incapacity or of inability to perform his duties safely during the period of validity of his licence or rating, and the failure to attain the requirement is capable of being compensated and the Director General has satisfactory evidence that the applicant has already acquired and demonstrated his ability, skill and experience which compensate for his deficiency, the licence or rating may be renewed or endorsed with any special limitation when the safe performance of flight duties is dependent on compliance with such limitations:

Provided further that, in the case of a member of the operating crew of an aircraft engaged in public transport or aerial work who is on duty in the territory of a foreign country where medical centres recognised by the Director General do not exist, the Director General may renew the licence or rating for two consecutive periods of three months each without the candidate having successfully undergone the prescribed medical examination, if such candidate produces a medical certificate from a registered practitioner in modern medicine declaring his fitness in accordance with the prescribed medical standards.

Explanation.— For the purposes of this sub-rule "approved medical authority" means a medical authority approved by the Director General.

(2) The Director General may require a member of any flight crew to undergo a medical examination by any medical authority at any time, if, in his opinion, such examination is necessary in the interest of safety of operations.

79. Period of validity of medical fitness assessment and licences.— *(1)* The period of validity of medical fitness assessment and licence in respect of various categories shall be as specified in the following Table, namely: —

Table

Sl. No.	**category of licence**	**validity of medical fitness assessment**	**validity of licence**
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Airline Transport Pilot's Licence (aeroplanes or helicopters)	twelve months	ten years
2.	Commercial Pilot's Licence (aeroplanes or helicopters) and Flight Navigator's Licence	twelve months	ten years
3.	Flight Radio Telephone Operator's Licence	twelve months	up to the validity of Radio Telephone Restricted
4.	Student Pilot's Licence (aeroplanes or helicopters or gyroplanes or microlight aircraft or light sport aircraft or gliders or balloons), Student Flight Navigator's Licence and Student Flight Engineer's Licence	twenty-four months	ten years
5.	Private Pilot's Licence (aeroplanes or helicopters),	twenty-four months	ten years

	Pilot‘s Licence (microlight aircraft or gyroplanes or light sport aircraft or gliders or balloons), Flight Radio Telephone Operator‘s Licence (Restricted) and Flight Engineer‘s Licence.		

(2) The period of validity of the initial medical fitness assessment shall commence from the date of the medical examination.

(3) In case of renewal, the period of validity of medical fitness assessment shall commence from the date following the date of expiry of the previous medical fitness assessment, subject to the condition that the medical examination for renewal has been conducted within a period of not more than forty-five days preceding the date of expiry of the previous validity.

(4) In cases other than those referred to in sub-rule *(3),* the validity of the renewal of the medical fitness assessment shall commence from the date of the completion of the medical examination.

(5) (a) The period of validity of medical fitness assessment in respect of the licences specified against serial numbers 1 and 2 of the Table under sub-rule *(1)* shall be reduced to half after the holder of the licence has attained the age of forty years in case of single crew commercial air transport operations and sixty years in case of multi-crew commercial air transport operations;

(b) The period of medical fitness assessment in respect of the licences specified against serial number 5 of the Table under sub-rule *(1)* shall be reduced to half after the holder of the licence has attained the age of fifty years.

(6) The period of validity of a licence shall commence from the date of issue of the licence.

(7) In case of renewal, the period of validity of the licence shall commence from the date following the date of expiry of the previous validity of the licence, subject to the condition that the application for renewal has been submitted within a period of not more than forty-five days preceding the date of expiry of the previous validity.

(8) In cases other than those referred to in sub-rule *(7),* the validity of renewal of the licence shall commence from the date of renewal of the licence.

80. Proof of competency.— Applicants for licences and ratings shall produce proof of having acquired the flying experience and having passed satisfactorily the test and examinations specified in the First Schedule in respect of the licence or rating concerned:

Provided that a person who is a qualified pilot or flight engineer from the Indian Air Force, Indian Navy or Indian Army or Indian Coast Guard and who produces satisfactory evidence to show that he possesses the necessary flying experience, competency and standards of physical fitness as required under these rules may be exempted by the Director General, by general or special order in writing, and subject to such conditions, if any, as may be specified in such order, from all or any of the flying tests and from medical or other technical examinations required for the issue of the licences under these rules :

Provided further that a person to whom a licence of a particular aircraft-category has been issued by the competent authority in a contracting State may be exempted by the Director General from all or any of the flying tests or technical examinations required for issue of a licence, if such person has flying experience and competency not less than the flying experience and competency as specified in the First Schedule in respect of the corresponding licence under these rules subject to the compliance of conditions as specified by the Director General and If the person is the holder of a current licence, he may be further exempted from medical examination for the period for which the licence is current :

Provided also that in the case of a licence issued under any of the preceding provisions, only such type or types of aircraft shall be entered in the aircraft rating of the licence as in the opinion of the Director General the applicant has sufficient and satisfactory experience and competency to fly:

Provided also that the Director General may, on examination of the syllabi, determine the relative equivalence of technical examinations for granting exemptions to applicants from passing the examinations required under the First Schedule:

Provided also that the minimum flying experience as specified in the First Schedule for such licence shall only be considered towards the flying experience for issue of a higher licence in the same aircraft-category:

Provided also that the Director General may require any candidate, training establishment or operator to produce for examination all relevant training records including the syllabi, certificates, mark-sheets, flight-test reports, assessments, in respect of the candidate who has undergone a course of training, examination or flight-test with such training establishment or operator.

81. Checks, tests and examinations.— *(1)* The Director General may conduct examinations specified in the First Schedule, may fix examination centres within India, appoint invigilators or subject matter expert and lay down the procedure for conducting the examinations.

(2) The Director General may appoint examiners for carrying out flying tests and technical examinations required under the First Schedule and may also appoint a board to conduct oral examinations when necessary.

(3) The Director General may determine the manner in which the skill tests shall be carried out and may approve check flight engineer, synthetic flight examiner, designated examiner, flight engineer examiner and examiner for this purpose. He may require their reports to be submitted to him in respect of any flying test on any aircraft for which an aircraft rating is desired on a licence or which is entered in the aircraft rating of the licence and the renewal of which is desired or for checking skill at any time in respect of any aircraft included in the aircraft rating of the licence.

(4) The Director General may specify the requirements for approval of check pilot, line training captain, type rating instructor, synthetic flight instructor, synthetic flight examiner, check flight engineer, flight engineer examiner, examiner and designated examiner.

(5) The approval granted under sub-rule *(3),* unless suspended or cancelled, shall remain valid for a period not exceeding five years, and on being satisfied, the Director General may renew it for a further period not exceeding five years at a time.

(6) The Director General may also appoint examiners for standardisation check of check pilot, type rating instructor, check flight engineer, synthetic flight instructor, synthetic flight examiner, flight engineer examiner, examiner and designated examiner approved under sub-rule *(3)* and specify the manner in which such checks shall be carried out.

(7) (a) The Director General may, after giving a reasonable opportunity of being heard, debar permanently or temporarily an applicant from applying for computer number or a candidate from appearing in any licensing examination or any flying test, or both, if in his opinion, the applicant has submitted fake documents for qualifying the eligibility criteria to appear in such examination or has adopted unfair means during the test or examination.

(b) The Director General may after giving a reasonable opportunity of being heard, declare any examination passed by a candidate null and void, if in the opinion of the Director General, the candidate was not meeting the eligibility criteria or the candidate has submitted fake documents for qualifying the eligibility criteria to appear in such examination.

(8) The Director General may declare any flying test or examination conducted by an examiner or a board null and void, if in the opinion of the Director General, the test or examination has not been carried out to his satisfaction, and require the test or the examination to be carried out again by another examiner or board and the Director General may also take such action against the examiner as he may deem fit under the provisions of rule 212.

(9) If a licence holder or a candidate for a licence or rating has failed in any flying test subsequent to any flying test successfully undergone by him for issue or renewal of the licence or rating, the previous test as far as it is affected by the subsequent flying test in which he has failed, will be considered invalid from the date of the subsequent test and the privileges accruing as a result of such earlier test shall be deemed to have been withdrawn.

(10) Detailed syllabi for the technical examinations for the issue of flight crew licences and ratings shall be specified by the Director General.

82. Licences and their renewal.— *(1)* The licences and ratings mentioned in clause *(a)* to *(n)* of sub-rule *(1)* of rule 69 may be issued or renewed for any period not exceeding the period specified in rule 79 and the First Schedule in respect of each licence or rating:

Provided that on the date of application for renewal, the licence or rating has expired for the periods specified below, the applicant may be required to qualify in the examinations and skill tests specified against them and such other examinations and tests as the Director General may consider necessary to assess the competency of the applicant to hold that licence or rating —

(a) for a period exceeding two years but not exceeding three years : Test of skill and Air Regulations;

(b) for a period exceeding three years : All examinations and tests required for the issue of the licence or rating:

Provided further that the Director General may, before the renewal of a licence or a rating, require an applicant to satisfy all or any of the requirements for the issue of licence or rating of the same class, if, in the opinion of the Director General, the competency of the applicant is below the standard required for the licence or rating:

Provided also that where the holder of expired Indian commercial licence is flying on a valid equivalent commercial licence issued by a contracting State and satisfies the requirement of flying experience for renewal of Indian licence, the Indian licence, if expired beyond two years, shall be renewed after his qualifying the examinations and tests as the Director General may consider necessary:

Provided also that in case of a pilot or a flight engineer, the Director General may, when renewing a licence or a rating, delete any type of aircraft entered in the aircraft rating, if he is satisfied that the holder of the licence does not have reasonable flying experience or does not possess the required standard of competency on that type of aircraft:

Provided also that the requirements of competency and recent experience for exercising the privileges of the licence or rating as specified by the Director General, shall be completed before renewal of licence or rating, as the case may be.

(2) The holder of a licence shall not exercise the privileges of his licence without being declared fit after a fresh medical examination in the event of his having ─

(a) a sickness or injury involving incapacity for a period of fifteen days or more for the work for which he is licensed; or

(b) an injury sustained in any accident occurring during the exercise of the privileges of his licence or otherwise and which is likely to cause incapacity or impair his efficiency in the discharge of his duties,

the licence holder or his employer shall immediately notify all the relevant details of the sickness or injury to the Director General.

(3) The licence of a person disqualified under sub-rule *(2)* shall be deemed to be invalid until the holder passes a fresh medical examination.

(4) The holder of a licence shall not exercise the privileges of his licence during any period when he is aware that his physical condition has deteriorated below the standard required for that category of licence.

83. Validation of foreign licence.─ When a licence has been granted by the competent authority in a foreign State and is for the time being in force, the Central Government may, subject to such conditions and limitations and for such periods as it shall think fit, render such licence valid by an authorisation for flying aircraft registered in India and a licence so validated shall be subject to the provisions of rules 212 and 213 and such validation of a licence shall cease, if the licence is revoked or suspended.

84. Log books of flight crew personnel and logging of flight time.─ *(1)* Every member of the flight crew licensed under these rules shall maintain a personal log book and all flight times shall be logged therein.

(2) Log books shall be maintained in the form and manner as specified by the Director General*.*

(3) Flight crew shall log their respective flights in their respective personal log book.

(4) Flight time during which a pilot is under dual instruction shall be entered in his log book as "dual" and the pilot giving instruction shall make entries in the log book of the pilot under instruction showing the nature of the instruction given.

(5) (a) Flight time spent in performing, under supervision of a pilot-in-command, the duties and functions of a pilot-in-command shall be logged as pilot-in-command under supervision, if the person is entitled and authorised to fly in command of that type of aircraft by virtue of the ratings and privileges of his pilot's licence;

(b) In all other cases, such flight time shall be logged as co-pilot with appropriate indication in the remarks column.

(6) The holder of a Student Pilot's Licence may log as pilot-in-command only for that portion of the flight time during which he is the sole occupant of the aircraft and where an aircraft which requires more than one pilot in accordance with rule 74 and clause *(f)* of rule 114, he may log as pilot-in-command for that portion of the flight time during which he acts as pilots-in-command of the aircraft.

(7) The holder of a Pilot's Licence may log as pilot-in-command only for the flight time during which he acts as pilot-in-command. In all other cases, such flight time shall be logged as co-pilot with appropriate indication in the remarks column.

(8) A flight instructor may log as pilot-in-command for the flight time during which he acts as an instructor but the log entries shall indicate in the remarks column that the flight time was flown as an instructor.

(9) Instrument flight time may be logged by the pilot manipulating the controls of an aircraft in flight only when the aircraft is flown solely by reference to instruments, either under actual or simulated instrument flight condition, and over-the-top flying shall not be logged as instrument flying time.

(10) Instrument ground time may be logged in full by the pilot while flying solely by reference to instruments, in any recognised synthetic device which simulates instrument flight conditions.

(11) A pilot who acts as trainer or examiner may log as pilot-in-command for the flight time during which he so acts, if that he is entitled and authorised to fly-in- command of that type of flying machine by virtue of the ratings and privileges of his pilot's licence.

(12) (a) A flight navigator shall log the flight time as a flight navigator during which he is engaged in actual navigational duties;

(b) Flight time during which a flight navigator performs actual navigational duties under supervision of a licensed flight navigator shall be logged as a flight navigator with the indication "under supervision" in the remarks column.

(13) (a) A flight engineer shall log the flight time as a flight engineer during which he is engaged in actual flight engineer's duties;

(b) Flight time during which a flight engineer performs a actual flight engineer's duties under supervision of a licensed flight engineer shall be logged as a flight engineer with indication "under supervision" in the remarks column.

(14) A flight radio telephone operator shall log the flight time during which he actually performs the duties of a flight radio telephone operator.

2. Aircraft Engineer

85. Licensing of aircraft maintenance engineers.— *(1)* The Central Government may grant licences or authorisations as provided in this rule, to persons who meet the requirements specified in this rule.

(2) The application for the grant of an Aircraft Maintenance Engineer's Licence or an authorisation, or for any change thereof, shall be made in the form and manner as may be specified by the Director General.

(3) The Aircraft Maintenance Engineer's Licence may be granted in the following categories and sub-categories, as applicable, namely: —

(a) Category A, classified into the following sub-categories, namely : —

(i) A1 Aeroplanes Turbine;

(ii) A2 Aeroplanes Piston;

(iii) A3 Helicopters Turbine;

(iv) A4 Helicopters Piston.

(b) Category B1, classified into the following sub-categories, namely : --

(i) B1.1 Aeroplanes Turbine;

(ii) B1.2 Aeroplanes Piston;

(iii) B1.3 Helicopters Turbine;

(iv) B1.4 Helicopters Piston.

(c) Category B2, applicable to all aircraft.

(d) Category B2L, applicable to aircraft shall be issued with the 'system rating' as specified by the Director General.

(e) Category B3, applicable to piston-engine non-pressurised aeroplanes of 2000 kg. maximum take-off mass and below.

(f) Category L, classified into the following sub-categories, namely: —

(i) L1C: composite sailplanes;

(ii) L1: sailplanes;

(iii) L2C: composite powered sailplanes and composite light aircraft 1 aeroplanes;

(iv) L2: powered sailplanes and light aircraft 1 aeroplanes;

(v) L3H: hot-air balloons;

(vi) L3G: gas balloons;

(vii) L4H: hot-air airships;

(viii) L4G: light aircraft 2 gas airships; and

(ix) L5: gas airships other than light aircraft 2.

Note: Light aircraft 1 and light aircraft 2 means a manned aircraft as specified by the Director General.

(g) Category C, applicable to aeroplanes and helicopters.

(4) The holder of an aircraft maintenance licence shall have his licence endorsed with the relevant rating for exercising the certification privileges as laid down in sub-rule *(11)*, namely : —

(i) for Category B1, B2, B2L, C and L, the relevant aircraft or system ratings shall be as specified by the Director General;

(ii) for Category B3, the relevant rating shall be 'piston-engine non-pressurised aeroplanes of 2000 kg. maximum take-off mass and below';

(iii) for Category A, no rating shall be endorsed.

(5) An applicant for the grant of Aircraft Maintenance Engineer's Licence shall satisfy the following requirements, namely: —

(a) he shall not be less than eighteen years of age;

(b) he shall have passed Class 12th with Physics, Chemistry and Mathematics from a recognised Board or University or its equivalent examination;

(c) he shall have passed a written examination as specified by the Director General:

Provided that the Director General may, subject to such conditions as he may deem fit to impose, exempt any applicant from the written examination, if the applicant holds a licence granted by a contracting State to act in the capacity of an aircraft maintenance engineer; and

(d) he shall have the following minimum practical experience in the relevant category or sub-category, namely: —

(i) for category A, sub-categories B1.2, B1.4 and Category B3:

(A) three years of practical aircraft maintenance experience on operating aircraft; or

(B) two years of practical maintenance experience on operating aircraft, and having acquired a degree in Aircraft Maintenance or degree in Engineering from a recognised University; or

(C) one year of practical maintenance experience on operating aircraft, and having successfully completed basic aircraft maintenance training conducted by a training organisation approved under rule 117.

(ii) for sub-categories B1.1 and B1.3 and category B2:

(A) five years of practical aircraft maintenance experience on operating aircraft; or

(B) three years of practical maintenance experience on operating aircraft, and having acquired a degree in Aircraft Maintenance or degree in Engineering from a recognised University; or

(C) two years of practical maintenance experience on operating aircraft, and having successfully completed basic aircraft maintenance training conducted by a training organisation approved under rule 117.

(iii) for Category B2L:

(A) three years of practical maintenance experience in operating aircraft, covering the corresponding system rating, if the applicant has no previous relevant technical training; or

(B) two years of practical maintenance experience on operating aircraft, covering the corresponding system rating, and having

acquired a degree in Aircraft Maintenance or degree in Engineering from a recognised University; or

(C) one year of practical maintenance experience on operating aircraft, covering the corresponding system rating, and having successfully completed basic aircraft maintenance training conducted by a training organisation approved under rule 117.

(iv) for Category L:

(A) two years of practical experience in operating aircraft, covering a representative cross section of maintenance activities in the corresponding sub-category; or

(B) one year of practical maintenance experience in operating aircraft, covering a representative cross section of maintenance activities in the corresponding sub-category, and having acquired a degree in Aircraft Maintenance or degree in Engineering from a recognised University or having successfully completed basic aircraft maintenance training conducted by a training organisation approved under rule 117:

Provided that twelve years of practical aircraft maintenance experience acquired outside a civil aircraft maintenance environment in the relevant category, supplemented by at least one year of recent experience in civil aircraft maintenance environment, shall be treated as equivalent to the requirements laid down in sub-clauses *(i)* to *(iv)*. Whereas, for the Category A and L the recent experience in civil aircraft maintenance environment shall be six months.

(v) for Category C with respect to complex motor-powered aircraft:

(A) three years of maintenance experience in exercising privileges of categories B1.1, B1.3 or B2 as support staff, or both support staff and certifying staff, in a maintenance organisation approved under rule 66 working on complex motor-powered

aircraft, including twelve months of experience as base maintenance support staff; or

(B) five years of maintenance experience in exercising privileges of categories B1.2, B1.4 or L5 as support staff, or both support staff and certifying staff, in a maintenance organisation approved under rule 66, working on complex motor-powered aircraft, including twelve months of experience as base maintenance support staff;

(vi) for Category C with respect to aircraft other than complex motor-powered aircraft three years of maintenance experience in exercising privileges of categories B1 or B2 or support staff, in a maintenance organisation approved under rule 66, working on aircraft other than complex motor-powered aircraft, including six months of experience as base maintenance support staff:

Provided that for the addition of a category or a sub-category, or addition, within a category or a sub-category or a system rating to an existing licence, the practical maintenance experience relevant to the category, sub-category or new system rating shall be as specified by the Director General.

(e) he shall demonstrate his skill, relevant to the category or sub-category applied for, in the manner as specified by the Director General.

(6) The applicant, for grant of extension or endorsement of Aircraft Maintenance Engineer's Licence, shall be required —

(a) to pass a written examination so as to demonstrate a level of knowledge in the appropriate subject modules as specified by the Director General; and

(b) to undergo relevant training, acquire maintenance experience as specified by the Director General and demonstrate skill relevant to the category or sub-category applied for, in a manner specified by the Director General.

(7) (a) The examinations for the grant or extension of a licence under this rule shall be completed within a period of ten years immediately preceding the date of application for the issue of the licence or change thereof;

(b) An applicant who fails in any examination shall be permitted to appear again for such examination only after lapse of such other period as specified by the Director General.

(8) The Director General may conduct examinations, fix examination centres within India, appoint invigilators or subject matter expert and lay down the procedure for conducting the examinations.

(9) The Central Government may grant authorisation to the holders of an Aircraft Maintenance Engineer's Licence to carry out maintenance of any new aircraft, powerplant or system which has been brought into the organisation and which is not within the scope of his licence, and to issue a certificate of release thereof, if the Director General is satisfied that the applicant has sufficient knowledge, experience and training, and has passed such examinations as specified by the Director General.

(10) Unless suspended, revoked or cancelled,-

(a) a licence shall remain valid for the period specified therein, subject to a maximum period of ten years in each case, and may be renewed for another ten years at a time on receipt of the application for renewal:

Provided that an expired licence shall be renewed in accordance with the criterion specified by the Director General;

(b) an authorisation shall remain valid for a period specified therein, subject to a maximum period of one year in each case, and may be renewed for another one year at a time on receipt of application for renewal, if the applicant has engaged himself in the performance of the tasks for a period of three months in the preceding one year.

(11) The holders of various categories of Aircraft Maintenance Engineer's Licences shall have the following privileges, namely: —

(i) Category A licence holder, to issue certificates for release to service after minor scheduled line maintenance and simple defect rectification within the limits of maintenance tasks specifically endorsed on the authorisation issued by a maintenance organisation approved under rule 66 and the certification privileges shall be restricted to the work carried out by the licence holder himself in the maintenance organisation that issues the authorisation;

(ii) Category B1 licence holder to issue certificates for release to service and act as support staff following the maintenance performed on aircraft structure, power-plant, mechanical and electrical systems, work on avionics system requiring simple tests to prove their serviceability and not requiring trouble shooting, in respect of an aircraft type endorsed on the licence.

Note:

(a) Category B1 shall include the appropriate sub-category of Category A;

(b) Microlight, light sport aircraft, gyroplane, glider, balloon or an airship shall be certified by an aircraft maintenance engineer holding a licence in Category A or Category B1 or Category B3 or Category L or an authorised person subject to meeting the requirements as specified by the Director General.

(iii) Category B2 licence holder to issue —

(a) certificates of release to service and act as support staff after maintenance on avionic and electrical systems, avionics and electrical tasks within powerplant and mechanical systems requiring only simple tests to prove their serviceability of aircraft type endorsed on the licence;

(b) certificates of release to service after minor scheduled line maintenance and simple defect rectification within the limits of tasks specifically endorsed on the certification authorisation issued by an approved maintenance organisation of aircraft type endorsed on the licence and this certification privilege shall be restricted to work that the

licence holder has personally performed in the maintenance organisation which issued the certification authorisation and limited to the rating already endorsed on the licence;

(iv) Category B2L licence holder to issue certificates of release to service and to act as B2L support staff for the maintenance performed on electrical systems; maintenance performed on avionics systems within the limits of the system ratings specifically endorsed on the licence; and when holding the 'airframe system' rating, performance of electrical and avionics tasks within power plant and mechanical systems, requiring only simple tests to prove their serviceability;

(v) Category B3 licence holders to issue certificates of release to service and act as support staff after maintenance on aeroplane structure, powerplant and mechanical and electrical systems, work on avionic systems requiring only simple tests to prove their serviceability and not requiring troubleshooting of 'piston-engine non-pressurised aeroplanes of 2000 kg. maximum take-off mass and below';

(vi) Category L licence holder to issue certificates of release to service and to act as L support staff for maintenance performed on aircraft structure, power plant and mechanical and electrical systems; work on radio, emergency locator transmitters and transponder systems; and work on other avionics systems requiring simple tests to prove their serviceability;

(vii) Category C licence holders to issue certificates of release to service after base maintenance in respect of an aircraft of the type endorsed on the licence, and the privileges apply to the aircraft in its entirety including all systems.

Note: Simple test means a test described in approved maintenance data and such in nature that aircraft system serviceability is verified through aircraft controls, switches, built-in test equipment, central maintenance computer or external test equipment not requiring special training.

(12) The certification privileges shall be exercised only if the holder of licence fulfills the conditions as specified by the Director General.

(13) A person holding a valid Aircraft Maintenance Engineer's Licence in the old format, may be issued, with or without limitation and without further examination, an Aircraft Maintenance Engineer's Licence in the appropriate category under this rule subject to such conditions as may be specified by the Director General.

(14) Without prejudice to the provisions of sub-rule *(3)* of rule 212 of these rules, the Central Government may, after such inquiry as it may deem fit and after giving a reasonable opportunity of being heard, revoke, cancel, suspend or endorse any licence or authorisation granted under this rule or issue a warning or an admonition or debar a person from acquiring a licence or appearing in examination temporarily or permanently, where it is satisfied that ─

(a) the applicant had submitted fake documents or used unfair or fraudulent means including impersonation during the qualification process or in the examination; or

(b) the holder has obtained the certification privileges by adopting fraudulent means; or

(c) the holder has failed to carry out required maintenance resulting from his own inspection combined with failure to report such fact to the organisation or person for whom the maintenance was intended to be carried out; or

(d) the holder has performed work or granted a certificate in respect of work which has not been performed in a careful and competent manner or was responsible in any manner that compromised airworthiness of the aircraft; or

(e) the holder has signed a certificate in respect of any matter in contravention of this rule; or

(f) the holder has issued a certificate of release to service knowing that the maintenance specified on the certificate of release to service has not been carried out or without verifying that such maintenance has been carried out; or

(g) the holder has falsified the maintenance records; or

(h) the holder has carried out maintenance or has issued a certificate of release to service while under the influence of alcohol or any other intoxicating or any psychoactive substance; or

(i) it is undesirable for any other reason that the holder should continue to exercise his privileges granted under this rule.

(15) The Central Government may withhold the grant or renewal of a licence or authorisation if, for reasons to be recorded in writing, it considers it expedient to do so in public interest.

(16) The Director General may declare any examination passed by a candidate, null and void, if in the opinion of the Director General, the candidate was not meeting the eligibility criteria or the candidate has submitted fake documents for qualifying the eligibility criteria to appear in such examination.

86. Validation of licence of foreign aircraft maintenance engineers.— When a licence to an aircraft maintenance engineer has been granted by the competent authority in any contracting State and is for the time being in force, the Central Government may, subject to such conditions and limitations and for such period as it thinks fit, confer on such licence the same validity for the purposes of maintaining or certifying aircrafts registered in India as if it had been granted under these rules and a licence so validated shall be subject to sub-rule *(13)* of rule 85 and the provisions of rule 212 and rule 213

87. Log books of aircraft maintenance personnel. — Every person holding an Aircraft Maintenance Engineer's Licence or in the process of qualifying for such licence under these rules shall maintain a personal log book, in the form and manner as specified by the Director General and record aircraft maintenance work carried out or supervised by him in such log book.

3. Air Traffic Controller

88. Requirement of a licence for air traffic services personnel.— *(1)* No person shall engage himself in the provision of air traffic control services in the Indian airspace or in any airspace outside the Indian territory for which India has, in pursuance of any international arrangement, undertaken to provide air traffic control services, unless he holds a valid Air Traffic Controller's Licence issued under these rules.

(2) The designated military authority may provide the air traffic services to the civil aircraft in the airspace designated for military use in accordance with the provisions of this part and subject to the conditions as specified by the Director General.

89. Requirement of rating and unit endorsement.— *(1)* No person shall perform duty as an air traffic controller in an air traffic control unit unless his licence contains the ratings for the said purpose:

Provided that the holder of an Student Air Traffic Controller's Licence or an Air Traffic Controller's Licence may perform duty in a particular air traffic control unit without the relevant rating, for the purpose of qualifying for endorsement of such rating in his licence, under the direct supervision of a person holding the rating for that particular air traffic control unit and authorised by the Director General, or by any other organisation specifically authorised by the Director General, to act as an instructor.

(2) A licence may contain ratings for one or more air traffic control units.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-rule *(1)*, the Director General or any other organisation specifically authorised by the Director General for this purpose may authorise —

(i) the holder of an Air Traffic Controller's Licence to perform duty in a newly established air traffic control unit without endorsement of that unit on his licence, if he has completed simulation training for the said unit and has been assessed as fit for such duties by an assessment board duly approved by the Director General or by any other organisation specifically authorised by the Director General for this purpose:

Provided that rating of such newly established air traffic control unit may be endorsed on the licence, after the licence holder gains the experience as

specified by the Director General, for the relevant Section of the Second Schedule, wherein requirement of knowledge, skill and experience shall be considered to be complied with.

Explanation. ─ For the purposes of this clause, "simulation training" includes an automated or computer generated air traffic environment or a simple instructor-driven interactive role play;

(ii) deployment of an air traffic controller to perform air traffic control duties temporarily at an airport without endorsement of that airport on his licence, if he holds similar ratings for another airport with higher air traffic density and is assessed as fit for such duties by an air traffic controller holding the rating for the airport of temporary duty.

90. Rating training manual.─ There shall be a rating training manual, at each air traffic service station, containing the syllabus for on-the-job training, examination, assessment and procedures to meet the requirements or ratings as laid down in the Second Schedule, approved by the Director General.

91. Medical standards.─ *(1*) No licence or rating granted under clauses *(o)* to *(v)* of sub-rule *(1)* of rule 69 shall be issued or renewed unless the applicant holds a medical fitness assessment issued by the Director General after undergoing a medical examination with an approved medical authority and satisfying the medical standards as specified by the Director General for the purpose:

Provided that if in the opinion of the approved medical authority, the condition of the applicant is not such as to introduce any hazard either of sudden incapacity or of inability to perform his duties safely during the period of validity of his licence or rating and failure to attain the requirement is capable of being compensated and the Director General has satisfactory evidence that the applicant has already acquired and demonstrated his ability, skill and experience which compensate for his deficiency, the assessment may be issued with any limitation as deemed fit, and the licence or rating may be renewed or endorsed with such limitation.

Explanation. ─ For the purposes of this sub-rule, approved medical authority means a medical authority approved by the Director General.

(2) The Director General may require the holder of a licence to undergo a medical examination by any medical authority at any time if, in his opinion, such examination is necessary in the interest of safety of operations.

92. Licence not valid without valid medical fitness assessment.— A licence granted under clauses *(o)* to *(v)* of sub-rule *(1)* of rule 69 shall not be valid unless it is accompanied by a valid medical fitness assessment and the holder shall not exercise the privileges of the licence in the absence of a valid medical fitness assessment.

93. Decrease in medical fitness.— *(1)* The holder of a licence shall not exercise the privileges of his licence and ratings during any period when he is aware that his physical condition has deteriorated and the medical fitness has decreased below the standard required for that category of licence.

(2) The holder of a licence shall not exercise the privileges of his licence without being declared fit after a fresh medical examination in the event of his having suffered from a sickness or injury rendering him incapable of discharging his duties for a continuous period of more than twenty days, or which is likely to cause incapacity or impair his efficiency in the discharge of his duties.

(3) The licence holder or his employer shall immediately notify all the relevant details of the sickness or injury to the Director General.

(4) The licence of a person rendered incapable under sub-rule *(2),* shall be deemed to be invalid until the holder undergoes a fresh medical examination.

94. Period of validity of licences and medical fitness assessment.— *(1)* A Student Air Traffic Controller's Licence shall remain valid for a maximum period of three years from the date of issue and may be renewed for a further period not exceeding three years subject to conditions as may be specified by the Director General.

(2) Subject to sub-rules *(5)* and *(6)* of rule 69, rules 70, 92 and 96, an Air Traffic Controller's Licence shall remain valid until the holder attains the age of sixty years:

Provided that the validity of the licence shall lapse, if the holder has not held a valid rating for more than five years and the renewal of the licence in such case shall be subject to the fulfilment of the requirements of rule 98 and the Second Schedule.

(3) (a) The period of validity of a licence shall commence from the date of its issuance.

(b) In case of renewal, the period of validity shall commence from the date following the date of expiry of the previous validity, irrespective of the date of renewal, if the application for renewal has been submitted within a period of thirty days preceding the date of expiry and all the requirements for renewal are met on the date of application.

(c) In any other case, the validity of renewal of licence shall commence from the date of renewal.

(4) The maximum period of validity of a medical fitness assessment shall be four years from the date of medical examination.

(5) The period of validity of medical fitness specified in sub-rule *(4),* shall be reduced to two years after the holder of the licence has attained the age of forty years which shall be further reduced to one year after the holder of the licence has attained the age of fifty years.

(6)(a) The period of validity of initial medical fitness assessment shall commence from the date of the medical examination;

(b) In case of renewal, the period of validity of medical fitness assessment shall commence from the date following the date of expiry of the previous medical fitness assessment, irrespective of the date of renewal, if the medical examination for renewal has been conducted within a period of not more than forty-five days preceding the date of expiry of the previous validity;

(c) In any other case, the validity of renewal of medical fitness assessment shall commence from the date of renewal.

95. Maximum age-limit for holding licence or rating.— No person shall exercise the privileges of the licence granted under clauses *(o)* to *(v)* of sub-rule *(1*) of rule 69 after he has attained the age of sixty years.

96. Maintenance of validity of ratings and endorsements.— *(1)* The holder of an Air Traffic Controller's Licence shall not exercise the privileges of the licence and the rating endorsed on the licence unless he meets the competency and recency

requirements as laid down in the Second Schedule and the rating is valid for the air traffic control unit where he so acts.

(2) Even when a person ceases to act as an air traffic controller at a particular unit, he may keep his rating current by complying with the competency and recency requirement as laid down in the Second Schedule.

97. Licence holder's obligation to notify.— When the conditions precedent to exercise the privileges of a rating as laid down in the Second Schedule are not met, the holder of the licence shall forthwith inform the person-in-charge of the air traffic service of that place and shall not work in that position till such conditions are met.

98. Renewal of expired licence or rating.— If, on the date of application for renewal, the licence or rating has expired, the applicant shall be required to undergo on-the-job training and qualify the examinations and skill assessment tests as may be specified by the Director General to assess the applicants competency to hold that licence or rating.

99. Proof of competency.— *(1)* An applicant for grant and renewal of any licence and ratings shall produce proof of having acquired the competency and having passed satisfactorily the tests and examinations as laid down in the Second Schedule in respect of the licence or rating.

(2) The Director General may, exempt a person who is a qualified air traffic controller from the Naval, Military or Air Forces of the Union or other armed forces of the Union constituted by any law for the time being in force and who produces satisfactory evidence to show that he possesses the necessary experience, competency and standard of physical fitness as required under these rules from all or any of the examinations and medical or other technical examinations.

(3) The Director General may, on examination of the syllabi, determine the relative equivalence of examinations for granting exemptions to such applicants from passing the examinations required under the Second Schedule.

(4) The Director General may, require any candidate or training organisation to produce for examination all relevant training records, including the syllabi, certificates, mark-sheets, on-the-job training test reports, assessments and the like, in respect of

the candidate who has undergone a course of training, with such training establishment.

100. Tests, assessment and examination.— *(1)* The Director General or any other organisation specifically authorised by the Director General may, conduct examinations to test the level of knowledge as laid down in the Second Schedule, fix examination centres within India, appoint invigilators and specify the procedure for conducting the examinations.

(2) The Director General shall, specify the detailed syllabi for the examinations for issue of the licences and ratings.

(3)(a) The Director General, or any organisation under the control of the Government duly authorised by the Director General, may appoint examiners for conducting examinations and assessment required under the Second Schedule, and may also appoint a Board to conduct examinations and assessment, wherever necessary;

(b) The examiners shall be selected on the basis of criteria specified for the purpose by the Director General and the examination and assessment reports shall be submitted to the licensing authority in respect of any examination and assessment conducted for issue or renewal of a licence or endorsement of a rating on a licence.

(4) The Director General may determine the manner in which the assessment and proficiency checks shall be carried out.

(5) The Director General may, debar permanently or temporarily a person from any assessment or examination if, in his opinion, the person has adopted unfair means during the assessment or examination.

(6) (a) The Director General may, declare any examination or assessment conducted by an authorised person or a Board null and void, if in his opinion, the examination or assessment has not been carried out to his satisfaction, and require the examination or assessment to be carried out again by another authorised person or a Board;

(b) The Director General may also take such action against such authorised person or board as he may deem fit under the provisions of rule 212.

101. Use of radio call signs of air traffic services units.— A licence holder using two-way radio communication shall not use or cause or permit to be used any call sign for a purpose other than the purpose for which that call sign has been notified.

102. Record of experience and logging of on-watch period.— *(1)* Every licence holder shall maintain a personal log book in the form specified by the Director General and log the actual watch period during which he has performed any duty for exercising the privileges of his licence or ratings, or for on-the-job training, or for skill assessment, or for proficiency check.

(2) All entries in log books shall be made either in ink or logged electronically.

(3) Log books shall be preserved for not less than five years after the date of the last entry therein.

(4) (a) Every licence holder shall certify the accuracy of the entries in his log book with respect to the watch period at least at the end of each calendar month;

(b) At the end of every quarter, the log books shall be certified for correctness of entries therein by the in-charge of the air traffic services unit, or any other person authorised to do so by the Director General.

(5) The watch time during which a licence holder is under on-the-job training shall be entered in his log book as 'on-the-job training' and the instructor or any other person authorised by the Director General, shall also countersign or validate the entries in the log book of the licence holder indicating the nature of the training given.

(6) The instructor or examiner shall log as watch period in his log book the period during which he acts as an instructor or examiner and the log entries shall indicate in the remarks column that the time was logged for instructional or examination purpose.

4. Radio Telephony Operator

103. Radio-telegraph apparatus.— *(1)* No person shall operate radio transmitting apparatus in any aircraft registered in India unless he holds a licence of the type required by the provisions of this Chapter in respect of aircraft required by these rules

to carry radio-telegraph or radio-telephone apparatus, as the case may be, and issued in accordance with those provisions.

(2) Radio transmitting apparatus carried in aircraft shall be operated under the conditions defined by the International Telecommunication Convention, held at Madrid in the year 1932 and the general radio-communication regulations annexed thereto as far as these apply and shall be operated only during the hours in which such operation is permitted by the Central Government.

(3) Aircraft registered in India and required by these rules to carry radio-telegraph apparatus shall be fitted with such apparatus in accordance with the provisions of rule 59.

(*4)* Nothing in this rule shall exempt any person from those provisions of the Telecommunications Act, 2023 (44 of 2023), and the rules made thereunder which require that radio-telegraph apparatus shall be licensed.

104. Operation of Radio-Telephone apparatus.— No person shall operate or allow to operate radio telephone service of any aircraft station or aircraft earth station operating on frequencies allocated exclusively to the aeronautical mobile service or to the aeronautical mobile- satellite service, unless he holds a valid Radio Telephone Operator (Restricted) Certificate and Licence issued or recognised by the Central Government.

105. Eligibility for appearing in Radio Telephone Operator (Restricted) Certificate and Licence examination.— No person shall be eligible for appearing in the examination under these rules, unless the applicant —

(a) has attained the age of sixteen years on the date of application;

(b) has passed Class 10th or its equivalent examination from a recognised Board:

Provided that an applicant who fails in the examination shall not be permitted to appear for re-examination within such period from the date of examination as may be specified by the Director General:

Provided further that if the applicant is not a citizen of India, security clearance shall be obtained from the Government of India.

106. Submission of application. — An application for appearing in the examination for the grant of a Radio Telephone Operator (Restricted) Certificate and Licence shall be made to the Director General in such form and manner as specified by the Director General.

107. Examinations.— *(1)* The examination for the grant of a Radio Telephone Operator (Restricted) Certificate and Licence shall be held in the form and manner as specified by the Director General.

(2) The Director General may fix examination centres in India, appoint invigilators, and lay down the procedure for conducting the examinations.

(3) The Director General may authorise examiners meeting the requirements as specified by the Director General for carrying out the practical examination.

(4) The Radio Telephone Operator (Restricted) Certificate and Licence examination shall consist of —

(a) written examination; and

(b) practical examination:

Provided that no applicant shall be eligible to appear in the practical examination unless he has passed the written examination:

Provided further that the Director General may exempt the following applicants from the written examination, namely: —

(i) a qualified pilot from the Indian Air Force, Indian Navy or Indian Army or Indian Coast Guard who possesses the necessary flying experience and competency as specified by the Director General;

(ii) a person holding a valid Flight Radio Telephone Operator's Licence or its equivalent issued by Commonwealth countries or Philippines:

Provided also that in case a Radio Telephone Operator (Restricted) Certificate and Licence granted before the commencement of these rules has been suspended or in case of pendency of any proceeding connected with such Radio Telephone Operator (Restricted) Certificate and Licence, the holder of such Radio Telephone Operator (Restricted) Certificate and Licence shall not be eligible for appearing in the examinations until the expiry of suspension period.

(5) The syllabus for the examination shall be as under, namely: —

(i) written examination covering regulation and procedure, radio principles and practice and radio telephony as per the syllabus specified by the Director General;

(ii) practical examination consisting of a practical test of radio telephony conducted over simulated environment and the applicant shall be required to, —

(a) use phonetic alphabets and general procedure of radio-telephone working;

(b) carry out communications associated with mobile or base stations.

Explanation.— for the purposes of clause *(ii),* the applicant is expected to carry out preparation of messages for transmission, exchange of traffic, use of priorities, obtaining meteorological information, position report, distress, urgency, and the like.

(6) An applicant for the grant of Radio Telephone Operator (Restricted) Certificate and Licence shall have passed the practical examination within a period of three years from the date of passing the written examination:

Provided that the applicant or a person exempted from appearing in the written examination under sub-rule *(4),* shall not be permitted to appear in the practical examination for more than three attempts and on failing to pass during these three attempts, shall be required to pass the written examination again prior to being allowed to appear in subsequent practical examinations.

108. Requirements for issue of Radio Telephone Operator (Restricted) Certificate and Licence.— An applicant for Radio Telephone Operator (Restricted) Certificate and Licence shall fulfil the following requirements, namely: —

(a) the applicant shall be not less than sixteen years of age on the date of application;

(b) the applicant shall have passed Class 10th or its equivalent examination from a recognised Board;

(c) the applicant shall have passed examinations as provided under rule 107.

109. Validity of Radio Telephone Operator (Restricted) Certificate and Licence.— *(1)* The Radio Telephone Operator (Restricted) Certificate and Licence granted under these rules, unless suspended or cancelled, shall remain valid till the holder attains the age of eighty years:

Provided that a Radio Telephone Operator (Restricted) Certificate and Licence may be extended beyond the age of eighty years, subject to the holder fulfilling the requirements specified by the Director General.

(2) A Radio Telephone Operator (Restricted) Certificate and Licence existing on the day of commencement of these rules shall continue to be valid till its expiry and the holder may be granted Radio Telephone Operator (Restricted) Certificate and Licence under these rules subject to the holder passing the practical examination as provided under rule 107.

110. Scope of authority to operate.— The holder of a Radio Telephone Operator (Restricted) Certificate and Licence may, subject to fulfilling the conditions as specified by the Central Government, operate mobile stations as under, to: —

(a) carry out the radio telephone service of any aircraft station, when working on frequencies of the maritime mobile service:

Provided that: —

(i) the peak envelope power of the transmitter does not exceed 200 watts, or

(ii) the operation of the transmitter requires only the use of simple external switching devices, excluding all manual adjustment of frequency determining elements, with the stability of the frequencies maintained by the transmitter itself within the limit of tolerance specified by Radio Regulations and the peak envelope power of the transmitter does not exceed 1.5 kilowatts.

(b) carry out the radio telephone service of any aircraft station operating on frequencies allocated exclusively to the aeronautical mobile service:

Provided that the operation of the transmitter requires only the use of simple external switching devices, excluding all manual adjustment of frequency determining elements, and that the stability of the frequencies is maintained by the transmitter itself within the limits of tolerance specified by the Radio Regulations.

111. **Issue of duplicate or variation in a Radio Telephone Operator (Restricted) Certificate and Licence.—** *(1)* A holder whose Radio Telephone Operator (Restricted) Certificate and Licence has been lost, mutilated or destroyed shall inform the same to the Director General.

(2) An application along with the fee provided under rule 120 shall be made to the Director General embodying a statement of the circumstances involved in the loss, mutilation and destruction of the Radio Telephone Operator (Restricted) Certificate and Licence where a duplicate is required.

(3) If the licence or rating has been lost, the applicant must provide evidence of reasonable search having been made for it along with report from appropriate agencies and in the event it be found, the original shall be returned for cancellation.

B. Personnel of Aircraft

112. Minimum age for sole control of aircraft.— No person being under sixteen years of age shall have sole control of an aircraft in motion and no person shall cause or permit any other person to have sole control of an aircraft in motion unless he knows or has reasonable cause to believe such other person to have attained the age of sixteen years.

113. Maximum age-limit for professional pilots.— *(1)* No person, holding a pilot's licence issued under these rules and having attained the age of sixty-five years, shall act as pilot-in-command or co-pilot of an aircraft engaged in commercial air transport operations or be employed for remuneration or hire.

(2) No person holding a pilot's licence issued under these rules and having attained the age of sixty years, shall act as pilot-in-command or co-pilot of an aircraft engaged in commercial air transport operations unless it is operated in a multi-crew environment and the other pilot is less than sixty years of age:

Provided that the provisions of sub-rule *(2)* shall not apply in respect of aircraft certified for single pilot operations and not exceeding an all up weight of 5700 kg. engaged in commercial air transport operations within the territory of India and while operating in a multi-crew environment.

114. Carriage of operating crew.— Subject to the provisions of rules 72, 73 and rule 74, every aircraft registered in India shall comply with such of the following requirements in respect of the personnel which it carries and by which it is operated as are applicable to the aircraft and type of operation concerned, namely : —

(a) **Pilot**. —

***(i)* Private aircraft.** — Every private aircraft shall be flown by a person holding a valid pilot's licence issued in accordance with the First Schedule:

Provided that—

I. a private aircraft shall not be flown by a person holding a Student Pilot's Licence;

II. a private aircraft shall not be flown by a person holding a Private Pilot's Licence for remuneration or hire of any kind;

III. a private aircraft, shall not be flown at night by a person holding a Private Pilot's Licence, without having a valid night rating;

IV. a private aircraft shall not be flown under the instrument flight rules by a person holding a Private Pilot's Licence, without having a valid instrument rating.

(ii) **Public transport and aerial work aircraft.** — Every public transport or aerial work aircraft (other than a microlight or a glider or a balloon) shall be flown by a person holding an appropriate professional pilot's licence, such as a Commercial, or Airline Transport Pilot's Licence issued in accordance with the First Schedule:

Provided that an aircraft (other than a microlight, a glider or a balloon) which is the property of, or is being used by a duly constituted flying or gliding or ballooning or aerosport club may be flown by a person holding a Student Pilot's or a Private Pilot's Licence for the purpose of receiving instructions or for qualifying, renewal of a licence or for issue of a higher category of licence:

Provided further that an aircraft (other than a microlight or a glider or a balloon) which is the property of, or is being used by, a duly constituted flying or gliding or ballooning or aerosport club flown by a member and carrying a person otherwise than for the purpose of instructing such person in flying, shall not for the purpose of this rule, be deemed to be flown for public transport, if in respect of such carriage, payment is made, either directly or indirectly, to the pilot of the aircraft, or the pilot of the aircraft is a paid employee of the flying or gliding or ballooning or aerosport club, the aircraft shall be deemed to be flown for public transport.

(b) **Flight instructor or assistant flight instructor.** — *(i)* Every aircraft which is being used for the purpose of giving dual instructions in piloting shall carry a person holding an appropriate professional pilots licence, that is, a Commercial, or Airline Transport Pilot's Licence or Pilot's Licence as the case may be, which has an appropriate flight instructors or assistant flight instructors rating in accordance with the First Schedule, or an authorisation issued in writing by the Director General.

(ii) No person other than a person having a flight instructor's or assistant flight instructor's rating shall impart instructions in piloting an aircraft, unless he has been specifically authorised in writing by the Director General to impart such instructions.

(iii) The Director General may specify the requirements for the issuance of authorisation under sub-clauses *(i)* and *(ii).*

***(c)* Flight navigator.** — Every public transport aircraft engaged on a flight without landing over a great circle distance of more than six hundred nautical miles and not equipped with the navigational equipment capable of providing instant and continuous ground position of the aircraft with adequate stand-by arrangements, shall carry on board a Flight Navigator licensed in accordance with the First Schedule, if the total distance between any two consecutive radio navigational fixing aids located within thirty nautical miles of the route of the proposed flight and capable of being used by the aircraft is more than six hundred nautical miles :

Provided that the Director General may require a flight navigator to be carried on board an aircraft on any flight.

***(d)* Flight engineer.** — Where a flight engineer is required to be carried on board an aircraft as flight crew member under clause *(f),* he shall be a person holding the appropriate licence in accordance with the First Schedule.

***(e)* Flight radio telephone operator.** — An aircraft which is equipped or required to be equipped with radio-apparatus in accordance with the provisions of rule 59 and which communicates by radio telephony, shall carry a person holding a Flight Radio Telephone Operator's Licence or Flight Radio Telephone Operator's Licence (Restricted), as the case may be, issued in accordance with the First Schedule, to operate radio-apparatus on such aircraft.

***(f)* Minimum crew for any flight.** —The number and description of the flight crew members operating any flight of an aircraft registered in India shall be —

(i) if a certificate of airworthiness in respect of the aircraft is in force at least the number and description of persons specified as the minimum operating crew for that aircraft in the certificate of airworthiness;

(ii) if no certificate of airworthiness in respect of the aircraft is in force, but a certificate of airworthiness in respect of that aircraft has previously been in force, at least the number and description of persons specified as the minimum operating crew in the certificate of airworthiness last in force of that aircraft;

(iii) if no certificate of airworthiness in respect of the aircraft is or has been in force and the aircraft is a series aircraft conforming with a prototype (modified) aircraft in respect of which a certificate or airworthiness has been issued, at least the number and description of persons specified as the minimum operating crew in that certificate of airworthiness;

(iv) in all other cases, at least such number and description of persons sufficient to ensure the safety of the aircraft as may be approved by the Director General.

115. Carriage of cabin crew.— *(1)* No aircraft registered in India shall be operated for public transport of passengers unless the minimum number of cabin crew as provided in Table below, are on board the aircraft for the purposes of performing such duties as may be assigned in the interest of the safety of passengers, by the operator or the pilot-in-command of the aircraft, namely: —

Table

Sl.No.	seating capacity	minimum number of cabin crew
(1)	*(2)*	*(3)*
1.	for an aeroplane having a seating capacity of not less than ten and not more than fifty passengers.	one cabin crew

2.	for a helicopter having a seating capacity of not less than twenty and not more than fifty passengers.	one cabin crew
3.	for an aeroplane or a helicopter cabin having seating capacity of more than fifty passengers.	two cabin crew plus one cabin crew for each unit (or part of a unit) of fifty passengers seats above a seating capacity of ninety-nine passengers.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-rule *(1),* if any higher number is specified by the aircraft manufacturer for the type of aircraft being used, then that minimum number of crew members shall be carried on board:

Provided that in case of multi-aisles (single or multi-deck) at least one crew member for each floor level exit and for the purpose of certification, if any higher number of crew member is required to conduct emergency evacuation demonstration then that number of crew member shall be carried on board.

(3) The cabin crew shall be located ─

(a) during take-off and landing as near as possible to the floor level exits; and

(b) at any other time, at a suitable place in the aircraft, so as to provide the most effective exit of passengers in the event of emergency evacuation.

(4) An operator shall ensure that every member of cabin crew meets the requirements of age, qualification, training and medical assessment as specified by the Director General.

(5) Every member of cabin crew shall, before being detailed for duty on board the aircraft, successfully complete an approved course of training followed by periodical approved refresher course concerning evacuation procedure, location and use of emergency equipment and any other requirement as specified by the Director General.

(6) Whenever two or more cabin crew members are assigned to a flight, the operator shall nominate an experienced cabin crew member as a senior cabin crew member, who shall be responsible to the pilot-in-command for the conduct and coordination of cabin safety and emergency procedure specified in the operation manual:

Provided that the senior cabin crew member has an experience of minimum of one year' as cabin crew and has successfully undergone the training as specified by the Director General.

(7) The operator shall cause checks of proficiency in carrying out safety and emergency duties by each cabin crew after completion of training as per sub-rule *(5)* and the checks shall be conducted by the instructors approved, and having qualifications specified, by the Director General.

(8) No cabin crew shall perform duties on more than three types of aircraft.

Explanation. — For the purposes of this sub-rule, types of aircrafts shall be considered to be different types, if they are not similar in all the following aspects, namely: —

(a) emergency exit operation;

(b) location and type of safety equipment; and

(c) emergency procedures

(9) The Director General may, if he is of the opinion that it is expedient so to do, by order and for reasons to be recorded in writing, waive fully or partially, the requirement of sub-rule *(1).*

116. Flight dispatcher approval.— *(1)* No operator shall assign duties to a person as a flight dispatcher without prior approval of the Director General.

(2) An operator may make an application along with the fee as provided under rule 120 to the Director General for obtaining approval of flight dispatcher.

(3) The Director General may specify the requirements for approval of flight dispatcher.

(4) The Director General may, on being satisfied that a person has met all the requirements to act as a flight dispatcher, grant an approval of flight dispatcher to operator.

(5) The approval granted under sub-rule *(4),* unless suspended or cancelled, shall remain valid for a period not exceeding five years, and on being satisfied, the Director General may renew it for a further period not exceeding five years at a time.

C. Organisation

117. Approved training organisations.— *(1)* In this rule 'training organisation' refers to an organisation or a person engaged in one or more of the following training activities, namely:—

(a) training on aircraft not exceeding 5700 kg. all-up-weight for students to acquire flying experience and the level of competency required for obtaining a licence or rating as specified under clause *(a)* to *(n)* of sub-rule *(1)* of rule 69;
(b) training course for students to enable them to attain the level of competency required for obtaining a licence or rating as specified under clause *(o)* to *(v)* of sub-rule *(1)* of rule 69;
(c) training course for students to enable them to attain the level of competency required for obtaining an Aircraft Maintenance Engineer's Licence specified under rule 85;
(d) training course for flight crew, air traffic controller's or other aviation personnel to enable them to attain the level of competency required for obtaining a English language proficiency of operational level or testing of aviation English language proficiency specified under these rules;
(e) training course for personnel involved in design or manufacturing activities for design or manufacturing organisations under rule 66.

(2) A training organisation shall have the requisite infrastructure, adequate facilities, qualified and trained manpower including post holders, instructors or examiner as may be specified by the Director General.

(3) The training organisation shall have manual in the form and manner as specified by the Director General and such manual shall be submitted to the Director General for its approval or acceptance, as the case may be.

(4) No training organisation shall engage in one or more of the activities listed under sub-rule *(1)* unless an approval is granted by the Director General and the request for such approval shall be made to the Director General in such form and manner as specified by him along with the fee provided under rule 120.

(5) The Director General may, on being satisfied that all the requirements pertaining to the setting up of a training organisation have been complied with, grant an approval to the training organisation subject to such conditions as may be specified in the approval.

(6) Every training organisation which is engaged in the training activities mentioned in clauses *(a), (b)* or *(c)* of sub-rule *(1)* shall establish and maintain a safety management system as specified by the Director General.

(7) (a) For the approval of activities mentioned under clause *(a)* of sub-rule *(1)*, the training organisation shall, in the first instance, obtain a no objection certificate by making an application in the prescribed format to the Director General along with a fee provided under rule 120;

(b) The no objection certificate obtained under clause *(a)* shall be valid for a period of two years from the date of its issuance and may be extended by one year at a time on payment of fee provided under rule 120 subject to the satisfaction of the Director General regarding progress towards meeting the requirements of sub-rule *(2)* and *(3);*

(c) The holder of a valid no objection certificate may apply to the Director General for issuance of approval of the training organisation in the prescribed format along with fee provided under rule 120.

(8) The approval of training organisation shall, unless suspended or cancelled, remain valid for a period not exceeding five years, and on being satisfied, the Director General may renew the approval for a further period not exceeding five years at a time.

(9) A training organisation or a person may approach to the Director General at any time for extension of the scope of his work along with fee provided under rule 120 and the Director General, on being satisfied that the specified requirements have been complied with, may grant approval for extension of scope as requested, or to a specific level, as he deems fit, and the approval of the extension of scope, if any, granted under this sub-rule, shall be valid only up to the date of validity of the original approval.

(10) The training records of the organisation shall be maintained in a manner specified by the Director General and shall be produced on demand to the Director General or any other officer authorised by him in this behalf.

(11) An approved training organisation shall revise its manuals from time to time whenever necessary as a result of changes in organisation, changes in its scope and changes in practices and procedures, and any revision of manual shall be subject to the prior approval or acceptance, of the Director General.

(12) Without prejudice to the provisions of any rule, the Director General may, after giving an opportunity of being heard to the training organisation or a person, cancel, suspend or restrict any approval or issue a warning or an admonition to the organisation or the person, where he is satisfied that, ─

(a) any of the conditions of the approval or the requirements specified by the Director General are not being complied with;
(b) the training organisation or the person has performed work or granted a certificate in respect of work which has not been performed in a careful or competent manner, or has performed work beyond the scope of it or his approval, or failed to make proper entries and certification thereof, or for any other reason considered by the Director General as sufficient to cancel, suspend or restrict an approval granted under this rule, or to issue a warning or an admonition;
(c) the holder of the approval has failed to maintain safe, efficient and reliable training organisation; or
(d) the approval of the training was obtained by suppressing any material fact or furnishing wrong information.

(13) Notwithstanding anything contained in sub-rule *(12),* if the Central Government is of the opinion that in the interest of public safety it is necessary to do so, it may, for reasons to be recorded in writing, summarily suspend the approval of a training organisation with a view to make further enquiry.

(14) The organisation shall not impart training activities mentioned under sub-rule *(1)*, unless it is included in the scope of its activities, and has been duly approved by the Director General.

118. Acceptance of foreign approved training organisation.— *(1)* Notwithstanding anything contained in rule 117, the Director General may accept a foreign approved training organisation, for the purpose of training in accordance with the requirements specified by the Director General in this behalf.

(2) The acceptance granted under sub-rule *(1),* unless suspended or cancelled, shall remain valid for a period not exceeding two years, and on being satisfied, the Director General may renew it for a further period not exceeding two years at a time.

(3) Without prejudice to the provisions of these rules, the Director General may, after making such enquiry as he may deem fit, and after giving an opportunity of being heard to the organisation referred to in sub-rule *(1),* cancel, suspend or restrict any acceptance or issue a warning or an admonition to the said organisation, where he is satisfied that, —

(a) the requirements specified by the Director General are not being complied with; or

(b) the organisation has not performed work or granted a certificate in respect of work which has not been performed in a careful or competent manner, or has performed work beyond the scope of its acceptance, or failed to make proper entries and certification thereof, or for any other reason considered by the Director General as sufficient to cancel, suspend or restrict an acceptance granted under this rule, or to issue a warning or an admonition.

119. Flight simulation training device qualification certificate.— *(1)* An organisation may make an application along with the fee as provided under rule 120,

to the Director General for a qualification certificate of flight simulation training device or for the validation of a qualification certificate issued by the civil aviation authority of a contracting State in respect of a flight simulation training device.

Explanation. — For the purpose of this sub-rule *(1),* the organisation means:

(a) an operator;
(b) a training organisation approved under these rules; or
(c) a training organisation approved by civil aviation authority of a contracting State for operating and maintaining flight simulation training device.

(2) The Director General may specify the requirements for qualification certificate or validation of flight simulation training device and the type of trainings which can be imparted on such devices.

(3) The Director General may on being satisfied that it met all the requirements, issue a qualification certificate or validate the qualification certificate of flight simulation training device issued elsewhere, as the case may be.

(4) No airline operator shall use such qualified or validated flight simulation training device for the training of their personnel without obtaining written permission from the Director General, in the form and manner as specified by him.

(5) If the Director General is satisfied that there is sufficient ground for doing so, after giving him an opportunity of being heard and reasons to be recorded in writing, may suspend or cancel such certificate or validation, as the case may be.

(6) The qualification certificate or validation granted under sub-rule *(3),* unless suspended or cancelled, shall remain valid for a period not exceeding two years, and on being satisfied, the Director General may renew it for a further period not exceeding two years at a time.

D. Fee

120. Fee.— *(1)* The following fee shall be payable for the issue, renewal and validation of licences and ratings mentioned under clause *(a)* to *(n)* of sub-rule *(1)* of rule 69 or the issue of duplicate licences and for the tests and examinations for such licences and ratings, namely: —

Table

Sl. No.	Description	Fee
(1)	*(2)*	*(3)*
1.	for tests and examinations for licences and ratings	Rs. 500 per paper;
2.	for issue or validation of a licence or rating for Student Pilot's Licence and Glider Pilot's Licence	Rs. 1,000;
3.	for renewal of a licence or rating for Student Pilot's Licence and Glider Pilot's Licence	Rs. 500;
4.	for issue or validation of a licence or rating other than Student Pilot's Licence and Glider Pilot's Licence	Rs. 5,000;
5.	for renewal of a licence or rating other than Student Pilot's Licence and Glider Pilot's Licence	Rs. 2,500;
6.	for issue of duplicate Student Pilot's Licence and Glider Pilot's Licence	Rs. 250;
7.	for issue of duplicate licence or rating other than Student Pilot's Licence and Glider Pilot's Licence	Rs. 500;
8.	for issue of duplicate result sheet of examination	Rs.500;
9.	where the examination is conducted online	Rs. 2,500 per paper;
10.	where the examination is conducted online on demand	Rs. 5,000 per paper.

(2) For all flying tests, the candidate or operator, as the case may be, shall be required to provide the aircraft or flight simulator and bear all charges in this respect, and if a Government examiner is carried on board during the flying test or standardisation check, the following fee shall be payable to the Central Government, namely:-

Table

Sl. No.	Description	Fee
(1)	(2)	(3)
1.	for a single-engine aircraft	Rs 5,000;
2.	for a multi-engine aircraft with maximum permissible take-off weight below 5,700 kg.	Rs.10,000;
3.	for a multi-engine aircraft with maximum permissible take-off weight of 5,700 kg. and above upto 50,000 kg.	Rs.50,000;
4.	for a multi-engine aircraft with maximum permissible take-off weight above 50,000 kg.	Rs.1, 00,000.

(3) For approval or renewal of check pilots, type rating instructor, synthetic flight instructor, synthetic flight examiner, designated examiners, flight engineer examiner or examiners, the following fee shall be payable, namely: —

Table

Sl. No.	Description	Fee
(1)	(2)	(3)
1.	approval of check pilots, type rating instructor, synthetic flight instructor, Synthetic flight examiner, designated examiners, examiners, flight engineer examiner or check flight engineers	Rs. 10,000;
2.	renewal of check pilots, type rating instructor, synthetic flight instructor, Synthetic flight examiner, designated examiners, examiners, flight engineer examiner or check flight engineers	Rs. 5,000.

(4) When in any case the licence or rating is not issued, validated, renewed or revalidated or a duplicate licence or rating is not issued, the Central Government may order the refund to the applicant of a proportionate part of the sum paid as fees.

(5) (a) Issuance, renewal or endorsement in the scope of a licence, authorisation, approval or certificate of competency in respect of aircraft maintenance engineers or authorised persons or approved persons or certificate of competency holders under rule 85:

Table

Sl. No.	Description	Fee
(1)	(2)	(3)
1.	*(A)* for normal examination	Rs 500 per paper;
	(B) for online examination	Rs 1,500 per paper;
	(C) for online examination on demand examination	Rs. 3,000 per paper;
2.	for issue or validation of licence or rating, authorisation, approval or certificate of competency	Rs.5,000;
3.	for renewal of licence, rating, authorisation, approval or certificate of competency	Rs.2,500;
4.	for issue of duplicate licence, Rating, authorisation, approval or certificate of competency	Rs. 500;
5.	for any amendment in licence	Rs. 500.

(b) An additional amount of two lakh fifty thousand rupees or travel expenses including local conveyance, hotel charges and dearness allowance per person, whichever is

higher, shall be payable, if the inspection, examination or test specified in sub-rule *(1)* is required to be carried out at any place outside India.

(c) Where for any reason, the licence or authorisation or certificate, is not issued, renewed or validated, as the case may be, the Director General may refund to the applicant such portion of the fees paid as represents the cost of any examination or test or inspection not carried out or any licence, authorisation or a certificate not issued or renewed or validated, as the case may be.

(6) (a) A candidate who applies for the licence mentioned under clauses *(o)* and *(p)* of sub-rule *(1)* of rule 69, its renewal, or endorsement of a rating mentioned under clause *(q)* to *(v)* of sub-rule *(1)* of rule 69, shall pay the following fees, namely: —

Table

Sl. No.	Description	Fee
(1)	(2)	(3)
1.	for issue of a Student Air Traffic Controller's Licence:	Rs. 1,000;
2.	for renewal of a Student Air Traffic Controller's Licence:	Rs. 500;
3.	for issue of an Air Traffic Controller's Licence :	Rs. 20,000;
4.	for renewal of an Air Traffic Controller's Licence:	Rs. 10,000;
5.	for endorsement of rating including concurrent rating on Air Traffic Controller's Licence:	Rs. 1,000.

Explanation.— The fee specified against serial numbers 3 and 4 of the Table includes the fee for endorsement of any rating on the licence at the time of issue or renewal of licence.

(b) The applicant shall be required to bear all charges in respect of the assessment, if any, and if a Government examiner is associated during the assessment, a fee of ten thousand rupees shall be payable for each assessment.

(7) (a) The following fee shall be payable for the Radio Telephone Operator (Restricted) Certificate and Licence examination, namely: —

Table

SI No.	Description	Fee
(1)	(2)	(3)
1.	written examination	Rs. 2,000 per examination;
2.	practical examination	Rs. 500 per examination.

(b) The fee for issuance of Radio Telephone Operator (Restricted) Certificate and Licence shall be rupees five thousand.

(c) The fee for issuance of duplicate certificate and licence shall be rupees five hundred.

(8) Fee for approval as flight dispatcher shall be rupees five thousand only and fee for renewal of flight dispatcher approval shall be rupees two thousand five hundred only.

(9) The following fee shall be payable for —

(a) obtaining no objection certificate under clause *(a)* of sub-rule *(7)* of rule 117: fifty thousand rupees.

(b) extension of no objection certificate under clause *(b)* of sub-rule *(7)* of rule 117: twenty-five thousand rupees.

(c) approval under rule 117 in respect of a training organisation engaged in the activities mentioned under clause *(a)* of sub-rule *(1)* of rule 117: two lakh rupees.

(d) renew of approval under rule 117 in respect of a training organisation engaged in the activities mentioned under clause *(a)* of sub-rule *(1)* of rule 117: one lakh rupees.

(10) Following fee shall be payable for approval, renewal or extension of scope under rule 117, in respect of a training organisation engaged in the activities mentioned under clause *(b)* of sub-rule *(1)* of rule 117:

(a) approval: four lakh rupees.

(b) renewal or extension of scope of approval on each occasion: two lakh rupees.

(11) (a) The following fee shall be payable for approval under rule 117, in respect of training organisation engaged in the activities mentioned in clauses *(c), (d)* and *(e)* of sub-rule *(1)* of rule 117, having—

Table

Sl No.	Description	Fee
(1)	(2)	(3)
1.	fifty employees	Rs.2,00,000;
2.	more than fifty and upto two hundred	Rs.4,00,000;
3.	more than two hundred employees	Rs. 8, 00,000.

(b) The fee for renewal or extension of scope of approval under rule 117 in respect of training organisations engaged in the activities mentioned in clauses *(c), (d)* and *(e)* of sub-rule *(1)* of rule 117 or acceptance of approval or extension of acceptance under rule 118 shall be fifty per cent. of the fee payable under clause *(a)* of sub-rule *(11).*

(c) An additional amount of two lakh fifty thousand rupees or travel expenses including local conveyance, hotel charges and dearness allowance per person, whichever is higher, shall be payable, if the inspection, audit or surveillance for the grant or renewal or extension of approval is required to be carried out at any place outside India.

(d) An additional amount of two lakh fifty thousand rupees or travel expenses including local conveyance, hotel charges and dearness allowance per person, whichever is higher, shall be payable, if the inspection, audit or surveillance in respect of

acceptance of approval or renewal of acceptance or extension of acceptance under rule 118 is required to be carried out at any place outside India.

(e) No fee shall be charged from an organisation or person under this sub-rule for storage, distribution and supply of aircraft fuel, lubricants and similar other products intended to be used for its own aircraft.

(12) (a) Following fee shall be payable for—

Table

Sl No.	Description	Fee
(1)	(2)	(3)
1.	qualification certificate or validation of flight simulation training device for aircraft type having maximum permissible take-off weight more than 5700 kg.	two lakh rupees;
2.	renewal of such certificate or validation	one lakh rupees.

(*b)* Following fee shall be payable for—

Table

Sl No.	Description	Fee
(1)	(2)	(3)
1.	qualification certificate or validation of flight simulator training device for aircraft type having maximum permissible take-off weight up to 5700 kg.	one lakh rupees;
2.	renewal of such certificate or validation	fifty thousand rupees.

(c) An additional amount of two lakh fifty thousand rupees or cost of travel including per diem, whichever is higher, shall be payable, if the inspection, audit or surveillance

in respect of issue or renewal of validation of qualification certificate of a flight simulator training device is required to be carried out at any place outside of India.

(13) The fee shall be paid electronically in the manner specified by the Director General.

CHAPTER V

AERODROME

121. Aeronautical beacon and aeronautical ground lights.— *(1)* No aeronautical beacon or aeronautical ground light shall be established or maintained within India nor shall the character of the light exhibited therefrom be altered except with the approval in writing of the Central Government and subject to such conditions as may be specified therein.

(2) No person shall willfully or negligently endanger or interfere with any aeronautical beacon or aeronautical ground light established or maintained by or with the approval of the Central Government or any light exhibited therefrom.

122. False lights.— *(1)* Whenever any light other than laser light is exhibited in the vicinity of an aerodrome within a radius of five nautical miles, so as to be liable to be mistaken for an aeronautical ground lights or an aeronautical beacon and which may—

(a) endanger the safety of an aircraft; or

(b) cause confusion by reason of its intensity, configuration or colour in the clear interpretation of visual aids for navigation denoting obstacles or restricted use areas; or

(c) disrupt safe operation of the aircraft or may pose hazard to the operating crew.

*(2)*The person authorised by aerodrome operator of such aerodrome may issue directions in writing to the owner or person in possession of the place where the light is exhibited or to the person having charge of the light, for taking effectual means for

extinguishing or for effectually screening or otherwise modifying the light with immediate effect and for preventing in future the exhibition of any similar light.

(3) If any owner or person to whom a written direction under this rule is issued, neglects for a period of twenty-four hours to extinguish or effectually to screen the light mentioned in the directions, the person who issued such directions under sub-rule *(2)* shall report the matter to civil or police authority having jurisdiction for initiating the action of commission of offence as provided under section 283 or 285 or both of the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 (45 of 2023) and Directorate General of Civil Aviation along with assessment report including mitigation measures adopted to reduce the hazard to aircraft safety.

(4) In case the source of the light observed by the operating crew of any aircraft is not located or the use of such light is not from a determined place or the source of emission of light is shifting from one place to another then the operator of the concerned aerodrome shall immediately report the matter to the civil or police authority having jurisdiction for initiating action for commission of offence as provided under section 283 or 285 or both of the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 (45 of 2023) .

123. Laser Lights.— *(1)* No person shall use a laser beam or laser light within ten nautical miles from the aerodrome reference point, for any purpose including but not limited to advertisement, entertainment and for visual display without specific written permission from the operator of such aerodrome.

(2) The operator of such aerodrome shall ensure that the use of laser light does not affect the safety of flight operations in any way prior to according such approval.

124. Licensing of aerodromes.— *(1)* No aerodrome other than a defence aerodrome or an aerodrome intended for operations with aircraft having a seating capacity not exceeding nineteen passengers shall be used as a regular place of landing and departure by a scheduled air transport service or for a series of landings and departures by any aircraft carrying passengers or cargo for hire or reward unless, —

(a) it has been licensed for the purpose, and save in accordance with the conditions specified in such licence; or

(b) it has been approved by the Director General, subject to such conditions as he may deem fit to impose, for the purpose of operation of flights in the event of national or international crisis, natural calamities, emergencies or otherwise requiring such flights to carry material goods for relief purposes, or for giving joyrides for hire or reward or for any other purpose as necessary; or

(c) in the case of an aerodrome intended for operations with aircraft having a seating capacity not exceeding nineteen passengers, it has been authorised by the Director General:

Provided that any person already permitted and operating scheduled air transport services to an aerodrome before the 02nd November, 2004, may continue operation of such services till the aerodrome operator obtains the licence from the Director General by the date to be notified by the Central Government.

(2) A defence aerodrome shall not be used as a regular place of landing and departure by a scheduled air transport service, unless it has been certified as per the requirements specified by the Director General:

Provided that nothing contained in this sub-rule shall apply to a defence aerodrome, for such a period as may be notified by the Central Government in the Official Gazette.

(3) An aerodrome shall be licensed by the Central Government in one of the following categories, namely: ─

(a) for public use;

(b) for private use, which means to use by the licencee and by individuals specifically authorised by the licencee.

(4) An aerodrome may be licensed for all types of aircraft or for certain specified types or classes of aircraft and the licence may specify the conditions on which the aerodrome may be used.

(5) No person shall operate or cause to be operated any flight from a temporary aerodrome or an aerodrome which has not been licensed or approved or authorised, as the case may be**,** under these rules, unless it meets the minimum safety requirements specified by the Director General.

125. Qualifications of licencee.– A licence for an aerodrome shall not be granted to any person other than –

(a) a citizen of India; or

(b) a company or a body corporate registered in India which is having its principal place of business in India and it meets the equity holding criteria specified by the Central Government; or

(c) the Central Government or a State Government or any company or any corporation owned or controlled by either Central Government or State Government; or

(d) a society registered under the Societies Registration Act, 1860 (21 of 1860); or

(e) a trust registered under the Indian Trust Act, 1882 (2 of 1882) or under any State legislation.

126. Procedure for grant of licence.— *(1)* An application for the grant of licence for an aerodrome shall be made to the Director General along with the aerodrome manual.

(2) The application under sub-rule *(1)* shall be in such form and contain such particulars as may be specified by the Director General along with the fee provided under rule 133.

(3) The Director General may, for disposal of the application, require the applicant to furnish any additional information which he considers necessary.

(4) The Director General may also require the applicant to produce evidence in support of any information furnished in the application.

127. Aerodrome manual.— *(1)* An aerodrome manual, in the form as specified by the Director General, shall be maintained by the licencee in respect of aerodrome, licensed under these rules.

(2) A copy of the aerodrome manual or such part of the manual as may be specified by the Director General, shall be made available by the licencee to all units of the aerodrome.

128. Inspection.— *(1)* Any person, authorised by the Director General by general or special order in writing in this behalf, shall have unrestricted and unlimited access to inspect and carry out tests on the aerodrome facilities, services and equipment, inspect aerodrome operator's documents and records, and verify the aerodrome operator's safety management system before the aerodrome licence is granted or renewed and subsequently, at any other time, for the purpose of surveillance to ensure safety and order at the aerodrome.

(2) The aerodrome operator shall allow the person so authorised, access to any part of the aerodrome or any aerodrome facility, including equipment, records, documents and operator's personnel and shall co-operate during the inspection as referred to in sub-rule *(1).*

129. Conditions governing the grant of licence.— *(1)* An aerodrome licence shall be granted or renewed subject to such conditions as the Director General considers necessary to ensure compliance with the Convention and the safety of aircraft operations.

(2) While an aerodrome licence is in force, no alterations to the landing area or to the buildings or other structures on the aerodrome which may affect the safety of aircraft shall be undertaken, save with the previous approval of the Director General ,and application for such approval shall be addressed to the Director General and shall be accompanied by full particulars with plans of any such alterations including alterations to surrounding obstructions which may affect the safety of aircraft.

(3) The necessary approval may be granted or withheld and if granted, may be granted subject to such conditions including conditions involving a revision of the original conditions of licence as the Director General may think fit.

(4) If any alteration of the nature referred to in sub-rule *(2)* is undertaken without the previous approval under said sub-rule, the Director General may suspend or impose the restriction on the aerodrome licence**.**

(5) The licencee shall maintain the aerodrome in a fit state for use by aircraft and adequately marked to the satisfaction of the Director General during the whole period of the validity of the licence and shall, if the aerodrome becomes unserviceable, immediately inform the Director General.

(6) The Director General may impose operating restriction on the licence, in the event of non-compliance with any condition imposed under sub-rule *(1)* or if any safety concern emerges during the aerodrome inspection and remains unresolved beyond the period specified by the Director General.

130. Period of validity of licence.— An aerodrome licence may be granted for any period not exceeding five years, and on each occasion of renewal, may be renewed for any period not exceeding five years.

131. Public aerodromes.— *(1)* Every aerodrome which is licensed for public use or which is open to public use, by aircraft registered in India upon payment of charges shall to the same extent and upon the same conditions, be open to use by aircraft possessing the nationality of any other contracting State.

(2) Every such aerodrome shall be open to use by any aircraft in the service of the Central Government.

132. Tariff charges.— *(1)* At every aerodrome referred to in rule 131, there shall be exhibited in a conspicuous place applicable tariff charges, including charges for landing and length of stay, and such tariff shall be applicable alike to all aircraft whether registered in India or in any other contracting State.

(2) In the case of aerodromes belonging to the Authority, the charges mentioned in sub-rule *(1)* shall be levied by the Authority in accordance with the provisions of the Airports Authority of India Act, 1994 (55 of 1994).

(3) In the case of licensed public aerodromes other than the aerodromes belonging to the Authority, the charges mentioned in sub-rule *(1)* shall be determined by the licencee in accordance with the principle of cost recovery as specified by the International Civil Aviation Organisation and such charges shall be notified by the licencee with the approval of the Central Government or any authority constituted in this behalf by such Government.

(4) Notwithstanding anything contained in sub-rules *(2)* and *(3),* in the case of a major airport, the tariff of charges referred to in sub-rule *(1)* shall be such as may be determined under clause *(a)* of sub-section *(1)* of section 13 of the Airports Economic Regulatory Authority of India Act, 2008 (27 of 2008).

Explanation.– For the purpose of this rule, "Authority" means the Airports Authority of India constituted under section 3 of the Airports Authority of India Act, 1994 (55 of 1994).

133. Fee.— *(1)* The fee chargeable for the grant of a licence or authorisation for an aerodrome shall be as per the Table below, namely : —

Table

Sl No.	Description	Fee
(1)	(2)	(3)
1.	when the licence is granted for private use	Rs.1, 00,000;
2.	when the licence is granted for public use	Rs.5, 00,000 upto runway length of 5,000 feet plus Rs 2, 00,000 for every 1,000 feet or part thereof;
3.	when the authorisation is granted for public or private use	Rs.1, 00,000.

(2) The fee chargeable for renewal of licence or authorisation of an aerodrome shall be fifty per cent. of the fee chargeable for the grant of licence or authorisation.

(3) The fee shall be paid electronically in the manner as specified by the Director General.

134. Passenger service fee.— *(1)* The airport licencee may collect fees to be called the passenger service fee from the passengers at such rate as the Central Government may specify.

(2) The airport licencee shall utilise the fees so collected for the infrastructure and facilitation of the passengers:

Provided that the rate of fees in respect of major airports shall be as determined under clause *(c)* of sub-section *(1)* of section 13 of the Airports Economic Regulatory Authority of India Act, 2008 (27 of 2008).

135. User development fee.— The licencee may, —

(i) levy and collect at a major airport the user development fee at such rate as may be determined under clause *(c)* of sub-section *(1)* of section 13 of the Airports Economic Regulatory Authority of India Act, 2008 (27 of 2008);

(ii) levy and collect at any other airport the user development fees at such rate as the Central Government may specify.

136. Entry into public aerodromes.— *(1)* No person shall enter or be in the terminal building of any Government aerodrome or public aerodrome or part of such building or any other area in such aerodrome notified in this behalf by the Central Government unless he holds an admission ticket issued by the aerodrome operator or an entry pass issued by the Director General of Bureau of Civil Aviation Security or any person authorised by the Central Government in this behalf.

(2) No person, without permission in writing, by general or special order, of the Central Government or any officer authorised by that Government in this behalf, shall –

(a) enter or remain or cause any other person to enter or remain in the movement area;
(b) leave or throw or cause to be thrown any animal, bird or property or object of any nature whatsoever in the movement area;
(c) permit any animal under his possession or control or otherwise to stray in the movement area; and
(d) operate any vehicle in the movement area.

(3) Sub-rules *(1)* and *(2)* shall not apply to–

(a) any passenger embarking, disembarking or in transit who holds an air ticket; or
(b) any person who is engaged on regular duty at an aerodrome and holds a photo identity card issued by the Director General of Bureau of Civil Aviation Security or any person authorised by the Central Government in this behalf.

(4) Notwithstanding anything contained in this rule, the officer in-charge of an aerodrome or any person authorised by the Central Government in this behalf, as the case may be, may, if he is satisfied that it is necessary or expedient so to do for the maintenance of proper order or decorum –

(i) refuse admission to any person into the terminal building or the movement area;or

(ii) require any person in such building or such area to leave the same.

137. Prohibition of slaughtering and flaying of animals, depositing of rubbish, etc.— *(1)* No person shall slaughter or flay any animal or deposit or drop any rubbish, filth, garbage or any other polluted or obnoxious matter including such material from hotels, meat shops, fish shops and bone-processing mills or develop any facility which attracts or is likely to attract wildlife activities within a radius of ten kilometers from the aerodrome reference point:

Provided that the local authority having jurisdiction around such aerodrome may, if satisfied that proper and adequate arrangements have been made by the owners of hotels, meat shops, fish shops, bone-processing mills or any other facility, so as to prevent attraction of wildlife, vultures or other birds and animals, having regard to the vicinity of the place of slaughter from the aerodrome and arrangements for disposal or deposit of carcass, rubbish and other polluted and obnoxious matter, grant permission in writing for such purpose after receipt of a verification report from the aerodrome operator.

(2) In case of contravention of sub-rule *(1),* the local authority having jurisdiction around such aerodrome shall take action against the owner or person in possession of the place where such activity is taking place in the same manner as is followed in case of unauthorised activities in their jurisdiction.

138. Ground handling services.— *(1)* An aerodrome operator shall, while providing ground handling service by itself, ensure a competitive environment by allowing the airline operator at the airport to engage, without any restriction, with any ground handling service provider, who are permitted by the Central Government to provide such services:

Provided that such ground-handling service provider shall be subject to the security clearance of the Central Government.

(2) No ground handling service provider shall provide ground handling services at an aerodrome used as a regular place of landing and departure by a scheduled air transport undertaking, unless it meets the requirements as specified by the Director General and has been approved by him.

139. Provision of air traffic services at an aerodrome.— The Director General may direct an aerodrome operator to make provision for air traffic services, aerodrome flight information service or a means of two-way radio communication or any other service, as deemed fit in the interest of safety of aircraft operations.

CHAPTER VI

AIR NAVIGATION SERVICES

A. Air Traffic Management

140. Fatigue management of air traffic controllers.— *(1)* The Director General may specify watch duty time limitations and minimum rest requirements for air traffic controllers.

(2) No air traffic controller shall contravene the watch duty time limitations and rest requirements specified by the Director General under sub-rule *(1).*

(3) The air navigation service provider shall establish a scheme of watch duty time limitations and minimum rest requirements for its Air Traffic Controllers as specified by the Director General under sub-rule *(1).*

141. Provisioning of air traffic services.—The air traffic service provider shall ensure that it is able to provide its services in a safe, efficient, continuous and sustainable manner, consistent with any foreseen level of overall demand for a given airspace.

142. Classification of airspace.— The air traffic service provider shall classify the airspace and publish such classification and may amend any classification, in accordance with procedures developed and published by the air navigation service provider for making such amendments.

143. Co-ordination procedures.— The air traffic service provider shall establish and maintain co-ordination procedures with military authorities responsible for activities that may affect flights of civil aircraft.

144. Airspace management.— The air traffic services provider shall establish procedures for flexible use of airspace reserved for military or other special activities.

145. Air traffic flow management.— The air navigation service provider shall implement air traffic flow management for airspace, at times where air traffic demand

exceeds, or is expected to exceed the declared capacity of the air traffic control services concerned.

146. Time in air traffic services.— *(1)* Air traffic service units shall be equipped with clocks indicating the time in hours, minutes and seconds.

(2) Clocks and other time recording devices shall be checked periodically to ensure correctness of time to within plus or minus thirty seconds of coordinated universal time.

(3) Wherever data link communications are utilised by an air traffic services unit, clocks and other time-recording devices shall be checked periodically to ensure correctness of time within one second of co-ordinated universal time.

(4) The correct time shall be obtained from a standard time station, or if not possible, from another unit which has obtained time from such station.

147. Contingency plans.— The air traffic service provider shall have in place contingency plans for all the events that may result in significant degradation or interruption of its services.

B. Communications, Navigation and Surveillance

148. Aeronautical station operator.— Every aeronautical station operator forming a part of flight information service shall operate in accordance with the requirements as specified by the Director General.

149. Certification of communication, navigation and surveillance equipment or air traffic management facilities.— *(1)* No person shall permit or cause to be permitted any communication, navigation and surveillance of air traffic management equipment facility in an international aerodrome, to be established or used unless it has been certified by the Director General:

Provided that the Director General may approve a facility for temporary use subject to such conditions as he may deem fit to impose, for the purposes of operation of air traffic services or aircraft operation or navigation in the event of national crisis, natural calamities, emergencies or otherwise requiring operation of such facilities:

Provided further that any person already permitted and operating communication, navigation, surveillance or air traffic management facility at an aeronautical telecommunication station before the commencement of these rules may continue operation of such services till he obtains the certificate from the Director General by the date to be notified by the Central Government.

(2) This rule shall not apply in respect of any communication, navigation, surveillance or air traffic management facility, whose establishment and operation—

(a) is under the control of military authorities and is primarily for the military use;

(b) is for testing purposes, and not used for supporting air traffic services or not used for aircraft operation or navigation.

(3) Nothing in this rule shall exempt any person from the provisions of the Telecommunications Act, 2023 (44 of 2023) and the rules made thereunder for establishment and operation of communication, navigation, surveillance or air traffic management facility, for air traffic services and aircraft operation at an aeronautical telecommunication station.

150. Eligibility for grant of certificate.— A certificate for communication, navigation, surveillance or air traffic management facilities to be established or used at an aeronautical telecommunication station in support of air traffic services or aircraft operation may be granted-

(a) to a company or a body corporate set up for the purpose of providing communication, navigation, surveillance or air traffic management facility by the Central Government or to an air navigation service provider approved for the purpose by the Director General;

(b) to an aerodrome licence holder for establishing a navigational facility primarily for use as landing aid to support instrument let down procedure.

151. Procedure for grant of certificate.— *(1)* An application for the certification for communication, navigation, surveillance or air traffic management facility to be established or used at an aeronautical telecommunication station in support of air

traffic service or aircraft operation or navigation shall be made to the Director General along with the communication, navigation and surveillance manual.

(2) The application under sub-rule *(1)* shall be in such form and contain such particulars as may be specified by the Director General.

(3) The Director General may, for disposal of the application, require the applicant to furnish any additional information which he considers necessary.

(4) The Director General shall certify a communication, navigation, surveillance or air traffic management facility, subject to any conditions as may be considered necessary.

152. Communication, navigation, surveillance or air traffic management facility manual.— *(1)* Every holder of certificate shall have a communication, navigation and surveillance manual in the form as specified by the Director General containing the information provided in paragraph 2 of the Third Schedule and approved copy of the manual shall be maintained by the holder of certificate in respect of all communication, navigation, surveillance or air traffic management facilities, certified under these rules.

(2) A copy of the manual or such part of the manual as may be specified by the Director General shall be made available by the holder of certificate to all units.

153. Period of validity of certificate.— The Director General may grant the certification of communication, navigation, surveillance or air traffic management facility at an aeronautical telecommunication station in an international aerodrome, for a period not exceeding five years, and on each occasion may be renewed for any period not exceeding two years.

154. Fee.— *(1)* No certificate of communication, navigation, surveillance or air traffic management facility at an aeronautical telecommunication station shall be granted unless there shall be paid the fees specified in the following Table, namely: —

Table

Sl No.		communication facility	fee (in rupees)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
(A)	*(i)*	standalone very high frequency transmitter or receiver, digital automatic terminal information system, high frequency transmitter or receiver, data links (including standby frequency) in operation.	Rs. 50,000 Rs. 50,000, upto five frequencies and 20,000 for each frequency;
	(ii)	automatic message switching system air traffic services message handling system	Rs. 50,000;
	(iii)	master clock system	Rs. 15,000;
	(iv)	stations equipped with voice controlled communication system with very high frequency transmitter or receiver, high frequency transmitter or receiver, inter unit communication and other accessories for capacity . (a) up to 50 controller work stations (b) for each additional work stations above 50	 Rs. 50,000 Rs. 5,000;
(B)		navigation systems	
	(i)	non-directional beacon or locator, marker	Rs. 50,000;
	(ii)	distance measuring equipment	Rs. 50,000;
	(iii)	very high frequency omni-range or doppler very high frequency omni - range	Rs. 1,00,000;
	(iv)	instrument landing system or distance measuring equipment	Rs. 2,00,000;

	(v)	co-located very high frequency omni-range or doppler very high frequency omni-range and distance measuring equipment	Rs. 1,25,000;
(C)		surveillance facility	
	(i)	airport surveillance radar	Rs. 2,00,000;
	(ii)	air route surveillance radar	Rs. 2,00,000;
	(iii)	monopulse surveillance secondary radar	Rs. 2,00,000;
	(iv)	surface movement radar without multi-lateration	Rs. 2,00,000;
	(v)	automatic dependent surveillance-broadcast or contact	Rs. 2,00,000;
(D)		air traffic management facility	
	(i)	air traffic management automation system with facilities like radar data processing system, flight data processing system, automatic self briefing system	Rs. 10,00,000;
	(ii)	advanced surface movement guidance control system (surveillance and multi-lateration components)	Rs. 3,00,000;
	(iii)	ground based augmentation system	Rs. 3,00,000;
	(iv)	satellite based augmentation system	Rs. 5, 00,000.

(2) The fee for renewal of certification of communication, navigation, surveillance or air traffic management facility at an aeronautical telecommunication station shall be fifty per cent. of the fee payable under sub-rule *(1).*

(3) The fee shall be paid electronically in the manner as specified by the Director General.

155. Conditions governing the grant of certificate.— *(1)* Certification of communication, navigation, surveillance or air traffic management facility at an aeronautical telecommunication station shall be granted or renewed subject to such conditions as the Director General considers necessary to ensure compliance with the Convention and the safety of air traffic services or aircraft operation or navigation.

(2) While certification is in force, except required for the purpose of maintenance, no change in the system of equipment or configuration, shall be undertaken save with the previous approval of the Director General and application for such approval shall be addressed to the Director General which shall be accompanied with full particulars of such change.

(3) The necessary approval may be granted or withheld, and if granted, may be subject to such conditions as the Director General may consider necessary.

(4) The holder of the certificate shall maintain communication, navigation, surveillance or air traffic management facility at an aeronautical telecommunication station in a serviceable state as per the provision of certificate for use by air traffic services or aircraft operation or navigation.

156. Notification on availability of facility.—The person in charge of communication, navigation, surveillance or air traffic management facilities at an aeronautical telecommunication station shall notify the type and availability of facility or any service which is available for use by air traffic services or aircraft operation and navigation, in the manner specified by the Director General.

157. Information on the operational status of navigational aids.— While a radio navigation aid is in operation, information on its operational status shall be made available by the holder of the certificate to the concerned air traffic services unit giving the following details, namely: —

(i) services for the aerodrome where the radio navigation aid is located; and

(ii) en-route services using that radio navigation aid.

158. Automatic recording of voice communications, signal and data.— *(1)* The holder of certificate of any communication, navigation, surveillance or air traffic management facility at an aeronautical telecommunication station and any associated facility required thereto, shall make provision for recording and replaying the messages, voice communication, signals and data transmitted or received through equipment and maintain such records for such period and in such manner as may be specified by the Director General.

(2) If any recording facility provided in compliance with sub-rule *(1)* ceases to be capable of recording the matters required by that sub-rule, it shall be ensured that, as far as practicable, a record of the following is kept in writing, namely: —

(a) a summary of voice communications exchanged between the aeronautical Telecommunication Station and aircraft by air traffic control unit; and

(b) voice communication, message exchanged with other aeronautical telecommunication station.

(3) If any recording facility provided in accordance with sub-rule *(1)* becomes unserviceable, the person-in-charge of communication, navigation, surveillance or air traffic management facility at an aeronautical telecommunication station shall ensure that the apparatus is rendered serviceable again as soon as possible within reasonably practicable time.

(4) The person-in-charge of communication, navigation and surveillance of air traffic management facility at an aeronautical telecommunication station shall preserve every record for a period of thirty days from the date on which the terms or content of the message, data or signal were recorded for the purpose of investigation or for such longer period as may be specified by the Director General.

(5) The person-in-charge of communication, navigation, surveillance or air traffic management facility at an aeronautical telecommunication station shall produce such record to investigating official or to any other person authorised by Director General.

159. Aeronautical telecommunication equipment calibration and check.— *(1)* The holder of certificate shall establish a procedure for calibration of the equipment in accordance with the specifications laid down by the Director General.

(2) The holder of certificate shall check and accurately record the operating condition of any aeronautical telecommunication equipment that may have been used by an aircraft involved in an accident or serious incident and make such record available for the investigation purpose.

(3) The air calibration of navigation facilities shall be carried out by an entity approved by the Director General.

160. Protection of critical and sensitive areas.— Any critical and sensitive area around an aeronautical facility required to be protected for the operational efficiency of the equipment, shall be —

(a) clearly identified on the site drawings for the aeronautical facility;

(b) physically protected by suitable signposts at the site; and

(c) protected by aerodrome operator or holder of certificate, as appropriate, through barriers or otherwise to ensure that site restrictions are not infringed in any form.

161. Suspension, cancellation or withdrawal of a certificate.— *(1)* The Director General may, after giving an opportunity of being heard to the holder of a certificate, restrict, suspend or cancel the certificate, if there are reasonable grounds to believe that-

(a) there has been a breach of any condition to which the certificate is subject; or

(b) the facilities, operations or maintenance are not of the standard necessary in the interests of the safety of air traffic services or air navigation.

(2) If the holder of a certificate wishes to surrender a certificate, the holder shall give not less than sixty days notice in writing of the date on which the holder wishes the certificate to be surrendered.

C. Meteorological Services

162. Meteorological data and information.— The meteorological authority shall provide operators, flight crew members, air traffic services units, search and rescue services units, aerodrome operators, accident and incident investigation bodies, and other service providers and aviation entities with the meteorological information necessary for their respective functions.

163. Retention of meteorological information.— *(1)* The meteorological authority shall retain meteorological information issued for a period of at least thirty days from the date of issue.

(2) This meteorological information shall be made available, on request, for inquiries or investigations and, for these purposes, shall be retained until the inquiry or investigation is completed.

D. Instrument Flight Procedure Design

164. Instrument flight procedure design service.— *(1)* The air navigation service provider shall establish an Instrument flight procedure design service as specified by Director General.

(2) All instrument flight procedures shall be designed by air navigation service provider in accordance with the design criteria approved by the Director General of Civil Aviation.

165. Promulgation of instrument flight procedures.— No instrument flight procedure shall be promulgated, modified or withdrawn without the prior approval of the Director General.

E. Search and Rescue

166. Search and rescue agreements.— The air navigation service provider shall make agreements with neighbouring States to strengthen search and rescue operations by co-operation and co-ordination, setting forth the conditions for entry of each others search and rescue units into respective territories.

167. Authorisation to rescue and

co-ordination centres.— The rescue and co-ordination centres when requested shall provide all possible assistance to other rescue and co-ordination centres during search and rescue operations.

CHAPTER VII

AIRCRAFT OPERATIONS

A. General

168. Prohibited flight.— Except otherwise provided herein under, and in accordance with the terms and conditions of a permit issued by the Director General—

(a) no aircraft registered in India shall leave India for the purpose of a flight to a place outside India;

(b) no aircraft shall undertake a flight to any territory which the Central Government may, by notification in the Official Gazette, declare to be a prohibited territory.

169. Prohibition of carriage of persons without passport.— *(1)* No person-in-charge of any aircraft shall allow such aircraft to enter India from a place outside India unless all persons on board the aircraft are in possession of valid passports as required by rules for the time being in force made under the Immigration and Foreigners Act, 2025 (13 of 2025).

(2) Where an aircraft is brought into India in contravention of sub-rule *(1),* any authority empowered by the Central Government, generally or specially in this behalf, may direct the owner or the person-in-charge of the aircraft to take on board and remove from India, or otherwise arrange for the immediate removal from India of the person or persons without valid passports, and the owner, or as the case may be, the person-in-charge of the aircraft, shall comply with such directions.

170. Fatigue management of flight crew and cabin crew members.— *(1)* Taking into account the likely impact of fatigue on the level of alertness of flight crew members and cabin crew members, the maximum limits of flight time, flight duty period and duty period of flight crew members as well as cabin crew members, and also the minimum rest periods required to be observed by such crew members, may be specified by the Director General.

(2) No flight crew member or cabin crew member of a flying machine registered in India shall contravene the limitations stipulated by the Director General under sub-rule *(1).*

(3) Every Indian operator shall establish a scheme of flight and duty time limitations and minimum rest periods for its flight crew members as well as cabin crew members in accordance with the stipulations made by the Director General under sub-rule *(1)* and submit the same to the Director General for approval and after approval by the Director General, such scheme shall form part of the operations manual of the concerned operator.

(4) An Indian operator may establish and maintain a fatigue risk management system, in accordance with the stipulations made by the Director-General under sub-rule *(1)* and submit the same to the Director-General for approval and after approval by the Director-General, such system shall form part of the operator's flight duty time limitations scheme and operations manual.

Explanation.— For the purposes of this rule, 'Indian operator' means an operator having his principal place of business, or his permanent residence, in India.

171. Crew member certificate.— *(1)* Director General may issue crew member certificate in accordance with provisions of Annex 9 to the Convention.

(2) The application for issuance of crew member certificate under sub-rule *(1)* shall be made to the Director General along with the fee provided under rule 200.

(3) The application under sub-rule *(2)* shall be in such form and contain such particulars as may be specified by the Director General.

172. Carriage of operational documents.— Every aircraft registered in India shall carry check lists, updated flight manual, pilot's operating handbook and other documents as specified by the Director General for that particular type of aircraft and other documents shall be carried in the aircraft readily accessible to the crew in flight.

173. Carriage of mails.— *(1)* No person shall carry mails or allow mails to be carried in any aircraft except with the consent in writing of the Director General Postal Services.

(2) Every operator engaged in scheduled air transport services shall carry by such services such mails as may be required to be carried from one place to another by the Director General Postal Services, or any person authorised by him in this behalf.

174. Prohibition on consumption of intoxicating and psychoactive substances.— *(1)* No person acting as, or carried in aircraft for the purpose of acting as pilot, commander, navigator, engineer, cabin crew or other operating member of the crew thereof, shall have taken or used any alcoholic drink, sedative, narcotic or stimulant drug or preparation within twelve hours of the commencement of the flight or take or use any such preparation in the course of the flight, and no such person shall, while so acting or carried, be in a state of intoxication or have detectable blood alcohol whatsoever in his breath, urine or blood alcohol analysis or in a state in which by reason of his having taken any alcoholic, sedative, narcotic or stimulant drug or preparation, his capacity so to act is impaired, and no such person while in a state of intoxication shall enter or be in aircraft or report for duty.

(2) The operator shall ensure the conduct of appropriate examinations and implementation of the procedures for detection of alcohol, sedative, narcotic or stimulant drug subject to the conditions as specified by Director General.

(3) No operator operating a domestic air transport service in India shall serve any alcoholic drink on board such an air transport service and no passenger traveling on such a service shall consume any alcoholic drink while on board.

(4) The holders of licences or approvals or authorisation shall not exercise the privileges of their licences or approvals or authorisation as the case may be, and related ratings while under the influence of any psychoactive substance which might render them unable to safely and properly exercise the privileges of the licences and ratings.

(5) The holders of licences shall not engage in problematic use of substances.

175. Smoking in aircraft.— *(1)* The owner or the operator and the pilot-in-command of every aircraft registered in India, shall exhibit or cause to be exhibited in prominent

place in the aircraft notice stating where and to what extent smoking is prohibited or permitted therein.

(2) A notice permitting smoking in such aircraft may be exhibited therein only if smoking in the aircraft is permitted by the certificate of airworthiness of the aircraft or by the direction of the Central Government and only in accordance with the conditions relating to smoking contained in such certificate or direction.

(3) No person shall smoke ─

(a) in any part of an aircraft or in its vicinity, in which a notice is displayed indicating that smoking is prohibited;

(b) anywhere in an aircraft during take-off, landing or refuelling or during a period in which a notice is temporarily displayed indicating that smoking is prohibited.

176. Carriage of persons in unauthorised parts of aircraft.─ No person shall at any time be carried on the wings or undercarriage of the aircraft, or on or in any other part thereof which is not designed for the accommodation of the personnel or passengers, or on or in anything attached externally to the aircraft:

Provided that ─

(a) nothing in this rule shall prevent a person having temporary access-

(i) to any part of the aircraft for the purpose of executing repairs to the aircraft or adjusting the machinery, or equipment thereof or for the purpose of doing anything which may be necessary for the safety of the aircraft or persons or goods carried therein; or

(ii) to any part of the aircraft in which goods or stores are being carried and to which proper means of access is provided; and

(b) a person may be carried on or in any part of the aircraft, or anything attached thereto, with the permission in writing of the Central Government and subject to any conditions which may be specified in such permission.

177. Prohibition on the use of portable electronic devices.— *(1)* No person shall operate, nor shall the operator or the pilot-in-command of an aircraft allow the operation of any portable electronic device on board an aircraft in flight:

Provided that the pilot-in-command may permit use of cellular telephone or smartwatch by the passengers in flight or after the aircraft has landed and cleared active runway, except when the landing takes place in low visibility conditions as may be determined by the Director General.

(2) The provisions of sub-rule *(1)* shall not apply to portable voice recorders, hearing aids, heart pacemaker, electric shavers or other portable electronic devices which, in the opinion of the operator, do not cause interference with the navigation or communication system of the aircraft on which it is to be operated and for which such operator has obtained the approval of the Director General.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-rule *(1),* the pilot-in-command may permit the access of internet services through Wi-Fi or mobile communication services or both by passengers on board an aircraft in flight, subject to the conditions as specified by the Director General:

Provided that the Director General shall certify the aircraft for use of such services in flight on board, subject to the procedures as specified in this behalf.

Explanation.— For the purposes of this rule, an aircraft shall be deemed to be in flight when all its external doors are closed following embarkation until the moment when any such door is opened for disembarkation.

178. Flight data analysis programme.— An operator of an aircraft shall establish and maintain a flight data analysis programme as specified by the Director General.

179. Aircraft registered in or belonging to a foreign State.— Except as otherwise provided in rule 183, rule 191 and rule 211, no aircraft registered in, or belonging to a foreign State, shall be flown into, over, across or within India except with the prior permission of the Director General and except in accordance with such terms and conditions as he may think fit to impose while granting such permission:

Provided that the Director General may, by general or special order, exempt any aircraft or class or aircraft either generally or in respect of any specified flight from the provisions of this rule.

180. Aviation security fees.— *(1)* The Central Government, or any other authority designated by it in its behalf, may levy and collect aviation security fees on —

(a) embarking passengers;

(b) cargo transported out of an airport;

(c) departing private aircrafts of general aviation;

(d) chartered aircraft operations; and

(e) any other dedicated civil aviation operations,

at such rate, as the Central Government may specify, and different rates may be specified for different categories specified herein, to meet the expenditure on aviation security.

(2) The aviation security fee shall be regulated and utilised in the manner as may be specified by the Central Government.

Explanation:— For the purposes of this rule -

(a) the expression "Civil Aviation Security" shall mean the protection of the civil aviation operations against the acts of unlawful interference;

(b) the expression "expenditure on aviation security" means any expenditure incurred on —

(i) deployment of any security agency designated by the Central Government for providing the Civil Aviation Security; and

(ii) such other expenditure as may be decided by the Central Government.

181. Regional air connectivity fund.— The Central Government may establish the regional air connectivity fund for the purposes of providing viability gap funding to aircraft operators to promote regional air connectivity, or for any other purpose connected therewith, and the said fund shall be administered and utilised in the manner as may be specified by the Central Government.

182. Regional air connectivity levy.— *(1)* In order to fund the regional air connectivity fund, the Central Government may impose a levy on scheduled flights being operated within India at such rates as the Central Government may notify, having regard to the

seating capacity of the aircraft used for the scheduled flights and the routes on which such flights are operated and the overall requirement of regional air connectivity fund.

(2) The contributions to the regional air connectivity fund may also be made by the beneficiary State Governments in the manner and proportion as may be specified by the Central Government.

(3) The contribution to the regional air connectivity fund may also be made by crediting proceeds from any other source as may be specified by the Central Government.

Explanation.— For the purposes of rules 181 and 182, the expression "regional air connectivity" shall mean operation of an air transport service between any two airports in India of which at least one has been declared by the Central Government as unserved or under-served.

B. Air transport services and aerial work

183. Scheduled air transport services.— *(1)* No person shall operate any scheduled air transport service from, to, in, or across India except with the permission of the Central Government, granted under and in accordance with and subject to the provisions contained in the Fourth Schedule.

(2) The Central Government may, with a view to achieve better regulation of air transport services and taking into account the need for air transport services of different regions in the country, direct, by general or special order that every operator operating any scheduled air transport service shall render service in accordance with the conditions specified in such order including any condition relating to their due compliance.

184. Non-scheduled air transport services.— *(1)* No air transport service, other than a scheduled air transport service, shall be operated by any air transport undertaking of which the principal place of business is in any country outside India except with permission granted by the Director General in accordance with the requirements as specified by him.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-rule *(1),* flights where individual seats are being sold to the passengers either directly or as part of any package, by any air transport undertaking of which the principal place of business is in any country outside

India can be operated only with the special permission of the Central Government and subject to such terms and conditions as it may think fit to impose in each case.

(3) No air transport service, other than a scheduled air transport service, shall be operated by an Indian air transport undertaking unless it holds an air operator permit granted by the Director General.

(4) The application for grant of air operator permit shall be made to the Director General in such form and manner, and shall contain such particulars or documents as may be specified by the Director General along with the fee provided under rule 200.

(5) The applicant for an air operator permit and the holder thereof, shall be required to have a security clearance from the Central Government for the purposes of grant and continuation of the air operator permit and the procedure for obtaining security clearance shall be such as may be specified by the Director General.

(6) The air operator permit granted under sub-rule *(3)* shall, unless suspended or cancelled, remain valid for a period not exceeding five years, which may be renewed for a period not exceeding five years at a time.

(7) The Director General may, cancel or suspend the air operator permit for such period as he thinks fit, if he is satisfied that,–

(a) any of the conditions of the air operator permit has not been complied with and the failure is due to any wilful act or default on the part of the holder of such air operator permit or by any of his servants or agents, irrespective of whether or not such wilful act or default of the servant or agent was with the knowledge or approval of the holder of the air operator permit; or

(b) the holder of the air operator permit has failed to establish a safe, efficient and reliable service; or

(c) the air operator permit was obtained by suppressing any information or by giving wrong information; or

(d) the security clearance of the holder of air operator permit has been withdrawn or denied by the Central Government:

Provided that no such air operator permit shall be cancelled or suspended without giving a show cause notice, in writing, informing the holder of air operator permit the ground on which it is proposed to suspend or cancel the air operator permit and giving him a reasonable opportunity of making a representation in writing within such reasonable time as may be specified in the notice and, if that person so desires, of being heard.

(8) Notwithstanding anything contained in sub-rule *(7)*, if the Director General is of the opinion that in the interest of public safety it is necessary so to do, it may, for the reasons to be recorded in writing, summarily suspend the air operator permit with a view to make further enquiry.

185. Aerial work.— *(1)* No person shall undertake any aerial work unless he holds an authorisation granted by the Director General:

Provided that any person holding a valid air operator permit granted under sub-rule *(3)* of rule 184 may undertake aerial work without holding such authorisation, subject to compliance with such requirements as specified by the Director General:

Provided further that the activities permitted under rule 24 shall not require an authorisation under this sub-rule.

(2) The application for grant of authorisation for undertaking aerial work shall be made to the Director General in such form and manner, and shall contain such particulars or documents as may be specified by the Director General, along with the fee provided under rule 200.

(3) The applicant for an aerial work authorisation and the holder thereof, shall be required to have a security clearance from the Central Government for the purposes of grant and continuation of the aerial work authorisation. The procedure for obtaining security clearance shall be such as may be specified by the Director General.

(4) The authorisation granted under sub-rule *(2)* shall, unless suspended or cancelled, remain valid for a period not exceeding two years, which shall be renewed for a period not exceeding two years at a time.

(5) The Director General may, cancel or suspend the authorisation issued under this rule, for such period as he thinks fit, if he is satisfied that—

(i) any of the conditions of the authorisation has not been complied with by the holder of the authorisation; or

(ii) the authorisation was obtained by suppressing any information or by giving wrong information; or

(iii) the security clearance of the holder of the authorisation has been withdrawn or denied by the Central Government:

Provided that no such authorisation shall be cancelled or suspended without giving a show cause notice, in writing, informing the holder of authorisation the ground on which it is proposed to suspend or cancel the authorisation and giving him a reasonable opportunity of making a representation in writing within such reasonable time as specified in the notice and, if that person so desires, of being heard.

(6) Notwithstanding anything contained in sub-rule *(5),* if the Director General is of the opinion that in the interest of public safety or national security it is necessary so to do, he may, for reasons to be recorded in writing, summarily suspend the authorisation till the deficiencies are resolved to the satisfaction of the Director General.

186. Aerial work and public transport reserved for certain aircraft.— No aircraft registered in accordance with Chapter III in Category B shall be used as an aerial work aircraft or as a public transport aircraft:

Provided that the Central Government may, from time to time, permit and impose restrictions on the performance of aerial work or public transport by aircraft other than those registered in accordance with Chapter III in Category A, and such restrictions shall be deemed to have been effectively imposed, if they have been notified in writing to the owner or operator of such aircraft.

187. Import or local acquisition of aircraft other than an unmanned aerial vehicle (drone).— *(1)* No person shall import or locally acquire an aircraft except with a permission from Director General in accordance with the requirements specified by him.

(2) The aircraft so imported or locally acquired shall not be used for the purposes other than it is permitted for.

188. Aircraft management service provider — *(1)* No person shall act as an aircraft management service provider unless he holds an authorisation granted in accordance with requirements specified by the Director General:

Provided that any person holding a valid air operator permit granted under sub-rule *(3)* of rule 184 may act as an aircraft management service provider without holding such authorisation, subject to compliance with the requirements as specified by the Director General.

(2) The provisions of this rule shall not apply for scheduled air transport service permitted under the provision of rule 183.

(3) The operation of any aircraft whose legal ownership is divided among multiple individuals or entities, shall be permissible either through an aircraft management service provider under the provision of this rule, or through a dry lease arrangement with a single entity responsible for operations and maintenance of the aircraft under the provisions of these rules.

(4) The owner of the aircraft and the aircraft management service provider shall enter into a suitable aircraft management agreement not inconsistent with the applicable laws for the time being in force, which shall include provision for transfer of possession and control of the aircraft to the aircraft management service provider.

(5) The owner of the aircraft and aircraft management service provider shall submit to the Director General an instrument for transfer of possession and control of the aircraft, in a format as may be specified by the Director General for including the name of the aircraft management service provider as an operator in the certificate of registration of the aircraft issued under the provisions of rule 39.

(6) The aircraft management service provider shall be the aircraft operator for the aircraft under its management and shall be responsible for operational control of the aircraft, as well as for the compliance of the provisions of the Act, these rules, and the regulations framed thereunder.

(7) Notwithstanding anything contained in this rule, the owner of the aircraft shall not be absolved of any liabilities under any other applicable law for the time being in force.

189. Operation of aircraft for private use.— *(1)* No person shall operate an aircraft for private use except in accordance with requirements specified by the Director General.

(2) An aircraft registered under private use category shall not be used for a purpose involving hire and reward or remuneration in any manner.

(3) The owner or operator of aircraft under private use category shall be responsible for ensuring that the operations and maintenance of the aircraft is carried out in compliance of these rules, and all the relevant regulatory requirements formulated under these rules.

(4) Notwithstanding anything contained in this rule, the owner of the aircraft falling under the provisions of this rule may utilise the services of an aircraft management service provider as provided in rule 188.

190. Operation of aircraft by State Governments, public sector undertakings of the Central Government or State Government, and any other Government agency for private use.— *(1)* The State Governments, public sector undertakings of the Central Government or the State Government, and any other Government agency, shall not operate an aircraft for their own private use unless they hold an operating permit granted by the Director General in accordance with the requirements specified by him.

(2) An aircraft covered under the provisions of this rule shall not be used for a purpose involving hire and reward or remuneration in any manner.

(3) The operating permit granted under sub-rule *(1)* shall, unless suspended or cancelled, remain valid for a period not exceeding two years, which shall be renewed for a period not exceeding two years at a time.

(4) The Director General may, cancel or suspend the operating permit issued under this rule, for such period as he thinks fit, if he is satisfied that—

(i) any of the conditions of the operating permit has not been complied with by the holder of the operating permit; or

(ii) the operating permit was obtained by suppressing any information or by giving wrong information:

Provided that no such operating permit shall be cancelled or suspended without giving a show cause notice, in writing, informing the holder of operating permit the ground on which it is proposed to suspend or cancel the operating permit and giving him a reasonable opportunity of making a representation in writing within such reasonable time as specified in the notice and, if that person so desires, of being heard.

(5) Notwithstanding anything contained in sub-rule *(4),* if the Director General is of the opinion that in the interest of public safety or national security, it is necessary so to do, he may, for reasons to be recorded in writing, summarily suspend the operating permit till the deficiencies are resolved to the satisfaction of the Director General.

(6) Notwithstanding anything contained in this rule, the owner of the aircraft falling under the provisions of this rule may utilise the services of an aircraft management service provider as provided in rule 188, in which case the aircraft management service provider shall be required to comply with the requirements as specified by the Director General.

191. Scheduled operations to, from or across India by foreign airline.— *(1)* The Central Government may permit any air transport undertaking of which the principal place of business is in any country outside India to operate a scheduled air transport service from, to, or across India, in accordance with the terms of any agreement for the time being in force between the Government of India and the Government of that

country, or, where there is no such agreement, of a temporary authorisation by the Government of India.

(2) The Director General may grant operating authorisation to any air transport undertaking of which the principal place of business is in any country outside India, to operate a scheduled air transport service to, from India, in accordance with the terms of any agreement for the time being in force between the Government of India and the Government of that country, or, where there is no such agreement, of a temporary authorisation by the Government of India.

(3) The application for the grant of operating authorisation under sub-rule *(2)* shall be made to the Director General along with the fee provided under rule 200.

(4) The application under sub-rule *(3)* shall be in such form and contain such particulars as may be specified by the Director General and the Director General may, for disposal of the application, require the applicant to furnish any additional information which he considers necessary.

(5) The operating authorisation granted under sub-rule *(2)* shall, unless suspended or cancelled, remain valid for a period not exceeding five years, which may be renewed for a period not exceeding five years at a time.

(6) The Director General may approve any amendment in the operating authorisation granted under sub-rule *(2)*, on submission of application by an air transport undertaking in such form and contain such particulars or documents as may be specified by him along with the fee provided under rule 200.

(7) The air transport undertaking to whom such operating authorisation has been granted under this rule, shall comply with the conditions as specified in such authorisation.

(8) An air transport undertaking of which the principal place of business is in any country outside India, shall operate scheduled air transport services to, from or across India, in compliance with the requirements and conditions as specified by the Director General.

192. Tariff.— (1) Every air transport undertaking operating in accordance with sub-rule (1) of rule 183 and sub-rule (1) of rule 191 shall establish tariff, based on factors, including the cost of operation.

(2) Every air transport undertaking operating in accordance with sub-rule (1) of rule 183 shall submit the tariff, established by it under sub-rule (1) to the Director General in such form, manner and periodicity as may be specified.

(3) Every air transport undertaking shall publish the tariff, established by it under sub-rule (1) on their websites or any other digital platform in such form and manner as may be specified by the Director General for wider public awareness and transparency.

(4) The tariff to be charged or offered shall show the following particulars on the booking website and on the booked ticket, namely:—

(a) the total amount payable by a passenger; and

(b) a complete break—up of the total amount, indicating the fare, tax, fees, cancellation charges, refund conditions or any other charge, if any, separately.

Explanation.– For the purposes of this rule, ––

(a) “fees” means the amount payable to the service providers for the provision of any service or facility provided to the passengers; and

(b) “tax” means the amount payable to the Government.

(5) The tariff established by every air transport undertaking operating in accordance with sub-rule (1) of rule 183 shall be monitored by the Directorate General of Civil Aviation.

(6) Where the Central Government is of the opinion that an extraordinary situation has arisen it may, by order in writing, issue such directions as it considers necessary and expedient to do so in the public interest:

Provided that such directions shall be proportionate to the circumstances and shall remain in force for the period specified only.

193. Minimum requirements to be complied with by the operators.— All aircraft owners and operators shall comply with the engineering, inspection and manual

requirements contained in Part C of this Chapter and with the safety requirements in respect of air routes, aircraft and aircrew, as may be specified by the Director General.

194. Introduction of new routes or alteration in existing routes.— Before operating a scheduled air transport service on a new route or making a substantial alteration in, any of the existing routes of such services, or introducing a new time-table for such service, the operator shall obtain the concurrence of the Director General, in so far as such operation or, as the case may be, or is likely to affect, the air route or aerodrome facilities, and give prior notice to the Director General before the date proposed for the operation of the new route or for the substantial alteration of an existing route or for the introduction of a new time-table, as the case may be.

195. Operations manual.— *(1)* An operations manual shall be in such form, manner and contains such particulars as specified by the Director General, and shall be maintained by every operator engaged in air transport services and by the owner of private aircraft operating complex motor-powered aircraft.

(2) The operations manual shall comply with the requirements as specified by the Director General.

(3) The operations manual shall require technical evaluation and the approval of the Director General.

(4) A copy of the operations manual, or such part of the manual as may be specified by the Director General, shall be carried in all aircraft engaged in air transport services.

196. Duties of pilot-in-command.— *(1)* Subject to the provisions of rule 195, the operator shall designate for each flight one pilot as pilot-in-command, who shall supervise and direct the other members of the crew in the proper discharge of their duties in the flight operations.

(2) In addition to being responsible for the operation and safety of the aircraft during flight time, the pilot-in-command shall be responsible for the safety of the passengers and cargo carried and for the maintenance of flight discipline and safety of the members of the crew.

(3) The pilot-in-command shall have final authority as to the disposition of the aircraft while he is in command.

C. Engineering, Inspection and Manual Requirements-Owners or Operators

197. Definitions.— In this Part—

(a)"engineering and inspection" refers to performance of all work necessary for ensuring airworthiness and safety of the aircraft, including overhaul, maintenance, modification, repair, replacement, manufacture, assembly, testing, treatment, inspection, certification and continuing airworthiness management of an aircraft.

(b) “manual” refers to 'Operators' Continuing Airworthiness Management Exposition’ or ‘Quality Manual' or any other manual covering such requirements, as the case may be.

(c) “private aircraft” refers to an aircraft engaged in operation other than those covered under rule 183 or rule 184 or rule 185.

198. Private aircraft owners.— *(1)* A private aircraft, aircraft components and items of equipment shall be maintained as may be specified by the Director General.

(2) An owner shall have access to an adequate organisation, including qualified and trained staff together with workshop and other equipment, facilities and inspection aids.

(3) (a) All private aircraft owners, shall operate under an approved maintenance system providing a basis of operation under a delegated system of airworthiness control for the safety of their aircraft;

(b) For grant or issue of approval for operation under the approved maintenance system and its continued validity, the operators shall comply with the requirements as specified by the Director General.

(4) An owner shall comply with the engineering, inspection and manual requirements, as may be specified by the Director General.

(5) The approval granted under clause *(b)* of sub-rule *(3),* unless suspended or cancelled, shall remain valid for a period not exceeding five years and on being satisfied, the Director General may renew the approval for a further period of five years.

(6) (a) An owner shall maintain complete record of aircraft, aircraft components and items of equipment as included in the approved manual, of total time flown, the time flown since last overhaul and time flown since last inspection and any other data as may be specified by the Director General;

(b) The records shall be made available for inspection and check and shall be maintained for such period as may be specified by the Director General.

(7) Without prejudice to the provisions of any rule, the Director General may, after giving an opportunity of being heard to an owner or a person, cancel, suspend or endorse any approval or issue warning or admonition to the owner or the person, where he is satisfied that–

(a) the conditions specified by the Director General under this rule and the Civil Aviation Requirements are not being complied with; and

(b) the operator or the person has performed work, or granted a certificate in respect of the work which has not been performed in a careful or competent manner, or has performed work beyond the scope of its or his approval, or failed to make proper entries and certification thereof, or for any other reason considered by the Director General.

199. Operators.– *(1)* An operator shall have access to an adequate organisation including qualified and trained staff together with workshop and other equipment, facilities and inspection aids.

(2) (a) All operators, other than private aircraft owners, shall operate under an approved maintenance system providing a basis of operation under a delegated system of airworthiness control for the safety of their aircraft and persons they carry on board the aircraft;

(b) For grant or issue of approval for operation under the approved maintenance system and its continued validity, the operators shall comply with the requirements as specified by the Director General.

(3) The approval granted under clause *(b)* of sub-rule *(2)*, unless suspended or cancelled shall remain valid for the period as specified below ─

(a) ten years, for a person holding an air operator certificate issued under rule 183 and engaged in the scheduled air transport service;

(b) five years, for a person holding an air operator certificate under rule 183 and engaged in scheduled commuter air transport service or holder of an air operator permit issued under 184;

(c) two years, for a person holding an authorisation issued under rule 185.

(4) The approval granted under sub-rule *(2)* may be renewed for the same period as provided under sub-rule *(3)* upon satisfaction of the Director General.

(5) (a) An operator shall provide, for the use and guidance of its personnel, manuals which shall contain details of information concerning policies, procedures, practices and management system relating to activities of that operator and containing such further information as may be specified by the Director General;

(b) A complete copy of the manual or such portions of the manual as the Director General may direct, shall be submitted to the appropriate regional office of the Directorate General of Civil Aviation for approval;

(c) An approved operator shall revise its manuals from time to time, whenever found necessary as a result of changes in its operations, aircraft equipment or practices or experience with the existing aircraft, equipment or practices and any revision of practices and procedures which affect the airworthiness or safety of the aircraft or equipment shall be subject to the prior approval of the Director General.

(6) The copies of the manual and the revisions thereof shall be supplied by an approved operator to such of its personnel and to such other persons associated with the work of that operator, as the Director General considers necessary.

(7) The employees of an approved operator shall comply with all the instructions relating to their duties as contained in the manual.

(8) An approved operator shall ensure that provision has been made for imparting instructions to its personnel authorised to certify, as may be considered necessary, for the proper discharge of their duties and responsibilities.

(9) (a) Every operator including an approved operator shall maintain complete records of the total time flown since last overhaul and the time flown since last inspection of all air frames, engines, instruments, radio apparatus, equipments and accessories as included in the approved manual;

(b) The operator shall also maintain such other records as may be specified by the Director General to whom these records shall be made available, for inspection and check, whenever required by him and the records shall be kept for such period as may be specified by the Director General.

(10) Every operator including an approved operator shall comply with the engineering, inspection and manual requirements, as may be specified by the Director General.

(11) Without prejudice to the provisions of any rule, the Director General may, after giving an opportunity of being heard to the operator or a person, cancel, suspend or restrict any approval or issue warning or admonition to the operator or the person, where he is satisfied that -

(a) the conditions specified by the Director General under this rule and the Civil Aviation Requirements are not being complied with; and

(b) the operator or the person has performed work, or granted a certificate in respect of the work which has not been performed in a careful or competent manner, or has performed work beyond the scope of its or his approval, or failed to make proper entries and certification thereof, or for any other reason considered by the Director General.

D. Fee

200. Fee.— *(1)* The following fees shall be payable for, —

(A) issuance and renewal of crew member certificate under rule 171 **:** Rs. 1,000

(B) application, grant and renewal of air operator's permit under rule 184:

(i) for application : Rs. 1,75,000;

(ii) for grant of air operator's permit : Rs. 5,00,000;

(iii) for renewal of air operator's permit : Rs. 2,50,000.

(C) grant and renewal of aerial work authorisation under rule 185:

(i) for grant of authorisation : Rs. 50,000;

(ii) for renewal of authorisation Rs. 25,000.

(D) grant of permission under rule 187:

(i) aircraft used for scheduled or non-scheduled air transport service or private use or aerial work,-

(a) for aircraft with all-up weight less than or equal to 10,000 kg. : Rs. 1,00,000 per aircraft;
(b) for aircraft with all-up weight more than 10,000 kg. : Rs. 2,00,000 per aircraft;

(ii) aircraft used for flying training organisation or microlight aircraft or powered hang gliders or hot air balloon : Rs. 20,000 per aircraft.

(E) grant and renewal of operating permit under rule 190:

(i) for grant of operating permit: Rs. 1,00,000;

(ii) for renewal of operating permit : Rs. 50,000.

(F) grant, renewal and amendment of operating authorisation, under rule 191:

(i) to grant operating authorisation : Rs.5,00,000;

(ii) for renewal of operating authorisation : Rs.2,50,000;

(iii) for addition of a new station in the operating authorisation: Rs. 25,000;

(iv) for addition of aircraft in the recorded fleet of the operating authorisation: Rs. 10,000;

(v) for any other amendment : Rs. 5,000.

(G) grant of approval under rule 198 or rule 199:

(i) person holding an air operator certificate to operate scheduled air transport service issued under rule 183 or involved in continuing airworthiness management of an aircraft of a person holding an air operator certificate to operate scheduled air transport service issued under rule 183: Rs. 8,00,000;

(ii) person holding an air operator certificate to operate scheduled commuter air transport service issued under rule 183 or involved in continuing airworthiness management of an aircraft of a person holding an air operator certificate to operate scheduled commuter air transport service issued under rule 183: Rs.4,00,000;

(iii) person holding an air operator permit issued under rule 184 or involved in continuing airworthiness management of an aircraft of a person holding an air operator permit issued under rule 184: Rs. 2,00,000;

(iv) person holding an authorisation issued under rule 185 or involved in continuing airworthiness management of an aircraft of a person holding an authorisation issued under rule 185: Rs.2,00,000;

(v) person holding an approval issued under rule 198 or involved in continuing airworthiness management of an aircraft of a person operating under rule 198: Rs.2,00,000.

(H) renewal or extension of scope of approval under rule 198 or rule 199 : fifty per cent. of the fee payable under clause *(G)* of sub-rule *(1).*

(I) making the application for no objection certificate under paragraph 3 of the Fourth Schedule : Rs.2,00,000.

(J) grant and renewal of an air operator certificate under paragraphs 6 and 7 of the Fourth Schedule :

(i) for grant of air operator certificate : Rs.20,00,000;

(ii) for renewal of air operator certificate: Rs.10,00,000:

Provided that in case of issue of an air operator certificate to operate the scheduled commuter air transport service, the fee payable shall be ten lakh rupees and five lakh rupees for renewal thereof.

(2) The fee shall be paid electronically in the manner as specified by the Director General.

CHAPTER VIII

REGULATORY, SURVEILLANCE AND ENFORCEMENT

201. Adoption of the Convention and Annexes.— *(1)* The Director General may lay down standards and procedures not inconsistent with the Act and the rules made thereunder to carry out the Convention and any Annex thereto.

(2) The Director General shall formulate the State safety programme and oversee its implementation.

Explanation. — For the purposes of this sub-rule, State safety programme means an integrated set of requirements and activities aimed at improving safety.

202. Directions by Director General.— *(1)* The Director General may, through Notices to Airmen (NOTAMS), Aeronautical Information Publication, Aeronautical Information Circulars (AICs), and publication entitled Civil Aviation Requirements (CAR), issue special directions not inconsistent with the Act or these rules, relating to the operation, design, manufacture, use, possession, maintenance or navigation of aircraft flying in or over India or of aircraft registered in India.

(2) The Civil Aviation Requirements under sub-rule *(1)* shall be issued after placing the draft on the website of the Directorate General of Civil Aviation for a period of thirty days for inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby:

Provided that the Director General may, in the public interest and by order in writing, dispense with the requirements of inviting such objections and suggestions or reduce the period for submitting such objections and suggestions.

(3) Every direction issued under sub-rule *(1)* shall be complied with by the person to whom such direction is issued.

(4) The Director General may, by general or special order in writing, exempt any aircraft or class of aircraft or any person or class of persons from the operation of the directions given in the publication entitled Civil Aviation Requirements under this rule, either wholly or partially, and subject to such conditions, if any, as may be specified in such order.

203. Safety management system.— *(1)* Every organisation which is -

(a) holding a scheduled or non-scheduled operators permit under these rules and engaged in the operation of aeroplanes or helicopters, as the case may be; or

(b) conducting operations of large or turbojet aeroplanes for general aviation; or

(c) engaged in the operation of an licensed aerodrome; or

(d) approved under these rules and engaged in the type design of aeronautical product; or

(e) approved under these rules and engaged in manufacture of aeronautical product; or

(f) approved maintenance organisation under these rules and engaged in the maintenance of aeroplanes or helicopters; or

(g) approved flying training organisation and air traffic services training organisation under these rules; or

(h) an air traffic service provider,

shall establish and maintain a safety management system and prepare a safety management system manual in such form and manner, as may be specified by the Director General and submit the same to the Director General for acceptance.

(2) The Director General or any other officer authorised by him may, at any reasonable time carryout oversight of the safety management system and the concerned organisation shall co-operate with the Director General or the person so authorised to carry out the oversight.

Explanation.- For the purposes of this rule, ─

(a) safety management system" means a systematic approach to managing safety including the necessary organisational structures, accountability, responsibilities, policies and procedures;

(b) "safety management system manual" means the document as accepted by the Director General under sub-rule *(1);*

(c) "large aeroplane" means an aeroplane with all-up weight exceeding 5700 kg.

204. Mandatory safety reporting system.─ The Directorate General of Civil Aviation shall establish a mandatory safety reporting system to facilitate collection of safety data and safety information on actual or potential safety deficiencies and specify the procedure for the same.

205. Voluntary safety reporting system.─ *(1)* The Directorate General of Civil Aviation shall establish a voluntary safety reporting system to facilitate collection of safety data and safety information on actual or potential safety deficiencies that may not be captured by the mandatory safety reporting system established under rule 204.

***(**2)* The voluntary safety reporting system established under sub-rule *(1)* shall be non-punitive and afford protection to safety data captured by, and safety information derived from, voluntary safety reporting system and related sources and if considered expedient by the Central Government, the safety data and safety information may be collected through any other agency.

(3) The safety data and safety information so collected under sub-rule *(1)* shall be handled in a manner so as to prevent its use for purposes other than safety, and shall appropriately be safe guarded and the confidentiality about the identity of the person making report shall be maintained.

206. Production of licences.— Any licence other than a licence issued under Part B of Chapter VII, certificate, authorisation and approval, log book or document granted or required to be maintained under these rules shall, on demand for the purpose of inspection, by any magistrate, any police officer above the rank of sub-inspector, any customs officer, any commissioned officer of the Naval, Military or Air Force of the Union, any Gazetted officer of the Civil Aviation Department in Government of India, or by any other person authorised by the Central Government, by a special or general order in writing in this behalf, be produced by the licencee or, in the case of an aircraft or of a licensed aerodrome, by the owner, hirer or person-in-charge thereof:

Provided that any such licence, certificate, authorisation and approval, log book or document relating to an aircraft or its personnel which is not by these rules required to be carried in the aircraft shall be produced within a period of seven days of the making of the demand.

207. Destruction and mutilation of any entry in the log books.— No person shall destroy, mutilate, alter or render illegible any entry made, or wilfully make or procure or assist in the making of any false or fraudulent entry in or omitting from any log book referred to in rule 65, rule 84 and rule 87.

208. Fraudulent Documents.— No person shall fraudulently lend any licence, certificate, authorisation or approval issued under these rules or allow it to be used by any other person.

209. Inspection.— *(1*) The Director General, or any officer of the Directorate General of Civil Aviation authorised by him by general or special order in writing, may inspect an aircraft or aviation facility for the purposes of granting an approval or a certificate under these rules, and subsequently to carry out surveillance including unannounced inspections to ensure continued compliance with these rules.

(2) The Director General may authorise any person, subject to such conditions as may be specified by the Director General, for the purpose of examining and testing any person or aircraft, or inspecting any document or aviation facility for the purpose of grant of a licence or a certificate or an approval under these rules or the provisions of the Act and such authorisation shall specify the functions of the person so authorised

to perform on behalf of the Director General and the said authorisation shall be for a period as specified therein.

(3) The persons so authorised under sub-rules *(1)* and *(2)* shall be issued credentials and shall perform the functions as assigned to them in such authorisation.

(4) The Director General or the person referred to in sub-rules *(1)* and *(2)* —

(a) shall have unrestricted and unlimited access to aircraft and aviation facilities, as applicable, for the performance of their functions and duties under these rules;

(b) may enter, inspect and search any aircraft or any aviation facility including air navigation services, inspect documents and records for the purpose of securing compliance with these rules and the provisions of the Act and also to interact with any personnel.

(5) The owner or operator of aircraft, organisation or air navigation facility shall allow the Director General, or the person referred to in sub-rules *(1)* and *(2),* access to any part of the aircraft, organisation or air navigation facility including equipment, records, documents and personnel, and shall co-operate in conducting the activities referred to in sub-rules *(1)* and *(2).*

210. Obstruction of authorised persons.— No person shall voluntarily obstruct any person acting in the exercise of his powers or in the discharge of his duties under these rules.

211. Foreign military aircraft.— No person shall fly or land, or assist in flying or landing, any foreign military aircraft over or in India except on or with the invitation or permission in writing of the Central Government and on such conditions as may be specified in the invitation or permission.

212. Cancellation, suspension or endorsement of licences, certificates, authorisation and approval.— *(1)* Where any person is convicted of a contravention of or failure to comply with these rules or any direction issued under rule 202 in respect

of any aircraft, the Central Government may cancel or suspend any certificate of registration granted under these rules relating to that aircraft.

(2) The Central Government may cancel or suspend any certificate granted under these rules relating to airworthiness of an aircraft or a type certificate of an aircraft component, or item of equipment, if the Central Government is satisfied that a reasonable doubt exists as to the —

(a) safety of the aircraft or the type of aircraft; or

(b) the airworthiness of the aircraft component or item of equipment in respect of which a type certificate exists, and may vary any condition attached to any such certificate if the Central Government is satisfied that reasonable doubt exists as to whether such conditions afford a sufficient margin of safety.

(3) Where the licensing authority is satisfied, after giving him an opportunity of being heard, that any person has contravened or failed to comply with these rules or any direction issued under the provisions of rule 202, it may, for reasons to be recorded in writing, suspend or cancel or vary any particulars entered in any licence, certificate, authorisation or approval granted by it, and may require the holder of the licence, certificate, authorisation or approval to surrender the same for cancellation, suspension, endorsement or variation.

(4) If the Central Government is satisfied that there is sufficient ground for doing so, or in the case of suspension during investigation that the suspension is necessary in the public interest, it may, for reasons to be recorded in writing —

(a) suspend any certificate, rating or licence, authorisation and approval or any or all of the privileges of any certificate, rating or licence, authorisation and approval, for any specified period;

(b) suspend any certificate, rating or licence, authorisation and approval during the investigation of any matter;

(c) cancel any certificate, rating or licence, authorisation and approval; or

(d) endorse any adverse remarks on any certificate, rating or licence, authorisation and approval.

(5) The Central Government may cancel or vary any particulars entered by it or under its authority in any licence or certificate, authorisation and approval granted or in any journey log book issued under these rules.

(6) The Central Government may require the holder of any licence, certificate, authorisation and approval or other document granted or issued under these rules, or any person having possession or custody of such licence, certificate, authorisation and approval or document, to surrender the same to it for cancellation, suspension, endorsement or variation and any person failing to comply with any such requirement within a reasonable time shall be deemed to have acted in contravention of these rules.

(7) The decision of the Central Government as to whether any ground constitutes sufficient ground for suspension of any certificate, rating, licence, authorisation or approval in the public interest under the foregoing sub-rule shall be final and binding.

213. **Restrictions on licence, certificate, authorisation or approval.**— *(1)* The Director General may impose restrictions, as deemed fit, on any licence, certificate, authorisation or approval —

(a) in the event of non-compliance with any condition imposed on the said licence, certificate, authorisation or approval;

(b) if any safety concern that emerged during an inspection has remained unresolved beyond the period specified by the Director General.

(2) The Director General may, during an inspection, direct any person not to exercise privileges of his licence or certificate, if he is satisfied that there is sufficient ground for doing so and such direction shall be reduced in writing on the next working day along with reasons thereof, and further action for allowing the person concerned to exercise his privileges shall be taken thereafter, in accordance with the process specified by the Director General in this behalf.

214. Offences and compounding.— *(1)* For the purposes of sub-section *(4)* of section 25 of the Act, the Central Government directs that any person who has breached any rule as specified in Table 1 and Table 2 of the Fifth Schedule of these rules, shall be

punishable with the penalty as specified in paragraphs 1 and 2 respectively, of that Schedule.

(2) It shall be a defence in any proceedings for contravention of or failure to comply with these rules that such contravention or failure is caused or happened due to factors or circumstances beyond the control of the person referred to in sub-rule *(1)* or without the knowledge or fault of such person.

Explanation. — For the removal of doubts it is hereby clarified that for the purposes of this sub-rule, the expressions "factors or circumstances" may include stress of weather, bonafide error or such other unavoidable factors or circumstances.

(3) Subject to the provisions of section 30 of the Act Offences punishable under the rules as specified in Table 2 of the Fifth Schedule of these rules, may be compounded by the Director General or any other officer specially empowered under sub-section *(4)* of section 3 of the said Act, in accordance with the procedure as laid down in the said Schedule.

215. Penalties.— *(1)* Any person who has contravened any rule as specified in the Sixth Schedule of these rules, shall be liable for imposition of penalty to the extent as laid down in such Schedule and in accordance with the provisions of section 32 of the Act.

(2) The penalty shall be adjudicated by the designated officers or the appellate officer, as the case may be, in accordance with the procedure as laid down in the said Schedule.

216. Appeals.— *(1)* Any person, aggrieved by an order passed by an officer in exercise of the powers conferred on him by these rules, may prefer an appeal in accordance with the provisions of the section 33 of the Act.

(2) An appeal shall be preferred to the First Appellate Officer or Second Appellate Officer, as the case may be, in the Form B as provided in the Sixth Schedule along with the supporting documents and fee of one thousand rupees in the manner as specified by the Director General.

(3) Such appellate officer may call for any information, record or any other document from the applicant, if the same is considered relevant to the appeal.

(4) The appellate officer may, after giving an opportunity of being heard to the appellant, pass a speaking order, as he thinks fit, confirming, modifying or setting aside the order appealed against.

(5) The copy of appellate order so passed by appellate officer, shall be provided to the appellant.

217. Delegation of powers.— *(1)* The powers exercisable by the Central Government under these rules, may also be exercisable by the Director General or any other officer specifically empowered in this behalf by the Central Government, in accordance with the provisions of section 21 of the Act.

(2) The powers exercisable by the Director General under these rules may also be exercisable by any other officer specifically empowered in this behalf by the Central Government, in accordance with the provisions of sub-section *(4)* of section 3 of the Act.

(3) The exercise or discharge of any power or duty conferred or imposed by the rule 212 or Chapter III or Chapter IV of these rules on the Central Government by an authority outside India specified by the Central Government in that behalf, shall have effect in India as though the powers have been exercised or the duty discharged by a person authorised in this behalf under sub-rule *(1).*

218. General power to exempt.— The Central Government may exempt from all or any of the provisions of these rules in accordance with the provisions of section 20 of the Act.

219. Transition, continuity and renewal of certificate and licence.—*(1)* Notwithstanding anything contained in these rules, any Radio Telephone Operator Certificate and Licence including Radio Telephony Restricted (Aeronautical), Radio Telephony Restricted (Permit) or Radio Telephony Restricted (Conversion) Licence or Certificate of proficiency and authorisation, issued by the Wireless Planning and Coordination Wing of the Department of Telecommunications under the Indian Wireless Telegraphy (Commercial Radio Operator's Certificate of Proficiency and Licence to operate Wireless Telegraphy) Rules, 1954 or issued by Directorate General of Civil Aviation under Radio Telephone Operator (Restricted) Certificate and Licence Rules, 2025 shall, unless suspended or cancelled, remain valid up to its existing validity period.

(2) The holder of such Certificate and Licence may apply for renewal of the said Certificate and Licence before the date of its expiry, but not prior to one year from such date, in the form and manner specified by the Director General.

(3) Upon verification of the particulars of the applicant and the validity of the existing licence issued by the Wireless Planning and Coordination Wing, the Director General shall issue a corresponding Certificate and Licence under these rules, which shall remain valid till the holder attains the age of eighty years, unless suspended or cancelled.

(4) The holder of such Certificate and Licence shall not be required to undergo re-examination under the provisions of rule 107 for the purpose of such renewal.

220. Repeal and Savings.— Part IX of the Aircraft Rules, 1920, the Aircraft Rules, 1937 and the Radio Telephone Operator (Restricted) Certificate and Licence Rules, 2025 stand repealed, except as respects things done or omitted to be done before such repeal including any notification, inspection or order made or issued; or any licence, certificate, approval, permission or exemption granted; or any document or instrument executed; or any direction issued; or any proceedings taken or any penalty, punishment, forfeiture or fine imposed under these rules so repealed shall, in so far as it is not inconsistent with the provisions of the Act.

THE FIRST SCHEDULE

AIRCRAFT PERSONNEL

(See Chapter IV)

SECTION A

GENERAL

1. Educational qualification.— *(a)* The minimum educational qualification for the following licences shall be passed the 10th Class from a recognised Board or its equivalent examination: —

(i) Student Pilot's Licence (Aeroplanes, Helicopters, Gyroplanes, Gliders, Balloons, Microlight Aircraft and Light Sport Aircraft);
(ii) Private Pilot's Licence (Aeroplanes);
(iii) Private Pilot's Licence (Helicopters);
(iv) Pilot's Licence (Gliders, Balloons, Gyroplanes, Microlight Aircraft and Light Sport Aircraft);
(v) Flight Radio Telephone Operator's Licence (Restricted).

(b) The minimum educational qualification for the following licences shall be the 12th Class passed, with Physics and Mathematics, from a recognised Board or University or its equivalent examination: —

(i) Commercial Pilot's Licence (Aeroplanes);

(ii) Commercial Pilot's Licence (Helicopters);

(iii) Airline Transport Pilot's Licence (Aeroplanes);

(iv) Airline Transport Pilot's Licence (Helicopters);

(v) Flight Radio Telephone Operator's Licence;

(vi) Student Navigator's Licence;

(vii) Flight Navigator's Licence;

(viii) Student Flight Engineer's Licence; and

(ix) Flight Engineer's Licence.

2. Flying experience.— *(a)* The evidence normally required as proof of flying experience shall consist of the production of a personal log book certified by the appropriate authority as specified in sub-rule *(3)* of rule 84, or of a certified extract therefrom in the form which may be prescribed by the Director General, and such flying experience shall be to the satisfaction of the Director General.

(b) The flying experience required for the issue of Private Pilot's Licence and Commercial Pilot's Licences shall be acquired under the supervision of a flight instructor and shall be on aircraft maintained and operated in accordance with these rules and entered in the aircraft rating of pilot's licence currently held by him:

Provided that the flying experience, on an aircraft having a valid special certificate of airworthiness issued by the Director General, may also be counted, if so provided in the relevant Section of this Schedule and subject to the conditions specified therein.

(c) The flying experience required for issue of Private Pilot's and Commercial Pilot's Licence shall be acquired at the flying training organisations approved or recognised by the Director General except in respect of the applicants qualifying for exemption under the provisions of rule 80.

(d) The flying experience acquired for the issue of various categories of flight crew licences shall be counted in the manner set out in the provisions of rule 84.

(e) Flying training shall be completed in accordance with the syllabus prescribed by the Director General.

(f) A holder of a Private Pilot's Licence (Aeroplanes) who has availed of any credit for flying done on a microlight or glider or light sport aircraft as per the provisions of Section C of this Schedule shall be entitled to get full credit for the same for the issue of next higher pilot licence.

3. Air navigation experience.— The evidence of air navigation experience acquired in clause *(e)* of paragraph 1 of Section S of this Schedule must be produced in the form of personal log book certified by a specified authority, or a certified extract therefrom in the prescribed form and navigation logs and charts and such air navigation experience shall be to the satisfaction of the Director General.

4. Flight by night. — Flight by night for the purpose of this Schedule, except where otherwise stated, means a flight performed between the period of half an hour after sunset and half an hour before sunrise.

5. Cross-country flight. — A cross-country flight, for the purpose of this Schedule, shall mean a flight to a point beyond a radius of fifty nautical miles from the aerodrome of departure, unless otherwise stated.

6. Flying tests. — *(a)* The flying tests prescribed in this Schedule may be carried out in any order by an examiner approved by the Director General.

(b) The flying tests shall nevertheless be carried out only after the pilot under test has passed the examination in Aircraft and Engines on the type appropriate to the category of licence.

(c) Stalling and spinning manoeuvres shall be carried out only on the type of aeroplane approved and the recovery from such manoeuvres completed at the minimum height above the ground or obstruction as laid down in the flight manual of the aeroplane or as specified by the Director General and in no case below two thousand feet above the ground or obstruction.

(d) The holder of a current Commercial Pilot's Licence (Aeroplanes or Helicopters), issued by the Director General, shall not be required to undergo general flying test for the issue of Airline Transport Pilot's Licence (Aeroplanes or Helicopters), provided that the aircraft or helicopter is entered in the aircraft rating of his licence and the applicant is in current flying practice on the type.

7. Langauage proficiency.— *(a)* An applicant for the following licences shall have the ability to speak and understand English language used for radio telepohony communications to the level of proficiency specified by the Director General, namely —

(i) Private Pilot's Licence (Aeroplanes);
(ii) Private Pilot's Licence (Helicopters);
(iii) Commercial Pilot's Licence (Aeroplanes);
(iv) Commercial Pilot's Licence (Helicopters);
(v) Airline Transport Pilot's Licence (Aeroplanes);
(vi) Airline Transport Pilot's Licence (Helicopters);
(vii) Flight Engineer's Licence;
(viii) Flight Navigator's Licence; and
(ix) Pilot's Licence (Microlight aircraft or Light sport aircraft or Gyroplanes).

(b) The level of proficiency shall be evaluated in accordance with the procedures laid down by the Director General.

(c) The licencing authority shall indicate the level of proficiency in the licence.

8. Examination.— *(a)* The technical and other examinations for the issue of a licence, rating or type rating under this Schedule shall be completed within a period of two and a half years immediately preceding the date of application for the issue of the licence or rating, except for issue of Commercial Pilot's Licence and Airline Transport Pilot's Licence, and for issue of Commercial Pilot's Licence and Airline Transport Pilot's Licence, such period shall be five years.

(b) In case the technical and other examinations or tests expire on a holiday, they shall be deemed to be valid till the next working day.

(c) All oral examinations under this Schedule shall be conducted by a board constituted and approved by the Director General.

(d) An applicant who fails in any subject of the technical examinations specified in this Schedule shall not be permitted to appear for re-examination within such period from the date of examination as may be specified by the Director General.

(e) The candidates shall, on demand by the examiner or supervisor furnish proof of identity before each test of examination.

9. Applications for a licence or a rating. — *(a)* Applications for issue or validation of a licence or a rating shall be made to the Director General of Civil Aviation, New Delhi and for renewal or revalidation of a licence or a rating shall be made either to the Director General of Civil Aviation, New Delhi or to any other authority designated by him in this behalf in the prescribed form.

(b) Licence and ratings specified in this Schedule shall be issued in the name as entered in the Class 10th certificate of a recognised Board or its equivalent, unless the name has been changed with the due legal process.

(c) Class 10th certificate of a recognised Board or its equivalent or the Birth Certificate issued by a Municipal Corporation or Committee shall be the documents acceptable as proof of age.

(d) Application for the issue of a licence or a rating shall be accompanied by **—**

(i) an assessment of medical fitness issued by the Director General;

(ii) photographs of size 3 cmsX 4 cms of the applicant's head (uncovered) and shoulders in front view and as specified by the Director General;

(iii) proof of age as prescribed in sub-paragraph (c) ;

(iv) fee shall be paid electronically in the manner as specified by the Director General;

(v) any other information as required by the Director General.

(e) The date of application, shall be the date of receipt of application in the office of the Director General.

(f) An aircraft type to be included in the aircraft rating of a pilot's licence shall be the aircraft type on the Indian Register of Civil Aircraft:

Provided that where a new type of aircraft is inducted in India, such type may be included in the aircraft rating of a pilot's licence, subject to the issuance of a valid type acceptance certificate by the Director General:

Provided further that an aircraft type holding or having held a valid type acceptance certificate issued by the Director General shall be entered in the aircraft rating of a pilot's licence of a person who is a qualified pilot from the Indian Air Force, Indian Navy, Indian Army, Indian Coast Guard or any central police force.

(g) Incomplete applications are liable to be rejected for reasons to be recorded in writing.

10. Enrolment for training.— To enrol a person for undergoing ab-initio pilot training, the training organisation shall obtain a report of verification of character and antecedents of the trainee from the concerned Government agency, and such verification report shall be submitted to the Director General at the time of submission of the application for issue of the licence.

11. Privileges.— The holder of a valid licence shall not exercise privileges of his licence and ratings unless meeting the competency and recent experience requirements as specified by the Director General.

12. Renewal.– Licence and rating may be renewed on receipt of satisfactory evidence of the applicant having complied with requirements as laid down under the provisions of rule 82 and respective Section of this Schedule.

13. Licence specification.— Licences and ratings issued under this Schedule and details thereon shall be in the form and manner as specified by the Director General.

14. Holding a licence.— A person shall not hold at any time more than one licence per aircraft category issued under this Schedule.

15. Issue of duplicate licences and ratings.— *(a)* A person whose licence or rating has been lost, mutilated or destroyed shall immediately notify the same to the Director General.

(b) An application along with necessary fees shall be made to the Director General embodying a statement of the circumstances involved in the loss, mutilation and destruction of the licence or rating where a duplicate is required.

(c) If the licence or rating has been lost, the applicant must provide evidence of reasonable search having been made for it along with report from appropriate agencies and in case it is found, the original shall be returned for cancellation.

SECTION B

STUDENT PILOT'S LICENCE

1. Requirements for issuance of licence. — An applicant for a Student Pilot's Licence shall satisfy the following requirements, namely: —

(a) Age: The applicant shall not be less than sixteen years of age on the date of application.

(b) Educational qualification: He shall have passed Class 10th or its equivalent examination from a recognised Board.

(c) Medical fitness: He shall produce in a prescribed proforma, a certificate of physical fitness from an approved medical practitioner after undergoing a medical examination, during which he shall have established his medical fitness on the basis of compliance with the requirements as notified by the Director General under rule 78.

(d) Knowledge: He shall pass oral examination in Air Regulations, Air Navigation, Aviation Meteorology and Aircraft and Engines or Instruments as per the syllabus prescribed by the Director General unless he previously held a pilot's licence of a higher category, or is able to produce evidence in the manner prescribed by the Director General that he is well-versed with the aforesaid subjects.

2. Validity. — The licence shall be valid for a period as specified in rule 79.

3. Renewal. — The licence may be renewed on receipt of satisfactory evidence of the applicant having undergone a medical examination in accordance with clause *(c)* of paragraph 1.

4. Aircraft rating.— The licence shall indicate the category, class and/or type of aircraft, the holder is entitled to fly and only those types of aircraft may be entered in the licence in respect of which the candidate has passed the examination in Aircraft and Engines mentioned in clause *(d)* of the paragraph 1.

5. Privileges. — Subject to the validity of aircraft ratings in the licence and compliance with the relevant provisions of rules 78, 79 and rule 82, the privileges of the holder of a Student Pilot's Licence shall be to fly within Indian territory only, as pilot-in-command of any aeroplane, helicopter, glider or light sport aircraft or gyroplane entered in the aircraft rating of his licence:

Provided that —

(a) he shall fly at all times under the authority and supervision of a flight instructor or an approved examiner;

(b) he shall fly under visual flight rules only ;

(c) he shall not carry passengers, animals and goods or fly for hire, reward or remuneration of any kind; and

(d) he shall not undertake cross-country flights unless he has a minimum of ten hours of solo flight time and has passed the examinations in Air Navigation and Aviation Meteorology.

Note: The Student Pilot's Licence shall be issued by a flying training organisation specifically authorised in this regard and subject to the conditions as laid down by the Director General.

SECTION C

PRIVATE PILOT'S LICENCE (AEROPLANES)

1. Requirements for issuance of licence. — An applicant for Private Pilot's Licence shall satisfy the following requirements, namely:-

(a) Age: He shall not be less than seventeen years of age on the date of application.

(b) Educational qualification: He shall have passed Class 10th or equivalent examination from a recognised Board.

(c) Medical fitness: He shall produce in a prescribed proforma, a certificate of physical fitness from an approved medical practitioner after undergoing a medical examination during which he shall have established his medical fitness on the basis of compliance with the requirements as notified by the Director General under rule 78.

(d) Knowledge: He shall pass a written examination in Air Regulations, Air Navigation, Aviation Meteorology and Aircraft and Engines as per the syllabus prescribed by the Director General:

Provided that an applicant in possession of a valid Private Pilot's Licence (Helicopters) or a Commercial or Airline Transport Pilot's Licence (Helicopters) shall pass an examination in Aircraft and Engines only.

(e) Experience: He shall produce evidence of having satisfactorily completed as a pilot of an aeroplane not less than forty hours of flight time which shall include—

(i) not less than ten hours of solo flight time;

(ii) not less than five hours of cross-country flight time in accordance with paragraph 5 of Section A as the sole occupant of an aeroplane including a flight of not less than one hundred and fifty nautical miles in the course of which full stop landings at two different aerodromes shall have been made;

(iii) not less than five hours of solo flight time completed within a period of twelve months immediately preceding the date of application for the issue of licence;

(iv) fifty per cent. of the total flying experience on microlight aircraft or on a glider acquired during the preceding twenty-four months from the date of application subject to a maximum of ten hours may be counted towards the total experience required for the issue of the licence;

(v) solo flight time completed on light sport aircraft within the preceding twenty-four months from the date of application, subject to maximum of twenty hours, may be counted towards the total experience required for the issue of the licence:

Provided that not more than twenty hours of credit shall be given to an applicant under sub-clauses *(iv)* and *(v)* put together.

(f) Flying training: He shall have completed flying training in accordance with the syllabus prescribed by the Director General.

(g) Skill: He shall have demonstrated his competency to perform as a pilot-in-command of an aeroplane, the procedures and manoeuvres prescribed in the syllabus to the satisfaction of the examiner, on the type of aeroplane to which the application for the licence relates, within a period of six months immediately preceding the date of application.

2. Validity. — The licence shall be valid for a period as specified in rule 79.

3. Renewal. — The licence may be renewed on receipt of satisfactory evidence of the applicant —

(a) having undergone a medical examination in accordance with clause *(c)* of the paragraph 1; and

(b) having satisfactorily completed not less than five hours of flight time as pilot-in-command of an aeroplane within a period of twelve months immediately preceding the date of application for renewal or in lieu thereof, having

satisfactorily completed the flying test as laid down in clause *(g)* of paragraph 1 within a period of six months immediately preceding the date of application.

4. Ratings. — *(a)* Aircraft rating: The licence shall indicate the class or the type of aeroplane the holder is entitled to fly and the requirements for the issuance of class or type ratings of aeroplane as specified by the Director General.

(b) Night rating: Night rating entitles the holder of the licence to exercise privileges of the licence at night and conditions for the issue of this rating are as follows, namely: —

(i) he must have completed not less than fifty hours of flight time as pilot-in-command and as sole manipulator of the controls including not less than five hours by night, which must include a minimum of five take-offs and five landings carried out within the preceding six months of the date of application;

(ii) he must have completed a dual cross-country flight by night of at least one hundred nautical miles before he can be permitted to undertake sole cross-country flights by night;

(iii) he must have completed, before commencing night flying, not less than five hours of dual instructions in instrument flying which may include not more than two and a half hours on an approved flight simulation training device; and

(iv) he must have completed a dual cross-country flight by night of at least one hundred nautical miles before he can be permitted to undertake sole cross-country flights by night.

(c) Instrument rating: Instrument rating entitles the holder of the licence to fly under the instrument flight rules and the standard of medical fitness and conditions for issue of the rating are laid down in Section N.

5. Extension of aircraft rating. — For extension of aircraft rating to include an additional class or type of aeroplane, an applicant shall be required to produce evidence of —

(a) having passed written examination in Aircraft and Engines as mentioned in clause *(d)* of the paragraph 1;

(b) having undergone adequate dual instructions and solo flying to gain competency on the type;

(c) having satisfactorily completed the flight test as laid down in clause *(g)* of paragraph 1 on the type within a period of six months immediately preceding date of application for the extension of aircraft rating.

6. Privileges. — Subject to the validity of endorsements and ratings in the licence and compliance with the relevant provisions of rules 78, 79 and rule 82, the privileges of the holder of a Private Pilot's Licence shall be to act, but not for remuneration, as pilot -in-command or as co-pilot of any aeroplane which is entered in the aircraft rating of his licence and carry passengers therein:

Provided that —

(i) no flight is undertaken for hire or remuneration of any kind, or in an aircraft registered for public transport or aerial work purposes, whatsoever;

(ii) the passengers are carried by night only when the holder of licence is in possession of a valid night rating and has carried out not less than five take-offs and five landings by night as pilot-in-command within a period of six months immediately preceding the date of intended flight; and

(iii) no flight shall be undertaken under the instrument flight rules without being in possession of a valid instrument rating.

SECTION D

PRIVATE PILOT'S LICENCE (HELICOPTERS)

1. Requirements for issuance of licence. — An applicant for a Private Pilot's Licence (Helicopters) shall satisfy the following requirements, namely:—

(a) Age: He shall not be less than seventeen years of age on the date of application.

(b) Educational qualification: He shall have passed Class 10th or equivalent examination from a recognised Board.

(c) Medical fitness: He shall produce in a prescribed proforma, a certificate of physical fitness from an approved medical practitioner after undergoing a medical examination, during which he shall have established his medical fitness on the basis of compliance with the requirements as notified by the Director General under rule 78.

(d) Knowledge: He shall pass a written examination in Air Regulations, Air Navigation, Aviation Meteorology, and Aircraft and Engine as per the syllabus prescribed by the Director General:

Provided that an applicant in possession of a valid Private Pilot's Licence (Aeroplanes) or a Commercial or Senior Commercial or Airline Transport Pilot's Licence (Aeroplanes) shall pass an examination only in Aircraft and Engines.

(e) Experience: He shall produce evidence of having satisfactorily completed as a pilot of a helicopter not less than forty hours of flight time which shall include—

(i) not less than ten hours of solo flight time;

(ii) not less than five hours of cross-country flight time as the sole occupant of helicopter or helicopters including a flight of not less than one hundred nautical miles in the course of which full stop landings at two different points shall have been made;

(iii) not less than five hours of solo flight time completed within a period of twelve months immediately preceding the date of application for the issue of licence;

(iv) fifty per cent. of the total flying experience acquired on an aircraft in any other category except balloons, during the preceding twenty - four months from the date of application subject to a maximum of five hours may be counted towards the total experience required for the issue of the licence;

(v) solo flight time completed on an aircraft in any other category except balloons, within the preceding twenty-four months from the date of application, subject to maximum of five hours, may be counted towards the total experience required for the issue of the licence:

Provided that not more than twenty hours of credit shall be given to an applicant under sub-clauses *(iv)* and *(v)* put together:

Provided further that a person who has satisfactorily completed not less than three hundred hours of flight time as pilot-in-command of an aeroplane shall be required to complete on a helicopter not less than twenty hours of total flight time, dual and solo, which shall include not less than ten hours of solo flight time completed within a period of twelve months immediately preceding the date of application for a licence.

(f) Flying training: He shall have completed flying training in accordance with the syllabus prescribed by the Director General.

(g) Skill: He shall have demonstrated his competency to perform the procedures and manoeuvres prescribed in the syllabus to the satisfaction of the examiner, on the type of helicopter to which the application for the licence relates, within a period of six months immediately preceding the date of application.

2. Validity. — The licence shall be valid for a period as specified in rule 79.

3. Renewal. — The licence may be renewed on receipt of satisfactory evidence of the applicant —

(a) having undergone a medical examination in accordance with clause *(c)* of paragraph 1; and

(b) having satisfactorily completed not less than five hours of flight time as pilot-in-command of a helicopter within a period of six moths immediately preceding the date of application for renewal or in lieu thereof, having satisfactorily completed the flight test as laid down in clause *(g)* of paragraph 1 within a period of six months immediately preceding the date of application.

4. Ratings.— *(a)* Aircraft rating: *(i)* The licence shall indicate the type of helicopter the holder is entitled to fly.

(ii) Requirements for the issue of helicopter type ratings may be specified by the Director General.

(b) Night rating: Night rating entitles the holder to exercise privileges of the licence at night and conditions for the issue of this rating are as follows, namely:—

(i) he must have completed not less than fifty hours of flight time as pilot-in-command of a helicopter and as sole manipulator of the controls, including not less than ten take-offs and ten landing patterns by night within a period of six months immediately preceding the date of application; and

(ii) he must have completed not less than five hours of dual instructions in night flying.

(c) Instrument rating: Instrument rating entitles the holder to fly under the instrument flight rules and the standard of medical fitness and conditions for issue of this rating are laid down in Section O.

5. Extension of aircraft rating. — For extension of aircraft rating, to include an additional type of helicopter, an applicant shall be required to produce evidence of —

(a) having passed written examination in Aircraft and Engines as laid down in clause *(d)* of paragraph 1;

(b) having undergone adequate dual instructions and acquired sufficient solo flying experience to gain competency on the type; and

(c) having satisfactorily completed the flying test as laid down in clause *(g)* of paragraph 1 on the type within a period of six months immediately preceding the date of application for extension of aircraft rating.

6. Privileges. — Subject to the validity of endorsement and ratings in the licence and compliance with the relevant provisions of rules 78, 79 and rule 82, the privileges of the holder of a Private Pilot's Licence (Helicopters) shall be to act, but not for

remuneration, as pilot-in-command or as a co-pilot of any helicopter which is entered in the aircraft rating of his licence and carry passengers therein:

Provided that —

(a) no flight shall be undertaken for hire or remuneration of any kind, or in an aircraft registered for public transport or aerial work purposes whatsoever;

(b) the passengers are carried by night only when the holder of licence is in possession of a valid night rating and has carried out not less than five take-offs and five landings patterns by night as pilot-in-command within a period of six months immediately preceding the date of intended flight; and

(c) no flight shall be undertaken under the instrument flight rules without being in possession of a valid instrument rating.

SECTION E

PILOT'S LICENCE (MICROLIGHT)

1. Requirements for the issuance of licence. — An applicant for a Pilot's Licence Microlight Aircraft shall satisfy the following requirements, namely:—

(a) Age: He shall not be less than seventeen years of age on the date of application.

(b) Educational qualification: He shall have passed Class 10^{th} or equivalent examination from a recognised Board.

(c) Medical fitness: He shall produce in a prescribed proforma, a certificate of physical fitness from an approved medical practitioner after undergoing a medical examination, during which he shall have established his medical fitness on the basis of compliance with the requirements as notified by the Director General under rule 78.

(d) Knowledge: He shall pass a written examination in Air Regulations, Air Navigation, Aviation Meteorology, and Aircraft and Engines as per the syllabus prescribed by the Director General:

Provided that an applicant in possession of a valid Private Pilot's Licence (Aeroplanes or helicopters) or a higher category of pilot's licence shall upon production of evidence in the form of a certificate recorded by flight instructor or examiner in the pilot's log book to the effect that the pilot has been thoroughly familiarised with the flight controls, speed profiles, systems, engines and limitations of the microlight aircraft be exempted:

Provided further that an applicant in possession of a valid Pilot's Licence Gliders shall be exempted from examination in Air Regulations and Aviation Meteorology only.

(e) Security clearance: If not already obtained, security clearance for the pilot shall be obtained from the concerned State Police authorities by the Flying Club or Government flying training school before commencing flying and shall be forwarded to the Director General.

(f) Experience: He shall produce evidence of having satisfactorily completed not less than forty hours of flight time on microlight aircraft, which shall include, —

(i) not less than fifteen hours of solo flight time of which not less than ten hours shall have been completed within a period of twelve months immediately preceding the date of application for the licence;

(ii) not less than five hours of cross-country flight time as the solo occupant of microlight aircraft including a flight over a distance of not less than fifty nautical miles from the aerodrome of departure and at least one full stop landing at a suitable aerodrome or landing ground other than the aerodrome of departure; and

(iii) I. the holder of a current Private Pilot's Licence (Aeroplanes) or a higher category of licence (aeroplanes) shall be exempted from the experience requirements.

II. such pilots shall be required to carry out familiarisation flights which shall be followed by not less than three solo take-offs and landings.

III. the familiarisation flights shall be carried out under the supervision of an approved examiner or a flight instructor approved by the Director General.

(g) Flying training: He shall have completed the flying training in accordance with the syllabus prescribed by the Director General.

(h) Skill: He shall have demonstrated his competency to perform the procedures and manoeuvres prescribed in the syllabus to the satisfaction of an examiner, on the type of microlight aircraft to which the application for licence relates, within a period of six months immediately preceding the date of application.

2. Validity. — The licence shall be valid for a period as specified in rule 79.

3. Renewal. — The licence may be renewed on receipt of satisfactory evidence of the applicant —

(a) having undergone a medical examination in accordance with clause of *(c)* of paragraph 1.

(b) having satisfactorily completed not less than five hours of flight time as pilot-in-command of a microlight aircraft within a period of twelve months immediately preceding the date of application for renewal or in lieu thereof, having satisfactorily completed the flight test as laid down in clause of *(h)* of paragraph 1 within a period of six months immediately preceding the date of application.

4. Aircraft rating. — *(a)* The licence shall indicate the class and type of microlight aircraft, the holder is entitled to fly.

(b) An open rating for all types of microlight aircraft may also be granted if he has satisfactorily completed not less than one hundred hours of flight time as pilot-in-command of an aeroplane or a microlight aircraft provided that before undertaking a solo flight on any microlight aircraft, he shall have undergone familiarisation with the flight controls, speed profiles, systems, engines and limitations of the aircraft with a qualified microlight pilot having one hundred fifty hours of pilot-in-command experience and a certificate to that effect recorded in the pilot's log book.

5. Privileges. — Subject to the validity of aircraft ratings in the licence and compliance with the relevant provisions of the rules 78, 79 and rule 82, the privileges of the holder of a Pilot's Licence (Microlight) shall be to act as pilot-in-command of a microlight aircraft, which is entered in the aircraft ratings of his licence, under the visual flight rules.

SECTION F

PILOT'S LICENCE (BALLOONS)

1. Requirements for the issuance of licence.— An applicant for a pilot's licence shall satisfy the following requirements, namely :—

(a) Age: He shall be not less than sixteen years of age on the date of application.

(b) Educational qualification: He shall have passed Class 10th or equivalent examination from a recognised Board.

(c) Medical fitness: He shall produce in a prescribed proforma, a certificate of physical fitness from an approved medical practitioner after undergoing a medical examination, during which he shall have established his medical fitness on the basis of compliance with the requirements as notified by the Director General under the provisions of rule 78.

(d) Knowledge: He shall pass a written examination in Air Regulations, Air Navigation, Aviation Meteorology, Airmanship and Balloon systems or Aerostatics as per the syllabus prescribed by the Director General :

Provided that an applicant in possession of a current Pilot's Licence Gliders, Private Pilot's Licence (Aeroplanes or Helicopters), Pilot's Licence Microlight Aircraft or a higher category of pilot's licence shall pass an examination only in Airmanship and Balloon system or Aerostatics.

(e) Security clearance: If not already obtained, security clearance for the pilot will be obtained from the concerned State Police authorities by the Flying Club or Government flying training school before commencing flying training and forwarded to the Director General.

(f) Experience: He shall produce evidence of having satisfactorily completed as pilot of a balloon not less than sixteen hours of flight time as a pilot of free balloons including at least eight launches and ascents of which—

(i) six ascents shall be under instruction;

(ii) one ascent in control, under the supervision of a properly rated balloon pilot, to an altitude of not less than one thousand five hundred meters above sea level;

(iii) one ascent under supervision as the sole occupant of a balloon.

(g) Flying training: He shall have completed flying training in accordance with the syllabus prescribed by the Director General.

(h) Skill: He shall have demonstrated his competency to perform the procedures and manoeuvres prescribed in the syllabus to the degree of competency appropriate to the pilot-in-command privileges to the examiner, on the type of the balloon to which the application for the licence relates, within a period of six months immediately preceding the date of application.

2. Validity. — The licence shall be valid for a period as specified in rule 79.

3. Renewal. — The licence shall be renewed on receipt of satisfactory evidence of the applicant —

(a) having undergone a medical examination in accordance with clause *(c)* of paragraph 1.

(b) having satisfactorily completed at least five ascents as pilot-in-command of which at least one ascent should be to an altitude of one thousand five hundred metres or above within a period of six months immediately preceding the date of application or in lieu thereof, having satisfactorily completed the flying test in accordance with clause *(h)* of paragraph 1 within a period of six months immediately preceding the date of application.

4. Night rating.— *(a)* To exercise the privileges of the licence by night, the applicant shall have completed atleast two ascents by night each of not less than two hours duration under the supervision of a licensed balloon pilot whose licence is not limited to day flying only.

(b) Night rating shall be valid subject to the licence holder having completed atleast two ascents by night of an average duration of one hour each during a period six months immediately preceding the date of intended flight.

5. Privileges. — The privileges of the holder of a Pilot's Licence (Balloons) shall be to act as pilot-in-command of any balloon and to carry passengers, tow banners, fixed or otherwise, which do not adversely affect the safety of the balloon, under the visual flight rules only.

SECTION G

PILOT'S LICENCE (GLIDERS)

1. Requirements for the issuance of licence. — An application for the issue of Pilot's Licence (Gliders) shall satisfy the following requirements, namely:—

(a) Age: He shall be not less than sixteen years of age on the date of application.

(b) Educational qualification: He shall have passed Class 10th or equivalent examination from a recognised Board.

(c) Medical fitness: He shall produce in a prescribed proforma, a certificate of physical fitness from an approved medical practitioner after undergoing a medical examination, during which he shall have established his medical fitness on the basis of compliance with the requirements as notified by the Director General under the provisions of rule 78.

(d) Knowledge: He shall pass an oral examination in Air Regulations, Air Navigation, Aviation Meteorology and Aircraft and Instruments, and engines in case of motor gliders, as per the syllabus prescribed by the Director General:

Provided that an applicant in possession of a valid Pilot's Licence Balloons or Microlight Aircraft, Private Pilot's Licence (Aeroplanes or Helicopters) or a higher category of pilot's licence shall pass an oral test in Aircraft and Instruments.

(e) Experience: He shall produce evidence of having satisfactorily completed as pilot of a Glider —

(i) not less than ten hours of flight time of which not less than five hours shall be solo flight time; and

(ii) not less than seventy-five take-offs and landings of which not less than twenty-five solo take-offs and landings shall have been completed within a period of six months immediately preceding the date of application for licence.

(f) Flying training: He shall have completed the gliding training in accordance with the syllabus prescribed by the Director General.

(g) Skill: He shall have demonstrated his competency as pilot-in-command of a glider, the procedures and manoeuvres prescribed in the syllabus to the satisfaction of the examiner, on the type of glider to which the application for the licence relates within a period of six months immediately preceding the date of application.

2. Validity. — The licence shall be valid for a period as specified in rule 79.

3. Renewal. — The licence shall be renewed on receipt of satisfactory evidence of the applicant—

(a) having undergone a medical examination in accordance with clause *(c)* of paragraph 1;

(b) having satisfactorily completed not less than three hours of flight time or twenty take-offs and landings as pilot-in-command of a glider within a period of six months preceding the date of application for renewal or in lieu thereof, having satisfactorily completed the flying tests in accordance with clause *(g)* of paragraph 1 within period of six months immediately preceding the date of application.

4. Ratings. — *(a)* Aircraft rating: The licence shall indicate the type of gliders, the holder is entitled to fly.

(i) An open rating to fly all gliders having an all-up-weight not exceeding six hundred kg. may also be granted, if a pilot has satisfactorily completed not less than fifty hours of flight time as pilot-in-command in free flight including not less than two hundred take-offs and landings as solo manipulator of controls:

Provided that the privileges of open rating shall be exercised only after having undergone familiarisation flights with flight instructor (glider) or with an approved examiner or having been thoroughly briefed by an approved examiner or an instructor in case of single seater glider and a certificate to that effect recorded by the examiner or instructor in the pilot's log book, before releasing the pilot for flight.

(b) Aero-tow rating: Aero-tow rating entitles the holder to carry passengers in gliders in aero-tow flights. An aero-tow rating may be given if a glider pilot has satisfactorily completed in a glider not less than ten aero-tow flights of a total duration of not less than two hours as pilot of a glider:

Provided that no solo aero-tow flights are undertaken, unless atleast five dual aero-tow flights have been carried out with a qualified instructor on board and a satisfactory report to that effect recorded by the instructor in the pilot's log book before the aero-tow flights are undertaken.

(c) Glider towing requirements: No person shall act as pilot-in-command of an aircraft towing a glider unless he meets the following requirements, namely: —

(i) he holds a valid pilot's licence (other than a Student Pilot's Licence);

(ii) he has an endorsement in his pilot's log book from a person authorised to give instruction in glider towing and is familiar with the techniques and procedures essential to the safe towing of gliders including airspeed limitations, emergency procedures, signals used and maximum angles of bank;

(iii) he has made and entered in his pilot's log book at least three flights as sole manipulator of the controls of an aircraft towing a glider under the supervision of a pilot who meets the requirements of this clause and has carried out at least ten flights as pilot-in-command of an aircraft towing a glider;

(iv) If he holds only a Private Pilot's Licence (Aeroplanes), he shall have not less than one hundred hours of flight time as pilot-in-command.

(d) Motor glider rating: Motor glider rating entitles the holder to carry passengers in a self launching motor glider. A motor glider rating may be given if the holder of a valid Pilot's Licence (Glider) produces evidence of—

(i) having passed an oral examination in engines;

(ii) having satisfactorily completed as pilot of self-launching motor glider not less than forty take-offs and landings, out of which not less than ten take-offs and landings shall have been completed as pilot-in- command;

(iii) having thoroughly familiarised himself with the flight controls, speed profiles, systems, engines and limitations of the aircraft with an approved examiner or glider instructor and a certificate to that effect recorded by instructor or examiner in the pilot's log book.

5. Extension of aircraft rating.— For extension of aircraft rating to include an additional type of glider, the applicant shall be required to produce evidence of—

(i) having passed an oral examination in aircraft and instruments and engines in case of motor gliders, as mentioned in clause (d) of paragraph 1 ;

(ii) having satisfactorily completed the flying tests in accordance with clause (g) of paragraph 1 on the type of glider to which the application relates within a period of six months immediately preceding the date of application for extension of the aircraft rating; and

(iii) having satisfactorily carried out not less than three take-offs and landings as pilot-in-command as sole manipulator of controls.

6. Privileges. — Subject to the validity of the aircraft ratings in the licence and compliance with the relevant provisions of rules 78, 79 and rule 82, the privileges of the holder of Pilot's Licence (Gliders) shall be to act, as pilot-in-command off any glider which is entered in the aircraft rating of the licence and to carry passengers therein under the visual flight rules.

Note: 1. The privileges granted under this Section shall be exercised only when the method of launching is any one of the following, namely:—

(a) winch-launching, or
(b) auto-launching, or
(c) launching by aero-tow.

2. If any unconventional method of launching such as rockets, catapults, etc. is adopted, the privileges to fly-in-command and to carry passengers shall be exercised only after he has completed an approved course of training and a flying test to the satisfaction of the Director General.

SECTION H

PILOT'S LICENCE (LIGHT SPORT AIRCRAFT)

1. Requirements for the issuance of licence. — An applicant for a Pilot's Licence (Light Sport Aircraft) shall satisfy the following requirements, namely:—

(a) Age: He shall not be less than seventeen years of age on the date of application.

(b) Educational qualification: He shall have passed Class 10th or equivalent examination from a recognised Board.

(c) Medical fitness: He shall produce in a prescribed proforma, a certificate of physical fitness from an approved medical practitioner after undergoing a medical examination, during which he shall have established his medical fitness on the basis of compliance with the requirements as notified by the Director General under the provisions of rule 78.

(d) Knowledge: He shall pass a written examination in Air Regulations, Air Navigation, Aviation Meteorology and Aircraft and Engines as per the syllabus prescribed by the Director General:

Provided that an applicant in possession of a valid Private Pilot's Licence (Aeroplanes or Helicopters) or a higher category of pilot's licence shall be exempted from passing all the aforesaid examinations under clause *(d)* after furnishing a certificate by the flight instructor or examiner in the pilot's log book to the effect that the pilot has been thoroughly familiarised with the flight controls, speed profiles, systems, engines and limitations of the light sport aircraft:

Provided further that an applicant in possession of a valid Pilot's Licence (Gliders) shall be exempted from examination in Air Regulations and Aviation Meteorology specified in clause *(d).*

(e) Experience: He shall produce evidence of having satisfactorily completed not less than forty hours of flight time on light sport aircraft, which shall include—

(i) not less than twenty hours of flight training with, —

(a) two hours of dual cross-country flight training;

(b) one solo cross-country flight of total distance of not less than fifty nautical miles with a full stop landing at a minimum of two different aerodromes and with one segment of the flight consisting of straight line distance of at least twenty-five nautical miles;

(ii) not less than ten hours of solo flight time with ten take-offs and landings completed within six months preceding the date of submission of application for issue of licence:

Provided that-

I. The holder of a current Private Pilot's Licence (Aeroplanes) or a higher category of Licence (Aeroplanes) shall be exempted from the experience requirements.

II. The pilot shall be required to carry out familiarisation flights of minimum one hour followed by not less than three solo take-offs and landings within six months preceding the date of application.

III. The flying shall be carried out under the supervision of an approved examiner or a flight instructor approved by the Director General and endorsed in the log book of the licence holder by the approved examiner or instructor.

(f) Flying training: He shall have completed the flying training in accordance with the syllabus prescribed by the Director General.

(g) Skill: He shall have demonstrated his competency to perform the procedures and manoeuvres prescribed in the syllabus to the satisfaction of an examiner, on the type of light sport aircraft to which the application for licence relates, within a period of six months immediately preceding the date of application.

2. Validity. — The licence shall be valid for a period as specified in rule 79.

3. Renewal. — The licence may be renewed on receipt of satisfactory evidence of the applicant —

(a) having undergone a medical examination in accordance with clause *(c)* of paragraph 1; and

(b) having satisfactorily completed not less than five hours of flight time as pilot-in-command of a light sport aircraft within a period of twelve months immediately preceding the date of application for renewal, or having satisfactorily completed the flight test as laid down in clause *(g)* of paragraph 1 within a period of six months immediately preceding the date of application.

4. Aircraft rating. — *(a)* The licence shall indicate the class and type of light sport aircraft, the holder is entitled to fly.

(b) An open rating for all types of light sport aircraft may also be granted if he has satisfactorily completed not less than one hundred hours of flight time as pilot-in-command of an aeroplane or a light sport aircraft:

Provided that the privilege of the open rating shall be exercised only after having undergone familiarisation with the flight controls, speed profiles, systems, engines and limitations of the aircraft with a qualified light sport pilot having not less than one hundred fifty hours of pilot-in-command experience and a certificate to that effect shall be recorded by the qualified light sport pilot of that aircraft in the pilot's log book.

5. Privileges.— *(a)* Subject to provisions of rules 78, 79 and rule 82, the privileges of the holder of a Pilot's Licence (Light Sport Aircraft) shall be to act as pilot-in-command

of a light sport aircraft, which is entered in the aircraft rating of his licence, under the visual flight rules.

(b) A Light Sport Aircraft Pilot shall not,—

(i) carry a passenger or property for reward or hire;

(ii) fly at night;

(iii) fly in class D and E airspace (controlled airspace) unless he holds a valid Flight Radio Telephony Operator's Licence (Restricted) and has been trained by an approved instructor with a log book endorsement for operation at any aerodrome with an operating control tower;

(iv) fly at an altitude of more than 10,000 feet mean sea level, or 2000 feet above ground level, whichever is higher;

(v) fly when flight or surface visibility is less than 5000 meter;

(vi) fly without visual reference to surface;

(vii) fly contrary to any operating limitation placed on the special certificate of airworthiness of the aircraft being flown; and

(viii) fly contrary to any limit on pilot licence or medical or any other limit.

(c) The holder of a Pilot Licence (Light Sport aircraft) having a total experience of one hundred hours of flight time as pilot–in-command on a light sport aircraft may impart flying instructions on a light sport aircraft subject to the condition that he has been assessed fit for imparting training by an examiner approved by the Director General.

(d) The holder of a Flight Instructor's Rating (Aeroplanes) having a total experience of fifteen hours of flight time as pilot in command on a light sport aircraft may impart instructional training on a light sport aircraft.

SECTION I

PILOT'S LICENCE (GYROPLANE)

1. Requirements for issuance of licence.— An applicant for a Pilot's Licence (Gyroplane) shall satisfy the following requirements, namely: —

(a) Age: He shall not be less than seventeen years of age on the date of application.

(b) Educational qualification: He shall have passed Class 10th or equivalent examination from a recognised Board.

(c) Medical fitness: He shall produce in a prescribed proforma, a certificate of physical fitness from an approved medical practitioner after undergoing a medical examination, during which he shall have established his medical fitness on the basis of compliance with the requirements as notified by the Director General under the provisions of rule 78.

(d) Knowledge: He shall pass a written examination in Air Regulations, Air Navigation, Aviation Meteorology and Aircraft and Engine as per the syllabus prescribed by the Director General:

Provided that an applicant in possession of a valid Private Pilot's Licence (Aeroplanes or Helicopters) or a higher category of pilot's licence shall pass an examination in Aircraft and Engines only.

(e) Experience: He shall produce evidence of having satisfactorily completed as a pilot of a gyroplane not less than forty hours of flight time, which shall include—

(i) not less than fifteen hours of solo flight time of which not less than ten hours shall have been completed within a period of twelve months immediately preceding the date of application.

(ii) not less than five hours of cross-country flight time as the sole occupant of a gyroplane including a flight of not less than one hundred

nautical miles in the course of which full stop landings at two different points shall have been made and this flight time may be included in the flight time required under sub-clause *(i)*:

Provided that –

I. The holder of a current Private Pilot's Licence (Helicopter) or a higher category of Licence (Helicopter) shall be exempted from the experience requirements.

II.The pilot shall be required to carry out familiarisation flights satisfactorily which shall be followed by not less than three solo take-offs and landings.

III. The familiarisation flights shall be carried out under the supervision of an approved examiner or a flight instructor authorised by the Director General.

(f) Flying training: He shall have completed flying training in accordance with the syllabus prescribed by the Director General.

(g) Skill: He shall have demonstrated his competency to perform the procedures and manoeuvres prescribed in the syllabus to the satisfaction of an examiner, on the type of gyroplane to which the application for the licence relates, within a period of six months immediately preceding the date of application.

2. Validity. — The licence shall be valid for a period as specified in rule 79.

3. Renewal. — The licence may be renewed on receipt of satisfactory evidence of the applicant —

(a) having undergone a medical examination in accordance with clause *(c)* of paragraph 1; and

(b) having satisfactorily completed not less than five hours of flight time as pilot-in-command of a gyroplane within a period of six months immediately preceding

the date of application for renewal or in lieu thereof, having satisfactorily completed the flight test as laid down in clause *(g)* of paragraph 1 within a period of six months immediately preceding the date of application.

4. Aircraft ratings. — *(a)* The licence shall indicate the type of gyroplane the holder is entitled to fly.

(b) An open rating for all types of gyroplane may also be granted, if he has satisfactorily completed not less than one hundred hours of flight time as pilot-in-command of a helicopter or a gyroplane:

Provided that the privilege of the open rating shall be exercised only after having undergone familiarisation flight of minimum forty-five minutes duration with a qualified gyroplane pilot having not less than one hundred fifty hours of pilot-in-command experience and a certificate to that effect shall be recorded by the qualified gyroplane pilot in the pilot's log book.

5. Privileges.— *(a)* Subject to provisions of rules 78, 79 and rule 82, the privileges of the holder of a Pilot's Licence (Gyroplane) shall be to act as pilot-in-command of a gyroplane which is entered in the aircraft rating of his licence, under the visual flight rules.

(b) A Gyroplane pilot shall not,—

(i) carry a passenger or property for reward or hire;

(ii) fly at night;

(iii) fly in class D and E airspace (controlled airspace) unless he holds a valid Flight Radio Telephony Operator's Licence (Restricted) and has been trained by an approved instructor with a log book endorsement for operation at any aerodrome with an operating control tower;

(iv) fly at an altitude of more than 10,000 feet mean sea level, or 2000 feet above ground level, whichever is higher;

(v) fly when flight or surface visibility is less than 5000 meter;

(vi) fly without visual reference to surface;

(vii) fly contrary to any operating limitation placed on the special certificate of airworthiness of the aircraft being flown; and

(viii) fly contrary to any limit on pilot licence or medical or any other limit.

(c) Fly another type of gyroplane after familiarisation of two hours under the supervision of qualified pilot on that type and a certificate to that effect shall be recorded by the qualified gyroplane pilot of that aircraft in the pilot's log book.

(d) The holder of a Pilot Licence (Gyroplane) having a total experience of one hundred hours of flight time as pilot-in-command on a gyroplane may impart flying instructions on a gyroplane subject to the condition that he has been assessed fit for imparting training by an examiner approved by the Director General.

(e) The holder of a Flight Instructor's Rating (Helicopter) having total experience of fifteen hours of flight time as pilot-in-command on a gyroplane may impart instructional training on a gyroplane.

SECTION J

COMMERCIAL PILOT'S LICENCE (AEROPLANES)

1. Requirements for issuance of licence.— An applicant for a Commercial Pilot's Licence (Aeroplanes) shall satisfy the following requirements, namely:—

(a) Age: He shall be not less than eighteen years of age on the date of application.

(b) Educational qualification: He shall have passed Class 12th with Physics and Mathematics or equivalent examination from a recognised Board or University.

(c) Medical fitness: He shall produce in a prescribed proforma, a certificate of physical fitness from an approved medical board after undergoing a medical examination during which he shall have established his medical fitness on the basis of compliance with the requirements as notified by the Director General under the provisions of rule 78.

(d) Knowledge: He shall pass a written examination in Air Regulations, Air Navigation, Aviation Meteorology, Aircraft and Engines, and Signals (practical) examination for interpretation of aural and visual signals, as per the syllabus prescribed by the Director General:

Provided that the holder of a current Commercial Pilot's Licence (Helicopters) shall be required to pass an examination in Aircraft and Engines only.

(e) Experience:He shall produce evidence of having satisfactorily completed as a pilot of an aeroplane on the date of application for licence not less than two hundred hours of flight time, which shall include not less than—

(i) one hundred hours of flight time as pilot-in-command of which not less than fifteen hours shall have been completed within a period of six months immediately preceding the date of application for licence;

(ii) twenty hours of cross-country flight time as pilot-in-command including a cross-country flight of not less than three hundred nautical miles in the course of which full stop landings at two different aerodromes shall be made;

(iii) ten hours of instrument time of which not more than five hours may be on an approved simulator; and

(iv) five hours of flight time by night including a minimum of ten take-offs and ten landings as pilot-in-command (as sole manipulator of controls) carried out within six months immediately preceding the date of application for licence:

Provided that in case of an applicant who is in possession of a Commercial Pilot's Licence (Helicopters) or Airline Transport Pilot's Licence (Helicopters) and who has satisfactorily completed not less than one thousand hours of flight time as pilot-in-command of a helicopter, the above experience requirement of two hundred hours as pilot of an aeroplane shall be reduced to one hundred hours, which shall include not less than –

(i) seventy-five hours of flight time as pilot-in-command including a minimum of twenty-five hours of cross-country flight time and ten hours of instrument time of which not less than five hours may be on approved simulator;

(ii) five hours of flight time by night as pilot-in-command within a period of six months immediately preceding the date of application for issue of licence including ten take-offs and landing patterns; and

(iii) ten hours of flight time as pilot-in-command on aeroplane within a period of six months immediately preceding the date of application for issue of licence.

(f) Flying training: He shall have completed the flying training in accordance with the syllabus prescribed by the Director General.

(g) Other requirements: He shall be in possession of a current Flight Radio Telephone Operator's Licence for operation of radio telephone apparatus on board an aircraft issued by the Director General.

(h) Skill: I. He shall have demonstrated his competency to perform the procedures and manoeuvres prescribed in the syllabus to the satisfaction of an examiner on the type of aeroplane to which the application for licence relates, within a period of six months immediately preceding the date of application.

II. The Director General may allow skill test or part thereof to be carried out on aircraft or approved zero flight time training simulator level 'D' or

equivalent or higher level approved for the conduct of skill tests for the type of aeroplane and the competency shall be demonstrated as in-

(i) general flying test by day;

(ii) general flying test by night;

(iii) a cross-country flight test by day consisting of a flight of not less than two hundred fifty nautical miles in the course of which at least one full stop landing at an aerodrome other than the aerodrome of departure shall be made; and

(iv) a cross-country flying test by night consisting of a flight of not less than one hundred twenty nautical miles returning to the place of departure without landing elsewhere.

2. Validity. — The licence shall be valid for a period as specified in rule 79.

3. Renewal. — The licence may be renewed on receipt of satisfactory evidence of the applicant —

(a) having undergone a medical examination in accordance with clause *(c)* of paragraph 1;

(b) having satisfactorily completed not less than ten hours of flight time as pilot-in-command (fifty per cent. of flight time as co-pilot may be counted towards the requirement of flight time as pilot-in-command) within a period of six months immediately preceding the date of application for renewal, or in lieu thereof, having satisfactorily completed the general flying test by day and night as laid down in clause *(h)* of paragraph 1 within the same period;

(c) having a current Flight Radio Telephone Operator's Licence for operation of radio telephone apparatus on board an aircraft issued by the Director General.

4. Aircraft rating. — *(a)* The licence shall indicate the class or type of aeroplane, the holder is entitled to fly.

(b) The requirements for the issuance of class or type ratings of aeroplane may be specified by the Director General.

(c) Instructor's rating: Instructor's rating entitles the holder to impart flying instructions. The privileges and conditions for the issue of these ratings are laid down in Sections P and Q.

(d) Instrument rating: Instrument rating entitles the holder to fly under Instrument Flight Rules. Conditions for issue of this rating are laid down in Section N.

5. Extension of aircraft rating. — For extension of aircraft rating to include an additional class or type of aeroplane, an applicant shall have passed a written examination in Aircraft and Engines, as mentioned in clause (d) of paragraph 1 and shall have acquired, under appropriate supervision, training in flying the aircraft of such type or on approved flight simulator in accordance with the syllabus, followed by skill test, as prescribed by the Director General.

6. Privileges.— Subject to the validity of endorsements and ratings in the licence and compliance with the relevant provisions of rules 78, 79 and rule 82, the privileges of the holder of a Commercial Pilot's Licence (Aeroplanes) shall be—

(a) to exercise all the privileges of Private Pilot's Licence(Aeroplanes)), in the aeroplane which is entered in the aircraft rating of his licence;

(b) to act as pilot-in-command of any aeroplane engaged in operations other than commercial air transportation;

(c) to act as pilot-in-command, in commercial air transportation, on an aeroplane entered in the aircraft rating of his licence, and certificated for single-pilot operation:

Provided that a single-pilot operation certified aeroplane which qualifies as a complex aeroplane, he shall have successfully completed command upgrade training as specified by the Director General:

Provided further when passengers are to be carried at night, he shall have carried out within a period of six months immediately preceding the date of the intended flight not less than ten take-offs and ten landings by night as pilot-in-command.

(d) to act as co-pilot of any aeroplane where a co-pilot is required to be carried and which is entered in the aircraft rating of his licence :

Provided that for all flights under the instrument flight rules, either as pilot-in- command or as co-pilot, he shall have a current instrument rating:

Provided further that upon attainment of the age of sixty-five years, such privileges shall be restricted to that of Private Pilot's Licence (Aeroplanes).

SECTION K

COMMERCIAL PILOT'S LICENCE (HELICOPTERS)

1. Requirements for issuance of licence. — An applicant for a Commercial Pilot's Licence (Helicopters) shall satisfy the following requirements, namely:—

(a) Age: He shall be not less than eighteen years of age on the date of application.

(b) Educational qualification: He shall have passed Class 12th with Physics and Mathematics or equivalent examination from a recognised Board or University.

(c) Medical fitness: He shall produce in a prescribed proforma, a certificate of physical fitness from an approved medical board after undergoing a medical examination, during which he shall have established his medical fitness on the basis of compliance with the requirements as notified by the Director General under the provisions of rule 78.

(d) Knowledge: He shall pass a written examination in Air Regulations, Air Navigation, Aviation Meteorology, Aircraft and Engines and Signals (practical) examination for interpretation of aural and visual signals as per the syllabus prescribed by the Director General:

Provided that an applicant in possession of a current Commercial Pilot's Licence (Aeroplanes) or higher category of a pilot's licence shall be required to pass an examination in Aircraft and Engines only.

(e) Experience: He shall produce evidence of having satisfactorily completed as pilot of a helicopter not less than one hundred and fifty hours of flight time, which shall include not less than —

(i) fifty hours of flight time as pilot-in-command of a helicopter;
(ii) ten hours of cross-country flight time as pilot-in-command of a helicopter;

(iii) ten hours of flight time as pilot-in-command of a helicopter within a period of six months immediately preceding the date of application for licence, out of which not less than five hours of flight time by night which shall include not less than ten take-offs and ten landing patterns by night;

(iv) ten hours of instrument instruction time of which not more than five hours may be instrument ground time:

Provided that a person who is holder of a Commercial Pilot's Licence (Aeroplanes) or an Airline Transport Pilot's Licence (Aeroplanes) shall be required to complete on a helicopter not less than eighty hours of flight time including not less than twenty hours of flight time as pilot-in-command which shall include not less than five hours of cross-country time, and not less than five hours of flight time by night with not less than ten take-offs and ten landing patterns within a period of six months immediately preceding the date of application for licence.

(f) Flying training: He shall have completed flying training in accordance with the syllabus prescribed by the Director General.

(g) Other requirements: He shall be in possession of a current Flight Radio

Telephone Operator's Licence for operation of radio telephone apparatus on board an aircraft issued by the Director General.

(h) Skill: He shall have demonstrated his competency to perform the procedures and manoeuvres prescribed in the syllabus by day and night to the satisfaction of an approved examiner, on the type of helicopter to which the application for licence relates, within a period of six months immediately preceding the date of application:

Provided that the Director General may, however, allow skill test or part thereof to be carried out on an approved level D or equivalent or higher level flight simulator approved for the conduct of skill tests for the type of helicopter.

2. Validity. — The licence shall be valid for a period as specified in rule 79.

3. Renewal. — The licence may be renewed on receipt of satisfactory evidence of the applicant—

(a) having undergone a medical examination in accordance with clause *(c)* paragraph 1.

(b) having satisfactorily completed not less than five hours of flight time as pilot-in-command (fifty per cent. of the flight time as co-pilot may be counted towards the requirements of flight time as pilot-in-command) of a helicopter within a period of six months immediately preceding the date of application for renewal, or in lieu thereof having satisfactorily completed the flying tests as laid down in clause *(h)* paragraph 1 within the same period.

(c) having a current Flight Radio Telephone Operator's Licence for operation of radio telephone apparatus on board an aircraft issued by the Director General.

4. Ratings. — *(a)* Aircraft rating: *(i)* The licence shall indicate the type of helicopter, the holder is entitled to fly.

(ii) The requirements for the issuance of helicopter type ratings may be as specified by the Director General.

(b) Instructor's rating: Instructor's rating entitles the holder to impart flying instructions on types of helicopters entered in the aircraft rating of his licence and the privileges and conditions for the issue of these ratings are laid down in Sections P and Q of this Schedule.

(c) Instrument rating: Instrument rating entitles the holder to fly under the instrument flight rules and conditions for issue of the rating are laid down in Section O of this Schedule.

5. Extension of aircraft rating. — For extension of aircraft rating to include an additional type of helicopter, an applicant shall have passed a written examination in Aircraft and Engines, as mentioned in clause *(d)* of paragraph 1 and shall have acquired, under appropriate supervision, training in flying the aircraft of such type or on approved flight simulator in accordance with the syllabus, followed by skill test, as may be specified by the Director General.

6. Privileges.— Subject to the validity of endorsements and ratings in the licence and compliance with the relevant provisions of rules 78, 79 and rule 82, the privileges of the holder of a Commercial Pilot's Licence (Helicopters) shall be—

(i) to exercise all the privileges of Private Pilot's Licence (Helicopters), in the helicopter which is entered in the aircraft rating of his licence;

(ii) to act as pilot-in-command in any helicopter engaged in operations other than commercial air transportation;

(iii) to act as pilot-in-command, in commercial air transportation, on a helicopter entered in the aircraft rating of his licence, and certificated for single-pilot operation:

Provided that a single-pilot operation on a certified helicopter which qualifies as a complex helicopter, he shall have successfully completed command upgrade training as specified by the Director General; and

(iv) to act as co-pilot in commercial air transportation in helicopters required to be operated with a co-pilot:

Provided that when passengers are to be carried at night he shall have carried out within a period of six months immediately preceding the date of intended flight not less than ten take-offs and ten landing patterns by night as pilot-in-command of a helicopter:

Provided further that for all flights under the instrument flight rules as pilot-in-command or as co-pilot, he shall be required to have current instrument rating:

Provided also that on attainment of the age of sixty-five years, such privileges shall be restricted to that of Private Pilot's Licence (Helicopters).

SECTION L

AIRLINE TRANSPORT PILOT'S LICENCE (AEROPLANES)

1. Requirements for issuance of licence.— An applicant for an Airline Transport Pilot's Licence shall satisfy the following requirements, namely:—

(a) Age: He shall be not less than twenty-one years of age on the date of application.

(b) Educational qualification: He shall have passed Class 12th with Physics and Mathematics or its equivalent examination from a recognised Board or University.

(c) Medical Fitness: He shall produce in a prescribed proforma, a certificate of physical fitness from an approved Medical Board after undergoing a medical examination, during which he shall have established his medical fitness on the basis of compliance with the requirements as notified by the Director General under the provisions of rule 78.

(d) Knowledge: He shall pass a written examination in Air Regulations, Air Navigation, Avionics (Radio Aids and Instruments), Aviation Meteorology, Aircraft and Engines, and Signals (Practical) examination for interpretation of aural and visual signals as per the syllabus prescribed by the Director General:

Provided that the holder of a current Commercial Pilot's Licence, shall not be required to pass the examination in Air Regulations.

(e) Experience: He shall produce evidence of having satisfactorily completed as a pilot of an aeroplane not less than one thousand five hundred hours of flight time and his total flying experience shall include —

(i) not less than five hundred hours as pilot-in-command under supervision of a pilot who fulfills the flying experience, requirements of a check pilot or two hundred and fifty hours, either as pilot-in-command or made up by not less than seventy hours as pilot-in-command and the necessary additional flight time as pilot-in-command under supervision of a pilot who fulfills the flying experience requirements of a check pilot;

Note: Where an aeroplane is required to be operated with a co-pilot in accordance with the provisions of the flight manual of the aeroplane, not more than fifty per cent. of the co-pilot flight time shall be credited towards the total flight time required for the issue of the licence, but not more than fifty per cent. of the co-pilot flight time under supervision shall be credited towards pilot-in-command flight experience required for issue of the licence, and full credit for such flight time shall be given towards total flight time required for issuance of the licence.

(ii) two hundred hours of cross-country flight time, of which not less than one hundred hours shall be as pilot-in-command or as pilot-in-command under supervision;

(iii) not less than one hundred hours of flight time by night;

(iv) not less than seventy-five hours of instrument time under actual or simulated instrument conditions of which not less than fifty hours shall be in actual flight;

(v) not less than twenty hours of flight time completed within a period of six months immediately preceding the date of application for the licence.

(f) Other requirements: *(i)* he shall be the holder of a Commercial Pilot's Licence and this will not be applicable for the issue of Airline Transport Pilot's Licence to a pilot from armed forces who otherwise meets the requirements;

(ii) he shall have a current instrument rating on multi-engine aircraft; and

(iii) he shall be in possession of a current Flight Radio Telephone Operator's Licence for operation of radio telephone apparatus on board an aircraft issued by the Director General.

(g) Skill: He shall have demonstrated his competency to perform by day and by night the procedures and manoeuvres prescribed in the syllabus to the satisfaction of the examiner, on the type of multi-engine aeroplane to which the application for licence relates within a period of six months immediately preceding the date of application:

Provided that the Director General may, allow skill tests or part thereof to be carried out on aircraft or approved zero flight time training simulator level 'D' or equivalent or higher level approved for the conduct of skill tests for the type of aircraft.

Note: The holder of a current Commercial Pilot's Licence (Aeroplanes) issued by the Director General shall not be required to undergo general flying tests for the issue of Airline Transport Pilot's Licence (Aeroplanes):

Provided that the licence is issued on the type or types of multi-engine aeroplane or aeroplanes, included in the aircraft rating of Commercial Pilot's Licence (Aeroplanes) and the pilot possesses ten hours of flying experience as pilot-in-command or twenty hours as co-pilot at least on one such multi-engine type within the preceding six months.

2. Validity. — The licence shall be valid for a period as specified in rule 79.

3. Renewal. — The Licence may be renewed on receipt of satisfactory evidence of the applicant —

(a) having undergone a medical examination in accordance with clause *(c)* of paragraph 1.

(b) having satisfactorily completed not less than ten hours flight time as pilot-in-command (fifty per cent. of flight time as co-pilot may be counted towards the requirements of flight time as pilot-in-command) within a period of six months immediately preceding the date of application for renewal, or in lieu thereof, having satisfactorily completed the flying tests by day and by night as laid down in clause *(g)* of paragraph 1 within the same period.

(c) having a current Flight Radio Telephone Operator's Licence, for operation of radio telephone apparatus on board an aircraft, issued by the Director General.

(d) having a current instrument rating on a multi-engine aircraft.

4. Ratings. — *(a)* Aircraft rating: *(i)* The licence shall indicate the class or the type of aeroplane the holder is entitled to fly.

(ii) The requirements for the issuance of class or type ratings of aeroplane may be specified by the Director General.

(b) Instructor's rating: Instructor's rating entitles the holder to impart flying instructions and the privileges and conditions for the issue of these ratings are laid down in Sections P and Q;

(c) Instrument rating: The instrument rating shall be part of the Airline Transport Pilot Licence and, therefore, no separate instrument rating shall be issued, but the instrument rating shall be renewed as per the provisions of Section N of this Schedule.

5. Extension of aircraft rating. — For extension of aircraft rating to include an additional class or type of aeroplane, an applicant shall have passed a written examination in Aircraft and Engines as mentioned in clause *(d)* of paragraph 1 and shall have acquired, under appropriate supervision, training at an approved training organisation in flying the aircraft of such type or on approved flight simulator in

accordance with the syllabus, followed by skill test, as specified by the Director General.

6. Privileges.— Subject to the validity of endorsements and ratings in the licence and compliance with the relevant provisions of rules 78, 79 and rule 82 the privileges of the holder of an Airline Transport Pilot's Licence (Aeroplanes) shall be—

(a) to exercise the privileges of a Commercial Pilot's Licence (Aeroplanes) and a Private Pilot's Licence (Aeroplanes), in the aeroplane which is entered in the aircraft rating of his licence;

(b) to act as pilot-in-command in commercial air transportation of an aeroplane, certificated for operation with more than one pilot, which is entered in the aircraft rating of his licence, subject to his prior compliance with the following conditions, namely : —

(i) he has undergone command upgrade training as specified by the Director General; and

(ii) he shall be in possession of a current instrument rating before operating any instrument flight rules flight:

Provided that on the attainment of the age of sixty-five years, such privileges shall be restricted to that of a Private Pilot's Licence (Aeroplanes) in accordance with the provision of Section C.

SECTION M

AIRLINE TRANSPORT PILOT'S LICENCE (HELICOPTERS)

1. Requirements for issuance of licence. — An applicant for an Airline Transport Pilot's Licence (Helicopters) shall satisfy the following requirements, namely:—

(a) Age: He shall be not less than twenty-one years of age on the date of application.

(b) Educational qualification: He shall have passed class 12th with Physics and Mathematics or its equivalent examination from a recognised Board or University.

(c) Medical fitness: He shall produce in a prescribed proforma, a certificate of physical fitness from an approved medical board after undergoing a medical examination, during which he shall have established his medical fitness on the basis of compliance with the requirements as notified by the Director General under the provsions of rule 78;

(d) Knowledge: He shall pass written examination in Air Regulations, Air Navigation, Avionics (Radio Aids and Instruments), Aviation Meteorology, Aircraft and Engines, and Signals (Practical) examination for interpretation of aural and visual signals, as per the syllabus prescribed by the Director General:

Provided that —

(i) the holder of a valid Commercial Pilot's Licence (Aeroplanes or Helicopters) shall not be required to pass the examination in Air Regulations.

(ii) the holders of Commercial Pilot's Licences (Aeroplanes) shall be required to pass the examination in Aircraft and Engines on helicopters.

(e) Experience: He shall produce evidence of having satisfactorily completed as pilot of a helicopter not less than one thousand hours of flight time and his total flying experience shall include not less than —

(i) two hundred fifty hours of flight time as pilot-in-command or made up of not less than seventy hours as pilot-in-command and the necessary additional flight time as pilot-in-command under supervision of a pilot who fulfills the flying experience requirements of a check pilot;

(ii) two hundred hours of cross-country flight time of which not less than one hundred fifty hours shall be as pilot-in-command or as pilot-in-command under supervision of a pilot who fulfils the flying experience requirements of a check pilot;

(iii) fifty hours of flight time by night;

(iv) forty hours of instrument time under actual or simulated conditions, of which not more than ten hours may be instrument ground time; and

(v) fifteen hours of flight time completed within a period of six months immediately preceding the date of application for the licence.

Note: Where a helicopter is required to be operated with a co-pilot in accordance with provisions of the flight manual of the helicopter, not more than fifty per cent. of the co-pilot flight time shall be credited towards the total flight time required for the issue of the licence, but not more than fifty per cent. of the co-pilot flight time under supervision shall be credited towards pilot-in-command flight experience required for issue of the licence, and full credit for such flight time shall be given towards total flight time required for issue of the licence.

(f) Other requirements:

(i) he shall be a holder of a Commercial Pilot's Licence (Helicopter) but this may not be applicable for the issue of an Airline Transport Pilot's Licence (Helicopter) to a qualified pilot from the Indian Armed Forces who otherwise meets the requirements;

(ii) he shall have a current instrument rating; and.

(iii) he shall be in possession of a current Flight Radio Telephone Operator's Licence for operation of radio telephone apparatus on board an aircraft issued by the Director General.

(g) Skill: He shall have demonstrated his competency to perform by day and by night the procedures and manoeuvres prescribed in the syllabus to the satisfaction of the examiner on the type of multi-engine helicopter to which the application for licence relates, within a period of six months immediately preceding the date of the application:

Provided that the Director General may allow skill test or part thereof to be carried out on aircraft or Level D or equivalent or higher level flight simulator approved for the conduct of skill tests for the type of helicopter.

Note: The holder of a valid Commercial Pilot's Licence (Helicopters) issued by the Director General shall not be required to undergo the general flight tests for the grant of Airline Transport Pilot's Licence (Helicopters):

Provided that the licence is issued on the type or types of multi-engine helicopter or helicopters, as the case may be, included in the aircraft rating of Commercial Pilot's Licence (Helicopters) and the pilot possesses recent flying experience of at least five hours as pilot-in-command or ten hours as co-pilot on one such multi-engine type.

2. Validity. — The licence shall be valid for a period as specified in rule 79.

3. Renewal. — The licence may be renewed on receipt of satisfactory evidence of the applicant —

(a) having undergone a medical examination in accordance with clause (c) of paragraph 1;

(b) having satisfactorily completed not less than ten hours of flight time as pilot-in-command (fifty per cent. of flight time as a co-pilot may be counted towards the requirement of flight time as pilot-in-command) within a period of six months immediately preceding the date of application for renewal, or in lieu thereof having satisfactorily completed the skill tests by day and by night as laid down in clause *(g)* of paragraph 1 within the same period;

(c) having a current Flight Radio Telephone Operator's Licence for operation of radio telephone apparatus on board an aircraft issued by the Director General; and

(d) having satisfactorily completed instrument rating flight test on a multi-engine helicopter entered in the licence or on an approved flight simulator allowed by the Director General within the preceding twelve months of the date of intended flight.

4. Ratings. — *(a)* Aircraft rating: *(i)* The licence shall indicate the type of helicopter the holder is entitled to fly.

(ii) The requirements for the issuance of helicopter type ratings may be specified by the Director General.

(b) Instructor's rating: Instructor's rating entitles the holder to impart flying instructions. The privileges and the conditions for issuance of these ratings are laid down in Sections P and Q.

(c) Instrument rating: Instrument rating entitles the holder to fly under the instrument flight rules. The conditions for issue of the rating are laid down in Section O.

5. Extension of aircraft rating.— For extension of aircraft rating to include an additional type of helicopter, an applicant shall have passed a written examination in Aircraft and Engines, as mentioned in clause *(d)* of paragraph 1, and shall have acquired, under appropriate supervision, training at an approved training organisation in flying the aircraft of such type or on approved flight simulator in accordance with the syllabus, followed by skill test, as may be specified by the Director General.

6. Privileges.— Subject to the validity of endorsements and ratings in the licence and compliance with the relevant provisions of rules 78, 79 and rule 82 of the the privileges of the holder of an Airline Transport Pilot's Licence (Helicopters) shall be —

(a) to exercise the privileges of a Private Pilot's Licence (Helicopter) and Commercial Pilot's Licence (Helicopters), in the helicopter which is entered in the aircraft rating of his licence;

(b) to act as pilot-in-command in commercial air transportation of a helicopter, certificated for operation with more than one pilot and which is entered in the aircraft rating of his licence, subject to his prior compliance with the following conditions, namely :-

(i) he has undergone command upgrade training as specified by the Director General; and

(ii) he shall be in possession of a current Instrument Rating before operating any flight under instrument flight rules:

Provided also that upon attainment of the age of sixty-five years, such privileges shall be restricted to that of Private Pilot's Licence (Helicopters).

SECTION N

INSTRUMENT RATING (AEROPLANES)

1. Requirements for issuance of rating. — An applicant for an Instrument Rating shall satisfy the following requirements, namely: —

(a) Knowledge: He shall pass a written and oral examination in Air Regulations, Air Navigation, Aviation Meteorology and Instrument Rating as per syllabus prescribed by the Director General for issue of Commercial Pilot's Licence and he shall also pass a practical test on interpretation of aural and visual signals as per the syllabus prescribed by the Director General.

(b) Experience: He shall produce evidence of having satisfactorily completed as a pilot of an aeroplane not less than —

(i) one hundred hours of flight time as a pilot-in-command including not less than fifty hours of cross-country flight time;

(ii) forty hours of instrument time of which not more than twenty hours shall be instrument ground time and a minimum of five hours of instrument time shall have been completed within a period of six months immediately preceding the date of application for the Instrument Rating:

Provided that in the case a pilot who holds a current Instrument Rating (Helicopters), he shall have not less than one hundred hours of flight time as pilot-in-command of an aeroplane including not less than twenty-five hours of cross-country flight time and not less than twenty hours of instrument time of which not more than ten hours may be on an approved simulator.

(c) Other requirements: He shall be —

(i) holder of a current Pilot's Licence (Aeroplanes);

(ii) holder of a current Flight Radio Telephone Operator's Licence for operation of radio telephone apparatus on board an aircraft issued by the Director General.

(d) Flying training: He shall have completed the flying training in accordance with the syllabus as prescribed by the Director General.

(e) Skill: (i) he shall have demonstrated to the satisfaction of the examiner his competency to fly an aeroplane in respect of which Instrument Rating is desired, solely with the aid of instruments by undergoing an instrument flying test within a period of six months immediately preceding the date of application for the rating;

(ii) the flying test shall be carried out in accordance with the syllabus as prescribed by the Director General; and

(iii) the Director General may allow such tests or part thereof to be carried out on a flight simulator Level D or equivalent or higher level approved for the conduct of Instrument Rating Tests for the applicable type of aircraft.

2. Validity.— *(a)* The rating shall be valid for a period of twelve months from the date of the Instrument Rating Flying Test.

(b) It shall be renewed for a further period of twelve months at a time from the date of expiry provided that the Instrument Rating Flying Test has been carried out within two months preceding the date of expiry and all other requirements for renewal are met.

(c) In other cases, the validity of renewal of the rating shall commence from the date of the test.

3. Renewal. — The Instrument Rating may be renewed on receipt of satisfactory evidence of the applicant**—**

(a) having satisfactorily completed the Instrument Rating Flight Test as laid down in clause (e) of paragraph 1.

(b) having a valid Flight Radio Telephone Operator's Licence issued by the Director General for operation of radio telephone apparatus on board an aircraft.

4. Extension of Instrument Rating.— For extension of Instrument Rating to include an additional type of aeroplane, an applicant shall be required to produce evidence of having satisfactorily completed the flight test in accordance with clause (e) of paragraph 1 in respect of the type of aeroplane for which the extension of Instrument Rating is desired and the flight test shall have been completed within a period of six months immediately preceding the date of application for the extension of Instrument Rating.

5. Privileges.— Subject to the validity of the Instrument Rating, the privileges of the holder thereof shall be to fly under the instrument flight rules, the types of aeroplanes on which he has demonstrated his competency in accordance with clause (e) of paragraph1:

Provided that a pilot, who has demonstrated his competency by undergoing an Instrument Rating Flight Test on a single-engine aeroplane not exceeding an all-up-weight of five thousand seven hundred kg., shall exercise the privileges of his Instrument Rating on all single engine aeroplanes within the aforesaid weight category:

Provided further that a pilot, who has demonstrated his competency by undergoing an Instrument Rating Flight Test on a multi-engine aeroplane not exceeding an all-up-weight of five thousand seven hundred kg., shall exercise the privileges of his Instrument Rating on all multi-engine aeroplanes within the aforesaid weight category:

Provided also that the holder of an Instrument Rating on any transport aeroplane, shall exercise his privileges only on the type of aeroplane on which the Instrument Rating Flight Test has been satisfactorily carried out:

Provided also that the holder of an Instrument Rating on aeroplanes having an all-up-weight exceeding five thousand seven hundred kg. shall exercise the privileges

of his Instrument Rating only on the type of aeroplane on which the Instrument Rating Flight Test has been satisfactorily carried out:

Provided also that the holder of an Instrument Rating on any multi-engine aeroplane may exercise the privileges of Instrument Rating on any single engine aeroplane entered in the aircraft rating of his licence.

SECTION O

INSTRUMENT RATING (HELICOPTERS)

1. Requirements for issuance of rating. — An applicant for an Instrument Rating (Helicopters) shall satisfy the following requirements, namely:—

(a) Knowledge: He shall pass a written and oral examination in Air Regulations, Air Navigation and Aviation Meteorology as per the syllabus prescribed for the issue of a Commercial Pilot's Licence (Helicopters) and he shall also pass signals (Practical) examination for interpretation of aural and visual signals for the issue of this rating as per the prescribed syllabus.

(b) Experience: He shall produce evidence of having satisfactorily completed as a pilot of a helicopter not less than one hundred fifty hours of flight time which shall include not less than —

(i) one hundred hours of flight time as pilot-in-command or fifty hours of flight time as pilot-in-command and one hundred hours as co-pilot performing the duties and functions of a pilot-in-command under the supervision of a pilot who satisfies the flying experience requirements of a check pilot;

(ii) fifty hours of cross-county flight time as pilot-in-command of a helicopter or fifteen hours as pilot-in-command and seventy hours as

co-pilot performing the duties and functions of a pilot-in-command under the supervision of a pilot who satisfies the flying experience requirements of a check pilot;

(iii) forty hours of Instrument time in helicopters of which not more than twenty hours shall be instrument ground time and a minimum of five hours of instrument time shall have been completed on helicopters within a period of six months immediately preceding the date of application:

Provided that in the case of a pilot, who holds a current Instrument Rating (Aeroplanes), he shall have not less than fifty hours of flight time as pilot-in-command of helicopter including not less than twenty hours of cross-country flight time and not less than twenty hours of instrument flight time of which not more than ten hours may be instrument ground time.

(c) Other requirements: He shall be —

(i) holder of a current Pilot's Licence (Helicopters);

(ii) holder of a current Flight Radio Telephone Operator's Licence for operation of radio telephone apparatus on board an aircraft issued by the Director General.

(d) Flying training: He shall have completed the flying training in accordance with the syllabus as prescribed by the Director General.

(e) Skill: *(i)* he shall have demonstrated his competency to fly a helicopter in respect of which Instrument Rating is desired, solely with the aid of instruments by undergoing an instrument flying test to the satisfaction of an examiner within a period of six months immediately preceding the date of application for the rating;

(ii) the flight test shall be carried out in accordance with the syllabus as prescribed by the Director General; and

(iii) the Director General may allow such tests or part thereof to be carried out on a flight simulator Level D or equivalent or higher level approved for the conduct of Instrument Rating Tests for the applicable type of aircraft.

2. Validity.— *(a)* The Instrument Rating shall be valid for a period of twelve months from the date of the Instrument Rating Flying Test.

(b) It shall be renewed for a further period of twelve months at a time from the date of expiry provided that the Instrument Rating Renewal Check has been carried out within two months preceding the date of expiry and all other requirements for renewal are met.

(c) In other cases, the validity of renewal of the rating shall commence from the date of the test.

3. Renewal. — The instrument rating may be renewed on receipt of satisfactory evidence of the applicant—

(a) having satisfactorily completed the Instrument Rating Renewal Check on the helicopter with an examiner or instructor or on an approved flight simulator allowed by the Director General.

(b) having a current Flight Radio Telephone Operator's Licence issued by the Director General for operation of radio telephone apparatus on board an aircraft.

4. Extension of Instrument Rating.— For extension of Instrument Rating to include an additional type of helicopter, an applicant shall be required to produce evidence of having satisfactorily completed the flight tests in accordance with clause (e) of paragraph 1 in respect of the type of helicopter for which the extension of Instrument Rating is desired and the flight test shall have been completed within a period of six months immediately preceding the date of application for the extension of Instrument Rating.

5. Privileges.— Subject to the validity of the Instrument Rating, the privileges of the holder shall be to fly under the instrument flight rules, the types of helicopters on which he has demonstrated his competency in accordance with clause (e) of paragraph 1.

SECTION P

ASSISTANT FLIGHT INSTRUCTOR'S RATING (AEROPLANES OR HELICOPTERS)

1. Requirements for issuance of rating. — An applicant for an Assistant Flight Instructor's Rating shall satisfy the following requirements, namely:—

(a) Age: He shall be not less than eighteen years of age on the date of application.

(b) Knowledge: He shall pass an oral or written examination in the following subjects in accordance with the prescribed syllabus—

(i) techniques of applied Instruction;

(ii) assessment of student performance in those subjects in which ground instruction is given;

(iii) the learning process;

(iv) elements of effective teaching;

(v) student evaluation and testing, training philosophies;

(vi) training programme development;

(vii) lesson planning;

(viii) classroom instructional techniques;

(ix) use of training aids including flight simulation training devices as appropriate;

(x) analysis and correction of student errors;

(xi) human performance relevant to flight instruction including principles of threat and error management; and

(xii) hazards involved in simulating system failure and malfunctions in the aircraft.

(c) Experience: He shall produce evidence of having satisfactorily completed as pilot of an aeroplane on the date of application for the rating not less than —

(i) one hundred hours of flight time as a pilot-in-command of an aeroplane of which not less than twenty hours shall have been completed within a period of eighteen months immediately preceding the date of application and in the case of helicopter, not less than fifty hours flight time as a pilot-in-command of a helicopter of which not less than twenty hours shall have been completed within a period of eighteen months immediately preceding the date of application; and

(ii) twenty hours of flying training as an instructor under an approved flight instructor or examiner as per the syllabus prescribed by the Director General.

(d) Other requirements: He shall be the holder of an appropriate current professional pilot's licence.

(e) Skill: He shall have demonstrated to the satisfaction of the examiner his competency as an assistant flight instructor by performing the procedures and manoeuvres as per the syllabus prescribed by the Director General within a period of six months immediately preceding the date of application and such demonstration of competency shall be within the period as specified by the Director General from the date of commencement of flight instruction course.

2. Validity.— *(a)* The rating shall be valid for a period of three years from the date of issue of the rating.

(b) In the case of renewal, the period of validity of the rating shall be for a period of three years which shall commence from the date following the date of expiry of the previous validity, subject to the condition that the application for renewal has been submitted within one month preceding the date of expiry and all other requirements for renewal are met on the date of application.

(c) In cases other than those referred to in sub-paragraph *(b),* the validity of renewal of the rating shall commence from the date of renewal of the rating.

3. Renewal. — The Assistant Flight Instructor's Rating may be renewed on receipt of satisfactory evidence of the applicant—

(a) having satisfactorily completed not less than twenty hours of flight time as an assistant flight instructor within a period of twelve months immediately preceding the date of application for renewal; or

(b) having satisfactorily completed a flight instructor's refresher course approved by the Director General and the flying tests as laid down in clause *(e)* of paragraph 1 within a period of six months immediately preceding the date of application for renewal.

4. Privileges.— Subject to the validity of endorsements and rating in his pilot's licence of which this Assistant Flight Instructor's Rating forms a part, the privileges of the holder of an Assistant Flight Instructor's Rating shall be to impart instructions during flight by day only and under the authority and supervision of a flight instructor, on all types of aeroplanes or helicopters having all-up-weight not exceeding one thousand five hundred kg., and which are entered in the aircraft rating of his licence.

SECTION Q

FLIGHT INSTRUCTOR'S RATING (AEROPLANES OR HELICOPTERS)

1. Requirements for issuance of rating. — An applicant for a Flight Instructor's Rating shall satisfy the following requirements, namely:—

(a) Age: He shall be not less than twenty years of age on the date of application.

(b) Knowledge: He shall pass an oral or written examination in the following subjects in accordance with the prescribed syllabus:—

(i) techniques of applied instruction;

(ii) assessment of student performance in those subjects in which ground instruction is given;

(iii) the learning process;

(iv) elements of effective teaching;

(v) student evaluation and testing, training philosophies;

(vi) training programme development;

(vii) lesson planning;

(viii) classroom instructional techniques;

(ix) use of training aids including flight simulation training devices as appropriate;

(x) analysis and correction of student errors;

(xi) human performance relevant to flight instruction including principles of threat and error management; and

(xii) hazards involved in simulating system failure and malfunctions in the aircraft.

(c) Experience: He shall produce evidence of having satisfactorily completed as pilot of an aeroplane or a helicopter, as the case may be, on the date of application for the rating—

(i) (a) twenty hours of flight time as pilot-in-command by night during which at least twenty take-offs and twenty landings have been carried out; and

(b) two hundred hours of flight time on aeroplanes or one hundred hours on helicopters, as the case may be, in the capacity of an assistant flight instructor or qualified flight instructor in the service of Defence Forces; or

(ii) five hundred hours flight time as pilot-in-command of an aeroplane or two hundred fifty hours as pilot-in-command of a helicopter, as the case may be:

Provided that a pilot from Defence Forces who has successfully completed the qualified flight instructor's course and also satisfies requirements as laid down in this clause and clause *(d),* may be considered for the issue of Flight Instructor's Rating.

(d) Other Requirements: He shall be—

(i) the holder of a current Commercial Pilot's Licence (Aeroplanes or Helicopters) Airline Transport Pilot's Licence (Aeroplanes or Helicopters);

(ii) the holder of a current Instrument Rating.

Note**:** In the absence of a current Instrument Rating, an applicant will not be permitted to impart instruction in instrument flying.

(e) Skill: He shall have demonstrated his competency as a flight instructor by performing procedures and manoeuvres prescribed in the syllabus by day and by night to the satisfaction of an approved examiner within a period of six months immediately preceding the date of application and such demonstration of competency shall be within the period as specified by the Director General from the date of commencement of flight instruction course.

(f) Flight instruction: After completing the experience requirement as laid down in clause *(c),* the applicant shall undergo a flight instructor's course approved by the Director General before undergoing the skill test as mentioned in clause *(e)* and shall provide evidence of —

(i) having received instructions in flight instructional techniques including demonstration, student practices, recognition and correction of common student errors; and

(ii) having practiced instructional techniques in those flight manoeuvres and procedures in which it is intended to provide flight instruction.

2. Validity.— *(a)* The rating shall be valid for a period of three years from the date of issuance of the rating.

(b) In the case of renewal, the period of validity of the rating shall be for a period of three years which shall commence from the date following the date of expiry of the previous validity, subject to the condition that the application for renewal has been submitted within one month preceding the date of expiry and all other requirements for renewal are met on the date of application.

(c) In cases other than those referred to in sub-paragraph *(b),* the validity of renewal of the rating shall commence from the date of renewal of the rating.

3. Renewal. — The Flight Instructor's Rating may be renewed on receipt of satisfactory evidence of the applicant —

(a) having satisfactorily completed not less than twenty hours of flight time as a flight instructor within a period of twelve months immediately preceding the date of application for renewal; or

(b) having satisfactorily completed a flight instructor's refresher course approved by the Director General and the flying tests within a period of six months immediately preceding the date of the application for renewal as laid down in clause *(e)* of paragraph 1.

4. Aircraft rating. — The rating shall indicate the class and the type of aeroplane or helicopter, as the case may be, on which the holder is entitled to impart instructions.

5. Extension of aircraft rating. — For extension of aircraft rating to include additional types of aeroplane or helicopter, as the case may be, having an all-up-weight exceeding five thousand seven hundred kg., the applicant shall be required to produce evidence of —

(a) having obtained appropriate aircraft rating for that type on his professional pilot's licence;

(b) having satisfactorily completed not less than five hundred hours of flight time as pilot-in-command on aeroplanes or three hundred hours of flight time as pilot-in-command on helicopters, as the case may be; and

(c) having satisfactorily completed the flying tests as laid down in clause *(e)* of paragraph 1 on the type desired to be included in this rating.

Note : Requirements mentioned in clauses *(b)* and *(c)* may be varied by the Director General under special circumstances in the case of an experienced flight instructor who has successfully completed a course approved by the Director General.

6. Privileges.— Subject to the validity of endorsements and ratings in the pilot's licence of which this Flight Instructor's Rating forms a part and also any endorsement on this rating, the privileges of the holder of a Flight Instructor's Rating shall be —

(a) to impart flying instructions on aeroplane or helicopter, as the case may be, having an all-up-weight not exceeding five thousand seven hundred kg. and which is entered in the aircraft rating of his licence, and also on an aeroplane or helicopter having an all-up-weight exceeding five thousand seven hundred kg. and which is entered in his Instructor's Rating.

(b) to supervise and authorise flights by student pilots and supervise flying instructions imparted by assistant flight instructors:

Provided that this privilege shall be subject to any directions that may be issued by the Director General in this behalf to flying training organisations.

SECTION R

STUDENT NAVIGATOR'S LICENCE

1. Requirements for issuance of licence. — An applicant for a Student Navigator's Licence shall satisfy the following requirements, namely:—

(a) Age: He shall be not less than twenty years of age on the date of application.

(b) Educational qualification: He shall have passed Class 12th with Physics and Mathematics or its equivalent examination from a recognised Board or University.

(c) Medical fitness: He shall produce in a prescribed proforma, a certificate of physical fitness from an approved medical board after undergoing a medical examination, during which he shall have established his medical fitness on the basis of compliance with the requirements as notified by the Director General under the provisions of rule 78.

(d) Knowledge: He shall pass a written examination with oral and practical tests in Air Regulations, Air Navigation, Flight Navigation, Instruments, Radio or Radar Aids, Astronomical Navigation, Aviation Meteorology, and Signals (Practical) test for interpretation of aural and visual signals in accordance with the syllabus as prescribed by the Director General.

2. Validity. — The licence shall be valid for a period as specified in rule 79.

3. Renewal.— The licence may be renewed on receipt of satisfactory evidence of the applicant having undergone a medical examination in accordance with clause *(c)* of paragraph 1 and subject to satisfactory exercise of privileges.

4. Privileges.— Subject to compliance with the relevant provisions of rules 78, 79 and rule 82 of the privileges of the holder of a Student Navigator's Licence shall be to act as a navigator on any flight, where a flight navigator is required to be carried in accordance with the provisions of the rule 114 provided that he shall so act at all times under the direct supervision of a licensed flight navigator and solely for the purposes of gaining practical experience in navigation to qualify for a Flight Navigator's Licence.

SECTION S

FLIGHT NAVIGATOR'S LICENCE

1. Requirements for issuance of licence. — An applicant for a Flight Navigator's Licence shall satisfy the following requirements, namely: —

(a) Age: He shall be not less than twenty-one years of age on the date of application.

(b) Educational qualification: He shall have passed Class 12th with Physics and Mathematics or its equivalent examination from a recognised Board or University.

(c) Medical fitness: He shall produce in a prescribed proforma, a certificate of physical fitness from an approved medical board after undergoing a medical examination, during which he shall have established his medical fitness on the basis of compliance with the requirements as notified by the Director General under the provisions of rule 78.

(d) Knowledge: He shall pass a written examination with oral and practical tests in Air Regulations, Air Navigation, Flight Navigation, Instruments, Radio or Radar Aids, Astronomical Navigation, Aviation Meteorology, and Signals (Practical) test for interpretation of aural and visual signals in accordance with the syllabus as prescribed by the Director General.

(e) Experience: *(i)* the applicant shall have completed in the performance of the duties of a flight navigator not less than two hundred hours of flight time acceptable to the Director General, in aircraft engaged in cross-country flights including not less than thirty hours by night;

(ii) when the applicant has completed as a pilot not less than two hundred hours of flight time acceptable to the Director General, such experience to the extent of one hundred hours cross-country flight time shall be considered as experience for the purpose of sub-clause *(i);* and

(iii) the applicant shall produce evidence of having satisfactorily determined the aircraft's position in flight, and used that information to navigate the aircraft, as follows-

(a) by night: not less than twenty-five hours by celestial observations; and

(b) by day: not less than twenty-five hours by celestial observations in conjunction with self-contained or external referenced navigation systems.

(f) Skill: The applicant shall have demonstrated in flight by day and by night within a period of six months immediately preceding the date of application, the ability to perform as flight navigator of an aircraft with a degree of competency appropriate to privileges of a flight navigator during which he should have shown-

(i) the exercise of good judgement and airmanship;
(ii) application of aeronautical knowledge;
(iii) performed all duties as part of an integrated crew; and

(iv) communicate effectively with other flight crew members.

2. Validity. — The licence shall be valid for a period as specified in rule 79.

3. Renewal. — The licence may be renewed on receipt of satisfactory evidence of the applicant—

(a) having undergone a medical examination in accordance with clause *(c)* of paragraph 1;

(b) having completed as a flight navigator not less than twenty hours of flight time during which he shall have navigated an aircraft by the use of dead reckoning, radio bearings and such other aids as are available to him in navigating an aircraft within a period of twelve months immediately preceding the date of application for renewal, or in lieu thereof having satisfactorily completed the tests as laid down in clause *(f)* of paragraph 1 within the same period.

4. Privileges. — Subject to compliance with the relevant provisions of rules 78, 79 and rule 82 of the privileges of the holder of a Flight Navigator's Licence shall be to act as a flight navigator on any flight where a flight navigator is required to be carried in accordance with the provisions of rule 114.

SECTION T

STUDENT FLIGHT ENGINEER'S LICENCE

1. Requirements for the issuance of licence. — An applicant for a Student Flight Engineer's Licence shall satisfy the following requirements, namely:—

(a) Age: He shall not be less than twenty-one years of age on the date of application.

(b) Educational qualifications: He shall have passed Class 12th with Physics and Mathematics or its equivalent examination from a recognised Board or University.

(c) Medical fitness: He shall produce in a prescribed proforma, a certificate of physical fitness from an approved medical board after undergoing a medical examination during which he shall have established his medical fitness on the basis of compliance with the requirements as notified by the Director General under the provisions of rule 78.

(d) Technical qualification: He shall have completed a flight engineer's ground course of instructions in the basic technical and aeronautical knowledge required of a flight engineer as approved by the Director General.

(e) Knowledge: Subject to the successful completion of the course mentioned in clause *(d)*, he shall pass a written examination in the following subjects—

(i) regulations and procedures including rules, in so far as duties of flight engineers are concerned;

(ii) fundamental of aerodynamics and theory of flight and navigation;

(iii) general principles of constructions, maintenance and functioning of airframe, power plants including their accessories, instruments, installed equipment and related systems;

(iv) selected elements of flight planning including centre of gravity computation, fuel consumption and endurance, power plant output and

centre of power output, engine power curves and mathematical computation involved;

(v) aircraft performance characteristics and limitations;

(vi) flight documentation relating to the duties of flight engineers;

(vii) procedures in the event of power plant or system malfunction or emergencies particularly in the event of fire;

(viii) knowledge of varying meteorological conditions and their effect on aircraft, power plant operations;

(ix) detailed knowledge of flight or operation manuals including the knowledge of the functioning of the aircraft systems and other components installed in the systems; and

(x) procedures of airworthiness checks, defects reporting, pre-flight inspection, types of fuel precautions during refuelling and use of external power.

2. Validity. — The licence shall be valid for a period as specified in rule 79.

3. Renewal. — Licence may be renewed for a period not exceeding twelve months from the date of a successful medical examination.

4. Aircraf rating. — Licence shall indicate the type of aircraft on which the holder is entitled to fly in the capacity of a student flight engineer.

5. Extension of aircraft rating. — For extension of aircraft rating to include an additional type of aircraft, an applicant shall have completed a flight engineer's ground course of instructions as per clause *(ii)* of paragraph 7 approved by the Director General and passed a written examination subsequent to successful completion of the approved course, in aircraft engine and systems pertaining to the type of aircraft for which extension of aircraft rating is desired.

6. Privileges.— Subject to the validity of endorsements and ratings in the licence, the privileges of the holder of a Student Flight Engineer's Licence shall be to act as a student flight engineer on any type of aircraft entered in aircraft rating of his licence and which has separate flight engineer's station, provided that—

(a) he shall so act at all times under personal supervision of a flight engineer and solely for the purpose of gaining flight experience required for obtaining a Flight Engineer's Licence;

(b) (i) he shall not act as a student flight engineer of a transport aircraft carrying passengers unless he has satisfactorily completed a course of training for a minimum of ten hours on local training flights or non-passenger carrying flight during which he shall have carried out not less than ten take-offs and ten landings and he has been certified fit by an examiner to operate as student flight engineer on the type of transport aircraft carrying passengers; and

(ii) out of the ten hours stipulated as training experience, not more than eight hours shall be on an approved synthetic device landing carried out on an approved synthetic device shall not count towards the ten landings referred to above.

7. Flight engineer's ground course of instructions.— As referred to in clause *(d)* of paragraph 1 shall consist of basic course and type course, as per the details given in below, namely: —

(i) Basic course: The duration of the course shall be decided by the Director General, keeping in view the educational and experience background of trainees and course shall consist of the following subjects, namely: —

(a) aircraft rules and civil airworthiness requirements, in so far as duties of flight engineers are concerned;

(b) theory of flight;

(c) properties of air;

(d) basic airframe and associated systems;

(e) basic engine: gas turbine engine or piston engine including propeller system, as applicable;

(f) basic electrical;

(g) ground instruments;

(h) ground handling and servicing procedures;

(i) weight and balance;

(j) emergency equipments;

(k) fuel systems; and

(l) ice and rain protection;

(ii) Type course— The duration of the course shall be as approved by the Director General of keeping in view complexity of aircraft and shall cover the following subjects, namely:—

(a) aircraft systems and accessories including malfunction analysis;

(b) aircraft engines: gas turbine engine or piston engine including propeller system, as applicable including malfunction analysis;

(c) fuel management;

(d) ground handling and servicing procedures;

(e) weight and balance;

(f) use of cockpit list or minimum equipment list;

(g) external and internal pre-flight checks;

(h) normal operation procedures;

(i) alternate or emergency operating procedures;

(j) aircraft performance;

(k) documents relating to aircraft airworthiness;

(l) emergency equipment;

(m) fire protection systems;

(n) aircraft system, power plants systems, instrument system and electrical system operating limitation;

(o) ice and rain protection;

(p) landing gear and breaking system; and

(q) a general knowledge of normal, abnormal and emergency use of radio, communication, navigation and radar systems.

8. Exemption.— Where an applicant produces acceptable evidence that he has attended a ground course of instructions or has passed Aircraft Maintenance Engineer's Licence examinations of at least equal standards in any subject specified earlier in this Section, he may be granted exemption from the requirements of paragraph 7 as applicable, by the Director General.

SECTION U

FLIGHT ENGINEER'S LICENCE

1. Requirement for the issuance or extension of licence. — An applicant for issuance or extension of Flight Engineer's Licence shall satisfy the following requirements, namely:—

(a) he must have a current Student Flight Engineer's Licence on the type of aircraft which is desired to be included in the aircraft rating of his flight engineer's licence.

(b) Medical fitness: He shall produce in a prescribed proforma, a certificate of physical fitness from an approved medical board after undergoing a medical examination during which he shall have established his medical fitness on the basis of compliance with the requirements as notified by the Director General under the provisions of rule 78.

(c) Experience: An applicant shall produce evidence of having completed within a period of twelve months immediately preceding the date of his application for licence one hundred hours of flying experience on the type of aircraft desired to be included in the licence and out of this flying experience not more than fifty hours shall be obtained on an approved synthetic flight trainer.

(d) Skill: He shall have demonstrated his competency as a flight engineer to the satisfaction of the Director General approved examiner by undergoing the following tests on the type of aircraft to which the application relates within a period not exceeding six months immediately preceding the date of such application, namely: —

(i) Normal Operations— A check on representative air route covering:

(A) pre-flight inspection;

(B) refuelling procedure;

(C) inspection of appropriate maintenance documents;

(D) all normal procedure applicable to his duties as specified in the relevant parts of operations manual, crew co-operation; and

(E) defect reporting;

(ii) abnormal and alternate (stand by) operation— A check on his ability to recognise abnormal functioning of systems and use of alternate (stand by) procedures;

(iii) emergency procedures— Demonstration of practical knowledge of emergency procedures and the ability to take appropriate action in the event of engine failure occuring particularly during take-offs and landings.

2. Validity. — The licence shall be valid for a period as specified in rule 79.

3. Renewal. — The licence may be renewed on receipt of satisfactory evidence of an applicant—

(a) having undergone a successful medical examination in accordance with clause *(b)* of paragraph 1;

(b) having satisfactorily completed not less than twenty hours of flight time as a flight engineer within a period of six months immediately preceding the date of application for renewal or in lieu thereof having completed flight tests as laid down in clause *(d)* of paragraph 1 within the same period.

4. Aircraft rating. — The licence shall indicate the type of aircraft the holder is entitled to fly in the capacity of a flight engineer.

5. Extension of aircraft rating. — For extension of aircraft rating to include an additional type of aircraft, an applicant shall be required to produce evidence of—

(a) having a current Student Flight Engineer's Licence on the type of aircraft which is desired to be included in the aircraft rating of his licence;

(b) having completed within a period of twelve months immediately preceding the date of the application for extension of aircraft rating, fifty hours of flying experience on the type of aircraft desired to be included in his licence and out of this flying experience not more than twenty-five hours shall have been obtained on an approved synthetic flight trainer;

(c) having successfully completed the flight test as laid down in clause *(d)* of paragraph 1 in respect of the type of the aircraft for which the aircraft rating is desired, within a period of six months immediately preceding the date of the application for extension of aircraft rating.

6. Privileges. — Subject to the endorsements and rating in the licence, the privileges of the holder of a Flight Engineer's Licence shall be to act as flight engineer in any aircraft of a type specified in the aircraft rating of his licence provided during the preceding twelve months he has demonstrated his competency as per sub-clauses *(ii)* and *(iii)* of clause *(d)* of paragraph 1, to an approved examiner, to undertake duties of flight engineer in the type of aircraft or in an approved flight simulator.

SECTION V

FLIGHT RADIO TELEPHONE OPERATOR'S (RESTRICTED) LICENCE

1. Requirements for issuance of licence. — An applicant for a Flight Radio Telephone Operator's (Restricted) Licence shall satisfy the following requirements, namely:—

(a) Age: He shall be not less than sixteen years of age on the date of application.

(b) Educational qualifications: He shall have passed Class 10th or its equivalent examination from a recognised Board.

(c) Medical fitness: He shall produce on a prescribed proforma, an assessment of medical fitness from an approved medical practitioner in accordance with the provisions of rule 78 and the period of validity of the medical assessment shall be as specified in rule 79.

(d) Knowledge: He shall pass a written examination and practical test in accordance with the syllabus as prescribed by the Director General.

(e) Experience: He shall be the holder of a Student Pilot's Licence (Aeroplanes, Helicopters, Gliders, Microlights, Light Sport Aircraft or Balloons) or a Private Pilot's Licence (Aeroplanes or Helicopters) or a Pilot's Licence (Microlight, Light Sport Aircraft, Gliders or Balloons).

(f) Skill: He may, if so necessary, be subjected to a flight check to show his competency in operation of flight radio telephone apparatus on board an aircraft.

2. Validity. — The licence shall be valid for a period as specified in rule 79.

3. Renewal. — A licence will be renewed on production of satisfactory evidence of—

(a) having undergone a medical examination in accordance with clause *(c)* of paragraph 1.

(b) having satisfactorily completed not less than five hours of flight time on an aircraft fitted with radio telephone apparatus for two-way communication during which he had operated the radio telephone apparatus or in lieu thereof meets all the requirements for initial issue of this licence.

4. Privileges. — Subject to the endorsement in the licence, the privileges of a holder of a Flight Radio Telephone Operator's (Restricted) Licence shall be to operate radio telephone apparatus on board an aircraft for two-way communications on very high frequency.

SECTION W

FLIGHT RADIO TELEPHONE OPERATOR'S LICENCE

1. Requirements for issuance of licence. — An applicant for a Flight Radio Telephone Operator's Licence shall satisfy the following requirements, namely: —

(a) Age: He shall be not less than eighteen years of age on the date of application.

(b) Educational qualification: He shall have passed Class 12th with Physics and Mathematics or its equivalent examination from a recognised Board or University.

(c) Medical fitness: He shall produce in a prescribed proforma, a certificate of physical fitness from either an approved medical practitioner or an approved medical board after undergoing a medical examination during which he shall have established his medical fitness on the basis of compliance with the requirements as notified by the Director General under the provisions of rule 78.

(d) Knowledge or technical qualifications: He shall produce a valid Radio Telephone Operator (Restricted) Certificate and Licence issued under these rules.

(e) Experience: He shall produce satisfactory evidence of having completed not less than two months of satisfactory experience as a flight radio telephone operator and obtained experience of at least ten hours during the preceeding twelve months in an aircraft equipped with radio apparatus in accordance with the provisions of rule 59:

Provided that an applicant who has not had the experience as required above may be granted a provisional licence for a period not exceeding one year in order to enable him to obtain the necessary experience :

Provided further that an applicant who is licensed flight crew will not be required to produce evidence of experience.

2. Validity. — The licence shall be valid for a period as specified in rule 79.

3. Privileges. — Subject to the endorsements in the licence, the privileges of the holder of a Flight Radio Telephone Operator's Licence shall be to act as a flight radio telephone operator on any aircraft equipped with radio apparatus in accordance with the provisions of rule 59 including radio apparatus which communicates by radio telephony except that the holder of a provisional licence shall, at all times, operate under the supervision of a person holding a Flight Radio Telephone Operator's Licence.

THE SECOND SCHEDULE

AIR TRAFFIC SERVICES PERSONNEL

(See Chapter IV)

SECTION A

GENERAL

1. Application for grant of a licence or rating. — *(a)* The application for issue or renewal of a licence or rating shall be made to the Director General in a specified proforma, and shall be accompanied by—

(i) an assessment of medical fitness issued by the approved medical authority or Director General;

(ii) a recent photograph of the applicant showing the head (uncovered) and shoulders in front view, in the format and specifications, as may be specified by the Director General;

(iii) class 10th certificate or marks sheet of a recognised Board or its equivalent or the birth certificate issued by a Municipal Corporation or Committee as proof of age;

(iv) payment of the specified fee;

(v) proof of meeting the educational qualification, knowledge and experience requirements; and

(vi) any other information required by the Director General.

(b) The date of application shall be the date on which the application is received in the Directorate General of Civil Aviation.

(c) The licences and ratings specified in this Schedule shall be issued in the name as entered in the Class 10th certificate or marks sheet of a recognised Board or its equivalent.

2. Application for renewal of licence. — *(a)* The application for renewal of a licence or rating shall be made in a specified proforma to the Director General or to any other authority designated by him in this behalf, and shall be accompanied by**—**

(i) an assessment of medical fitness issued by the Director General referred to in rule 91;

(ii) a statement of the recency experience duly authenticated by the person in-charge of the concerned air traffic services units;

(iii) payment of the specified fee; and

(iv) any other information required by the Director General.

(b) The date of application shall be the date on which the application is received in the Directorate General of Civil Aviation.

3. Examination. — *(a)* The applicant for issue of a Student Air Traffic Controller's Licence or Air Traffic Controller's Licence or a rating shall be required to pass the examinations conducted in the manner specified by the Director General:

Provided that when two air traffic controller ratings are sought concurrently, the licence holder shall meet the examination requirements of both the ratings.

(b) The candidate shall, on demand by the examiner, furnish proof for his identification before the examination.

(c) An applicant who fails in any examination shall not be permitted to appear for re-examination within a period of at least two weeks from the date of examination.

4. Assessment by the examiner or Board. — For getting an endorsement, the holder of a Student Air Traffic Controller's Licence or an Air Traffic Controller's Licence shall

be assessed by an examiner or a Board, appointed by the Director General or an organisation under the control of the Government duly authorised by the Director General:

Provided that when two air traffic controller ratings are sought concurrently, the licence holder shall meet the skill requirements of both the ratings.

5. Validity of examination and experience. — *(a)* The applicant for a licence or rating shall have passed the examination for issuing a licence or rating within a period of not more than five years preceding the date of application.

(b) The application for a rating shall be made within six months from the completion of experience specified in Sections D, E, F, G, H and I:

Provided that the applicant shall have completed at least ten hours of experience in preceding six months from the date of application.

(c) In case the validity of an examination expires on a holiday, it shall be automatically extended to the next working day.

6. Experience requirement. — *(a)* The applicant shall have satisfactorily completed an approved training course; and

(b) The holder of a Student Air Traffic Controller's Licence or an Air Traffic Controller's Licence shall be required to undergo on-the-job training in the actual control of air traffic under the supervision of an instructor for the period and duration of hours specified in the relevant Section of this Schedule for grant of a particular rating:

Provided that when an applicant already holds or has held the rating of any other unit at the same air traffic services station, or the same rating of another air traffic services station, on being satisfied and subject to the conditions specified by the Director General, on the basis of traffic volume of the air traffic unit for which the rating is being sought and experience of the licence holder, the licensing authority may approve on-the-job training for a shorter period and duration of hours than the one specified in the relevant Section of this Schedule:

Provided further that when two air traffic controller ratings are sought concurrently, the licence holder shall meet the experience requirements of the rating which requires the higher experience for such rating.

Explanation. — For the purpose of this paragraph, "instructor" means an air traffic control on-the-job training instructor.

7. Conditions precedent to exercise of privileges. — *(a)* No person holding a current Air Traffic Controller's Licence shall exercise the privileges of his licence or rating unless he meets competency, recency and language proficiency requirement and medical standards, as applicable to him in accordance with these rules:

Provided that in case the recency or competency requirements cannot be completed due to insufficient movements or watch hours then the licence holder shall complete minimum ten hours of simulated exercise including emergency and shall also undergo a skill assessment for respective rating in not more than ten consecutive days of commencement of simulated exercises.

(b) The holder of a licence shall not exercise the privilege of their licence and related ratings while under the influence of alcohol or any psychoactive substance, which might render him unable to safely and properly exercise the privileges of the licences and ratings.

8. Recency requirement. — A licence holder is considered to be recent in respect of rating and endorsement on his licence if he has worked for minimum ten hours in respect of a particular ratings during preceding six months.

9. Language proficiency. — *(a)* An applicant for grant of Student Air Traffic Controller's Licence or Air Traffic Controller's Licence shall have the ability to speak and understand the English language used for radio telephony communications to the level of proficiency specified by the Director General.

(b) The level of proficiency shall be evaluated in accordance with the procedures specified by the Director General.

(c) The licencing authority shall indicate the level of proficiency in the licence.

SECTION B

STUDENT AIR TRAFFIC CONTROLLER'S LICENCE

1. Requirements for issuance of licence. — An applicant for a Student Air Traffic Controller's Licence shall satisfy the following requirements, namely: —

(a) Age: He shall not be less than twenty years of age on the date of application.

(b) Educational qualification: He shall have passed any one of the following degrees or hold a valid licence as specified below, namely: —

(i) Bachelor of Science with Physics and Mathematics; or

(ii) Bachelor of Science (Honours in Physics); or

(iii) Bachelor of Science (Honours in Mathematics); or

(iv) an equivalent examination to sub-clause *(i)* or sub-clause *(ii)* or sub-clause *(iii)* , from a recognised University; or

(v) Bachelor of Engineering or a Bachelor of Technology in any discipline with physics and mathematics as subject in any one of the semesters; or

(vi) an integrated or dual degree with physics and mathematics as subject in any one of the semesters; or

(vii) shall hold a valid Indian Commercial Pilot's Licence.

(c) Medical fitness: He shall hold a valid medical fitness assessment issued by the Director General as referred to in rule 91.

(d) Knowledge: He shall have demonstrated the required level of knowledge by passing a written examination in the following subjects, namely: —

(i) Air law: The provisions of these rules, Civil Aviation Requirements and any other circulars or instructions relevant to the air traffic control;

(ii) Air traffic control equipment: Principles, use and limitations of equipment used in air traffic control;

(iii) General Knowledge: Principles of flight, principles of operation and functioning of aircraft and remotely piloted aircraft system

engines and systems, aircraft performance relevant to air traffic control operations;

(iv) Human performance: Human performance relevant to air traffic control including principles of threat and error management;
(v) Meteorology: Aeronautical meteorology, use and appreciation of meteorological documentation and information, origin and characteristic of weather phenomena affecting flight operations and safety, altimetry;

(vi) Navigation: Principles of air navigation, principles, limitation and accuracy of navigation systems and visual aids; and

(vii) Operational procedures: Air traffic control, communication, radio-telephony and phraseology procedure (routine, non-routine and emergency), use of relevant aeronautical documentation, safety practices associated with flight.

(e) Experience: He shall have successfully completed an approved training course from an approved training organisation and pass the relevant examination, and also completed an approved course of initial training in the rating or discipline relating to any of the rating from an approved organisation.

2. Validity. — The licence shall be valid for the period specified in rule 94 and shall lapse on the holder acquiring an Air Traffic Controller's Licence.

3. Renewal. — The licence may be renewed for a period not exceeding three years from the date of fresh medical examination as specified in clause *(c)* of paragraph 1.

4. Privileges. — Subject to the validity of licence, the holder of a Student Air Traffic Controller's Licence may perform duty as an air traffic controller in a particular air traffic control unit in order to complete the requirement of on-the-job training for the purpose of qualifying for endorsement of such rating on his licence:

Provided that he shall perform duty—

(i) at all times under the direct supervision of an authorised instructor rated on that air traffic control unit; and

(ii) in an air traffic control unit for which he has successfully completed an approved training course.

SECTION C

AIR TRAFFIC CONTROLLER'S LICENCE

1. Requirements for issuance of licence. — An applicant for an Air Traffic Controller's Licence shall satisfy the following requirements, namely: —

(a) Age: He shall not be less than twenty-one years of age on the date of application.

(b) Educational qualification: He shall have passed any one of the following degrees or hold a valid licence as specified below: —

(i) Bachelor of Science with Physics and Mathematics; or

(ii) Bachelor of Science (Honours in Physics); or

(iii) Bachelor of Science (Honours in Mathematics); or

(iv) an equivalent examination to sub-clause *(i)* or sub-clause *(ii)* or sub-clause *(iii)*, from a recognised University; or

(v) Bachelor of Engineering or a Bachelor of Technology in any discipline with Physics and Mathematics as subject in any one of the semesters; or

(vi) an integrated or dual degree with physics and mathematics as subject in any one of the semesters; or

(vii) shall hold a valid Indian Commercial Pilot's Licence

(c) Medical fitness: He shall hold a valid medical fitness assessment issued by the Director General as referred to in rule 91.

(d) Knowledge: *(i)* He shall hold a valid Student Air Traffic Controller's Licence.

(ii) He shall have passed the examination for obtaining at least one rating for a particular air traffic control unit as specified in Sections D, E, F, G, H and I of this Schedule.

(e) Experience: He shall produce a certificate of having —

(i) satisfactorily completed an approved training course for applicable rating; and

(ii) accomplished not less than three months of satisfactory service engaged in the actual control of air traffic under the supervision of an appropriately rated instructor.

Explanation. — For the purpose of this clause, the experience specified in Sections D, E, F, G, H and I may be counted as part of the experience required under this Section.

2. Validity. — The licence shall be valid for a period as specified in rule 94.

3. Renewal. — The licence shall be renewed for a period specified in rule 94 subject to the applicant holding a valid medical fitness assessment and at least one valid rating.

4. Privileges. — Subject to the validity of licence, the holder of an Air Traffic Controller's Licence may perform duty as an air traffic controller in any air traffic control unit which is included in his licence as rating.

SECTION D

AERODROME CONTROL RATING

1. Requirements for issuance of rating. — An applicant for an Aerodrome Control Rating shall satisfy the following requirements, namely: **—**

(a) Knowledge: He shall hold either a Student Air Traffic Controller's Licence or an Air Traffic Controller's Licence and shall have demonstrated a level of knowledge by passing the examination in the following subjects in relation to the relevant aerodrome control tower, namely: **—**

(i) aerodrome lay out, physical characteristics and visual aids;

(ii) airspace structure;

(iii) applicable rules, procedures and source of information;

(iv) air navigation facilities;

(v) air traffic control equipment and its use;

(vi) terrain and prominent landmarks;

(vii) characteristics of air traffic;

(viii) weather phenomena;

(ix) emergency, search and rescue plans; and

(x) any other subject considered appropriate for the particular air traffic services unit.

(b) Experience: He shall produce a certificate of having—

(i) satisfactorily completed an approved training course for applicable rating; and

(ii) undergone on-the-job training for a period of not less than one and a half month, during which at least ninety hours of training has been completed, at the unit for which the rating is sought.

(c) Skill: He shall have been assessed successful by a Board or examiner regarding his skill, judgement and performance to provide a safe, orderly and expeditious aerodrome control service including the recognition and management of threats and errors and the assessment shall be conducted, as soon as possible, after the completion of on-the-job training requirement.

2. Validity. — The rating shall become invalid if an air traffic controller has not exercised the privileges of the rating for a period exceeding six months.

3. Revalidation. — The rating shall be revalidated as provided in rule 98.

4. Privileges. — *(a)* The privileges of the holder of the rating shall be to provide or to supervise the provision of aerodrome control service at the aerodrome for which he is rated.

(b) Before exercising the privileges, the holder of the rating shall be familiar with all pertinent and current information.

SECTION E

APPROACH CONTROL PROCEDURAL RATING

1. Requirements for issuance of rating. — An applicant for an Approach Control Procedural Rating shall satisfy the following requirements, namely:—

(a) Knowledge: He shall hold an Air Traffic Controller's Licence or a Student Air Traffic Controller's Licence and shall have demonstrated the required level of knowledge by passing the examination at least in the following subjects for approach control unit at a particular place, namely: —

(i) airspace structure;

(ii) applicable rules, procedures and source of information;

(iii) air navigation facilities;

(iv) air traffic control equipment and its use;

(v) terrain and prominent landmarks;

(vi) characteristics of air traffic and traffic flow;

(vii) weather phenomena;

(viii) emergency, search and rescue plans; and

(ix) any other subject considered appropriate for the particular air traffic services unit.

(b) Experience: He shall produce a certificate of having—

(i) satisfactorily completed an approved training course for applicable rating; and

(ii) undergone on-the-job training for a period of not less than three months, during which at least one hundred and eighty hours of training has been completed, at the unit for which the rating is sought.

(c) Skill: He shall have been assessed successful by a Board or examiner regarding his skill, judgement and performance to provide a safe, orderly and expeditious approach control service including the recognition and

management of threats and errors and the assessment shall be conducted, as soon as possible, after the completion of on-the-job training requirement.

2. Validity. — The rating shall become invalid if an air traffic controller has not exercised the privileges of the rating for a period exceeding six months.

3. Revalidation. — A rating shall be revalidated as provided in rule 98.

4. Privileges. — *(a)* The privileges of the holder shall be to provide or to supervise the provision of approach control service within the airspace jurisdiction or portion thereof of the unit for which he is rated.

(b) Before exercising the privileges, the holder of the rating shall be familiar with all pertinent and current information.

SECTION F

APPROACH CONTROL SURVEILLANCE RATING

1. Requirements for issuance of rating. — An applicant for an Approach Control Surveillance Rating shall satisfy the following requirements, namely: **—**

(a) Knowledge: He shall hold an Air Traffic Controller's Licence or a Student Air Traffic Controller's Licence and shall have demonstrated the required level of knowledge by passing examination in at least the following subjects in relation to the area of responsibility at a particular place, namely: **—**

(i) airspace structure;
(ii) applicable rules, procedures and source of information;
(iii) air navigation facilities;
(iv) air traffic control equipment and its use;
(v) terrain and prominent landmarks;
(vi) characteristics of air traffic and traffic flow;
(vii) weather phenomena;
(viii) emergency , search and rescue plans;
(ix) principles, use and limitations of applicable air traffic services surveillance systems and associated equipment;

(x) procedures for the provision of air traffic services surveillance service, as appropriate including procedures to ensure appropriate terrain clearance; and

(xi) any other subject considered appropriate for the particular air traffic services unit.

(b) *Experience*: He shall produce a certificate of having—

(i) satisfactorily completed an approved training course on the surveillance system; and

(ii) undergone on-the-job training for a period of not less than three months, during which at least one hundred and eighty hours of training has been completed, at the unit for which the rating is sought:

Provided that the requirement as specified in sub-clause *(i)* shall not be required for an air traffic controller holding or having held an Approach or Area Surveillance Rating for any other aerodrome.

(c) Skill: He shall have been assessed successful by a Board or examiner regarding his skill, judgement and performance to provide a safe, orderly and expeditious approach control service including the recognition and management of threats and errors and the assessment shall be conducted, as soon as possible, after the completion of on-the-job training requirement.

2. Validity. — The rating shall become invalid if an air traffic controller has not exercised the privileges of the rating for a period exceeding six months.

3. Revalidation. — A rating shall be revalidated as provided in rule 98.

4. Privileges. — *(a)* The privileges of the holder shall be to provide or to supervise the provision of approach control service with the use of applicable air traffic services surveillance systems for the aerodrome or aerodromes for which he is rated, within the airspace or portion thereof, falling under the jurisdiction of the unit providing approach control service.

(b) Before exercising the privileges, the holder of the rating shall be familiar with all pertinent and current information.

SECTION G

AREA CONTROL PROCEDURAL RATING

1. Requirements for issuance of rating. — An applicant for an Area Control Procedural Rating shall satisfy the following requirements, namely: **—**

(a) Knowledge: He shall hold an Air Traffic Controller's Licence or a Student Air Traffic Controller's Licence and shall have demonstrated the required level of knowledge by passing the examination in the following subjects in relation to the relevant area control unit, namely: **—**

(i) airspace structure;
(ii) applicable rules, procedures and source of information;
(iii) air navigation facilities;
(iv) air traffic control equipment and its use;
(v) terrain and prominent landmarks;
(vi) characteristics of air traffic and traffic flow;
(vii) weather phenomena;
(viii) emergency, search and rescue plans; and
(ix) any other subject considered appropriate for the particular air traffic services unit.

(b) Experience: He shall produce a certificate of having—

(i) satisfactorily completed an approved training course for applicable rating; and

(ii) undergone on-the-job training for a period of not less than three months, during which at least one hundred and eighty hours of training has been completed, at the unit for which the rating is sought:

(c) Skill: He shall have been assessed successful by a Board or examiner regarding his skill, judgement and performance to provide a safe, orderly and expeditious area control service, including the recognition and management of

threats and errors and the assessment shall be conducted, as soon as possible, after the completion of on-the-job training requirement.

2. Validity. — The rating shall become invalid when an air traffic controller has not exercised the privileges of the rating for a period exceeding six months.

3. Revalidation. — A rating shall be revalidated as provided in rule 98.

4. Privileges. — *(a)* The privileges of the holder shall be to provide or to supervise the provision of area control service within the airspace jurisdiction of the control area or portion thereof for which he is rated.

(b) Before exercising the privileges, the licence holder shall be familiar with all pertinent and current information.

SECTION H

AREA CONTROL SURVEILLANCE RATING

1. Requirements for issuance of rating. — An applicant for an Area Control Surveillance Rating shall satisfy the following requirements, namely: **—**

(a) Knowledge: He shall be the holder of an Air Traffic Controller's Licence or an Student Air Traffic Controller's Licence and shall have demonstrated the required level of knowledge by passing the examination in at least the following subjects in relation to the area of responsibility of the particular unit, namely: **—**

(i) airspace structure;
(ii) applicable rules, procedures and source of information;
(iii) air navigation facilities;
(iv) air traffic control equipment and its use;
(v) terrain and prominent landmarks;
(vi) characteristics of air traffic and traffic flow;
(vii) weather phenomena;
(viii) emergency, search and rescue plans;

(ix) principles, use and limitations of applicable air traffic services surveillance systems and associated equipment;

(x) procedures for the provision of air traffic services surveillance service, as appropriate including procedures to ensure appropriate terrain clearance; and

(xi) any other subject considered appropriate for the particular air traffic services unit.

(b) Experience: He shall produce a certificate of having—

(i) satisfactorily completed an approved training course on the surveillance system;

(ii) undergone on-the-job training for a period of not less than three months, during which at least one hundred and eighty hours of training has been completed, at the unit for which the rating is sought.

Provided that the requirement as specified in sub-clause *(i)* shall not be required for an air traffic controller holding or having held an Approach or Area Surveillance Rating for any other aerodrome.

(c) Skill: He shall have been assessed successful by a Board or examiner regarding his skill, judgement and performance to provide a safe, orderly and expeditious area control service including the recognition and management of threats and errors and the assessment shall be conducted, as soon as possible, after the completion of on-the-job training requirement.

2. Validity. — The rating shall become invalid when an air traffic controller has not exercised the privileges of the rating for a period exceeding six months.

3. Revalidation. — A rating shall be revalidated as provided in rule 98.

4. Privileges. — *(a)* The privileges of the holder shall be to provide or to supervise the provision of area control service with the use of applicable air traffic services surveillance systems, within the control area or portion thereof, for which the licence holder is rated.

(b) Before exercising the privileges, the licence holder shall be familiar with all pertinent and current information.

SECTION I

OCEANIC CONTROL RATING

1. Requirements for issuance of rating. — An applicant for an Oceanic Control Rating shall satisfy the following requirements, namely:–

(a) Knowledge: He shall be the holder of an Air Traffic Controller's Licence or a Student Air Traffic Controller's Licence and shall have demonstrated a level of knowledge by passing the examination at least in the following subjects for an oceanic control unit in the area of his responsibility, at a particular place, namely:–

(i) airspace structure;
(ii) applicable rules, procedures and source of information;
(iii) air navigation facilities;
(iv) air traffic control equipment and its use;
(v) principles, uses and limitations of surveillance systems, if any and associated equipment;
(vi) terrain and prominent landmarks;
(vii) characteristics of air traffic and traffic flow;
(viii) weather phenomena;
(ix) emergency, search and rescue plans; and
(x) any other subject considered appropriate for the particular air traffic services unit.

(b) Experience: He shall produce a certificate of having –

(i) satisfactorily completed an area control training course;

(ii) undergone on-the-job training for a period of not less than three months during which at least one hundred and eighty hours of training has been completed, at the unit for which the rating is sought.

(c) Skill: He shall have been assessed successful by a Board or examiner regarding his skill, judgement and performance to provide a safe, orderly and

expeditious air traffic control service including the recognition and management of threats and errors in the oceanic control center and the assessment shall be conducted, as soon as possible, after the completion of on-the-job training requirement.

2. Validity. — The rating shall become invalid when an air traffic controller has not exercised the privileges of the rating for a period exceeding six months.

3. Revalidation. — A rating shall be revalidated as provided in rule 98.

4. Privileges. — *(a)* The privileges of the holder shall be to provide or to supervise the provision of oceanic control service within the airspace jurisdiction of oceanic control or portion thereof for which the licence holder is rated.

(b) Before exercising the privileges, the licence holder shall be familiar with all pertinent and current information.

THE THIRD SCHEDULE

(See Chapter VI)

AERONAUTICAL TELECOMMUNICATION

1. Aeronautical facility requirements.– An applicant for certification of a communication, navigation, surveillance or air traffic management facility to be established or used at an aeronautical telecommunication station shall establish a procedure to ensure that—

(i) each facility intended to be included in the certificate of the applicant before commissioning —

(a) is designed and installed to meet the applicable operational specification specified for that facility;

(b) conforms with the applicable system, characteristics and specification standards specified by the Director General;

(c) has been allocated a Radio Frequency Operating Licence in compliance with the Telecommunications Act, 2023 (44 of 2023) and rules made thereunder; and

(d) has been allocated an identification code or call sign.

(ii) each facility listed in the certificate of the applicant is installed with suitable power supplies and means to ensure continuity of operation appropriate to the needs of the air traffic service or radio navigation service being supported; and

(iii) an applicant for certification of communication, navigation and surveillance of air traffic management facility to be established or used at an aeronautical telecommunication station who intends to operate a temporary aeronautical facility to carry out site tests shall establish a procedure for conducting those tests.

2. Communication, navigation and surveillance manual.– The communication, navigation and surveillance manual in addition to any other relevant information shall contain the following information and particulars, namely **:–**

***(a)* General:** General information including purpose and scope of the manual, management and organisation structure of the holder of the certificate, legal requirement for certification of communication, navigation, surveillance or air traffic management facility, conditions for the use of the certificate, availability of aeronautical information system for disseminating information regarding status of facility.

***(b)* Requirement of personnel:** *(i)* appropriate details of proficient personnel to ensure each service listed in the certificate of the applicant in a safe, efficient, continuous and sustainable manner and the number of personnel required to maintain facilities shall be specified appropriately in the manual as per policy;

(ii) procedure for employing or authorising proficient personnel, for maintenance and operation of the facility or to place into operational service any of the facility listed in the certificate which shall clearly specify the system to—

(a) assess the competence of proficient personnel;

(b) maintain the continued competence of proficient personnel; and

(c) scope of authorisation for proficient personnel.

(c) **Standards of communication, navigation, surveillance or air traffic management facility:** *(i)* details of the technical standards relating to design, installation, commissioning and testing, operation and maintenance that are applicable to facility;

(ii) it shall also include any standard specified for such facility by the manufacturer;

(iii) where compliance with a relevant standard is not achieved, the same shall be clearly indicated, and a statement of the reason for non-compliance and its impact on the service provided in terms of the performance of the facility and its impact on air traffic services and aircraft operation.

(d) **Technical description of facility**: Basic performance descriptors (functional specification) for each of the communication, navigation, surveillance or air traffic management facility.

(e) **Operation and maintenance plan:** Operation and maintenance plan for each of the communication, navigation, surveillance or air traffic management facility alongwith the documentation of the facility required by the manufacturer, relevant documentations by International Civil Aviation Organisation or documents developed or varied by the holder of certificate based on its knowledge of the performance and maintenance requirements of each facility.

(f) **Safety management system:** Information on systematic and appropriate safety management system to ensure that safety is maintained in the provision of the communication, navigation, surveillance or air traffic management facility.

(g) **Test equipments :** *(i)* details of test and measuring equipments including their calibration status, necessary for the operation, performance, inspection, and maintenance of all of its facilities;

(ii) the facility operation and maintenance plan or the instructions of operating and maintenance for each facility shall specify the test equipment requirements for each level of operation and maintenance.

(h) **Interruption to service:** Details of the procedure to be used if operation of communication, navigation and surveillance of air traffic management facility is interrupted.

(i) **Procedures:** Procedure for conducting all the activities related to installation, operation, maintenance and other matters of communication, navigation, surveillance facilities clearly specifying the duties and responsibilities of each concerned.

(j) **Procedure for change:** *(i)* the procedure for change to be made for a facility, its operation and maintenance plan;

(ii) the change of procedure shall establish an appropriate authority within the holder of the certificate organisation to assess and authorise any changes to operation and maintenance procedures and the procedures for removal and return of facilities to operational service; and

(iii) the logistics support of services and the amendment of relevant documentation including the operations manual.

(k) **Document control**: The manual shall describe the document control process of the holder of service certificate concerning the requirements in this regard.

(l) **Quality control:** For the use and guidance of personnel, the details of information concerning policies, procedure, practice and quality control method relating to provision of communication, navigation, surveillance or air traffic management facilities and activities of that organisation.

(m) **Security**: *(i)* the holder of certificate shall ensure that reasonable measures are made for the security of equipment and installation at aeronautical telecommunication stations;

(ii) the aeronautical telecommunication stations located outside the aerodrome shall also have provision of suitable security fencing.

THE FOURTH SCHEDULE

GRANT OF AIR OPERATOR CERTIFICATE TO OPERATE SCHEDULED AIR TRANSPORT SERVICES

[See rule 183 and Chapter VII]

1. Air operator certificate to operate scheduled air transport services in pursuance of rule 183 (hereinafter referred to as the air operator certificate) may be granted either—

(i) to a citizen of India; or

(ii) to a company or a body corporate provided that—

(a) it is registered and has its principal place of business within India;

(b) the chairman and at least two-thirds of its directors are citizens of India; and

(c) its substantial ownership and effective control is vested in Indian nationals.

Explanation.— For the purposes of clause *(c),* the expression 'Indian nationals' includes a citizen of India who is residing outside India but shall not include an 'Overseas Citizen of India Cardholder' within the meaning of section 7A of the Citizenship Act, 1955 (57 of 1955) or 'Persons of Indian Origin Cardholders' deemed as 'Overseas Citizen of India Cardholders' under notification number 26011/01/2014-IC.I. dated 09th January, 2015 published in the Gazette of India, Extraordinary under Part I, Section 1 dated the 9th January, 2015.

2. The Director General shall be the authority to examine the applications for air operator certificate and for issuing cancelling or suspending such air operator certificate.

3. *(1)* An application for air operator certificate shall be made to the Director General, not less than six months before the date on which it is proposed to commence the air transport services, in such form and manner as may be specified by the Director General which shall be signed by the applicant or by a person duly authorised in that behalf by the applicant and the application.

(2) The applicant shall, before making the application to the Director General, obtain a no objection certificate for his proposed air transport services from the Central Government by making an application to it, in such form and manner as may be specified by the Director General.

(3) The Central Government shall consider the application for no objection certificate received under sub-paragraph *(2)* taking into account the factors such as the financial soundness of the applicant, his operational plan, the clearance from security angle of the applicant organisation including its directors, and any other factor that may have a bearing on the proposed air transport services from policy angle.

(4) The no objection certificate granted by the Central Government shall be valid for a period of three years from the date of issue.

4. An Air Operator Certificate for air transport services under this Schedule may be granted in the following categories, namely: —

(a) scheduled air transport services (passenger);

(b) scheduled commuter air transport services (passenger); and

(c) scheduled air transport services (Cargo).

Explanation. — The scheduled commuter air transport services shall be operated between airports or helipads, as may be specified by the Director General.

5. Only multi-engine aircraft with maximum certified take-off mass of not less than 5700 kg. in case of aeroplanes and 3175 kg. in case of helicopters shall be used for operations by the holder of the Air Operator Certificate under this Schedule and the aircraft shall meet the requirements as may be specified by the Director General :

Provided that the operator of scheduled commuter air transport services (passenger) may use aircraft with certified take-off mass below 5700 kg. but not exceeding 40000 kg. :

Provided further that turbine-powered single engine aeroplane having maximum certified take-off mass below 5700 kg. and turbine-powered single engine helicopter having maximum certified take-off mass below 3175 kg. may be used for operations under the scheduled commuter air transport services subject to the following conditions, namely: —

(i) the number of certified passenger seats shall not exceed nine;

(ii) the aeroplane shall be equipped with minimum equipment for operation at night and instrument meteorological conditions; and

(iii) the helicopter shall be flown under day visual flight rules only.

6. *(1)* The Director General shall consider the application for the air operator certificate as speedily as possible and upon being satisfied that the applicant meets the laid down requirements, may grant the air operator certificate subject to such conditions as may be specified therein.

(2) The Director General may, at any time, require the applicant to furnish any information which he considers necessary for deciding the application and the Director General may also require the applicant to produce evidence in support of any information that the applicant may have furnished.

7. The air operator certificate shall be valid for a period not exceeding five years as may be specified therein and may be renewed by the Director General for a period not exceeding five years at a time upon being satisfied that the applicant has been performing the services under the certificate satisfactorily and has the capability to continue the services.

8. The air operator certificate shall contain such information as may be specified by the Director General.

9. The grant of air operator certificate shall not be construed as in any way absolving any person from the obligation of complying with the provisions of the Act, the Carriage by Air Act, 1972 (69 of 1972) or with the rules made thereunder or with any other statutory provisions for the time being in force.

10. Any schedule air transport service operated in accordance with the provisions of this Schedule shall comply with the safety requirements with respect to air routes, aircraft and aircrew specified by the Director General.

11. *(1)* If the Director General is satisfied that there is sufficient ground for doing so, he may, for reasons to be recorded in writing, cancel the air operator certificate or suspend it for any specific period and he may also, during the investigation of any matter, suspend the air operator certificate.

(2) Without prejudice to the generality of the power in sub-paragraph *(1),* the Director General may cancel or suspend the air operator certificate for such period as he thinks fit, if he is satisfied that —

(a) any of the conditions of the air operator certificate has not been complied with and the failure is due to any willful act or default on the part of the holder of the air operator certificate or by any of his servants, or agents, irrespective of whether or not such willful act or default of the servant or agent was with the knowledge or approval of the holder of the air operator certificate; or

(b) the holder of the air operator certificate has failed to establish a safe, efficient and reliable service; or

(c) having regard to the financial resources of the holder of the air operator certificate or the losses incurred by him, he cannot be relied upon to continue the operation of the service in a safe, efficient and reliable manner; or

(d) the air operator certificate was obtained by fraud; or

(e) the security clearance of the holder of air operator certificate has been withdrawn or denied by the Central Government.

(3) Before any action is taken under sub-paragraphs *(1)* or *(2),* the Director General shall give to the holder of the air operator certificate not less than fifteen days' notice in writing specifying the ground upon which it is proposed to cancel or, as the case may be, suspend the air operator certificate and shall give him an opportunity of showing cause, either in writing or by appearing in person before the Director General, against the action proposed to be taken.

(4) Notwithstanding anything contained in sub-paragraph *(3),* the Director General, may, if he has reason to believe on reliable information that it is expedient in the interest of public safety so to do, summarily suspend the air operator certificate with a view to make further enquiry and take action.

(5) The air operator certificate shall cease to be in-force from the date of such cancellation or suspension unless otherwise directed.

12. The Director General may, at any time, whether of his own motion or on application made by any party, correct clerical or typographical error in any of his orders arising from any accidental slip or omission.

13. Any air operator certificate granted under the provisions of this Schedule shall not be capable of being transferred or assigned except with the specific permission of the Director General:

Provided that in the event of death, or bankruptcy of the holder of the permit or of the appointment of a receiver, manager or trustee, in relation to the business of the holder, the person for the time being carrying on that business shall, if he makes an application within a period of fourteen days of the said event to the Director General for a new permit, be entitled to continue the operation of the scheduled air transport service until the application is disposed of, or unless the Director General has directed otherwise in the interest of public convenience.

14. *(1)* The air operator certificate shall be kept at the principal office of the holder thereof and shall be produced for inspection on demand by any Magistrate, any Police officer not below the rank of a Deputy Superintendent of Police, any officer of Customs, any Gazetted officer of the Directorate General of Civil Aviation, or any other person authorised by the Central Government or the Director General by special or general order in writing in this behalf.

(2) A copy of the air operator certificate shall be displayed at a conspicuous place in the principal traffic office of the holder of the air operator certificate.

(3) On the expiration of an air operator certificate, whether by efflux of time or in consequence of a decision of the Director General under this Schedule, or when an air operator certificate is suspended by the Director General, the holder shall surrender the air operator certificate to the Director General for cancellation or endorsement as the case may be.

15. The holder of an air operator certificate shall perform such services for conveyance of mail or any other items as specified by the Director General.

16. Every person to whom an air operator certificate has been granted under the provisions of this Schedule, shall submit to the Director General, in such form as may be specified by him —

(a) monthly returns regarding the operation of the permitted air transport service and other air transport operations so as to reach the Director General not later than forty-five days after the expiry of e month to which the return relates;

(b) annual return showing the financial results of the services or operations during each calendar year so as to reach the Director General not later than three months after the expiry of the year to which the return relates; and

(c) such other statements or returns as may be required by the Director General.

THE FIFTH SCHEDULE

(See rule 214)

Punishment and Compounding of Offences

1. Offences punishable under the Bharatiya Vayuyan Niyam, 2026 with imprisonment for a period which may extend to two years, or with fine which may extend to one crore rupees or with both.—

Table 1

Sl. No.	Nature of offence	Relevant rule
(1)	*(2)*	*(3)*
1.	Flying an aircraft without registration.	clause *(a)* of rule 4
2.	Contravention of sub-rule *(1)* of rule 6.	sub-rule *(1)* of rule 6
3.	Contravention of sub-rule *(1)* of rule 8.	sub-rule *(1)* of rule 8

4.	Aerial survey from an aircraft in flight without permission.	rule 10
5.	Contravention of rule 15	rule 15
6.	Contravention of clause *(a)* of rule 18.	clause *(a)* of rule 18
7.	Contravention of sub-rule *(1)* of rule 19.	sub-rule *(1)* of rule 19
8.	Contravention of the provisions of rule 25.	rule 25
9.	Contravention of sub-rule *(14)* of rule 117.	sub-rule *(14)* of rule 117
10.	Contravention of rule 168.	rule 168
11.	Non-compliance with any of the provision of rule 169.	rule169
12.	Consumption of intoxicating and psychoactive substances in the course of flight.	sub-rule *(1)* of rule 174
13.	Carriage of persons in unauthorised parts of aircraft without permission.	rule 176
14.	Contravention of rule 179.	rule 179
15.	Operation of a scheduled air transport service without permission.	sub-rule *(1)* of rule 183
16.	Operation of non-scheduled air transport service without the special permission or non-scheduled operator's permit	sub-rules *(1)* or *(3)* of rule 184
17.	Contravention of sub-rule *(1)* of rule 187.	sub-rule *(1)* of rule 187
18.	Contravention of sub-rule *(1)* of rule 188.	sub-rule *(1)* of rule 188
19.	Contravention of provisions of rule 208.	rule 208
20.	Obstructing any person acting in the exercise of his powers or in discharge of his duties under the provisions of these rules.	rule 210
21.	Contravention of rule 211.	rule 211.

2. Offences punishable under the Bharatiya Vayuyan Niyam, 2026 with fine which may extend to one crore rupees and amount for compounding thereof.—

Table 2

Sl. No.	Nature of offence	Relevant rule	Amount for compounding of offence committed by individual (in rupees)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Photography or videography at an aerodrome without permission.	sub-rule *(1)* of rule 9	one lakh
2.	Photography or videography from an aircraft in flight without permission.	rule 10	two lakh
3.	Contravention of rule 16.	rule 16	five lakh
4.	Contravention of clause *(b)* of rule 18.	clause *(b)* of rule 18	twenty-five thousand
5.	Conduct of activities as mentioned in clause **(a)** of sub-rule *(1)* of rule 66 without obtaining prior approval under sub-rules *(3), (4)* or *(8)* of rule 66.	sub-rules *(3), (4)* or *(8)* of rule 66	five lakh
6.	Non-surrender of licence under sub-rule *(3)* of rule 70.	sub-rule *(3)* of rule 70	fifty thousand
7.	Non-compliance with sub-rule *(1)* of rule 72 by a person (except student pilot of flying training organisation) who has not been licensed under these rules.	sub-rule *(1)* of rule 72	twenty lakh
8.	Contravention of rule 104.	rule 104	two lakh
9.	Flying an aircraft in contravention of rule 112.	rule 112	five lakh
10.	Contravention of sub-rule *(1)* of rule 121.	sub-rule *(1)* of rule 121	five lakh
11.	Contravention of sub-rule (*2)* of rule 121.	sub-rule *(2)* of rule 121	one lakh
12.	Contravention of sub-rule *(1)* of rule 123.	sub-rule (1) of rule 123.	five lakh
13.	Non-compliance of sub-rule *(2)* of rule 123.	sub-rule *(2)* of rule 123.	ten lakh

14.	Contravention of sub-rule *(1)* of rule 136.	sub-rule *(1)* of rule 136	fifty thousand
15.	Contravention of sub-rule *(2)* of rule 136.	sub-rule *(2)* of rule 136	two lakh
16.	Contravention of sub-rule *(2)* of rule 174 by the passenger.	sub-rule *(2)* of rule 174.	twenty-five thousand
17.	Contravention of sub-rule *(3)* of rule 175	sub-rule *(3)* of rule 175	ten thousand
18.	Contravention of sub-rule *(1)* of rule 185 by the person other than the person having any licence or certificate or approval issued under these rules.	sub-rule *(1)* of rule 185	five lakh

3. Where offence mentioned under Table 2, has been committed by the organisation, the amount for compounding of offences shall be as under.—

Table 3

Contravention committed by	Number of employees	Amount for compounding of offences (in rupees)
Organisation (Small)	Up to fifty employees	200% of the amount as provided for such offences by the individual in paragraph 1 and 2, as applicable.
Organisation (Medium)	More than fifty and up to one hundred employees	300% of the amount as provided for such offences by the individual in paragraph 1 and 2, as applicable.
Organisation (Large)	More than one hundred employees	400% of the amount as provided for such offences by the individual in paragraph 1 and 2, as applicable.

Note: *(1)* “Individual” means a natural person.

(2) "Organisation" means a body corporate or an association of individuals whether registered or not.

(3) "Employee**"** means an individual appointed, employed or engaged by the organisation whether contractual, temporary or permanent.

4. **Procedure for compounding of offences.—**

(a) An application for compounding of an offence shall be made by the applicant to the Director General or any officer specially empowered by the Central Government in this behalf in Form A alongwith the fee of one thousand rupees in the manner as laid down by the Director General.

(b) On receipt of the application for compounding, such officer shall examine the application based on the documents submitted and submissions made in the application.

(c) Such officer may call for any information, record or any other document from the applicant, if the same is considered relevant to the compounding proceedings and in case the contravener fails to submit the additional information or documents called for within the specified period, the application for compounding shall be liable for rejection.

(d) Such officer may issue notice to all the concerned of the case to participate in the proceedings.

(e) During the compounding proceedings, such officer after giving due opportunity to the applicant of being heard, shall determine the amount for compounding of offence in accordance with the Tables of paragraphs 2 and paragraph 3 and where the decision of such officer in respect of the amount so determined is not acceptable to the applicant then the applicant shall submit the same in writing to such officer within three days or within such reasonable period as determined by such officer.

(f) After such submission by the applicant or non-submission with in such reasonable time, the compounding proceedings shall cease and the matter shall be proceeded further in accordance with the provisions of the the Act and these rules and the Officer shall prepare a report in respect of these proceedings.

(g) The amount for which the contravention is compounded shall be paid in the manner as specified by the Director General within the period of thirty days of the date of decision of compounding.

(h) In case a person fails to pay the amount for compounding within thirty days of the order, he shall be deemed to have never made an application for compounding of any offence under the provisions of the Act and these rules.

(i) The process of compounding of offences shall be completed expeditiously and not later than sixty days from the date of application and this period of sixty days may be extended up to ninety days by the Director General, for reasons to be recorded in writing, in exceptional circumstances.

FORM A (See rule 214) Application for compounding of Offence		
1.	Name(s) of the Applicant	
2.	Address	
3.	Email Address	
4.	Phone No.	
5.	The Authority before whom the case is pending :	
6.	Contravention of sections or rules	
7.	Brief facts of the case	
8.	Any other information relevant to the case	
9.	Prayer of the Applicant	
10.	Fee and transaction details	
11.	Attachment, if any	

Verification

I_____, the applicant, do hereby declare that what is stated above is true to the best of my information and belief.

Name and Signature of the Applicant

Date:

Place:

THE SIXTH SCHEDULE

(See rule 215)

PENALTIES

1. Classification of severity levels of contravention and penalty thereof.—

Sl. No.	Severity Level (in rupees)	Individual	Organisation (Small)	Organisation (Medium)	Organisation (Large)
			Up to fifty employees	More than fifty and up to one hundred employees	More than one hundred employees
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
1.	Level 1	ten thousand	fifty thousand	seventy-five thousand	one lakh
2.	Level 2	twenty thousand	one lakh	one lakh fifty thousand	two lakh fifty thousand
3.	Level 3	fifty thousand	two lakh	three lakh	five lakh
4.	Level 4	seventy-five thousand	three lakh	five lakh	ten lakh
5.	Level 5	one lakh fifty thousand	five lakh	ten lakh	twenty lakh
6.	Level 6	three lakh	seven lakh fifty thousand	fifteen lakh	thirty lakh
7.	Level 7	five lakh	ten lakh	twenty-five lakh	fifty lakh

8.	Level 8	ten lakh	twenty lakh	thirty-five lakh	seventy lakh
9.	Level 9	twenty lakh	thirty-five lakh	fifty lakh	eighty-five lakh
10.	Level 10	twenty-five lakh	fifty lakh	seventy-five lakh	one crore

Note: *(1)* "Individual" means a natural person.

(2) "Organisation" means a body corporate or an association of individuals whether registered or not.

(3) "Employee" means an individual appointed, employed or engaged by the organisation whether contractual, temporary or permanent.

2. **Contravention of rules and severity level thereof, for determination of penalty amount by the designated officers or the appellate officer, as the case may be.—**

Table 2

Sl. No.	Nature of contravention	Relevant rule (s)	Severity level of contravention/ violation/ non-compliance
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
1.	Contravention of rule 4	rule 4	level 10
2.	Non-carriage of documents as required by rule 5.	rule 5	level 4
3.	Contravention of sub-rule *(1)* of rule 6.	sub-rule *(1)* of rule 6	level 10
4.	Non-compliance with sub-rules *(4)* or *(5)* of rule 6.	sub-rules *(4)* or *(5)* of rule 6	level 6
5.	Contravention of sub-rules *(1), (2)* or *(3)* of rule 7.	sub-rules *(1), (2)* or *(3)* of rule 7	level 10
6.	Contravention of sub-rules *(2), (3)* or *(4)* of rule 8.	sub-rules *(2), (3)* or *(4)* of rule 8	level 5

7.	Contravention of sub-rule *(1)* of rule 8.	sub-rule *(1)* of rule 8	level 7
8.	Photography or videography at an aerodrome without permission.	sub-rule *(1)* 9	level 3
9.	Non-compliance of sub-rule *(2)* of rule 9	sub-rule *(2)* of rule 9	level 6
10.	Non-compliance of sub-rule *(3)* of rule 9	sub-rule *(3)* of rule 9	level 4
11.	Contravention of rule 10	rule 10	level 5
12.	Non-compliance with clause *(a)* or proviso of rule 11.	clause *(a)* or proviso to rule 11	level 10
13.	Non-compliance with clause *(b)* or *(c)* of rule 11.	clause *(b)* or *(c)* of rule 11	level 6
14.	Non-compliance with clause *(d)* of rule 11	clause (*d)* of rule 11	level 4
15.	Non-compliance with the Rules of the Air.	rule 12	level 3
16.	Contravention of directions issued under sub-rule *(1)* of rule 13.	sub-rule *(1)* of rule 13	level 8
17.	Contravention of rule 15	rule 15	level 8
18.	Contravention of rule 16.	rule 16	level 4
19.	Contravention of rules 20 or 21.	rules 20 or 21.	level 2
20.	Contravention of sub-rule *(1)* of rule 22.	sub-rule *(1)* of rule 22	level 4
21.	Contravention of sub-rule *(1)* of rule 23.	sub-rule *(1)* of rule 23	level 5
22.	Contravention of sub-rule *(2)* of rule 23.	sub-rule *(2)* of rule 23.	level 4
23.	Contravention of any of the provision of rule 24	rule 24	level 7
24.	Contravention of rule 26.	rule 26	level 7
25.	Non-compliance of airworthiness directives issued under rule 35	rule 35	level 8

26.	Non-compliance of special condition issued under rule 36	rule 36	level 8
27.	Fly or assist in flying of aircraft without obtaining permission under sub-rule *(3)* of rule 42.	sub-rule *(3)* of rule 42	level 6
28.	Non-compliance with any of the provision of rule 47 other than the sub-clause *(b)* of clause *(2)* of rule 47.	other than sub-clause *(b)* of clause *(2)* of rule 47	level 2
29.	Non-compliance of sub-clause *(b)* of clause *(2)* rule 47.	sub-clause *(b)* of clause *(2)* of rule 47.	level 7
30.	Contravention of any of the provision of rule 48.	rule 48	level 6
31.	Contravention of sub-rules *(1)* or *(5)* of rule 52.	sub-rules *(1)* or *(5)* of rule 52	level 7
32.	Non-compliance of approved maintenance schedules or approved maintenance system in respect of aircraft, aircraft component and items of equipment.	sub-rule *(1)* of rule 53	level 3
33.	Inspection and certification by un authorised persons.	sub-rule *(1)* of rule 53	level 6
34.	Contravention of sub-rule *(2)* of rule 53.	sub-rule *(2)* of rule 53	level 4
35.	Non-compliance of rule 54.	rule 54	level 6
36.	Non-compliance of any of the provision of rule 58.	rule 58	level 5
37.	Non-compliance with any of the provision of rule 59.	rule 59	level 5
38.	Non-compliance of sub-rule *(1)* of rule 61.	sub-rule *(1)* of rule 61	level 3
39.	Contravention of sub-rule *(2)* of rule 61.	sub-rule *(2)* of rule 61	level 7
40.	Non-compliance of sub-rule *(1)* of rule 62.	sub-rule of rule 62	level 5

41.	Contravention of sub-rules *(2)* or *(4)* of rule 64.	sub-rules *(2)* or *(4)* of rule 64.	level 6
42.	Noncompliance of sub-rule *(3)* of rule 64.	sub-rule *(3)* of rule 64	level 3
43.	Non-compliance with the provisions governing the issue and maintenance of log books.	rule 65	level 4
44.	Non-compliance of sub-rule *(2)* of rule 66 in respect of facilities including necessary equipment for tests and inspection aids.	sub-rule *(2)* of rule 66	level 5
45.	Non-compliance of sub-rule *(2)* of rule 66 in respect of qualified and trained staff.	sub-rule *(2)* of rule 66	level 7
46.	Conduct of activities as mentioned in clause *(a)* of sub-rule *(1)* of rule 66 without obtaining prior approval under sub-rules *(3), (4)* or *(8)* of rule 66.	sub-rules *(3), (4)* or *(8)* of rule 66	level 8
47.	Non-compliance of sub-rules *(9)* or *(10)* of rule 66.	sub-rules *(9)* or *(10)* of rule 66.	level 3
48.	Non-compliance of sub-rules *(11)* or *(12)* of rule 66.	sub-rules *(11)* or *(12)* of rule 66	level 4
49.	Non-compliance of sub-rule *(13)* of rule 66.	sub-rule *(13)* of rule 66	level 5
50.	Non-compliance with sub-rule *(1)* of rule 72 by a person (except student licence holder) holding licences, rating and medical fitness assessment issued under these rules but the validity of the same is either expired or the privileges of the same have been restricted under the provisions of these rules.	sub-rule *(1)* of rule 72	level 5
51.	Non-compliance with rule 73 (except students pilot licence)	rule 73.	level 5
52.	Non-compliance with sub-rules *(2)* or *(4)* of rule 82.	sub-rules *(2)* or *(4)* of rule 82	level 4
53.	Contravention of any of the provision of rule 84.	rule 84	level 4

54.	Contravention of rule 87.	rule 87	level 2
55.	Contravention of sub-rule *(1)* of rule 88.	sub-rule *(1)* of rule 88	level 10
56.	Contravention of sub-rule *(1)* of rule 89.	sub-rule *(1)* of rule 89	level 8
57.	Non-compliance of rule 90.	rule 90	level 6
58.	Exercise of the privileges of the licence in the absence of a valid medical fitness assessment.	rule 92	level 5
59.	Contravention of any of the provision of rule 93.	rule 93	level 4
60.	Contravention of rule 95.	rule 95	level 3
61.	Non-compliance of sub-rule *(1)* of rule 96.	sub-rule *(1)* of rule 96	level 6
62.	Contravention of rule 97.	rule 97	level 4
63.	Contravention of rule 101	rule 101	level 3
64.	Non-compliance with any of the provision of rule 102.	rule 102	level 5
65.	Contravention of sub-rule *(1)* of rule 103.	sub-rule *(1)* of rule 103	level 4
66.	Contravention of rule 104.	rule 104	level 5
67.	Flying an aircraft in contravention of any of the provision of rule 113.	rule 113	level 7
68.	Non-compliance with any of the provision of rule 114.	rule 114	level 5
69.	Non-compliance of sub-rules *(1), (2), (4)* or *(7)* of rule 115.	sub-rules *(1), (2), (4)* or *(7)* of rule 115	level 7
70.	Non-compliance of sub-rules *(3), (5), (6)* or *(8)* of rule 115.	sub-rules *(3), (5), (6)* or *(8)* of rule 115	level 2
71.	Contravention of sub-rule *(1)* of rule 116	sub-rule *(1)* of rule 116	level 3
72.	Non-compliance of sub-rule *(2)* of rule 117 in respect of infrastructure and facilities	sub-rule *(2)* of rule 117	level 5

73.	Non-compliance of sub-rule *(2)* of rule 117 in respect of qualified and trained manpower including postholders, instructors or examiners.	sub-rule *(2)* of rule 117	level 7
74.	Non-compliance of sub-rule *(3)* of rule 117	sub-rule *(3)* of rule 117	level 5
75.	Non-compliance of sub-rule *(10)* of rule 117.	sub-rule *(10)* of rule 117.	level 5
76.	Non-compliance of sub-rule *(11)* of rule 117.	sub-rule *(11)* of rule 117.	level 3
77.	Contravention of sub-rule *(14)* of rule 117	sub-rule *(14)* of rule 117	level 8
78.	Contravention of sub-rule *(4)* of rule 119	sub-rule *(4)* of rule 119	level 5
79.	Contravention of sub-rules *(1), (2)* or *(5)* of rule 124.	sub-rules *(1), (2)* or *(5)* of rule 124	level 10
80.	Non-compliance any of the provision of rule 127.	rule 127	level 3
81.	Denial of access to an authorised person for inspection.	sub-rule *(2)* of rule 128	level 5
82.	Contravention of sub-rule *(2)* of rule 129	sub-rule *(2)* of rule 129	level 6
83.	For not maintaining an aerodrome in a fit state and not informing the Director General of any unserviceability.	sub-rule *(5)* of rule 129	level 6
84.	Contravention of sub-rule *(2)* of rule 138	sub-rule *(2)* of rule 138	level 6
85.	Contravention of sub-rule *(2)* of rule 140	sub-rule *(2)* of rule 140	level 2
86.	Non-compliance of sub-rule *(3)* of rule 140	sub-rule *(3)* of rule 140	level 6
87.	Non-compliance of rule 141	rule 141	level 2
88.	Non-compliance of rule 142	rule 142	level 2
89.	Non-compliance of rule 143	rule 143	level 2
90.	Non-compliance of rule 145	rule 145	level 2

91.	Non-compliance with any of the provision of rule 146.	rule 146	level 2
92.	Non-compliance of rule 147	rule 147	level 6
93.	Contravention of rule 148	rule 148	level 5
94.	For permitting or cause to be permitted any communication, navigation and surveillance of air traffic management equipment facility in an international aerodrome to be established or used without being certified by the Director General.	sub-rule *(1)* of rule 149	level 6
95.	Non-compliance with any of the provision of rule 152.	rule 152	level 3
96.	Non-compliance of sub-rules *(2)* or *(4)* of rule 155	sub-rules *(2)* or *(4)* of rule 155	level 5
97.	Non-compliance of rule 156.	rule 156	level 2
98.	Non-compliance of rule 157.	rule 157	level 2
99.	Non-compliance with any of the provision of rule 158.	rule 158	level 5
100.	Non-compliance with any of the provision of rule 159.	rule 159	level 3
101.	Non-compliance of rule 160.	rule 160	level 3
102.	Non-compliance of sub-rules *(1)* or *(2)* of rule 164	sub-rules *(1)* or *(2)* of rule 164	level 5
103.	Contravention of rule 165	rule 165	level 4
104.	Contravention of rule 168	rule 168	level 6
105.	Non-compliance with sub-rule *(2)* of rule 170.	sub-rule *(2)* of rule 170	level 3
106.	Non-compliance with sub-rule *(3)* of rule 170.	sub-rule *(3)* of rule 170	level 9
107.	Non-carriage of operational documents.	rule 172	level 4
108.	Contravention of sub-rule *(1)* of rule 173	sub-rule *(1)* of rule 173	level 5

109.	Contravention of sub-rule *(2)* of rule 174 by the Operator.	sub-rule *(2)* of rule 174	level 6
110.	Contravention of sub-rule *(3)* of rule 174 by the Operator.	sub-rule *(3)* of rule 174	level 10
111.	Contravention of sub-rules *(1)* or *(2)* of rule 175.	sub-rules *(1)* or *(2)* of rule 175	level 2
112.	Contravention of the conditions specified under proviso *(b)* of rule 176	proviso *(b)* of rule 176	level 6
113.	Contravention of sub-rule *(1)* of rule 177.	sub-rule *(1)* of rule 177	level 7
114.	Non-compliance of sub-rule *(3)* of rule 177.	proviso of sub-rule *(3)* of rule 177.	level 7
115.	Non-compliance of rule 178	rule 178	level 4
116.	Contravention of rule 179.	rule 179.	level 10
117.	Contravention of sub-rule *(1)* of operation of a scheduled air transport service without permission.	sub-rule *(1)* of rule 183	level 10
118.	Contravention of or non-compliance with any of the conditions specified in the order under sub-rule *(2)* of rule 183.	sub-rule *(2)* of rule 183	level 8
119.	Non-compliance with any of the term and condition imposed under rule 184.	sub-rule *(1)* of rule 184	level 6
120.	Operation of non-scheduled air transport service without the special permission or non-scheduled operator's permit	sub-rules *(1)* or *(3)* of rule 184	level 6
121.	Contravention of sub-rule *(1)* of rule 185 by the person having Directorate General of Civil Aviation licence or certificate or approval.	sub-rule *(1)* of rule 185	level 8
122.	Unauthorised use of aircraft for aerial work.	rule 186	level 8
123.	Contravention of sub-rule *(1)* of rule 187.	sub-rule *(1)* of rule 187	level 6
124.	Non-compliance of sub-rule *(2)* of rule 187.	sub-rule *(2)* of rule187	level 5

125.	Contravention of sub-rule *(1)* of rule 188.	sub-rule *(1)* of rule 188	level 7
126.	Non-compliance of sub-rule *(5)* of rule 188.	sub-rule *(5)* of rule 188	level 4
127.	Contravention of sub-rule *(1)* of rule 189.	sub-rule *(1)* of rule 189	level 4
128.	Non-compliance of sub-rule *(2)* of rule 189.	sub-rule *(2)* of rule 189	level 6
129.	Contravention of sub-rule *(1)* of rule 190.	sub-rule *(1)* of rule 190	level 6
130.	Non-compliance of sub-rule *(2)* of rule 190.	sub-rule *(2)* of rule 190	level 6
131.	Contravention of or non-compliance with the conditions attached to the permission under the bilateral agreement or to the temporary authorisation.	sub-rule *(1)* of rule 191	level 3
132.	Non-compliance of conditions specified under sub-rules *(7)* or *(8)* of rule 191	sub-rules *(7)* or *(8)* of rule 191	level 8
133.	Non-compliance of sub-rule *(1)* of rule 192.	sub-rule *(1)* of rule 192	level 8
134.	Non-compliance of sub-rule *(2)* of rule 192.	sub-rule *(2)* of rule 192	level 7
135.	Non-compliance of sub-rules *(3) or (4)* of rule 192.	sub-rules *(3) or (4)* of rule 192	level 7
136.	Non-compliance of order issued under sub-rule (6) of rule 192.	sub-rules (6) of rule 192	level 10
137.	Non-compliance of rule 194.	rule 194	level 3
138.	Non-compliance with any of the provision of rule 195.	rule 195	level 3
139.	Non-compliance of sub-rule *(1)* of rule 196.	sub-rule *(1)* of rule 196	level 3
140.	Non-compliance of sub-rule *(2)* of rule 196.	sub-rule *(2)* of rule 196	level 1

141.	Non-compliance with any of the provision of rule 198.	sub-rule*(1), (2), (3), (4)* or (5) of rule 198	level 5
142.	Non-compliance of sub-rules *(1)* or *(2)* of rule 199.	sub-rules *(1)* or *(2)* of rule 199.	level 5
143.	Non-compliance of sub-rules *(5)* or *(6)* of rule 199.	sub-rules *(5)* or *(6)* of rule 199.	level 3
144.	Non-compliance of sub-rules *(7), (8)* or *(9)* of rule 199.	sub-rules *(7), (8)* or *(9)* of rule 199.	level 5
145.	Non-compliance with the directions issued under rule 202.	sub-rule *(3)* of rule 202	upto level 6. in case penalty has already been provided in any rule for the same contravention, then, the penalty as specified for that rule shall prevail.
146.	Non-compliance of sub-rule *(1)* of rule 203.	sub-rule *(1)* of rule 203.	level 6
147.	Non-production of the documents as required by rule 206 within the prescribed time.	rule 206	level 2
148.	Destruction, mutilation etc. of any entry in the log books.	rule 207	level 4
149.	Making of any false and fraudulent entry in the log books.	rule 207	level 6
150.	Denial of access to an authorised person.	sub-rule *(5)* of rule 209	level 6

3. Procedure for adjudication of penalty by designated or appellate officers.— *(a)* The designated officer upon his satisfaction that a person has contravened any of the provisions of rule as specified in the Table 2 under paragraph 2 above, he may, after giving a reasonable opportunity of being heard to such person, by an order in writing, impose penalty in accordance with Tables 1 and 2 under paragraphs 1 and 2 respectively, upon such person, stating the nature of contravention, the provision of rules which have been contravened and the reasons for imposing such penalty along with the demand notice.

(b) The designated officer shall not proceed for imposition of penalty against a person, where it comes to his notice that an action under the Act and these rules has been initiated for contravention of same provisions on same cause of action.

(c) A copy of order of penalty passed, along with the demand notice by the designated officer, shall be served upon such person by a recognised mode of service.

(d) The person aggrieved by the order issued under clause *(a),* may prefer an appeal in accordance with the provisions of rule 216 of these rules.

(e) The copy of appellate order passed by appellate officer shall be provided to the appellant and the designated officer concerned.

(f) The designated officer, within thirty days from the date of the receipt of such order passed by the appellate officer, shall give effect to the order by issuing a revised demand notice to the person against whom the order has been passed for the amount of penalty imposed in the order.

(g) The penalty thus imposed, shall be paid by such person in the manner as laid down by the Director General within a period of thirty days of the service of demand notice upon the person.

(h) In case the person on whom the penalty is imposed fails to pay such amount of penalty within the time stipulated in demand notice, then, the proceeding for cancellation or suspension of any licence, certificate, authorisation, permit or approval, as the case may be, may be initiated under the provisions of these rules.

FORM B

(See rules 215 and 216)

Form of appeal to the Appellate Officer

1.	Name(s) of the appellant	
2.	Address	
3.	Email address n n	
4.	Phone No.	
5.	Order no. with date, against which the appeal is preferred (copy of the order to be enclosed)	
6.	Name and post of the designated officer by whom the order is passed	
7.	Contravention of rules for which order was passed	
8.	Operative part of order	

9.	Date on which the copy of order received by the appellant	
10.	Date of completion of 30 days limitation period	
11.	Brief facts of the case	
12.	Grounds of appeal	
13.	Prayer of the appellant	
14.	Fee and transaction details	
15.	Attachment, if any	

[F. No. AV-11012/3/2025-D G]

PRIYANKA DAS, Jt. Secry.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

KUMER CHAND MEENA
Digitally signed by KUMER CHAND MEENA
Date: 2026.10.31 11:34:24 +05'30'